लोक-सभा वाद-विवाद

का

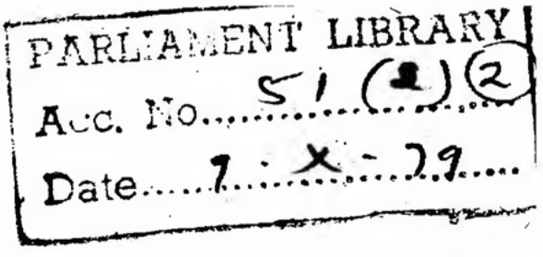
हिन्दी संस्करण



[सातवां सत्र]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते



[खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 45, गुरुवार, 26 अप्रैल, 1979/6 वैशाख, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
सूरीनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		2-21
*तारांकित प्रश्न संख्या	890 से 892, 894 से 896, 898, 899 और 902.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		21-28
तारांकित प्रश्न संख्या	888, 889, 893, 897, 900, 901 और 903 से 907.	
अतारांकित प्रश्न संख्या	8601 से 8626 और 8628 से 8800.	28-170
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में घोषणा		170-174
सभा पटल पर रखे गये पत्र		175-176
लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन		176
129वां तथा 144वां प्रतिवेदन		
प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन		176-177
36वां तथा 31वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		177
49वां, 41वां, 46वां तथा 47वां प्रतिवेदन तथा उनके कार्यवाही सारांश		
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		177-178
28वां, 32वां, 33वां तथा 36वां प्रतिवेदन		
धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1978 के बारे में याचिका		178
कार्य मंत्रणा समिति		178-189
33वां प्रतिवेदन		
अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजन, विनियमन और सेवा शर्तें. (विधेयक)		189-190

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम-377 के अधीन मामले :	190-194
(एक) कोयला उद्योग में कदाचार	
—श्री मुकुन्द मंडल	190
(दो) कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में ईंटों के बहुत से भट्टों के बन्द होने के समाचार	
—श्री मनोहर लाल	191
(तीन) बेतवा नदी (मध्य प्रदेश) नोटघाट पुल से ले जाने वाले माल पर चुंगी लगाये जाने के विरुद्ध जनता में व्याप्त असंतोष का समाचार।	
—श्री लक्ष्मी नारायण नायक	191-192
(चार) 21 अप्रैल, 1979 को बिहिया स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर 104 डाउन डिलक्स के रोके रखने का समाचार	
—श्री ए० के० राय	192-193
(पांच) गोआ में नये मन्त्रिमण्डल का गठन	
—श्री बयालार रवि	193-194
वित्त विधेयक, 1979	194-226
विचार करने का प्रस्ताव :	
श्री बी० के० नायर	196-199
श्री सुरेन्द्र भा सुमन	199-203
श्री डी० जी० गवई	203-207
श्री सतीश अग्रवाल	207-226
खण्ड 2 से 46, अनुसूची प्रथम से चतुर्थ तथा खण्ड 1 संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	226-325
श्री सतीश अग्रवाल	325-326
श्री हरिकेश बहादुर	326-327
श्री सकारिया थोमस	327-328
श्री आर० वेंकटारमन	328-329
श्री सोमनाथ चटर्जी	329-333
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	333-335
आचार्य विनोबा भावे के अनशन के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	216

लोक सभा

गुरुवार, 26 अप्रैल, 1979/6 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सूरीनाम के संसदीय शिष्ट मण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है ।

मैं अपनी तथा माननीय सदस्यों की ओर से, सूरीनाम की संसद के अध्यक्ष महामना श्री ई० एल० ए० विजनडूइन और सूरीनाम के संसदीय शिष्ट मण्डल के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है । वे हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत भ्रमण के लिये आये हुए हैं ।

शिष्ट मण्डल के अन्य माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

1. **श्री जे० लचमोन, सांसद,**
2. **श्री आर० वोइतमीर, सांसद,**
3. **डा० जे० एच० अधीन, सांसद,**
4. **श्री टी० अहमद अली, सांसद,**
5. **श्री एम० धा० जे० वीन, सांसद,**
6. **श्री ई० एफ० वरिसडे, सांसद ।**

शिष्टमंडल मंगलवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1979 अपरान्ह को यहां पहुंचा । 25 अप्रैल को उन्होंने आगरे का भ्रमण किया ।

शिष्ट मण्डल अब विशिष्ट प्रकोष्ठ में स्थान ग्रहण किए हुए है । हम उनके माध्यम से अपनी शुभ एवं मंगलमयी कामनायें सूरीनाम की संसद और वहां की मित्रवत जनता को भेजते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शाह आयोग से प्राप्त मामले

*890. **श्री श्याम लाल धुर्वे : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में ऐसे कुल कितने मामले हैं जो मंत्रालय को शाह आयोग से प्राप्त हुए है;

(ख) कितने मामलों में अभी जाँच पड़ताल की जानी है;

(ग) इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इन मामलों के निपटान के लिए क्या निश्चित समय-सीमा रखी गई है; और

(घ) यदि इन मामलों के बारे में विभागीय रूप से जांच पड़ताल न की जाय तो क्या इन मामलों को विशेष न्यायालयों को भेजने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) शाह आयोग से प्राप्त 1197 मामले जुलाई, 1978 और दिसम्बर, 1978 के बीच सम्बन्धित रेलों को भेजे गये थे ।

(ख) 787 ।

(ग) और (घ) शाह जांच आयोग से प्राप्त मामले आवश्यक जांच-पड़ताल के लिए पहले ही सम्बन्धित क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को भेजे जा चुके हैं । हालांकि इस प्रकार की जांच-पड़ताल के काम में तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, किन्तु ऐसी जांच-पड़ताल के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि इस प्रकार की जांच-पड़ताल काफी विस्तृत होने की सम्भावना होती है ।

श्री श्याम लाल धुर्वे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि भाग (ख) का उत्तर ठीक नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि कितने मामलों की जांच हो चुकी है और कितने मामलों की जांच हो रही हैं ।

श्री श्याम लाल धुर्वे : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ताकि सही जांच हो सके और लोगों को न्याय मिल सके वरना कभी शासन के दबाव में आकर अधिकारी भी सही जांच नहीं कर सकेंगे और लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कब तक का समय निर्धारित कर सकेंगे और कब तक लोगों को न्याय दे सकेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : मान्यवर, 1197 केसेज में से 410 केसेज में जाँच पूरी हो गई है और आवश्यक कार्यवाही भी की गई है । समय की पाबन्दी इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि शाह आयोग के काम को देखें तो इतने बड़े पैमाने पर केसेज आए थे जांच करने के लिए और कई मर्तबा विटनेस को भी बुलाना पड़ता है । ऐसी हालत में मैं इतना ही आश्वासन इस सदन को देना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमारी

रफ्तार भी आप देखेंगे कि 1197 में से 410 केसेज का काम पूरा किया है और उस पर कार्यवाही भी की हैं।

श्री श्याम लाल धुर्वे : अध्यक्ष महोदय, अभी तक केवल 1197 में से 410 मामले ही निपटाए गए हैं, अधिकतर मामले अभी तक पेंडिंग हैं। यदि जांच की यही गति रही तो जल्दी लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। लम्बे अर्से तक जांच चलने पर इसमें बहुत सी गड़बड़ियां पैदा होंगी जिसके कारण लोगों को उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी इसके लिए कौनसा मार्ग अपना रहे हैं जिससे कि लोगों को जल्दी न्याय प्राप्त हो सके ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक ही प्रश्न का दो मर्तबा जवाब नहीं दे सकता हूं, पहले मैंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री राघव जी : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 410 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है उनमें कौन से अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। इसके अलावा जो शेष मामले हैं उनकी जांच कौन से अधिकारी कर रहे हैं और क्या उनको स्पेशल कोर्ट्स में भेजेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : जो हमारे पास शिकायतें आई थीं वह ऐसी शिकायतें थीं जिनमें शाह आयोग ने समझा कि इनमें कोई बुनियादी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इन मामलों की जाँच प्रशासन के स्तर पर रेलवे भी कर सकती है। वे केसेज थे—परेशान करना, नसबन्दी, ददलियां (स्थानान्तरण), नौकरी से निकालना, पदोन्नति पर रोक, पदावनति, रेलों में अतिक्रमण पर रोक, समयपूर्व सेवानिवृत्ति इस प्रकार के केसेज थे। जो 410 मामले हैं उनकी सारी फेहरिस्त तो मैं इस समय नहीं दे सकता हूं।

श्री राघव जी : कितने अधिकारी दोषी पाए गए थे ?

प्रो० मधु दंडवते : 410 केसेज जो हैं उसमें सम्बन्धित लोगों का विक्टिमाईजेशन वगैरह किया गया था, उनको वापिस लिया गया है, उनके प्रीमेच्योर रिटायर्मेंट को समाप्त किया गया है। उसमें अधिकारियों को दोषी ठहराने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन यह जो काम हुआ था वह गलत हुआ था और उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

श्री एम. एम. गोपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय द्वारा गिनाई गई एक शिकायत जबरन नसबंदी भी थी। तो, जहां कहीं जबरन नसबन्दी की गई है तो, क्या मन्त्री महोदय यह चाहते हैं कि उस नस को फिर से जोड़ दिया जाए, जिससे कि वे जितने मर्जी चाहें बच्चे पैदा करते चले जाएँ ?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम को पूंजी अंशदान

*891 **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 23 के उपबंधों के अनुसार राज्य सड़क परिवहन निगम को 2 : 1 के अनुपात से पूंजी अंशदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन निगम को देय पूंजी अंशदान की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बकाया राशि का कब तक भुगतान किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या मन्त्री महोदय सदन को सूचित करेंगे कि क्या नई चौसियां खरीदने के लिए डिपो की नई कर्मशाला तथा ओजार कक्ष स्थापित करने हेतु, मध्य प्रदेश सरकार का पूंजी निवेश करने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है ? यदि हां तो, उस प्रस्ताव को मन्जूरी देने में कितना समय लगेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : विचाराधीन प्रश्न से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ बोलूं तो, मैं ऐसा कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि आप इस बारे में कुछ बोलें।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या सरकार 1950 के सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अधीन, योजना आयोग द्वारा निश्चित की गई अन्तिम सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी ? आज 30 वर्ष हो गए हैं और उस समय निश्चित किए गए आधार लगभग पुराने पड़ गए हैं। आज केन्द्रीय सरकार से धन न मिलने के कारण बहुत से राज्य सड़क निगमों का कार्य रुका पड़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक पूंजी निवेश की बात है, यह निश्चित करना योजना आयोग का काम है कि राज्य निगम को किसी राज्य विशेष की पूंजी निवेश की अन्तिम सीमा क्या होगी तथा उसी के बराबर का अनुदान केन्द्रीय सरकार भी रेलवे के माध्यम से देगी। आवंटन पहले ही किया जा चुका है। परन्तु कुछ राज्य सरकारों ने विगत में अधिक पूंजी जुटाई और इस आधार पर रेलवे से बराबर के अधिक अंशदान की मांग की। योजना आयोग ने बहुत ही अनुकूल रवैया अपनाया है। उन्होंने विगत में बरती गई अनियमितताओं को माफ करने का निर्णय लिया है और हम बराबर का अंशदान दे रहे हैं। परन्तु भविष्य में जो कुछ भी सीमाबन्दी निश्चित की जाएगी उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कण्ट्रीब्यूशन आप करते हैं उसके हिसाब-किताब की कोई जांच होती है या नहीं ? अगर जांच होती है तो आज तक क्या प्राफीट हुआ या लास हुआ, इसका हिसाब आप दे सकते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कई दफा इस सदन में स्पष्ट किया है कि रेलवे के जरिए जो कैपिटल कण्ट्रीब्युशन दिया जाता है उसमें हम सिर्फ कैरियर एजेंसी हैं। सेण्ट्रल गवर्नमैंट के जनरल रेवेन्यूज से हमें पैसा दिया जाता है और बताया जाता है कि वह पहुंचा दें। वैगन मूवमेंट का काम तो हम करते हैं बाकी स्काउन्ट्स वगैरह रखने का जो काम है और उसकी जांच की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है।

श्री यशवंत कोरौले : क्या बराबर के अंशदान के रूप में महाराष्ट्र राज्य परिवहन द्वारा किसी प्रकार की वसूली की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

1978-79 की बाढ़ों में रेलवे को हानि

*892. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को 1978-79 की बाढ़ों के दौरान कुल कितनी वास्तविक हानि हुई और उसके परिणामस्वरूप राजस्व की कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या सरकार ने इन्जीनियरों की एक समिति द्वारा बहुत पहले 1959 में रेल पुलों के डिजाइन तैयार करने, देश भर में जल मौसम विज्ञान सम्बन्धी मूल सामग्री एकत्रित करने हेतु भारतीय मौसम विभाग, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा अन्य तकनीकी एजेंसियों द्वारा 375 नदियों के सर्वेक्षण की दीर्घावधि योजना सम्बन्धी मूल्यवान सिफारिशें कार्यान्वित कर दी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) 1978-79 की बाढ़ों से रेलों को लगभग निम्न-लिखित रकम की हानि होने का अनुमान है :

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वास्तविक हानि	राजस्व की हानि	कुल हानि
10.44	22.83	33.27

(ख) जी हां। जिन 360 नदी स्रवण क्षेत्रों का अवलोकन करने का प्रस्ताव है उनमें से रेलों द्वारा हाइड्रो-मेट्यरोलाजीकल आंकड़े इकट्ठे करने के लिए देश में फैले 250 से अधिक स्रवण क्षेत्रों का अवलोकन पहले ही किया जा चुका है। इस समय लगभग 70 स्रवण क्षेत्रों के अवलोकन का कार्य प्रगति पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा० पी० वी० पेरियासामी : बाकी के 40 जलयान क्षेत्रों पर निरीक्षण कार्य करना आरम्भ किया जाएगा तथा अब तक एकत्र की गई आद्रतामापी सामग्री का रेलवे ने क्या उपयोग किया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक जलागम क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हमारे जिम्मे ये काम हैं : सही निरीक्षण करना और पता लगाना कि वस्तुतः कितनी वर्षा होती है, पुलों को कितना नुकसान पहुंच सकता है, पुलों के नीचे पानी के बहाव की क्या गति हो सकती है, तथा जल मार्गों की कैसी स्थिति है ? इन सभी पहलुओं का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है तथा आवश्यक बातें नोट कर ली गई हैं।

डा० पी० वी० पेरियासामी : 1959 में अभियन्ता समिति ने रेलवे पुलों की डिजाइनों के बारे में कौन-कौन सी सिफारिशें की थीं और उन पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

प्रो० मधु दण्डवते : जो सिफारिशें की गई थीं; वह इस प्रकार है :

(क) वर्षा के गिरने की प्रबलता आवृत्ति चार्टों को तैयार करना और उनको बनाये रखना;

(ख) विगत में आए सभी तथा वर्तमान के तूफानों का विश्लेषण करना;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि आदर्श-भूत जलागमों के लिए जल सर्वेक्षक एकक स्थापित करना;

(घ) विद्यमान पुलों के व्यवहार का अध्ययन करना तथा चालू सिद्धान्त और कार्यप्रणाली की उपयुक्तता का निर्धारण करना; और

(ङ) इस विषय पर लिखे गए गौरवग्रन्थों में उपलब्ध सूचना और ज्ञान को आद्यतन करने का कार्य ।

यहां यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि 360 जलागम क्षेत्रों में से 250 क्षेत्रों पर अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया है और 70 अन्य जलागम क्षेत्रों में पहले से अध्ययन कार्य चल रहा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हलधर : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1978-79 की बाढ़ों में कुल कितने पुल नष्ट हुए और इस विनाश के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ?

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे खेद है कि पुलों की संख्या बताना तो मेरे लिए सम्भव नहीं है, परन्तु रुपयों में हुई हानि को मैं बता सकता हूं । जहां तक रेल की पटरियों और पुलों को हुई हानि का सम्बन्ध है इनमें 10.44 करोड़ रुपए की हानि हुई और जैसा कि पहले ही कह चुका हूं 22.83 करोड़ रुपए का राजस्व में घाटा रहा तथा इस प्रकार कुल हानि 33.27 करोड़ रुपए की हुई ।

मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन

*894. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में नई रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए, कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) मध्य प्रदेश में निम्नलिखित नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण हाल ही के वर्षों में पूरे किये गये हैं :

	लम्बाई कि० मी० में
1. करेला रोड—जयन्त (म. प्र. और उ. प्र. में)	35.00
2. ढल्ली राजहरा-जगदलपुर	234.00
3. रांची-लोहारडागा (छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन) और लाइन को कोरबा तक बढ़ाना	381.00
4. रींवा के रास्ते सतना-ब्यौहारी	127.00
5. महोबा-खजुराहो	54.00
6. रतलाम-बांसवाड़ा	78.00
7. इन्दौर से महू	21.00

मध्य प्रदेश में नई लाइनों के लिए इस समय निम्नलिखित सर्वेक्षणों का काम जारी है :

1. करोंजी से बरवाडीह बरास्ता अम्बिकापुर	154.00
2. खजुराहो, सतना और रींवा के रास्ते ललितपुर-सिंगरौली	455.00

श्री दलपत सिंह परस्ते : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जिन-जिन लाइनों का जो सर्वेक्षण बतलाया गया है वह किन-किन वर्षों में पूर्ण होगा और क्या सर्वेक्षण की समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जो बयान मैंने दिया है उसमें कौन-कौन से मार्गों के बारे में सर्वेक्षण पूरा किया गया है, उसकी पूरी जानकारी दी है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल दो ही सर्वेक्षणाधीन हैं, बाकी पूरे हो चुके हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : दो सर्वेक्षण ऐसे हैं जिनके रिटर्न अच्छे हैं । एक करेला रोड जयन्त जिसमें 10 प्रतिशत रिटर्न हो सकता है और दूसरा ढल्ली राजहरा-जगदलपुर जिसमें 7.9 परसेंट रिटर्न हो सकता है ।

श्री दलपत सिंह परस्ते : जिन-जिन रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण किये गए हैं क्या इनके अतिरिक्त भी नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आवेदन किये गए हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? इन प्रस्तावित लाइनों के सर्वेक्षण हेतु कब तक कार्यवाही की जायेगी ? क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु भी ध्यान दिया जायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : कल मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों का एक डेलीगेशन आया था और उन्होंने एक लम्बी चौड़ी फेंहरिस्त दी है। इनके साथ काफी चर्चा हुई है और उसका जिक्र इस स्टेटमेंट में भी किया गया है। मैंने उनको बताया है कि खजुराहो, सतना और रींवा के रास्ते ललितपुर, सिंगरौली और दूसरे करौंजी से बरवाडीह बरास्ता अम्बिकापुर, ये दो सर्वेक्षण जल्दी से हम पूरा कर रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद हमारी नीति यह होगी कि बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को हाथ में लेकर सभी को अधूरा रखने के बजाय चन्द योजनाओं को हाथ में लेकर ज्यादा लोकेशन कर दिया जाए और उस काम को हम पूरा करें। यह आश्वासन मैं आज सदन को भी देना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : मन्त्री महोदय ने बताया है कि रींबा के रास्ते सतना ब्यौहारी का सर्वेक्षण हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके निर्माण के लिए आप अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं।

खजुराहो, सतना और रींवा के रास्ते ललितपुर, सिंगरौली का जो सर्वेक्षण आप करवा रहे हैं यह बहुत धीमी गति से हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसी वर्ष यानी 1979 के अन्त तक आप यह प्रयास करें कि यह पूरा हो जाए। क्या आप ऐसा करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : कार्रवाई के लिए जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है इसको जरूर हम ध्यान में रखेंगे।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : बहुत समय से यह मांग चली आ रही है कि जबलपुर से गोंदिया तक बड़ी लाइन कर दी जाए। इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है। नतीजे की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसके बारे में जानकारी दें।

प्रो० मधु दण्डवते : गोंदिया-जबलपुर गेज कन्वर्शन का सर्वेक्षण करीब-करीब पूरा हो गया है और इसके पूरा होते ही हम उसके सिलसिले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

ग्रामीण लोगों को बायोकेमिक सहायता

*895. **डा० विजय मंडल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों को ऐसी चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं होती है जो शहरों के लोगों को मिलती है;

(ख) क्या अन्य बातों के अलावा यह भी सच है कि एलोपैथ डाक्टर गांवों में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि एलोपैथी का प्रशिक्षण प्राप्त करने में जो पूंजी उन्हें खर्च करनी पड़ती है उसकी तुलना में उन्हें बहुत कम आय होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अन्तर को पूरा करने के लिए जैवरासायनिक (बायोकैमिक) पद्धति को उपयुक्त माना गया है और इनका प्रशिक्षण पाने में छात्र को कम समय तथा बहुत कम धन खर्च करना पड़ता है; और

(घ) क्या मद्रास अथवा इसके आसपास सम्पूर्ण सुविधायें युक्त एक बायोकेमिक अस्पताल चलाया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां, नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें कम हैं ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, स्कूल, संचार, बिजली आदि की सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण एलोपैथिक डाक्टर वहाँ जाकर रहने में संकोच करते हैं ।

(ग) बायोकैमिक पद्धति होम्योपैथिक पद्धति का एक अंग है और देश में होम्योपैथी की चिकित्सा परिचर्या को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान लिया गया है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत यह मान्य पद्धतियों में से एक है ।

(घ) मद्रास शहर में एक बकायदा होम्योपैथिक कालेज है जिसमें अस्पताली सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

डा० विजय मंडल : ग्रामीण लोगों को उपचार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु, भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय ने सारे देश में एक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवक योजना चालू की है, परन्तु हमने देखा है कि यह योजना लगभग असफल हो गई है और ग्रामीण लोगों को अपनी इच्छानुसार व्यक्ति का चुनाव करने के अधिकार से वंचित किया जाता है तथा राजनैतिक नेतागण और राजनैतिक संगठन उन पर दबाव डालते रहते हैं । अत:, क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या वे इस मामले की जांच करायेंगे और कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे योजना को स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा मार्गदर्शनार्थ दिये गए आदेशानुसार सही ढंग से लागू किया जा सके ।

श्री रवि राय : माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि योजना असफल रही है । योजना का गांवों में स्वागत हुआ है । यदि उनके पास देने को कोई विशेष सुझाव है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं ।

श्री विजय मण्डल : समुदाय स्वास्थ्य सेवकों को एलोपैथी पद्धति में प्रशिक्षण दिया जाता है । क्या मन्त्री महोदय से मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या वे सभी स्वास्थ्य सेवकों को होम्योपैथी और बायोकैमिक पद्धतियों में भी प्रशिक्षण देने वाले हैं ?

श्री रवि राय : समुदाय स्वास्थ्य सेवक न ही तो कोई चिकित्सक होता है और न ही वह कोई सरकारी कर्मचारी है । उसे तीन मास तक कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है और हम उसे एक पर्ची दे देते हैं । होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक दोनों ही तरह की दवाइयों के साथ-साथ उसे आयुर्वेदिक औषधियां भी दी जाती हैं ।

श्री ए० सुन्ना साहिब : ग्रामीण क्षेत्रों में कौनसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे बेरोजगार डाक्टर लोग वहां जाकर अपना काम कर सकें, क्योंकि आयुर्विज्ञान का स्नातक बनने के बाद उन्हें नौकरी मिलने में कठिनाई होती है । क्या मन्त्री महोदय वहां जाने वाले इन चिकित्सकों को वे ही सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठायेंगे जो कि चिकित्सों को नगरों में दी जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कठिन बात है ।

श्री रवि राय : सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया है और हम उसको कार्यरूप दे रहे हैं तथा इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में यह प्रयत्न किया जायेगा कि चिकित्सकों को गांवों में जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। तथा उसके लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अनिवार्य है।

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी : बायोकैमिक पद्धति बहुत ही सरल और मौलिक पद्धति है। यदि समुदाय स्वास्थ्य सेवक को इसका थोड़ा सा भी आरंभिक ज्ञान दे दिया जाये तो यह कहीं अधिक अच्छी बात होगी तथा छोटी-मोटी बीमारियों में वे तुरन्त आराम दिला सकेंगे। क्या मन्त्री महोदय मामले के इस पहलू पर विचार करेंगे और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बायोकैमिक पद्धति के अतिरिक्त अनुदेशों को सम्मिलित करेंगे ?

श्री रवि राय : यह तो होम्योपैथी-औषध-पद्धति का ही अंग है। होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद अधिनियम के अनुसार होम्योपैथी शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार से की गई है। होम्योपैथी का अर्थ है होम्योपैथिक औषध पद्धति और इसमें जीव-रसायन औषध भी सम्मिलित है, तथा हम उस पद्धति पर भी बहुत बल दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह सही है कि जितने डाक्टर हैं वह देहात में तो जाना नहीं चाहते। तो मैं दो प्रश्न मंत्री जी से जानना चाहता हूं :

(1) अभी प्रति मरीज पर सरकार कितना खर्च कर रही है ?

(2) क्या सरकारी देहाती इलाकों में इस प्रकार के रेफरर अस्पताल की व्यवस्था करेगी जिससे कि वहां डाक्टरों को जाने के लिये बाध्य होना पड़े और देहात के मरीज वहां अपना इलाज करवा सकें ?

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, माननीय पासवान को मालूम है कि अभी प्राइमरी हैल्थ केयर पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक लाख की आबादी पर एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है। आगे चल कर हम 50,000 आबादी पर एक सेन्टर करने का इरादा रखते हैं। इसलिये उस पर हम ज्यादा जोर देते हैं।

लाइसेंस संबंधी नीति

896. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वर्तमान लाइसेंस नीति में केवल तीन नौवहन कम्पनियों को ही लाभ पहुंच रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि विदेशी झण्डे वाले पोत भारतीय पत्तनों से माल ले जाते हैं और छोटी परिवहन कंपनियों को माल न मिलने के कारण वे निष्क्रिय रह जाती हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचती है, क्या सरकार सारे मामले का पुनर्विलोकन करेगी, और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि वर्तमान लायसेंसिंग नीति से केवल तीन नौवहन कंपनियों को ही लाभ हुआ है। लायसेंस व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अधीन तटीय समुद्र पार लाईनर और ट्रैम्प और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय जहाजों को अच्छी तरह संवीक्षा करने के बाद ही दिए जाते हैं। लायसेंसिंग नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय जहाजों की नियुक्ति इस तरह विनियमित की जाए कि भारतीय जहाज लाभ कमा सकें और भारतीय जहाजी कंपनियां आपस में ऐसी प्रतिस्पर्द्धा न करें जिससे भारतीय नौवहन क्षेत्र के हितों को हानि पहुंचे।

(ग) और (घ) कुछ छोटे-छोटे भारतीय जहाज मालकों ने अनुरोध किया था कि उन्हें अन्यों के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त समुद्रपारीय मार्गों पर सेवाएं चलाने की अनुमति दी जाए। उनकी दलील यह थी कि विदेशी नौवहन कंपनियां भारतीय माल ले जा रही हैं। सरकार ने अभी हाल इस मामले पर विचार किया था और यह सहमति हुई कि छोटे-छोटे जहाज मालिकों को निम्नलिखित मार्गों पर सेवाएँ चलाने की अनुमति दी जाए बशर्ते कि उनके जहाज ऐसी सेवाओं के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त हों :-

(1) भारत / चीन
(2) वैस्ट कोस्ट आफ इंडिया/रैडसी
(3) वैस्ट कोस्ट आफ इंडिया/ईस्ट अफरीका और वैस्ट अफरीका
(4) इंडिया/जापान साउथ ईस्ट एशिया
(5) वैस्ट कोस्ट आफ इंडिया/यू एस एटलांटिक

श्री मनोरंजन भक्त : देशों में यह आम धारणा है कि नौवहन कम्पनियों को दिये जाने वाले लाइसेंसों से केवल बड़ी-बड़ी कम्पनियों का ही हित होता है। सिंधिया बन्धुओ, ग्रेट ईस्टर्न बिरला बन्धुओं आदि को लाईसेन्स दिये जाते हैं। मैं यह मानता हूं कि पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें तो ठीक हैं. परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि इन सभी बातों का पुनर्विलोकन करने और सिफारिशें मिलने के बाद, गत दो वर्षों में छोटी नौवहन कम्पनियों को कितने लाईसेन्स दिये गये और बड़े घरानों को कितने ?

श्री चांद राम : जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है सात कम्पनियों ने अतिरिक्त जल-मार्गों पर लाइसेन्स के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे और उनके मामलों पर महानिदेशक द्वारा विचार किया जा रहा है जो कि ऐसे मामलों पर विचार करने का उचित अधिकारी है। हमने नौवहन महानिदेशक से मामले पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिये कहा है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने तो यह पूछा था कि गत दो वर्षों में कितनी छोटी नौवहन कम्पनियों को और कितने बड़े घरानों को लाइसेन्स दिये गयें। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री चांद राम : मैं जनवरी, 1979 में पहले ही इन पांच जलमार्गों पर जहाज चलाने के लिए लाइसेन्स प्रदान करने का निर्णय ले चुका हूं और मैंने महानिदेशक (नौवहन) से मामले को

शीघ्र निपटाने के लिए कहा है। मैं तो वह कर चुका हूं। निर्णय को लागू करने में कुछ समय लगेगा। उन्हें प्रतियोगिता इत्यादि कई बातों पर विचार करना है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने उनसे यह पूछा था कि कुल कितने लाइसेन्स दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल 1979 में ही लाइसेन्स प्रदान करके आदेश जारी किये हैं।

श्री चांद राम : मैंने बताया है कि अतिरिक्त समुद्रपारीय जलमार्गों के लिये लाइसेन्स लेने के लिये सात कम्पनियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे और उनके मामले महानिदेशक के विचाराधीन हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मन्त्री महोदय ने अभी छोटी कम्पनियों के मार्गदर्शन की बातों का जिक्र किया। परन्तु भारत-ब्रिटेन सेवा को, जोकि एक लाभदायी सेवा है, उसे तो केवल बिरला बन्धुओं, सिन्धिया बन्धुओं जैसी बड़ी नौवहन कम्पनियों के लिये ही एक प्रकार आरक्षित किया हुआ है और छोटी नौवहन कम्पनियों को सेवा मार्गों की पेशकश की है, जहाँ कि उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ता है।

इन बड़ी नौवहन कम्पनियों द्वारा भारी मात्रा में भारतीय माल ढोया जाता है। नौवहन पर संकट छाया हुआ है और वे राहत ऋण की मांग कर रहे हैं। अतः इन कम्पनियों पर अलग से 500 करोड़ या 600 करोड़ रुपये का निवेश करने के बजाय, जबकि इन कम्पनियों के पास एक अभ्य 600 करोड़ रुपये का भुगतान भी बकाया पड़ा है, सरकार ऐसी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देती ?

श्री चांद राम : जहां तक राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह तो बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता चल ही गया होगा। हमने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है और वह समिति अपनी सिफारिशें पेश करेगी। अन्य सुझावों के साथ-साथ वह उच्चस्तरीय समिति इन सुझावों पर भी विचार कर सकती है। परन्तु जब तक वह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है, तब तक सरकार राष्ट्रीयकरण, विलय आदि पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

अब मैं पहले ही से पूछे गये एक प्रश्न के बारे में कुछ और अधिक सूचना देना चाहता हूं। एक कम्पनी को भारत के पश्चिमी तट से लालसागर तक माल ढोने के लिए एक वर्ष तक का सामान्य लाइसेन्स प्रदान किया गया है। सात में से, एक कम्पनी को पहले ही लाइसेन्स दिया जा चुका है। जहां तक आपके इस तर्क की बात है कि हमें भारत-ब्रिटेन मार्ग खुली प्रतियोगिता में दे देना चाहिये, तो मेरा कहना यह है कि इससे अस्वस्थ प्रतियोगिता को जन्म मिलेगा। वे मार्ग कान्फ्रेंस लाइनों या दर-अनुबन्ध के अधीन पड़ते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में जो एक शिकायत छोटी नौवहन कम्पनियां कर रही हैं, वह नौवहन मन्त्रालय द्वारा विदेशी कम्पनियों को अवैध रूप से मजदूर भर्ती करने और सरकार की इस विषय में निष्क्रियता से सम्बद्ध है। उदाहरणस्वरूप यही बात लीजिए कि भारतीय नौवहन कम्पनी भारतीय कामगरों की भर्ती करती रही है, जहाज खोते रहे हैं तथा भारतीय मजदूरों का आज तक कोई पता नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय कार्मिकों की अवैध भर्ती को रोकने के लिये क्या

करने जा रहे हैं ? क्या उन्होंने इस बात को लाइसेन्स नीति में स्थान दिया है ? वे भारत के गुम हुए समुद्री जहाज—एम० बी० अरबिया के बारे में क्या कुछ कर रहे हैं ? क्या वे इसके लिए कुछ करने वाले हैं ? पिछले कुछ मास से 16 भारतीय सदस्य खोये हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु यहां पर उसका प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इससे आपका क्या तात्पर्य है ? आप भाग (ग) देखें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो लाइसेन्स नीति का है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया एकदम से कानूनी निर्णय देने की कृपा न करें। आप भाग (ग) देखें जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है···

अध्यक्ष महोदय : (घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह विदेशी ध्वज वाले जलयानों के विषय में नहीं है। यह तो असली मामला है। छोटी नौवहन कम्पनियां शिकायतें कर रही हैं। वह इस मामले के बारे में जानते हैं। आप मंत्री महोदय को थोड़ी सी छूट दें। इतने कठोर न बनें। मैं तो कभी-कभार ही प्रश्न पूछता हूं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वे उत्तर देने को तैयार हैं। यह 16 खोये हुए भारतीय नागरिकों का प्रश्न है। भारतीय बेड़े के 16 सदस्य गुम हैं। वे इस पर क्या कार्यवाही करने वाले हैं ? क्या उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि उनके पास कोई सूचना है तो उन्हें बताने दो। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने भाग (ग) से सम्बन्धित प्रश्न पूछा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारतीय जहाजरानी बेड़े के 16 सदस्य गुम हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनके लिए यह कहीं अच्छा होगा कि वे सदन में इस विषय पर अपना वक्तव्य दें।

श्री चांद राम : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री वयालार रवि : मन्त्री महोदय कह रहे थे कि अस्वस्थ प्रतियोगिता से बचने के लिए उन्होंने लाइसेन्स जारी करने के कड़े नियम बनाए हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे इस तथ्य से अवगत हैं कि आज देश में माल भेजने की जितनी मांग है, ये कम्पनियाँ इसको पूरा नहीं कर रही हैं ? इस बात पर गौर करते हुए कि मांग बहुत है और कुछ अधिक कम्पनियां पर्याप्त माल ढो सकती हैं, जिसे नौवहन विकास कोष का वस्तुतः आप उचित ढंग से उपयोग नहीं कर रहे, उससे भारतीय जहाजरानी बेड़े द्वारा और अधिक माल ढोने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अब इसी सन्दर्भ में, मैं क्या मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे और अधिक पाबन्दियां लगाने की अपेक्षा छोटी नौवहन कम्पनियों को प्रोत्साहन देंगे ?

श्री चांद राम : यह कहना ठीक नहीं है कि जितना माल नौवहन कम्पनियां ले जाती हैं उससे कहीं अधिक माल हमारे पास रहता है। लाईनर व्यापार के 40% में नौवहन कम्पनियां रत हैं। उसका आवंटन पहले ही किया जा चुका है। यदि हमारे पास और अधिक कम्पनियां होतीं तो उन्हें इसी 40% में भागीदार बनना पड़ता।

जहां तक आपसी प्रबन्धों की बात है हमने कुछ समाजवादी देशों के साथ अनुबन्ध किए हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि 50 प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाज करेंगे। उसमें पहले से ही भाग लिया जा रहा है। यदि हमारे पास अधिक कम्पनियां हों तो, इसका अर्थ यह होगा कि भारतीय नौवहन कम्पनियों को इतना ही काम मिलेगा। यह कान्फ्रेंस लाईन के अधीन है। हक इसमें वृद्धि नहीं कर सकते।

भारत-मारीशस आयोग की बैठक

898. **प्रो० वी० जी० मावलँकर** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में दिल्ली में हुई भारत-मारीशस आयोग की बैठक की अध्यक्षता की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त बैठक में क्या निर्णय और समझौते हुए ?

मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्ड) : (क) भारत-मारीशस संयुक्त आयोग की बैठक का प्रथम अधिवेशन 31 मार्च से 6 अप्रैल तक नई दिल्ली में हुआ। विदेश मन्त्री ने संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्ष के रूप में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया।

(ख) और (ग) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-मारीशस संयुक्त आयोग का प्रथम अधिवेशन 31 मार्च से 6 अप्रैल 1979 तक नई दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मन्त्री ने और मारीशस के आर्थिक नियोजन और विकास मन्त्री महामान्य श्री आर० घरभरन ने की। इसमें अन्य बातों के साथ साथ व्यापार और व्यापार सम्वर्धन उपायों के क्षेत्र में लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास, सार्वजनिक परिवहन, जहाजरानी सेवायें, चिकित्सा सुविधायें, मौसम विज्ञान और पर्यटन के क्षेत्रों पर विचार विनिमय किया गया।

इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा समझौते हुए वे इन बातों के सम्बन्ध में थे : मारीशस में भारतीय विशेषज्ञ भेजकर तथा भारत में मारीशस के राष्ट्रीकों को प्रशिक्षण सुविधायें देकर दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें मारीशस में संयुक्त उद्यम स्थापित किए जा सकें और इस उद्देश्य से 'पिक्की' का एक प्रतिनिधि मण्डल मारीशस की यात्रा करेगा। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्टस एण्ड इक्वीपमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया की सहायता से मारीशस अपने यहां के लिए अधिकाधिक मात्रा में भारत से मशीनरी और उपस्कर लेगा। मारीशस के खनिज और भूगर्भीय संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए भारत से यथासम्भव सहायता, योजना के क्षेत्र में सहयोग, दोनों देशों के बीच पर्यटन की सम्भावनाओं को सम्बन्धित करने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग तथा संस्कृति, युवा विकास और खेल सम्बर्द्धन में निकटतर सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1979-80 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करना।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जैसा कि सभा को विदित है मरीशस 12 मार्च 1968 को स्वतन्त्र हुआ था। 1970 से अबतक मारीशस तथा भारत के सम्बन्ध काफी तेजी से अधिक सुदृढ़ होते गए। मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत-मारीशस संयुक्त आयोग की स्थापना की गई तथा इसकी पहली बैठक इस वर्ष मार्च-अप्रैल में हुई। इस बारे में मैं विशिष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत-मारीशस आयोग ने दोनों देशों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विकास करने के प्रश्नों पर विचार किया गया क्योंकि पोर्ट लोरस स्थित महात्मा गांधी संस्थान, जिसकी स्थापना केवल कला, संस्कृति तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामले और विश्व शांति के बारे में विचारों के आदान-प्रदान के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी तथा इसने अपना कार्य 1976 में शुरू कर दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि नई दिल्ली में हुई आयोग की बैठक में महात्मा गांधी संस्थान तथा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वर्ष 1976-77 के दौरान इन्जीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, कला, विज्ञान, मानविकी तथा संस्कृति आदि विषयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग 1800 छात्रों के बारे में क्या निर्णय लिए गए? क्या महात्मा गांधी संस्थान से सम्बद्ध इन शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के विकास हेतु भी कुछ निर्णय लिए गए थे।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : माननीय सदस्य ने सही कहा है कि हमें मारीशस, जो कि हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण देश है, के साथ अपने सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए ही यहां संयुक्त आयोग की एक बैठक बुलाई गई थी। जिसमें विभिन्न मामलों पर विचार किया गया था। शिक्षक तथा विशेषज्ञ भेजने के मामले पर भी चर्चा की गई। इस समय भारत में केवल एक हजार ही नहीं अपितु लगभग 3 हजार छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रो० वी० जी० मावलंकर : वर्ष 1976-77 में छात्रों की संख्या 1800 थी और मुझे इस बात की खुशी है कि अब यह संख्या बढ़ गई है।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया उनमें से एक विषय उन 35 विशेषज्ञों का भी था जो कि आज कल भारत में है। मारीशस सरकार ने निवेदन किया है कि इन विशेषज्ञों में से कुछ को बदल दिया जाए, और हम इसकी सम्भावना का अध्ययन कर रहे हैं। यह सच है कि महात्मा गांधी संस्थान के लिए भारत सरकार ने धन दिया और यह भी सच है कि यह उस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा जैसा कि उसे करना चाहिए था। इस बात पर भी विचार किया गया था तथा हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं जिस द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत महात्मा गांधी संस्थान का गठन किया गया था, उन्हें क्रियान्वित किया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है, महात्मा गांधी संस्थान का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना ही था। हम इस बारे में चिन्तित हैं तथा इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि इसे अच्छी प्रकार क्रियाशील बनाया जाए।

श्री० पी० जी० मावलंकर : मुझे खुशी है कि राज्य मन्त्री महोदय ने विस्तृत उत्तर दिया है। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न भारत-मारीशस संयुक्त आयोग के एक अन्य क्षेत्र में कार्य के बारे में है। जैसा कि आपको पता है, मारीशस के प्रधान मन्त्री श्री शिवसागर राम गुलाम अनेक बार भारत आ चुके है। कई बार हमारे मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री भी वहां जा चुके हैं। मुझे पता

नहीं कि श्री कुण्डु भी वहां गए थे अथवा नहीं। शायद वह भी एक दिन जायेंगे। वास्तव में मारीशस को समुद्र पार लघु भारत कहा जाता है। तथा हमारी तथा वहां की जनता के बीच भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा अन्य सम्बन्ध हैं। मेरे प्रश्न का सम्बन्ध उन तकनीकी पहलुओं से है जिन पर आयोग ने विस्तार से चर्चा की। वक्तव्य में आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की चर्चा की गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्द महासागर में मारीशस की भौगोलिक स्थिति सामरिक महत्व की काफी अधिक है और उसे पर्याप्त सैन्य तथा नौसैनिक सहायता दी जानी चाहिए। अतः भारत सरकार इस बारे में क्या कार्य कर रही है। (क) इस आयोग के माध्यम से इस द्वीप में भौगोलिक तथा समुद्री उत्पादों की सम्भावनाओं का अध्ययन करने, (ख) वहां पर अच्छी नौसैनिक शक्ति का निर्माण करने ताकि हिन्द महासागर से सम्बद्ध शक्ति सन्तुलन सम्बन्धी खतरों का मुकाबला किया जा सके जिसका पूरे एशिया तथा विशेषरूप से हिन्द महासागर उपमहाद्वीप के देशों को खतरा है।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां की 75 प्रतिशत जनसंख्या भारतीय मूल की है। यह लोग अपनी परम्परा, संस्कृति तथा सभ्यता को बनाए हुए हैं। वे भारत से और अधिक सहयोग की आशा रखते हैं। अफ्रीका तथा एशिया में सम्पर्क के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सम्बन्ध दृढ़ बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न भिन्न था। उन्होंने केवल दो प्रश्न पूछे हैं। आपने समुद्री उत्पादों के विकास तथा बड़ी शक्तियों की शत्रुता से, जो कि मारीशस का लाभ उठा सकते हैं, से बचने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री समरेन्द्र कुण्डु : मैं इस प्रश्न पर आ रहा हूं। आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग था। उसमें हम संयुक्त उद्यमों तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने का यत्न कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया कि सैनिक प्रश्नों पर चर्चा नहीं की गई। नौसैनिक मामलों के बारे में आपने क्या कहना है ?

श्री समरेन्द्र कुण्डू : हमने संयुक्त शिपिंग उद्यम स्थापित करने के बारे में विचार किया है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मामले को आगे बढ़ाया जायेगा। मारीशस के लिए सीधा जल मार्ग नहीं है। नौसेना तथा सैनिक सहायता पर चर्चा नहीं की गई। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। जिस स्थिति का उल्लेख माननीय सदस्य द्वारा किया गया है, हम इससे पूर्णतया सजग हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि आप सजग हैं तो मुझे सन्तोष है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या समुद्री विकास के बारे में मंत्री महोदय को पता है कि मारीशस सरकार मत्स्य उद्योग तथा मत्स्य संरक्षण तथा डिब्बाबंदी उद्योग की स्थापना करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। यदि हां, तो इस मामले पर वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं तथा उक्त द्वीप का आर्थिक तथा जहाजरानी विकास हो सके।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : मैं समझता हूं मारीशस की स्थिति ऐसी है कि वहां पर मत्स्य उद्योग के विकास के पर्याप्त अवसर हैं। यदि इस बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

दक्षिण अफ्रीका को बैंक ऋण

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र रंग भेद विरोधी समिति ने विश्व भर के ऐसे 382 बैंकों की सूची प्रकाशित की थी जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को ऋण दिये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर ऋण ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, अमरीका, फ्रांस तथा स्विटजरलैंड के बैंकों द्वारा दिये गए थे; और

(ग) भारत में कार्यरत कितने विदेशी बैंकों ने दक्षिण अफ्रीका को ऋण दिये हैं (जिनके नाम सूची में दिये हैं)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) सरकार ने मार्च 1979 में 'दक्षिण अफ्रीका को बैंक ऋण, 1972-1978' नामक रिपोर्ट देखी है जिसे संयुक्त राष्ट्र पृथग्वासन विरोधी केन्द्र ने कार्पोरेट डाटा एक्सचेंज इनकार्पोरेट, न्यूयार्क के द्वारा तैयार करवाया था। यह रिपोर्ट 2 अप्रैल, 1979 को संयुक्त राष्ट्र पृथग्वासन विरोधी विशेष समिति को पेश की गई थी।

(ख) रिपोर्ट में दी गई सूची के अनुसार ऋण देने वाले अधिकतर बैंक यूनाइटेड किंगडम, जर्मन संघीय गणराज्य, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस और स्विटजरलैंड के हैं।

(ग) रिपोर्ट में उल्लिखित बैंकों आदि की सूची में बैंक आफ अमरीका, अमरीकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन, बैंक नेशनल डि पेरिस तथा अलगेमेने बैंक नीदरलैंड, एन० वी० के नाम हैं, जिनकी भारत में शाखाएं है। सूची में ऐसी होल्डिंग कम्पनियों तथा चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक और बैंक आफ टोक्यो लिमिटेड से सम्बद्ध संस्थाओं के नाम भी है, जिनकी भारत में शाखाएं हैं। लेकिन भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंक विदेशों को ऋण नहीं दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस देश में जिन सरकारों ने शासन किया है वे रंग भेद नीति का विरोध असफल ढंग से करती रही हैं। हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया तथा आज ब्रिटेन में भी कट्टर जातीयतावादी सरकारें हैं। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। जिन लोगों ने देश में 30 वर्ष तक शासन किया वे दिखावे का विरोध करते रहे हैं। आज क्या हो रहा है। जो बैंक इस देश में कार्यरत हैं वे दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया में भी समृद्ध हो रहे हैं तथा उनके मुख्य कार्यालय अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस अथवा पश्चिमी जर्मनी में ही हैं। यदि आप दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया तथा ब्रिटेन की रंग भेद नीति से संघर्ष करना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है तथा वह है आर्थिक नाकेबन्दी तथा उन बैंकों का, जो रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत हैं, का कार्यकरण इस देश में बन्द कर देना चाहिए। अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या उन देशों में विद्यमान रंगभेद को रोकने के लिए वास्तविक रूप से तथा निष्ठापूर्वक यत्न करने को तैयार है। तथा वे उन बैंकों पर दबाव डालेंगे जो इस देश में तथा इस देश

से काफी बड़ी मात्रा में लाभ के रूप में प्राप्त धनराशि अपने देश में भेज रहे हैं, अत: क्या आप वास्तव में उनके विरुद्ध कोई ऐसा कदम उठायेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कृपया सभा को उसके कारण बताने की कृपा कीजिए।

श्री समरेन्द्र कुन्डू: मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंक जन्य देशों को ऋण नहीं दे सकते। यह पूर्णतया स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि क्या हम उन विदेशी बैंकों पर, जो कि विदेशों में अपनी शाखाओं तथा सहायकों द्वारा कर रहे हैं, उन पर हम कुछ बैंकों को ऋण देने के बारे में दबाव डाल सकते हैं···

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें यह देश से छोड़ जाने के लिए कह दीजिए।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : जो दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत हैं, यह विश्व-व्यापी समस्या है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। जिसके बारे में हम प्रभावी कार्यवाही करने के पक्षपाती हैं। यह रंगभेद नीति के विरुद्ध कार्यक्रम का हिस्सा है। श्री बसु के सुझाव में कोई नई बात नहीं है। यह तो पहले ही किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय संयुक्त राष्ट्र की उल्लेख की गई रिपोर्ट की पर्याप्त प्रतियां मगाकर सभा पटल पर रखेंगे ? क्या आप यह बतायेंगे कि भारत में कार्यरत इन बैंकों तथा उनकी शाखाओं द्वारा कितना रुपया दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया में लगाया है।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : यह जानते हुए कि श्री बसु एक अदम्य सदस्य हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन के आने तक अधिक प्रतीक्षा में नहीं रखना चाहता तथा जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, मैं उसे सदन के समक्ष कह देना चाहता हूं।

दक्षिण अफ्रीका को 1972-78 में दिये गये बैंक ऋणों के अध्ययन सम्बन्धी एक पुस्तिका, जिसे कि न्यूयार्क कारपोरेट डाटा एक्सचेंज संगठन द्वारा तैयार किया गया था, का विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघ की रंगभेद सम्बन्धी विशिष्ट समिति को वितरित की गई थी। उक्त अध्ययन में 158 ऋणों का जिनकी राशि 5.5 बिलियन डालर बनती है दक्षिण अफ्रीका के ऋण लेने वालों को 328 बैंकों तथा 22 राष्ट्रों की प्रमुख ऋण संस्थाओं द्वारा दी गई···

अध्यक्ष महोदय : यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी। वह आपको एक प्रति दे देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बैंकों ने कितनी राशि लगाई है। मैं विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि बैंक आफ अमरीका, चार्टर्ड बैंक, एल्लीगशेन बैंक, डच बैंक, बैंक आफ इंगलैंड, टोकियो बैंक द्वारा कितनी राशि लगाई गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कि आप यह पूछना भूल गये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप टेप की जांच करेंगे। मैंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० वेंकटरमन।

श्री आर० वेंकटरमन : मन्त्री महोदय को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई प्रस्ताव पारित किये थे जिनमें कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका के साथ पूर्ण व्यापारिक बहिष्कार किया जाये।

इस बारे में आपने जो दृढ़ रवैया अपनाया है उसको ध्यान में रखकर मैं पूछना चाहता हूं क्या आप दक्षिण अफ्रीका से व्यापार करने वाले बैंकों पर प्रतिबन्ध लगायेंगे ?

श्री समरेन्द्र कुण्डू : जैसा कि मैंने बताया भारत में स्थित विदेशी बैंक अन्य देशों को ऋण नहीं दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि जिन बैंकों की शाखाएं भारत में हैं, वे दूसरी शाखाओं को धन देंगे । क्या आप ऐसी शाखाओं को भारत में बंद कर देंगे । यह नीति का प्रश्न है । ये बैंक नए नहीं हैं । यह 30 वर्ष से कार्य कर रहे हैं ।

श्री वसंत साठे : क्या यही उत्तर है ? हम आपसे अभी वचन नहीं चाहते । आप इतना कह दीजिए कि आप विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे ।

श्री वसन्त साठे : सरकार को इस बारे में वचन देना चाहिए कि उनका इस बारे में क्या रवैया होगा । यह आपकी दीर्घकालीन नीति के अनुरूप है । यह कहने में कि आप इस पर विचार करेंगे, आपको क्या परेशानी है ? ऐसा कह दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई उत्तर देना है ?

श्री समरेन्द्र कुण्डू : माननीय सदस्य श्री साठे तथा मन्त्रियों को इस बारे में आन्दोलित होने की आवश्यकता नहीं हैं । इन मामलों पर सदा चर्चा होती है तथा हम संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 के अन्तर्गत हम सदा प्रभावी कार्यवाही करने की नीति अपनाते रहे हैं । इस बारे में सरकार का क्या रवैया होगा इसे रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन से जाँचा जा सकता है । (व्यवधान)

कलकत्ता क्षेत्र में वैगनों का रुक जाना

*902. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता क्षेत्र में 20 जनवरी, 1978 को विभिन्न सामग्रियों से लदे 5,500 से अधिक वैगन व्यापारियों द्वारा माल न उतारे जाने के कारण रुके पड़े थे; और

(ख) कलकत्ता क्षेत्र से वैगनों के वापिस आने की संतोषजनक व्यवस्था करने के लिए रेलवे क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया है ।

विवरण

1. माल डिब्बों को मुक्त करने में विलम्ब करने और उन्हें माल गोदामों के रूप में इस्तेमाल करने की व्यापारियों की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए, विलम्ब शुल्क की दरें पर्याप्त दण्डात्मक और समयावधि के साथ-साथ बढ़ने वाली बनायी गयी हैं । वर्तमान दरों, अर्थात् पहले

24 घंटे के लिए 25 पैसे प्रति टन प्रति घंटा, अगले 24 घंटे के लिए 30 पैसे प्रति टन प्रति घंटा और पश्चात्वर्ती 24 घंटे तथा उसके बाद 40 पैसे प्रति टन प्रति घंटा के आधार पर, 22.4 टन वहन-क्षमता वाले बड़ी लाइन के एक चौपहिया माल डिब्बे पर नि:शुल्क समय की समाप्ति के बाद देय विलम्ब शुल्क पहले दिन, अर्थात् 24 घंटे की समाप्ति पर 134.40 रुपये, दूसरे दिन, अर्थात् 48 घंटे की समाप्ति पर 295.60 रुपये और तीसरे दिन, अर्थात् 72 घंटे की समाप्ति पर 510.72 रुपये बनता है। सामान्य दरों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलों को यह अधिकार है कि वे सूचना-पट्ट पर एक नोटिस लगाने के 48 घंटे के बाद 60 पैसे प्रति टन प्रति घंटा के हिसाब से विलम्ब शुल्क की, अपेक्षाकृत ऊंची दर ले सकती हैं।

2. **दिसम्बर** 1972 **से स्थान शुल्क में वृद्धि** : माल डिब्बा भर सामान्य माल के लिए देय स्थान शुल्क पहले दिन के लिए 112-रुपये, दूसरे दिन के लिए 246/- रु० और तीसरे दिन के लिए तथा उसके बाद 470/- रु० होता है।

3. पहले से उतारे गये परेषणों को समय पर हटा न लेने के कारण माल गोदामों में हुए विलम्ब और फलत: माल गोदामों में गतिरोध की वजह से माल डिब्बों को मुक्त करने में विलम्ब न हो, इस प्रयोजन से निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :

(क) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 55/56 के अनुसार, परेषितियों/परेषकों को माल हटाने के लिए नोटिस देना;

(ख) जहां परेषिती माल डिब्बों से माल उतारने में असफल हो जायें, वहां रेल प्रशासन परेषणों को स्वयं उतार देने की व्यवस्था करते हैं और परेषणों की सुपुर्दगी देने से पहले, परेषितियों से उतराई प्रभार वसूल कर लेते हैं;

(ग) भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन करके, अमानतदार के रूप में रेलों की दायिता की अवधि 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गयी है।

(घ) परिवहन समय की समाप्ति के बाद, 7 दिन के भीतर न हटाये गए माल को हवड़ा, शालीमार, चितपुर और कोसीपुर रोड आदि कुछ चुने हुए स्टेशनों पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचना।

(ङ) पारवहन समय की समाप्ति के बाद, 7 दिन के भीतर न हटाये गए आवश्यक पण्यों को कुछ चुने हुए स्टेशनों पर सरकारी एजेंसियों को सौंप कर अथवा सार्वजनिक नीलामी करके बेचना।

(च) फरवरी 1979 से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रविवार के दिनों के लिए भी स्थान शुल्क पुन: लगा दिया गया है।

श्री के० राममूर्ति : बेशक यह प्रश्न कलकत्ता क्षेत्र में इकट्ठी हुई 5,500 वैगनों के रुक जाने के बारे में है, परन्तु पूरे भारत में वैगनों के आने-जाने का मामला महत्वपूर्ण है। सरकार ने दावा किया है कि 11% औद्योगिक विकास हुआ है परन्तु इसके साथ ही ऊर्जा मन्त्री ने कहा है कि उन्हें कोयला क्षेत्रों से माल अन्य क्षेत्रों में भेजने के लिए पर्याप्त वैगन नहीं मिल रहे हैं। मैंने

वक्तव्य को बड़े ध्यान से पढ़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि वैगनों की कमी के कारण आवश्यक वस्तुएं विशेषत: कोयला रुका पड़ा है तथा सरकार उस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री शिव नारायण : प्रश्न का सम्बन्ध कोयले से नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न संगत नहीं है।

श्री वसंत साठे : प्रश्न की संगति का निर्णय आपको लेना है तो श्रीमानजी आपका काम है.....

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मद्य निषेध के प्रभावों को समाप्त करने के लिये टिंक्चर, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग

*888. **डा० सुशीला नायर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मद्य निषेध अभियान के प्रभावों को समाप्त करने के लिए अनेक स्थानों पर बड़े पैमाने पर टिंक्चर, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधियों का व्यापक रूप से बहुत प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए औषधि अधिनियम की जांच करने हेतु कोई समिति नियुक्त की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) स्पिरिट वाली जिन औषधियों और आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों से मद्य निषेध के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं उनके दुरुपयोग के बारे में स्वास्थ्य मन्त्रालय को समय-समय पर रिपोर्ट मिली है।

(ख) इस मामले में सरकार ने जो उपाय किए हैं उनका एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत एल्कोहालिक रोग निवारक औषधियों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर नियन्त्रण औषधि नियन्त्रण/आयुर्वेद विभागों के राज्य प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है और एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक टिंक्चर के निर्माण के लिए एल्कोहाल की सप्लाई सम्बन्धी कार्य भी राज्य आबकारी प्राधिकारियों द्वारा

विनियमित किया जाता है। तदनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 27 फरवरी, 1978 को सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें एल्कोहालिक औषधियों और टिंक्चरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय बरतने की सिफारिश की गई है :

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित बिक्री लाइसेंसों स्पिरिट वाली औषधियाँ बेचने की अनुमति न दी जाए।

2. आयुर्वेदिक आसवों और अरिष्टों के निर्माण पर सख्त नियन्त्रण रखा जाए, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या ऐसे निर्माता औषधि नियमों में निर्धारित लाइसेंस आदि की शर्तें पूरी करते हैं या नहीं।

3. एल्कोहाल वाली होम्योपैथिक औषधियों के निर्माताओं और ऐसी औषधियों के विक्रेताओं से नियम 85 एच. (एफ.) और 67 जी (5) के अनुसार ऐसी होम्योपैथिक औषधियों की बिक्री का उपयुक्त रिकार्ड रखने के लिए कहा जाए।

4. राज्य आबकारी प्राधिकारियों द्वारा केवल उन्हीं औषधियों के लिए एल्कोहाल दिया जाए जो चिकित्सीय दृष्टि से उपयोगी समझी जाती हो।

5. औषधियों के निर्माताओं को एल्कोहाल के उपयोन के लिए अपव्यय की जिस दर की अनुमति दी गई है वह उदार न हो और इस अपव्यय की न्यूनतम दर रखी जाए।

6. निर्माताओं के परिसरों में बाडिड हाउसेस में कार्य करने वाले आबकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्पिरिट वाली औषधियां औषध संहिता आदि के अनुसार तैयार की जाती हैं और यदि आवश्यक हो तो बाडिड हाउसेस में कार्य करने बाले कर्मचारियों को औषधियों के निर्माण का पर्याप्त आधारभूत ज्ञान होना चाहिए।

7. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत स्पिरिट वाली औषधियों के नमूनों का बार-बार परीक्षण किया जाए।

अंकलेश्वर-राजपिपला नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*889. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर-राजपिपला नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना अथवा प्लान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस कार्य को लगभग कितनी अवधि में पूरा कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) इस तथ्य को देखते हुए कि नवागाम बांध के निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने

अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग की है। इस छोटी लाइन के सर्वेक्षण के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

बसें चलाने के कारण फेफड़े के रोग

8*3. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री जी० एम० बनतवाला : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रोडवेज की बसें चलाने वाले ड्राइवरों ने बताया है कि बसें चलाने के कारण उन्हें फेफड़े के रोग हो गये हैं,

(ख) क्या बसों के पीछे के भाग में इंजन वाली बसें बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) बसें चलाने से ड्राइवरों को फेफड़े की बीमारी होने के बारे में मंत्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) रियर माउंटेड या अंडर फ्रेम इंजिन सहित इंट्रीग्रल डिजाइन के आधार पर बसों के मैनुफैक्चर करने के बारे में सरकार को तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनमें से एक को लैटर आफ इंटेंट जारी किया गया है। बाकी दो प्रस्तावों पर उद्योग मंत्रालय से विचार हो रहा है।

दाहोद में अहमदाबाद-दिल्ली सुपर फास्ट गाड़ी का रुकना

*897. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद के लिए मई, 1979 में एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने के लिये कार्यवाही कर रहा है; और

(ख) क्या उक्त गाड़ी के दाहोद में रुकने की व्यवस्था की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां। 1.5.1979 से अहमदाबाद और नयी दिल्ली के बीच बडोदरा के रास्ते सप्ताह में दो बार चलने वाली बड़ी लाइन की एक गाड़ी चलाई जा रही है।

(ख) दाहोद में इसके ठहराव की व्यवस्था नहीं की गयी है। प्रस्तावित गाड़ी एक सुपर फास्ट अन्तर्नगरीय गाड़ी है जिसमें अहमदाबाद और नयी दिल्ली के बीच के यात्रियों के लिए रात्रिभर यात्रा की व्यवस्था है। गाड़ी का समय न्यूनतम रखने के उद्देश्य से केवल सीमित शल्टों की व्यवस्था की गयी है।

वन श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी

900. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में वन श्रमिक नामक श्रमिक हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस श्रेणी के श्रमिकों के लिये कुछ किया है जबकि अन्य श्रमिकों के लिए बहुत कुछ किया गया है;

(ग) क्या आदिवासी सेवा मंडल इस श्रेणी के श्रमिकों के लिये सदा लड़ता रहा है, जो अधिकांश आदिवासी हैं और उसने पुरुष और महिला—दोनों श्रमिकों के लिये छः रुपये प्रति दिन की दर से मजूरी की मांग की है;

(घ) महाराष्ट्र में दोनों —पुरुष और महिला—वन श्रमिकों की इस समय दैनिक मजूरी कितनी है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारें उन्हें छः रुपए प्रति दिन की दर से दैनिक मजूरी का भुगतान करें ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श दिया गया है कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन वन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित करें।

(ग) और (घ) आदिवासी सेवा मंडल ने महाराष्ट्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें वन श्रमिकों की अपर्याप्त मजदूरी-दरों का प्रश्न उठाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने वन श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन न्यूनतम मजदूरी-दरें अभी निर्धारित नहीं की हैं। तथापि, वन श्रमिकों के संबंध में मजदूरी-दरें प्रशासकीय आदेशों द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न वर्गों के लिए वर्तमान मजदूरी-दरें निम्नलिखित हैं, जो पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए एक समान हैं :

भारी कुशल कार्य		3.00 रुपये से 5.50 रुपये
हल्का शकुशल कार्य	...	2.50 रुपये से 5.00 रुपए
लड़का/लड़की	...	2.00 रुपये से 3.75 रुपये

(ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन वन श्रमिकों के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है। अतः यह संबंधित राज्य का काम है कि वह वन श्रमिकों के लिए मजदूरी-दरें उचित रूप से निर्धारित करें।

बंगलादेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री

*901. **प्रो० समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा धन की और कर्मचारियों की कमी के कारण साप्ताहिक पत्रों, पाक्षिक पत्रों आदि सहित अधिक मात्रा में प्रचार सामग्री को प्रसारित नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिए अधिक धनराशि क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं;

(ग) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान बंगलादेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं और अन्य साहित्य का उनके नाम सहित क्या ब्यौरा है;

(घ) प्रकाशित सामग्री की प्रत्येक मद की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों को प्राप्त दर्जे और लाभों का पूरा ब्यौरा देते हुए कोई पुस्तिका अथवा साहित्य प्रकाशित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(छ) क्या बंगलादेश स्थित भारतीय मिशनों ने वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती मनाई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क), (ख), (ग), और (घ) ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन बंगला भाषा में भारत विचित्र नाम की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित और वितरित करता है। भारत में प्रकाशित होने वाली कुछ अन्य ऐसी पत्र-पत्रिकाएं भी वितरित की जाती हैं जिनके लिए बंगलादेश में प्रवेश की अनुमति है। 1977-78 में कुल मिलाकर भारत बिचित्र की एक लाख दस हजार प्रतियां प्रकाशित की गयी थीं। 1978-79 में उनकी संख्या बढ़कर एक लाख बाईस हजार हो गयी तथा इनकी संख्या और बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो। 1977-78 में इंडिया न्यूज (अंग्रेजी साप्ताहिक) की सात हजार पांच सौ साइक्लो-स्टाइल प्रतियां भी वितरित की गयीं और 1978-79 में इनकी संख्या बढ़कर सात हजार नौ सौ पचास हो गयी।

(ङ) और (च) भारत में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा उन्हें प्राप्त सुविधाओं के विषय में कोई पुस्तिका तो प्रकाशित नहीं की गयी है लेकिन उपरोक्त पत्रिका में समय-समय पर इस विषय पर लेख लिखे जाते हैं।

(छ) ढाका स्थित मिशन नियमित रूप से केवल महात्मा गांधी का ही जन्म दिवस मनाता है।

नौवहन कंपनियों पर बकाया राशि

903. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नौवहन कंपनियों के नाम और पते क्या हैं जिन पर पत्तनों का प्रयोग किए जाने के कारण 10 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया है,

(ख) उक्त राशि कब से बकाया है,

(ग) 31 दिसम्बर, 1978 को कुल बकाया राशि कितनी थी; और

(घ) उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिस पर 10 लाख रुपये से अधिक की रकम बकाया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख), (ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

भीड़ को कम करना

*904. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री गाड़ियों में भीड़ को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां । इस दिशा में विभिन्न उपाय किये गये हैं, जिनमें अतिरिक्त गाड़ियां चलाना, डीजल और बिजली कर्षण उपयोग करके गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाना, गाड़ियों में दो इंजन लगाना तथा दर्जा-रहित गाड़ियों का चलाया जाना शामिल है । इसके अलावा, दुमंजिले और दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयानों जैसी बढ़ी हुई वहन-क्षमता के सवारी डिब्बों की व्यवस्था भी की जा रही है । पिछले दो वर्षों के दौरान अप्रैल 1977 से अप्रैल 1979 तक कुल 198 अनुपनगरीय गाड़ियां चलायी गयीं और 126 अन्य गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया ।

कर्नाटक में रेल व्यवस्था

*905. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में रेलों, विशेषकर बड़ी लाइनों, की कमी है;

(ख) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से प्रमुख मार्गों को बड़ी लाइनों में बदलने और अतिरिक्त रेल लाइन बनाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) कर्नाटक में विद्यमान रेल लाइनों में मुख्यत: मीटर आमान की रेल लाइनें शामिल हैं और ये लाइनें दक्षिण भारत की सुव्यवस्थित मीटर आमान प्रणाली का एक भाग हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) लाइनों को बड़े आमान में बदलने का प्रश्न उन लाइनों पर होने वाले यातायात की मात्रा और अन्तर आमान यानान्तरण की मात्रा से जुड़ा हुआ है । इन मापदंडों के आधार पर गुन्तरुल्लु-बेंगलूर लाइन के आमान परिवर्तन का काम शुरू कर दिया गया है और यह काम प्रगति पर है । बेंगलूर-मैसूर मीटर लाइन को बड़े आमान में बदलने का काम भी 1979-80 के बजट में अनुमोदित हो चुका है ।

हसन से मंगलूर तक 189 कि० मी० लम्बी नयी रेल लाइन का निर्माण किया गया है और इस लाइन का सकलेशपुर से सुब्रमण्य रोड तक (49 कि० मी० घाट खंड) का अंतिम चरण अब पूरा होने वाला है ।

परिवार नियोजत का सर्वेक्षण

*906. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जहां एक ओर लोग परिवार नियोजन के प्रति स्वैच्छिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, वहां जिन दम्पत्तियों के दो या अधिक संख्या में बच्चे हैं, उस मामले में प्रबुद्ध लोगों के समुदाय ने विशेष रूप से सांबिधिक अनिवार्यता का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संबंध से ज्ञात हुए इन सुझाव, को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जून, 1977 में घोषित परिवार कल्याण कार्यक्रम की नीति को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के बारे में क्या तरीके अपनाए जाएं इस पर जनता से सुझाव आमन्त्रित करने के लिए इस मंत्रालय के अनुरोध पर इस संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया था । इस सम्बन्ध में 7271 व्यक्तियों के उत्तर मिले थे, जिनमें से 4988 ग्रामीण क्षेत्रों के थे और 1049 शहरी क्षेत्रों के तथा 1234 सुविज्ञ वर्ग (उच्च शिक्षा प्राप्त) के थे । इनमें से लगभग 23 प्रतिशत ग्रामीण लोग, 25 प्रतिशत शहरी लोग और 57 प्रतिशत सुविज्ञ वर्ग के व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनिवार्य साधन बरतने के पक्ष में थे। इन सभी वर्गों के 29 प्रतिशत व्यक्ति छोटे परिवार के सिद्धान्त को लागू करने के लिए अनिवार्य साधनों का इस्तेमाल करने के पक्ष में थे जबकि अधिकांश व्यक्ति अर्थात् 71 प्रतिशत स्वैच्छिक साधन अपनाने के पक्ष में थे ।

(ख) परिवार नियोजन के लिए जबरदस्ती करने के बारे में सरकार के विचार पूर्णतया स्पष्ट रूप से 29.6.77 के परिवार कल्याण नीति वक्तव्य में दे दिए गए हैं जो इस प्रकार है :—

> "हम यह बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस काम में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या दबाव का स्थान नहीं होगा । परिवार कल्याण के क्षेत्र में जबरदस्ती या दबाव का सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है । हमारी नीति शिक्षण प्रेरणा और स्वैच्छिक स्वीकृति पर आधारित है ।···हम केन्द्र में या राज्यों में अनिवार्य नसबन्दी संबंधी कोई भी कानून बनाए जाने के पूरी तरह खिलाफ हैं ।"

छोटे पत्तनों का विकास

907. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास निगम ने छोटे पत्तनों के विकास के बारे में केन्द्र सरकार तथा राज्यों की सरकारों के वित्तीय दायित्वों के बारे में विचार विमर्श किया था और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय किया है कि 1978-83 की योजना अवधि के लिए छोटे पत्तनों का विकास राज्य क्षेत्र में राज्य योजनाओं का ही एक भाग होगा ।

खुर्दा रोड पर अनधिकृत केन्टीन

8601. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेल कर्मचारी कांग्रेस द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड पर दूसरी श्रेणी के प्रतीक्षालय के सामने एक कैन्टीन अनधिकृत रूप से चलाई जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो कैन्टीन को कब खोला गया था और कब बन्द किया गया था; और

(ग) क्या उनसे इस कारण कोई राशि वसूली की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (ग) 8-10-1975 को दक्षिण-पूर्व रेलवेमेन्स कांग्रेस द्वारा एक कैन्टीन खोरधा रोड स्टेशन पर रेलवे की उस भूमि पर खोली गयी थी जो उन्हें ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के लिए आबंटित की गयी थी। क्योंकि यह अनुचित था इसलिए उन्हें कैंटीन के प्रयोजन के लिए परिसर के उपयोग की मनाही कर दी गयी। 15-11-1977 को कैंटीन को बन्द कर दिया गया था। दक्षिण-पूर्व रेलवेमेन्स, कांग्रेस से उन्हें आबंटित क्षेत्र के दुरुपयोग करने के लिए 12,672 रुपये की राशि की मांग की गयी है, जिसका भुगतान उन्होंने अभी तक नहीं किया है।

पोलैण्ड के साथ आर्थिक सहयोग के बारे में करार

8602. **श्री चतुर्भुज** :

श्री बागुन सुम्बरुई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में हाल में दोनों देशों ने एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) पोलैण्ड और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में हाल में दोनों देशों के बीच कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत-पोलैण्ड संयुक्त आयोग के हाल में दिल्ली में हुए छठे अधिवेशन के अन्त में एक प्रीतीकाल पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों पक्षों ने अक्तूबर, 1977 में वारसा में हुए संयुक्त आयोग के पांचवें अधिवेशन की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम तय किया गया।

दोनों पक्ष भारत-पोलिश वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के तत्वावधान में भारत और पोलैंड के फर्मों तथा उद्यमों के बीच अधिकाधिक सम्पर्क बढ़ाने पर सहमत हुए। औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में भारत-पोलिश सहयोग को विस्तृत करने तथा उसे और अधिक सहयोग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्धारित किये गये। वस्त्र तैयार करने में मशीनों के उपकरणों, हक्करघा, बिजली के सामान, कोयला खनन उपस्करों के फालतू पुर्जों के निर्माण और कृषि पर आधारित उद्योगों के क्षेत्रों में भारत में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत तथा पोलैण्ड के बीच के

औद्योगिक सहयोग के नये आयामों का पता लगाया गया। रसायन उद्योग के क्षेत्र में भी सहयोग की अनेक परियोजनाओं को निर्धारित किया गया। दोनों पक्षों ने जनवरी, 1979 से दिसम्बर, 1980 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किये।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों द्वारा रोगियों के निवास पर जाकर देखने का मापदण्ड

8603. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के डाक्टर किस स्थिति में रोगियों के (जो कार्डधारी होते हैं) निवास स्थान पर जाकर उनको देखते हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, नार्थ एवन्यू के डाक्टरों ने वर्ष 1977 से मार्च, 1979 तक कितने और किस-किस श्रेणी के रोगियों को उनके निवास स्थान पर अथवा औषधालय में देखा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के डाक्टर लाभार्थियों के घरों में केवल उन्हीं मामलों में जाते हैं जब बीमारी की गम्भीरता के कारण रोगी औषधालय में चिकित्सा अधिकारी के पास जाने में असमर्थ हो अथवा लम्बी बीमारी के कारण रोगी को अस्पताल में जगह न मिली हो।

(ख) 1.3.77 से 31.3.79 तक की अवधि में चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किस-किस श्रेणी के रोगियों को उनके निवास स्थान पर देखने गए, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

संसद सदस्य और उनके परिवार	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार	आम जनता के सदस्य और उनके परिवार	योग
1580	1790	68	3438

राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक संबंध विधेयक के विरुद्ध प्रदर्शन

8604. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश पर्यन्त राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने औद्योगिक संबंध विधेयक तथा भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन के विरुद्ध 23 मार्च को विधान सभाओं के सामने प्रदर्शन किये थे और 23 अप्रैल को सांकेतिक हड़ताल करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) यह सूचित किया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक संबंध विधेयक को वापिस लेने की मांग को लेकर कटक में 22 अप्रैल को एक सम्मेलन आयोजित किया। यह भी

सूचित किया गया है कि आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालिज टीचर्स आगनौनाइजेशन्स और अन्यों ने अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्था (कर्मचारी सेवा शर्त और नियोजन विवाद निपटारा) विधेयक, 1978 के विरुद्ध 23 अप्रैल, 1979 को नई दिल्ली में प्रदर्शन किया।

(ख) इस विधेयक में परिवर्तन संबंधी किसी भी सुझाव पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा, जब यह गठित की जाएगी, विचार किया जा सकता है।

गाजियाबाद में अमृत वनस्पति कम्पनी के निकट रेल फाटक

8605. **श्री सुरेन्द्र विक्रम: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग को पता है कि गाजियाबाद में अमृत वनस्पति कम्पनी के निकट विद्यमान रेल फाटक यातायात और लोगों के लिए गम्भीर समस्या का रूप ले रहा है; क्योंकि एक-एक मिनट में अनेक मोटर गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और उसके केवल दस मिनट के लिए भी बन्द हो जाने से बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियां आदि रुक जाती हैं जिससे कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति पैदा हो जाती है;

(ख) क्या रेल विभाग इस स्थिति का मूल्यांकन करेगा और इस रेल फाटक पर एक उपरिपुल का निर्माण करने की योजना की स्वीकृति देगा; और

(ग) क्या रेल विभाग कोई ठोस उपाय किए जाने तक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि यह रेल फाटक किसी भी समय दस मिनट से अधिक बन्द न रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) प्रश्नगत समपार एक विशेष श्रेणी का यातायात समपार है, जो सिगनलों द्वारा संरक्षित है और यह गाजियाबाद-मुरादाबाद तथा गाजियाबाद-सहारनपुर खंडों के लिए है। वाहनों की गंभीर रुकावट के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार, मौजूदा व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सडक पुलों के निर्माण के लिए सभी प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित किए जाने अपेक्षित होते हैं और उन्हें यह आश्वासन देना होता है कि वे अपने हिस्से की लागत वहन करेंगे। अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव न तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से और न ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से प्राप्त हुआ है।

(ग) रेलों को पहले ही ये हिदायतें हैं कि सड़क और रेल यातायात की संरक्षा की दृष्टि से, समपार के फाटक सड़क यातायात के लिए कम से कम समय तक बन्द रखे जायं। सामान्यत: फाटक लगातार 5/10 मिनट तक ही बन्द रखे जाते हैं। विशेष मामलों में, जहां अनेक लाइनें और व्यस्त यार्ड होते हैं वहां समपार-फाटकों को एक समय में अधिक से अधिक 15 मिनट तक बन्द रखा जाता है और ऐसा यह सत्यापित कर लेने के बाद किया जाता है कि इस समय में वृद्धि करना अपरिहार्य है।

कर्मचारियों के प्रयोजनों के लिए 'क', 'ख' और 'ग' वर्गों के देश

8606. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मन्त्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रयोजनों के लिए 'क', 'ख' और 'ग' वर्गों के अन्तर्गत आने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ग के देश में भर्त्ती एवं स्वीकृत कार्यकाल सहित क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' में शहरों का वर्गीकरण एक आन्तरिक, प्रशासनिक वर्गीकरण की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य कार्मिकों को अपेक्षाकृत अधिक कठोर रहन-सहन की स्थिति से अपेक्षाकृत कम कठोर रहन-सहन की स्थिति वाले स्थानों के बीच भेजते रहना है ताकि उनकी तैनातियों में निष्पक्षता बरती जा सके। इस समय इस वर्गीकरण पर पुनः विचार किया जा रहा है।

(ख) सुविधाओं से सम्बद्ध सूचना (विवरण) में दी गई है। जहां तक भत्तों का प्रश्न है, इससे सम्बद्ध सूचना 21-11-1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4563 के उत्तर में सदन की मेज पर रख दी गई थी। विदेशों में तैनाती की सामान्य समय अवधि सभी स्थानों के लिए 3 वर्ष है सिर्फ वर्ग 'ग'* के स्थानों को छोड़कर जहां यह अवधि 2 वर्ष है।

विवरण

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले भारत आस्थानी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राप्त मुख्य सुविधाएं

1. विभिन्न वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके वेतनमान के हक के अनुरूप निःशुल्क सज्जित-आवास।
2. सहायता प्राप्त चिकित्सा योजना के अन्तर्गत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा उपचार व्यवस्था।
3. गृह-अवकाश का किराया जिसमें भारत आने के लिये आपात-स्थिति का किराया भी शामिल है और जो विदेश में सक्रिय सेवा की अवधि पर निर्भर होता है।
4. 6 से 21 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों के लिए जो भारत में ही रह गए हों, वर्ष में एक बार विदेश में अपने माता-पिता के पास जाने के लिए 'चिल्ड्रन-हालोडे-पैसेज।' अगर माता-पिता में से कोई एक भारत में ही रह रहा हो तो यह सुविधा नहीं दी जाती।
5. पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को छोड़कर विदेश में सक्रिय-सेवा की कुल अवधि में अर्जित अवकाश की 50% तक अधिक अर्जित छुट्टी।

धनबाद पौटरी को वैगन

8607. **श्री एस० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 तथा 1978 में रिपेक्ट्रीज तथा पौटरी फैक्ट्रियों को कितने वैगन सप्लाई किये गए तथा उन्होंने कितने वैगन मांगे थे, और बिहार के धनबाद जिले में सत्सम्बन्धी, मास-वार तथा फैक्ट्री-वार, आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1979 में वैगन की सप्लाई न मिलने तथा इसके लिए अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे सुरक्षा बल के पुनर्गठन के परिणाम

8608. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल को वर्ष 1973 में पुनर्गठन किया था;

(ख) यदि हों, तो इससे क्या अच्छे परिणाम निकले तथा क्या रेल गाड़ियों में बोट-कम-पेट्रोलिंग पद्धति की ड्यूटी शुरू कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) चोरी और उठाईगीरी के कारण भुगतान किये गये दावों में सराहनीय कमी हुई है। पुनर्गठन में गाड़ियों को पीट एवं गश्त प्रणाली पर विचार नहीं किया जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुगललाइन्स सेवा शर्तों को कोंकण के कर्मचारियों पर लागू करना

8609. **श्री बापू साहिब पुरलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगललाइन्स लि० निदेशक बोर्ड ने निर्णय किया है कि मुख्य लाइन के कर्मचारियों पर लागू मुगललाइन लि० की सेवा शर्तों को 1 जनवरी, 1978 से कोंकण यात्री सेवा में कर्मचारियों पर लागू किया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी सेवा शर्तों को लागू करते समय यह निदेश दिया है कि उनके वेतन इस ढंग से निर्धारित किए जाएं कि मामूली समायोजनाओं को छोड़कर कंपनी की देयता न बढ़े; और

(ग) क्या मुख्य लाइन के कर्मचारियों को लाभ देते समय इसी मानदण्ड का पालन किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, हाँ। परन्तु बाद में मुगललाइन लि० के निदेशकों के बोर्ड ने मामले पर विचार किया और यह निर्णय किया कि मुगललाइन लि० के प्रबन्धकर्त्ता कोंकण सेवा के स्टाफ को मुगललाइन के मुख्य स्टाफ की सेवा शर्तों के अधीन लाए बिना ही कोंकण सेवा स्टाफ की सेवा शर्तों की समीक्षा करने पर विचार करें। कोंकण सेवा के परिचलन में हो रहे निरन्तर भारी घाटे के कारण कोंकण सेवा स्टाफ की सेवा

शर्तों में किसी किस्म का परिवर्तन करना संभव नहीं हुआ। परन्तु उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि यह मामला कोंकण सेवा यूनिट से सम्बन्धित है।

प्रकाश गृह और प्रकाश पोत विभाग

8610. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन प्रकाश गृह और प्रकाश पोत विभाग को गाजियाबाद स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभाग को तीन बार स्थानान्तरित किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केवल 100 कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने से क्या लाभ होगा;

(घ) क्या यह एक वाणिज्यिक और किराए देने वाला विभाग है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस विभाग को दिल्ली में भवन का निर्माण करने या भवन को किराये पर लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती; और

(च) क्या सरकार ने अल्प वेतन भोगी उन कर्मचारियों के कष्ट पर विचार किया है, जिन्हें सरकारी निर्णय के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (च), यह विभाग पहले पहल नई दिल्ली से शिमला भेज दिया गया था। 1949 में इसे शिमला से बम्बई भेज दिया गया तब इसे नौवहन महा निदेशालय से मिला दिया गया था। 1953 में इसे बम्बई से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तब इसे कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए सीधे नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में कार्य करना था।

दिल्ली में भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार की यह नीति रही है कि कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेज दिया जाए। इस नीति के अनुरूप दीपघर व दीपपोत विभाग को दिल्ली से बाहर भेजने का प्रस्ताव है, यद्यपि इससे स्टाफ को कुछ असुविधाएं होंगी। दीपघर व दीपपोत विभाग एक वाणिज्यिक विभाग है और अपने लिए आबंटित स्थान का सम्पदा निदेशालय को किराया दे रहा है। चूंकि इस विभाग को दिल्ली से बाहर भेजने का प्रस्ताव है अतः इसके लिए बिल्डिंग बनाने का प्रश्न नहीं होता।

पोरबन्दर-अहमदाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी में पीने के पानी और बिस्तर (बैड रोल) की व्यवस्था

8611. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर के लिए गांधी ग्राम सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी 9 अगस्त, 1978 को चलाई गई थी;

(ख) क्या इस गाड़ी में पीने के ठण्डे पानी और सोने के लिए बिस्तर (बैंड रोल) की व्यवस्था की जानी थी और यदि हां, तो इस गाड़ी में उचित दरों पर पीने के ठण्डे पानी और बिस्तर की सुविधा कब तक कर दी जायेगी;

(ग) पीने के ठण्डे पानी और बिस्तर की सुविधाएं कब से बन्द कर दी गई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लोगों की सुविधाओं के लिए पीने के ठण्डे पानी और उचित दर से बिस्तर (बैंड रोल) की सुविधाएं फिर कब से चालू की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यात्रियों के अनुरोध पर उन्हें बैंड रोल सप्लाई करने की आवश्यक व्यवस्था 9-8-78 से ही मौजूद है और अब भी जारी है।

9-8-78 से 30-10-1978 तक यात्रियों के लिए गाड़ी में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध थी, परन्तु इसे सर्दी का मौसम शुरू होते ही समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि गाड़ी में इसकी मांग काफी कम हो गयी थी और इसे मार्गस्थ स्टेशनों पर पीने के पानी की सप्लाई से पूरा किया जाता था।

इस गाड़ी में 1-5-1979 से पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव है।

रेल फाटकों पर वाहनों के साथ टक्कर के कारण मरने वाले व्यक्तियों को मुआवजा

8612. **श्री श्यामसुन्दर लाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल फाटकों पर वाहनों के साथ टक्कर के कारण मरने वाले व्यक्ति रेलवे से किसी प्रकार मुआवजा पाने के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे मामलों में मुआवजा देने के कोई उपाय सरकार के विचाराधीन हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेल गाड़ी दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-क से 82-ञ के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम की धारा 82-अ के अन्तर्गत बनाए गए रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 द्वारा शासित होती है। समपार फाटकों पर सड़क वाहनों आदि के साथ होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं, जिनमें रेल यात्रियों की कोई हानि नहीं होती है, उक्त उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अत: समपारों पर सड़क वाहनों आदि के साथ होने वाली टक्कर संबंधी दुर्घटनाओं में मारे गए या हताहत व्यक्तियों को भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है। ऐसी दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों या उनके आश्रितों द्वारा अपकृत्य विधि के अधीन राहत के लिए दावा किया जाता है और रेलवे द्वारा उन्हें तभी कोई क्षतिपूर्ति की जाती है जब न्यायालय द्वारा इस बात की डिग्री दी जाती है कि ऐसी दुर्घटनाओं में रेल प्रशासन या उसके कर्मचारियों द्वारा दिखायी गई लापरवाही भी सहायक रही। फिर भी,

ऐसी दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों को रेल प्रशासनों द्वारा अनुकम्पा के रूप में प्रतीकात्मक भुगतान किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अलाभप्रद लाइनें

8613. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे लाइनें ऐसी हैं जो इस समय अलाभप्रद हैं, यदि हां, तो ऐसी लाइनें कौन सी हैं;

(ख) क्या इन रेल लाइनों को लाभप्रद बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलों पर 126 ऐसी शाखा लाइनें हैं जिन्हें 1977-78 के दौरान अलाभप्रद पाया गया है (विवरण संलग्न है ।)

(ख) और (ग) अलाभप्रद लाइनों को अर्थक्षम बनाने के लिए रेलें हर तरह से प्रयास कर रही हैं । इस सम्बन्ध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) बिना टिकट यात्रा और खतरे की जंजीर खींचने की रोकथाम के लिए व्यापक जांच;
(2) मेला यातायात की निकासी के लिए विशेष प्रबन्ध,
(3) कम संख्या में यात्री आकर्षित करने वाली गाड़ियों को रद्द करना,
(4) सवारी और माल गाड़ियों के बदले मिश्रित गाड़ियां चलाना,
(5) अलाभप्रद स्टेशनों/हाल्टों को बन्द करना या उनका ठेकेदार-चालित हाल्टों में बदलाव,
(6) केवल एक इंजन प्रणाली की व्यवस्था,
(7) केवल दिन के समय गाड़ियां चलाना,
(8) यातायात प्राप्त करने के लिए व्यक्ति से व्यक्ति जोरदार प्रचार,
(9) माल डिब्बों के लदान और उतराई और परिवहन पर कड़ी नजर रखना,
(10) परिचालनिक और सांविधिक आवश्यकताओं आदि के अनुरूप कर्मचारियों, ईंधन-खर्च और अनुरक्षण में किफायत ।

विवरण

वर्ष 1977-78 के दौरान अलाभप्रद शाखा लाइनों की सूची

मध्य रेलवे	पूर्व रेलवे
एट-कोंच	बारासत-हसनाबाद
पनवेल-आप्टे	बख्तियारपुर-राजगीर
ग्वालियर-श्योपुर कलां	शांतिपुर-नवद्वीपघाट
नेरल-माथेरान	दिलदारनगर-तारीघाट

इकरा-गौरंदी

भीमगढ़-पलासथाली

बर्धवान-कटवा

उत्तर रेलवे

कालका-शिमला

बरहन-एटा

रोहतक-गोहाना

अकबरपुर-टांडा

बटाला-कादियां

गढ़ी हरसरु-फर्रुखनगर

पिपाड़ रोड-बिलाड़ा

बैरका-डेरा बाबा नानक

मकराना-परबतसर

समदड़ी-मुनाबाक

बालोतरा-पचपद्रा

तिलवाड़ा-तिलवाड़ा पेथर

फगवाड़ा-जेजों दोआबा

रतनगढ़-सरदार शहर

पठानकोट-जोगिन्दर नगर

लालगढ़-कोलायत

पोकरण-जैसलमेर

राजा-का-साहसपुर—सम्भल-हातिम सराय

पूर्वोत्तर रेलवे

मथुरा रोड-वृन्दावन

माधोसिंह-मिर्जापुरघाट

बनमांखी-बिहारीगंज

साहेबपुर-कमाल-मुंगेरघाट

मकरी जंकशन-जयनगर

नरकटियागंग-बगहा

नरकटियागंज-भीखाना थोरी

कप्तानगंज-छितौनी

दुरौंधा-महाराजगंग

सेलमपुर-बरहजबाजार

इन्दारा-दोहरीघाट

मनकापुर-कटरा

गैंसरी-जरवा

दुदवा-गौरीफंटा

दुदवा-चन्दन चौकी

शाहबाजनगर-केरुगंज

काशीपुर-रामनगर

मनघाना-ब्रह्मावर्त

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

दार्जिलिंग-हिमालयन

अलीपुर द्वार जं०-न्यू गितलदाहा-बामनहाट

सिमलगुड़ी-नागिनीमोरा

माकुम-डांगरी

लटागुड़ी-रामशाई

न्यू माल-चांगराबंधा

कटिहार-कुमेदपुर

तेजपुर-रंगापाड़ा नार्थ

बराइग्राम-दुल्लभछेड़ा

कटिहार-मनिहारीघाट

बारसोई-राधिकापुर

कटिहार-जोगबनी

फकीराग्राम-धुबरी

सिंहाबाद-ओल्ड माल्दा

राजभातखावा-जयन्ती

करीमगंज-महिषासन

दक्षिण रेलवे

शेरुवण्णूर-निलमबूर

तिरुतिरापौंडी-प्वाइंट कैलीमेयर

मेट्टुपालेयम-उटकमंड

मदुरै-बोदीनायककन्नूर

चिकजाजुर-चित्रदुर्ग

नन्जनगुड-चामराजनगर

बंगलुरु सिटी-बंगारपेट

निडद्मंगलम-मन्नारगुडी

पेरलम-कराईकल

मायूरम-तरंगमबाड़ी
तिरुनेलवेलि-तिरुचेन्दूर
सागर-तालगुप्पा

दक्षिण-मध्य रेलवे

गुडिवादा-मचीलीपटणम
बेलारी-रायदुर्ग
मुदखेड-आदिलाबाद

दक्षिण-पूर्व रेलवे

नौपदा-गुणपुर
रुपसा-तलबंध

सतपुड़ा रेलवे

पुरुलिया-कोटशिला-रांची-लोहारडांगा
रायपुर-धमतरी
खोरधा रोड-पुरी
टाटानगर-बादामपहाड़
कनहन-रामटेक
तुमसर रोड-तिरोडी
चम्पा-कोरबा

पश्चिम-रेलवे

छुछुपुरा-टंखाला
कोसम्बा-उमरपदा
झगडिया-नेतरंग
चोरांडा-मोतीकोरल
सामनी-दहेज
गोधरा-लुनावडा
पिपलोद-देवगढ़ बरया
जोरावरनगर-सायला
चम्पानेर-शिवराजपुर-पानी माइंज
डभोई-तिम्बा रोड
भरुच-जम्बुसर-कवि
छोटा उदेपुर-जम्बुसर
अंकलेश्वर-राजपिपला
चन्दोद-मालसर
नडियाड-कपडबंज
बिलीमोरा-बघई
नडियाड-भादरण
मोरबी-घांटिला
भावनगर-तलाजा-महुवा
थान-चोटिला
बोटाद-जसदण
गांधीधाम-न्यू कांडला
प्राची रोड-कोडिनार
तलाला-देलवाडा
हडमतिया-जोडिया
निगाला-गधड़ा स्वामीनारायण
सांगानेर टाउन-टोडा रायसिंग
मावली जंकशन-बड़ीसादड़ी
चागस्मा-हारीज
रणुज-मेत्राना रोड
महेसाणा-तारंगा हिल
हिम्मतनगर-खेड ब्रह्मा
सिहोर-पालीताना
डूंगर जं०-विक्टर
शापुर-सराडिया
कुंकावाव-बगासरा
बोरीयावी-बडतल स्वामीनारायण
अंगद-खंभात

एम० ए० एम० एस० परीक्षा

8614. **श्री मेव एम० अबारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एम० ए० एम० एस० (मेम्बर आफ अकादमी आफ मैडिकल साइन्सेज) परीक्षा को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

भर्ती और नियुक्ति तथा पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा एम० आर० सी० पी० एम० डी० डिग्रियों के बराबर मान्यता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन विषयों के लिए इस एम० ए० एम० एस० परीक्षा को मान्यता प्राप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से परामर्श लिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब तक जिन एम० ए० एम० एस०/एम० एन० ए० एम० एस० मेम्बर आफ नेशनल अकादमी आफ साइंसेज, अर्हताओं को मान्यता दी जा चुकी है और जिन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 7956 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है, उन्हें विभिन्न चिकित्सा सेवाओं के विशेषज्ञ पदों पर नियुक्ति हेतु पर्याप्त समझा जाता है। इन अर्हताओं को मेडिकल कालेजों/शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए अपेक्षित स्नातकोत्तर अर्हताओं के रूप में भी माना गया है, बशर्ते कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय को एम० डी० अथवा एम० एस० डिग्री के बिना इन अर्हताओं को रखने वाला कोई व्यक्ति परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में एक वर्ष का अनुसन्धान संबंधी अनुभव प्राप्त कर ले और आवश्यक मूल्यांकन के बाद वह अनुभव परिषद द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया जाए।

(ख) अब तक जिन एम० ए० एम० एस०/एम० एन० ए० एम० एस० अर्हताओं को मान्यता दी गई है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया है वे इस प्रकार हैं :

(1) मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम. एन. ए. एम. एस. (शरीर विज्ञान)
(2) मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइसेन्ज (सामान्य चिकित्सा विज्ञान)	एम. एन. ए. एम. एस. (सामान्य चिकित्सा विज्ञान)
(3) मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (सामान्य शल्यचिकित्सा)	एम. एन. ए. एम. एस. (सामान्य शल्यचिकित्सा)
(4) मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (स्त्री रोग तथा प्रसूति विज्ञान)	एम. एन. ए. एम. एस. (स्त्री रोग तथा प्रसूति विज्ञान)
(5) मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (नेत्र विज्ञान)	एम. एन. ए. एम. एस. (नेत्र विज्ञान)
(6) मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (संवेदनाहरण विज्ञान)	एम.एन. ए. एम, एस. (संवेदनाहरण विज्ञान)

(7)	मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मैडिकल साइन्सेज (सामाजिक तथा निवारक चिकित्सा विज्ञान)	एम. एन. ए. एम. एस. (सामाजिक तथा निवारक (चिकित्सा विज्ञान)
(8)	मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (मनश्चिकित्सा)	एम. एन, ए. एम. एस. (मनश्चिकित्सा)
(9)	मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (बाल चिकित्सा विज्ञान)	एम. एन. ए. एम. एस. (बाल चिकित्सा विज्ञान)
(10)	मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइंसेज (विकलांग विज्ञान)	एम. एन. ए. एम. एस. (विकलाँग विज्ञान)
(11)	मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (विकिरण निदान)	एम. एन. ए. एम. एस. (विकिरण निदान)
(12)	मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (विकिरण चिकित्सा)	एम. एन. ए. एम. एस. (विकिरण चिकित्सा)
(13)	मेम्बरशिप आफ दि नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइन्सेज (स्वास्थ्य प्रशासन)	एम. एन. ए. एम. एस. (स्वास्थ्य प्रशासन)

अभ्रक खान श्रमिक हितकारी कोष द्वारा राजस्थान में किया गया कार्य

8615. **श्री रूपलाल सोमानी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खान श्रमिक हितकारी कोष राजस्थान द्वारा भीलवाड़ा जिले में गत तीन वर्षों से कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं, और उस पर कितना व्यय हुआ तथा उससे कितने श्रमिकों को लाभ पहुचा ।

(ख) उपरोक्त कार्यों के विस्तार के लिए क्या योजनायें विचाराधीन हैं और यदि इस संबंध में कोई योजना नहीं है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कार्य के सफलतापूर्वक संचालन में परामर्श के लिए राज्य स्तर पर कोई सलाहकार समिति है और वह समिति कब से है और उसमें कब-कब परिवर्तन होते रहे हैं और यदि ऐसी कोई सलाहकार समिति नहीं है तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) भीलवाड़ा क्षेत्र में अभ्रक खान श्रमिकों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता प्राप्त आवास आदि प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाओं को अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि से धन दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की गई राशि और उस क्षेत्र में अभ्रक खान श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :

(आंकड़े लाखों में)

	1976-77	1977-78	1978-79
1. स्वास्थ्य	5.72 रुपये	4.04 रुपये	4.89 रुपये
2. मनोरंजन	1.10 रुपये	1.10 रुपये	0.96 रुपये
3. शिक्षा	1.64 रुपये	1.89 रुपये	2.01 रुपये
4. आवास	0.03 रुपये	—	0.02 रुपये
जोड़	8,49 द्रपये	7.01 रुपये	7.88 रुपये
श्रमिकों की संख्या	1015	857	840

अधिकांश श्रमिकों और उनके आश्रितों को निधि द्वारा चलाई गई किसी न किसी योजना से लाभ हुआ है।

(ख) उक्त क्षेत्र में अभ्रक खदान परिचालन में कमी के कारण कल्याण कार्यकलापों का बहुत बड़े आधार पर विस्तार करने की इस समय कोई परिकल्पना नहीं है।

(ग) जी हां। समिति का 1952 में पहली बार गठन किया गया था और तत्पश्चात समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया। वर्तमान समिति 1973 में गठित की गई थी और 1976 में इसमें कुछ साधारण परिवर्तन किए गए।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के बारे में शाह आयोग से प्राप्त मामले

8616. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणा-पूर्व रेलवे नागपुर के ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है, जो विभागीय जांच के लिए मंत्रालय को शाह आयोग से प्राप्त हुए हैं,

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनकी अभी जांच पड़ताल की जानी है,

(ग) इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(घ) किस निश्चित अवधि तक विभागीय जांच पूरी करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

एस० ए० एस० लेख पालों की विदेश मंत्रालय में प्रति-नियुक्ति

8617. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1978 में भी उनके मंत्रालय द्वारा एस० ए० एस० लेखापालों की प्रतिनियुक्ति की गई थी;

(ख) क्या वहां तीन वर्ष तक प्रतिनियुक्त करने की सामान्य प्रक्रिया के प्रतिकूल उन्हें 31 मई, 1979 तक अपने मूल विभागों को रिपोर्ट करने के आदेश दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्हें फालतू घोषित कर दिया गया है; और

(ङ) उक्त अल्पावधि स्थानान्तरण की ऐसी स्थिति के हल न होने और उनके परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और उन्हें अपने तीन वर्ष की पूरी अवधि तक वहां काम करने की अनुमति देगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पिछले वर्षों की भांति, 1978 में भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिनियुक्ति पर एस० ए० एस० एकाउन्टेन्टों की सेवाएं प्राप्त की थीं क्योंकि मंत्रालय में पर्याप्त लेखा प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध नहीं थे।

गत वर्षों की तरह ही इनकी प्रतिनियुक्ति प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए थी जिसका आवश्यकता होने पर नवीकरण किया जा सकता था। चूंकि अब भारतीय विदेश सेवा 'ख' से पर्याप्त लेखा प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध हो रहे हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एस० ए० एस० एकाउन्टेन्टों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ायी न जाये तथा ये पद भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम 1964 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा 'ख' से भरे जाने चाहिए। लेकिन कुछ एम. ए. एस. एकाउन्टेन्टों से अभ्याबेदन प्राप्त होने पर उनकी यह बात मान ली गई है कि उन्हें मई 1979 के अन्त तक, जब शिक्षा सत्र भी समाप्त होता है, रहने दिया जाए।

इन अधिकारियों को अतिरिक्त घोषित नहीं किया गया लेकिन जितनी अवधि के लिए इनकी सेवाएँ ली गई थीं वह अवधि समाप्त हो जाने पर इनकी सेवायें इनके मूल कार्यालयों को सौंप दी गई हैं।

नया रेलवे स्टेशन भवन

8618. **श्री जी० भुवारहन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : इस बात को देखते हुए कि पनरुट्टी एक म्युनिसिपल टाउन, तालुक मुख्यालय और बड़ा व्यवसायिक केन्द्र है, क्या आधुनिक सुविधाओं वाला एक नया स्टेशन भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वर्तमान भवन बहुत पुराना और वर्तमान आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : पनरुट्ट में स्टेशन की नई इमारत बनाने का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नही है, क्योंकि वर्तमान इमारत यद्यपि पुरानी है, फिर भी, इस स्टेशन पर होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर के लिए यह पर्याप्त समझी जाती है।

काम न होने की स्थिति में (आफ सीजन) ग्रामीण श्रमिकों के लिये रोजगार के अवसर

8619. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री ए. आर. बद्रीनारायण : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रोजगार सेवा सम्बन्धी मैथ्यू समिति ने अपना विचार व्यक्त किया है कि पूर्ण रोजगार नीति का लक्ष्य खेती का काम न होने की स्थिति में जब ग्रामीण श्रमिक बेरोजगार हों तो उस समय उनके लिये उत्पादक रोजगार के लिये अधिक अवसर बनाने का होना चाहिए;

(ख) क्या सरकार यह भी महसूस करती है कि किसानों को खेती का काम न होने के समय काम करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्रालय इस बारे में कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है जिस पर विचार किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों का विचार जानने के लिए सिफारिश भेज दी है, ताकि केन्द्रीय सरकार अन्तिम निर्णय लेने में सक्षम हो सके । राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त होने के बाद मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ।

किरिबुरू परियोजना के लिए टाइप दो के क्वार्टरों का निर्माण

8620. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क कल्याण उपकर निधि ने उड़ीसा में किरिबुरू परियोजना के लिए टाईप दो के 200 क्वार्टरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को कार्य रूप दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किरिबुरू हिलराम पर टाइप दो के क्वाटरों का निर्माण करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) किरिबुरू लोह अयस्क खानों के लिए टाईप-1 आवास योजना क अन्तर्गत 200 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी । टाईप-2 आवास योजना के अन्तर्गत मंजूरी नहीं दी गई थी ।

(ख) प्रबन्ध तंत्र द्वारा अभी तक मकानों का निर्माण नहीं किया गया है ।

(ग) मकानों के निर्माण में देरी इसलिए हुई क्योंकि प्रबन्ध तंत्र टाइप-2 आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण की मंजूरी को बदलना चाहते थे । यह संभव नहीं था क्योंकि प्रबन्ध तंत्र निधि संगठन को जमीन का हस्तांतरण करने की स्थिति में नहीं थे जैसा कि आवास योजना के अन्तर्गत अपेक्षित है । प्रबंध तन्त्र का विचार है कि इस वर्ष के दौरान टाईप-1 के मकानों का निर्माण शुरू किया जाए जिनकी मूलतः मंजूरी दी गई थी ।

मौजाम्बिक में भारतीय रेल कर्मचारी

8621 **पण्डित द्वारका नाथ तिवारी** : क्या **विदेश मंत्री** 8 मार्च 1979 के तारांकित प्रश्न 259 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के सचिव और निदेशक (सिगनल) ने मोजाम्बिक जाकर वहां नियुक्त रेल कर्मचारियों की स्थितियों का अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने मोजाम्बिक में नियुक्त रेल कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि मोजाम्बिक में रेल के प्रति नियुक्त व्यक्तियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका मूल कारण हैं परिवार आवास की अनुपलब्धता और प्रत्यावर्तन संबंधी सुविधाओं में विलम्ब ।

(ग) मोजाम्बिक के प्राधिकारियों ने उन्हें जो सुविधायें दे रखी हैं, उनके अतिरिक्त भारत सरकार जब तक कि उनके परिवार भारत में हैं, तब तक के लिए भारत के रिजर्व बैंक के माध्यम से उन्हें उनकी परिलब्धियों के 20 प्रतिशत की प्रत्यावर्तन संबंधी सुविधायें प्रदान करने के लिए कदम पहले ही उठा चुकी है ।

विदेश मंत्री ने मोजाम्बिक के विदेश मन्त्री को एक पत्र भी भेजा है जिसमें परिवार आवास की अविलम्ब व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है ।

रेलवे बोर्ड के दल ने सेवान्त लाभ, भविष्यनिधि कोष/पेंशन संबंधी अंशदान, प्रति-नियुक्तों के परिवारों के लिए भारत में देय मासिक भत्ते, प्रतिनियुक्तो को भारत आने के लिए अवकाश-किराये आदि से संबद्ध जो अन्य सिफारिशें की थीं उन पर भी आवश्यक कार्यवाही के लिए सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली में एसिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पद

8622. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, दिल्ली में इस संयंत्र एसिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन तिथियों से तथा उनके कब तक भरे जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन पदों को भरने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) मौलाना आजाद मैडिकल

कालेज में इस समय न्यायिक चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर, कान, नाक और गला के सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं।

(ख) सूचना संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रोफेसरों के पद पदोन्नति तथा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । : । के अनुपात में भरे जाते हैं। सहायक प्रोफेसरों के पद लेक्चररों को पदोन्नत करके अन्यथा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं।

	पद का नाम	कब से खाली है	इसे भरने संबन्धी स्थिति
1.	न्यायिक चिकित्सा विज्ञान का प्रोफेसर	4.11.78	पद को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरने संबन्धी एक प्रस्ताव पहले ही संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। बैठक की तारीख अभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तय की जानी है।
2.	कान, नाक और गला का सहायक प्रोफेसर	28.2.78	इस समय इस पद पर एक लेक्चरर कार्य कर रहा है। तथापि इस पद पर कार्य करने के लिए गोवा मैडिकल कालेज के एक सहायक प्रोफेसर को तैनात करने हेतु स्थानान्तरण आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। गोवा मेडिकल कालेज अब केन्द्रीय सेवा में भाग नहीं ले रहा है तथा चुने गए अधिकारी को जब गोवा सरकार रिलीज कर देगी तो वह अपना कार्य सम्भालेंगे।
3.	कार्य चिकित्सा का सहायक प्रोफेसर	1-37-9	पद खाली है लेकिन इसे गोवा मेडिकल कालेज पणजी के एक नियमित अधिकारी का स्थानान्तरण करके शीघ्र भर लिया जाएगा।

ईरान को भेजे जा रहे भारतीय माल को वापस खोरेमशहर लाने के लिए करार।

8623. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरानी-हिन्द शिपिंग कंपनी ईरान को भेजे जा रहे भारतीय माल को आबूधाबी, दुबई और ओरवा के पत्तनों से वापस खोरेमशहर पत्तन लाने के लिए सहमत हो गई है,

(ख) यदि हाँ, तो करार की शर्तें क्या हैं, और

(ग) क्या कंपनी इस प्रकार उतारे गये माल को वापस खोरेंमशहर पत्तन पर लाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) ईरानी हिन्द शिपिंग कम्पनी लि० ऐसी कम्पनी नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कानून के अन्तर्गत हुआ ही बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन ईरान में हुआ है और इसलिए यह कोई भारतीय कम्पनी नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार ईरानी-हिन्द कम्पनी ओखा के पत्तनों, आबू-धानी और दुबई से खुर्रमशहर को माल ले जाने के लिए सहमत नहीं हुई है।

बी. एस. एल. परियोजना, सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश) में कर्मचारियों द्वारा जमा कराई गई और उन्हें देय राशि

8624. **श्री गंगासिंह : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी. एस. एल. परियोजना सुन्दर नगर (हिमाचल प्रदेश) के कर्मचारियों द्वारा फरवरी, 1979 तक कर्मचारी भविष्य निधि में कुल कितनी राशि जमा कराई और कितनी राशि उन्हें देय हैं;

(ख) क्या बी. एस. एल. परियोजना के बहुत से कर्मचारियों की परियोजना पूरी होने पर छंटनी कर दी गई है और इसलिये उन्होंने अपनी निधि के भुगतान की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी राशि देय हैं; और

(घ) छंटनी किये गये कर्मचारियों की राशि के भुगतान में असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम० कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्यनिधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि फरवरी, 1979 तक 3.62 करोड़ रुपये की राशि क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, पंजाब के पास जमा करा दी गई है। इस राशि में 31 मार्च, 1978 तक सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में जमा कराया गया ब्याज भी शामिल है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) 4,126 कर्मचारियों को, जिनके दावों को पहले ही निपटाया जा चुका है, 1.21 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है और 58 दावों के संबंध में 1.81 लाख रुपये की राशि देय है। ये मामले पूर्ण सूचना प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत पड़े हैं।

भविष्य निधि पर ब्याज की ऊंची दर दिया जाना

8625. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारी भविष्यनिधि और अन्य भविष्यनिधि, वार्धक्य, ग्रेच्युटी निधियों की धनराशि के पूंजी निवेश की पद्धति में उदारीकरण का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या इससे कर्मचारियों को अपनी भविष्यनिधि की राशि पर ब्याज की अपेक्षाकृत अधिक दर प्राप्त होगी और यदि हां, तो ब्याज की दर में इस प्रकार कितनी वृद्धि होगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) छूट प्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के संबंध में पहली जनवरी, 1979 से प्रभावी कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि के लिये निवेश की वर्तमान पद्धति की **एक प्रति संलग्न** है ।

(ख) आशा है कि निवेश की नई पद्धति से कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा निवेशित धन—राशियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज में वृद्धि होगी।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4370/79)

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 6 पर टमस का पुल

8626. **श्री सुखेन्द्रसिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना जिला (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय राजमार्ग के मेहर अमरपाटण के बीच टमस का पुल टूट गया है,

(ख) यदि हां, तो आवागमन के संकट को दूर करने के लिए इसके शीघ्र निर्माण के लिए क्या प्रबंध किया गया है,

(ग) क्या माल ढोने वाले ट्रकों को घूम कर जाना पड़ता है और उसके कारण स्थानीय जनता व सवारी गाड़ियों को असुविधा होती है, और

(घ) क्या यह सच है कि यदि वर्षा ऋतु से पूर्व यह पुल न बना तो भीषण दुर्घटनाएं हो सकती हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) तामस (टोन्स) पुल जो ईंट और मसाले से बना हुआ है, 105 वर्ष पुराना है । इसमें 5 पाट हैं जिनमें से प्रत्येक 15.25 मीटर का है । जबलपुर की ओर के पुल के दूसरे पाट का ईन्ट से बने मेहराब का एक भाग 9 फरवरी, 1979 को गिर गया जिससे यह पाट यातायात के नाकाबिल हो गया । परन्तु पुल के बाकी पाट ठीक हैं ।

(ख) इस समय यातायात को नदी में रपटे की ओर मोड़ा जा रहा है जिसे बरसात शुरू होने तक इस्तेमाल किया जा सकता है । टूटे हुए पाट के ऊपर एक अस्थायी कैलेंडर हमिल्टन/बेली पुल बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि मौजूदा पुल का इस्तेमाल बरसात के मौसम में किया जा सके । जहां तक मौजूदा पुल के रि-डैकिंग/एक नये पुल के निर्माण का प्रश्न है, इस कार्य को 1979 की बरसात के बाद ही शुरू किया जा सकता है । जांच की जा रही है और प्रस्तावों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ।

(ग) जैसा कि भाग (ख) में पहले ही बताया गया है, न केवल भारी गाड़ियां ही बल्कि इस रूट का सभी यातायात नदी में रपटे की ओर मोड़ा जा रहा है जिसमें यातायात की कुछ असुविधा तो अवश्य होगी ।

(घ) जैसा कि भाग (ख) में बताया गया है, बरसात के मौसम से पहले टूटे हुए पाट के ऊपर एक अस्थायी कैलेंडर हमिल्टन/बेली पुल बना दिया जाएगा ताकि मौजूदा पुल के ऊपर से यातायात हो सके। इसलिए भीषण दुघटनाएँ होने का प्रश्न नहीं होता।

रेलवे स्टेशनों के देवनागरी लिपि में नाम

8628. **श्री० एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों आदि के नामों के देवनागरी लिपि में मानकीकरण का कार्य इस प्रयोजन के लिए गठित समिति ने पूरा कर लिया है, और

(ख) यदि नहीं, तो कितना कार्य पूरा किया गया और कितना कार्य पूरा किया जाना है और वह कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सम्भवत: आशय उस समिति से है जो 2.6.76 को रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की कार्यकारिणी की चौथी बैठक में भारत सरकार के तत्कालीन हिन्दी सलाहकार के सुझाव पर, स्टेशनों के नामों को देवनागरी लिपि में प्रमाणिक रूप देने के लिए, गृह मन्त्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा गठित की गई है। इस समिति में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, गृह मन्त्रालय (राजभाषा विभाग), रेल मन्त्रालय, आकाशवाणी और डाक-तार विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय की अध्यक्षता में काम कर रही है और राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं।

इस समिति का गठन न केवल भारतीय रेलवे के स्टेशनों के नामों को प्रमाणिक रूप देने के लिए किया गया है बल्कि यह ऐसे स्थानों और स्टेशनों के नामों की हिन्दी वर्तनीका भी मानकीकरण करेगी जो रेल विभाग, डाक तार विभाग, आकाशवाणी आदि के लिए समान हैं, ताकि विभिन्न विभागों द्वारा इनके उच्चारणों में अन्तर न रहे।

1977 में समिति का गठन होने के बाद अब तक इसकी चार बैठकें हुई हैं और 1808 नामों पर विचार किया है। संयुक्त सचिव, राज भाषा विभाग, गृह मन्त्रालय (समिति के अध्यक्ष) से सूचना मिली है कि समिति ने विचार-विमर्श का काम फिलहाल स्थगित कर दिया है और सर्वेक्षण विभाग से कहा है कि पहले सम्बन्धित राज्य सरकारों से सही नाम और उनके उच्चारण मालूम कर लिया जाय और उसके बाद उन नामों को समिति के सामने विचारार्थ तथा अन्तिम रूप देने के लिए रखा जाय। अत: अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि समिति बाकी काम को कब पूरा कर लेगी।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान के कर्मचारियों द्वारा त्याग पत्र दिया जाना

8629. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अनेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने संस्थान के भूतपूर्व डीन के वहां से जाने के बाद अपना त्याग पत्र दे दिया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने त्याग पत्र दिए और उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान के डीन के जाने के बाद अब तक संस्थान के 15 कर्मचारियों ने अपने त्यागपत्र दिए हैं। इन 15 कर्मचारियों में से दस कर्मचारियों ने व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के कारण त्याग पत्र दिए तथा पांच कर्मचारियों ने अधिक परिलब्धियों वाले पदों पर नियुक्ति होने पर।

श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति

8630. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या रेलमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में पूर्वोत्तर सीमा रलवे के कटिहार डिविजन में कितने श्रेणी चार और श्रेणी तीन के कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया,

(ख) तदर्थ पेनल से इनमें कितने एवजियों को लिया गया, और

(ग) नियमित पेनल में अभी कितने एवजियों को लिया जाना है तथा उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें लिए जाने की समय सीमा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीकानेर में रेलवे फाटक

8631. **श्री दौलत राम शारण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर सिटी में पांच रेलवे फाटक हैं, जो दिन में कई बार रेलगाड़ियां गुजरते समय बहुत समय तक बन्द रहते हैं,

(ख) 24 घण्टों में ये फाटक कितनी बार बन्द किए जाते हैं तथा वे कुल कितने समय तक बन्द रहते हैं,

(ग) क्या इसके कारण नगर के लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, और

(घ) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा इन कठिनाइयों को कब तक दूर कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। लेकिन, इन्हें रेल यातायात के पारगमन के लिए अल्पावधि के लिए बन्द किया गया है।

(ख) समपार औसतन 24 घण्टे के दौरान प्रत्येक समय 8 से 12 मिनट तक 40 बार बन्द होते हैं।

(ग) जब रेल यातायात के लिए समपार बन्द कर दिए जाते हैं उस समय सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा होना अपरिहार्य है। यह असुविधा विशेषतया सबेरे और शाम को होती है जब लालगढ़ और बीकानेर के बीच गाड़ियों का जमघट और सड़क यातायात भी बहुत अधिक हो जाता है।

(घ) इसका एकमात्र व्यावहारिक उपचारात्मक उपाय यह होगा कि बीकानेर शहर में मौजूदा 5 समपारों में से दो समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था की जाए। ये दो समपार के० ई० एम० और हापिस्टल रोड क्रासिंग पर स्थित हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने ऊपरी सड़क पुल के लिए प्रस्ताव आरम्भिक रूप से स्वीकार कर लिए थे और रेलवे ने 1961-62 के दौरान आवश्यक धन की व्यवस्था कर दी थी, अन्त में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिये गए और इस प्रकार मामले में आगे प्रगति नहीं हो सकी। 1976 में राज्य सरकार ने अंतिम रूप से सूचित किया कि वे बीकानेर शहर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के पक्ष में नहीं हैं। वैकल्पिक रूप में, उन्होंने रेल लाईन को बीकानेर शहर से दूर मोड़ने का सुझाव दिया था। रेल प्रशासन ने निम्नलिखित कारणों से इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

(क) राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित बीकानेर रेलवे स्टेशन का स्थान चुनने का आशय रेल पथ का पुनर्संरेखण करना होगा जिसके फलस्वरूप रेल पथ की लम्बाई 20 कि० मी० बढ़ जाएगी।

(ख) जोधपुर और दिल्ली से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अतिरिक्त 20 कि० मी० के लिए अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा।

(ग) यदि नया स्टेशन शहर से दूर स्थापित किया जाता है तो बीकानेर में रहने वाले स्थानीय लोगों को स्टेशन जाने के लिए अतिरिक्त सड़क प्रभार देना पड़ेगा।

इसलिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि यदि वे अभी भी बीकानेर रेलवे स्टेशन को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो रेल प्रशासन द्वारा उनकी लागत पर एक सर्वेक्षण किया जा सकता है। राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव के कार्यान्वयन से होने वाले सभी खर्च को वहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रेलवे द्वारा 4.77 लाख रुपए की लागत से आवश्यक सर्वेक्षण अनुमान बनाया गया था और अप्रैल, 1978 में राज्य सरकार को भेजा गया था। लेकिन, उनकी स्वीकृति रेलवे को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

रेलवे बोर्ड में पदोन्नत सहायक

8632. **श्री रामानन्द तिवारी** :

श्री राजे विश्वेश्वर राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या 31. 3. 76 की वरिष्ठता सूची के अनुसार रेलवे बोर्ड में 20 वर्ष से भी अधिक पहले पदोन्नत सहायक, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती वाले उन सहायकों से भी जूनियर हैं जिनकी सर्विस केवल पांच वर्ष की है और क्या वह सीधी भर्ती वाले उन सहायकों से भी जूनियर होंगे जिनकी भर्ती आगामी वर्षों में होगी,

(ख) क्या ऐसे पदोन्नत सहायक जिनका स्थायीकरण 1964 में हुआ था उन सीधी भर्ती वाले सहायकों से जूनियर हैं जिनका स्थायीकरण 1975 में हुआ था,

(ग) क्या नियमानुसार पहले स्थाई किया गया व्यक्ति 11 वर्ष बाद स्थाई किए गए व्यक्ति से जूनियर हो सकता है, और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे पदोन्नत सहायकों के साथ घोर अन्याय नहीं होता जिनके बारे में गलत वरिष्ठता निर्धारित किए जाने के कारण अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और इस अन्याय तथा पक्षपात को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (घ) यह मामला अभी विचारधीन है और अपेक्षित जांच के बाद अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दर्दनाशक औषधि एमोडोपाइरिन

8933. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमोडोपाइरिन दर्दनाशक औषधि पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव किया था और बहुत से देशों ने प्रतिबन्ध लगा भी दिया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिणद ने प्रतिबन्ध लगाने के बजाय इसे धीरे-धीरे समाप्त करने का सुझाव दिया है, और

(ग) जहां मानव जीवन का अधिक सम्बन्ध है, वहां ऐसे मनमाने ढंग से निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठ न ने भारत के औषधि नियन्त्रक को सूचित किया था कि स्विटजरलैंड में औषधि नियन्त्रण प्राधिकरण ने स्विटजरलैंड की मार्केट से अमीनोपेनाजोन (एमोडोपाइरिन) के हटा लेने की सिफारिश की थी क्योंकि यह गैस्ट्रिक एशिड होने के कारण खाद्यानों को प्रभावित कर सकती है और उससे कैंसर पैदा करने वाले शक्तिशाली एन-निट्रोसो योग, विशेषकर निट्रोसमीन योग, बन सकते हैं । ऐसी ही सिफारिशें जापान में स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्रालय द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी है । अन्य देशों में नियन्त्रण सम्बन्धी प्राधिकारियों पर हाल ही में लिए गए इन निर्णयों की कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं हुई और इस मामले पर फ्रांस सहित कई देशों में सक्रिय रूप से पुनर्विचार किया जा रहा है । वैसे, कुछ देशों में, जिनमें स्वीडन, अमेरिका और इंग्लैंड शामिल हैं, अमीनोफेनाजीन को कुछ अन्य कारणों से पहले हटा लिया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि अमोडोपाइरिन से कैंसर होता है । यही कारण है कि अनेक देशों ने इसके उपयोग पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है । इसके अतिरिक्त देश में 20 वर्षों के भी अधिक समय से अमोडोपाइरिन वाली दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस औषधि में विषैलापन होने की रिपोर्ट नहीं मिली है । तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि सुरक्षित एनेलजेसिक औषधियां उपलब्ध हैं और कुछ देशों में इस औषधि के उपयोग पर रोक लगा दी है, इसलिए एक सावधानी के तौर पर इस औषधि के उपयोग को धीरे-धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली का बहिरंग रोगी विभाग

8634. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली बहिरंग विभाग में प्रतिदिन आने वाले रोगियों की औसत संख्या कितनी है, और

(ख) उक्त अस्पताल में इन रोगियों की सेवा करने वाले फर्मासिस्टों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) (क) वर्ष 1978 के दौरान डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के बहिरंग रोगी विभाग में रोगियों की दैनिक उपस्थिति की औसत 3445 थी ।

(ख) छः ।

महाप्रबन्धकों को अभ्यावेदन

8635. **श्री कृष्ण चन्द्र हलधर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1979 को समाप्त होने वाले दो वर्षों की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आयुक्तों/उपायुक्तों से जोनल रेलवे के महाप्रबन्धकों को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजानियों के व्यक्तियों के आयुक्तों/उपायुक्तों को जानकारी देते हुए कितने अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है,

(ग) विभिन्न एककों में 31 मार्च, 1979 तक कितने अभ्यावेदन अनिर्णित पड़े थे, और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रेल कर्मचारियों के पक्ष में कितने अभ्यावेदनों का निपटान किया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (घ) सूचना रेल प्रशासनों/उत्पादन यूनिटों से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इन्दौर में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के भवन का निर्माण

8636. **श्री (शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का वर्तमान भवन गिरने को है और इसमें खतरनाक दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस भवन की केवल मरम्मत ही कराकर 350 कर्मचारियों के जीवन को खतरा क्यों पैदा कर रही है तथा इस भवन को न गिराने के क्या कारण हैं ताकि एक नए भवन का निर्माण किया जा सके, और

(ग) इस कार्यालय के भवन में तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों में रात के समय होने वाली असामाजिक गतिविधियों को बन्द करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) सम्भवत: आशय उस नए भवन से है जिसका निर्माण क्षेत्रीय कार्यालय के लिए किया जा रहा था। निर्माण कार्य 1976 में उस समय बन्द कर दिया गया जब भवन के कुछ स्तम्भों में खराबी आ गई।

(ख) इस भवन की जांच के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति का यह मत है कि कुछ अतिरिक्त व्यय करके आवश्यक मरम्मत की जा सकती है।

(ग) कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए एक पूर्णकालिक चौकीदार काम कर रहा है।

उत्प्रवास के बारे में उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धान्त

8637. **श्री सी० आर० महाटा** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास के बारे में उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रभाव का अध्ययन कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) 20 मार्च, 1979 के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशों में नियोजन के लिए उत्प्रवास का नियमित करने के सम्बन्ध में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए और सरकार को भी निर्देश दिया कि यह व्यवस्था जो कि इन मार्गदर्शी सिद्धाँतों में सुझाई गई है, 31 जुलाई, 1979 तक लागू रहेगी। इसके बाद भारत सरकार को यह छूट होगी कि वह कानून अथवा नियम बनाकर इसकी शर्तों में परिवर्तन कर दे।

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर, श्रम मन्त्रालय समुद्रपार नियोजन के लिए श्रमिकों के भर्ती के केन्द्र बिन्दु के रूप में आगे और कार्य नहीं कर सकता तथा इसलिए 31 जुलाई, 1971 तक उत्प्रवास की अनुमति सम्बद्ध उत्प्रवास संरक्षक द्वारा ही दी जाएगी। सरकार ने देश के सभी उत्प्रवासी संरक्षकों को आवश्यक अनुदेश दे दिये हैं तथा तात्तकालिक अनुवर्ती कारँवाई के परिणाम स्वरूप, विदेशों में नियोजन के इच्छुक व्यक्तियों के जाने में कभी कमी नहीं आई है।

गुना स्टेशन

8638 **श्री माधव राय सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कोटा-बीना सेक्शन का गुना स्टेशन लोगों को केवल यात्री यातायात और ग्वालियर-गुना के बीच लगभग 212 किलोमीटर दूरी के लिए बुक किए गए माल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन प्रथम और दूसरी श्रेणियों के यात्रियों, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष जैसी मूल सुविधाओं की स्टेशन पर व्यवस्था नहीं की गई है और यात्रियों को देर रात गए खुले स्थान पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है, और

(ग) इन सुविधाओं की यथाशीघ्र व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) गुना स्टेशन पर प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म सायवान, पहले दर्जे और दूसरे दर्जे के शयनयान में यात्रा करने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए मिला-जुला प्रतीक्षा कक्ष, प्लेटफार्म और प्रतीक्षालय में बेंच, पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था आदि जैसी सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अलावा अपेक्षित संख्या में बेंचों सहित नव-निर्मित द्वीप प्लेटफार्म पर सायवान की व्यवस्था का काम, पानी सप्लाई व्यवस्था और 2400 वर्गफुट तक वर्तमान प्रतीक्षालय के परिवर्धन को 1979-80 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

इस प्रकार पहले से उपलब्ध सुविधायें और वे सुविधायें जिनकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, इस स्टेशन पर होने वाले यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

भविष्यनिधि और संगठन कोयला खान भविष्यनिधि में कर्मचारियों को औद्योगिक लाभ

8639. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्यनिधि और कोयला खान भविष्यनिधि कर्मचारियों को बोनस आदि जैसे औद्योगिक लाभ न दिये जाने के क्या कारण हैं और उन्हें ये लाभ कब तक देने में कितना समय लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, रियायतें, छुट्टियों और निवर्तन लाभ कर्मचारी भविष्यनिधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शत) विनियम, 1962 और कोयजा खान भविष्यनिधि संगठन के कर्मचारियों के लाभ कोयला खान भविष्यनिधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियमन, 1964 द्वारा विनियमित किए जाते हैं, जिसके अनुसार इन संगठनों के कर्मचारी ऐसे भत्तों और रियायतों के हकदार हैं, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के तदनुरूपी वर्गों के कर्मचारियों को ग्राह्य होते हैं। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 किसी भी "लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था" के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।

शिशु मृत्यु-दर

8640. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विश्व के औसत की तुलना में शिशु मृत्यु-दर कितनी है;

(ख) गुजरात में शिशु मृत्यु-दर कितनी है और किन-किन राज्यों में यह दर सबसे अधिक है;

(ग) 1977 में जन्मे ऐसे बच्चों की संख्या और प्रतिशतता कितनी है जो प्रथम जन्म दिन से पहले ही मर गये; और

(घ) इस मृत्यु-दर को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) भारत के महापंजीयक को नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार भारत में 1973 के दौरान जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 134 बच्चों की मृत्यु हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार विश्व में यह दर प्रति हजार 80 से 95 के बीच है। कुछेक विकासशील तथा विकसित देशों में बच्चों की मृत्यु-दर इस प्रकार है :

इण्डिट (1973)	98.0
तीविया (1970)	137.0
पाकिस्तान (1968)	124.3
श्रीलंका (1972)	45.1
फिलिपाइन (1974)	58.9
कैनेडा (1975)	15.0
अमेरिका (1979)	16.7
जापान (1975)	10.0

(ख) गुजरात में इन बच्चों की मृत्यु-दर प्रति हजार 161 थी। उत्तर प्रदेश में यह दर बहुत अधिक थी, जो प्रति हजार 176 थी।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) बच्चों की मृत्यु-दर के मुख्य कारण इस प्रकार है:—मां का स्वास्थ्य ठीक न होना, जन्म के समय बच्चे को चोट लग जाना और बच्चे का जन्म स्वच्छ वातावरण में न होना। भारत सरकार ने बच्चों की मृत्यु-दर को कम करने के लिए जो विभिन्न उपाय किए हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और उप-केन्द्र खोल कर आधारभूत ढांचे को विस्तृत किया मया है तथा किया जा रहा है।
2. डेढ़ वर्ष पहले जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना आरम्भ की गयी थी, जिसका उद्देश्य एक हजार जनसंख्या के पीछे एक कार्यकर्त्ता की सेवाएं उपलब्ध कर लोगों को बड़े पैमाने पर उन्नायक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करना था।
3. गांवों में प्रसव करवाने वाली दाइयों के प्रशिक्षण को तेज कर दिया गया है ताकि स्वच्छ ढंग से प्रसव करवाने के लिए 1000 की आबादी वाले गांव में एक-एक प्रशिक्षित दाई की सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
4. कुछेक चुने हुए क्षेत्रों में दाइयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को तेज किया जा रहा है।

5. सभी प्रकार की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का इलाज करने के लिए विशेष क्लिनिकी का आयोजन किया जाता है। गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की निरन्तर देखभाल रखने के अतिरिक्त ये क्लिनिक निरोधी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

6. गर्भवती महिलाओं को टेटनेस का टीका लगाया जाता है ताकि देश के बहुत से भागों में आमतौर पर नवजात शिशुओं को जो टेटनेस हो जाता है उसकी रोकथाम की जा सके। बच्चों का चेचक, टी० बी०, डिफ्थीरिया, काली खाँसी तथा टेटनेस से बचाव करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चों को खसरा, टाइफाइड तथा पीलिया से बचाने के लिए भी टीके लगाने के प्रबन्ध किए गए हैं। इन सभी श्रेणियों के रोगों से बचने के लिए कार्यक्रम को प्रतिवर्ष तेज किया जा रहा है।

7. गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में प्राय: काफी संख्या में अरक्तता पाई जाती है। माताओं और बच्चों में पोषण के अभाव के कारण होने वाली अरक्तता की रोकथाम करने के लिए एक योजना लागू की गई हैं।

8. कुछ चुने हुए जिला मुख्यालय हस्पतालों में प्राथमिक केन्द्रों के डाक्टरों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

9. जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य योजना के सभी पहलुओं पर शैक्षणिक सामग्री/मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार की जा रही है और उसे चिकित्सा तथा पराचिकित्सा स्टाफ में बांटा जा रहा है।

10. उपकेन्द्रों में काम करने वाली सभी सहायक नर्सों को माताओं की पोषण सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है।

11. समाज कल्याण विभाग ने 100 विकास खंडों में एक विशेष एकीकृत बाल विकास सेवा योजना लागू कर दी है। इन परियोजनाओं को जन जातियों तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में चलाया गया और जिनका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा 6 साल की आयु वाले बच्चों को स्वास्थ्य देखरेख की गहन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। आशा है कि इस वर्ष 50 अतिरिक्त आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं स्थापित हो जायेंगी।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के साफ जल की सप्लाई की व्यवस्था राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा ग्राम जल-प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही है। यह कार्य निर्माण तथा आवास मन्त्रालय की सहायता से किया जा रहा है और इसका उद्देश्य उन जिलों में साफ जल की व्यवस्था करना है जिनमें पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है जिससे, राज्य योजना में पूरक आबंटन हो जायेगा।

पोर्ट स्टर हिट्स एक्सपोर्ट्स शीर्षक से समाचार

8641. श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1979 के इकानामिक टाइम्स में "पोर्ट स्तर हिट्स एक्सपोर्ट्स वर्ष पीज 500 करोर्स अप टिल दी एण्ड आफ मार्च, 1979" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तन पर हड़ताल अभी भी जारी है और अप्रैल में फिर घाटे में वृद्धि भी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या गत वर्ष भी पत्तन पर हड़ताल से राष्ट्र को भारी हानि हुई थी;

(घ) कुल कितने जहाज कितने महीनों तक माल बिना उतारे खड़े रहे;

(ङ) क्या कुछ मामलों में सामान मानव उपभोग के लाइक नहीं रहा; और

(च) भविष्य में पत्तन पर हड़ताल को टालने के लिए किस स्थायी समाधान पर विचार किया जा रहा है ताकि देश को इतनी बड़ी हानि न हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस समय बड़े पत्तनों पर श्रमिकों में सामान्यता शान्त है सिवा इसके कि काम न करने की कुछ छोटी-छोटी घटनाएं हुई हैं। बम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी संघ को छोड़ अखिल भारत पत्तन तथा गोदी कर्मचारी महासंघ से संबद्ध संघों ने नवम्बर, 1978 में हड़ताल की थी।

बड़े पत्तनों में हड़ताल से, काम न करने से माल के उतार और लदान कार्य पर बुरा असर पड़ता है जिससे कई संबंधित क्षेत्रों, जैसे पोतवणिकों, उद्योगपतियों, नौवहन कम्पनियों और संपूर्ण समुदाय प्रभावित होता है। इससे निर्यात पर दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भी पड़ता है। जहाजों के रुकने, विलम्ब शुल्क के भुगतान, भाड़े पर अधिभार वसूल करने, कारखानों में कच्चा माल समय पर न पहुंचने और जहाजों से निर्यात का माल भेजने में देर होने के कारण नौवहन कम्पनियों को नुकसान के अलावा लोगों को भी कई तरह का नुकसान होता है। ऐसे नुकसान का ठीक-ठीक मूल्य बताना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(च) सरकार की सदा यही नीति रही है कि बड़े पत्तनों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को कायम रखा जाए ताकि वहां अचानक हड़तालें न हों, धीमी गति से कार्य करने की स्थिति न आए जिससे उत्पादकता में कमी आती जाए और पत्तन पर माल का जमाव होता हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पत्तन तथा गोदी कर्मचारी महासंघी के प्रतिनिधियों के साथ 29-11-78 और 18-4-79 के बीच पांच बार विचार-विमर्श हुआ और कर्मचारियों की बहुत सी अनिर्णित मांगों पर समझौता हुआ। पत्तन न्यासों तथा गोदी श्रम बोर्डों को हिदायतें दी गई कि वे इन निर्णयों को कार्यान्वित करें। पत्तन न्यासों और गोदी श्रम बोर्डों को यह भी हिदायतें दी गई हैं कि वे स्थानीय संघों के साथ एक निश्चित अवधि के बाद बैठकें करें और कर्मचारियों की स्थानीय और

सैक्शनल मांगों पर शीघ्र समझौता करें। कर्मचारियों की समस्याओं को जल्दी हल करने के लिए सरकार और पत्तन स्तरों पर निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्वालियर रेलवे स्टेशन

8642. **श्री कैलाश प्रकाश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे की जमीन पर से मिट्टी के ढेर और रोड़ी दिसम्बर, 1978 के अन्त तक हटाने के लिये अधिकारियों ने अनुदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुदेशों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनका पालन कब तक होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां,। 11 लाइसेंसधारी ठेला मालिकों को, जो कि ग्वालियर स्टेशन के सामने अपना धन्धा करते थे, 31.12.1978 तक रेलवे भूमि खाली करने के लिए नोटिस दे दिये गए हैं।

(ख) और (ग) रेलवे भूमि को निर्धारित तारीख तक खाली करने की बजाय ठेला मालिकों ने दीवानी अदालत से स्थगन आदेश ले लिये हैं। यद्यपि, स्थगन आदेश के अनुसार भूमि खाली हो गयी है परन्तु ठेला मालिकों ने रेल परिसर पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा है। सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है और मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है।

मालवाही मोटर वाहन

8643. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1979 को दिल्ली में टैम्पो और तीन पहिये के वाहनों जैसे सभी प्रकार के मालवाही मोटर वाहनों की संख्या कितनी है जो प्रतिदिन दिल्ली आते हैं अथवा दिल्ली से होकर गुजरते हैं; और

(ख) क्या इन वाहनों में गति नियंत्रक लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) दिल्ली में 1-1-1979 के अनुसार 17,890 तिपहिया गाड़ियां और 31,112 माल ढोने वाली गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं।

(ख) ब्यूरो आफ एकनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स द्वारा किए पायलट सर्वेक्षण 1972 के अनुसार लगभग संख्या क्रमशः 3,000 और 680 थी।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने यह निश्चय किया है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और अधिकाधिक सड़क सुरक्षा के लिए दिल्ली सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाया जाए। पहले चरण में शहर में चलने वाली मिनी बसों सहित सवारी बसों और दिल्ली परिवहन निगम से संबद्ध प्राइवेट बसों में स्पीड गवर्नर होना चाहिए।

माल ढोने वाली गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के प्रस्ताव की दिल्ली प्रशासन जांच कर रहा है। 31-3-1979 के अनुसार लगभग 3,000 सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए गए हैं।

केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान को विश्वायतन योगाश्रम के बारे में प्रतिवेदन

8644. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन और उस पर मन्त्रालय का सुझाव केन्द्रीय योग अनुसन्धान संस्थान, विश्वायतन योगाश्रम के प्रशासक को भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या प्रशासक ने इसकी क्रियान्विति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क), (ख), (ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वायतन योगाश्रम के प्रशासक को 1.11.1978 को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न बातों पर प्रशासक ने अपनी विस्तृत टिप्पणियां भेज दी हैं और उनकी जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-एक को चौड़ा किया जाना

8645. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राज्य पथ संख्या एक पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राजपथ को चौड़ा करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसे विभक्त कर इस पर एकतरफा यातायात की सुविधा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का दुर्घटनाएं रोकने के लिए और क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) यातायात, पर्यावरण आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि कुल मिला कर धन-उपलब्धता और अन्य प्राथमिकता के कार्यों पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लैनों तक चौड़ा किया जाए।

रायचूर में ऊपरी पुल

8646. **श्री राज शेखर कोलूर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर में ऊपरी पुल के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ और पूरा होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) रायचूर के पूर्वी और पश्चिमी साइडों को जोड़ने वाले एक ऊपरी पैदल पुल के निर्माण की स्वीकृति 1975 में दी गयी थी।

(ख) इस्पाती संरचना का विनिर्माण पूरा हो गया है और इस्पात का निर्माण कार्य हाथ में है। इसके पूरे किये जाने की सम्भावित तारीख अगस्त, 1979 है।

मेघालय में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई

8647. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई कितनी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में नये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 345 कि. मी. है।

(ख) पांचवीं योजना अवधि में मेघालय राज्य ने राष्ट्रीय राजमार्गों में चार सड़कों को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जा सका।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

8648. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान चरणबद्ध ढंग से रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिये सरकार ने वर्षवार क्या कार्यक्रम हाथ में लिया है; और

(घ) उन रेल लाइनों के क्या नाम हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के अधीन लाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चालू वर्ष में मद्रास-गुम्मिडिपुंडि खंड पर बिजली कर्षण पहले ही लागू कर दिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर, आगामी 5 वर्षों (1979-84) के दौरान, वाल्तेरु-किरन्दुल, मद्रास-विजयवाड़ा, मद्रास-अरकोणम, दिल्ली-मथुरा, बड़ोरा-रतलाम और गोधरा-आनन्द खंडों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है।

पूर्वोत्तरसीमा रेलवे में रेलवे इंजन

8649. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिये रेलवे इंजनों की संख्या (भाप/डीजल आदि की अलग-अलग) कितनी है, वे किन किन मार्गों पर चलते हैं और प्रत्येक इंजन को चलते कितना समय हो गया है,

(ख) नये इंजन और डीजल इंजन देने के लिये और भाप से चलने वाले पुराने इंजनों की समय पर मरम्मत करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है।

(ग) खराब पड़े इंजनों का उपयोग कैसे किया जाता है और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के यार्डों में कितने इंजन खराब पड़े हुए हैं: और

(घ) ढुबरी-गौहाटी के बीच चलने वाली दो रेल गाड़ियों के इंजन कब तक बदले जायेंगे और उनको अब तक न बदले जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर, मीटर लाइन के 353 और बड़ी लाइन के 78 भाप रेल इंजन और 94 मीटर लाइन डीजल रेल इंजन हैं। डीजल रेल इंजनों का उपयोग अनिवार्य रूप से मेल, एक्सप्रेस और मुख्य लाइन की थ्रू माल-गाड़ियों तथा बदरपुर-लमडिंग पर्वतीय खंड पर गाड़ियों के कर्षण के लिए किया जाता है। भाप रेल इंजनों से अन्य गाड़ियां चलायी जाती है। एई० एफ० श्रेणी के 39 मीटर लाइन रेल इंजनों को छोड़कर, जिन्हें निचले स्तर की सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है, अन्य सभी इंजन अभी अधिवर्षिता को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) मीटर लाइन डीजल रेल इंजनों के बेड़े में वृद्धि का कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है। निर्धारित निवारक मरम्मत की व्यवस्था करके भाप रेल इंजनों को अच्छी अवस्था में रखा जाता है।

(ग) निरस्त रेल इंजन सेवा से हटा लिए जाते हैं और स्क्रैप के रूप में बेच दिये जाते हैं। इस समय ऐसे पाँच निरस्त रेल इंजन हैं जिनकी बिक्री की जानी है।

(घ) गुवाहाटी और धुबरी के बीच दो सवारी गाड़ियां हैं जिन्हें वाई० पी० श्रेणी के मानक मीटर लाइन यात्री भाप रेल इंजनों से चलाया जा रहा है। ये रेल इंजन इस खंड पर चलने वाली गाड़ियों और अपेक्षित संख्या में डिब्बों के कर्षण के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

कम्प्यूटरों ईन्वेस्टीगेटरों को स्थायी बनाया जाना

8650. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या संसदीय तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो में 15 वर्ष से अधिक सेवा करने के बाद भी कम्प्यूटरों/इन्वेस्टीगेटरों को स्थायी घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो में 27 कम्प्यूटरों और 62 इन्वेस्टीगेटरों को पहले ही स्थायी किया जा चुका है। अभी तक स्थायी न किए गए पात्र कम्प्यूटरों और इन्वेस्टीगेटरों में से केवल एक कम्प्यूटर और 19

इन्वेस्टीगेटरों ने 15 वर्ष से अधिक की सेवा की है । शेष पात्र कम्प्यूटरों और इन्वेस्टीगेटरों को स्थायी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क परिवहन

8651. **श्री वेदव्रत बरूआ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि सड़क परिवहन का, जो सामान की ढुलाई करने का सबसे महंगा साधन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्तुत: एकाधिकार है;

(ख) क्या सरकार को जिम्मेदार व्यक्तियों, संसद सदस्यों और संसदीय समितियों से इस आशय के प्रतिवेदन और आरोप प्राप्त हुए हैं कि सड़क परिवहन कम्पनियों के मालिक सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार उक्त क्षेत्र में मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं; और

(ग) क्या कलकत्ता से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई कार्यवाही की गई हैं जिससे उक्त क्षेत्र में सड़क परिवहन की लगभग एकाधिकार की स्थिति को रोका जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) लोक उपक्रम समिति (1977-78) ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम-उद्देश्य एवं नदी सेवाएं विषय पर अपनी सातवीं रिपोर्ट में कहा है कि उनके ध्यान में यह लाया गया है कि सड़क परिवहन के निजी क्षेत्र में एक अत्यन्त शक्तिशाली लाबी मौजूद है जिसका देश के पूर्वी और उत्तर पूर्व भाग में सड़क पद्धति पर पूरा नियंत्रण हैं । सरकार को इस बारे में कोई और रिपोर्ट नहीं मिली हैं । यह कहना सही नहीं है कि सड़क परिवहन सभी हालतों में एक मंहगा परिवहन साधन है ।

(ग) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम कलकत्ता-वीरमग्राम, कलकत्ता-करीमगंज, कलकत्ता-बंगलादेश, कलकत्ता-हल्दिया । सागर के बीच और कलकत्ता-फरक्का रूट पर नदी सेवाएं चला रहा है । केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की वर्तमान वहन क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है । निगम की वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 1978-79 में एक नया बजरा और चार सेकण्ड हैण्ड बजरों की खरीद करने की मंजूरी दी गई । केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा और जहाजों की खरीद करने के लिए 1979-80 की वार्षिक योजना और बजट में 357 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियों का बन्द किया जाना

8652. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण अनेक रेलगाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया था, और

(ख) भविष्य में रेलगाड़ियों को इस प्रकार बन्द करने की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, कोयले की कमी के कारण कुछ गाड़ियां रद्द की गयी हैं।

(ख) कोयला उत्पादन प्राधिकारियों तथा ऊर्जा मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके कोयले की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने के लिए कर्रवाई की जा रही है।

पश्चिमी उड़ीसा और तटीय क्षेत्रों के बीच रेल सेवा

8653. **श्री सरत कार** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्र और इसके तटीय क्षेत्र भुवनेश्वर और पारादीप पत्तन के बीच कोई रेल सेवा नहीं है,

(ख) क्या यह सच है कि इस रेल सेवा से उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के लम्बे क्षेत्र से, जो प्रसिद्ध राज्य हैं तथा जहां राउरकेला, टाटा, भिलाई के इस्पात कारखाने हैं तथा रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग संयत्र है, पारादीप पत्तन पहुंचा जा सकता है और जिससे किरिबुरू जोनुरी, मलंगटोई खानों से लौह अयस्क की पारादीप पत्तन को त्वरित और सस्ती ढुलाई करने में सहायता मिलेगी जिसकी इस समय सड़क से ढुलाई की जा रही है, और

(ग) इस परियोजना को स्वीकृति देने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) राउरकेला, टाटा-नगर, खड़गपुर और कटक के रास्ते पश्चिम उड़ीसा की औद्योगिक पट्टी और भुवनेश्वर के तटीय क्षेत्रों तथा पारादीप बन्दरगाह को मिलाने वाली एक रेल लाइन मौजूद है। तथापि, बांसपानी से जखपुरा तक एक नयी रेल लाइन, जो पारादीप बन्दरगाह के रास्ते लौह अयस्क की ढुलाई के लिए जोनुरी, मलंगटीली, गन्धमर्दन और दैत्री स्थित लौह अयस्क खानों की सेवा के लिए होगी, के निर्माण-कार्य का अनुमोदन हो चुका है और निर्माण का काम चरणों में शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में, जखपुरा से दैत्री तक रेल लाइन के निर्माण का काम अच्छी प्रगति पर है। बांसपानी-जोनुरी रेल लाइन के निर्माण-कार्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है।

तालचेर और सम्बलपुर के बीच रेल सम्पर्क के लिए एक सर्वेक्षण सम्प्रति किया जा रहा है। इस लाइन के निर्माण के संबंध में विनिश्चय सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद किया जायेगा।

डिफ् रेलवे स्टेशन

8654. **श्री गौरेन एंगती** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के डिफ् रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिये दूसरे दर्जे का कोई प्रतीक्षालय नहीं है, और

(ख) क्या यह चालू वर्ष में महिलाओं के लिए दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का निर्माण करने तथा उसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का विचार करेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) डीफ् स्टेशन पर पहले दर्जे और दूसरे दर्जे के शयनयान में यात्रा के टिकटधारी पुरुषों तथा महिलाओं के लिए एक मिला-जुला प्रतीक्षालय है।

(ख) फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वर्तमान सुविधाएं इस स्टेशन पर होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गयी हैं।

क्यूल-बरहडवा-साहिबगंज लूप लाइन में रेल गाडियों का विलम्ब से चलना

8655. **डा० रामजी सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यूल-बरहडवा-साहिबगंज लूप लाइन पर कितने दिनों से रेलगाड़ियां अनियमित रूप से चल रही हैं,

(ख) गत दो महीनों में अपर इंडिया एक्सप्रेस और तिनसुखिया मेल अप और डाउन महीने में कितने दिन समय पर आई और समय पर छूटी,

(ग) क्या इस अवधि में यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) फरवरी और मार्च, 1979 के दौरान, क्यूल-बरहडवा-साहिबगंज (लूप लाइनों) पर गाड़ियों का समय-पालन क्रमश: 37.0 और 87.4 प्रतिशत था।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) समय-पालन में सुधार लाने के लिए यात्री गाड़ियों के चलाये जाने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विवरण

गाड़ी नं०	महीना	प्रारम्भिक स्टेशन से सही समय से छूटने के दिनों की संख्या	गंतव्य स्टेशन पर सही समय से पहुंचने के दिनों की संख्या
13 अप (अपर इंडिया एक्सप्रेस)	फरवरी /79	27	1
	मार्च/79	27	3
14 डाउन	फरवरी/79	24	3
	मार्च/79	30	6
155 अप (तिनसुकिया मेल)	फरवरी/79	17	16
	मार्च/79	17	10
156 डाउन	फरवरी/79	28	21
	मार्च/79	29	24

नौवहन विकास निधि से कंपनियों को मंजूर किया गया ऋण

8656. **श्री राम विलास पासपान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत वर्षों में नौवहन विकास निधि में से ऋण मंजूर किए गए हैं और उसकी राशि कितनी है तथा उन्हें अब तक कितनी राशि के ऋण दे दिए गए हैं,

(ख) उनमें से कितनी कंपनियां बड़े औद्योगिक गृहों/बड़ी कंपनियों से संबद्ध हैं, और

(ग) क्या यह व्यवस्था सरकार को बड़े औद्योगिक गृहों को प्रोत्साहन न देने की नीति के अनुरूप है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) **विवरण** संलग्न है ।

(ख) सात ।

(ग) नौवहन एक ऐसा उद्योग है जिसके लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है और विकास सहायता के रूप में नौवहन विकास निधि समिति का ऋण देने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय माल को लाने ले जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय नौवहन की प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके । फिर भी, नौवहन कंपनियों को ऋण सहायता देते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इन ऋणों का उपयोग केवल नौवहन के लिए ही किया जाए और इसके सिवाय, उनका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाए ।

(चालू)

विवरण

1977-78 और 1978-79 के दौरान स्वीकृत और वितरित दिए गए ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(रु० करोड़)

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	स्वीकृत			वितरित+			टिप्पणी
		1977-78	1978-79	कुल	1977-78	1978-79	कुल	
1.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	47.20	28.12	75.32	32.57	59.38	91.95	
2.	मुगल लाइन्स लि०	11.40	11.78	23.18	14.26	6.37*	20.63	
3.	सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन	1.32	-	1.32	3.05	-	3.05	
4.	नीलहट शिपिंग कंपनी	-	-	-	1.05	3.76	4.81	
5.	रत्नाकर शिपिंग कंपनी	-	-	-	3.62	2.59	9.21	
6,	राज लाइन्स	0.40	-	0.40	0.40	-	0.40	
7.	दामोदर बल्क कैरियर्ज	1.59	-	1.59	5.87	5.14*	11.01	
8.	डेम्पो स्टीमशिप कं०	-	-	-	0.87	1.07	1.94	
9.	सिंधिया स्टीमशिप कं०	-	-	-	19.39	5.84	25.23	
10.	इंडिया स्टीमशिप कं०	-	-	-	0.28	6.72	7.00	
11.	ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं०	-	-	-	0.89	0.88	1.77	
12.	केरल शिपिंग कं० लि०	-	-	-	1.10	1.05	2.15	
13.	चौगुले स्टीमशिप्स लि०	-	-	-	2.64	2.35	4.99	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	कर्नाटक शिपिंग कारपोरेशन	-	-	-	-	1.28	1.28
15.	ईसार बल्क कैरियर्ज	0.12	-	0.12	0.65	-	0.65
16.	इंडोसोऐनिक शिपिंग कं०	-	-	-	0.80	-	0.80
17.	अनंत मैरोन्स	0.71	-	0.71	-	-	-
18.	सजवाला शिपिंग कं०	0.67	-	0.67	-	-	-
19.	मंगला बल्क कैरियर	-	1.70	1.70	-	-	-
20.	सागर शिपिंग कं०	-	-	-	0.82	2.52	3.34
		कुल : 63.41	41.60	105.01	88.26	98.95	187.21

+वितरित धनराशि में पूर्व स्वीकृत ऋणों के लिए किया गया भुगतान शामिल । *प्रति गारंटी के अधीन किए गए भुगतान ।

मोकामा-पटना-आरा के बीच नई रेल गाड़ी आरम्भ करना

8657. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, पूर्व रेलवे की ओर से जारी किये गये पत्र संख्या टी० टी० 350/4/78 में यह कहा गया है कि यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए एक अप्रैल, 1979 से मोकामा-पटना-आरा के बीच एक नई यात्री गाड़ी आरम्भ की जायेगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं, यह महाप्रबन्धक पूर्व रेलवे से मण्डल अधीक्षक/दानापुर को भेजा गया केवल एक पत्र था जिसमें उन्होंने पटना-मोकामा खंड पर एक गाड़ी चलाये जाने के सुझाव की जांच करने के लिए कहा था।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना

8658. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन नगरों के नाम क्या हैं जहां छठी योजना के दौरान सरकार का केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लागू करने का विचार है और क्या सरकार का विचार इसी अवधि के दौरान उन स्थानों पर ऐसे और स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है जहां पर सुविधा पहले ही उपलब्ध है; और

(ख) इस कार्य में अनुमानत: कुल कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हावड़ा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुड़गांव के उप-नगरीय कस्बों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरम्भ की जानी है।

जिन शहरों में पहले से ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है उनमें और औषधालय खोलने का विचार है।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विस्तार के लिए 1500 लाख रुपये की राशि रखी गई है।

दक्षिण एशिया के साथ क्षेत्रीय सहयोग

8659. **श्री एस. एस. सोमानी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशिया में हुए हाल के राजनैतिक परिवर्तनों के बाद उस क्षेत्र में आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय सहयोग की क्या सम्भावनाएं हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) भारत की नीति यह रही है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य

से क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में जो भी कदम उठाया जाए उसका स्वागत किया जाये। लेकिन हमारा यह मत है कि इस प्रकार के क्षेत्रीय सहयोग की माँग दक्षिण एशिया के ही दूसरे देशों से आनी चाहिए। हम इन देशों के साथ अपने संबंधों को सघन करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। हमारा यह विश्वास है कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी तर्क यथासमय स्वतः जोर पकड़ेगा।

सूरत-भुसावल बड़ी लाइन

8660. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत और भुसावल के बीच बड़ी लाइन को दुहरा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब से काम आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भुसावल-जलगांव और सूरत-उधना के बीच दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है। सूरत-भुसावल खण्ड के उधना-जलगांव भाग पर दोहरी लाइन बिछाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि वर्तमान लाइन क्षमता को पर्याप्त समझा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर-दिल्ली एक्सप्रेस

8661. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीधी इन्दौर-दिल्ली एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) मालवा विकास परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ भोपाल के रास्ते 33/34 दिल्ली-जम्मू तवी मेल को इन्दौर तक बढ़ाकर दिल्ली और इन्दौर के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का सुझाव दिया है।

(ग) यातायात के औचित्य की कमी के अलावा, एक सीधी गाड़ी चलाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं है। तथापि, यह प्रस्ताव है कि 3/4 फ्रन्टियर मेल में जब दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयान की व्यवस्था हो जायेगी तब 3/4 फ्रन्टियर मेल में रतलाम और बम्बई के बीच दूसरे दर्जे का एक शयनयान चलाया जायेगा। इन शयनयानों में इन्दौर स्टेशन से चलने वाले यात्रियों के लिए इन्दौर में, ब्लाक कोटा आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

गर्मी के दौरान नई दिल्ली और केरल के बीच विशेष गाड़ी

8662. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मियों की छुट्टियों की भीड़ को कम करने के लिए नई दिल्ली और केरल के बीच अप्रैल से जुलाई के बीच कोई विशेष गाड़ी नहीं चलाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) यद्यपि नई दिल्ली और केरल के बीच विशेष रूप से किसी सीधी गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है, किन्तु दिल्ली और मद्रास और मद्रास और तिरुवनन्तपुरम के लिए विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा इन स्थानों को जाने वाले यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह में दो बार चलने वाली 125/126 के० के० एक्सप्रेस नई दिल्ली और तिरुवनतपुरम के बीच तथा 131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस निजामुद्दीन और कोचिन/मंगलूर के बीच सप्ताह मे 5 दिन चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था की गई है जो नई दिल्ली और केरल के क्षेत्र में पड़ने वाले स्टेशनों के लिए सीधी गाड़ियां हैं।

चम्बल नदी पर राजघाट पुल

8663. **श्री छबि राम अर्गल** :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री 20 जुलाई 1977 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सीमा पर आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चम्बल नदी के राजघाट पुल का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1978 तक पूरा हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो 30 मार्च, 1979 तक कितना कार्य पूरा हुआ है और इस समय कितना कार्य शेष है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या 26 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर में यह बताया गया था कि कार्य तीन वर्ष में पूरा हो जायेगा; और

(घ) क्या चम्बल नदी के इस पुल पर चौबीस घण्टे कार्य करने के लिये निदेश जारी किये गए थे परन्तु सीमेंट आदि सामग्री की कमी के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : 20 जुलाई 1977 को अल्प-सूचना प्रश्न के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुये प्रधान मन्त्री जी (जिन्होंने उस समय नौवहन और परिवहन मन्त्रालय का चार्ज संभाला हुआ था) ने यह कहा था कि उन्हें यह आशा है कि नये पुल का निर्माण दिसम्बर 1978 तक पूरा हो जायेगा।

(ख) 30 मार्च 1979 तक (i) आर० सी० सी० की मौजूदा 5 मेहराबों को तोड़ने, (ii) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के साथ परामर्श करके नई नीवों की जगह पर भूमि के नीचे विस्तृत परीक्षण करने, (iii) नई कूप-नीवों का निर्माण करने, (iv) 3 नए पायों का निर्माण करने और (v) खुली नीवों 1 से 13 के नीचे चट्टानी फर्श की ग्राउन्टिग करने जैसे कार्य पूरे कर लिए गये हैं। जिन चार पायों का निर्माण करना शेष है उनमें से 2 पायों का निर्माण पूरा होने

वाला है और शेष दो पायों का निर्माण कार्य प्रगति में है। पाट (स्पेन) के लिये ग्वालियर की ओर से बाक्स गर्डर सुपर-स्ट्रक्चर को कास्ट करने का काम भी शुरू कर दिया है। जो कार्य अभी करने शेष हैं, वे ये हैं :

(I) मौजूदा पाया एक्यूटमेंट सं० 13 में परिवर्तन करना, (II) नई कूप नीवों के नीचे चट्टानों फर्शों की ग्राउटिंग का शेष कार्य पूरा करना, (III) पायों का निर्माण कार्य पूरा करना और आठों पाटों (स्पेनों) के लिये सुपर-स्ट्रक्चर का काम पूरा करना। पुल अगले वर्ष की मानसून से पहले पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी सम्भव साधनों की सहायता से कम से कम समय में पुनर्निर्माण के काम। मौजूदा क्षतिग्रस्त चम्बल पुल को मजबूत बनाने के काम की महत्ता समय-समय पर राज्य सरकार/राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के ध्यान में लाई गई। इस पुल के लिये कूपों को कठिन स्तरों के भीतर से नीचे बैठाना था और उन्हें तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये स्वीकृत टेण्डर की ड्राइंग में दिखाये गए स्तरों से भी नीचे गहरे ले जाने की जरूरत थी। इस कारण से नींव के काम में देरी हुई। इस देरी का एक कारण यह भी था कि जिस क्वान्टिटी का और जिस परिमाण में सीमेंट अपेक्षित था, उसकी कमी हो गई। इसके अलावा, इस्पात मिलने में भी कुछ कठिनाई आती है। फिर भी, इस पुल के लिये अपेक्षित मात्रा में सीमेंट और इस्पात प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को हर प्रकार की सहायता दी जा रही है ताकि प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाली सारी अड़चनों को जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके और इस प्रकार, प्रगति की गति को यथासम्भव तीव्र बनाया जा सके।

विदेशी अधिकारियों द्वारा भारतीय पदाधिकारियों के स्वागत के नयाचार स्तर सम्बंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

8664. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका का दौरा करने वाले भारत सरकार के मन्त्रियों ने अमरीका के ऐसे सरकारी कार्यकारी अधिकारियों से भेंट की थी जिनका दर्जा भारतीय पदाधिकारियों से नीचा था;

(ख) यदि हां, तो उन मन्त्रियों के नाम क्या हैं; और उन्होंने अमरीका सरकार के किन कार्यकारी अधिकारियों से भेंट की थी; और

(ग) क्या मन्त्रालय ऐसे दौरों में विदेशी अधिकारियों द्वारा भारतीय पदाधिकारियों के स्वागत के नयाचार स्तर सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने पर विचार करेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) केन्द्रीय मन्त्री जब-जब संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा पर गये हैं, तो वे वहां सामान्यतया अपने समकक्ष मन्त्रियों से मिले हैं। ऐसी बैठकें आयोजित करते समय हमेशा स्तर का ध्यान रखा जाता है : कभी-कभी बहुत जल्दबाजी में बैठक आयोजित करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में उस समय उपलब्ध

वरिष्ठतम अधिकारी से मिलने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कई बार दौरे पर गए मन्त्री अपने स्तर से ऊँचे विदेशी पदाधिकारी से भी मिले हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में विशिष्ट अनुदेश जारी करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि बैठकें आदि आयोजित करते समय नयाचार के स्तर को ध्यान में रखा जाता है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अन्य अस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड

8665. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के एमरजेंसी विभाग बिल्कुल अव्यवस्थित हैं;

(ख) दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल के एमरजेंसी वार्डों में गत तीन महीनों में कितने रोगियों की देखभाल की गई;

(ग) क्या यह सच है कि एमरजेंसी वार्डों में उपयुक्त स्थान, उपकरण अथवा दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) क्या मन्त्री महोदय ने गत दो महीनों में इन एमरजेंसी वार्डों का दौरा किया है; और

(ङ) दिल्ली के अस्पतालों के एमरजेंसी वार्डों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले तीन महीनों (जनवरी-मार्च, 1979) में दिल्ली के कुछ प्रमुख अस्पतालों के इमरजेन्सी वार्डों में देखे गये रोगियों की संख्या इस प्रकार है :

(i)	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	22496
(ii)	सफदरजंग अस्पताल	24048
(iii)	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	2958
(iv)	लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल	20800

(ग) दिल्ली प्रशासन ने इस बात से इन्कार किया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अस्पतालों में आवास, औजारों अथवा दवाइयों की कोई कमी है। जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय अस्पतालों का सम्बन्ध है, वे पूरी तरह से सुसज्जित हैं और उनमें कुल मिलाकर दवाइयां उपलब्ध हैं। जहां तक आवास का सम्बन्ध है दिये गये सभी वचनों के अन्तर्गत इसे बढ़ाने के लिये पहले ही आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है अथवा की जा रही है।

(घ) मन्त्री जी ने डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेन्सी सेवा विभाग के कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण किया है।

(ङ) इन अस्पतालों में रात दिन विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिये डा० राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा संकाय, शल्य और विकलांग चिकित्सा विभागों में विशेषज्ञों के दो दो पद मंजूर कर दिये गये हैं। स्त्री रोग विज्ञान और बाल चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों के दो दो पद श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के लिये मंजूर कर दिये गये हैं। इमर-जेन्सी सेवा विभागों में कारोनरी उपचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये इन तीनों अस्पतालों के लिये चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या सहित 2.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक एक गश्ती कारोनरी यूनिट की मंजूरी दे दी गई है।

सह्याद्रि एक्सप्रेस के चालन समय में कमी

8966. **श्री आर० एस० माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की मांग को पूरा करने के लिये कोल्हापुर से बम्बई के बीच चलने वाली 'सह्याद्रि एक्सप्रेस' के चालन समय में कमी की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कितने घण्टे कमी की जायेगी और किस तारीख से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 311/312 बम्बई-कोल्हापुर सह्याद्रि एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरोजिनी नगर मार्केट से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

8667. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री बस संख्या 50 की फ्रीक्वेंसी के बारे में 30 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्ग सख्या 51, 89 और 645 पर चलने वाली बसें नार्थ ब्लाक अर्थात केन्द्रीय सचिवालय को नहीं जातीं तथा मार्ग संख्या 610 पर चलने वाली बसें सरोजिनी नगर मार्केट नहीं जातीं तब फिर अन्य मार्ग कौन से हैं जिन पर बसें सरोजिनी नगर मार्केट से नार्थ ब्लाक अर्थात केन्द्रीय सचिवालय तक जाती हैं;

(ख) यदि ऐसा कोई मार्ग नही हैं, तो सरोजिनी नगर मार्केट से केन्द्रीय सचिवालय तक क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ग) जैसा कि उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, सरोजिनी नगर मार्केट से केन्द्रीय सचि-वालय तक मार्ग संख्या 50 पर 10.20 से 16.50 तक चलने वाली 15 बसों की फ्रीक्वेंसी क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) परिचालन सम्बन्धी अनेक कारणों से, बरास्ता सरोजिनी नगर मार्केट और नार्थ ब्लाक के, सरोजनी नगर और सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट के बीच सभी बसें चलाना बिल्कुल सम्भव नहीं है। चूंकि, दिल्ली परिवहन निगम की बसें करीब-करीब हर दिशा की ओर जाती हैं, इसलिये शहर में यातायात के सभी स्थानों से सीधी बसें चलाने में कोई आर्थिक लाभ दिखाई नहीं देता। हां, इतना जरूर सुनिश्चित किया जाता है कि स्थान-स्थान पर बसें बदलने की सुविधाएं अवश्य उपलब्ध हों।

जहां तक रूट नं० 50, जो सरोजनी नगर को सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट से जोड़ता है, की सेवाओं का प्रश्न है, कुछ ट्रिप नार्थ ब्लाक से भी चलाये जाते हैं और बाकी समय के लिये उद्योग भवना/कृषि भवन पर बसें बदलने की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं।

(ग) रूट नं० 50 की बसें सरोजनी नगर मार्केट और सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट/रीगल के बीच चलती हैं। क्योंकि नार्थ ब्लाक, सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट को जाने वाले यात्री बहुत नहीं होते, इसलिये नार्थ ब्लाक के लिये सरोजनी नगर मार्केट से सिर्फ चार ट्रिप ही चलाये जाते हैं, जबकि इस रूट पर 10.20 से 16.50 के बीच 15 ट्रिप चलाये जाते हैं। परन्तु, सरोजनी नगर मार्केट और रीगल के बीच चलने वाले अन्य सभी ट्रिप कृषि भवन पर सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट कम्पलैक्स से होकर गुजरते हैं। 10.20 से 16.50 बजे के बीच चलने वाले रूट नं० 50 की समय-सारणी का विवरण संलग्न है :

विवरण

रूट नं० 50 की समय-सारिणी (10.20 और 16.50 के बीच)

प्रातः रवानगी :			सायं रवानगी :		
सरोजनी नगर मार्केट से	रीगल से	सेक्रेटेरियट से	सरोजनी नगर मार्केट से	रीगल से	सेक्रेटेरियट से
10.30	10.57		16.15	16.42	
10.45	11.12		*16.22		16.49
11.40	12.07		16.30	16.57	
12.10	12.37		*16.37		17.04
12.45			16.45	17.12	
13.45	14.12				
14.45	15.12				
*15.52		16.19			
16.00	16.27				
*16.07		16.34			

*नार्थ ब्लाक, सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट के लिए।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अधिकार का स्थानान्तरण करने सम्बन्धी शक्ति

8668. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त का स्थानान्तरण करने के बारे में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की शक्ति मन्त्रालय द्वारा ले ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अनुसार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों और कतिपय अन्य अधिकारियों के सबंध में नियुक्ति प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार है। 1976 में सरकार ने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि क्षेत्रीय आयुक्तों को स्थानान्तरण करने की शक्ति का उपयोग उनके द्वारा किया जाए : तथापि, प्रशासनिक कारणों से 1978 में यह निर्णय किया गया कि क्षेत्रीय आयुक्तों का स्थानान्तरण सरकार द्वारा किया जाएगा और यह कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त जब कभी यह समझता है कि ऐसे स्थानान्तरण आवश्यक है तो वह सरकार को सुझाव दे सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर उपमार्ग का निर्माण करना

8669. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटावा नगर से 3 किलो मीटर पूर्व में एक रेलवे पुल का निर्माण करके इटावा नगर (उत्तर प्रदेश) से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 1 पर एक उपमार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाना है, और

(ग) इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) 1978-83 की आयोजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए रखे गये परिव्यय और सम्पूर्ण भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आशा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 में दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आसनसोल, कलकत्ता रोड पर इटावा बाईपास के निर्माण का काम (जिसमें टूंडला-कानपुर मेन ब्रांच गेज रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने का काम शामिल है) योजना की अवधि में मंजूर कर दिया जाएगा। इस समय जैसी स्थिति है, साधनों की कमी होने के कारण बाईपासों के निर्माण को जो मौजूदा सड़कों के स्थान पर होता है, कम प्राथमिकता दी जा रही है :

लोको रनिंग स्टाफ

8670. **श्री गंगाधर अप्पा बुराडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोको रनिंग स्टाफ के कितने कर्मचारियों की सेवायें आपात स्थिति के दौरान समाप्त कर दी गई थीं; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी जनता सरकार ने बहाल कर दिये तथा अब तक बहाल न हुए कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वैतरणा रेलवे स्टेशन

8671. **श्री लहानु शिडघा कोम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में वैतरणा स्टेशन पर स्थानक का निर्माण कर लिया गया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय वैतरणा स्टेशन पर एक छतदार प्लेटफार्म की व्यवस्था करने से है । इस स्टेशन पर रेल तल का 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल का एक छतदार प्लेटफार्म पहले ही मौजूद है ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टरों द्वारा रोगियों की उपेक्षा

8672. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल, 1979 के "डेकन क्रानिकल" में प्रकाशित भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो के प्रमुख डाक्टरों की रोगियों के प्रति उपेक्षा के सबंध में कथित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो के प्रमुख के मत से सहमत अथवा असहमत है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विद्यमान बुराइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क), (ख) और (ग) 10 अप्रैल, 1979 के 'डेकन क्रानिकल' अंक में प्रकाशित भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो के प्रमुख का कथित वक्तव्य स्वास्थ्य संबंधी अपर्याप्त आंकड़ों से संबंधित था, न कि रोगियों के प्रति डाक्टरों की उपेक्षा के सम्बन्ध में, तथापि वक्तव्य किस अधिकारी ने दिया, उसका मंत्रालय को पता नहीं है । भारत सरकार को स्वास्थ्य संबंधी अपर्याप्त आंकड़ों की जानकारी है और उसने विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सूचना पद्धति के कार्यात्मक पहलुओं की समीक्षा करने के लिए 5, 6, 7, फरवरी 1979 तक नई दिल्ली में स्वास्थ्य सूचना पद्धति पर एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित की । इस विचार गोष्ठी में राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य एजेन्सियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । इस विचार-गोष्ठी में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य सूचना पद्धति के कार्य में सुधार करने के बारे में विचार कर रही है ।

भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्तों का तबादला

8673. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या **संसदीय कार्य** तथा **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भविष्य निधि इन्स्पैक्टरों (ग्रेड-1) सहायक आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों को एक स्टेशन पर तीन वर्ष ठहरने पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तबादला किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो संगठन के केन्द्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्तों का केन्द्रीय कार्यालय में 15 वर्ष या इससे अधिक कार्य करने के पश्चात भी दिल्ली से बाहर तबादला क्यों नहीं किया जाता; और

(ग) केन्द्रीय कार्यालय में सेवारत सहायक आयुक्तों का तबादला करने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उनको अधिक समय तक वहां रखने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा इसमें कितना समय लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सूचित किया है कि :

(क) आमतौर पर भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-1) तथा इससे ऊपर की हैसियत के अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में प्रशासनिक अपेक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए किसी विशेष स्टेशन पर तीन वर्ष ठहरने के पश्चात् संगठन में विचार किया जाता है, (और)

(ख) संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में ऐसा कोई सहायक भविष्य निधि आयुक्त नहीं है, जो उस हैसियत में वहां 15 वर्ष से अधिक हो।

(ग) सरकार का विचार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सलाह देने का है कि वह लम्बी अवधि तक ठहरने वाले अधिकारियों के मामलों की पुनरीक्षण करें।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 'प्रिविलेज पास'

8674. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया रेलवेमैन फैडरेशन से दिनांक 24-9-1977 का पत्र संख्या ए० आई० आर० एफ०/82 (2202) प्राप्त हुआ है जिसमें तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष तीन सेट के स्थान पर छ सेट प्रिविलेज पास देने का अनुरोध किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के अधिकारियों के लिए वर्ष में छः प्रिविलेज पासों की संख्या घटा कर तीन करने का है जैसा कि तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में सिफारिश की गयी है और चौथी लोक सभा की प्राक्कलन समिति के 29वें तथा 67वें प्रतिवेदन में भी ऐसी सिफारिश की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) (ख) और (ग) रेल कर्मचारियों को उपलब्ध यात्रा सुविधाओं के मापदंड की समय-समय पर समीक्षा की गयी है। सभी रेल कर्मचारियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को

स्वीकृत सुविधा पासों की संख्या कम करने के प्रश्न पर हाल ही में विचार किया गया है लेकिन यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का निर्णय किया गया है ।

संसद सदस्यों के लिए राजनयिक पारपत्र

8675. **श्री भगत राम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1978 से अब तक कितने संसद सदस्यों ने राजनयिक पारपत्रों के लिये आवेदन किये;

(ख) आवेदनकर्ताओं के नाम तथा आवेदन देने की तारीख क्या है;

(ग) जिन लोगों को राजनयिक पारपत्र दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं; और

(घ) अन्य लोगों को राजनयिक पारपत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं और वे कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) 21 अप्रैल, 1979 तक 145 संसद सदस्यों ने राजनयिक पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है ।

(ख) और (ग) सूची संलग्न है ।

(घ) संसद सदस्य जब विदेश की यात्रा का निश्चय करते हैं और पासपोर्ट के लिए जब आवेदन करते हैं तब उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4371/79)

भवन निर्माण के लिये संस्थानों/अस्पतालों को अनुदान

8676. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे संस्थानों, अस्पतालों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत 3 वर्षों में अपने भवन बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है और उन संस्थानों की संख्या कितनी है जिनके लिए अनुदान मंजूर किये गये हैं और शेष संस्थानों के लिये अनुदान मंजूर किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) कितने संस्थानों ने अस्पताली गाड़ी तथा चिकित्सा उपकरणों की मांग की है और उनमें से कितने संस्थानों के लिये अस्पताली गाड़ी और चिकित्सा उपकरण मंजूर किये गये हैं; और

(ग) कितने संस्थानों ने अतिरिक्त पलंगों की मंजूरी देने का अनुरोध किया था और उनमें से कितने संस्थानों के लिये अतिरिक्त पलंगों की मंजूरी दी गई है और शेष की मांग स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में श्रेणी-1 के अवर चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति

8677. **श्री महीलाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कितने अवर श्रेणी-1 चिकित्सा अधिकारियों ने इसी ग्रेड में पाँच वर्षों से अधिक की लगातार सेवा पूरी कर ली है;

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में उनकी भावी पदोन्नति के सम्बन्ध में क्या सम्भावनायें हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार, जिन अवर श्रेणी-1 चिकित्सा अधिकारियों ने सात साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है, उन सबकों अगली पदोन्नति देने का है जिससे सेवा मे गतिरोध दूर किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) 772।

(ख) और (ग) इस ग्रेड में 5-7 वर्ष या इससे अधिक समय की सेवा पूरी कर लेने पर वरिष्ठ श्रेणी-1 स्केल में स्वत: पदोन्नति नहीं होती है और इसका विनियमन अधिकारियों की वरिष्ठता, उपयुक्तता के आधार पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के अनुसार किया जाता है, बशर्ते कि वरिष्ठ श्रेणी-1 स्केल में रिक्त पद उपलब्ध हों।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

स्वास्थ्य कर्मचारी

8678. **श्री छीतूभाई मामित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों पर राज्यों द्वारा नियुक्त किये गये ग्राम्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाओं का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) राज्यों द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षकों की सेवाओं का संतोषजनक ढंग से उपयोग किया जा रहा है। जिन मूल्यांकन दलों ने इस योजना के काम-काज का अध्ययन किया है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मीटर गेज लाइन के लिए इंजनों की कमी

8679. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि मीटर गेज लाइनों पर गाड़ियां चलाने के लिये इन्जनों तथा अन्य अपेक्षित उपकरणों की कमी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइनों के साथ-साथ पेड़ लगवाना

8680. **श्री किशोर लाल** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने अधिकार में फालतू भूमि पर रेलवे लाइनों के साथ पेड़ लगाने की योजनायें बनाई हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार किया जा सकता है कि 5 से 10 वर्षों तक जिस भूमि का कोई उपयोग नहीं किया गया है, अथवा उपयोग नहीं किया जाना है, उसका छोटे-से छोटा भाग भी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को वन लगाने के लिए सौंप दिया जाना चाहिए जो उन स्थानों पर पेड़ उगायेंगे, जिनका उपयोग बाद में रेलवे द्वारा अपने स्लीपर बनाने के लिए किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, रेल पथ के निकट की रेलवे की भूमि राज्य सरकारों के वन विभाग को निर्धारित शर्तों पर पेड़ लगाने के लिए सौंप दी जाती हैं, यदि राज्य सरकारें इसमें रुचि लेती हैं। इन नीति के अनुसरण में, भूमि का कुछ क्षेत्र, विशेष पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में, सम्बन्धित वन विभागों को सौंप दिया गया था। जहाँ कहीं राज्य वन विभाग रेलवे भूमि में वृक्ष रोपण के इच्छुक नहीं हैं, वहां रेल प्रशासन ने अपने आप इस काम को अपने हाथ में लिया है। राज्य वन विभाग को सौंपी गई रेखवे भूमि में रोपण किए जाने वाले पेड़ों की किसम उस विभाग के विवेक पर छोड़ दी गई है।

पश्चिम एशिया के देशों में पाकिस्तान की सैनिक अन्तर्ग्रस्तता

8681. **श्री बलदेव सिंह जसरोटिया** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम एशिया के देशों में पाकिस्तानी सैनिक अन्तर्ग्रस्तता का पता है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसकी इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) कितने देश पाकिस्तान की सेनाओं से सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा इसका ब्यौरा क्या है और इस तथ्य को देखते हुए यह प्रशिक्षण कब से ले रहे हैं कि पाकिस्तान चुपके से तीसरे विश्व का ऐसा देश बन गया है जिसने इस तरीके से सबसे अधिक संख्या में सैनिक नियुक्त किए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री (समरेंद्र कुण्डु) : (क), (ख) और (ग) : सरकार को यह मालूम है कि पश्चिम एशिया के कई देशों में पाकिस्तानी सैनिक कार्मिक उपस्थित हैं। इन देशों में स्थित पाकिस्तानी सैनिक कार्मिक इन देशों की रक्षा सेवाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं और कुछ मामलों में कुछ उपस्करों का संचालन भी करते हैं। पाकिस्तानी सैनिक कार्मिक दस वर्ष से भी अधिक अवधि से पश्चिम एशिया में रह रहे हैं और सरकार इसके निहितार्थों के प्रति सचेत है। सरकार ने आर्थिक, वाणिज्यिक, प्रौद्योगिक क्षेत्रों में भारत और पश्चिम एशिया के देशों के बीच विद्यमान मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं।

उड़ीसा में नई लाइनों का निर्माण

8682. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में नई रेल लाईनें बिछाने अथवा वर्तमान लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन करने अथवा इन कार्यों हेतु सर्वेक्षण करने के लिए कोई राशि नहीं खर्च की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1960 से, उड़ीसा में नयी लाइनों के निर्माण और सर्वेक्षण पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और जिन लाइनों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है, उनमें संबलपुर-टिटलागढ़ बिमलगढ़-किरिबुरु, कटकपारादीप, बौंडामुण्डा-पुर्नपानी रेललाइनें पूर्णत उड़ीसा में हैं और बैलाडिल्ला-कोटवलासा तथा रांची-राउरकेला रेल लाइनों का कुछ भाग उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य में जखपुरा और बांसपानी के बीच 56 करोड़ रुपए की लागत की एक नई रेल लाइन इस समय निर्माणाधीन है। जिन नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, उनमें कोरापुट और पार्वतीपुरम/रायगड़ा के बीच तथा तालचेर और सम्बलपुर के बीच रेल सम्पर्कों के सर्वेक्षण शामिल है। रुपसा-बांगरीपोसी छोटी लाइन के आमान परिघर्तन के लिए भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। अत: यह कहना सही न होगा कि उड़ीसा में नई लाईनों के निर्माण या उनके सर्वेक्षण पर कुछ खर्च नहीं किया जा रहा है।

अवैतनिक होम्योपैथिक सलाहकार

8683. **श्री के० लकप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में एक अवैतनिक होम्योपैथिक सलाहकार कार्यरत है,

(ख) यदि हां, तो होम्योपैथिक के लिए एक अवैतनिक सलाहकार रखने के क्या कारण हैं जबकि आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति के लिए पूर्णकालिक सलाहकार रखे गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक पूर्णकालिक होम्योपैथिक सलाहकार नियुक्त करने का है, और यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) होम्योपैथिक के विकास की वर्तमान अवस्था में इसके लिए एक पूर्णकालिक वेतन भोगी सलाहकार आवश्यक नहीं समझा जाता है। आयुर्वेद पद्धति अत्यधिक फैली हुई देशी चिकित्सा पद्धति है और इसका काम भी होम्योपैथी की अपेक्षा कहीं अधिक है।

यूनानी चिकित्सा पद्धति के काम को एक उप-सलाहकार देख रहे हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति भी इतनी अधिक नहीं फैली हुई है जितनी कि आयुर्वेद पद्धति फैली हुई है।

जनवरी 1979 में होम्योपैथी के लिए उप-सलाहकार का एक पूर्णकालिक पद बना दिया गया है।

जनसंख्या की वृद्धि दर

8684. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजनावधि (1978-83) के दौरान आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत में सुधार करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि दर कम करना आवश्यक है जिसके लिए परिवार कल्याण पर प्रदर्शनियां एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978 में ऐसी प्रदर्शनियों के मण्डप किन स्थानों में लगाए गए तथा प्रत्येक मामलों में कितना व्यय किया गया;

(ग) इसके लिए किस प्रचार माध्यम का उपयोग किया गया; और

(घ) मन्त्रालय ने वर्ष 1978-79 के लिए इस मद हेतु कितना धन आबंटित किया तथा वस्तुतः कितना व्यय हुआ और वर्ष 1979-80 के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) जिन जगहों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदर्शनियां लगाई गईं और उन पर कितना व्यय हुआ, इसका विवरण संलग्न है।

(ग) इन प्रदर्शनियों का प्रचार करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए, झंडे लगाए गए, सिनेमा स्लाइडों, दस्ती-पर्चों तथा लाउड-स्पीकरों का खुलकर प्रयोग किया गया।

(घ) 1978-79 के दौरान प्रदर्शनियों पर कुल 4.32 लाख रुपए खर्च आया। 1979-80 के लिए 9.25 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4372/79)

नये बातानुकूलित यानों की मरम्मत

8685. **श्री के० एस० परिभद्रप्पा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीछे हाल में ही बनाए गए वातानुकूलित यानों की जल्दी-जल्दी मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्थान पर पुराने वातानुकूलित यान लगाए जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो नए डिजाइन वाले वातानुकूलित यानों की जल्दी मरम्मत कराए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मस्जिद के लिए स्थान

8686. **श्री एफ० एच० मोहीसिन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली (कर्नाटक) की, उनकी हाल ही के दौरे में नमाज पढ़ने के लिये मस्जिद के निर्माण हेतु स्थान का आबंटन करने के बारे में उनको कोई अभ्यावेदन दिया गया था, और

(ख) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। पार्टी को सूचित कर दिया गया है कि हुबली स्टेशन पर रेलवे की कोई भी भूमि फालतू नहीं की जा सकती और यह कि इसके लिए वे नगर निगम अथवा राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करें ताकि उन्हें इस काम के लिए उपयुक्त भूमि का आबंटन किया जा सके।

चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये पंजीकृत व्यक्ति

8687. **श्री बलपत सिंह परस्ते** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के पदों में रोजगार पाने के लिये रोजगार कार्यालय (कर्जन रोड) कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में प्रतिदिन बहुत से व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 मे रोजगार कार्यालयों में कुल कितने व्यक्तियों के नाम लिखे गये हैं;

(ग) इनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो चुका है; और

(घ) क्या इसमें आदिवासियों को कोई प्राथमिकता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कैलेन्डर वर्ष 1978 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 16,890 थी। 1-1-1979 से 28-2-1979 तक पंजीकृत किए गए व्यक्तियों की संख्या 3,178 थी।

(ग) कैलेन्डर वर्ष 1978 के दौरान, कर्जन रोड रोजगार कार्यालय के द्वारा 823 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

1-1-1979 से 28-2-1979 की अवधि के दौरान, 172 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

(घ) आदिवासियों को उच्चतम सीमा में 5 वर्ष की आयु संबंधी छूट दी जाती है। उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए केवल उनके नाम ही भेजे जाते हैं। उनकी सामान्य वरिष्ठता के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों के लिए उनके नाम सम्प्रेषित भी किए जाते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संबंधी समिति

8688. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री के परामर्श से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति का ब्यौरा क्या है और उसके विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं। वैसे, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की प्राक्कलन समिति की 102वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जिसमें डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र भी शामिल है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के कार्य की जांच करने के लिए एक समीक्षा समिति नियुक्त की गई है।

(ख) समीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है :

1. श्री टी० ए० पाई, संसद सदस्य	अध्यक्ष
2. डा० वी० शंकरन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
3. डा० बी० एन० सिन्हा, अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद	,,
4. डा० एस० जे० मेहता, निदेशक, जसलोक अस्पताल, बम्बई	,,
5. डा० पी० शिवा रेड्डी, निदेशक, नेत्र विज्ञान संस्थान तथा सरोजिनी देवी नेत्र अस्पताल, हैदराबाद	,,
6. डा० एम० के० छेत्री, कन्सलटेंट एवं प्रोफेसर, डिपार्टमेंट आफ मेडिसिन, स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	,,
7. डा० के० एन० सिन्हा, अध्यक्ष, कामनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन, अहियापुर हाउस, साहित्य सम्मेलन रोड, कदमकुआ, पटना-800003	,,
8. श्री एन० एन० बोहरा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	सदस्य सचिव

जहां तक डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान संस्थान का संबंध है, नेत्र विज्ञानिकों के एक ग्रुप का गठन कर दिया गया है जो इस प्रकार है :

(1) डा० एम. के. मेहरा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, नेत्र विज्ञान विभाग, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	अध्यक्ष

(2) डा० आई. एस. राय, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,
नेत्र विभाग, मेडिकल कालेज, कलकत्ता

(3) डा० जे. एम. पावा, चीफ मेडिकल अफसर,
गांधी नेत्र अस्पताल, अलीगढ़

(4) डा० राज गुरु, प्रोफेसर और अध्यक्ष,
नेत्र विज्ञान विभाग, एस. सी. बी. मेडिकल
कालेज, कटक

(5) डा० पी. शिवा रेड्डी, नेत्र विज्ञान निदेशक,
नेत्र विज्ञान संस्थान एवं सरोजिनी देवी नेत्र
अस्पताल, हैदराबाद आयोजक

समीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

(ग) आशा है कि समीक्षा समिति इस रिपोर्ट को 30-9-1979 तक प्रस्तुत कर देगी ।

विवरण

समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

1. इस बात का मूल्यांकन करना कि संसद द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में यह संस्थान कहां तक सफल हुआ है ।

   (क) स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा की सभी शाखाओं में अध्यापक के पैटर्न का विकास करना ताकि भारत के सभी मैडीकल कालेजों और दूसरी तत्संबद्ध संस्थाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा का एक उच्च स्तर तैयार हो सके ।

   (ख) स्वास्थ्य क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक ही स्थान पर उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाओं को संजोना ।

   (ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्म निर्भरता प्राप्त करना ।

2. संस्थान के ग्रामीण तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों की परियोजना का मूल्यांकन कर इस बात का पता लगाना कि उनका निम्नलिखित से क्या संबन्ध है :

   (क) समाज को अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना;

   (ख) छात्रों को अधिकाधिक प्रेरित करना तथा

   (ग) रोगों का निदान करने और रोगियों का इलाज करने के लिए पुराने उपकरणों (लेस सोफिस्केटिड) का अधिकाधिक उपयोग करना ।

3. अनुसंधान के लिए संगठनात्मक ढांचे का मूल्यांकन करना और अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए कार्य का मूल्यांकन करना तथा इस बात का भी पता लगाना कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ।

4. संस्था द्वारा प्रदत्त की गई अस्पताली सेवाओं का मूल्यांकन करना और उस द्वारा

दिए जा रहे उपचार की क्वालिटी का पता लगाना और इस बात का भी पता लगाना कि क्या यह संस्था लोगों को उस स्तर की सेवाएं दे रही है जिनकी एक राष्ट्रीय संस्था से अपेक्षा की जाती है ।

5. संस्था के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य का मूल्यांकन करना और ऐसा करते समय यदि आवश्यकता पड़े तो उसके कार्य को युक्तिसंगत तथा सुचारु रूप से चलाना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके ।

6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/पी. जी. आई. चंडीगढ़ को यूनिवर्सिटी के पैटर्न के आधार पर पूर्ण स्वायत्तता देने संबंधी प्रश्न पर विचार करना, और ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना कि पी. जी. आई. चंडीगढ़ में लोगों के लिए सर्विस कम्पीनेंट नहीं है और इस प्रकार अधिनियमों में संशोधन करने का सुझाव देना ताकि केवल महत्वपूर्ण तथा नीति संबंधी मामले ही विभिन्न निकायों को भेजे जाएं तथा दिन-प्रतिदिन होने वाली प्रशासनिक समस्याओं को स्थानीय प्रशासन द्वारा ही सुलझाया जा सके ।

सफदरजंग अस्पताल और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एम्बुलेंस

8689. **श्री के० ए० राजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कितनी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल में लगभग सभी एम्बुलेंस गाड़ियां खराब पड़ी हैं जैसाकि दिनांक 16 जनवरी, 1979 के "टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित एक पत्र में बताया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उनकी मरम्मत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उनकी मरम्मत अब तक न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) सफदरजंग अस्पताल—5 (पांच)

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल—8 (आठ)

(ख) जी, नहीं ।

(ग), (घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

ग्रामीण सड़कों के लिये दिये गये अनुदानों का गुजरात राज्य द्वारा उपयोग न किया जाना

8690. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत अनुदानों का गुजरात सरकार ने पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुदानों का उपयोग न करने के राज्य ने क्या कारण बताये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) भारत सरकार को, राज्य सरकार से, जो इस मामले से संबंधित है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

परिवार पेंशन योजना की परिभाषा

8691. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 की परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत माता-पिता तथा आश्रित परिवार की परिभाषा में नहीं आते हैं; और

(ख) क्या परिवार की परिभाषा में माता-पिता तथा आश्रितों को सम्मिलित करने के लिए सरकार का विचार अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

"प्रोटेस्ट अगेंस्ट फाल बैंक वेजेज टू बीड़ी वर्कर्स" शीर्षक से समाचार

8692. **श्री बाला साहिब विरगो पाटिल** : क्या **संसदीय तथा कार्य श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "प्रोटेस्ट अगेंस्ट फाल बैंक वेजेज टू बीड़ी वर्कर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बीड़ी लपेटने वाले श्रमिकों द्वारा अपने नियंत्रण से बाहर करने से अपेक्षित संख्या में बीड़ी न लपेटे जाने पर भी उन्हें कुछ मजूरी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या समूचे देश में बीड़ी श्रमिकों को समान रूप से निर्वाह मजूरी देने का उपबंध करने पर जैसा कि उक्त एसोसिएशन के चेयरमैन ने सुझाव दिया था सरकार विचार कर रही है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) यह समाचार फाइनेन्शियल एक्सप्रेस दिनांक 21.3.1979 के बम्बई संस्करण द्वारा प्रकाशित किया गया ।

(ख) महाराष्ट्र बीड़ी उद्योग संघ का अभ्यावेदन महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी दरें (निर्वाह मजदूरी-दरें सहित) का निर्धारित करने का काम राज्य सरकारों का है । तथापि, केन्द्रीय सरकार इस संबंध में उनसे सम्पर्क बनाए हुए है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में डाक्टरों के वेतनमान

8693. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को शैक्षणिक अर्हताओं में अन्तर होने के कारण एक ही काम करने पर समान वेतन के सिद्धान्त की उपेक्षा करते हुए दो विभिन्न वेतन-मान मिल रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या मलेरिया नियंत्रण के उसी चिकित्सा विभाग में शैक्षणिक अर्हताओं को ध्यान में रखे बिना एक प्रकार की ड्यूटी के लिए समान पद के लिए समान वेतनमान दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रयोगशाला सहायकों के पदों के लिए दो अलग-अलग वेतनमान निर्धारित हैं अर्थात् मैट्रिकुलेटों के लिए 260-430 रुपये और नान-मैट्रिकुलेटों के लिए 225-308 रुपये।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदन पर इस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन की सिफारिशों के प्रकाश में विचार किया गया था। जिन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि चिकित्सा विभाग के प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक के वेतनमान के बराबर कर दिए जायें। इस पर वित्त मन्त्रालय से परामर्श लेकर विचार किया गया था, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ग) जी हाँ। मलेरिया तकनीशियनों के संबंध में भेजा है।

राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ करार

8694. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत ने सात राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ करार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और करार किस प्रकार के हैं और उनका दायरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जहां तक विदेश मंत्रालय को ज्ञात है, राष्ट्रमंडल के 3 देशों के साथ हाल ही में संधियां सम्पन्न हुई हैं।

(ख) सम्बद्ध देशों के नाम और संधियों के विषय नीचे लिखे अनुसार हैं :

(i) जाम्बिया : व्यापार करार जिस पर दिसम्बर, 1978 में हस्ताक्षर हुए।

(ii) मलयेशिया : आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध करार जिस पर जनवरी, 197: में हस्ताक्षर किए गए।

(iii) जाम्बिया : दोहरे कराधान से बचने के लिए करार जिस पर फरवरी, 1979 में हस्ताक्षर किए गए।

कोंकण लाइन के कर्मचारियों की मांग

8695. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स के कोंकण यूनिट के कर्मचारियों ने यह मांग की है कि मैसर्स चौगुले स्टीमशिप कंपनी द्वारा किये गये पुनरीक्षण के अनुसार उस सेवा की शर्तों का पुनरीक्षण किया जाये,

(ख) क्या मुगल लाइन्स के निदेशक बोर्ड ने सेवा शर्तों में तदनुसार पुनरीक्षण करना ठीक नहीं समझा और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या बोर्ड ने निर्णय किया था कि मुगल लाइन्स लि० की मुख्य लाइन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को कोंकण यूनिट के कर्मचारियों पर उसी दिन लागू किया जाये जब मैसर्स चौगुले स्टीमशिप द्वारा किये गये पुनरीक्षण के अनुसार शर्तों में पुनरीक्षण करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) मुगल लाइन्स के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का मत था कि मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स लिमिटेड जैसी प्राइवेट नौवहन कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के विषय में लिए गए किसी भी निर्णय का कोंकण सर्विस यूनि' के कर्मचारियों के साथ कोई संबंध नहीं होगा। जिसे अब मुगल लाइन लिमिटेड के साथ संबद्ध किया गया है।

(ग) मुगल लाइन लिमिटेड के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि जो सेवा-शर्तें उनकी मुख्य कंपनियों के कर्मचारियों पर लागू होती हैं, उन्हें कोंकण सर्विस के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया जाए। परन्तु, बाद में, बोर्ड ने इस मामले में पुनः विचार किया और यह निर्णय किया कि मुगल लाइन लि० का प्रबंध अपने कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के साथ कोई संबंध जोड़े बिना कोंकण सर्विस के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों की समीक्षा करने के प्रश्न पर विचार करे। कोंकण सेवा को चलाने में होने वाले लगातार भारी घाटे के कारण, कोंकण सेवा के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हां, उन्हें कुछ राहतें अवश्य दी गई हैं।

बारां रेलवे स्टेशन क व्यापारियों को वैगनों की सप्लाई

8696. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारां रेलवे स्टेशन के व्यापारियों को वैगनों की सप्लाई बन्द कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सप्लाई व्यापारियों को कब तक बहाल कर दी जायेगी;

(ख) 31 मार्च, 1979 से उक्त वैगनों की सप्लाई बन्द करने से रेलवे को कितनी हानि हुई और इस स्टेशन पर व्यापारियों का माल बुक करने सम्बन्धी वर्तमान क्या व्यवस्था है और माल की बुकिंग कब तक शुरू कर दी जायेगी, और

(ग) बारां रेलवे स्टेशन पर गोदाम कब तक तैयार हो जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) बारां रेलवे स्टेशन को माल डिब्बों की सप्लाई कुछ अवधि के लिए रोक दी गई थी क्योंकि छात्रों की एक भीड़ द्वारा स्टेशन की इमारत और माल गोदाम को जला दिया गया था। अब सप्लाई पुनः प्रारम्भ कर दी गयी है तथा इस स्टेशन पर माल डिब्बों का लदान हो रहा है। परन्तु छतदार स्थान उपलब्ध न होने के कारण फुटकर यातायात की बुकिंग अभी शुरू नहीं की गयी है। रेलों को कोई हानि नहीं हो रही है; क्योंकि उपलब्ध माल डिब्बों का अन्य स्टेशनों पर लदान के लिए उपयोग किया जा रहा है।

26-2-1979 के दंगों में क्षतिग्रस्त मालगोदाम तथा स्टेशन की इमारत में पुनः सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

बारां स्टेशन स्टोर में अग्निकाण्ड

8697. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जिला (राजस्थान) में बारां स्टेशन स्थित गोदाम में रखा माल एक आग दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्णतया जल गया था :

(ख) यदि हां, तो जल गये माल उसे हुई हानि तथा उस माल के मालिकों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप हुए कुल हानि का ब्यौरा एकत्रित कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को मुआवजे के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यद्यपि आवक माल गोदाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथापि जावक माल गोदाम तथा आवक पार्सल गोदाम को आग से क्षति पहुंची।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है। लगभग 1,25,000 रुपये मूल्य के माल को हानि पहुंची थी। रेल सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान लगभग 13 लाख रुपये है। माल के मालिकों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि रेलवे के सम्बद्ध रिकार्ड आग से जल कर नष्ट हो गये थे। क्षतिपूर्ति की कुल राशि तभी मालूम होगी जब सभी सम्बद्ध व्यक्तियों से दावे प्राप्त हो जायें और उनका निपटारा हो जाये।

(चलू)

विवरण

बुक किये गये जावक फुटकर माल को हुई हानि/क्षति का मोटा अनुमान

क्रम सं०	स्टेशन	स्टेशन को	बोरों की संख्या	वस्तु	चिह्न	क्षतिग्रस्त बोरों की संख्या	अनुमानित हानि (रुपयों में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	बारां	बड़ौदा मार्शलिंग यार्ड	51	चावल	613	1	100/-	
2.	बारां	कारनक ब्रिज	200	धनियां	607	108	6000/-	
3.	बारां	कारनक ब्रिज	5	चावल	523	कोई नहीं	—	
4.	बारां	बड़ौदा मार्शलिंग यार्ड	130	चावल	622	कोई नहीं	—	
5.	बारां	बड़ौदा मार्शलिंग यार्ड	108	चावल	632	4	400/-	चूंकि सभी रिकार्ड
6.	बारां	कारनक ब्रिज	98	धनियां	616	14	400/-	पूरी तरह नष्ट हो
7.	बारां	कारनक ब्रिज	112	चावल	619	54	4500/-	गये हैं अत: परेषणों
8.	बारां	पटना सिटी	129	चावल	562	69	5200/-	की संख्या तथा एक
9.	बारां	पटना सिटी	59	चावल	564	24	2000/-	परेषण में बोरों की
10.	बारां	अकोला	139	ज्वार	536	39	2300/-	संख्या का आकलन
11.	बारां	कारनक ब्रिज	151	धनियां	637	71	2400/-	परेषण के दुरुस्त
12.	बारां	नयी दिल्ली	31	खली	566	11	300/-	भाग पर पड़े रेलवे
13.	बारां	बड़ौदा मार्शलिंग यार्ड	76	चावल	609	28	1900/-	के चिह्नों के आधार
14.	बारां	कारनक ब्रिज	186	धनियां	636	84	2900/-	पर किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	बारां	जटाई बांध	11	चावल	620	3	200/-
16.	बारां	अलीगढ़ जंकशन	51	बनियां	590	36	1400/-
17.	बारा	जारंगडीह	4	चारकोल	मालूम नहीं	कोई नहीं	—
18.	बारां	साबरमती जनरल स्टोर साईडिंग	19	रेलवे सामान	246	कोई नहीं	—
19.	बारां	सागर और कांकरिया	247	बीड़ी की पत्तियां	मालूम नहीं	247	10,000/-
20.	बारां	बिना बुक किया हुआ	3	3 बंडल खाली बोरे*			
						जोड़	40,000/-

*(अग्रेषण नोट प्रस्तुत कर दियां गया था किन्तु रेलवे रसीद जारी होने से पहले ही यह घटना हो गयी)

गुजरात के सलाथा पत्तन को अधिक मात्रा में माल चढ़ाने वाला पत्तन बनाने के बारे में अनुरोध

8698. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में सलाया पत्तन को 'बल्क कारगो लोडिंग पोर्ट' (अधिक मात्रा में माल चढ़ाने वाला पत्तन) के रूप में बदला जाये तथा इसका विकास केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों अथवा मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सलाया पत्तन को अधिक मात्रा में माल चढ़ाने वाला पत्तन बनाये जाने पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा गुजरात राज्य सरकार को इस मांग को कब और किस प्रकार पूरा किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि सूखा भारी माल उतारने-चढ़ाने के लिए सलाया पोर्ट पर गहरे पानी में एक घाट बनाया जाए ताकि तट से दूर तेल टर्मिनल के लिए बनाई जा रही आधारभूत सुविधाओं से लाभ उठाया जा सके।

कांडला पोर्ट द्वारा 1977 में तैयार की गई योजना की मन्त्रालय में जांच की गई। जांच करने पर पता चला कि अनेक अनुमान, खासतौर पर माल के बारे में लगाए गए अनुमान वास्तविकता से कोसों दूर थे। तदनुसार पोर्ट से कहा गया कि वे इस योजना पर पुनर्विचार करें और जब 1978-83 योजनावधि के लिए नए प्रस्तावों का निर्माण किया जाए, तब इसे विचारार्थ पेश करें।

(ग) और (घ) 1978-83 की अवधि में कांडला पोर्ट के विकास के लिए निर्धारित की गई योजनाओं में से एक योजना यह भी है कि वाडीनार में (सलाया के नजदीक) 10 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर गहरे जल में एक घाट का निर्माण किया जाए जिसके लिए योजना आयोग फिलहाल 50 लाख रु० की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है। परन्तु, योजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करेगी कि योजना में कितना वजन है और उसमें आर्थिक अड़चनें वगैरह कितनी हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की असावधानी के कारण मृत्यु

8699. **श्री एस० एस० लाल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की असावधानी के कारण कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) अन्य राज्यों के परिवहन उपक्रमों की तुलना में अथवा कम से कम राजधानी जैसे ही बड़े शहरों की तुलना में इन आंकड़ों की क्या स्थिति है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उन व्यक्तियों की मृत्यु से है जो दिल्ली परिवहन निगम की बस-दुर्घटना में मारे गए। इस बारे में उल्लेखनीय है कि दिल्ली परिवहन निगम की बस-दुर्घटनाओं में (जिनमें अन्तर्राज्यीय रूटों पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसें भी शामिल हैं) 106 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। दुर्घटनाओं का हमेशा यही कारण नहीं होता कि वे आदमी की भूल से या मशीन की खराबी से ही हों। अधिकांश दुर्घटनाएं शहर में यातायात की संकुल स्थितियों के कारज होती हैं। घातक दुर्घटनाओं के सभी मामलों में, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली परिवहन निगम के चालकों का चालान किया है और मामले अभी भी अदालत में अनिर्णीत पड़े हैं। क्योंकि ये मामले अदालत में विचाराधीन हैं, इसलिए यह कहना कठिन है कि दिल्ली परिवहन निगम के चालकों की असावधानी के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ख) अन्य परिवहन उपक्रमों के वर्ष 1978-79 के दुर्घटना संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, दिल्ली परिवहन निगम सहित कुछ बड़े परिवहन उपक्रमों के वर्ष 1976-77 और 1977-78 में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	प्रति लाख कि. मी. पर बस-दुर्घटनाओं की संख्या			
	पल्लवन टी. सी. एल. (एम. एस.) मद्रास	बी. ई. एस. टी.	अहमदाबाद (एम. एस.)	दिल्ली परिवहन निगम
1976-77	2.30	9.96	2.55	1.87
1977-78	2.40	8.82	2.22	1.91

आदिवासी भत्ता

8700. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद की दोहद शाखा की ओर से गत चार महीनों के दौरान कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उन्होंने प्रोलैंड गंज कालोनी, दोहद के कर्मचारियों में आदिवासी भत्ता दिये जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर अभी तक कोई निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों, जिन्हें रेल कर्मचारियों के लिए भी अपनाया गया है, के अनुसार गुजरात राज्य में जिला पंच महल के दोहद तालुका में केवल 3

आदिवासी ब्लाक अर्थात् गरवाड़ा, भाठीवाड़ा, काठला आदिवासी भत्ते की स्वीकृति के लिए अर्ह हैं। फिर भी, गुजरात सरकार द्वारा इकट्ठी की जा रही सूचना के आधार पर वित्त मन्त्रालय द्वारा इस प्रश्न पर और आगे विचार किया जा रहा है।

केरल जाने वाले यात्रियों के लिये अहमदाबाद से आरक्षण

8701. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अहमदाबाद से केरल जाने वाले यात्रियों को केरल में अपने गन्तव्य स्थानों के लिए अरकोनम से आगे आरक्षण कराने में बहुत कठिनाई हो रही है और उन्हें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उन्होंने दो वर्ष पूर्व अहमदाबाद से नवजीवन रेलगाड़ी के उद्घाटन के अवसर पर यह आश्वासन दिया था कि केरल जाने वाले यात्रियों के लिए सीधा जाने वाला एक डिब्बा इस रेलगाड़ी में लगाया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कठिनाई को देखते हुए सरकार अपने वचन को पूरा करने के लिए कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसको कब कार्यरूप दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अरकोणम में केरल की ओर जाने वाले थ्रू यात्रियों के लिए 145 डाउन नवजीवन एक्सप्रेस और उससे मेल लेती 41 डाउन कोचीन एक्सप्रेस से दूसरे दर्जे की 50 शायिकाओं (35 अहमदाबाद के लिए और 15 बडोदरा के लिए) का कोटा आबंटित किया गया है। इन यात्रियों को अहमदाबाद/बडोदरा में 41 डाउन कोचीन एक्सप्रेस से अरकोणम से आगे का पक्का आरक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें असुविधा न हो।

(ख) से (घ) अहमदाबाद से केरल के लिए नवजीवन एक्सप्रेस गाड़ी में एक थ्रू सवारी डिब्बा लगाने की मांग, गाड़ी के उद्घाटन के समय प्राप्त हुई थी लेकिन इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया।

इन्दौर, भोपाल, आगरा के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाना

8702. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर, भोपाल, आगरा के बीच एक नई रेलगाड़ी चालू करने हेतु ग्वालियर चेम्बर्स आफ कामर्स द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गाड़ी चालू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये उक्त प्रस्ताव पश्चिम रेलवे के पास भेजा गया है; और

(ग) पश्चिम रेलवे को उक्त प्रस्ताव कब भेजा गया और इस पर कब विचार किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) ग्वालियर चेम्बर आफ कामर्स का अभ्यावेदन तुरन्त सुलभ नहीं है। किन्तु प्रस्ताव की जांच की गयी है। अक्तूबर, 1978

से मार्च, 1979 के दौरान हुई टिकटों की बिक्री के आधार पर इन्दौर तथा भोपाल से ग्वालियर/आगरा स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का दैनिक औसत केवल 19 रहा। यह भी पता चला कि इन्दौर तथा उज्जैन से ग्वालियर और उससे आगे आगरा फोर्ट तक प्रतिदिन औसतन 126 यात्री बस द्वारा यात्रा करते हैं। इन्दौर और ग्वालियर/आगरा फोर्ट के बीच एक सीधी गाड़ी या थ्रू सेवा कोच चलाने का न तो कोई औचित्य है और न यह परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक है।

इन्दौर और ग्वालियर के बीच तेज रफ्तार गाड़ी

8703. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर तथा ग्वालियर के बीच एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाने का एक प्रस्ताव रेलवे प्रशासन द्वारा किये गये पुराने यातायात-मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक यातायात मूल्यांकन क्या है और यह अन्ततः कब तैयार किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों स्थानों के बीच राज्य परिवहन की बसों द्वारा किये जा रहे यातायात को विचार में रखा है हालांकि उस क्षेत्र में डकैतियां होने के कारण उन बसों में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के असुरक्षित होने को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) अक्टूबर, 1978 से मार्च, 1979 के दौरान हुई टिकटों की बिक्री के आधार पर इन्दौर तथा भोपाल से ग्वालियर/आगरा स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों का दैनिक औसत केवल 19 रहा। यह भी पता चला कि इन्दौर तथा उज्जैन से ग्वालियर और उससे आगे आगरा फोर्ट तक प्रतिदिन औसतन 126 यात्री बस द्वारा यात्रा करते हैं। इन्दौर और ग्वालियर/आगरा फोर्ट के बीच एक सीधी गाड़ी या थ्रू सेवा कोच चलाने का न तो कोई औचित्य है और न यह परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक है।

शाजापुर और सारंगपुर के बीच स्टेशन

8704. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के गुना-माक्सी सेक्शन पर शाजापुर और सारंगपुर के बीच मध्य प्रदेश के पनवारी गाँव में रेलवे स्टेशन खोलने के लिए वहां के लोगों का अभ्यावेदन लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को पता है कि पनवारी गांव इस क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक केन्द्र है; और

(ग) यदि हां, तो निकट भविष्य में स्टेशन खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) सुनेरा-पीर खेड़ी और शाजीपुर स्टेशनों के बीच पानवाड़ी ग्राम में रेलवे स्टेशन खोलने के लिए पानवाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच से 26-7-78 और 4.2.79. तारीख के दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। 26.7.78 के अभ्यावेदन का उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 6.12.78. को दे दिया गया था। 4.2.79 के पत्र का उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा शीघ्र ही भेज दिया जायेगा।

(ख) रेल प्रशासन द्वारा की गई जांच से पता चला है कि पानवाड़ी डेढ़-दो हजार की आबादी वाली एक छोटी-सी बस्ती है।

(ग) पानवाड़ी स्टेशन पर हाल्ट स्टेशन खोलना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

बोंगांव बसीरहाट सेक्शन

8705. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के बोंगांव-बसीरहाट के लोग इस सेक्शन पर दोहरी लाईन की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में बसीरहाट के लोगों की ओर से बसीरहाट से सियालदह तक सीधी रेल-सेवा के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या सरकार वहां दैनिक यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बसीरहाट से सियालदह तक सीधी रेल सेवा आरम्भ करना चाहेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। बोंगांव-वारासत खंड की क्षमता में सुधार लाने के लिए, चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यों की मन्जूरी दी गई हैं :

1. तीन झंडी स्टेशनों (बीड़ा, अशोक नगर और ठाकुर नगर) का पार स्टेशनों में बदलाव करना;
2. हाबरा स्टेशन और बिजली गाड़ी रेकों को खड़ा करने के लिए अतिरिक्त लाइन की व्यवस्था; और
3. हाबरा और बोंगांव के बीच के खण्डों पर टोकन-रहित ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था।

इन निर्माण-कार्यों से यातायात की मौजूदा जरूरतें पूरी हो जायेंगी। उपर्युक्त कार्यों को ध्यान में रखते हुए, खंड पर दोहरी लाइन बिछाना इस समय आवश्यक नहीं समझा जाता।

(ख) जी हां ।

(ग) सियालदह और वसीरहाट/हसनाबाद के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार किया गया लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

(घ) से (ङ) बसीरहाट/हसनाबाद और बारासत के बीच के खंडों पर गाड़ियाँ भाप इंजन से चलाई जाती हैं । भाप इंजन से चलने वाली ऐसी गाड़ियों को सियालदह तक चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि ऐसी कार्रवाई से बारासत-सियालदह विद्युतीकृत खंड में लगातार तेज बिजली गाड़ियों के चालन में अस्तव्यस्तता आ जाएगी ।

भारतीय नौवहन व्यापार

8706. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व भर में नौवहन व्यापार को मन्दी को देखते हुए भारत में नौवहन व्यापार की स्थिति क्या है,

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या के हल के लिए नौवहन कम्पनियों को राहत ऋण दिए हैं,

(ग) यदि हां, तो ऐसे ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित मापदण्डों का तथा तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्योरा क्या है, और

(घ) किन-किन नौवहन कम्पनियों को कितनी-कितनी राशि के ऐसे ऋण दिए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) भाड़ा बाजार में तेज मन्दी आने के कारण, विश्व भर में नौवहन उद्योग को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । भारतीय नौवहन कम्पनियां तो दिवालिएपन की समस्या से जूझ रही हैं । भिन्न-भिन्न भारतीय नौवहन कम्पनियों पर इसका अलग-अलग असर हुआ है जो इस बात पर निर्भर करता है कि सम्बन्धित कम्पनी के पास कितने जहाज हैं और उसका कार्य किस प्रकार का है ?

(ख) और (ग) सरकार ने यह फैसला किया है कि आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त भारतीय नौवहन कम्पनियों को 31 मार्च, 1979 तक नीचे लिखी आर्थिक सुविधायें दी जा सकती हैं :

(1) विदेशी मुद्रा ऋण किस्तों के बदले 11 विदेशों से जहाज खरीदने की नई योजना के अन्तर्गत देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष से ऋण की व्यवस्था करना ।

(2) नौवहन विकास निधि समिति से ऋणों की किस्तों का वापस भुगतान करने के लिए तीन वर्षों की और छूट देना, और

(3) उन मामलों में जहां दिए गए ऋण की मूल राशि ऋण के लिए अधिकतम देय राशि से कम पड़ती हो, वहां पिछली खरीद के लिए अतिरिक्त ऋण देना, सहायता उस न्यूनतम राशि तक ही सीमित होगी जिसकी 31.3.79 तक की अवधि तक खर्च पूरे करने की आवश्यकता हो । ऐसी वित्तीय सहायता स्वीकृत करने से पूर्व सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनो का पिछला रिकार्ड स्वच्छ है

और प्रबन्ध कुशल है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कम्पनी सबल प्रयास करती है।

(घ) नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत सरकार ने अब तक नीचे लिखी राहतें स्वीकृत की हैं :

	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया	मुगल लाइन लिमिटेड
	(रु० लाखों में)	
(1) 1978-79 में नौवहन विकास निधि समिति के ऋणों का भुगतान करने में विलंब-काल की सुविधा देना।	1943.00	340.71
(2) एस. ए. एफ. ए. यू. एन. एस. के समतुल्य ऋणों में बदलना।	3182.00	83.60
(3) पिछले प्रस्तावों को पूरा करने के लिए दिये गये अतिरिक्त ऋण		323.59

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण सड़कें

8707. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण सड़क क्षेत्र के अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह के बजट में भारी कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के भीतर इस शीर्ष के अन्तर्गत कितने किलो-मीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायेगा;

(ग) वर्ष 1979-80 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में इस वर्ष कार्य आरम्भ किया जाएगा, प्रत्येक सड़क की लम्बाई क्या होगी, तथा अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(घ) क्या सी० पी० ओ० नाले पर पुल का निर्माण कार्य इस वर्ष आरम्भ किया जायेगा जैसा कि बार बार आश्वासन दिया गया है, यदि नहीं, तो इसके ब्यौरेवार कारण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन की 1978-83 योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, इस योजना के दौरान जिन ग्रामीण सड़क योजनाओं को आरम्भ किया जाना था, उनका ब्यौरा दे पाना सम्भव नहीं है। फिर भी, ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक योजना 1979-80 में 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि 1978-79 की वार्षिक योजना में 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय प्रशासन के छठी योजना के प्रस्तावों के अनुसार, इस योजनावधि के दौरान कुल 60 कि०

मी० लम्बी 30 ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 14 सड़कों का काम प्रगति में है। 1979-80 में चालू कार्यों के अलावा, कुछ नए कार्यों को भी चालू करने की संभावना है। योजना में जिन क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है, वे हैं : दक्षिणी अण्डमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अण्डमान, हैवलाक, बारातंग, कामोटी, टेरेआ और निकोबार द्वीपसमूह। सी० एफ० ओ० नाला पुल में निर्माण के लिये व्यवस्था छठी योजना (1978-83) के मसौदे में शामिल की गई है। परन्तु, काम शुरू होने में कुछ विलम्ब होने की सम्भावना है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने अभी इस बात पर फैसला करना है कि क्या स्थायी पुल बनाया जाये या अर्द्ध अस्थायी पुल। यह फैसला मामले की जांच पर ही निर्भर करता है। इस बीच स्थानीय प्रशासन बैलोय पुल उपकरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ताकि यथा शीघ्र संचार सुविधाएं चालू की जा सकें।

इन्दौर रेलवे स्टेशन पर खान-पान ठेका

8708. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर रेलवे स्टेशन पर खान-पान ठेका मैसर्स एच० आर० चोपड़ा एंड संस को वर्ष 1970 में दिया गया था;

(ख) क्या उपरोक्त स्टेशन पर खान-पान ठेकेदार श्री गोपाल कृष्ण गुरनानी के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसको उन्होंने कई बार रोकादेश दिया है और जिसकी ओर रेलवे की 38,981.17 रुपये की राशि अब भी बकाया है;

(ग) क्या श्री गुरनानी को इन्दौर स्टेशन पर स्टाल के बदले में लक्ष्मीबाई स्टेशन के लिए चाय स्टाल का ठेका दिया गया है; और

(घ) क्या रेल प्रशासन श्री गुरनानी के साथ ठेके को समाप्त नहीं कर सकता, यदि हां, तो क्या मैसर्स एच० आर० चोपड़ा एण्ड संस को गत 9 वर्षों के लिए मुआवजा दिया जाएगा अथवा किसी अन्य स्टेशन पर खान-पान का कोई बड़ा ठेका दिया जाएगा जिससे वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। सामिष भोजनालय का ठेका।

(ख) ठेकेदार श्री जी० के० गुरनानी के विरुद्ध कई शिकायतें थीं। जारी किया गया स्थगन आदेश 18.5.78 को इस मन्त्रालय द्वारा वापस ले लिया गया था। इस ठेकेदार की तरफ अभी भी 38,981.17 रुपए की राशि बकाया है।

(ग) जी हां।

(घ) श्री जी० के० गुरनानी का ठेका पहले ही समाप्त कर दिया गया है, किन्तु वह अनधिकृत रूप से भोजनालय चला रहे हैं और रेलवे द्वारा उनके विरुद्ध सम्पदा अधिकारी के समक्ष बेदखली का मामला चलाया गया है। मैसर्स एच० आर० चोपड़ा एण्ड सन्स के मामले की इस मन्त्रालय द्वारा जांच की जा रही है। किन्तु मैसर्स एस० आर० चोपड़ा एण्ड सन्स के पास

रेलों के अन्य ठेके भी हैं और वे अपने जीवन-यापन के लिए केवल इसी ठेके पर आश्रित नहीं है ।

जनरल मैनेजर पूर्वोत्तर रेलवे

8709. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

दयाराम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व जनरल मैनेजर के कार्य और अन्य पहलुओं के विरुद्ध उन्हें कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या उनका ध्यान 22 और 29 जनवरी, तथा 5 और 19 फरवरी, 1979 को गोरखपुर के हिन्दी साप्ताहिक 'बिस्मिल' में प्रकाशित जनरल मैनेजर के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों की ओर दिलाया गया है;

(ग) शिकायतों की जांच के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और रेलवे में ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व महाप्रबन्धक के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रशासनिक मामलों जैसे पदोन्नति आदि में कुछ व्यक्तियों के साथ पक्षपात किया है ।

(ख), (ग) और (घ) जी हां । सम्बन्धित रिपोर्ट की विषय-वस्तु की छानबीन की जा रही है । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित शिकायतों पर वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो छानबीन का परिणाम उपलब्ध होने के बाद कार्रवाई की जा सकती है ।

व्यापारिक नौवहन द्वारा संशोधन विधेयक के विरुद्ध हड़ताल

8710. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारिक नौवहन दूसरा संशोधन विधेयक, जिसमें जल परिवहन अधिकारियों को अपने कार्य का स्थान चुनने की स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण लगाया गया है, के विरुद्ध बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर हुई हड़ताल से कितनी हानि हुई है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का विचार समस्या का किस प्रकार समाधान करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) यह बता पाना मुश्किल है कि हड़ताल के कारण कितनी हानि हुई और उसके पूरे ब्यौरे क्या थे; क्योंकि ऐसी हड़ताल का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से असर पड़ता है । फिर भी, चूंकि हड़ताल अचानक ही शुरू हुई थी, इसलिए इसका सीधा असर भारतीय जहाजों के आने-जाने पर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर भीड़ जमा हो गई। करीब

75 जहाज—45 बम्बई में और 30 कलकत्ता में इस हड़ताल से प्रभावित हुए। कुछ नौवहन कम्पनियों ने भी खबर भेजी है कि उन्हें करीब 1.95 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

(ख) समुद्री बेड़े के अधिकारियों में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित व्यापार पोत (संशोधन) विधेयक के उपबन्धों के बारे में कुछ शंकाएं थीं। मेरीटाइम यूनियन आफ इण्डिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के बाद यह फैसला किया गया है कि सरकारी प्रतिनिधियों जहाज-मालिकों और मेरीटाइम यूनियन आफ इण्डिया के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाए जो उक्त संशोधन को क्रियान्वित कराने में समुद्री बेड़े के अधिकारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों पर विचार करने और उनके समाधान के लिए हल खोजेगी।

बिना टिकट यात्रा

8711. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में लोगों को बिना टिकट यात्रा करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ख) बिना टिकट यात्रा करने के लिए गत छह महीनों के दौरान कितने लोगों का चालान किया गया और जुर्माना किया गया;

(ग) क्या ऐसे लोगों को पकड़ने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस का बड़ा दल संगठित करके विशेष व्यापक जांच पड़तालें शुरू की जा रही हैं।

(2) राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं।

(3) निरन्तर गहन जांच पड़ताल करना, विशेषकर सड़क परिवहन द्वारा जांच पड़ताल करने वाली पार्टियों को गतिशील बनाना, जिनके साथ रेलवे सुरक्षा दल/पुलिस और रेलवे दंडाधिकारी रहते हैं।

(4) चलटिकट निरीक्षकों द्वारा साधारण वर्दी में गुप्त जाँच पड़ताल करना।

(5) मुख्यालय और मंडल टिकट जाँच दस्तों द्वारा मध्य-खंडों में गाड़ियों को रोक कर दलों को अदल-बदल कर जांच पड़ताल।

(6) एक रेलवे से टिकट जाँच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर भेजने की व्यवस्था।

(7) यात्रा करने वाली जनता, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग, के बीच बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध शिक्षाप्रद प्रचार करना।

(ख) 1.7.78 से 28.2.79 तक के 6 महीनों की अवधि में चलाए गए टिकट जाँच अभियानों के परिणामों का ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है :

(1) बिना टिकट अथवा गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या	10,10,131
(2) वसूल किए गए रेल प्रभार की राशि :	
(क) किराया	65,12,867 रुपए
(ख) अधिप्रभार	83,54,222 रुपए
(3) उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	1,22,788 ,,
(4) उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर जुर्माना किया गया	38779 ,,
(5) उन व्यक्तियों की संख्या जिनको जेल की सजा दी गई	75,576 ,,
(6) न्यायिक जुर्माने के तौर पर वसूल की गई रकम	7,94,491 रुपए

(ग) और (घ) टिकट जाँच तंत्र असन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है तथा बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ अभियान में कोई ढील नहीं आई है ।

नागपुर डिवीजन के नैनपुर शाखा के मामलों में विभागीय जांच

8712. **श्यामलाल धुर्वे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के नागपुर डिवीजन की नैनपुर शाखा के कितने मामले विभागीय जाँच के लिए उनके मन्त्रालय को प्रेषित किये गये हैं;

(ख) कितने मामलों में जाँच अभी तक पूरी नहीं की गई है; और

(ग) इन मामलों में किस निश्चित समय तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर मंडल को नैनपुर शाखा के सम्बन्ध में चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं । जिनमें से एक शिकायत रेल मंत्रालय को प्राप्त हुई है, जिसके बारे में जाँच पड़ताल पूरी हो गई है और उसके अन्तिम रूप से निपटारे की जांच की जा रही है ।

(ख) तीन ।

(ग) यद्यपि कोई निश्चित लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

नैरोगेज के दोषयुक्त इंजन

8713. **श्री श्यामलाल घ्रुवे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में नैनपुर लोको शेड के नैरोगेज के कितने रेल इन्जन दोष-युक्त हैं;

(ख) दोषयुक्त रेल इंजनों को काम में लायक बनाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है;

(ग) क्या रेल अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) रेल सम्पत्ति के 15% के हिसाब से बेकार हुए 4.5 रेल इन्जनों के लक्ष्य की तुलना में नैनपुर लोको शेड में छोटी लाइन के 30 रेल इन्जनों में से केवल 2 रेल इन्जन बेकार हुए हैं ।

(ख) इन दो रेल इन्जनों की मरम्मत के लिए बाजार से सामान खरीदे जाने की प्रतीक्षा है । इन इन्जनों को दो सप्ताह के भीतर फिर से काम लायक बनाया जा सकेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंहस्थ मेला

8714. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सिंहस्थ मेला" अवधि के दौरान यातायात सम्बन्धी मांग पूरी करने के लिए रेलवे ने किन किन व्यवस्थाओं की योजना बनाई है;

(ख) यात्रियों की मांग पूरी करने के लिए कितनी और विशेष गाड़ियां चलाई जायेंगी; और ;

(ग) विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने और उन्हें सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सिंहस्थ मेले के दौरान अतिरिक्त भीड़-भाड़ को कम करने की व्यवस्था उस समय के यातायात को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर और विशेष गाड़ियां चलाकर की जाती है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी विशेष गाड़ियां चलायी जाएंगी । आनुषंगिक सुविधाओं जैसे अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां, पीने के पानी की सुविधाएं, पूछताछ कार्यालय, शौचालय आदि की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ।

उगांडा से बाहर ले जाये गए भारतीयों की संख्या

8715. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री शंकर सिंह जी बाघेला :

डा० विजय मण्डल: क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1979 के इन्डियन एक्सप्रेस के पृष्ठ 10 पर प्रकाशित उस समाचार की ओर उनका ध्यान गया हैं, जिसमें कहा गया है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को उगांडा से बाहर ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है; और,

(ग) क्या ये व्यक्ति भारतीय मूल के उगांडा के नागरिक हैं अथवा उगांडा में काम कर रहे भारतीय नागरिक हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुमरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उगांडा में सुरक्षा की उस समय जो स्थिति थी उसको देखते हुए लगभग 250 भारतीय नागरिक जिसमें, उगांडा में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिक तथा उनके परिवार शामिल हैं, उस देश में 30 मार्च से 2 अप्रैल, 1979 तक कम्पाला स्थित भारत के हाई कमीशन की सहायता से लीबिया चले गए थे।

वियतनामी प्रतिनिधि मंडल का दौरा

8716. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

डा० विजय मण्डला : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ग) क्या उक्त प्रतिनिधि मंडल राजकीय था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) अखिल भारतीय शांति और एकता संगठन के निमन्त्रण पर वियतनाम की शांति समिति का चार सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में भारत की यात्रा पर आया था। इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे :

1. श्री फान अन्ह, संसद सदस्य।
2. श्री ड्येन कान्ह ले।
3. श्री ले दए वान।
4. श्री ड्येन वान लाग।

(ग) जी, नहीं।

रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

8717. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे 339 रेलवे स्टेशन हैं जिनके आसपास के क्षेत्रों में 1971 से बिजली है; परन्तु जिनका विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ है;

(ख) क्या रेलवे अभिसमय समिति ने मार्च, 1973 के अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि मंत्रालय ऐसे सभी स्टेशनों के विद्युतीकरण के लिये तत्काल कदम उठाए जहां पर आसपास के क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध है और रेल मन्त्रालय ने रेल अभिसमय समिति को इस प्रकार का आश्वासन भी दिया था;

(ग) क्या 146 रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण 1977-78 तक चरणों में पूरा किया जाना था; यदि हां, तो उनके (जोन-वार) क्या नाम हैं और उनके कार्य की प्रगति क्या है; और

(घ) ऐसे रेलवे स्टेशनों की (जोनवार) संख्या एवं नाम क्या हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है हालांकि उनके आसपास क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

जनकपुरी 'बी' ब्लाक में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय

8718. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जनकपुरी 'बी' ब्लाक में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं है;

(ख) क्या सरकार नई दिल्ली में जनकपुरी के ब्लाक 'बी' में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने वाली है;

(ग) यदि हां, तो उसे कब खोला जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) "ए" ब्लाक में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के अन्तर्गत ही जनकपुरी का "बी" ब्लाक आता है, क्योंकि यह इलाका इस औषधालय के निर्धारित तीन किलो-मीटर के घेरे में पड़ता है ।

कृष्ण नगर में स्वर्ण टाकीज से मद्रास होटल तक दिल्ली परिवहन निगम सेवा

8719. **श्री हलमुद्दीन अहमद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृष्ण नगर में स्वर्ण टाकीज से मद्रास होटल अथवा कनाट प्लेस तक बरास्ता राधेपुरी, जगतपुरी स्टाप आदि दिल्ली परिवहन निगम की एक शटल सेवा चलाने का है क्योंकि इन स्टापों से कनाट प्लेस आदि आने के लिए कोई दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा नहीं है और,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कृष्ण नगर में रूट 350 को स्वर्ण टाकीज से स्टेसमैन तक बरास्ता उक्त रूट आरम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) इस समय बरास्ता राधेपुरी और जगतपुरी के स्वर्ण टाकीज और कनाट सर्कस, मद्रास होटल के बीच सीधी बस चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । ऐसी कई बसें हैं जो शहादरा क्षेत्र में जमुना पार स्थित क्षेत्र को कनाट सर्कस के साथ जोड़ती हैं । परन्तु, कुछ क्षेत्रों की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है कि उन्हें कनाट सर्कस जाने वाले रूटों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता । निगम के लिए यह

भी सम्भव नहीं है कि वह शहर के सभी इलाकों के बीच सीधी बसें चलाने की व्यवस्था करें। स्वर्ण टाकीज को कनाट सर्कस के साथ पहले ही रूट नं० 340 द्वारा जोड़ा गया हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय और सीमापुरी के बीच चलता है। जगतपुरी और राधेपुरी को आई० टी० ओ० के साथ रूट नं० 312 और 320 की बसों द्वारा और कौड़ियापुल के साथ रूट सं० 201 की बसों द्वारा जोड़ा गया है। कनाट सर्कस तक जाने के लिए उक्त दोनों स्थानों पर बसें आसानी से मिल जाती हैं। रूट नं० 350 जो बरास्ता कृष्ण नगर के करौल बाग टर्मिनल और शहादरा को परस्पर जोड़ता है, को कहीं अन्यत्र नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि इस रूट की बस सेवाओं से घनी आबादी वाले अनेक इलाके लाभ उठा रहे हैं।

63 डाउन और 64 अपट्रेनों को बोड़दरा तक बढ़ाया जाना

8720. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 63 डाउन/64 अप लखनऊ-कोटा 'अवध एक्सप्रैस' को बड़ोदरा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से;

(ग) अप और डाउन गाड़ियों में दाहोद के लिए 2/3 टायर और प्रथम श्रेणी के डिब्बों में कितना कोटा रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना

8721. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977 और 1978 में एक या अधिक सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) यदि इस भागीदारी का कोई परिणाम निकला है और उससे लाभ प्राप्त हुआ है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार ने वर्ष 1977 और 1978 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी कोई नई योजना प्रारम्भ नहीं की। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्यों के साथ-साथ 500 श्रमिक या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करने वाली निर्माणकारी और खनन यूनिटों के उद्योग में शाप फ़्लोर तथा प्लांट स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी स्वैच्छिक योजना को अक्तूबर, 1975 में प्रारम्भ किया गया था। इसका कार्यान्वयन चल रहा है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 842 यूनिटों/शाखाओं ने साप फ्लोर तथा प्लांट स्तरों पर योजना को शुरू किया है।

(ग) किसी प्रकार का अखिल भारतीय विश्लेषण नहीं किया गया है। तथापि, रिपोर्टों से पता चलता है कि योजना के कार्यान्वयन में सीमित सफलता हुई है।

राजधानी में अस्पताल

8722. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और दिल्ली स्थित अनेक अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों और नर्सों की संख्या कुल मिलाकर पर्याप्त है, तथापि सभी मजबूरियों को देखते हुए आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या का मूल्यांकन किया जाता है और अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत दिया जाता है।

रेलवे के लिए आटोमोबाइल वाहन

8723. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन, निर्माण संगठन एककों तथा रेलवे बोर्ड नियंत्रित एककों में सभी वर्गों के कितने आटोमोबाइल वाहन हैं तथा उनकी लागत क्या है;

(ख) भारतीय रेलों के अधिकारियों को किस-किस प्रकार तथा किस प्रयोजन हेतु वाहन उपलब्ध किए जाते हैं;

(ग) क्या गोरखपुर, अनुसन्धान डिजाइन वैज्ञानिक संगठन, लखनऊ, चितरंजन लोको-मोटिव वर्क्स, आदि जैसे स्थानों पर जहां पर एक ही क्षेत्र में बहुत से अधिकारी नियुक्त हैं वहां पर अधिकारियों द्वारा इस दिखावे के साथ कि उनके अपने वाहन हैं, भारी संख्या में वाहनों का उपयोग किया जाता है; और

(घ) क्या वह भावी 10 वर्षों के लिए आटोमोबाइल की खरीद पर प्रतिबन्ध लगायेंगे और ऐसे स्थानों से जहां ये जरूरी नहीं उनको वापस लेकर नये निर्माण स्थलों पर उनको आबंटित करेंगे यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (शिव नारायण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख), (ग) और (घ) अधिकारियों के लिये यात्रा के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं—जैसे स्टाफ कारें और जीपें। अधिकारियों द्वारा इन वाहनों का इस्तेमाल सरकारी प्रयोजनों

के लिए होता है। चूंकि ये वाहन सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होते हैं इसलिए, अधिकारियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में इन वाहनों के दिखावे का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

27.5.77.को, वित्त मन्त्रालय ने स्टाफ कारों के वर्तमान बेड़े में वृद्धि के प्रस्तावों की सूक्ष्म समीक्षा और उनके इस्तेमाल पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं। रेल मन्त्रालय द्वारा इन निर्देशों को जारी कर दिया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्टाफ कारों की खरीद/स्टाफ कारों के बदलाव के प्रत्येक प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी हालत में दी जाती है जब वृद्धि/बदलाव की आवश्यकता अपरिहार्य समझी जाय।

निर्माण संगठन के लिये वाहनों की व्यवस्था करने के लिये पहले ही ये निर्देश वर्तमान हैं कि वाहनों की संख्या में और वृद्धि न की जाये और जो संख्या 1-6-77 को थी उसे वहीं पर अवरुद्ध कर दिया जाए। इससे ऊपर किसी भी वृद्धि के लिए सविस्तार औचित्य बताया जाए और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की सहमति लेकर महाप्रबन्धक से वैयक्तिक स्वीकृति प्राप्त की जाए। आगे, यह प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया है कि किसी परियोजना के पूरा हो जाने पर, फालतू हुए वाहनों का निबटारा कर दिया जाये। उन्हें न तो संगठन में रोके रखा जाये और न ही चालू लाइन को अन्तरित किया जाये।

उपर्युक्त निर्देश जिनका अभिकल्पन किफायत सुनिश्चित करने के लिये किया गया है; पर्याप्त हैं और कोई निर्देश जारी करना उपयुक्त नहीं समझा जाता।

कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के हड़ताली जनरल परपस मजदूरों की मांग

8724. **श्री० सी० आर० महाटा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के हड़ताली जनरल परपस मजदूरों को राजदां मध्यस्थ पंचाट के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रत्येक को 500 रु० तदर्थ नियुक्ति की मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) अपनी राजदां पंचनिर्णय का अन्तिम निर्णय लिया जाने तक सामान्य कार्य मजदूरों और कलकत्ता गोदी कर्मकार मजदूर बोर्ड के कुछ श्रेणियों के कर्मकारों ने 500/- (पाँच सौ रुपए) के तदर्थ अग्रिम भुगतान की मांग की। सरकार ने मांग को ठीक नहीं समझा अर्थात उनकी तदर्थ मांग को स्वीकार नहीं किया गया। परन्तु इस बात पर सहमति हो गई कि इन श्रेणियों को पंचाट के लागू किया जाने के लिए पंच निर्णय के लिए भेजा जाए। विषय की शर्तों और मध्यस्थ के नाम को अभी तय किया जाना है।

बिना टिकट यात्रा

8725. **प्रो० समर गुह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में बिना टिकट यात्रा में बहुत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या तथ्य हैं; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध संकेंद्रित अभियानों के फलस्वरूप, अधिक से अधिक व्यक्ति बुकिंग खिड़कियों से टिकट खरीद रहे हैं और बिना टिकट यात्रा उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। 1.4.78. से 28.2.79 की अवधि के दौरान बेचे गए टिकटों की सं० 33,346 लाख हो गई थी जबकि पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि में यह संख्या 31,863 लाख थी। इस प्रकार इसमें लगभग 1,483 लाख या 4.65 प्रतिशत टिकटों की वृद्धि हुई है।

(ग) भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जाँच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस का बड़ा दल संघठित करके विशेष व्यापक जांच पड़तालें शुरू की जा रही हैं।

(2) राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं।

(3) चलटिकट निरीक्षकों द्वारा साधारण वर्दी में गुप्त जांच पड़ताल करना।

(4) निरन्तर गहन जांच पड़ताल करना, विशेषकर सड़क परिवहन द्वारा जांच पड़ताल करने वाली पार्टियों को गतिशील बनाना जिनके साथ रेलवे सुरक्षा दल/पुलिस और रेलवे दन्डाधिकारी रहते हैं।

(5) मुख्यालय और मण्डल टिकट जांच दस्तों द्वारा मध्य खण्डों में गाड़ियों को रोक कर दलों को अदल-बदल कर जांच-पड़ताल।

(6) एक रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर भेजने की व्यवस्था।

(7) यात्रा करने वाली जनता विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के बीच बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध शिक्षा प्रचार करना।

पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के लिये रेलवे ब्रिगेड

8726. **श्री के० प्रधानी :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइन बिछाने के लिये रेलवे ब्रिगेड बनाने और उसका प्रयोग करने के बारे में अध्ययन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में रेल निर्माण के लिए ब्रिगेड बनाने के प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

नौवहन कम्पनियों की कठिनाइयों का अध्यन न करने के लिए समिति

8727. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन कम्पनियों की कठिनाइयों का, विशेष रूप से उन कम्पनियों की कठिनाइयों का जिनके पास छोटा जहाजी बेड़ा है, अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय किया हूं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समिति गठित करने का आधार क्या था;

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या निश्चित उपाय किए हैं कि छोटे जहाजी बेड़े वाली इन कम्पनियों को मदद दी जाए।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) सरकार ने मौजूदा ढांचे के संदर्भ में जहाज उद्योग में समस्याओं और प्रबन्ध की कठिनाइयों के उपलब्ध विकल्पों की जांच करने और यदि आवश्यक समझा जाय, ढांचे में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार अन्तिम निर्णय लेगी।

(ग) समिति के गठन को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

(घ) सरकार द्वारा घोषित की गई पैकेज सहायता का आशय सभी कम्पनियों के 31 मार्च, 1979 की रोकड़ की कमी को पूरा करने का है, बशर्ते कि वे सहायता के लिए सभी मानदण्डो की पूर्ति करती हों।

कश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में उल्लेख

8728. **श्री पी० राजपोपाल नायडू :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के एक दस्तावेज में काश्मीर का उल्लेख एक ऐसे क्षेत्र के रूप में किया गया है जहां के लोगों ने आत्म-निर्णय के अपने अधिकारों का प्रयोग अभी तक नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त उल्लेख पर आपत्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क), (ख) और (ग) 6 दिसम्बर, 1978 को लोकसभा में दिये गये वक्तव्य के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने महासचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें उक्त संयुक्त राष्ट्र प्रलेख में जम्मू और काश्मीर के समावेश के लिए आपत्ति की थी और उस प्रलेख के मूलपाठ के साथ उक्त पत्र संलग्न करने के लिए कहा था। हम इस विषय पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ

8729. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों को, जो कर्मचारी भविष्यनिधि तथा विकिन उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत परिवार पेंशन योजना में अंशदान देते हैं, परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा दिये गये अंशदान का बराबर लाभ मिल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ ये हैं :—

(i) परिवार पेंशन,

(ii) जीवन बीमा,

(iii) सेवा-निवृत्ति लाभ; और

(iv) धन निकालने का लाभ ।

वास्तविक लाभ की मात्रा हर मामले में भिन्न-भिन्न होती है, जो कि विभिन्न कारकों अर्थात् सेवा में आने की आयु, संगणनीय सेवा अवधि, कर्मचारी का वेतन आदि पर निर्भर करती है ।

तम्बाकू तथा अभ्रक खनन उद्योग में भविष्यनिधि के अंशदान में अन्तर

8730. **श्री पी० राज गोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू उद्योग मे भविष्यनिधि के अंशदान की दर क्या है;

(ख(अभ्रक खनन उद्योग में भविष्यनिधि के अंशदान की दर क्या है; और

(ग) यह अन्तर रखे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) तम्बाकू उद्योग के संबंध में भविष्यनिधि अंशदान की दर मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ते का, जो इस समय प्रत्येक कमंचारी को दिया जा रहा है, सवा छः प्रतिशत है । मंहगाई भत्ते में खाद्य रियायत का नकद मूल्य तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है ।

(ख) 28 फरवरी, 1973 से अभ्रक खानों के ऐसे प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनमें 50 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, अंशदान की सांविधिक दर मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ते को, जो इस समय प्रत्येक कर्मचारी को दिया जा रहा है, बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई हैं । मंहगाई भत्ते में खाद्य रियायत का नकद मूल्य तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है । परन्तु 50 व्यक्ति से कम नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में ऐसे अंशदानों की दर सवा छः प्रतिशत ही है ।

(ग) कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन भविष्य-निधि अंशदानों की सामान्य दर सवा छः प्रतिशत है। परन्तु केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, किसी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी में इस दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। आवश्यक जांचों के पश्चात्, 50 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली अभ्रक खानों के संबंध में अंशदान की दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

इन्दौर स्टेशन पर खान-पान की स्टालें

8731. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर स्टेशन (मध्य प्रदेश) में खान-पान की कितनी स्टालें चल रही हैं, उनमें से कितनी स्टालें अनधिकृत रूप से चलाई जा रही हैं तथा कब से और इस कारण रेलवे को प्रतिवर्ष कितनी हानि हो रही है;

(ख) क्या खान-पान के अनधिकृत विक्रेताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती क्योंकि उनके मामले न्यायालयों में अनिर्णित पड़े हैं, यदि हां, तो उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मामले अनिर्णित पड़े हैं तथा किस-किस तिथि से अनिर्णित पड़े हैं।

(ग) क्या ये ठेकेदार पैसे के बल पर अपनी अनधिकृत स्टालें चला रहे हैं जिसे वह हर महीने इन्दौर स्टेशन के अधिकारियों को देते हैं; और

(घ) क्या मन्त्रालय इन मामलों की जांच का आदेश देगा तथा अनधिकृत ठेकेदारों को हटाएगा और अन्य गरीब लोगों को स्टालों का आबंटन करेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इन्दौर स्टेशन में पांच जल-पान स्टाल, एक पान बीड़ी स्टाल और एक सामिष भोजनालय है। अक्तूबर, 1977 से एक संलग्न स्टाल सहित सामिष भोजनालय अनधिकृत रूप से चलाया जा रहा है। अन्य दो जलपान स्टाल न्यायालय के स्थगन आदेश के अन्तर्गत 1976 से अन्य दो ठेकेदारों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस लेखे में लाइसेंस फीस आदि के रूप में केवल 13,994 रु० की वार्षिक हानि हुई है।

(ख) रेल प्रशासन द्वारा अनधिकृत ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। संलग्न स्टाल सहित सामिष भोजनालय चलाने वाले ठेकेदार श्री जी. के. गुरनानी की अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनवरी, 1978 में खारिज कर दी थी। लेकिन ठेकेदार ने सामिष भोजनालय खाली नहीं किया, इसलिए रेलवे ने सम्पदा अधिकारी के समक्ष बेदखली की याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई की अगली तारीख 28-4-1979 है। न्यायालय के स्थगन आदेश के अन्तर्गत मैसर्स चोरडिया एण्ड कंपनी और मैसर्स लज्जाराम एण्ड सन्स एक-एक जलपान स्टाल 1976 से चला रहे हैं। ये मामले रेल प्रशासन द्वारा लड़े जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं। जैसा कि ऊपर भाग (ख) में उल्लेख किया गया है, इन ठेकेदारों के मामले न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) में उल्लेख किया गया है, रेल प्रशासन पहले से ही

मामलों का विरोध कर रहा है और न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जायेगी।

भारतीय नागरिकों का राष्ट्रमण्डल देशों में प्रवेश

8732. **श्री एड्आर्डो फैलीरो** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राष्ट्रमण्डलीय देशों, विशेषकर ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा भारतीय नागरिकों के प्रवेश के बारे में कठोर नियम है, जबकि उन देशों के नागरिक निर्बाध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए तथा राष्ट्रमण्डल के देशों के इस विचित्र ढंग को ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) यात्रियों और आप्रवासियों में अन्तर अवश्य किया जाना चाहिए। आस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले भारतीय यात्रियों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यूनाइटेड किंगडम जाने वाले यात्री, यदि वे चाहें, तो प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु यह बाध्यकारी नहीं है। इन देशों से भारत आने वाले यात्रियों को वीजा के बिना प्रवेश करने दिया जाता है।

आप्रवासियों के संबंध में प्रत्येक देश की अपनी नीति एवं नियंत्रण होता है जो आन्तरिक स्थितियों पर निर्भर करता है।

रेलवे बोर्ड का हिन्दी निदेशालय

8733. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के हिन्दी निदेशालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है जबकि हिन्दी का काम उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या रेलवे में हिन्दी कार्य के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त पद बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास गत एक वर्ष से अनिर्णीत पड़ा है और इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया;

(ग) क्या नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध के कारण हिन्दी निदेशालय में पिछले कई वर्षों से पद रिक्त पड़े हैं तथा अविलम्बनीय कार्य का निबटान करने के लिए अन्य विभागों से बुलाये गये व्यक्तियों को वापस भेजा जा रहा है तथा उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक प्रबन्धक नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए रेल मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहें हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे बोर्ड कार्यालय के हिन्दी निदेशालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) रेलों पर हिन्दी के काम के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त राजपत्रित और अराजपत्रित पदों के सृजन के सम्बन्ध में पहले ही विनिश्चय किया जा चुका है :

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर वरिष्ठ वेतनमान का एक-एक पद,

(2) क्षेत्रीय रेलों के विभिन्न मंडलों पर श्रेणी ii के 25 पद और डीजल रेल इंजन कारखाना में एक पद, तथा

(3) 200 अराजपत्रित पद । 200 अराजपत्रित पदों और श्रेणी-ii के 25 पदों के लिए स्वीकृति जारी की जा रही है और वरिष्ठ वेतनमान के पदों का प्रस्ताव वित्त मन्त्रालय के अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है ।

(ग) हिन्दी निदेशालय में कोई भी पद खाली नहीं पड़ा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी स्टेनोग्राफर

8734. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में हिन्दी स्टेनोग्राफरों की कमी के बावजूद हिन्दी टाइपिंग तथा शार्टहैंड में प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी का काम नहीं दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रशिक्षण पर किया गया व्यय बेकार जाता है,

(ख) क्या वर्ष 1976-77 से 1977-78 में हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण के लिये कुछ क्लर्कों टाइपिस्टों को भेजा गया था,

(ग) क्या इन कर्मचारियों को उनके विभागाध्यक्षों द्वारा इस आशय के प्रमाणपत्र जारी किये गये कि उनकी सेवाओं का कार्यालयों के काम में उपयोग किया जायेगा और स्टेनोग्राफरों के पद के लिये पात्र होंगे,

(घ) यदि हां, तो उन सफल प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्टेनोग्राफरों के पदों पर पदोन्नत किया गया है, और

(ङ) यदि उनकी कोई पदोन्नति नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं । जब कभी आवश्यकता पड़ती है उनकी सेवाओं का हिन्दी के काम के लिए उपयोग किया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, सरकारी काम में उनके हिन्दी आशुलिपि के ज्ञान का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा और वे चयन के लिए वर्तमान नियमों के अन्तर्गत स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(घ) कोई नहीं । क्योंकि उन्हें प्रवरण के बाद अपनी पारी का इन्तजार करना होगा ।

(ङ) 330-560 रुपये (सं० वे०) ग्रेड में स्टेनोग्राफरों का पैनल बनाने के लिए जब कभी चुनाव किया जायेगा तो वे इन पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे और उनकी पदोन्नति सफल उम्मीदवारों की वरीयता क्रम के आधार पर नियमित की जायेगी ।

संशोधित (1977) फार्मेसी अधिनियम, 1948 का क्रियान्वयन

8735. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार संशोधित (1977) फार्मेसी अधिनियम, 1948 को 30-9-1981 से क्रियान्वित करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिनियम की धारा 42 के अनुसार पंजीकृत फार्मेसिस्टों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को औषधियों का मिश्रण करने अथवा उन्हें जनता को बेचने की मनाही है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि देश में पंजीकृत पर्यवेक्षकों की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो (1) पंजीकृत फार्मेसिस्टों की कमी दूर करने और (2) निकट भविष्य में विक्रेताओं और जनता को होने वाली संभावित असुविधा को टालने के लिये उक्त अधिनियम के उपबन्धों में किसी सीमा तक ढील देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 1976 पहली सितम्बर 1976 से लागू हुआ था।

(ख) यथा-संशोधित फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 42 के परन्तुक के अनुसार यदि किसी राज्य सरकार ने कोई तारीख नियत न की हो तो 31 अगस्त, 1981 के बाद एक पंजीकृत फार्मेसिस्ट के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति किसी चिकित्सक के नुसखे पर किसी औषधि का न तो संयोजन कर सकेगा, न तैयार कर सकेगा, न मिश्रित अथवा वितरण कर सकेगा।

(ग) कैमिस्ट और ड्रगिस्ट के एसोसिएशनों तथा राज्य सरकारों से फार्मेसिस्टों की कमी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) भारतीय फार्मेसी परिषद ने फार्मेसी में डिप्लोमा प्रदान करने संबंधी पढ़ाई की अवधि में छूट दे दी है और औषधियां बनाने में दो वर्ष का अनुभव रखने वाले मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्ति अब एक वर्ष का पाठ्यक्रम कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी विश्व विद्यालयों को फार्मेसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अनुदान की पेशकश करता रहा है। अपने-अपने राज्यों में फार्मेसिस्टों के प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय करने हेतु राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है। सरकार इस बात पर फिर से जांच कर रही है कि क्या फार्मेसी अधिनियम की धारा 42 का प्रवर्तन स्थगित कर दिया जाए अथवा नहीं।

ठेका श्रमिकों की छुट्टियों और चिकित्सा सहायता की सुविधायें दिया जाना

8736. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के नियमित श्रमिकों की तरह ठेका श्रमिकों को सवेतन छुट्टियों और चिकित्सा सहायता जैसी सुविधायें देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ये सुविधायें गैर-सरकारी क्षेत्र में भी दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क), (ख) और (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और इसके अन्तर्गत बनाए गए ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में ठेका श्रमिकों के लिए प्राथमिक सहायता सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है, चाहे वे अधिनियम की परिधि में आने वाले सरकारी या निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नियोजित हैं। उपर्युक्त केन्द्रीय नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की परिधि में आने वाले सरकारी या निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के ठेका श्रमिक उसी प्रकार का कार्य या समान कार्य करते हैं, जो कि प्रतिष्ठान के मूल नियोजक द्वारा सीधे रूप से नियोजित श्रमिकों द्वारा किया जाता है। ठेकेदार के श्रमिकों की छुट्टियां, कार्य घण्टे तथा अन्य सेवा शत वही होंगी जो कि प्रतिष्ठान के मूल नियोजक द्वारा उसी प्रकार के कार्य या समान कार्य के लिये सीधे रूप से नियोजित श्रमिकों की होगी।

कासगंज-एटा रेलवे लाइन

8737. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश क्षेत्र में किन-किन नई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण किया गया है अथवा किये जा रहे हैं और पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे में प्रत्येक परियोजना की लागत क्या है; और

(ख) क्या उनका विचार पूर्वोत्तर रेलवे में कासगंज को उत्तर रेलवे में एटा के साथ जोड़ने वाली ब्राड गेज सम्पर्क लाइन का उपबन्ध करने हेतु सर्वेक्षण कराने तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने का है जिससे कि उस क्षेत्र की जनता की मांग पूरी हो सके ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कासगंज और एटा के बीच बड़े आमान की रेलवे लाइन के प्रस्ताव का 1970 में सर्वेक्षण किया गया था तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना को वित्तीय रूप से अर्थक्षम नहीं पाया गया।

विवरण

(I) **उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण की गई परियोजनायें :**

	नयी लाइनें		लम्बाई (कि. मी. में)	निर्माण की लागत (करोड़ रु० में)
1.	बड़ौत-छपरौली	ब. ला.	15.89	2.5
2.	फर्रुखाबाद-शाहजहांपुर गोला गोकरनाथ,	ब. ला.	153.321	62.82
	वैकल्पिक मार्ग सहित मैलानी तक	ब. ला.	154.035	63.78

3.	दोहरीघाट-सहजनवा	ब. ला.	67.52	13.27
4.	नौतनवा-सनौली	मी. ला.	7.5	0.60
5.	माधोगंज-औहदपुर	ब. ला.	26.87	3.50
6.	कासगंज-एटा	ब. ला.	30.00	1.89
	आमान-परिवर्तन (मी.ला. से ब.ला.)			
1.	वाराणसी-इलाहाबाद	मी. ला. से ब. ला.	123.00	13.00
	(II) उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण की जा रही परियोजनायें : नयी लाइनें			
1.	खलीलाबाद-बलरामपुर		150.00	25.00
	आमान-परिवर्तन			
1.	सीतापुर-बुढवल	मी. ला. से ब. ला.	98.00	10.00
2.	मऊ-शाहगंज	मी. ला. से ब. ला.	100.00	12.00
3.	छपरा-बलिया-वाराणसी	मी.ला. से ब.ला.	206.00	21.00
4.	मनकापुर-अयोध्या		30.00	4.00

पाकिस्तान का गुट निरपेक्ष देशों के समुदाय में शामिल होना

8738 **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने 'सेन्टो' को छोड़ने के बाद गुट निरपेक्ष देशों के समुदाय में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर जून, 1979 में विदेश मन्त्री स्तर पर होने वाली गुट-निरपेक्ष समन्वयकारी ब्यूरो की कोलम्बो समिति द्वारा विचार किया जायेगा जो सितम्बर, 1979 में होने वाले हवाना शिखर सम्मेलन में उचित सिफारिशों के साथ इसे प्रस्तुत करेगा। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों के बारे में भारत का रवैया यह रहा है कि उनका निर्णय कतिपय सुस्वीकृत मापदण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए।

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन में पुनरीक्षण के बारे में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड

8739. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में पुनरीक्षण करने के लिए कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की समिति की क्या प्रगति है और क्या महाराष्ट्र के श्रम सचिव, श्री कशेकर की अध्यक्षता वाली समिति को 31 अगस्त, 1979 तक अपना प्रतिवेदन देना है;

(ख) भविष्यनिधि निरीक्षक ग्रेड-दो और अधीक्षक के वेतनमानों में पुनरीक्षण की क्या प्रगति है क्योंकि 550-900 का वेतनमान कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पहले से दिया हुआ है और हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम तथा अहमदाबाद जैसे "ए" श्रेणी के नगरों में 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है; और

(ग) विलम्ब कहां हो रहा है तथा उपरोक्त मांगों, जिन पर सहमति हो चुकी है, को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त ने सूचित किया है कि आंकड़े एकत्र करने सम्बन्धी प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है।

(ख) समिति इन मामलों की भी जांच करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छः सूत्री मांग पत्र

8740. **श्री सी. आर. महाटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया रेलवे एम्पलाईज कान्फीडरेशन की ओर से एक छः सूत्री मांग पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) मांगें तथा तत्सम्बन्धी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

छः सूत्री मांगों के सम्बन्ध में स्थिति

मांग	सम्बन्धित स्थिति
(1) सभी रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक माना जाये तथा उन्हें वार्ता के अधिकार सहित मजदूर यूनियनों के सभी अधिकार दिये जायें।	(1) रेल कर्मचारी पहले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि सेवा की शर्तों के अनुसार पारस्परिक रूप से उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है। क्योंकि मूल रूप से रेलों की प्रकृति जनता की सेवा है और वे अपने सामाजिक एवं सामरिक महत्व के कारण सरकार द्वारा सीधी चलायी जाती है।

(2) रेल कर्मचारियों के कार्य घंटे घटाकर 8 घंटे प्रतिदिन कर दिये जायें।

(2) विभिन्न स्थितियों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए उनके कार्य भार पर विचार किये बिना, प्रति-दिन 8 घंटे की एक समान कार्य घंटों की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। किन्तु रेल कर्मचारियों के कार्य घंटों के सम्बन्ध में मियाभाय अधिकरण के निर्णय को 1-8-74 से स्वीकार कर लिया गया है।

(3) वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सभी रेल कर्म-चारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी की जरूरतों पर आधारित न्यूनतम वेतन के अनुसार उनका पुनर्वर्गीकरण तथा रिग्रेडेशन। 2-कार्य मूल्यांकन तथा पुनर्वर्गीकरण पूरा होने तक ऐसे कर्मचारियों के वेतन को तत्काल केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के बराबर बनाना। जैसे एच. एम. टी., सी. एच. ई. एल., एच. एस. एल. एन. ए. एल. इत्यादि।

(3) और (2)—मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व श्रमिकों के साथ हुई बातचीत जिसमें यह सहमति हुई थी कि कार्य-मूल्यांकन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा, के फलस्वरूप सरकार द्वारा कारखाना कर्मचारियों के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक अधिकरण बनाया गया है जिसमें मान्यता प्राप्त दो फैडरेशनों द्वारा मनो-नीत श्रमिकों के दो प्रतिनिधि तथा दो सरकारी सदस्यों सहित एक निष्पक्ष अध्यक्ष है। अधि-करण से अप्रैल, 78 में प्राप्त अन्तरिम सिफारिशों पर रेल मन्त्रालय द्वारा पहले ही विचार किया गया है तथा संशोधित रूप में उनके कार्यान्वयन के आदेश अगस्त, 1978 में जारी कर दिये गये थे।

जहां तक वेतन में समानता लाने का प्रश्न है, तीसरे वेतन आयोग का यह मत था कि प्राइवेट या सार्वजनिक क्षेत्र के साथ वेतन की उचित समानता को रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तर को निर्धारित करने के लिए ठोस आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। जो भी हो, यह ऐसा मामला है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सम्पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं तथा जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, रेल मन्त्रालय द्वारा कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह वेतन, आय तथा मूल्य नीति से भी जुड़ा हुआ है।

(4) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए एक मास के वेतन की दर के बराबर बोनस ।

(4) सरकार ने वेतन, आय तथा मूल्य जिनमें बोनस का प्रश्न भी शामिल है, के संबंध में अध्ययन दल की सिफारिशों पर मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की है, जिसमें उप प्रधान मंत्री तथा वित्त, गृह, श्रम, उद्योग तथा पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं । यह मामला अभी मंत्रिमंडल समिति तथा वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है ।

(5) सभी नैमित्तिक रेल कर्मचारियों को नियमित करना तथा पूर्व व्याप्ति से सभी लाभों सहित उनका सेवा में स्थायीकरण ।

(5) यद्यपि पूर्ण रूप से नियमित करने की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना तत्काल सम्भव नहीं है, किन्तु नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप से नियुक्त करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । नियमित रिक्तियों आदि की कमी होने के कारण जिन व्यक्तियों को नैमित्तिक श्रमिक के रूप में जारी रखना पड़ा है, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं ।

(6) विभागीय रूप से चलायी जा रही दुकानों के माध्यम से पर्याप्त तथा सहायता प्राप्त खाद्यानों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था ।

(6) उठाये गये मुद्दे पर अकेले रेल मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस बारे में सरकार को सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्णय करना होगा ।

(7) उत्पीड़न के सभी मामले वापस ले लिये जायें ।

(7) निकट अतीत में कथित उत्पीड़न के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये थे । उन पर विचार किया गया और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के अनुसार ऐसी कार्रवाई की गयी है जो अपेक्षित और व्यवहार्य थी ।

केन्द्रीय सचिवालय से छतरपुर गांव के लिये दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

8741. **श्री लालजी भाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय से छतरपुर गांव तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार छतरपुर गांव और इसके निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों की परिवहन की समस्या का शीघ्र समाधान करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं।

(ख) छतरपुर गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में रूट नं० 516 की सेवाएं उपलब्ध है। यह सेवा आई. आई. टी. गेट और देरागाँव/साव्न पब्लिक स्कूल के बीच चल रही है। केन्द्रीय सचिवालय को जाने वाले यात्रियों के लिए आई. आई. टी. गेट पर बस बदलने की सुविधा उपलब्ध है, जहां से केन्द्रीय सचिवालय को जाने वाली रूट नं० 510 की बसें मिल जाती हैं। आई. आई. टी. गेट पर शहर के कई अन्य स्थानों को जाने के लिए बसें मिल जाती हैं। क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम दिशा-प्रधान सेवाएं (डायरेक्शन-ओरिएन्टेट सर्विसेज) चला रहा है, इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि शहर में सभी यातायात वाले स्थानों को सीधी सेवाओं से जोड़ा जाए जबकि बस बदलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

रेलवे सैलून

8742. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी भी रेलवे सैलूनों में यात्रा करने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार ने घोषणा की थी कि सैलून व्यवस्था समाप्त की जाएगी लेकिन वह अभी तक विद्यमान है और अप्रजातांत्रिक होते हुए रेलवे राजस्व/बजट पर एक निरर्थक भार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रेलवे के सभी अधिकारी निरीक्षण यानों का उपयोग करने के पात्र हैं। वे निरीक्षण यान केवल निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए तथा उन स्थानों तक की यात्रा के लिए उपयोग में लाये जाते है जहां उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं होते। यह भी निर्णय किया गया है कि नए निरीक्षण यानों का निर्णय न किया जाय। इसलिए वर्तमान संख्या में और कोई वृद्धि नहीं होगी, किन्तु जब कभी कुछ पुराने काम में न आने लायक स्टाक बिना बदलाव के बेकार घोषित किये जायेंगे तो यह संख्या और भी कम हो जायेगी।

रेल माल डिब्बों की कमी

8743. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल लाने ले जाने के लिए व्यापारियों को अपेक्षित रेल माल डिब्बों की कमी के कारण उन्हें गत दो वर्षों से भारी हानि उठानी पड़ रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क और (ख) रेलों पर मूल रूप से माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। फिर भी, फिलहाल रेलें माल डिब्बों की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ कठिनाइयां सहसूस कर रही हैं। यह स्थिति उन बातों से उत्पन्न हुई जो कि रेलों के नियन्त्रण से बाहर हैं। ये बातें (1) सीमेंट, उर्वरकों, कोकिंग कोयला आदि के काफी

आयात के कारण यातायात के स्वरूप में परिवर्तन, (2) पिछले वर्ष वर्षा ऋतु में अभूतपूर्व वर्षा एवं बाढ़ें, (3) नियोजन आरक्षण नीति के विरोध में बिहार में जन आन्दोलन, (4) विभिन्न पत्तनों के असन्तोषजनक निष्पादन, (5) जूट हड़ताल के कारण माल डिब्बों की रुकावट, (6) पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण-पूर्व रेलों पर रेल कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा आन्दोलन हैं।

तथापि व्यापारियों को हुई हानि के सम्बन्ध में कोई सूचना इस मंत्रालय में नहीं है। यातायात के निर्बाध संचलन को सुनिश्चित करने के लिए अभी हाल में कई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं और उनके परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। माल डिब्बा बेड़े बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

चेतक एक्सप्रेस का देर से पहुंचना

8744. **श्री लालजी भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उदयपुर के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस गाड़ी गत दो वर्षों में दिल्ली और उदयपुर रेलवे स्टेशनों पर अलग-अलग कितनी बार देर से पहुंची; और

(ख) क्या सरकार इस गाड़ी के देर से पहुंचने अथवा देर से चलने के कारणों की जांच कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1977-78 और 1978-79 में अप्रैल से मार्च तक की अवधि के दौरान 15 अप चेतक एक्सप्रेस उदयपुर सिटी स्टेशन पर क्रमश: 131 और 235 दिन देर से पहुंची तथा 16 डाउन चेतक एक्सप्रेस दिल्ली स्टेशन पर क्रमश: 85 और 116 दिन देर से आई।

(ख) चेतक एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के चालन को दैनिक आधार पर नियन्त्रित किया जाता है तथा रोके जाने के कारणों की जांच की जाती है और निवारक कार्रवाई की जाती है।

बागान कर्मचारियों के वेतन में एकरूपता

8745. **श्री समर मुखर्जी** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बागान कर्मचारियों के लिए देशपर्यन्त एक समान वेतन की मांग पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया लेकिन यह मत प्रकट किया गया कि द्विपक्षीय बातचीत द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में बागान उद्योग में मजदूरी दरों के निर्धारण की सुविकसित प्रणाली है। इसलिए सरकारी मध्यस्थता द्वारा बागान श्रमिकों के लिए एक समान मजदूरी-दरें निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मध्य प्रदेश में बीड़ी निर्माताओं की ओर भविष्यनिधि की बकाया राशि

8746. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन बीड़ी निर्माताओं ने नियमों के अनुसार भविष्यनिधि का अंशदान जमा नहीं कराया है;

(ख) ऐसी दोषी कम्पनियों अथवा बीड़ी निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रत्येक बीड़ी निर्माता अथवा कम्पनी की ओर भविष्यनिधि की कितनी राशि बकाया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) (ख) और (ग) कर्मचारी भविष्यनिधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 अधिसूचना दिनांक 17 मई, 1977 द्वारा बीड़ी श्रमिकों पर लागू किया गया। कुछ पक्षों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन को रोकने सम्बन्धी आदेश पास किये हैं।

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन के सहयोगी संगठन के रूप में कोयला खान भविष्यनिधि

8747. **श्री फूला चंद वर्मा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्यनिधि संगठन कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन का सहयोगी संगठन है; और

(ख) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन को उद्योग के रूप में घोषित किया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी एम० मेरी स्वामी बनाम रजिस्ट्रेशन आफ ट्रेड यूनियन, बंगलौर 1973 के मामले में और 1978 के डब्ल्यू० पी० सं० 11345 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील को रद्द कर दिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कोयला खान भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 के अधीन बनाई गई योजनाएं कोयला खान भविष्यनिधि संगठन द्वारा लागू की जाती हैं। बाद में कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन की स्थापना की गई थी ताकि कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन योजनाओं को लागू किया जा सके।

(ख) पहला मामला रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें मैसूर स्टेट एम्पलाईज प्रोवीडेंट फण्ड एम्पलाईज यूनियन का पंजीकरण अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रद्द किया गया था कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की परिभाषा के अन्तर्गत उद्योग नहीं है। इस आदेश को मुख्य जिला और सैशन न्यायाधीश, बंगलौर ने रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन द्वारा दायर किये गए सिविल रिवी-

जन पैटीशन नं० 586/1973 का फैसला करते समय, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि "चूंकि भविष्यनिधि संगठन के कार्यकलाप उद्योग" हैं, इसलिए यूनियन के सदस्यों को, जो इसके कर्मचारी हैं, "श्रमिक" माना जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, मैसूर, बंगलौर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को रद्द कर दिया।

दूसरा मामला रिट याचिका (नं० 1978 का 1345) से सम्बन्धित प्रतीत होता है जो क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय, कर्नाटक के एक कर्मचारी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया है कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन द्वारा, जो सरकारी संगठन नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए अनुमति न देना कानूनन वैध नहीं है और कर्मचारी भविष्यनिधि (कर्मचारी वृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1862, जिसके अन्तर्गत अनुमति नहीं दी गई थी, का पैरा 27 उसके मामले में रद्द और निष्क्रिय कर दिया गया था। यह सूचित किया गया है कि इस रिट याचिका को इसलिए रद्द कर दिया गया है कि वह अनावश्यक और असामयिक है और आवेदक के सभी दावों को अनिर्णीत रखा गया है।

कोयला खान भविष्यनिधि में रिक्त स्थानों का भरा जाना

8748. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनेक बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोयला खान भविष्यनिधि के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सब रिक्त स्थानों को भरने में संगठन को कितना समय लगेगा और असाधारण विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) कोयला खान भविष्यनिधि आयुक्त ने सूचित किया है कि अधिकांश रिक्त पद पहले ही भरे जा चुके हैं और उन्होंने खाली पदों को भरने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

कोयला खान भविष्यनिधि संगठन द्वारा नियम बनाये जाना

8749. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्यनिधि संगठन ने वर्ष 1947 में काम करना शुरू किया था, परन्तु यह संगठन अभी तक अपने नियम तथा विनियम तैयार करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और उसे अपने नियम बनाने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कोयला खान भविष्यनिधि (कर्मचारी एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1964, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कोयला खान भविष्यनिधि के न्यासी बोर्ड द्वारा 1964 में बनाए गए तथा 3 अक्तूबर, 1964 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

दिल्ली-फुलेरा लाइन

8750. **श्री मनोहर लाल सेनी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से फुलेरा तक और उससे आगे बड़ी लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

दिल्ली-अहमदाबाद मी० ला० ट्रंक मार्ग (934 कि० मी०) जिसका कि दिल्ली-फुलेरा एक भाग है, को बड़ी लाइन में बदलने का अनुमोदन हो चुका है। दिल्ली-अहमदाबाद के बीच इस आमान-परिवर्तन की कुल लागत 100 करोड़ से अधिक है और इस परियोजना को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणवद्ध रूप से करने का प्रस्ताव है।

रायचूर में दूसरा प्लेटफार्म

8751. **श्री राजशेखर कोलूर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर में दूसरे प्लेटफार्म का विस्तार कार्य आरम्भ हो गया है और कितने डिब्बों के लिए विस्तार किया जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और इसे पूरा होने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 18 बोगियां सम्हालने के लिए रायचूर स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 2 का विस्तार किया जा रहा है। यह काम प्लेटफार्म को ऊंचा करने तथा गाड़ियों में पानी देने की व्यवस्था सहित किया जा रहा है। सम्पूर्ण निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लगभग 4.12 लाख रुपये है और इसे अगस्त, 1979 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है।

मेघालय में रज्जू-पथों का निर्माण

8752. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **नौवहन** और **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने रज्जू-पथों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) राज्य में निर्माण किए जाने वाले रज्जू-पथों की संख्या, स्थान और ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस बारे में प्रस्तुत प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) नहीं, नौवहन और परिवहन मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

दक्षिण रेलवे में कोयले की मांग

8753. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दक्षिण रेलवे में कोयले की प्रतिदिन मांग सामान्यत: कितनी है और प्रतिदिन खपत के लिए कितनी मात्रा में कोयला उपलब्ध है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : दक्षिण रेलवे के लिए कोयले की सामान्य दैनिक आवश्यकता 3000 टन है। कोयला खानों से खपत के स्थलों तक परिवहन समय को ध्यान में रखते हुए, कम से कम 24,000 टन के आधार स्टाक की आवश्यकता है ताकि उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके। 22.4.79 को 57,000 टन का वास्तविक स्टाक उपलब्ध था।

कलकत्ता पत्तन पर माल उठाने में विलम्ब

8754. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पर माल न उठने तथा उठने में विलम्ब होने से वहां माल जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत छ: महीनों में माहवार, तिथिवार माल न उठाये जाने तथा विलम्ब में उठाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि में, माहवार, कितना विलम्ब शुल्क जमा हुआ;

(घ) माल के तुरन्त उठाए जाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) माल की निकासी न होने के कारण बल्गर गेहूं, उर्वरक, रेपसीड आदि सम्बन्धी कुछ माल जमा हो गया था।

(ख) पिछले छ: महीनों में माल की निकासी को प्रभावित करने वाली बातें नीचे दी गई हैं :

(1) **अक्तूबर**, 1978 : पश्चिम बंगाल में अत्यधिक वर्षा से गोदियों को आने-जाने वाली सड़कें और रेल संचार मार्ग खराब हो गए थे। वर्षा के कारण पूर्वी रेलवे के वैगनों को अदल-बदल करने का कार्य अस्तव्यस्त हो गया था और कार्य केवल 6 अक्तूबर को ही पुन: शुरू हो गया जो अक्तूबर, 1978 के अन्त तक ही सामान्य हुआ। दक्षिण-पूर्वी रेलवे के वैगनों को अदल-बदल करने का कार्य नवम्बर, 1978 के पहले सप्ताह तक सामान्य नहीं हो सका था। कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड कर्मचारी की मांग, कि उर्वरकों को बैगों में भरा जाए और उससे पूर्व कि उन्हें सुपुर्द किया जाए बैगों की सिलाई की जाए — के आन्दोलन के फलस्वरूप उर्वरक के जहाजों और सुपुर्दगी के कार्य में 21 अक्तूबर, 1978 से 26 अक्तूबर, 1978 के बीच रुकावट आई।

(2) **नवम्बर** 1978, : 15 नवम्बर, 1978 से 14, जनवरी, 1979 के बीच बार्जंगन की हड़ताल के कारण माल की ओवर साइड निकासी में बाधा पड़ी।

(3) **दिसम्बर**,1978 : डाक लेबर बोर्ड के बैगर्स और स्टिचर्स की मांग कि माल को सुपुर्द किया जाने से पहले उसे बैग में भरा जाए और सीधा जांच की मांग के कारण प्रभाव पड़ा। 30 दिसम्बर, 1978 को सुपुर्दगी फिर से शुरू कर दी गई। वार्जमैन की हड़ताल जारी रही जिसके कारण माल के ओवर साइड निकासी में रुकावट पड़ी।

(4) **जनवरी**, 1979 : 14 जनवरी, 1979 को बार्जमन की हड़ताल समाप्त कर दी गई। डाक लेबर बोर्ड द्वारा 15.1.1979 को जनरल पर्पज मजदूरों की सांकेतिक हड़ताल और घाट कर्मचारियों के कुछ खण्डों की बन्द की मांग के फलस्वरूप 29 जनवरी, 1979 को माल की निकासी पर प्रभाव पड़ा।

(5) **फरवरी**, 1979 : कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के जनरल पर्पज मजदूरों की फरवरी, 1979 को 'गो स्लो' नीति के कारण माल के निकासी में रुकावट पड़ी—विशेषकर उर्वरकों में 18.2.1979 को 0300 से 2330 के बीच पावर फेल हो जाने के कारण और 19.2.1979 को अंडर ग्राऊंड केबल की मरम्मत के कारण कार्य पर प्रभाव पड़ा।

(6) **मार्च**, 1979 : डाक बेसिन मशीनरी के कर्मचारियों, जो कि किदरपुर डाक लौक एन्टेस को परिचालित करते हैं, के आन्दोलन के कारण 1 मार्च से 10 मार्च, 1979 के बीच काम पर प्रभाव पड़ा। कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के जनरल पर्पज मजदूरों की 11 मार्च से 26 मार्च, 1979 के बीच हड़ताल के कारण भी कार्य में रुकावट आई।

(ग) अवधि के दौरान सीमा शुल्क प्रभार जो जमा हो गया उसका ब्यौरा निम्नलिखित है

मास	रुपए लाखों में
अक्तूबर, 1978	72.55
नवम्बर, 1978	83.25
दिसम्बर, 1978	57.25
जनवरी, 1979	92.28
फरवरी, 1979	78.67
मार्च, 1979	134.90

(घ) शेड में माल के जमाव को घटाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) मान्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा गिफ्ट माल की नि:शुल्क निकासी सीमा को 45 से घटाकर 15 दिन करना।

(2) आयतकों को डाक से सीधा माल छुड़ाने के सम्बन्धित प्रेस अधिसूचनायें जारी की गई हैं, अन्यथा उन्हें बढ़ी दरों पर जुर्माने की अदायगी करनी होगी ।

(3) उर्वरकों और रेपसीड जो कि 7 दिन से अधिक तक ट्रांजिट शैडों से कहीं छुड़ाए जायेंगे उन पर टेबल शुल्क लिया जाएगा ।

(4) गोदियों के बाहर उर्वरक और गिफ्ट माल को पारगमर शैडों से हटाकर गोदामों में ले जाया जाएगा ।

(5) सीमा शुल्क के परामर्श में न छुड़ाए गए आयातित माल के भण्डार के लिए सीम शुल्क सीमा के बाहर कांतापुकुर गोदाम में ले जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(6) उनके माल की शीघ्र निकासी के लिए राज्य सरकारों की ऐजेन्सियों और अन्य सरकारी उपक्रमों से निरन्तर समन्वय रखा जा रहा है ।

(ङ) जहां तक प्राप्त किए गए फलों का प्रश्न है शैडों में रखे आघातित माल औसत मार्च, 1979 में 65,270 से घटकर 53,718 टन हो गई है और फरवरी और जनवरी में 60,758 टन ।

माल की कुछ मदें जो ट्रांजिट शैडों में रुकावट डालती हैं अर्थात बल्ग गेहूं, उर्बरक घटकर 12,361 मी० से 9,936 टन और 1.3.1979 को और 2,327 मी० टन और 31.3.79 को क्रमश: 7,740 मी० टन, 20,29 मी० टन और 846 मी० टन हो गई है ।

खान सुरक्षा तथा कोयला खान कल्याण संगठन में सहकारी समितियाँ

8755. **श्री सच्चीन्द्र लाल सिंघा :**

श्री एम. ए. हनान अलहाज : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद में खान सुरक्षा तथा कोयला खान कल्याण संगठन के निदेशक द्वारा गठित की गई सहकारी समितियों के स्थलों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक समिति में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने-कितने सदस्य रहे हैं;

(ख) क्या समितियों के कार्यकरण के बारे में कोई अद्यतन अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) अध्ययन के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई समिति न तो खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा और न ही कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा गठित की गई थी ।

(ख) पिछले वर्ष कोयला खान कल्याण संगठन के अन्तर्गत पहले से स्थापित सहकारी भंडारों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी ।

(ग) समिति को यह पता लगा कि वर्ष 1967-68 और 1969-70 के दौरान अधिकांश

भंडारों को अनेक कारणों से भारी नुकसान हुआ। ये कारण थे —अन्धाधुन्ध उधार, बिक्री, विक्रय पर अत्यधिक अप्रत्यक्ष खर्च, क्रय नीतियों में दोष और कुप्रबन्ध। निरीक्षण किए गए 10 भंडारों में से, समिति ने सिफारिश की कि केवल दिसेरगढ़ और भूली में भंडारों को जारी रखा जाए। इस समिति ने सिफारिश की कि क्रमश: कल्ला, मौयरा कोलियरी, सोनारडीह, विरसाचट्टी और सनडे बाजार में पांच भंडारों का तत्काल परिसमापन किया जाए। बिरसिंगपुर पाली, चिरीमिरी और कोथागुडन में क्रमश: बाकी तीन भंडारों के सम्बन्ध में इसने सिफारिश की कि इन्हें सम्बन्धित कोलियरी प्रबन्धकों को शीघ्र हस्तांतरित करने की सम्भावना पर विचार किया जाए अन्यथा उनका भी परिसमापन कर दिया जाये।

(घ) समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई है।

पूर्वी राज्यों में भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान

8756. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :**

श्री एम. ए. हनान अलहाज : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को प्रभावी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों में बीड़ी व्यापारी तथा बीड़ी निर्माताओं जैसे अनेक प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि अथवा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अपना अंशदान अदा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तथा एककवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों में भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अपना अंशदान जमा न करने वालों के विरुद्ध राज्यवार तथा एककवार क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबन्ध केवल असम राज्य में ही लागू किये गए हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :

मेघालय : योजना को शिलांग और मामतूह (चेरापूँजी) में कार्यान्वित करने का विचार है और राज्य सरकार के साथ इस मामले की पैरवी की जा रही है।

त्रिपुरा : इस योजना का बादरघाट (अगरतल्ला के निकट) में विस्तार करने का विचार है, जहां एक नई जूट मिल खोली जा रही है।

नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर : उपबन्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई विकासक्षम क्षेत्र नहीं है जहां बहुत अधिक श्रमिक हों और जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की परिधि में लाना हो।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग), (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय मेज पर रख दी जाएगी।

डाक्टर

8757. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने प्रत्येक राज्य में इस समय सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे डाक्टरों की संख्या का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ग) इस समय देश में कितने व्यक्तियों की सेवा के लिए एक डाक्टर उपलब्ध है; और

(घ) अगले पांच वर्षों के दौरान देश में अधिक लोगों के लिए डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध करने के बारे में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सही सूचना तो उपलब्ध नहीं है, किन्तु विभिन्न राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के अनुसार लगभग 3000 व्यक्तियों के पीछे औसतन एक डाक्टर की सेवायें उपलब्ध हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है।

(घ) इस समय प्रति वर्ष लगभग 12,500 छात्र डाक्टर बनकर निकलते हैं और ये डाक्टर देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी समझे जाते हैं। सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तथा चिकित्सा शिक्षा की रिओरिएंटेशन योजना को भी लागू कर दिया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत किये गये उपाय इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को अधिकाधिक डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

8758. **श्री सरत कार :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के लिए रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्यों रखे थे और उनमें क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या लक्ष्यों की उपलब्धि में कोई कमी रही है; और

(ग) यदि हां, तो लक्ष्यों के पूरा होने में आने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (शिव नारायण) : (क)

वर्ष	लक्ष्य	प्रगति
1976-77	49 कि० मी०	49 कि० मी०
1977-78	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1978-79	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन निगम द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में परिवहन के लिए ऊंची दरें वसूल किया जाना

8759. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अन्तर्राज्यीय जल परिवहन निगम द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में परिवहन के लिए ऊंची दरें वसूल किये जाने के बावजूद निगम अब भी भारी घाटा दिखा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : यह सत्य है कि ब्रह्मपुत्र के सहारे केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की सेवाओं के भाड़े में वृद्धि किये जाने पर भी हानि हो रही है जिसका कारण है जहाजों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों पर भारी लागत, सरकार के संचित ऋणों पर ब्याज, 40 से 50 वर्ष आयु वाले पुराने जहाजों की मरम्मत की भारी लागत और पूंजी और उनके अनुरक्षण की भारी लागत, माल की धरा उठाई में अवस्थापन सुविधाओं की कमी और रात्रि नौचालन सेवाओं की अपर्याप्तता । लागत में कमी करने के लिए इन जहाजों को बदले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि अनुरक्षण की लागत भी कम की जा सके और कम से कम समय में नदी सेवाओं की शक्यता के लिए अतिरिक्त जन शक्ति का प्रयोग किया जा सके ।

दोफू के लिए आरक्षण कोटा

8760. **श्री गौरेन एंगती :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों ने उत्तर सीमान्त रेलवे के दोफू के लिए नियत यात्रा तथा डाक गाड़ियों का आरक्षण कोटा बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दोफू स्टेशन के लिए अप तथा डाउन यात्रा के लिए यात्रा तथा डाक गाड़ियों में आरक्षण हेतु प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का वर्तमान कुल कोटा कितना है; और

(ग) क्या वह इसे आदिवासी पर्वतीय जिले का मुख्यालय समझते हुए तथा यहां भारी यातायात को देखते हुए यहां के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1.11.78 से डोफू स्टेशन पर 8 डाउन तिनसुकिया मेल के ठहराव को रद्द करने के परिणामस्वरूप 8 डाउन मेल में डोफू स्टेशन को आबंटित दूसरे दर्जे को 3 शायिकाओं के कोटे को रद्द कर दिया गया था ।

(ख) आजकल डोफू स्टेशन को आबंटित आरक्षण कोटा इस प्रकार है :

	गाड़ी	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा	
			शायिका	सीट
1.	6/60 डाउन कामरूप एक्सप्रेस	—	2	—
2.	4 डाउन असम मेल	—	2	
3.	5 अप कामरूप एक्सप्रेस	—	—	2

(ग) डोफू स्टेशन को 1.5.79 से 8/155 तिनसुकिया मेल में दूसरे दर्जे की 3 शायिकाओं का कोटा आबंटित किया जा रहा है, क्योंकि इस गाड़ी को इस स्टेशन पर 1.4.79 से ठहराया जाने लगा है ।

बिलासपुर तक रेल लाइन

8761. **श्री गंगा सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में सीमेंट संयंत्र लगाने के प्रस्ताव का पता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने सीमेंट संयंत्र के स्थल तक रेल लाइन बिछाने की व्यवहार्यता और अविलम्बिता की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ और पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) संयंत्र के अधिकांश खाद की खपत हिमाचल प्रदेश के राज्य तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ही हो जायेगी जहां सड़क सेवाएं उपलब्ध होंगी । इस संयंत्र से तथा इसके लिए जो भी रेल यातायात उपलब्ध होगा, आशा है कि वह किरतपुर साहिब स्टेशन के वर्तमान रेल-शीर्ष द्वारा सम्हाल लिया जायेगा । परियोजना के लिए क्लियरेंस इसी शर्त पर जारी की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

किउल और साहिबगंज के बीच रेलवे स्टेशन

8762. **डा० रामजी सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किउल और साहिबगंज के बीच उन रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है; जहां ऊंचे प्लेटफार्मों का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं और रेलगाड़ियों पर चढ़ने में अपंग, वृद्ध और बच्चों को कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में कुछ स्थानों पर ऊंचे प्लेटफार्म बनाने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) किउल और साहिब-

गंज के बीच के 19 स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्मों की व्यवस्था नहीं की गई है। निर्धारित मानदण्ड के अनुसार, इन स्टेशनों पर रेल स्तर के समानांतर प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गई है। इस कारण से अभी तक किसी दुर्घटना के होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और इस समय वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त समझा जाता है।

डेहरा-ग्रोन-सोने पिपराडीह लाइन

8763. **डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइरा दस एन्ड फोस्फेट लिमिटेड और इस क्षेत्र में विद्यमान अन्य सीमेंट कारखानों की यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेरा-ग्रोन-सोने-पिपराडाह रेल लाइन पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है,

(ख) क्या उपर्युक्त रेल लाइन को जादूनाथपुर और फिर चौपान तक बढ़ाया जाता है तो इससे बिहार राज्य का एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र विकास के लिए खुल जाएगा जहां बड़ी मात्रा में चूने के भण्डार उपलब्ध हैं, जिनसे दो से तीन सीमेंट कारखानों की स्थापना की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार डेरहा-ग्रोन-सोने से जादूनाथपुर तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) डेहरा-ग्रोन-सोने से पिपराडीह तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण एवं यातायात सर्वेक्षण कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोटों की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित लाइन को जदुनाथपुर या चौपान तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

किउल और हरहरवा के बीच दुहरी लाइन

8764. **डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण लगभग सभी रेल मार्गों पर भारी भीड़-भाड़ के कारण रेल यात्रियों को हो रही भारी कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि गत दो वर्षों के दौरान विकास कार्य की ओर विशेष रूप से नई रेल लाइनों के निर्माण कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, और

(घ) यदि नहीं, तो पूर्व रेलवे की लूप लाइन पर, जो सबसे पुरानी लाइन है, बिडल से बरहरवा तक दुहरी लाइन की सरकार द्वारा मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भीड़-भाड़ कम

करने और यात्री यातायात में हुई वृद्धि को सम्हालने के लिए रेलें नई गाड़ियां चला रही हैं, डीजल और बिजली कर्षण का उपयोग करके वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगा रही हैं और डबल-इंजनयुक्त गाड़ियां चला रही हैं। डबल-डैकर यान और वातानुकूल दूसरा दर्जा शयनयान सरीखे अधिक यात्री वहन क्षमता वाले डिब्बे भी सुलभ किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं, पिछले दो वर्षों में 411 कि० मी० लम्बी रेलवे लाइनें बिछाकर उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया है। लगभग 68 कि० मी० लम्बी रेल लाइनों के निर्माण का काम पूरा होने वाला है और अगले कुछ महीनों में ही इनके यातायात के लिए खोल दिये जाने की प्रत्याशा है। 352 कि० मी० लम्बी रेल लाइनों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है ताकि चालू वित्त वर्ष में ही ये लाइनें बनकर तैयार हो जाएं। पिछले दो वर्ष में लगभग 576 कि० मी० लंबी नई रेलवे लाइनों के निर्माण का काम शुरू किया गया है।

कुल मिलाकर 27 अनुमोदित परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं जिनमें कुल मिलाकर 1848 कि० मी० लम्बाई की तीन नई परियोजनाएं भी हैं, जिन्हें 1979-80 के बजट में शामिल किया गया है। ये परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और इनकी अनुमानित लागत 532 करोड़ रुपये है।

(घ) किसी मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने के प्रश्न का वहां के यातायात स्तर से निकट सम्बन्ध है। किउल-वडहरवा खण्ड के दोहरीकरण सहित, खंडीय क्षमता बढ़ाने के लिए इसका इन्जीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस खंड पर दोहरीकरण या लाइन क्षमता के अन्य कार्यों के मामले में विनिश्चय, इस सर्वेक्षण में आकलित प्रत्याशित यातायात पर ही निर्भर करेगा।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को ट्रांसमिशन रिसीविंग-सैटों की सुविधाएं

8765. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मिशनों को किन-किन देशों में ट्रांसमिशन रिसीवर सेट उपलब्ध नहीं किये गए हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) विदेशों में स्थित मिशनों एवं दूतावासों को डाक-बैग द्वारा दैनिक डाक की प्रतियां भेजने में कितना समय लगता है;

(ग) क्या सरकार विदेश प्रचार में सुधार लाने की दृष्टि से सभी भारतीय मिशनों एवं दूतावासों को भारत में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने के लिए दैनिक डाक भेजने से कितना समय लगता है;

(ग) क्या सरकार विदेश प्रचार में सुधार लाने की दृष्टि से सभी भारतीय मिशनों एवं दूतावासों को भारत में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने के लिए दैनिक डाक भेजने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में श्री चंचल सरकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) उन मिशनों एवं केन्द्रों का विवरण संलग्न है, जिनके यहां मुख्यालय से दिन में दो बार सम्प्रेषण नहीं किया जाता क्योंकि न तो उनके पास रिसीविंग सेट हैं और न सम्प्रेषण ग्रहण करने के लिए स्थानीय प्रबन्ध।

इन मिशनों एवं केन्द्रों को विशेष रूप से वित्तीय कठिनाइयों के कारण रिसीविंग सैट नहीं दिए गए हैं।

(ख) इन सम्प्रेषणों की प्रतियों को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में कितनी देर लगती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान विशेष के लिए बैग कितने अरसे में जाता है और इसमें कुछ दिन से लेकर पन्द्रह दिन तक का अन्तर हो सकता है।

(ग) कुछ मिशनों एवं केन्द्रों को, जहां सम्प्रेक्षण ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं है, सप्ताह में तीन बार प्रैस तारें भेजी जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत खर्च होता है। कुछ केन्द्रों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था है कि उस देश में स्थित बड़े भारतीय मिशन के माध्यम से रोज प्राप्त होने वाले सम्प्रेषणों को डाक द्वारा प्रतिदिन वहां भेजा जा सके। सरकार यह चाहती है कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण मिशनों एवं केन्द्रों को यथासम्भव दैनिक सम्प्रेषण भेजे जाएं और ऐसा न हो सके तथा संसाधन उपलब्ध हों तो प्रेस तार भेजी जाएं।

(घ) चंचल सरकार समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। इन सिफारिशों पर विचार एवं इनके क्रियान्वयन से सम्बद्ध कार्य की देखरेख के लिए एक अनुभवी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विवरण

उन मिशनों एवं केन्द्रों की सूची जहां मुख्यालय से दिन में दो बार सम्प्रेषण नहीं किया जाता क्योंकि न तो उनके पास रिसीविंग सैट है और न प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रबन्ध।

(क) पड़ोसी

1. कैन्डी
2. **ढाका**
3. राजशाही
4. चटगांव
5. मांडले
6. **माली**
7. करांची
8. कन्धार
9. जलालाबाद

(ख) दक्षिण पूर्व एशिया

10. **मनीला***
11. चियांगमाई
12. मेडान
13. **सिंगापुर**
14. **व्यनत्यान***

(ग) पूर्व एशिया

15. **हांगकांग**
16. **प्योग यांग**
17. **टोकियो**
18. कोबे

(घ) पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका

19. **आबू धाबी**
20. दुबई
21. बसरा
22. **बहरीन***

23. पोर्ट सैयद
24. दमिश्क
25. दोहा*
26. जेद्दा*
27. मस्कत

(ङ) अफ्रीका (सहारा के दक्षिण में)

28. खारतूम
29. मोगादिशो
30. साना
31. खोर्रम शहर
32. जहीदन
33. ट्यूनिस
34. त्रिपोली*
35. अदीस अबाबा*
36. अक्रा*
37. लागोस*
38. डकर
39. रबात*
40. तेनेबेरिग
41. कोनाक्री
42. किंशासा
43. लिलोंग्वे*
44. लुसाका*
45. जन्जीबार
46. मोम्बासा
47. मपुती*

(च) यूरोप पूर्व

48. बर्लिन (ज० ज० ग०)
49. ओडेसा
50. प्राग

(छ) यूरोप पश्चिम

51. ऐक्स
52. फ्रैंकफर्ट
53. हेमबर्ग
54. पश्चिम बर्लिन
55. डब्लिन
56. हेलिंसकी
57. लिस्बन*
58. लिवरपूल
59. द हेग*
60. कापनहागन*
61. लर्मिघम
62. ओस्लो

(ज) आस्ट्रेलेशिया/ओशेनिया

63. बेलिंगटन (न्यूजीलैंड)
64. सूवा

(झ) उत्तरी अमरीका

65. शिकागो
66. वानकूवर
67. टोरोन्टो

(ट) मध्य अमरीका

68. पनामा

(ठ) दक्षिणी अमरीका

69. पारमारिबो
70. लीमा
71. काराकस
72. बगोटा

टिप्पणी :

*(1) *से अभिप्राय है कि मिशन मुख्यालय से नियमित रूप से प्रेस तारें प्राप्त कर रहा है।

(2) काला टाइप में किए गए मिशनों से अभिप्राय है मुख्य मिशन एवं जो रेखांकित नहीं किए गए हैं, उनसे अभिप्राय है केन्द्र।

अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास

8766. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में कंठहार नहर की भांति गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा नदियों में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास करने की सरकार की कोई योजना हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बध में सरकार ने क्या प्रयत्न किए है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम):(क), (ख) और (ग) दीनशा जे० दस्तूर द्वारा दी गई "गार्लेड योजना" में दो नहरों का निर्माण-एक नहर जो हिमालय की दक्षिणी ढलान के साथ-साथ और दूसरी केन्द्रीय प्लेटो और दक्षिणी प्रायद्वीप से गुजरती है और ये भारत के सभी जलस्रोतों के प्रयोग में आयेगी ।.

गंगा कावेरी परियोजना जो कि पत्रा-अध्ययन के आधार पर बनाई गई है । इसमें गंगा में से ऊंचे बहाव के दौरान लगभग 150 दिनों में जल को पम्प करना और गंगा के कावेरी से एक नहर द्वारा जोड़ा जाना जो सोना, नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा और पेन्नार बेसिन और आंशिक रूप से बाढ़ से भय वाले क्षेत्रों की पानी की मांग को पूरा किया जाना है ।

यह प्रस्ताव देश में अफीम के उत्पादन की वृद्धि के लिए जल स्रोतों के विकास सुझावों में से एक है । इसमें कई जटिल समस्याएं हैं अर्थात तकनीकी शक्यता, वित्तीय शक्यता, शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताएं, कानूनी और वातावरण इत्यादि । इससे पूर्व कि योजना को गंगा-कावेरी योजना को कार्यान्वियन के लिए हाथ में लिया जाता है । यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों की गहराई की अधिकता और कमियों का अध्ययन किया जाना है अर्थात अन्तर्वेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय जल स्थानान्तरण और बाढ़ के आतंक वाले क्षेत्रों की निम्नतम आवश्यकता को ध्यान में लिया जाए । इन अध्ययनों को केन्द्रीय जल आयोग ने हाथ में लिया है ।

प्रस्ताव की तकनीकी और आर्थिक शक्यता स्थापित किये जाने के पश्चात नहरों के इन नदियों से जोड़े जाने के क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा विकास किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या

8767. **एस० आर० दामाणी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में, सेक्शनवार, इस समय कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं;

(ख) क्या सभी नैमित्तिक श्रमिकों को रेलवे में खपाने की सरकार की कोई योजनाएं हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस समय नियुक्त सभी नैमित्तिक श्रमिकों को खपाने में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) नैमित्तिक श्रमिकों के आंकड़े रेलों पर रेलवे क्षेत्रवार रखे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं :

रेलवे	नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या
मध्य	37,202
पूर्व	19,921
उत्तर	58,018
पूर्वोत्तर	16,720
पूर्वोत्तर-सीमा	7,986
दक्षिण	27,649
दक्षिण-मध्य	23,783
दक्षिण-पूर्व	22,968
पश्चिम	21,782
चि० रे० इं० का०	160
डा० रे० इं० का०	228
स० डि० का०	250
अ० अ० एवं मानक सं०	8.2
अन्य	1,131
जोड़	2,38,610

(ख) और (ग) नैमित्तिक श्रमिकों को श्रेणी-4 के नियमित पदों में समाहित करना नियमित रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इसलिए सभी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रिक्तियों में समाहित करने का कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। फिर भी, अब तक 1.35 लाख नैमित्तिक श्रमिक/एवजियों को नियमित रिक्तियों में समाहित किया जा चुका है और अन्य 27,000 को समाहित किए जाने के लिए जांच की गयी है।

राज्यों द्वारा आई० एस० एम० सहायता का उपयोग

8768. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एस० एम० विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई सहायता का राज्यों द्वारा बहुत कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) आई० एस० एम० फार्मेसियों के विकास के लिए योजनाएं क्रियान्वित करने में बहुत से राज्यों की कोई प्रतिक्रिया न होने के क्या कारण हैं, उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) किन-किन राज्यों ने आई० एस० एम० फार्मेसियों के विकास के सम्बन्ध में केन्द्र

द्वारा दी गई सहायता का पूरा-पूरा उपयोग किया है और इस योजना से वर्ष 1978-79 के दौरान क्या-क्या लाभ हुए; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि इस योजना को क्रियान्वित करने में राज्यों द्वारा किया गया व्यय केन्द्र द्वारा बताये गये मार्गदर्शीय सिद्धान्तों के अनुरूप है अथवा राज्यों के विवेक से राशियों का उपयोग किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के लिए दो योजनाएं हैं अर्थात (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के विभागों का दर्जा बढ़ाने और उनका रखर-खाव करने सम्बन्धी योजना तथा (2) भारतीय चिकित्सा पद्धति को फार्मेसियों, जिनमें जड़ी-बूटी. उद्यान तथा औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं, का विकास करना । यद्यपि प्रथम योजना के अन्तर्गत सहायता का उपयोग सन्तोषपूर्वक किया जाता है तथापि द्वितीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें धन का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर सकीं । इस योजना के अन्तर्गत सहायता का उपयोग न करने का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारें मंजूर किए गए सभी पदों को नहीं भर सकी हैं । वैसे राज्य सरकारों ने राज्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धति फार्मेसियों तथा औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को निर्धारित पैटर्न के अनुसार आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए कदम उठाए हैं ।

(ख) चूंकि इस योजना के अन्तर्गत केवल राज्यों को मौजूदा स्वदेशी चिकित्सा पद्धति फार्मेसियों का विकास करने के लिए सहायता की आवश्यकता है इसलिए जिन राज्यों में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की फार्मेसियां नहीं हैं वे राज्य इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता का उपयोग नहीं कर सके । राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों ने इस योजना के अन्तर्गत सहायतां प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है । राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में एक-एक फार्मेसी का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी गई है ।

(ग) राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब तमिलनाडु तथा गुजरात राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि राज्य की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति फार्मेसियों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार उपकरणों से लेस करने के लिए उपाय किए गए हैं । महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल राज्य सरकारों ने 1978-79 के दौरान इस योजना को नहीं चलाया है ।

1978-79 के दौरान निम्नलिखित राज्य सरकारों ने धन के व्यय के बारे में अब तक जो सूचना भेजी है वह इस प्रकार है :

		रुपए लाखों में
1.	राजस्थान	1.78
2.	पश्चिम बंगाल	2·26
3.	उड़ीसा	1.00
4.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य
5.	केरल	शून्य
6.	कर्नाटक	शून्य
7.	उत्तर प्रदेज	2.50
8.	तमिलनाडु	0.03
9.	गुजरात	0.40
10.	महाराष्ट्र	शून्य

(घ) स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को फार्मेसियों आदि का विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मौजूदा फार्मेसियों को ही दी जाती है जिनका अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता का उपयोग इस प्रयोजन के लिए निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही कर सकती हैं।

कार्यकारी दल

8769. **श्री बसन्त साठे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन बनाये गये कई कार्यवाही दलों ने चल रहे कार्यक्रमों के पुनरीक्षण और चालू योजनाओं में सुधारों के सुझाव देने और नई योजनाएं बनाने के बारे में सरकार को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न विषयों पर इन कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में की नई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4373/79)

कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन

8770. **श्री बसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन नियुक्त किये गये कई कार्यकारी दलों ने अनवरत कार्यक्रमों का पुनरीक्षण, चालू योजनाओं में सुधार के लिए सुझाव, तथा नई योजनाएं बनाने के बारे में सरकार को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यकारी दलों द्वारा विभिन्न विषयों पर की गई सिफारिशों का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) योजना आयोग ने पंच वर्षीय योजना (1978-83) को तैयार करने के लिए छः कार्यकारी दलों का गठन किया तथा इसकी रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गई है।

(ख) और (ग) कार्यकारी दलों की जो-जो सिफारिशें और सुझाव स्वीकार किये गये हैं उन्हें योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पंच वर्षीय योजना (1978-83) प्रलेख के प्रारूप में दर्शाया गया है। वैसे, महत्वपूर्ण सिफारिशों तथा की गई कार्यवाही का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निवारक चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकारी दल

(क) महत्वपूर्ण सिफारिशें :

इस दल ने पांचवीं योजना के चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखने की सिफारिश की तथा स्कूली बच्चों को खसरा वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, टायफायड तथा टैटनस वैक्सीन जैसे टीका लगाने के कार्यक्रमों समेत रोग क्षयीकरण के विस्तृत कार्यक्रम को शुरू करने तथा डी० पी० टी० वैक्सीनों की सप्लाई को बढ़ाने के लिए पास्चुर संस्थान कुनूर का विकास करने की सिफारिश भी की।

(ख) की गई कार्यवाही :

यह सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा रोग क्षयीकरण के विस्तारित कार्यक्रम को वार्षिक योजना अवधि 1979-80 में शामिल कर लिया गया है।

(II) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यकारी दल।

[क] महत्वपूर्ण सिफारिशें :

1. परिवार कल्याण सेवाओं का जच्चा बच्चा स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमों के साथ एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना ताकि छठी योजना अवधि अथवा इससे पहले जो भी संभव हो, के अधीन बहुधंधी कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत सारे देश को कवर किया जा सके।

2. महिलाओं द्वारा परिवार कल्याण तरीकों को अपनाने तथा उनमें जागरुकता होने के कारण छठी योलना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसवोत्तर प्रणाली महिलाओं के तरीकों की उपलब्धता में वृद्धि होने और महिला नसबन्दी की सेवायें प्रदान करने, लूप निवेशन तथा चिकित्सा से गर्भ समाप्ति की सेवाओं के बारे में महिलाओं को शिक्षा और प्रेरणा देने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

3. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को राज्य सैक्टर की बजाय छठी योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित सैक्टर के अन्तर्गत शुरू किया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आबंटित हैं उन्हें अन्य कार्यक्रमों के लिए आबंटित न किया जाये ।

4. 5,000 जनसंख्या के लिये एक महिला बहुधंधी कार्यकर्त्ता तथा एक पुरुष बहुधंधी कार्यकर्त्ता की व्यवस्था करने के प्रयास किये जाने चाहिएं । इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों में आवश्यक प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये ।

5. जिला स्वास्थ्य संगठन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के आधार पर रि-आर्गनाइज किए जाने चाहिए ।

6. स्वास्थ्य के संवर्द्धक और रोग निवारक पहलुओं में लोगों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए जन स्वास्थ्य रक्षकों को प० क० की शिक्षा देने की योजना का विस्तार किया जाना चाहिए ।

7. परिवार कल्याण और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प० क० तथा जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिये ।

8. चूंकि छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए नई जनसंख्या नीति केवल दम्पतियों को शिक्षित करने और प्रेरणा देने पर निर्भर करती है इसलिए विभिन्न स्तरों पर वर्तमान प्रचार और विस्तार शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है ।

9. जीवन-मरण आंकड़ों के क्षेत्रों में 'फीड बेक' सूचना को एकत्र करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य, जिला और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर आयोजन के कार्य को सुदृढ़ और एकीकरण करने की जरूरत है ।

10. क्षेत्र में पर्याप्त पर्यवेक्षण करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए ताकि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दो-दो वाहन दिये जा सकें ।

11. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसका एकीकृत किया जाये ताकि यह सहायता एक ही बजट शीर्ष के अन्तर्गत दी जा सके ।

12. इस उद्देश्य से एक अतिरिक्त प्राथसिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ एक परिवार कल्याण विंग भी धीरे-धीरे स्थापित किया जाये । किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 35-40 हजार लोगों से अधिक लोगों को कवर करने का दायित्व नहीं दिया जाना चाहिए ।

13. कर्मचारियों को एक नियमित नवीकरण प्रशिक्षण की एक पद्धति तैयार की जानी चाहिए ।

14. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक गहन प्रयास करने और परिवार कल्याण कार्यक्रम में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला मंडलों, युवा महिलाओं और श्रमिक संगठनों, पंचायतों जैसी संस्थाओं तथा अध्यापको को शामिल करने की जरूरत है ।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ की चिकित्सकीय समापन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवश्यक धन की व्यवस्था करनी चाहिए ।

16. विश्वविद्यालय, माध्यमिक और प्राथमिक छात्र स्तर पर जनसंख्या संबंधी शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिए । जनसंख्या शिक्षा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाट्यक्रम में भी शामिल की जानी चाहिए ।

17. प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के जरिये और जाने माने औपचारिक माध्यमों के जरिये जनसंख्या शिक्षा को जोरदार ढंग से चलाने की जरूरत है ।

18. परिवार नियोजन के स्वीकारकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के गर्भ-निरोधक और अधिक आसानी से उपलब्ध किये जाने चाहिए ।

19. बच्चों में कुपोषण से होने वाली गम्भीर विकृतियों का उपचार करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पोषण पुनर्वास और चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिएं ।

(ख) की गई कार्यवाही :

1. राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय लिया है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में ही रखा जाए।

2. 50 हजार जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संशोधित प्रतिमान स्वीकार कर लिया गया है और संशोधित प्रतिमान को 1988 तक प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । इसका उल्लेख 1978-83 की पंच-वर्षीय योजना के दस्तावेज में किया गया है ।

3. कार्य दल की दूसरी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ।

4. शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख तथा परिवार कल्याण संबंधी बर्किंग ग्रुप जिसमें संगठित प्राइवेट क्षेत्र का परिवार कल्याण कार्यक्रम भी शामिल है ।

(क) महत्वपूर्ण सिफारिशें :

1. शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 10,000 की आबादी के पीछे एक औषधालय होना चाहिये । शहर के किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक औषधालय आबंटित किया जाए । इस प्रयोजन के लिए फेमिली कार्ड तैयार किये जाने चाहिये । औषधालयों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की सेवायें भी प्रदान करनी चाहिए ।

2. जिन शहरों में 50,000 अथवा उससे अधिक जनसंख्या है वहां पर प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या के पीछे (अर्थात 5 औषधालयों के लिए) एक-एक पोलीक्लिनिक होना चाहिए

ताकि ये क्लिनिक विशेषज्ञ सलाह मशवरा दे सकें। पोलक्लिनिक औषधालय तथा अस्पताल के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगा और यह क्लिनिक अस्पतालों में होने वाली भीड़ को भी कम करने में मदद करेगा।

3. (क) अस्पताल में भर्ती करके इलाज की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ाई जाए बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

(ख) जिन रोगियों को सक्रिय इलाज की जरूरत नहीं है उन रोगियों के आवास के लिए प्रत्येक अस्पताल के साथ धर्मशालायें सम्बद्ध की जाएं।

(ग) अस्पतालों में 60 से कम और 600 से अधिक पलंग नहीं होने चाहिए।

(घ) केवल उन अस्पतालों में गहन उपचर्या यूनिट उपलब्ध की जाए जिनमें 500-600 पलंग हैं।

(ङ) अस्पताल के कर्मचारियों को अस्पताल के परिसरों में रिहायशी स्थान उपलब्ध किया जाए और कर्मचारियों का यह रिहायशी स्थान अस्पताल के निर्माण के भाग के रूप में होना चाहिए।

(च) अस्पताल के नर्सिंग-कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करते समय पलंगों की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(छ) अस्पताल में कैजुएल्टी वार्ड निचली मंजिल पर खोले जाने चाहिए।

(ज) स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम में लोगों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवा संबंधी प्रारम्भिक भुगतान शुरू किया जाए।

(झ) कोल्ड सर्जरी के लिए रक्तदान अनिवार्य बनाया जाए और रक्तदान के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक समान उचित दरें निर्धारित की जानी चाहिएं।

(ञ) एक ही शहरों के विभिन्न अस्पतालों द्वारा उपलब्ध की जा रही अस्पताली सेवाओं में जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाए तालमेल रखा जाए।

(ट) अच्छे रोगियों की टिप्पणियां लिखने के लिए अस्पतालों में कार्य करने वाले डाक्टरों के लिए डिक्टा-फोन की व्यवस्था की जाए।

1. अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में एक्सरे और रोग निदान की सेवाओं को मजबूत बनाया जाए।

योजना आयोग को यह निर्धारित कर देना चाहिए कि अस्पताल की अतिरिक्त पलंग केवल तभी उपलब्ध किए जायेंगे जब अन्य बाधायें दूर कर दी जायें और अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या अधिक बनी रहे। एक नीति के रूप में योजना आयोग को चाहिए कि वह अस्पताल की उत्पादकता तथा जो काम आज डाक्टरों द्वारा किया जा रहा वह तकनीशियनों द्वारा किया जाएगा

उस अधिकांश कार्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तकनीशियन तैयार करने की व्यवस्था करे। यह सस्ता, अधिक कुशल और अधिक सुविधाजनक रहेगा।

4. दल ने रेल मंत्रालय द्वारा दूर-दराज दोनों में रहने वाले रेलवे के कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम परिचर्या सेवा रोग निवारक और स्वास्थ्य वर्धक सेवाओं, एण्टी रूप प्रयोगशाला सुविधाओं सहित पोलिक्लिनिक पैटर्न पर स्वास्थ्य क्लिनिकों का आयोजन कर उपचारात्मक अच्छी सेवाओं, परा चिकित्सा का डर बनाने तथा प्रचालन संबंधी अनुसंधान आरम्भ करने के लिए व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

5. चल रहीं केन्द्रीय योजनाओं को जारी रखने की सिफारिश की गई थी।

6. प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवाओं को ऐसी सभी संस्थाओं, केन्द्रों, अस्पतालों के साथ एकीकृत कर दिया जाए जो बाहरी क्षेत्रों में चिकित्सा परिचर्या प्रदान कर रहे हैं।

7. वायु तथा जल के संरक्षण को रोकने के लिए उपचारी उपाय किए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

8. स्वास्थ्य शिक्षा गठित करना विशेषकर गंदी बस्तियों में।

9. ग्रुप ने सिफारिश की कि मानसिक स्वास्थ्य विभाग अलग से खोलने की बजाए सामान्य अस्पतालों में खोले जाएं तथा मनश्चिकित्सा विज्ञान में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

10. देश में सुरक्षा उपायों के लिए सलाह देने हेतु वर्तमान संस्थाओं का विस्तार किया जाए और कारखानों आदि को उचित लागत पर सलाह उपलब्ध की जाए।

(ख) की गई कार्यवाही :

की गई कार्यवाही की झलक पंचवर्षीय योजना (1978-83) के मसौदा दस्तावेज में देखी गई है और इसे नीचे उद्धृत किया गया है :

"इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि शहरों में अस्पताली पलंगों की संख्या अधिक होती है तथा विशेषकर शहरों तथा राज्यों की राजधानियों में और नीति यह होगी कि इस व्यवस्था को बहुत सीमित हद तक और वह भी उस सूरत में जिसमें यह विस्तार आवश्यकता तथा प्राथमिकता के आधार पर बहुत न्यायोचित समझा जाए। ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्रों से यह आशा की जाती है कि वे इन सुविधाओं के कुछ भाग की लागत को स्थानीय उपकरों तथा राजस्व से पूरा करेंगे।

शहरी तथा राज्य अस्पतालों के भारत को कम से कम करने तथा लागत कम करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। इसमें ऐसे रोगियों को रखने के लिए, जिनको सक्रिय उपचार की आवश्यकता न हो, आरोग्य गृहों की स्थापना, शहरी औषधालयों को रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए पोलिक्लिनिकों की स्थापना तथा रोगियों के साथ दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले परिवारों को ठहराने के लिए धर्मशालाओं की व्यवस्था करना शामिल हैं। नए अस्पताल खोलना, वर्तमान अस्पतालों में वृद्धि करना और अतिरिक्त पलंगों की इस तरह योजना बनाना कि जिससे क्षेत्रीय

वितरण संतुलित, व्यवहार्यता तथा उचित प्रबन्ध व्यवस्था बनी रहे। अस्पतालों, पोलिक्लिनिकों और औषधालयों के बीच के कार्यों की एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की जाएगी ताकि उपलब्ध सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

1. **चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा संस्थान पर कार्यकारी बल :**

(क) महत्वपूर्ण सिफारिशें :

1. स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा।
2. स्वास्थ्य सूचना पद्धति को सुदृढ़ करना तथा स्वास्थ्य आसूचना के लिए प्रलेखन केन्द्र स्थापित करना।
3. स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना तथा छात्रों को सामाजिक ओरियेंटेशन की अच्छी सुविधायें प्रदान करना।
4. सभी राज्यों में स्नातक पूर्व कार्यक्रम की समीक्षा करना और जनशक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर स्नातकोत्तर शिक्षा के पैटर्न में तबदीली करना।
5. परीक्षाओं के राष्ट्रीय बोर्ड को सुदृढ़ बनाना।
6. विभिन्न वर्गों के परा-चिकित्सा और सहायकों, विशेषकर बहुधंधी कार्यकर्त्ताओं और उनके पर्यवेक्षकों, स्वैच्छिक जन स्वास्थ्य रक्षकों के प्रशिक्षण का विस्तार करना।
7. चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाये रखने और उसमें सुधार लाने के लिये चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना करना।
8. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अर्थात् संचारी रोगों का नियंत्रण प्रजनन नियंत्रण, पोषण और अन्य प्रमुख चयापचयी रोगों तथा स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने की पद्धति में अनुसंधान को तेज करना।
9. वैज्ञानिक अनुसंधान जन शक्ति में सुधार करना।
10. जीवसांख्यकी और जीव चिकित्सा अनुसंधान में अनुसंधान का विकास करना।
11. औषधि विष-विज्ञान में अनुसंधान का विस्तार करना।
12. चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखना।

(ख) की गई कार्यवाही :

1. सभी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्ररूप पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के पांचवें संयुक्त सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार इस राष्ट्रीय नीति के प्रारूप को व्यापक रूप से परिपत्रित किया गया था और उसमें संशोधन करने के लिये प्राप्त सुझावों पर 27 से 29 अप्रैल, 1979 तक होने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के छठे संयुक्त सम्मेलन में विचार किया जायेगा।

3. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय पर प्रदर्शन केन्द्र और चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा आयोग स्थापित करने की योजनायें 1979-80 की वार्षिक योजना में शामिल की गई है ।

औषधि और खाद्य अधमिश्रण पर कार्यकारी दल :

(क) महत्वपूर्ण सिफारिशें :

1. औषधि निरीक्षालयों और परीक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ावा देकर राज्य औगधि नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करना ।
2. केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन का विस्तार करना ।
3. केन्द्रीय और राज्य खाद्य अभमिश्रण रोकथाम संगठन को सुदृढ़ बनाना और खाद्य निरीक्षकों और विश्लेषणों के लिये परीक्षण और प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करना ।
4. चल रही योजनाओं को जारी रखना ।

(ख) की गई कार्यवाही :

(ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ।)

1. **भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी पर कार्यकारी दल :**

(क) महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय परिषदों द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या सभी स्नातक पूर्व कालेजों में लागू की जायें ।
2. उपयुक्त संस्थानों में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के लिये स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना की जाये ।
3. पिछड़े इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ों तथा मरुस्थलों जैसे कठिन भूभागों में औषधालय स्थापित करके भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मामले से चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाये ।
4. स्नातकपूर्व कालेज के अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाये ।
5. गांव के चिकित्सकों को एक अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाये ।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों/होम्योपैथी में अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय और उन्हें तेज किया जाये ।
7. चिकित्सा फार्मेसियों की राज्य स्वदेशी पद्धतियों के विकास की योजना जारी रखी जाये ।
8. योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास किया जाये ।
9. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों/होम्योपैथी/योग और प्राकृतिक चिकित्सा की मूल

पुस्तकों/पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिये पर्याप्त सुविधायें और वित्तीय सहायता प्रदान की जाये।

10. चल रही योजनाओं को जारी रखा जाये।

(ख) की गई कार्यवाही :

(सभी प्रमुख सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।)

जयपुर, अजमेर और रतलाम होते हुए दिल्ली-बम्बई मार्ग

8771. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-अजमेर-रतलाम होते हुये दिल्ली-बम्बई मार्ग की स्थिति बहुत खराब है और यह मार्ग संकरा है जिसके कारण इस मार्ग से होने वाले यातायात में बहुत असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं और निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जयपुर, अजमेर, रतलाम से होकर दिल्ली-बम्बई मार्ग में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जयपुर से होकर दिल्ली से अजमेर।

(ii) रतलाम होकर अजमेर से इन्दौर राज्य मार्ग और

(iii) धुलिया से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 इन्दौर से बम्बई।

राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और 3 अर्थात (i) और (iii) के मार्गों के भाग दो लेन वाले खंड हैं और उनकी स्थिति अच्छी है। राज्य राजमार्ग अर्थात (ii) उपरोक्त से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों का संबंध है।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बे

8772. **श्री राजाराव शंकरराव माने** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर से बम्बई के लिये चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ी में एक प्रथम श्रेणी का तथा दो द्वितीय श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से;

(ग) क्या इचुलकरंजी स्थित आउट एजेंसी महालक्ष्मी के आरक्षण-टिकटों की मांग को पूरा कर सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 303/304 कोल्हापुर-बम्बई महालक्ष्मी एक्सप्रेस के डिब्बों की संख्या में वृद्धि का प्रश्न बम्बई वी० टी० में

पर्याप्त लम्बाई के प्लेटफार्म की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही, अनुरक्षण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं की भी समस्या है, जिसे सुलझाने के उद्देश्य से मझगांव में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही शुरू की गयी है और यह काम प्रगति पर है। जब ये अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध हो जायेंगी, तब इस प्रकार की अन्य मांगों के साथ-साथ 303/304 महालक्ष्मी एक्सप्रेस के डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर भी यथोचित विचार किया जायेगा।

(ग) इचुलकरंजी आउट एजेंसी से यात्री यातायात की बुकिंग के सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह यात्री यातायात के लिए नहीं खोली गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय राज मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिये परिचय प्रस्ताव

8773. **श्री विजय कुमार एन• पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा निरन्तर रूप में की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए राजकीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने हेतु परिव्यय प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को अकोला नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को मोड़ देने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) विभिन्न वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकता कारणों से सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में कोई भी वृद्धि करने में असमर्थ है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में राजकीय राजमार्ग 6 पर धुला-नागपुर रोड पर 13.5 कि• मी• लम्बा अकोला उपमार्ग की अनुमानित लागत 1.50 करोड़ रुपए है जिसमें मोरना नदी पर पुल की लागत शामिल है, संसाधनों की कठिनाई और उपमार्ग की दी गई निम्न प्राथमिकता के कारण 1978-83 योजना अवधि में इस उपमार्ग की स्वीकृति दिये जाने की संभावना नहीं है।

रेलवे कुलियों की मांगें

8774. **श्री वसन्त साठे** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पोर्टर्स, बेण्डर्स एण्ड बीयरर्स नेशनल फेडरेशन ने नई दिल्ली में हाल में नई दिल्ली में आयोजित अपने आठवें अखिल भारतीय सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए थे और अपनी मांगों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मुख्य मांगों का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है और

उनका क्या वित्तीय परिणाम होगा और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अब तक किए गए निर्णयों और विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कुलियों की दरों में अन्तिम बार कब संशोधन किया गया था और उन्हें संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) उनकी सेवा और काम करने की शर्तों में सुधार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और जिन अन्य उपायों पर विचार किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कुलियों के प्रति समुचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सरकार शीघ्र ही कुलियों की काम की शर्तों के बारे में श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण करायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स, वेन्डर्स एण्ड बेयरर्स की ओर से तारीख 30.3.79 का एक ज्ञापन रेल मंत्रालय में प्राप्त हुआ है जिसमें तारीख 29.3.79 को नयी दिल्ली में हुई उनकी 8वीं अखिल भारतीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में रेलवे भारिकों तथा वेंडरों की 16 मांगें दी गयी हैं। इनमें मुख्य मांगें हैं (1) रेलवे भारिकों और कमीशन वेंडरों/बेयररों की चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में माना जाना, (2) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, (3) 1·30 रु० का न्यूनतम भारिक प्रभार, (4) विश्राम आश्रम, (5) बीमा योजना, (6) मुफ्त पास तथा सुविधा टिकट आदेश इत्यादि।

अपनी मांगों के सम्बन्ध में लाइसेंसधारी भारिकों के अभ्यावेदन उनके यूनियन के माध्यम से रेल मंत्रालय में समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। इन पर विचार किया जाता है और उनकी मांगों पर उपयुक्त निर्णय लिया जाता है। आनन्दन समिति द्वारा रेलों पर लगे लाइसेंस-धारी भारिकों तथा कमीशन वेंडरों के कार्य तथा रहन-सहर्ष की वास्तविक अवस्था का अध्ययन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की और 89 सिफारिशें कीं जिनमें से 55 लाइसेंसधारी भारिकों और 34 कमीशन वेंडरों से सम्बन्धित थीं। सरकार द्वारा 60 सिफारिशें— 40 लाइसेंसधारी भारिकों तथा 20 वेंडरों के सम्बन्ध में स्वीकार कर ली गयीं और उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया। बाकी सिफारिशों में से पांच सिफारिशें टिप्पणी मात्र थीं।

मौजूदा परिस्थितियों में जो भी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय सम्भव हैं, सरकार उन्हें लाइसेंसधारी भारिकों तथा वेंडरों के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

भारिक प्रभार का विनिश्चय रेल प्रशासन द्वारा स्थानीय रूप से यथा प्रचलित या स्थानीय सिविल प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। फिर भी, रेलों से कहा गया है कि वे किसी भी स्टेशन पर प्रति सिर भार या 37/40 कि० ग्रा० पर 50 पैसे से अन्यून न्यूनतम भारिक प्रभार की दर निर्धारित करें। रेल प्रशासन द्वारा प्रत्येक दो वर्ष बाद आवश्यक समीक्षा की जाती है और जहां भी औचित्य हो दरों को संशोधित किया जाता है।

लाइसेंसधारी भारिकों तथा रेल प्रशासन के बीच एक लाइसेंसधारी और लाइसेंसदाता का सम्बन्ध होता है। अतः लाइसेंसधारी भारिक रेल कर्मचारी नहीं होते और वे अपनी मजदूरी

उनके द्वारा की गयी सेवा के लिए सीधे यात्री जनता से प्राप्त करते हैं। फिर भी, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत या अध्ययन दल, जिसके द्वारा लाइसेंसधारी भारिकों तथा वेंडरों की कार्य अवस्थाओं के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया, द्वारा की गयी सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप लाइसेंसधारी भारिक अब निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र हैं :

1. केवल अपने लिए रेलवे अस्पताल/औषधालय में मुफ्त बहिरंग इलाज। यदि लाइसेंसधारी भारिक रेल परिसर में यात्रियों का सामान ले जाते हुए जख्मी हो जाय तो उसका किसी रेलवे अस्पताल में अन्त: रंग मैडिकल इलाज।
2. किसी कलैन्डर वर्ष में स्टेशन मास्टर/अधीक्षक द्वारा यथा स्वीकृत आकस्मिक छुट्टी।
3. यात्रियों का सामान ढोने के लिए रेलवे की हलके ट्रालियों/हथ ठेलों का मुफ्त उपयोग।
4. दूसरे दर्जे के सदाशयी यात्रियों के उपयोग के लिए स्टेशन पर उपलब्ध की गयी प्रतीक्षालय, शौचालय, कैंटीन आदि जैसी सुविधाएं।
5. अपने बच्चों को रेलवे स्कूलों में भर्ती करना बशर्ते कि सीटें उपलब्ध हों।
6. वृद्धावस्था या शारीरिक दुर्बलता या मृत्यु की हालत में अपना लाइसेंस बैज अपने किसी पुत्र या किसी निकट सम्बन्धी को हस्तान्तरित कर सकता है।
7. जहां कहीं उपलब्ध हों विश्राम आश्रमों का मुफ्त उपयोग।

वर्तमान समय में 30 स्टेशनों पर विश्राम आश्रम उपलब्ध हैं और 25 स्टेशनों पर इन्हें बनाने की योजना निर्माण-कार्यक्रमों में शामिल की गई है।

भारिकों को वर्तमान समय में दी जा रही सुविधायें प्रर्याप्त समझी जाती है और उनमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक कमीशन बैरों का सम्बन्ध है, उन्हें चरणबद्ध रूप से नियमित कर्मचारियों के रुप में आमन्त्रित करने का निर्णय किया गया था। सर्व प्रथम 1000 कमीशन बैरों तथा 12 वेतन एवं कमीशन बैरों को आमंत्रित कर लिया गया है।

कमीशन वेंडरों को विभागीय स्थैतिक यूनिटों द्वारा अन्य कमीशन एजेण्टों की तरह नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए वे विभागीय वेंडिंग स्टालों, ट्रालियों, आदि के प्रबन्ध के लिए सांविधिक करार निष्पादित करते हैं और उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर वे प्रतिशत के आधार पर कमीशन लेते हैं। वे यात्रियों की उस तरह सेवा नहीं करते जिस तरह कमीशन बैरा करते हैं, जिन्हें गाड़ियों के साथ चलना पड़ता है और उनका कार्य खतरनाक और कमीशन वेंडरों से भिन्न होता है, जिनका स्टेशन परिसरों पर ही कार्य होता है। चूंकि कमीशन वेंडर रेल कर्मचारी नहीं होते, अत: रेल कर्मचारियों को प्राप्त सुविधायें उन्हें नहीं दी जा सकतीं। किन्तु, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत और अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप कमीशन वेंडर निम्नलिखित सुविधाओं के पात्र हैं :

(1) उनके नाम वरिष्ठता के अनुसार पंजीकृत किए जाते हैं और रेलों के विभिन्न विभागों में होने वाली चौथी श्रेणी की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए वे पात्र होते हैं।

(2) उन्हें दिए जाने वाले कमीशन की दरों की उन्हें समुचित परिलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है और क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित अधिकतम बिक्री से अधिक बिक्री पर प्रतिशत के आधार पर प्रोत्साहन देने की भी योजना बनी है।

(3) उन्हें मुफ्त वर्दी दी जाती है जिसमें (1) टोपी, (2) कोट, (3) पेंट, (4) जूते शामिल हैं;

(4) केवल अपने लिए रेलवे अस्पताल/औषधालय में मुफ्त बहि:रंग इलाज/यदि वेंडर ड्यूटी के दौरान जख्मी हो जायें तो वे रेलवे अस्पतालों में नि:शुल्क अन्त:रंग मैडिकल इलाज के लिए पात्र होते हैं।

(5) उनके बच्चे रेलवे स्कूलों में भर्ती के लिए पात्र होते हैं बशर्ते कि रेल कर्मचारियों के बच्चों को भर्ती करने के बाद सीटें उपलब्ध हों।

(6) मृत कमीशन वेंडर के कानूनी वारिस को वेंड़िग कार्य दिया जाता है।

वेंडिग/खानपान ठेके के लिए रेलें वास्तबिक मजदूरों की सहकारी समितियाँ गठित करने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। वेंडरों, बेरों तथा रसोइयों आदि द्वारा गठित सहकारी समितियों को वेडिंग/खान-पान ठेके आबंटित करते समय अधिमान्यता भी दी जाती है। फलस्वरूप रेलों पर इस तरह की अनेक समितियाँ कार्यरत हैं।

जहां तक वेंडरों तथा भारिकों की उपभोक्ता तथा ऋण सहकारी समितियां गठित करने का प्रश्न हैं, लाइसेंसधारी भारिक रेल कर्मचारी नहीं होते। अत: अपनी उपभोक्ता तथा ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे अपनी उपभोक्ता तथा ऋण समितियां स्वयं गठित कर उन्हें सम्बन्धित राज्य में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पास पंजीकृत करा सकते हैं।

"न्यू कोक्स पुल्स आफ टू शिपयार्ड प्रोजेक्टस" शीर्षक से समाचार

8775. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 1979 के "ब्लिट्ज" "न्यूकोक्स पुल्स आफ टू शिपयार्ड प्रोजेक्ट्स आन दी ईस्ट कोस्ट एण्ड इंजीसं पोर्ट आन दी वेस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार देखा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है। यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने कभी भी एक ब्रिटिश

कम्पनी के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के समझौते को अन्तिम रूप दिया था। सरकार ने नए शिपयार्डों के चालू करने के लिए जुलाई, 1974 में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तीन कम्पनियों से तैयार करवाई थी, जिनमें से एक ब्रिटिश कम्पनी भी थी। जहां तक अगले चरण का प्रश्न है, अर्थात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, यह मामला 1977 तक विचाराधीन रहा, इसका मुख्य कारण यह था कि नौवहन और जहाज निर्माण उद्योग के सामने कई समस्यायें थीं। इस समय जनहित को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि डी० पी० आर० तैयार करने का मामला इन परामर्शक कम्पनियों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, 19 एक और विस्तृत नीति अपनाई जानी चाहिए और समस्त संसार से टेंडर मांगे जाने चाहिएं 1/19 बड़े जहाज निर्माता देशों से परामर्शी कम्पनियों से टेंडर प्राप्त हुए, जिनमें वे तीन कम्पनियां भी शामिल हैं जिन्होंने प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी और इस मंत्रालय द्वारा गठित अन्तर्मन्त्रालय समिति ने इसका मूल्यांकन किया था। विभिन्न पेशकशों पर विचार करने और कुछ कम्पनियों से विचार विमर्श करने के पश्चात्, जिसमें ब्रिटिश कम्पनी भी थी, जिसकी पेशकश पर भी विचार किया जाना था। समिति ने जापान की कम्पनी आई० एच० आई० की पेशकश को स्वीकार करने की सिफारिश की जिसकी पेशकश न्यूनतम थी। पूरा करने के कम समय, विभिन्न जहाज निर्माण स्टेज तक परामर्श की सम्पूर्ण लागत जो कि सबसे कम थी, इन बातों को ध्यान में रख कर पेशकश की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न कम्पनियों की जिनमें जापान की आई० एच० आई० भी थी, के तकनीकी दक्षता के विस्तृत पहलुओं पर विचार करने के लिए गठन किया गया था। अन्तर्मन्त्रालय तकनीकी समिति की सिफारिशों पर विचार करना था और जिससे विभिन्न मूल्यांकन के पश्चात पेशकश की सिफारिश करनी थी। उक्त को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जापान की आई० एच० आई० की पेशकश स्वीकार करने की सिफारिश की, इसके साथ-साथ पर्याप्त संतोष के लिए कम्पनी अर्थात आई० एच० आई० जापान की तकनीकी दक्षता की पुष्टि के लिए विदेश में भारतीय मिशनों को लिखा गया, इसके फलस्वरूप कम्पनी के विरुद्ध कोई भी उसकी दक्षता और निष्पादन की विपरीत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्त से यह पता चलेगा कि ब्लिट्ज में प्रकाशित रिपोर्ट वास्तव में गलत भ्रान्तिपूर्ण और निराधार है अतः सरकार का रिपोर्ट की जांच करने का कोई विचार नहीं है।

बसई-दोवा रेल लाइन

8776. **श्री लहानू सिड़वाकीम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई बसई-दीवा लाइन के लिए भूमि का कितना क्षेत्र अर्जित किया गया है और इसमें से कितना क्षेत्र जमीनों के मालिकों का है;

(ख) क्या समूची अर्जित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मुआवजे के भुगतान की कब तक व्यवस्था की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बसई-दीवा नयी रेलवे लाइन के लिए 359. 664 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसमें से 303. 839 हेक्टेयर भूस्वामियों की थी।

(ख) समूची भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी की मांग पर 90.79 करोड़ रुपये की रकम उनके पास जमा करा दी गयी है जिसमें से विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी/ठापा द्वारा 79.90 लाख रुपये का भूस्वामियों को भुगतान कर दिया गया है। अभी उनके द्वारा अपने निर्णयों को अन्तिम रूप देना है।

(ग) और (घ) मुआवजे के भुगतानों की व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार के विशेष भूमि ग्रहण अधिकारी द्वारा की जा रही है। भुगतान की व्यवस्था शीघ्र करने के लिए उनसे अनुरोध किया जा रहा है।

कलकत्ता में मेट्रो रेलगाड़ियों का परीक्षण के तौर पर चलाया जाना

8777. **श्री चित्त बसु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलगाड़ियों को परीक्षण के तौर पर कार्यक्रमानुसार वर्ष 1981 में दम-दम से टालीगंज तक बिना रुके सीधे नहीं चलाया जा सकता है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) दमदम से टालीगंज तक परीक्षण के तौर पर 1981 में मेट्रो गाड़ियां चलाने की कभी भी कोई योजना नहीं रही है। 1981 में दमदम से बेलगाछिया के बीच 2.2 कि० मी० लम्बे खंड पर प्रोटोटाइप चल स्टाक आदि के परीक्षण किये जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खड़गपुर के वफादार रेल कर्मचारी

8778. **श्री लाहन सिंड़वा कोम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान और उसके बाद वफादार रेल कर्मचारियों के पुत्रों/बच्चों को नियुक्त करने के लिए क्या कोटा निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान खड़गपुर डिवीजन में तैनात ऐसे कितने वफादार रेल कर्मचारी हैं, जो उक्त योजना के अधीन लाभ का दावा करने के हकदार थे, परन्तु जिस नौकरी के बारे में उन्हें आश्वासन दिया गया था, वह नहीं दी गई,

(ग) खड़गपुर डिवीजन के उन वफादार रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनके एक से अधिक पुत्रों/बच्चों को उक्त योजना के अधीन नियुक्त किया गया था, और

(घ) क्या उक्त योजना के अधीन पात्र उम्मीदवारों को अब भी लाभ मिल सकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सीधी भरती की 20 प्रतिशत रिक्तियां तथाकथित निष्ठावान कर्मचारियों के पुत्रों/आश्रितों की नियुक्ति के लिए अलग रखी गयी थीं। जिन कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया

जा सका उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धियां, नकद पुरस्कार, पुनर्नियोजन, सेवा की अवधि में वृद्धि जैसे अन्य प्रोत्साहन दिये गये थे। खड़गपुर मंडल में, 8447 "निष्ठावान कर्मचारियों" में से 225 कर्मचारियों को नियोजन का लाभ दिया गया।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) जी नहीं।

दक्षिणी अंगोला तथा जिम्बाबवे के स्वतंत्रता सेनानियों पर विमानों से हमला

8779. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उन्हें पता है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार तथा रोडेशिया में श्वेत लोगों की सरकार दक्षिण अंगोला तथा जिम्बाबवे के स्वतंत्रता सेनानियों के अधिक प्रभाव वाले क्षेत्रों पर विमानों से निरन्तर हमले कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत ने सार्वजनिक रूप से हमेशा ऐसे हमलों की निन्दा की है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के अंगरेजी राज्यों की सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन किया गया हो और जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता हो।

जहां तक दक्षिण रोडेशिया के अवैध जातिवादी शासन द्वारा किये गए हमलों का सम्बन्ध है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 8 मार्च, 1979 के संकल्प संख्या 445 (1979) का पूरा समर्थन करता है जिसमें ऐसे हमलों की निन्दा की गई है। भारत ने दक्षिण रोडेशिया के विरुद्ध लगे वर्तमान प्रतिबन्धों को सख्त बनाने और उन्हें चार्टर के सातवें अध्याय के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से इनकी समीक्षा करने पर अपने पूर्ण समर्थन की घोषणा की है। विदेश मंत्री ने रोडेशिया के हाल के हमले की निन्दा की है, जिसमें लुसाका में "मुक्ति केन्द्र" पर बमबारी की गई थी।

जहां तक अंगोला पर दक्षिण अफ्रीका के हाल के हमले का सम्बन्ध है, भारत सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 28 मार्च, 1979 के संकल्प संख्या 447 (1979) का पूरा समर्थन करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ "अंगोला लोक गणराज्य" पर सशस्त्र आक्रमण तथा उसके अस्थिरीकरण के लिए नाम्बिया के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का दक्षिण अफ्रीका द्वारा कार्रवाई के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की निन्दा की गई है। इस सम्बन्ध में भारत ने सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया है कि चार्टर के सातवें अध्याय के अन्तर्गत चुनींदा बाध्यकारी उपायों को लागू करने पर गम्भरीता से विचार किया जाना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानियों को भारत यथासंभव सभी सामग्रीगत सहायता देता रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा।

अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

8780. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन में अन्तराल दर्शाते हुए रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवेज को कोई अनुदेश दिए थे,

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुदेश कब दिए गए, और

(ग) यदि नहीं, तो जोनल रेलवेज को ऐसे अनुदेश कब तक दिए जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

स्कूटरों तथा टेक्सियों के किराये में वृद्धि

8781. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप दिल्ली में स्कूटर तथा टैक्सी चालकों ने किराया बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च, 1979 के प्रथम सप्ताह में हड़ताल की थी;

(ख) क्या दिल्ली में आटो रिक्शों तथा टैक्सियों को वर्ष 1979-80 के बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप अपने किरायों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या किरायों में बृद्धि की मांग पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप नहीं है और आम जनता को अधिक किराया देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली, जो कि वृद्धि करने का सक्षम प्राधिकरण है, ने दिल्ली में गाड़ियों अर्थात आटो रिक्शा और टैक्सियों के भाड़े में 25 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी है । उन्होंने न केवल पेट्रोल के मूल्यों की हाल की वृद्धि को ध्यान में लिया है बल्कि 6 मार्च, 1974 से परिचालन की लागतों की वृद्धि को भी ध्यान में लिया है जबकि भाड़ों को संशोधित किया गया था ।

परिवार नियोजन के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

8782. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** :

श्री मोहम्मद शम्सूल हसन खां : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रेलवे में परिवार नियोजन के कुछ पदों का दर्जा बढ़ाया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो इनका दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा, और

(ग) क्या जोनल रेलवे में परिवार नियोजन के पद रेल मंत्रालय के अधीन हैं अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (शिव नारायण) : (क) जी नहीं। तथापि, क्षेत्रीय रेलों के परिवार कल्याण संगठन में प्रोजेक्शनिस्ट को लागू 260-400 रु० के संशोधित वेतनमान में संशोधन करके 1.9.79 से उसे 330-560 रु० कर दिया गया है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों के परिवार कल्याण संगठन में फील्ड वर्कर्स के वेतनमान में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) क्षेत्रीय रेलों के परिवार कल्याण संगठन के अधिकारी और कर्मचारी रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन इस संगठन की समग्र लागत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है।

जोनल रेलवेज में परिवार नियोजन ढांचा

8783. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने मन्त्रालय में जोनल रेलों के परिवार नियोजन ढांचे के कर्मचारियों और अधिकारियों को स्थाई करने के बारे में प्रस्तावों की जांच की है; और

(ख) जोनल रेलवे में परिवार नियोजन कर्मचारियों को कोई दर्जा क्यों नहीं दिया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) रेलों के परिवार कल्याण संगठन के पद अस्थाई पद हैं जिनके भुगतान की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है। अत: कर्मचारियों का स्थाईकरण सुसाध्य करने के लिए इन पदों को स्थाई करना सम्भव नहीं है। फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को हानि न हो, निम्नलिखित उपाय किए गये हैं—

(1) रेलों के नियमित संवर्ग के लिए गये कर्मचारी अपना लियन मूल विभाग में जारी रखते हैं और पदोन्नति पाते हैं।

(2) परिवार कल्याण संगठन के लिए विशिष्ट रूप से सीधे भरती किए गए कर्मचारियो को रेलों के नियमित संवर्ग में असमान पदों में पेपर लियन दिया जाता है और स्थाईकरण के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ उन पर विचार किया जाता है।

इस प्रकार इन कर्मचारियों को स्थाई करने के ठीक वैसे ही अवसर मिलते हैं जो रेलों में उतनी ही सेवा-अवधि के लिये अन्य विभागों के कर्मचारियों को मिलते हैं। उनकी शिकायत की यह कोई दलील नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

8784. **श्री मही लाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रत्येक विभाग में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा पूरा है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के सम्बन्ध में आरक्षण के बारे में 40 प्वायन्ट रोस्टर वहां रखा जाता है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं और शेष कोटा कब पूरा किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें

8785. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाये देने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) मानसिक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पृथक-पृथक कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधायें देने की अपर्याप्त व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) सरकार की नीति वर्तमान स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से रोग निदान चिकित्सा और पुनर्वास की सुविधायें राज्यों और केन्द्र दोनों में जहां ये उपलब्ध हैं, प्रदान करना है । वैसे पुनर्वास की अनेक सुविधाये स्वैच्छिक संगठनों के पास उपलब्ध हैं और वे भी मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को नैदानिक और सेवा सम्बन्धी दोनों प्रकार की सुविधायें प्रदान करते हैं । सरकारी विचारधारा को सुव्यवस्थित करने तथा स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है ताकि पुनर्वास के सभी पहलुओं के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिए एक नीति विषयक योजना और कार्यक्रम तैयार किया जा सके ।

(ख) यद्यपि शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों की संख्या के बारे में अलग से कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी विश्व के आंकड़ों के अनुसार इन दोनों वर्गों के व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या के 10 प्रतिशत के बराबर है । भारतीय आंकड़ों के अनुसार 2 प्रतिशत लोग मानसिक रूप से मन्द हैं ।

(ग) अपंग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी है। तथापि, शहरी केन्द्रों में गश्ती क्लिनिकों और सेवाओं की व्यवस्था करके इन सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के उपाय किए गए हैं।

(घ) चूंकि कुछेक को छोड़कर सभी पुनर्वास केन्द्र मुख्यत: शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने के लिए कतिपय राज्यों में मार्गदर्शी ग्रामीण पुनर्वास केन्द्र विकसित किए गए हैं। जहां तक मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों के क्षेत्र में 237 केन्द्र खोल दिए गए हैं। जिनमें से 120 'डे' केन्द्र है, 117 शिक्षा सम्बन्धी केन्द्र हैं, 68 केन्द्रों में मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के निदान और इलाज के लिए चिकित्सा सुविधायें मौजूद हैं और इन केन्द्रों में 28 केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और 40 केन्द्र स्वैच्छिक एजेंसियां चलाती हैं। अनुमान है कि इस समय मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों में से केवल एक प्रतिशत को ही सहायता मिल रही है। भारत सरकार द्वारा (समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा) एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्थान खोला जा रहा है ताकि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को विशेषज्ञ परिचर्या की सुविधायें प्रदान की जा सकें। और उनका प्रबन्ध करने के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें भी सुलभ की जा सकें।

51 अप स्यालदह एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बे में, जिसमें आग लगी थी, यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता

8786. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 51 अप स्यालदह एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बे में, जिसमें शाहाबाद और हरदोई के बीच 19 मार्च 1979 को आग लगी थी यात्रा करने वाले यात्रियों को पर्याप्त सहायता दी गई थी;

(ख) इस डिब्बे में आग लगने के क्या कारण थे; और

(ग) अब तक गुम 74 यात्रियों का पता लगाने के लिए क्या तत्काल कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (शिव नारायण) : (क) 19-3-79 को शाहाबाद और हरदोई के बीच 51 अप गाड़ी की एक बोगी में आग लग जाने के परिणामस्वरूप मरने वाले जेठासिंग की बिधवा को अनुकम्पा के आधार पर 1,000 रुपये की रकम का और घायल होने वाले बच्चे के पिता को 250 रुपए की रकम का भुगतान किया गया है। दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्तियों या उनके आश्रितों से अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। पदेन दावा आयुक्त के न्यायालय के निर्णय के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) जाँच समिति के निष्कर्ष के अनुसार आग यान के खोल और लकड़ी के भीतरी पेनल के बीच किसी यात्री द्वारा जलती हुई बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ा फेंके जाने के कारण लगी, परिणामस्वरूप एक आदमी मारा गया और एक घायल हुआ।

(ग) चूँकि कोई यात्री लापता नहीं था इसलिए खोज का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार तथा शिक्षित बेरोजगारों की संख्या

8787. **श्री ए० के० राय** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बेरोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में 1-1-1979 तथा 1-1-1978 एवं 1-1-1977 के दिन बेरोजगारों की संख्या कितनी थी;

(ख) विभिन्न स्तरों के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू रजिस्टरों में बेरोजगार महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी-कितनी है और गत तीन वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि की दर क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1976-77 और 1978 वर्षों के अन्त में देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (यह जरूरी नहीं है कि उनमें से सब बेरोजगार हों) क्रमश: 97, 84, 109, 24, और 126 78 लाख थी।

(ख) शिक्षा स्तरों के अनुसार शिक्षित रोजगार चाहने वालों से सम्बन्धित सूचना अर्द्ध-वार्षिक अन्तरालों पर प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर के अन्त में एकत्र की जाती है। उपलब्ध नवीनतम सूचना 30 जून, 1978 से सम्बन्धित है जो कि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अल्पसंख्यक वर्ग के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचना एकत्र नहीं की जा सकी। पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी वृद्धि की दर निम्न प्रकार है :

निम्नलिखित वर्गों के रोजगार चाहने वालों की संख्या

(आंकड़े लाखों में)

निम्नलिखित को समाप्त हुआ वर्ष	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1976	12.31	11,37	2.65
	(9.4)	(12.5)	(13.7)
1977	14.10	12.82	2.87
	(14.6)	(12.8)	(8.3)
1978	16.72	13.73*	3.00
	(18.5)	(7.1)	5.2

पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धियां कोष्टकों में दर्शायी गई हैं।

* आकड़े 30 जून 1978 की स्थिति दर्शाते हैं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4374/79)

आपात स्थिति के दौरान पी. जी. आई. चण्डीगढ़ में लोकनायक जय प्रकाश नारायण के इलाज की जांच करने के लिये आयोग का पुनर्गठन

8788. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** आपात स्थिति के दौरान लोकनायक जय प्रकाश नारायण की चिकित्सा सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में 15 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण को, जब वह आपात स्थिति के दौरान फरवरी, 1975 में पी. जी. मेडिकल इन्स्टीट्यूट, चंडीगढ़ में "मीसा" के अन्तर्गत नजरबन्द थे, की गई अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा की जांच करने के लिए आयोग पुनर्गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग कब गठित किया जायेगा या डा० नागप्पा एल्वा द्वारा त्यागपत्र दिए जाने से उनके स्थान पर नया चेयरमैन नियुक्त किया जायेगा;

(ग) यदि (क) भाग का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या एल्वा आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन को इस सभा के पटल पर रखा जायेगा तथा साथ ही इस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन भी रखा जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक सदस्यीय आयोग डा० नागप्पा एल्वा द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट केवल एक अन्तरिम रिपोर्ट थी और भारत सरकार का इसे सभा-पटल पर रखने का विचार नहीं है।

धूम्रपान

8789. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी सर्जन जनरल के इन निष्कर्षों की जानकारी है कि धूम्रपान को 15 वर्ष पूर्व की तुलना में अब और अधिक खतरनाक समझा जाता है; क्योंकि इससे मृत्यु और बीमारियां फैलती हैं; और

(ख) सरकार के किये गये अनुसंधान से निकले निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान की बढ़ती हुई आदत को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जैसा कि रोग नियंत्रण केन्द्र द्वारा प्रकाशित दिनांक 12 जनवरी, 1979 की मार्बिडिटी एण्ड मोरटैलिटी वीकली रिपोर्ट में छपा है, सरकार ने धूम्रपान और स्वास्थ्य पर यू. एस. सर्जन जनरल की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें देखी हैं।

(ख) धूम्रपान कम करने के सम्बन्ध में अब तक जो उपाय किए गये हैं उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. सिगरेटों के उत्पादन, प्रदाय और वितरण संबंधी व्यापार और वाणिज्य में कतिपय प्रतिबन्धों की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून अर्थात् "सिगरेट (विनियमन, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) अधिनियम, 1975" बनाया है, जिसे पहली अप्रैल, 1976 से लागू कर दिया गया है। सरकार राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबन्धों को राज्यों में लागू करने के लिए आग्रह कर रही है।

2. कई राज्यों ने बाल-धूम्रपान और सिनेमा हालों, बसों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून पास कर दिया है।

3. सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर "धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" नामक चेतावनी का छापा जाना जरूरी है।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने धूम्रपान के खतरों के संबंध में व्यापक प्रचार आरम्भ किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मैगजीनों तथा पत्रिकाओं में धूम्रपान के खतरों के बारे में लेख छापे जाते हैं। इस विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने एक फिल्म भी बनाई है जिसे सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की सहायता से सिनेमा घरों में एक चलचित्र के रूप में दिखाया जा रहा है। यह फिल्म केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के माध्यम से लोगों को भी दिखाई जा रह है।

5. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नौवीं तथा दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसमें धूम्रपान के खतरों तथा इसके कुप्रभावों से संबंधित विषय शामिल किया गया है। यह पुस्तक समस्त भारत के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई जाती है।

6. भारतीय विमान सेवा ने कई निमानों में "धूम्रपान निषेध क्षेत्र" की व्यवस्था करने का निश्चय किया है और यह घोषणा "यदि आप चाहें तो धूम्रपान कर सकते हैं" समाप्त कर दी गई है।

7. धूम्रपान को कम करने के लिए सिगरेट के उत्पादन तथा बिक्री पर कर बढ़ा दिया गया है।

इन्दौर, देवास और उज्जैन से बम्बई और दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अधिक डिब्बे लगाया जाना

8790. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर, देवास और उज्जैन से बम्बई और दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए गत तीस वर्षों में केवल एक ही डिब्बा लगाया जा रहा है। जिसके कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इन्दौर तथा नागदा के बीच उन्हें पांच घंटे लग जाते हैं।

(ख) क्या स्थानीय लोग गत कई वर्षों से अधिक डिब्बे लगाने की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) इन्दौर और दिल्ली-देहरादून के बीच एक सीधा सवारी डिब्बा 1-10-77 से और इन्दौर-बम्बई सेन्ट्रल के बीच एक अन्य सवारी डिब्बा 1-4-78 से, 19/20 बम्बई सेन्ट्रल-देहरादून एक्सप्रेस और सम्बद्ध गाड़ी के साथ लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, मीटर लाइन पर, खण्डवा/महू-दिल्ली के बीच 15/16 चेतक एक्सप्रेस और सम्बद्ध गाड़ियों के साथ दूसरे दर्जे के 5 सीधे सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गई है, इन्दौर से दिल्ली की ओर जाने वाले थ्रू यात्रियों द्वारा इन डिब्बों का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रतलाम और भोपाल के रास्ते दिल्ली तथा बम्बई की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए विभिन्न मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में उपयुक्त आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) इन्दौर से बम्बई-दिल्ली के लिए अतिरिक्त सीधे सवारी डिब्बे चलाना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, जब 3/4 फ्रन्टियर मेल में पहले दर्जे के दो सवारी डिब्बों के स्थान पर एक प्रस्तावित वातानुकूल 2-टियर शयनयान और एक दूसरे दर्जे का 3-टियर शयनयान चलने लगेंगे, तब इन गाड़ियों में इन्दौर, रतलाम आदि मार्गवर्ती स्टेशनों के लिए दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल की ओर दूसरे दर्जे की वर्तमान शायिकाओं के कोटे में यथोचित वृद्धि कर दी जायेगी।

ब्रिटेन से निकाले गये भारतीयों की संख्या

8791. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कुल कितने भारतीय प्रवासियों को नजरबन्दी कैम्प में तथा ब्रिटेन के बाहर भेजा गया है;

(ख) इसके क्या कारण बताये गये हैं;

(ग) भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और उसने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 1977 और 1978 में नजरबन्द और प्रत्यावर्तित किए गए भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या क्रमश: 90 और 77 है।

(ख) सामान्यत: अवैध रूप से प्रवेश अथवा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक प्रवास के कारण नजरबन्दी और प्रत्यावर्तन किए गए।

(ग) नजरबन्दी और प्रत्यावर्तन के जो मामले ध्यान में आते हैं, उन्हें लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन ब्रिटेन के आप्रवासन प्राधिकारियों और गृह मन्त्रालय के साथ उठाता है। वहां नजरबन्द भारतीय राष्ट्रिकों का समाचार जानने और उनके मामलों का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए हाईकमीशन के अधिकारी उनसे मिलने जेलों और नजरबन्दी केन्द्रों में जाते हैं।

प्राइवेट कम्पनियों द्वारा भोजन व्यवस्था में कुप्रबन्ध

8792. **डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कैन्टीन रेस्तरां आदि रखने वाली प्राइवेट कम्पनियों में से कितनी ऐसी हैं जिसके पास दस हजार रुपए से अधिक बिक्री-कर का बकाया है और फिर भी उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्राइवेट कम्पनियों द्वारा भोजन व्यवस्था में किये जा रहे कुप्रबन्ध पर विचार किया है;

(ग) क्या प्राइवेट अथवा सरकारी रेस्तरां में बिल देना जरूरी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके उल्लंघन के लिए किसी को दण्ड दिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बिक्री-कर, उसका बकाया आदि वसूल करना राज्य सरकारों से संबंधित विषय है और रेल विभाग बिक्री-कर के बकायों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखता । निजी ठेकेदारों पर बिक्री-कर के बकाये का कोई मामला रेल विभाग के नोटिस में नहीं आया है ।

(ख) जब कभी खान-पान ठेकेदारों के असंतोषजनक काम के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, रेल प्रशासनों द्वारा प्रत्येक मामले की आवश्यक जांच के बाद चेतावनी देने, जुर्माना करने तथा बार-बार गलती करने पर ठेका रद्द तक कर देने जैसी निवारक कार्रवाई की जाती है ।

(ग) और (घ) विभागीय तथा ठेकेदारों दोनों प्रबन्धों के अन्तर्गत काम करने वाली यूनिटों को ये स्थायी अनुदेश हैं कि अल्पाहार कक्षी, रेस्तरां तथा भोजनयानों आदि में यात्रियों को बिल प्रस्तुत करें । किन्तु स्टालों या ट्रालियों आदि से बिल जारी नहीं किये जाते । जब कभी बिल न देने की शिकायतें रेल प्रशासन के ध्यान में लायी जाती हैं, दण्ड दिया जाता है और ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं ।

अमरीकी मिशन, कलकत्ता में अवांछित व्यक्ति

8793. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1978 में बंगला देश सरकार द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया एक अमरीकी राजनयिक श्री डोनेल्ड डी० शीहन अब अमरीकी मिशन कलकत्ता में काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इसकी अनुमति किन कारणों से दी है; और

(ग) क्या इस नियुक्ति से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) श्री डोनेल्ड डी० शीहन वर्तमान में अमरीका के कलकत्ता स्थित प्रधान कोसलावास में कार्यरत हैं । अखबारों में कुछ ऐसी खबरें छपी हैं जिनमें सम्भवत: उन्हें ढाका से कलकत्ता स्थानान्तरित किए जाने का जिक्र है, लेकिन यह मालूम नहीं है कि उन्हें बाकायदा अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया गया है या नहीं । जो भी हो, अवांछनीय व्यक्ति घोषित करने या न करने का प्रश्न प्रेषक और ग्रहणकर्त्ता राज्य के बीच

का प्रश्न होता है और इसका सामान्यत: तीसरे देश पर उस व्यक्ति को स्वीकार करने या न करने पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हल्दिया में जहाजों की मरम्मत करने के लिये काम्पलेक्स

8794. **प्रो० समर गुह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री 15 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) हल्दिया में जहाजों की मरम्मत करने के लिए काम्पलेक्स के निर्माण के बारे में अध्ययन दल की सिफारिश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) अध्ययन दल ने सूखी गोदी के आसपास हल्दिया में 45,000 डी. डब्ल्यू. टी. क्षमता वाले जहाजों के लिए एक जहाज मरम्मत काम्पलेक्स की स्थापना और उसके प्रबन्ध को एक सरकारी अथवा संयुक्त कम्पनी को सौंपे जाने की सिफारिश की है । अध्ययन दल ने कलकत्ता में किसी अतिरिक्त सूखी गोदी की स्थापना को आवश्यक नहीं समझा, लेकिन कलकत्ता में मौजूदा सूखी गोदियों के उपयुक्ततम प्रयोग किए जाने के विभिन्न उपायों की सिफारिश की है ।

(ख) मैसर्स गार्डन रीच जहाज निर्माता और इंजीनियर्स से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना की जून, 1979 में तैयार होने की सम्भावना है ।

दिल्ली में स्थानीय गाड़ियों का ठीक समय पर चलाया जाना

8795. **श्री छीतुभाई गामित** : : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गाड़ियों का आना-जाना इतना सही होता था कि उनके समय के अनुसार लोग अपनी घड़ियाँ मिलाया करते थे; परन्तु अब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कार्यालय के कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई होती हैं; क्योंकि गाड़ियाँ, विशेषकर स्थानीय गाड़ियाँ, समय पर नहीं चलती हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि गाड़ियाँ सही समय पर चलें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यद्यपि यह सही है कि यात्री गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति कुछ बिगड़ी है, स्थानीय उपनगरीय गाड़ियों की समय पाबन्दी सामान्यत: सन्तोषजनक रही है । उदाहरणस्वरूप, दिल्ली क्षेत्र में मार्च, 1979 के दौरान उपनगरीय गाड़ियों की समय पाबन्दी 90.0 प्रतिशत थी । गाड़ियों की समय-पाबन्दी की स्थिति विभिन्न कारणों से बिगड़ी है जिनमें से कुछ रेलों के नियन्त्रण के बाहर है । जैसे खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि, होज पाइप अलग किया जाना और बदमाशों की गतिविधियां और जन कर्मचारी आन्दोलन आदि हैं ।

(ख) सभी रेलों में एक समय पाबन्दी अभियान शुरू किया गया है और गाड़ियों के चालन पर सभी स्तरों में ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जा रही है। परिहार्य रुकौनियों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है और गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। खतरे की जंजीर खींचने और बदमाशों द्वारा होज-पाइप अलग किए जाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

सोवियत संघ के स्वास्थ्य विभाग में उपमंत्री का दौरा

8796. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के स्वास्थ्य विभाग में उपमन्त्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य से और वह देश में कितनी अवधि तक रहे; और

(ग) क्या स्वास्थ्य मामलों में सोवियत संघ तथा भारत के बीच आदान-प्रदान के किसी प्रस्ताव पर भी बातचीत हुई और कोई निर्णय लिया गया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत संघ के उप-स्वास्थ्य मन्त्री ने उस प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में भारत का दौरा किया था जो वहां की मंत्रीपरिषद के महा महिम श्री एन. ए. कोसीगिन के नेतृत्व में यहां आया था। वे 8 से 15 मार्च, 1978 तक भारत में रहे।

(ग) भारत में इनके दौरे के बीच सोवियत रूस के उप-स्वास्थ्य मन्त्री ने आयुर्विज्ञान और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के बारे में भारत के अधिकारियों के साथ खुलकर विचार-विनिमय किया। दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग के विषय में एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय राजदूत का चीन जाना

8797. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन स्थित भारतीय राजदूत हाल में स्वदेश आए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकारी यात्रा थी अथवा छुट्टी पर घर आने की निजी यात्रा थी;

(ग) क्या उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चीन के वर्तमान दृष्टिकोण से सरकार को अवगत किया; और

(घ) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री : समरेन्द्र कुण्डु) (क) चीन में हमारे राजदूत

आजकल गृह अवकाश पर भारत आए हुए हैं जो कि संगत नियमों के अधीन अनुभेय है। लेकिन, इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमने चीन सम्बन्धी मामलों पर और चीन के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में उनके साथ कई बार विस्तृत विचार-विमर्श किया है।

श्रीनगर एक्सप्रेस रेल गाड़ी की रवानगी के समय में परिवर्तन

8798. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की नई दिल्ली और पठानकोट से रवानगी का समय ऐसा है कि कांगड़ा घाटी जाने वाले यात्रियों को कांगड़ा घाटी के लिए पठानकोट से मिलान गाड़ी नहीं मिलती है और उन्हें पठानकोट पर घण्टों रुका रहना पड़ता है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है कि कांगड़ा घाटी जाने वाले यात्रियों को पठानकोट से मिलान गाड़ी मिले।

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं, 177/178 झेलम एक्सप्रेस (पहले की 59/60 श्रीनगर एक्सप्रेस) से सीधी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पठानकोट स्टेशन पर सुविधाजनक मेल लेने वाली गाड़ियां उपलब्ध हैं। नई दिल्ली की ओर से 177 एक्सप्रेस द्वारा पठानकोट 3.00 बजे आने वाली यात्री 1 पी. एन. पठानकोट-नगरोटा और 1 पी. बी. पठानकोट-बैजनाथ पपरोला सवारी गाड़ियां पकड़ सकते हैं। जो क्रमश: 3.20 और 5.25 बजे छूटती हैं। दूसरी दिशा में, 21.10 बजे 2 पी० बी० द्वारा पठानकोट आने वाले सीधे यात्री 0.19 बजे छूटने वाली 178 झेलम एक्प्रेस का लाभ उठा सकते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पठानकोट-मण्डी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

8799. **श्री दुर्गा चन्द**: क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पठानकोट से मण्डी तक की सड़क एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो हिमांचल प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों को जोड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस राजपथ पर यात्रियों का भारी दबाव है और यह सड़क कांगड़ा तथा कुल्लू की 'जीवन-रेखा' है;

(ग) क्या यह सच है कि यह मार्ग एक राष्ट्रीय राजमार्ग होने की सभी शर्तें पूरी करता है;

(घ) क्या यह सच है कि गत वर्ष सरकार ने इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का आश्वासन दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस मार्ग को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) से (ङ) जबकि, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में से गुजरने वाली पठानकोट-मण्डी एक महत्वपूर्ण सड़क है, इस पर विभिन्न खण्डों पर यातायात की मात्रा भिन्न है, यद्यपि इसकी सामरिक और पर्यटक दृष्टि से काफी महत्ता हैं, तथापि एक सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए इसमें सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार योग्यतायें नहीं हैं। यह एक राज्य सड़क है अत: इसके विकास की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की हैं। परन्तु सीमा पथ संगठन यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पूरी केन्द्रीय सरकार की लागत से इसका विकास कर रहा है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है और न ही वह वित्तीय दबाव और अन्य प्राथमिकता कारणों से ऐसा करने योग्य है।

अमरीकी नौसेना के विमानों को भारत के ऊपर उड़ने की अनुमति देना

8800. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश मंत्री** अमरीकी नौसेना के विमानों को भारत के ऊपर से उड़ने की अनुमति देने के बारे में 22 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय क्षेत्र के ऊपर उड़ने वाले तीन अमरीकी विमानों द्वारा किए गए वज्ञानिक कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सिविल गवर्नमैंट रिसर्च एजेंसीज आफ युनाइटिड स्टेट्स के वास्तविक कृत्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुण्डु) : संयुक्त राज्य अमरीका के ये तीन विमान भारतीय प्रदेश तथा निटकवर्ती समुद्री क्षेत्रों पर अपनी उड़ानों के दौरान वायुमण्डल को मापेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। यह कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ख) इस मोनेक्स कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमरीका की जो तीन असैनिक सरकारी अनुसन्धान एजेन्सियां भाग ले रही हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) **एन. ए. एस. ए.**—नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन—संयुक्त राज्य अमरीका।

भारत सरकार के अन्तरिम विभाग की तरह अमरीका की यह एजेन्सी अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य में समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।

(2) **एन्कार**--नेशनल सेन्टर फार एटमास्फिरिक रिसर्च—संयुक्त राज्य अमरीका।

यह एक गैर सरकारी लाभ निरपेक्ष संगठन है जिसका प्रबन्ध संयुक्त राज्य अमरीका की एक असैनिक नेशनल साइन्स फाउण्डेशन के साथ एक संविदा के अन्तर्गत वायुमन्डलीय अनुसन्धान सम्बन्धी यूनिवर्सिटी कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका का नेशनल साइंस फाउन्डेशन भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के समान है।

(3) **एन० ओ० ए० ए०**—नेशनल ओसानिक एण्ड एटमास्फिरिक एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमरीका।

यह संयुक्त राज्य अमरीका की एक असैनिक एजेन्सी है। इसके कार्य भारतीय मौसम विभाग, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोआ के समान हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, लन्दन वाले मामले पर सदन में विचार करवाइये, वहां साउथाल में भारतवासियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और जिस प्रकार से भारत को अपमानित किया गया है, उस बारे में आप यहां विवाद करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा की जायेगी।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 197 को देखिये, जिसमें कहा नया है :

"कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुसा से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा···"

उसी का नियम 3 आप देखिए :

"एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा विषय नहीं।"

आज आर्डर पेपर को देखा जाये तो आपने कोई काल अटेंशन नहीं लिया, कल भी कोई नहीं लिया गया था जब कि रूल में लिखा है कि हर रोज कम-से-कम दो काल अटेंशन आप लेंगे। यह इतना बड़ा सवाल है, लन्दन में साउथाल में परसों सैकड़ों भारतीयों को मारा गया है, जूतों से पीटा गया है, उन्हें ब्लैक डांग कहकर पुकारा गवा है। (व्यवधान) हम लोग दो रोज से इस पर काल अटेंशन दे रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। हमने किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति नहीं दी है। क्योंकि हम वित्त विधेयक पर चर्चा समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए गत दो दिनों में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त इस तरह का कोई नियम भी नहीं है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इस तरह से गैर सरकारी सदस्यों का समय कम किया गया है ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए।

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि 19 अप्रैल, 1979 को इस सभा में हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसात्मक तथा आगजनी की घटनाओं के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि 4, 5 तथा 6 अप्रैल को वहां हुई घटनाओं का जायजा लेने के लिए मैं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूं।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : वह क्या पढ़ रहे हैं ? यह कार्य सूची में नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसे सूची में सम्मिलित किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसी चीज के कार्य-सूची में न होने पर मन्त्री जी खड़े होकर किस तरह कोई चीज पढ़कर सुना सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे अनुपूरक सूची में सम्मिलित किया गया है ।

श्री सौगत राय : हमें अनुपूरक सूची नहीं दी नई हैं । आप रोज इस तरह कार्यसूची में परिवर्तन नहीं कर सकते । आगे से यदि किसी चीज को सूची में सम्मिलित किए बिना यहां उठाया गया तो हम आपत्ति करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैं उन्हें इसे कल पढ़ने के लिए कह दूंगा ।

श्री राज नारायण (रायबरेली) । पायंट आफ आर्डर । मेरा पायंट आफ आर्डर यह है कि राष्ट्र में या विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हो, पहले उस पर

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री राज नारायण :*

अध्यक्ष महोदय : जिन मामलों के बारे में मुझे सूचना मिली है, उनके अतिरिक्त मैं किसी अन्य मामले को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा । कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित मत कीजिए ।

(व्यवधान)*

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय । सभा को याद होगा कि 31 जुलाई, 1978 को दो संसद सदस्यों के परिवारों को बेदखल किए जाने के बारे में व्यवस्था के प्रश्न पर हुई चर्चा के दौरान, इस सभा के सदस्य श्री लालजी भाई ने इस सभा के दूसरे सदस्य, श्री शेरसिंह के विरुद्ध इस सभा में तथा आवास समिति में कुछ आरोप लगाए ।

उस समय मैंने कहा था कि सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसलिए मैं इस मामले पर विचार करूंगा । मैंने यह भी कहा था कि सदस्य को शिकायत करनी चाहिए और अपने आरोप सिद्ध करने चाहिए अन्यथा मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जायेगा ।

तदुपरांत मैंने श्री लालजी भाई द्वारा लगाए गए आरोप सभा की कार्यवाही वृतांत से निकाल दिए ।

अपने निदेश के अन्तर्गत श्री लालजी भाई को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कहा गया । चूंकि बार-बार स्मरण पत्र दिए जाने के बावजूद भी श्री लालजी भाई से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः मैंने लोक सभा के प्रक्रिया नियमों तथा कार्य संचालन के नियम 227 के अन्तर्गत इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया ।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विशेषाधिकार समिति ने मुझे जो अपना प्रतिवेदन पेश किया है, उसमें कहा है कि "समिति के समक्ष उनके साक्ष्य के दौरान श्री लालजी भाई ने खेद प्रकट किया हैं और 31 जुलाई, 1978 को लोक सभा में उन्होंने दोषारोपण करने वाली जो बातें कही हैं, उसके लिए क्षमा मांगी है।"

समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि "किसी भी सदस्य को किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपमानजनक आरोप लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।" और कि "समिति इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा खेदजनक समझती है कि श्री लालजी भाई ने दूसरे सदस्य के विरुद्ध गंभीर स्वरूप के आरोप लगाए हैं।"

समिति ने यह भी कहा कि हम "श्री लालजी भाई की इस खेदजनक कार्यवाही की निन्द्रा करते हैं।" फिर भी श्री लालजी भाई, संसद सदस्य द्वारा समिति के समक्ष खेद व्यक्त करने तथा क्षमा मांगने को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि "इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है" और "मामले को स्थगित समझा जा सकता है।"

यदि सभा की अनुमति हो तो इस मामले को समाप्त समझा जाये।

मेरे विचार से सभा सहमत है।

कई माननीय सदस्य : हां

श्री के० गोपाल (करूर) : जब आप कहते हैं कि आपने श्री लालजी भाई द्वारा कही गई बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया था तो फिर आप स्पष्टीकरण कैसे मांग सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अरोप लगाया कि दूसरे सदस्य ने रिश्वत की मांग की···

श्री के० गोपाल : जब आपने उन बातों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया तो फिर आप स्पष्टीकरण कैसे मांग सकते हैं। जब निकाल दिया है तो फिर यह कार्यवाही वृतांत में रहेगा ही नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी जो कुछ पढ़ा है, उससे दो बातें उत्पन्न होती हैं। पहली यह कि विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है। उस प्रतिवेदन को निपटाने की एक प्रक्रिया है। विशेषाधिकार समिति ने एक विशेष व्यक्ति को दोषी पाया है और उन्होने सिफारिश की है कि क्षमा प्रदान को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यवाही की जा सकती हैं; निन्दा को रिकार्ड में रखा जा सकता है और मामले को समाप्त किया जा सकता है। मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं। समिति का प्रतिवेदन अवश्य सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने अथवा इसमें सुधार करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। जिस ढंग से यह प्रतिवेदन सभा में आया है, उस ढंग से नहीं आना चाहिए। अर्थात् यह अध्यक्ष के माध्यम से नहीं आना चाहिए। समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। किसी को इस बारे में प्रस्ताव पेश

करना चाहिए और उस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा । अब तो एक-एक करके इस सभा के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है । ऐसा नहीं होने दिया जा सकता । आखिर हमने अपनी बुद्धिमता से कतिपय प्रक्रियाएं निर्धारित कर रखी हैं । अध्यक्ष को कतिपय शक्तियां प्राप्त हैं उससे अधिक नहीं । किसी समिति के प्रतिवेदन को किस ढंग से निपटाया जाये, यह महत्वपूर्ण बात है और इसे केवल उसी निर्धारित ढंग से निपटाया जा सकता है । समिति का प्रतिवेदन अवश्य ही सभा पटल पर रखा जाना चाहिए । प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए । यह और बात है कि प्रस्ताव स्वीकार हो अथवा अस्वीकार । प्रस्ताव पेश करने का काम और उसे स्वीकार करने या न करने का सुझाव देने का काम अध्यक्ष का नहीं होता ··

अध्यक्ष महोदय : मैंने·····

श्री सी० एम० स्टीफन : यह इसी तरह सभा में लाया गया है । यदि सभा सहमत है···। आपने ऐसा ही कहा है । यह कार्य आपका नहीं है । अध्यक्ष के पद का इस प्रकार प्रयोग नहीं लिया जाता । यह दूसरे ही ढंग से लिया जा सकता है । अत: कृपया इसे इस ढंग से पेश मत कीजिए । इससे समुचित ढंग से सभा में पेश करने दीजिए ।

दूसरी बात वह है जो कि श्री गोपाल ने उठाई है । यह एक समाप्त मामला है । फिर भी यह एक महत्वपूर्ण मामला है । मैं यह समझ नहीं सका हूं । जब इसे एक बार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है तो फिर यह कार्यवाही वृत्तांत का अंग नहीं रह जाता, फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता । जब किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है तो उस पर कार्यवाही कैसे की जा सकती है । इस बारे में क्या रिकार्ड है ? सभा के लिए टेप-रिकार्ड कोई रिकार्ड नहीं है । इसके लिए कुछ तरीके है । यदि एक बार इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है तो फिर इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है ।

मैं ये दो बातें उठा रहा हूं ।

क्या कार्यवाही-वृत्तांत से निकाली गई बातों पर समिति को प्रतिवेदन देने का अधिकार है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे सभा में उठाया जा सकता है; विशेषकर जबकि प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है । अत: प्रतिवेदन सभा पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए और साथ ही इस पर भी विचार होगा कि क्या समिति सदस्य की टिप्पणी पर विचार करने के लिए सक्षम है । प्रस्ताव पेश करने से सभा को इस बात पर विचार करने का अवसर भी मिलेगा कि क्या किसी गैर-अस्तित्व वाली बात पर विचार करके समिति ने ठीक काम किया है । अत: सभा को यह अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : फिर तो इस आदेश को स्थगित रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्वाभाविक है ।

श्री के० गोपाल : आपने यह भी कहा है कि यद्यपि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया था तथापि आपके निदेशानुसार इसे वहां भेजा गया । यह अनुचित बात है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया नियम 314 (1) देखिये। यह विशेषाधिकार समिति के बारे में है। नियम 314 (1) में कहा गया है :

"समिति प्रत्येक प्रश्न पर, जो इसके पास भेजा गया हो, विचार करेगी·

अब सभा के समक्ष विचारणीय विषय यह है कि जब कार्यवाही वृत्तांत से वे टिप्पणियां निकाल दी थीं तो समिति के पास क्या भेजा गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री सौगत राय : आप अपना आदेश स्थगित रखिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विपक्ष के माननीय सदस्य ने प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। यद्यपि सभा इस बारे में बहुत ही उदार दृष्टिकोण अपना रही हो, फिर भी निस्संदेह हमें सभा द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।

इस मामले में अध्यक्ष महोदय द्वारा मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में प्रतिवेदन इस समूची सभा के समक्ष आना चाहिए न कि केवल अध्यक्ष के पास। यद्यपि अध्यक्ष यह समझ सकते हैं कि चूंकि यह मामला समिति को मैंने भेजा है इसलिए इसका प्रतिवेदन मेरे ही पास आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। दो प्रकार के संदर्भ है, एक अध्यक्ष द्वारा तथा दूसरा सभा द्वारा। मैं इस मामले पर विचार करूंगा। (व्यवधान)

श्री के० गोपाल : इसे सभा की कार्यवाही के आधार पर भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय। यह दूसरा पहलू है।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : आपके आदेशानुसार मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। कोई मामला विशेषाधिकार समिति को नियम 222 या कतिपय अन्य नियमों के अन्तर्गत भेजा जा सकता है, किन्तु किसी ने वह मामला नहीं उठाया और आपने यह मामला अपनी मर्जी से भेज दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने स्वतः भेजा है। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : यह मामला हमें विशेषाधिकार समिति में टिप्पणी को निकाले बिना भेजा गया था और हमारे पास जो कुछ आता है, हम उस पर विचार करते हैं।

श्री सौगत राय : उसमें कार्यवाही वृत्तांत से निकालने का आपका आदेश नहीं है। असली मामला तो यह है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): नियम 222 तथा 223 के अनुसार कोई मामला केवल तभी भेजा जा सकता है, जबकि किसी सदस्य ने इस बारे में सूचना दी हो। इस मामले में किसी भी सदस्य ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना नहीं दी है। अतः यह मामला अध्यक्ष ने स्वयं विशेषाधिकार समिति को भेजा है। अतः मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष किसी बात के

रिकार्ड में न रहने पर, किसी सदस्य से सूचना प्राप्त किए बिना स्वत: किसी मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : उस नियम के बारे में नियम 227 में विशिष्ट रूप से कहा गया है :

"इन नियमों में किसी बात के अन्तर्वेष्टि होते हुए भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसन्धान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा ।"

श्री वसन्त साठे (अकोला): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 222 के अन्तर्गत इस मामले को किसने उठाया ?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० शेरसिंह ने ।

श्री के० गोपाल : किस बात पर उठाया ।

श्री वसन्त साठे : नियम 222 में कहा गया है :

"कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा प्रश्न उठा सकता है, जिसमें विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो···"

इसके अतिरिक्त नियम 223 में कहा गया हैं :

"जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे, वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो सचिव को देगा···"

अत: प्रश्न किसी सदस्य द्वारा लिखित सूचना देकर उठाया जा सकता है, केवल तभी आप नियम 227 के अन्तर्गत उसे समिति को भेज सकते हैं ।

श्री सौगत राय : कृपया नियम 380 देखिए । इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सभा की कार्यवाही से किन्हीं शब्दों को निकालने के बारे में अध्यक्ष को कहां तक शक्ति प्राप्त है । कार्यवाही वृत्तांत से अशिष्ट शब्द निकालने के बारे में अध्यक्ष की शक्तियां नियम 380 में स्पष्ट रूप से दे रखी हैं, जिसमें कहा गया है :

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें ।"

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं । अन्यथा वह नहीं कर सकता ।

श्री सौगत राय : अत: इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की शक्तियां एक पक्षीय नहीं हैं, नियम 380 में वे भलीभांति परिभाषित है । प्राय: आप आदेश देते हैं, "कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिये आदि । मैं यह उल्लेख कर रहा हूं कि "कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए" यह आदेश देने की शक्ति एक पक्षीय नहीं है । ऐसा नियमों के अन्तर्गत किया जाता है । (व्यवधान) ऐसी स्थिति भविष्य में भी उत्पन्न होगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में पहले ही विचार किया जा चुका है और इस बारे में मेरा विनिर्णय बिल्कुल स्पष्ट है ।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़, अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : मैं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1956 की धारा 32 के अन्तर्गत जारी किए गए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान चंडीगढ़ (संशोधन) विनियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं जो दिनांक 22 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या मा॰ सां॰ नि॰ इ 3/एन एफ/78 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰-4360/79)

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम 1917 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 74 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यंत्रीकृत संचालित अन्तर्देशीय जलयान (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 30 दिसम्बर 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 601 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰-4361/79)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(एक) सा॰ सां॰ नि॰ 250 (ङ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा शुल्क दायित्व के प्रयोजनार्थ रेक्टेंगुलर बीबरेज जग (हाट) को उसमें संलग्न अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 33/69-सी॰ ई॰ में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) मोटरयानों तथा ट्रैक्टरों (कुछ विशिष्ट हिस्सों को छोड़कर) के हिस्सों और सहायक पुर्जों पर जब उनका उपयोग किसी अन्य सामान जिस पर अन्य शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क लागू है के निर्माण में किया जाये, अदा किये गये शुल्क के समजन के बारे में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 252 (ङ) जो दिनांक 19 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) मोटरयानों तथा ट्रेक्टरों (कुछ विशिष्ट हिस्सों को छोड़कर) के हिस्सों और सहायक पुर्जों को उन पर लागू उत्पाद-शुल्क से छूट जबकि उनका उपयोग उसी

खाने में जहां वे बनाए गए हैं तथा किसी अन्य कारखानों में ऐसा सामान बनाने के लिये किया जाए जिस पर उत्पाद-शुल्क लागू हो, के बारे में सा० सां० नि० 253 (ङ) जो दिनांक 19 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) मोटरयानों तथा ट्रेक्टरों के पन्द्रह विशिष्ट हिस्सों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के नियम 56-क के उपबन्धों के विस्तारण के बारे में सा० सां० नि० 254 (ङ) जो दिनांक 19 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) सा० सां० नि० 255 (ङ) जो दिनांक 19 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1979 की केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिसूचना संख्या 109/79, 110/79 और 111/79 रद्द की गई है।

(2) उपर्युक्त (दो) से (पांच) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4362/79)

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन
129वां और 144वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1976-77 के अग्रिम प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के डामर की खरीद-मोहनबाड़ी दौड़ पथ को मजबूत करने और बढ़ाने तथा पारेषण लाइन टावरों के निर्यात पर नकद सहायता सम्बन्धी पैराग्राफ 24 और 2 पर 129वां प्रतिवेदन।

(2) कनाडा से रेपसीड और रेपसीड तेल के आयात पर 72वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 144वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन
36वां प्रतिवेदन, कार्यवाही सारांश और 31वां प्रतिवेदन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) निर्माण और आवास मंत्रालय—दिल्ली विकास प्राधिकरण—अनधिकृत बस्तियों में मकानों का गिराया जाना—पर 36वां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(3) उद्योग मंत्रालय-हथकरघा उद्योग पर समिति के 13वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 31वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

49वां प्रतिवेदन, 41वां, 46वां तथा 47वां प्रतिवेदन तथा उनके कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) केन्द्रीय मीन उद्योग निगम लिमिटेड पर 49वां प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(3) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड—पटसन मिलों को लागत जमा खर्चे (बैंक टू बैंक अरेंजमेंट) के आधार पर पटसन की बिक्री पर समिति के 12वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 46वाँ प्रतिवेदन ।

(4) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड —भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की वसूली तथा विपणन पर समिति के 1.वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन ।

(5) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड— संगठनात्मक मामले पर समिति के 14वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 47वां प्रतिवेदन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

28वां, 32वाँ, 33वां और 36वां प्रतिवेदन

श्री रामधन (लालगंज) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय चलचित्र प्रभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन पर बीसवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 28वां प्रतिवेदन ।

(2) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन पर 22वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 32वाँ प्रतिवेदन ।

(3) वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंककारी प्रभाग)—सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन पर समिति का 33वां प्रतिवेदन ।

(4) श्रम मंत्रालय (नियोजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय) - (एक) नियोजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन और (दो) नियोजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अभिकरण माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नियोजन और प्रशिक्षण पर आठवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : हमें प्रतिवेदनों पर चर्चा करनी चाहिए ।

धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक 1978 के बारे में याचिका का प्रस्तुत किया जाना

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : मैं धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1978 के बारे में कैथोलिक बिशप्स कान्फ्रेंस आफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल श्री पैट्रिक डिसूजा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मन्त्रणा समिति का 33वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन से जो 25 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : कई सदस्यों ने सुझाव देने की इच्छा व्यक्त की है । मैं एक-एक कर नाम लूंगा ।

प्रो० पी. जी. मावलंकर (गाँधीनगर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान उन कतिपय पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन से उत्पन्न हुए हैं । महोदय, सभा जानती है कि चालू सप्ताह को छोड़ कर हमारे पास कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों और उन चर्चाओं के लिए जो संसदीय कार्य मन्त्री ने करने का आश्वासन दिया है केवल तीन सप्ताह रह गए हैं और उनके जिए समय निकालना पड़ेगा ।

अब कठिनाई यह है कि इसके अतिरिक्त राज्य सभा द्वारा विशेष न्यायालय विधेयक पर किये गए संशोधनों पर विचार करने के लिए तीन घंटे का समय पर्याप्त नहीं होगा तथा संविधान (49वां संशोधन) विधेयक के लिए केवल चार घंटे का समय भी अपर्याप्त होगा । इसके अलावा कठिनाई यह है कि जिन प्रतिवेदनों पर हमने चिन्ता व्यक्त की है अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदनों पर कई वर्षों से इस सभा में चर्चा नहीं हुई है । इन पर हर वर्ष चर्चा होनी चाहिए । अन्यथा वार्षिक प्रतिवेदनों का क्या लाभ है ? इसी तरह मेरे हाथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन भी है । आप जानते हैं कि शिक्षा मन्त्रासय के अनुदानों पर इस वर्ष चर्चा नहीं हुई है । अब शिक्षा मन्त्रालय के बारे में चर्चा करने का और कोई रास्ता नहीं है । यदि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक

प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं कर सकते, यदि हम शिक्षा सम्बन्धी नीति और देश के मामलों पर खास तौर से उच्च शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है। मैं चाहता हूं कि सभा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और कई अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में चर्चा करे। मेरा कहना यह है कि चूंकि केवल तीन सप्ताह रह गए हैं अत: कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए मन्त्री महोदय को एवं कार्य मन्त्रणा समिति को समय निकालना चाहिए, अन्यथा आप बाद में कहेंगे कि समय नहीं है। अत: कब तक ऐसा चलेगा ? यह प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अत: अगले सप्ताह वह इन मामलों पर चर्चा के लिए उचित समय-सारणी प्रस्तुत करें। अन्यथा सभा में इस प्रकार के प्रतिवेदनों को पास करना हमारे लिए कठिन होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमन्डेशन्स पेश की हैं, उसके अतिरिक्त दो, तीन बातें मैं कहना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक हैं। और मेरे ख्याल से सबसे आवश्यक और जो सबसे पहली चीज इनको करनी चाहिए थी वह स्पेशल कोर्ट्स बिल है, जिसको इस सदन ने पास किया और राज्य सभा ने उसको लौटा दिया है, कुछ संशोधनों के साथ। वह बहुत अर्जेन्ट है और उसके लिए भी कोई समय नहीं रखा है। इसको डिले करने से कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात यह कि जहां तक वर्क्स और हाउसिंग मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स का सवाल है वह गिलोटीन हो गई और पिछले सेशन में भी आपने वायदा किया था कि दिल्ली की हाउसिंग प्रौबलम पर शौर्ट डिस्कशन होगा। लेकिन अभी तक उसके बारे में और न दिल्ली की ला एंड आर्डर प्रौबलम के बारे में कोई डिस्कशन हुआ है। यह दिल्ली में सबसे तीव्र समस्या है। यदि इसका समाधान नहीं होता है, तो मुझे भय है कि यह गम्भीर रूप धारण कर लेगी। मेरा यह निवेदन है कि मन्त्री महोदय इसके लिए समय निकालें और विशेष रूप से जब गत सत्र में इस आशय का आश्वासन दिया गया था।

अन्त में आपको साउथ हाल में एशियाइयों, खासतौर से भारतीयों पर हुए पुलिस के आक्रमण के बारे में चर्चा की, अनुमति देनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और समस्त भारत के अपमान के बराबर है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदय, कार्य मन्त्रणा समिति के तेतीसवें प्रतिवेदन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छोड़ दी गयी हैं। पिछले दो सप्ताह से हम समाचार-पत्रों में इस सूचना और प्रसारण मन्त्री की इस घोषणा को देख रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रसार भारती बनाने का एक विधेयक संसद में पेश किया जायेगा। महोदय, हमारे पास आकाशवाणी और दूरदर्शन के संचालन के बारे में गम्भीर अनियमितताओं के बारे में सूचना मिली है इसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है। (व्यवधान) महोदय, मैं चाहता हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने वाले इस प्रसार भारती विधेयक को लाया जाये जिससे इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की घुसपैठ को रोका जा सके।

महोदय, दूसरी बात यह है कि इस सभा में तथा देश में जनता सरकार की विदेशी सहयोग की नीति पर काफी चर्चा हुई है, वास्तव में बी. एच. ई. एल. सीमेन्स करार से कई बातें

पैदा हुई हैं। कई संसद सदस्यों ने आपको ज्ञापन दिया है। जिसमें सरकार की विदेशी सहयोग की नीति पर चर्चा के लिए कहा गया है। हम चाहते हैं कि इस मामले को सभा में निपटाया जाए। अतः बी. एच. ई. एल. सिमेन्स के इस सौदे पर चर्चा के लिए कुछ गुंजाइश होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सौगत राय : महोदय, अतः हम सभा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा चाहते हैं। सभी वैज्ञानिकों मे यह शिकायत आई है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कम प्राथमिकता दी जा रही है। श्री चव्हाण ने भी आपको इस सम्बन्ध में लिखा है किन्तु आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अन्त में महोदय, मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि किस प्रकार जनता सरकार अपने वायदों से पीछे हट रही है। जब दल-बदल विरोधी विधेयक पेश किया गया था तो इसका भारी विरोध हुआ और सरकार ने इसे यह कहते हुए वापस लिया कि वह सभी दलों की राय को ध्यान में रख कर एक नया विधान लायेगी। किन्तु अब तक दल-बदल विरोधी विधेयक नहीं लाया गया है और इसका देश की राजनीति पर असर पड़ रहा है अतः मैंने साउथ हाल की घटना सहित राष्ट्रीय महत्व के बड़े मामलों की ओर आपका ध्यान दिलाया है। इनके स्थान पर सभा में केवल सरकार का दैनिक कार्य ही हो रहा है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान 46वां संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं। इस विधेयक में अल्प संख्यक आयोग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी आयोग को सांविधिक और संवैधानिक मान्यता दिये जाने की व्यवस्था है।

सभी अल्पसंख्यक एक आवाज में मांग कर रहे हैं कि उन्हें यह दर्जा यथासम्भव शीघ्र दिया जांए।

अल्पसंख्यक आयोग ने भी इच्छा व्यक्त की है कि इसे स्वायत्त संवैधानिक और साँविधिक मान्यता यथाशीघ्र दी जाए।

कमीशन के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने इस आधार पर त्याग-पत्र दे दिया है कि सरकार इस मामले में बहुत ही धीमी गति से कार्यवाही कर रही है।

विधेयक 3 अगस्त, 1978 को पेश किया गया। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन यह है कि इस विधेयक पर यथाशीघ्र चर्चा आरम्भ की जाए ताकि अल्पसंख्यक आयोग के कार्यकरण में हस्तक्षेप या उस पर दबाव डालने की लोगों के दिमाग में जो शंकाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। उन्हें आवश्यक संवैधानिक एवं सांविधिक मान्यता मिलनी चाहिए ये मेरा पहला मुद्दा है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है। अल्पसंख्यक आयोग ने अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक झगड़ों सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट काफी पहले पेश कर दी है। हमें यह मालूम नहीं कि इसमें क्या कहा गया है। मेरा अनुरोध है कि इसे शीघ्र सभा-पटल पर रखा जाए। विशेष रूप से आज जो स्थिति देश में व्याप्त है और इस उद्देश्य से कि हम इस विषय पर विचार कर सकें रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाए। धन्यवाद।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, कार्य मन्त्रणा समिति का जो प्रतिवेदन सभा में पेश किया गया है उसके बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली बात है श्री मोयनिहान की पुस्तक 'ऐ डेन्जजरस प्लेस' में जो रहस्योद्घाटन किया गया है, उसके बारे मद संख्या ग्यारह पर चर्चा से सम्बद्ध है। इस चर्चा की परिधि बहुत ही संकुचित रखी गई है। सारे देश में भारतीय राजनीति में अमरीकी धन की भूमिका के बारे में व्यापक शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। श्री मोयनिहान की पुस्तक समस्त चर्चा का एक अंग है। इस पुस्तक के अतिरिक्त और भी कई बातें समाचार पत्रों में छपी हैं। उदाहरण के लिए श्री आर० के० खाडिलकर ने कहा है कि वह कई बार दूतावास से धन व्यक्तिगत रूप से इन्दिरा गांधी के लिए लाए। श्री आर० के० खाडिलकर ने अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व यह बात कही थी। इन सभी बातों पर बहस होनी चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की 1967 की रिपोर्ट भी इस चर्चा का एक अंग होना चाहिए। यदि हम केवल मोयनिहान की पुस्तक पर ही चर्चा सीमित रखते हैं तो हो सकता है इससे केवल किताब की बिक्री ही बढ़े और हमें कुछ हासिल न हो अत: हमें इस विषय पर व्यापक बहस करनी चाहिए यह मेरा पहला मुद्दा है।

मेरा दूसरा मुद्दा है, श्री सौगत राय ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साईमन्स के बीच समझौते का प्रश्न उठाया है। उसके बारे में हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस समझौते की और 'मेल' के साइमन्य कामकाज की अभी-अभी समीक्षा की है। इस रिपोर्ट पर सारे राष्ट्र को चिन्ता है क्योंकि इसमें इस सरकारी क्षेत्र के संगठन को एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी द्वारा अधिग्रहण की सम्भावना व्यक्त की गई है। मेरे विचार से 'मेल'-साइमन्स करार पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस सभा में पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उस विषय को उठाने की अनुमति दी जिस पर यह सभा अत्यधिक चिन्तित है। पिछले कई वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए—जो तथ्यों, आंकड़ों पर आधारित है·····

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध इस मद से होना चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : 1952 से लोकसभा के सत्र की अवधि के कार्य घंटे कम-ज्यादा होते रहे हैं और इसके प्रभाव की हम अनदेखी नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नियम 377 के अधीन वक्तव्य पढ़ कर सुना रहे हैं। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैंने लिखित रूप में दिया है·····

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात अगले सप्ताह की कार्य-सूची से सम्बद्ध होनी चाहिए यदि आपको अगले सप्ताह के कार्य के बारे में कुछ कहना है तो आप कह सकते है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने आपको भेजे पत्र में यह कहा है। 1-8-1972 को मुझे कार्य-मन्त्रणा समिति की रिपोर्ट पर बहस के दौरान इसी प्रकार का बक्तव्य देने की अनुमति दी गई थी और आपके कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों को देखने के बाद मुझे

बताया था कि इस प्रकार का बयान देने की अनुमति दी गई थी; किन्तु यह बयान संक्षिप्त होना चाहिए। अत: मैं संक्षिप्त में बयान दे रहा हूं। 1952 से लेकर लोकसभा के सत्रों की अवधि के सम्बन्ध में कार्य दिवसों में घट-बढ़ होती रही है और हम इसके प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकते।

1952 में 880 घंटे काम हुआ। 1956 में 1026 घंटे कार्य किया गया जबकि 1978 में ये घंटे घट कर 616.20 रह गए। 1952-56 में प्रतिवर्ष 846 घंटे प्रतिवर्ष औसत, 1957-61 के दौरान 741.24 घंटे प्रतिवर्ष औसत, 1962-66 के दौरान 762 घंटे औसत, 1966-70 के दौरान 757.15 घंटे प्रतिवर्ष औसत और 1971-76 के दौरान प्रतिवर्ष 678.12 घंटे औसत रहा है। 1975 में कार्य घंटों में तेजी से कमी आई और हमने केवल 441.45 घंटे काम किया। ये कार्य घंटे में 1976 में बढ़ कर 645.04 हो गए किन्तु 1977 में पुन: घट कर 568.10 घंटे रह गए। 26 वर्ष का औसत 754.26 घंटे है। मैंने इस दुर्भाग्यपूर्ण रुख की ओर 1-8-1972 को इस सभा का ध्यान आकृष्ट किया था। स्पष्ट है कि इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप 1975, 1976 और 1977 में प्रतिवर्ष कार्य घंटों का औसत लगातार गिरता रहा है और यह औसत केवल 551 घंटे रहा है।

इसकी तुलना में ब्रिटेन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव कभी दिखाई नहीं देते, कमी की तो कोई बात ही नहीं है। एक वर्ष में ब्रिटेन में सामान्य तौर पर 160 बैठकें होती हैं और एक बैठक 8½ घण्टे की होती है। तो एक हिसाब से एक वर्ष में कुल संसदीय समय 1360 घण्टे बनता है और ध्यान रहे कि हमारा संसदीय समय केवल 551 घण्टे हैं। अत: ब्रिटेन में संसदीय समय भारत में संसदीय समय से 2 गुणा अधिक है।

यदि हम अनुदान की माँगों (सामान्य बजट) पर चर्चा पर लगे समय की स्थिति इस क्षेत्र में लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण होता है, पर विचार करें तो हम पायेंगे कि वर्तमान वर्ष में पिछले चार वर्षों की तुलना में स्थिति और भी खराब हो गई है। 1976 में 113 घण्टे 46 मिनट का समय था, 1977 में 92 घण्टे 20 मिनट का समय था तो 1978 में 94 घण्टे 36 मिनट का समय ही रह गया और 1979 में केवल 87 घंटे ही आवंटित किए थे। हमने इस पर केवल 68 घंटे ही लगाये हैं। इसी प्रकार अनुदान मांगों पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या केवल 235 ही रह गई है जबकि पिछले छ: वर्षों में औसत 315 सदस्य थी।

मन्त्रालयों की माँगों को एक साथ रखने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। पिछले तीन वर्षों में जिन मन्त्रालयों की अनुदान मांगों को इकट्ठा रखा गया वह है 1975 में 15, 1978 में 13 तथा वर्तमान वर्ष में 19 है।

यह भी देखा जा सकता है कि लोक सभा के वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में जांच और नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यवाही का दायरा भी धीरे-धीरे घटता जा रहा है।

कानून बनाने के सम्बन्ध में भी जिसमें संसद की शक्ति और क्षेत्राधिकार 'अनन्त और पूर्ण' समझा जाता है, के सम्बन्ध में स्थिति भी अच्छी नहीं है। कानून बनाने के सम्बन्ध में लोक सभा द्वारा लगाए जा रहे समय में भी कमी होती जा रही है। पहली लोक सभा में 48.8 प्रतिशत

समय कानून-निर्माण पर लगा। दूसरी लोक सभा में इसमें 50 प्रतिशत भी कमी हुई और यह 25.3 प्रतिशत हो गया। तीसरी लोक सभा की अवधि में यह समय 19.3 प्रतिशत तथा चौथी लोक सभा में यह आगे कम होकर 18.8 प्रतिशत रह गया। पांचवीं लोक सभा में इस समय में वृद्धि हुई और यह 30.7 प्रतिशत हो गया, किन्तु दुर्भाग्य से छठी लोक सभा के पहले दो वर्षों में 1977 और 1978 में औसत समय कम होकर 21.4 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत ब्रिटेन में संसद का 50 प्रतिशत समय कानून निर्णय पर खर्च होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा आयोजना जैसे क्षेत्रों में भी सदन का प्रभाव नगण्य ही रहता है। कुछ वर्ष पहले इस सम्बन्ध में स्थिति बड़ी अच्छी थी।

इस प्रकार की स्थिति निश्चित रूप से हमारी संसदीय व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत करती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय मामलों में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। यदि यह सहयोग नगण्य हो जाता है तो किसी प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है उसका आभास अभी मिल रहा है।

सदस्यों की आत्मा को उस समय बहुत चोट पहुंचती है जब वह अनुभव करते हैं कि समय के अभाव के कारण वह जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर केवल 5 मिनट अथवा उससे भी कम समय मिलता है। उसका परिणाम यह होता है कि चर्चा अच्छी किसम की नहीं हो पाती और सदस्यों में असन्तुष्टि और निराशा की भावना भर जाती है।

अन्य देशों में विधान सभाएं समय-समय पर समितियों का गठन करती रही है कि वह इन प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सके और स्वस्थप्रद और सशक्त वातावरण पैदा किया जा सके। हमारे मामले में तो इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि संसमें के अधिकारों और प्रभाव में धीरे-धीरे हो रहे ह्रास को न केवल रोकना है बल्कि इस प्रकार के सुधार लागू करने की आवश्यकता है जिससे संसदीय व्यवस्था वास्तव में प्राणवान और सशक्त बने।

एक संसदीय सुधार समिति विशेषकर दोनों सदनों की संयुक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। जो अभी हाल में विभिन्न देशों में विशेषकर ब्रिटेन में संसदीय प्रकिया में नए सुधार लागू किए हैं, उनका अध्ययन करे ताकि हमारी संसद भी वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करे। समिति को विशेष रूप से उन उपायों पर सुझाव देना चाहिए जो (क) सदन में सदस्यों को दिए जाने वाले संसदीय समय में वृद्धि करने के बारे में हों ताकि समस्याओं को पर्याप्त और अर्थपूर्ण योगदान देने के लिए अधिक समय मिल सके, और (ख) रोजमर्रा अथवा तकनीकी स्वरूप के कार्यों को स्थाई अथवा अस्थाई समितियों को सौंपा जाए ताकि सदन नीति सम्बन्धी प्रश्नों, वर्तमान समस्याओं और तत्काल विधायी उपायों पर अपना पूरा ध्यान लगा सके।

मैंने जो मामला उठाया है वह बड़ा ही महत्व का विषय है, अत: सदन चाहता है कि सदन के नेता इस पर विचार करें और माननीय अध्यक्ष के परामर्श से शीघ्र ही उचित कदम उठाएं।

मेरा विचार है कि सदन इस बात पर मेरा समर्थन करता हैं कि सदन के नेता संसद के चालू अधिवेशन में ही इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब आप।

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : यह मामला बहुत ही महत्व का है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम बहस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है। बहस का प्रश्न नहीं उठता। अब श्री कामथ।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, आपने मुझे सूचित कर दिया होता। मैंने एक नोट भेजा है। (व्यवधान) मैं इस सन्दर्भ में कुछ कहना चाहता था। (व्यवधान) यह वही है जिसे मैंने उस नोट में बताया था। यहे बहस नहीं है। मैं बहस में नहीं जा रहा हूं। यह मामला बिल्कुल कार्य मन्त्रालय समिति का है। कुल मिलाकर यहाँ जो प्रस्तुत किया गया है कि संसद की कमी के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मामले सदन के समक्ष नहीं आ रहे। इसी सन्दर्भ में श्री मिश्रा द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विचार किया जाए। इस मामले पर प्रकाश डालने के लिए उनके कारण सदन को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इस मामले पर प्रकाश डालने का कार्य, जो मुझे करना चाहिए था, उन्होंने पूरा किया है, इसलिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

मुझे भी यहां एक अनुरोध करना है—कार्य मन्त्रणा समिति को मात्र इस पर विचार करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। कार्य मन्त्रणा समिति को सदस्यों को उपलब्ध कराए कुल समय तथा बहस के परिणामस्वरूप पड़ने वाले कुल प्रभाव एवं राष्ट्रीय समस्याओं की कुल परिधि को लेकर होने वाले विचारों से सम्बन्ध रखना चाहिए। ऐसा किया नहीं जा रहा है। ऐसा किया जाना चाहिए। मैं अपने और अपनी पार्टी तथा माननीय सदस्यों की ओर से मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूं"।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बधाई समारोह के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : बधाई समारोह नहीं। मैं बहस के लिए उपलब्ध समय में जो लगातार कमी होती जा रही है उसे सभा से सम्बन्धित मामला समझता हूं। सभा को इस पर चर्चा करने के लिए समय निकालना चाहिए और इस समस्या का हल करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामथ।

(व्यवधान)

श्री के० गोपाल : खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल, इसे बहस के रूप में मत बढ़ाओ।

श्री के० गोपाल : आपको सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर कोई उपाय ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।

श्री के० कल्प्पा : कृपया मुझे एक मिनट दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। श्री कामत।

श्री० के० लकप्पा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए। आप इतना अधिक समय नष्ट कर रहे हैं। मुझे समय क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप और समय नष्ट करना चाहते हैं ?

श्री के० लकप्पा : मैं यह कहना चाहता हूं.....*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

श्री हरि विष्ण कामत : मेरे माननीय मित्रों एवं सहयोगियों ने इतना जो कुछ कहा है उसमें यह मानने योग्य एवं कठोर निष्कर्ष बड़े जोरदार ढंग से बताया गया है कि लोक सभा को, जो विश्व में सबसे बड़े लोकतन्त्र की 60 करोड़ लोगों का सर्वोच्च मंच है, यदि ज्यादा नहीं तो कम से कम सात महीने बैठना चाहिए। अन्यथा धारा 113 के अन्तर्गत यह अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असफल रहेगी और यहां तक कि अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा तक के लिए दोषी होगी।

मैं नियम 290 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं....*

"कि सभा इस बात पर खेद प्रकट करती है कि प्रतिवेदन में लोकपाल विधेयक का कोई उल्लेख नहीं है तथा विश्वास करती है कि इसे अगले सत्र तक टाला नहीं जा सकता।"

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय सदन को विश्वास दिलायेंगे कि समय की बाधा के कारण इसे अगले सत्र के लिए टाला नहीं जाएगा। क्या इसे इसी सत्र में उठाया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना मुद्दा बता दिया।

श्री हरिविष्णु कामत : इसे अगले सप्ताह में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद केवल दो सप्ताह ही शेष बचे हैं। इसका तात्पर्य है कि इसे इस सत्र केवल अगले सप्ताह में लिया जाएगा। इसके बाद यह दूसरे सदन, राज्य सभा में जाएगा। मान लीजिए वे इसमें संशोधन करते हैं और यह वापस आता है, तो एक संपुक्त सत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या इन सबके लिए समय रहेगा ? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भविष्यवाणी पुनः सत्य निकलेगी और मुझे कहते हुए खेद है कि यह इस सत्र में पारित नहीं हो सकेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए; उन्होंने विशेष न्यायालय विधेयक के लिए समय दिया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो महसूस करते हैं उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इस कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के अवसर को हम उन्हीं मामलों को उठाने के लिए इस्तेमाल करें जो उनकी समझ में सबसे महत्वपूर्ण हों और जिन पर वे सदन में चर्चा पसन्द करें। जैसा कि सदन को मालूम है कि इस प्रतिवेदन का संबंध कुछ

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

निश्चित मुद्दों के, जिन पर सदन में चर्चा होनी है, के समय निर्धारण से है। मेरे माननीय मित्र श्री मावलंकर ने ध्यान दिलाया कि कुछ मुद्दों के लिए निर्धारित किया गया समय पर्याप्त नहीं था। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पर्याप्त चर्चा की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि यह हमारे पास उपलब्ध समय में से ही किया गया है तथा विभिन्न मुद्दों के लिए हमें समय बाँटना पड़ता है। कार्य मन्त्रणा समिति में, जिसे सम्भवत: मेरे माननीय मित्र श्री लकप्पा पसन्द नहीं करते, सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं···(व्यवधान)। कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य संसदीय मामलों के मंत्री के मन चाहे सदस्य नहीं हैं। समिति की रचना किस प्रकार हुई यह सभी जानते हैं। जिनके नामजद सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में बैठते हैं, सभी को मालूम है। अत: मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके पास उपलब्ध कुछ समय पर विचार करने तथा विविध विषयों के सम्बंधित महत्त्व को देखते हुए तथा उसकी सविस्तार चर्चा के लिए आवश्यक अनुमानित समय पर विचार कर समय निर्धारित किया है तथा मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करे।

उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति तथा अनु० जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा के विषय में कुछ भी नहीं था। इस अवसर पर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस प्रतिवेदन पर वर्तमान सत्र में चर्चा के लिए निश्चित रूप से समय निकालेंगे। यह वक्तव्य अगले सप्ताह में लिये जाने वाले कार्य के संबंध में नहीं था, अत: जाहिर है इसका कोई संदर्भ नहीं है। किन्तु प्रतिवेदन पर सदन में निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी और हम इसके लिए समय निकालेंगे। उन्होंने बताया कि कई मंत्रालयों पर चर्चा नहीं की और मुखबन्द अपनाया, वे महत्वपूर्ण विषय थे, उदाहरण के तौर पर शिक्षा मंत्रालय के दायित्वों के अधीन वे कुछ विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करना चाहते थे। मामले को कार्य मंत्रणा समिति में निश्चित रूप से उठाया जाएगा तथा इन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मैं कुछ तरीके निकालूंगा। मेरे माननीय मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने एक प्रश्न उठाया है; मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, वे एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं ··(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : वे प्रगतिशील कैसे हैं ? क्या अन्य प्रगतिशील नहीं हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्योंकि वे आपसे भिन्न हैं।

श्री के० लकप्पा : क्या मात्र वे ही आर० एम० एस० के प्रगतिशील सदस्य हैं ? वास्तव में मैं इसे अस्वीकार करता हूं···(व्यवधान)

श्री हरि विष्णु कामत : लकप्पा ज्यादा प्रगतिशील हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे माननीय मित्र श्री लकप्पा के लिए यह प्रशंसा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था; मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करने वाला था। यद्यपि आज वीरवार है, मैं अपने माननीय मित्र श्री कँवर लाल गुप्त के तर्क पर जा रहा था, शायद उन्होंने समझ लिया कि आज शुक्रवार है और मैं आगामी सप्ताह लिये जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने विशेष न्यायालय विधेयक की बात नहीं हुई। बाद में उन्होंने

स्वयं महसूस किया कि वे काल और गति से भी ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, अतः उन्होंने स्वयं अपने आप को सुधार लिया है। विशेष न्यायालय विधेयक के लिए समय निकाला जायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपको उनके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपके पीछे बैठने का उनमें साहस है। उन्होंने दिल्ली में आवास की समस्या को निर्माण तथा आवास मंत्रालय को भेजा था। मुझे याद है कि यही विषय उन्होंने पिछले सत्र में भी उठाया था तथा जब वे यह कहते हैं कि इस विषय पर अल्पावधि चर्चा के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, तो वे बिल्कुल ठीक कहते हैं। पुनः यह ऐसा मामला है जिसे कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने अपने मित्रों के साथ, जिनमें मेरे अच्छे मित्र श्री सौगत राय भी हैं, हाल में साऊथ हाल में हुई घटनाओं को उठाया है जिससे राष्ट्र चिन्ताकुल तथा निराश है, और कहा है कि इस पर चर्चा के लिये समय जरूर निकाला जाए।

आपको याद होगा कि इस मामले पर कल चर्चा हुई थी तथा यह फैसला किया गया था कि अगली बैठक में हम यह निर्णय करेंगे कि यह किस रूप में सामने आना चाहिए तथा इसके लिए कितना समय निर्धारित किया जाए। मेरे माननीय मित्र श्री सौगत राय ने दूरदर्शन तथा ए० आई० आर० का मामला उठाया। इस सम्बन्ध में सदन में एक विधेयक आयेगा तथा इस पर चर्चा के लिए अवसर दिया जाएगा।

श्री सौगत राय : इस वर्तमान सत्र में ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसे संभवतः पुरस्थापित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि विचार विधेयक को प्रस्तुत करने का है। उन्होंने विदेशी सहयोग का बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, तथा सोचा है कि इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विज्ञान तथा तकनीकी एवं दल बदल विरोधी विधेयक जैसे विषय भी उठाये हैं। जहां तक दल बदल विरोधी विधेयक का सम्बन्ध है, मेरे अच्छे मित्र प्रो० मावलंकर महसूस करते हैं कि उनके उत्साह का श्रेय मेरे माननीय मित्र श्री सौगत राय को मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि उत्साह दोनों में ही है। तथापि सरकार का विचार यह है कि सलाह मशविरे का कार्य समाप्त होते ही विधेयक प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री बनातवाला ने 46वां संविधान संशोधन का मामला उठाया है। पुनः इस संशोधन पर हम इस सत्र के दौरान चर्चा करना चाहते हैं। सरकार द्वारा तैयार की गई सूची में इस विधेयक के लिए स्थान है तथा हमें आशा है कि सदन में सभी दलों के सहयोग से इस विधेयक पर इस सत्र के दौरान पूरी तरह से विचार हो सकेगा।

डा० स्वामी ने श्री मोयनिहन की पुस्तक पर चर्चा का मामला उठाया है और कहा है कि इस विषय के लिये जो शीर्षक रखा गया है वह बहुत संकीर्ण है। वास्तव में उन्होंने कहा है कि वास्तविक विषय विदेशी मुद्रा की भूमिका है। मैंने समझा, जब विषय पर चर्चा होगी तो मामले का सार सामने आयेगा तथा विभिन्न माननीय सदस्य विषय के साथ उसी दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे जो उनकी समझ में उचित होगा। शीर्षक में वे सभी विषय नहीं आ सकेंगे जिस पर चर्चा की जाती है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रस्ताव की शब्दावली उचित होनी चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस समय केवल विषय का संकेत दिया जाता है। इस समय यह तो केवल संकेत चिन्ह होता है, न कि नक्शा अथवा बल्यूप्रिंट ।

मेरे माननीय मित्र होशंगाबाद से सदस्य श्री कामत का सम्बन्ध लोकपाल विधेयक से था। उनकी इच्छा थी कि हम इसे शामिल करें और इस पर चर्चा करें।

श्री हरि विष्णु कामत : यह पहले से ही अधर में लटका हुआ है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट आ गयी है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वे इस बात के इच्छुक थे कि इस पर हम चर्चा करें और इसे पारित करें जिससे कि इसकी प्रक्रिया को वर्तमान सत्र में दोनों सदनों में पूरी की जा सके। ऐसा करने का हमारा प्रयास होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने 'प्रयास' कहा है ? मैं इसे सुन न सका।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या मैं यह कहूं कि हम ऐसा करेंगे ? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा ? मेरे माननीय मित्र विद्वान हैं और वे शब्दों के अर्थों को समझते हैं। अब मैं कहता हूं कि हमारा सच्चा प्रयास यही होगा, तो इसका अर्थ है कि हमारा सच्चा प्रयास यही होगा। हमारा प्रयास सफल होगा अथवा नहीं, तत्वतः यह मुझ पर निर्भर नहीं करता। इस सन्दर्भ में यह सदन पर निर्भर करता है, माननीय सदस्य भी जिसके बहुत ही सम्मानीय सदस्य है।

मेरे माननीय मित्र श्री श्यामनन्दन मिश्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि उन्होंने एक ऐसा परामर्श दिया है जिस पर सदन के नेता विचार करेंगे तथा सोचेंगे; किन्तु मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं अन्य माननीय सदस्यों का भी साथ दूंगा जिन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने विस्तृत आंकड़ों को देकर तथा हमारे कार्यों की सावधानी से समीक्षा करके एक विशेष सेवा की है जो सदन के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। जो प्रश्न उन्होंने उठाया है यह वह है कि क्या विधायी कार्य के लिए हमें पर्याप्त समय उपलब्ध होता है, तथा लोक हितों तथा जन सामान्य के लिए महत्व के मामलों पर चर्चा के लिए जो समय हमें मिलता है, सदन में वित्तीय कार्यों के करने के लिए जो समय दिया जाता है, तथा सरकार के काम पर संसदीय जांच एवं नियंत्रण आदि के लिए जो समय दिया जाता है वह पर्याप्त है ? उन्होंने विचार किया है कि सदन के समय को ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए तथा सदन को संविधान के स्थायी रूप में प्राप्त दायित्वों का निर्वाह करने के लिए मार्ग खोजे जाने चाहियें। माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कार्यों में ज्यादा भाग लेने तथा श्रेष्ठ प्रकार का योगदान करने का प्रश्न भी उठाया गया है। अतः यह मामला सरकार तथा सदन के बीच का नहीं है, यह ऐसी बात है जिससे सारे सदन का संबंध है, इससे प्रत्येक सदस्य का संबंध है।

अतः प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक दल तथा पार्टी तथा सरकार सभी को इस बारे में सोचना है कि सदन को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि समय निकाला जाता है, समय निर्धारित किया जाता है, सारिणी मंजूर की जाती है, अप्रत्याशित घटनायें तथा अप्रत्याशित कारण सारिणी में अपना स्थान बना लेते हैं जिससे सभी सहमत हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य श्री श्यामनन्दन मिश्र ने मामला उठाया है, कभी कभी चर्चा के

लिए नियत मामले पीछे रह जाते हैं, तथा जो मामले सूची में शामिल हैं, वे पूरे नहीं होते तथा उन मामलों के विषय में, महोदय आप स्वयं जागरूक नहीं हैं, ऐसे मामले जो कार्य सूची में नहीं होते, कभी-कभी ज्यादा महत्व के मामलों को पीछे छोड़ने में सफल हो जाते हैं। यह मामला, हम सभी के द्वारा विचार करने के लिए है कि, सहमत प्रक्रिया के भीतर यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि समय का प्रभावी उपयोग हो, जिसके लिए सदन वचन बद्ध है।

उसके बाद उन्होंने समितियों की भूमिका बताई। पुनः यह एक ऐसा मामला है जो सदन में एक से ज्यादा बार लाया जा चुका है। उनका विचार है समिति के कार्यों का अध्ययन अवश्य होना चाहिए, समिति को क्या कार्य सौंपा जाये और किस प्रकार से इस सदन की कार्यवाही को निर्वाघ चलाया जाये, इस संबंध में अध्ययन किया जाना चाहिये और उन्होंने एक समिति की नियुक्ति का परामर्श दिया है, उन्होंने विरोधी दल के नेता ने श्री श्यामनन्दन मिश्र को बधाई देते हुए कहा कि प्रायः वे वही कार्य कर रहे हैं जो विरोधी दल के नेता को करना चाहिए। एक क्षण के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह बधाई दी जा रही थी, अथवा चरित्र-चित्रण किया जा रहा था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस विशेष सन्दर्भ में, मैं इसे एक बधाई के रूप में स्वीकार करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : बहरहाल, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा, यह ऐसा मामला है जिस पर विरोधी दल के नेता को विचार करना चाहिए। जैसा कि मेरे माननीय मित्र, श्री गोपाल तथा अन्यों ने कहा है। महोदय, सदन के अध्यक्ष के रूप में इस मामले में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, तथा समस्या पर विचार करते हुए यह आपके तथा सदन में विरोधी दल के नेता द्वारा इसका निर्णय करना सम्भव हो सकता है। क्या आप विरोधी दल के नेताओं की एक बैठक बुलायेंगे अथवा सभी दलों की एक समिति गठित करेंगे। यह एक ऐसा मामला है जिस पर आपको तथा सदन में विरोधी दल के नेता को विचार करना चाहिए।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : श्रीमन्, हमारा सजेश्चन यह है कि आप 1963 से 1968 की कार्यवाही देखें तो पायेंगे कि स्वर्गीय लोहिया ने बार बार कहा है कि जिस प्रकार हाउस आफ कामन्स चलता है उसी तरह यह सदन भी 10 महीने चले···

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से समय बर्वाद होता है। में इसकी स्वीकृति नहीं देता।

श्री राजनारायण : आप नहीं सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। यही तो गड़बड़ी हो रही है। न माननीय रवीन्द्र वर्मा समझ पा रहे हैं और न आप। लगातार 10 महीने सदन की बैठक हो। और इसकी चर्चा एक बार नहीं, अनेक बार हुई है।

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजन, विनियमन और सेवा शर्तें, (विधेयक)

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, मैं अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन का विनियमन करने और उनकी सेवा की शर्तों तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ।

"अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन का विनियम करने और उनकी सेवा शर्तों तथा उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

कोयला उद्योग में कदाचार

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुरा) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

यद्यपि कोयला उद्योग को सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया है, फिर भी वहां की स्थिति अच्छी नहीं है ।

(श्री एन० के० शेजवलंकर पीठासीन हुए)

सरकार द्वारा कोयला उद्योग अपने हाथों में लिए जाने के बाद भी स्थिति अच्छी नहीं है । लगता है कोयला उद्योग के मामले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय इस बात के कि राष्ट्रीयकरण से पहले खान के मालिक कोयला मजदूरों तथा सामान्य उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे थे तथा राष्ट्रीयकरण के पश्चात सरकार द्वारा नियुक्त लोग विदेशी एजेंटों के सहयोग से वही कार्य कर रहे हैं ।

नोट करने योग्य सबसे ज्यादा चिन्तनीय पहलू पिछले 9 से 10 वर्षों के दौरान कोयले के मूल्य में पंजीकृत की न्यू असामान्य वृद्धि है । कोयले के मूल्य में वृद्धि के अतिरिक्त सामान्य उपभोक्ताओं, छोटे व्यापारियों तथा एजेन्टों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म बहुत ही घटिया है ।

कोयले के वर्गीकरण की नीति समाप्त कर देने के पश्चात, उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए तीसरी श्रेणी के कोयले के लिए वही मूल्य देना पड़ रहा है, जो ऊँची श्रेणी के कोयले के लिए दिया जाता था ।

दूसरा चिन्तनीय पहलू यह है कि छोटे व्यापारी तथा एजेन्ट यद्यपि उनके पास आवश्यक परमिट है, कोयला प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं । परिणामत: उन्हें बिचौलियों, दलालों, एजेन्टों, काला बाजारियों, आदि के जटिल पंजों में फंसना पड़ता है । इन बेईमान तत्वों की सहायता के बिना कोई कोयले की सप्लाई प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता ।

यहां नोट करने योग्य दूसरा तथ्य यह है कि सरकार ने ये एजेंसियां उन लोगों को दी हैं, जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व खदानों के मालिक थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरानी शराब नई बोतलों में भरी गई है । कुछ भी नहीं बदला है, अपितु, राष्ट्रीयकरण के पश्चात स्थिति और भी

खराब हो गई है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण की नीति का दोष नहीं हैं, किन्तु यह बताया जाता, राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से जनता के समक्ष चट्टान बन गई है। वास्तव में राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोई भी ज्यादा दुर्घटनायें हुई हैं, इन्हें देख सकता है।

यह सब कुछ देखकर, सिवाय इसके कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता कि पिछले कोयला खानों के मालिकों, अफसरशाहों तथा निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों ने विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर एक षड्यन्त्र रचा है जिससे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हो कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ उत्पादन में क्षति है।

इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदम कोयला उद्योग की स्थिति को सुधारने के लिए अवश्य उठाने चाहियें :

1. एजेन्ट पर निर्भर करने की अपेक्षा कोयला वितरण की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए।
2. वितरण अधिकारी की देखरेख में वितरण किया जाना चाहिए।
3. सामान्य उपभोक्ताओं के हित को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. वितरण प्रणाली में मिलावट तथा अन्य गडबड़ी करने के लिए जिम्मेदार लोगों को दण्डित करने के लिए कठोर कदम उठाये जाने चाहिए।
5. कोयला एक आवश्यक वस्तु है विशेषकर कस्बों और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जहां बिजली और ईंधन गैस उपलब्ध नहीं है। अतः यह कम मूल्य पर होनी चाहिए।

(दो) कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में ईंटों के बहुत से भट्टों का बन्द होना

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्न लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 ईंटों के भट्टे कोयले के अभाव में बन्द हो रहे हैं या बन्द हो चुके हैं। लगभग 2 लाख श्रमिक बेकार हैं। कोयला रेल वैगन से तो आता ही नहीं है। जितनी रेक्स उत्तर प्रदेश के लिए एलाट हैं, मिल ही नहीं रही हैं। सारे प्रदेश में कोयला नहीं है। सारे निर्माण कार्य ठप्प हो गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। केन्द्रीय सरकार तुरन्त कोयले तथा रेलवे वैगन की व्यवस्था करे जिससे ईंट भट्टे चल सकें तथा श्रमिकों को रोजी रोटी मिल सके।

(तीन) बेतवा तदी (मध्य प्रदेश) नोट घाट पुल से ले जाने वाले माल पर चुंगी लनाये जाने के विरुद्ध जनता में व्याप्त असंतोष।

श्री लक्ष्मी नारायण (खजुराहो) : सभापति महोदय, मैं 377 के अधीन निम्नलिखित लोक-महत्व का विषय उठाना चाहता हूं :

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में ओरछा स्टेशन के पास बेतवा नदी पर नोट घाट का पुल 33 लाख रुपये की लागत से निर्मित हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं केन्द्रीय

शासन द्वारा बराबर-बराबर धनराशि से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्माण हुआ था। पुल में व्यय की गई धनराशि की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुल पर से निकास करने पर चुंगी कर लगाया गया था। चुंगी कर से पुल के निर्माण में जितनी धनराशि व्यय हुई है उससे अधिक धनराशि वसूल हो चुकी है; पर फिर भी चुंगी कर वसूल किया जा रहा है। शासन के नियम अनुसार कि लागत व्यय के बराबर वसूली हो जाने पर चुंगी टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा, पर इस पुल पर लगातार वसूली की जा रही है। मैंने इस वसूली को रोकन बाबत तारीख 21-7-77 व 17-5-78 को प्रधान मन्त्री महोदय को और दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा था पर अभी तक इसे रोका नहीं गया है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केन्द्रीय सरकार का इसमें बराबर हिस्सा लगा है। वसूल की गई रकम में से मध्य प्रदेश और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा भी उत्तर प्रदेश शासन को वापस करना चाहिए।

आदेश के विपरीत अन्धाधुन्ध वसूली किये जाने से जनता में बेहद असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है। अतएव नोट घाट पुल की चुंगी की वसूली शीघ्र समाप्त की जाये तथा मध्य प्रदेश और केन्द्रीय सरकार की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र वापस करनी चाहिये।

(चार) 21 अप्रैल, 1979 को विहिया स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर 104 डाउन डीलक्स को रोके रखना।

श्री ए० के० राय : (धनबाद) मैं नियम 379 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

104 डी० एन० डीलक्स दिनांक 21.4.79 को ट्रेन पर रेल यात्रा का बहुत भयानक अनुभव हुआ। जिसके बारे में मुझे बाद में पूछने पर पता लगा कि यह तो पूर्वी रेलवे के मुख्य लाइन में एक सामान्य सी बात है। बक्सर और दानापुर के बीच इस अति तीव्र ट्रेन को रास्ता देने के लिए विहिया स्टेशन पर स्थानीय जनता ट्रेन को रोक दिया जाता है। अव्यवस्था का मूल कारण यही है। दिनांक 21.4.79 को प्रात: 6 बजे जनता गाड़ी को रोक दिया गया ताकि डीलक्स ट्रेन को रास्ता दिया जा सके। जिससे स्थानीय यात्री क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने सिगनल की सहायता से उस ट्रेन को रोक लिया, इसके स्थानीय गाड़ी के लगभग सभी यात्री डीलक्स में घुस गए और शीशे तोड़ दिये तथा वातानुकूलित डिब्बों पर कब्जा कर लिया। वेक्यूम पाइपों को काट दिया। कुछ लोग जबरदस्ती भोजनयान में घुस गए और उन्होंने लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तैयार सारा भोजन लूट लिया। बहुत देर तक खड़ी रहने के बाद वह सामान्य जनता गाड़ी की तरह चालू हुई और बार-बार चेन खींचे जाने के कारण वह सभी स्टेशनों के बीच रुकती हुई चली। इस प्रकार यह वाघा पटना को कामा जंकशन पर 6 घण्टे देर से पहुंची।

यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई। भोजन समाप्त हो गया था, वातानुकूल यन्त्र खराब हो गया था, पानी भी उपलब्ध नहीं था। यात्री गण बड़ी तीखी आलोचना कर रहे थे। बक्सर से बोकामा की दूरी 100 कि० मी० से अधिक न होगी, किन्तु उसे तय करने में इसे दस घण्टे लग गए। इस घटना की सबसे मजेदार बात तो यह रही कि ट्रेन के देर से पहुंचने के कारण जिस

सैनिक अधिकारी की हावड़ा से सभी रेलगाड़ियां छूट गई। उससे कण्डक्टर गार्ड ने अति तीव्र ट्रेन के लिए किराया वसूल कर लिया।

ये सारी बातें बहुत क्षुब्ध करने वालीं और शर्मनाक थीं खासतौर पर जब यह मालूम हुआ कि ऐसा कुछ समय से नियमित रूप से ही हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बक्सर-पटना मार्ग के स्थानीय यात्रियों को किसी बात का क्षोभ है, और गलत तत्व इसका लाभ उठा रहे हैं।

गर्मी के इस मौसम में बहुत से स्कूलों, कालेजों और कार्यालयों में काम समय सुबह ही होता है, किंतु रेलवे की समय सारणी न तो उसके अनुसार परिवर्तित होती है, और न ही उनके लिए अतिरिक्त रेलगाड़ी की व्यवस्था की जाती है। यही नहीं वरन् उनकी स्थानीय रेलगाड़ियां रोक दी जाती हैं जिससे सुबह-सुबह आफिस या कालेज जाने वाले क्रुद्ध हो जाते हैं। स्थानीय यात्रियों के इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए और उस लाइन पर डीलक्स और स्थानीय ट्रेन की समय सारणी फिर से समयोजित की जाए। यदि रेलगाड़ी एक सीमा से अधिक निलम्बित हो जाए, तो उसके यात्रियों के लिए प्रत्येक जंकशन पर बदले जाने वाली ट्रेन भी छूट न जावे आदि का ध्यान रखना चाहिए और अत्यधिक तीव्रगामी इस ट्रेन के देर से पहुंचने पर यात्रियों से वसूल किया गया अधिक प्रभार वापस कर देना चाहिए।

(पांच) गोआ में नए मन्त्रिमण्डल का गठन

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर इस माननीय सभा तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

स्वतन्त्रता से संघ क्षेत्र, गोआ महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के पंजे में था। पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साम्राज्य को गोआवासियों ने चुनौती दी है। गोआवासियों की भावना का ध्यान रखते हुए विधायकों ने सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा हिंसा करने और अव्यवस्था फैलाने के बावजूद श्रीमती शशिकला काकोडकर के शासन के विरुद्ध मतदान किया है। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी से संबंधित विधायकों की इस शर्मनाक हरकत का तिरस्कार किया जाए, क्योंकि यह प्रत्येक प्रजातांत्रिक मानदण्डों के खिलाफ है।

सभा के 16 सदस्य राज्यपाल के सामने पेश हुए और उन्होंने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी की सरकार को तुरन्त पदच्युत करने और बहुमत द्वारा सरकार बनाए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की। 16 विधायकों की उपस्थिति से यही यकीन होता है कि श्री शशिकला कोकोडकर का बहुल अब सभा में नहीं रह गया है। अतः यद्यपि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है, तथापि उनका मुख्य मन्त्री पद समाप्त होना स्वाभाविक है।

संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत गोआ पूरी तरह भारत सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। संविधान और जनता के प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अनुसार कार्य करना होता है। सरकार ने पांडिचेरी की सरकार भंग कर दिया है और गोआ में हो रही गतिविधियों के प्रति पूरी तरह मौन साध लेने की नीति अपना रही है। भारत सरकार के मंद उत्साह ने गोआ में राजनैतिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है, और जनता इस बात से भयभीत है कि पदच्युत मुख्य मन्त्री के संरक्षण में बड़े पैमाने पर हिंसा कांड भी संभव है।

श्रीमती काकोडकर के मंत्रिमण्डल को बर्खास्त करने में विलम्ब करना संविधान का उल्लंघन करना और पद से वंचित मुख्य मन्त्री को शक्ति से चिपके रहने के लिए जोड़-तोड़ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रजातांत्रिक मानदण्डों के विरुद्ध है। इसीलिए मैं गोआ में श्रीमती काकोडकर के मन्त्रिमंडल के तुरन्त अपदस्थ किये जाने और बहुमत को नयी सरकार बनाने की अनुमति देकर पुन: प्रजातन्त्र लाने की मांग करता हूं।

वित्त विधेयक, 1979

सभापति महोदय : अब सभा श्री चरण सिंह द्वारा 24 अप्रैल, 1979 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा आगे विचार करेगी, अर्थात :

"वित्त-वर्ष 1979-80 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्य रूप देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हरि विष्णु कामत : व्यवस्था का प्रश्न, नियम 219···

श्री दीनेने भट्टाचार्य : क्या अनपूर्ति ?

श्री हरि विष्णु कामत : इतनी अपर्याप्त नहीं है।

कृपया उप-नियम (2) और (3) पढ़ें। नियम की यह धारा वित्त विधेयक पर ही है। यह वित्त विधेयक के लिए पृथक-धारा है। उप नियम (2) का निम्नलिखित रूप में पठन किया जाता है :

"वित्त विधेयक सदन में पुर:स्थापित करने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष, पूर्ति के लिए या सभा द्वारा विधेयक की विभिन्न प्रक्रियाओं में आने वाली अवस्थाओं के लिए एक दिन या कई दिन, निरन्तर या अलग तारीख पर निर्धारित कर सकता है, और जब ऐसा आवंटन कर दिया जाएगा, अध्यक्ष 17.00 बजे···"

सौभाग्य से मैंने जो तर्क दिया था, कि यह अलंघ्य नहीं है, अध्यक्ष महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है, और 19.00 बजे निर्धारित किया है। आज इस समय 19.00 बजे हैं।

"···आबटित दिन या आबंटित दिनों में से अन्तिम दिन, यथास्थिति इसके बाद जिस दिन या दिनों के लिए प्रक्रम निर्धारित किया गया है, या किये गये हैं। उसी दिन बकाया मामले का निपटान करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।

यह प्रक्रम बाद में आएगा, परन्तु महत्वपूर्ण है। पहले जो कुछ हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए कृपया परन्तुक को पढ़ें।

"बशर्ते कि यदि मन्त्री···"

मुझे प्रसन्नता है कम से कम एक मन्त्री तो यहां उपस्थित है।

"···को उस प्रस्ताव पर जिस पर आज 16.00 बजे चर्चा होनी है उससे सम्बन्धित बाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार हो···" यथावश्यक परिवर्तन सहित यह 18.00 बजे होगा, क्योंकि 17.00 बजे को 19.00 कर दिया गया है, अत: 16.00 बजे 18.00 बजे हो जाएगा।

"....और उसने उस समय उत्तर देना आरम्भ नहीं किया हो...". विचाराधीन प्रस्ताव 'प्रथम वाचन' है, अर्थात विचाराधीन प्रश्न पर चर्चा हो रही है, यह परंतुक समय पर भी लागू होता है। जिसकी सीमा 18·00 बजे है। कृपया पढ़ते जाइये :—यह रोचक है—

"....और उन्होंने उस समय उत्तर देना आरम्भ नहीं किया हो..." इसका अभिप्राय 18.00 बजे हैं। ध्यान रखें कि सभा ने अध्यक्ष या आपके कहने पर ही निर्णय लिया था, क्योंकि उस समय आप ही पीठासीन थे। अन्तिम प्रक्रम, तृतीय वाचन केवल एक घंटे में ही हो जाता, अर्थात वह इसी सन्ध्या में 18.00 बजे से 19·00 बजे के बीच हो जाएगा। यही समय तृतीय वाचन के लिए निर्धारित था।

अब इस परंतुक और उप-नियम (3) को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष यह पूछें कि एक घंटे से अनधिक, कितने समय में वे राज्य मंत्री अथवा उनके वरिष्ठ सहयोगी उत्तर दे पायेंगे, अर्थात मंत्री कितने समय के अन्दर अपना उत्तर पूरा कर लेंगे। वे उस समय भाषण दे रहे सदस्य से तत्काल अपना स्थान ग्रहण करने को कहेंगे। क्योंकि मंत्री को उत्तर देने के लिये आवश्यक समय की अनुमति 17.00 बजे के पूर्व, जिसे अब 19.00 कर दिया गया है उपलब्ध होगी।

उप-नियम (3) इस प्रकार है :

"जहां प्रश्न या प्रश्नों में से कोई एक उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित है, अर्थात मेरे द्वारा पहले ही पठित उप-नियम निर्धारित दिन या निर्धारित दिनों के अन्तिम दिन 17.00 बजे विधेयक पारित किया जाए, विधेयक में संशोधन के बावजूद भी उप-नियम (2) का कार्यरूप प्रभावी होगा।" यदि मैं दोनों को ध्यान में रखूं तो वे मेरे सामने स्पष्ट हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि यह मेरे सहकर्मियों या आपके सम्मुख स्पष्ट है या नहीं कि मंत्री अध्यक्ष और सभा को यह बताए कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिये चर्चा के समय उत्तर देने में कितना समय लेगा। और कितना समय अपेक्षित होगा ? अपेक्षित समय के बारे में वह अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से सहायता ले ताकि अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए, महोदय आप उस समय बोल रहे सदस्य को बैठने के लिए कह सकें और वह समय मंत्री को उसका उत्तर देने के लिए कर सकें तथा प्रस्ताव पर विचार के लिए चर्चा 11 घण्टे में समाप्त कर सकें जो समय प्रथम वाचक के लिए दिया गया है।

समय सूची आपके पास है। मैं नहीं जानता कि कितना समय लिया जा चुका हैं, और कितना शेष है। कृपया बतायें कि कितना समय शेष है ?

सभापति महोदय : 11 घंटे पूरे होने में। घंटा 15 मिनट शेष हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : इसके बाद, द्वितीय वाचन शुरू होगा। इसलिये यदि समय सूची के अनुसार चलना हो, तो हमें विचाराधीन प्रस्ताव पर 2.45 या 3.00 बजे सायं तक चर्चा समाप्त करनी होगी। और इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय से पूछ लें कि विचाराधीन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देने में वे कितना समय लेंगे और उसके अनुरूप अन्य सदस्यों के लिये शेष समय भी बतायें, अर्थात यदि कोई सदस्य बोलना चाहे तो उन्हें उनका स्थान ग्रहण करने के लिए कब कहा जाएगा, ताकि इस समय निर्धारित समय के अनुसार मंत्री चर्चा का उत्तर दे सके। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक हम सूची के अनुसार नहीं चल सकते। मैं उत्तर के

अधिकार में कटौती नहीं करना चाहता और सदस्यों का समय भी कम नहीं करना चाहता। किन्तु जब तक हम उसका कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास द्वितीय और तृतीय वाचक के लिए कम समय ही रह जाएगा। और विधेयक के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जब तक आप समय न बढ़ाना चाहें, चर्चा आज समाप्त हो जानी चाहिये। यदि सभा समय बढ़ना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : समय सूची के अनुसार वह आज पूरा हो जाएगा, 15 घंटे निर्धारित किए गये हैं। इसलिए यह आज पूरा हो जाएगा।

श्री हरि विष्णु कामत : आप सभापति होने के नाते उत्तर के लिए समय निर्धारित करें और उसके अनुरूप चर्चा का संचालन करें।

सभापति महोदय : मैं ऐसा ही करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : वे कितना समय लेंगे ? वे नहीं जानते कि उनके वरिष्ठ सहकर्मी कितना समय लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि उत्तर कौन देगा, वे देंगे या वरिष्ठ उपप्रधान मन्त्री देंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, तो मैं कुछ कहूं, अन्यथा नहीं। मैं अशिष्ट नहीं होना चाहता, जबकि आप बोल रहे हैं।

महोदय श्री कामत इस सभा के माननीय सदस्यों के अधिकारों के प्रति बहुत सतर्क हैं···

श्री हरि विष्णु कामत : सभी को होना चाहिये।

श्री सतीश अग्रवाल : सभी नहीं हैं।

अस्थाई रूप से यह निर्णय किया गया था कि विधेयक के सभी प्रक्रमों की पूर्ति के लिए 15 घण्टे निर्धारित किए गए थे, 11 घंटे सामान्य चर्चा के लिए, 3 घंटे खंडवार चर्चा के लिए और तृतीय वाचन के लिये 1 घंटा। इस समय सूची के अनुसार मेरे विचार से प्रस्ताव पर चर्चा 3 बजे तक अवश्य हो जानी चाहिए।

सभापति महोदय : 3 बजे क्यों ? 2.45 बजे क्यों नहीं ?

श्री शतीश अग्रवाल : मुझे केवल आधा घंटा ही चाहिए, उससे अधिक नहीं। जैसा कि सभा पहले से ही जानती है, दुर्भाग्य से उप प्रधान मंन्त्री अस्वस्थ हैं, वे सभा में उपस्थित न हो सकेंगे। आपकी और सभा की अनुमति से मैं वाद-विवाद का उत्तर दूंगा।

सभापति महोदय : श्री उग्र सेन। उपस्थित नहीं हैं। श्री बी० के० नायर।

श्री बी० के० नायर : (मावेलिकरा) : महोदय, प्रारम्भ में ही मैं नए उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री को बधाई देना चाहूंगा। भारत में पहली बार उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री के पद पर ग्रामीण भारत का प्रतिनिधि आसीन हुआ है और यह परिवर्तन बजट प्रस्ताव में भी प्रतिबिम्बित होता है। इसके लिये उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। किन्तु प्रधान मन्त्री के पद पर उनके आसीन होने के नाते यह उनका अधिकार है, यह उनका समुचित दावा है कि वह मंत्री-मण्डल का एक अन्य मन्त्री मात्र नहीं है। उसे उप प्रधान मन्त्री के पूरे उत्तरदायित्व और अधिकार

प्राप्त कर लेने चाहिये और इन उत्तरदायित्वों और अधिकारों के बीच में सुझाव देना चाहूंगा कि देश में सम्पूर्ण आर्थिक कार्यकलाप को उचित रूप देना उनका कर्तव्य है—केवल कर और शुल्क लागू करने वाला बजट ही प्रस्तुत न करें वरन् सम्पूर्ण देश की आर्थिकअ व्यवस्था में सुधार लाये। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आर्थिक कार्य मन्त्रालय की तरह का कोई मंत्रालय गठित किया जाए, क्योंकि हर ओर घोर अव्यवस्था है। उद्योग मन्त्री अपने रास्ते पर चल रहे हैं, वाणिज्य मन्त्री का अलग रास्ता है —निर्यात कम हो रहा है, आयात अधिक हो रहा है। पैट्रोलियम मंत्री नहीं जानते कि अन्य मन्त्री क्या कर रहे हैं, रेल मंत्री परिवहन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, कोयला मंत्री कोयले की पूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। सब चीजे भ्रष्ट हो रही हैं। इन सभी को व्यवस्थित करने के लिये आर्थिक कार्य मन्त्रालय जैसा सर्वोपरि प्राधिकरण स्थापित किया जाये। वह अब और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि देश में योजना का दूसरा स्थान है। अब योजना रोलिंग योजनाओं में बंट गई है। 'रोलिंग योजना' का अर्थ है कुछ पूरा किया जाएगा और कुछ बिना किए छोड़ दिया जाएगा। जब तक प्रतिवर्ष समायोजन नहीं किया जाएगा तथा आर्थिक आधार पर कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जायेगा तब तक देश वर्तमान व्यवस्था की स्थिति से नहीं उभर सकता।

मैं जनता सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से वे इस देश की अर्थव्यवस्था का समुचित प्रबंध नहीं कर रहे हैं। सत्ता में आते ही संसद के समक्ष जो पहला बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री एच० एम० पटेल यह स्वीकार नहीं कर रहे थे कि स्थिति में सुधार हुआ है, तथापि बिल्कुल स्पष्ट तथ्यों को उन्हें स्वीकार ही करना पड़ा; संसद के समक्ष भाषण में उन्होंने स्वीकार किया कि औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ है; कृषि की फसलें 1,210 लाख टन तक बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था इतनी अव्यवस्थित थी कि 1,210 लाख टन का उपगोग नहीं किया जा सका, अधिक फसल बच गई, उपभोग के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया, क्रय शक्ति बहुत कम हो गई इसलिए, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विदेश से धनराशि अधिक प्रेषित हुई है तथा विकास की दर बढ़ी है। ये सभी सकारात्मक तथ्य प्रस्तुत हैं। किंतु अब क्या स्थिति है ? अपने बजट भाषण में वर्तमान वित्त मन्त्री ने क्या कहा था। उन्होंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नोट किया कि बचत कम हो गई है, लोकप्रियता कम है, औद्योगिक उत्पादन कम होता जा रहा है। फसल केवल यथातथ्य रहीं—1979 में कृषि 1978 से बेहतर फसलें नहीं हुईं; केवल थोड़ा सा सुधार ही हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्यात कम हो रहा है; और आयात बढ़ रहा है। इन सभी घटकों में आयात में, 1977 की तुलना में वृद्धि हो रही है। वित्त मन्त्री के भाषणों से ही आप देखेंगे कि इन दो वर्षों के भीतर देश की आर्थिक व्यवस्था और वित्त ढांचे में बड़ी मात्रा में कुप्रबंध हुआ है।

यह भी एक तथ्य है कि जबकि श्री पटेल ने केवल 84 करोड़ रुपये के घाटे वाले बजट से शुरूआत की थी, श्री चरन सिंह ने 1300 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया है। यह मूल प्रस्तावों की स्थिति थी परन्तु अब रियायतों और तेल के मूल्य में वृद्धि करने के बाद और अनेक घटकों के कारण, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल घाटा 3000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। वह 1400 करोड़रुपये नहीं होगा जैसा कि आपने सोचा है। बल्कि वह वर्ष से अन्त तक लगभग 3000

करोड़ रुपये होगा क्योंकि हर वर्ष बजट के पूर्वानुमान में 15% की कमी आती है। प्रति वर्ष, यदि अनुमान 100 करोड़ रुपये का है तो वास्तव में 200 करोड़ रुपये होगा। मेरे ख्याल में इस साल घाटा 3000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

बजट प्रस्तावों को मैं कुलक बजट कहकर उनकी निन्दा नहीं करूँगा। यह सब बिल्कुल असंगत है क्योंकि छठी सभा की शुरूआत से, जिसका मैं एक सदस्य हूं, किसानों की शिकायतों पर बहुत आंसू बहाये गये हैं, 'गांवों की ओर देखो।' वे कड़ी मेहनत करके हमारे लिये खाद्य सामग्री पैदा कर रहे हैं। मगर उन्हें उसके लायक दाम नहीं मिल रहे। सभी वर्ग किसानों के प्रतिनिधि और सब किसानों के लिये आंसू बहाते रहे हैं। अब जब वित्त मंत्री ने यह सुझाव पेश किया है कि हमें उर्वरकों के दामों में कटौती करके शुरुआत करना चाहिये तो यह हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि 'यह कुलक बजट है।' यह शहरी और ग्रामीण प्रदेशों में विरोध पैदा कर देगा। यदि किसानों की मदद करने के लिये कोई काम करना चाहता है तो कहीं से तो शुरूआत करनी ही होगी—यह एक निरर्थक विवाद खड़ा किया गया है। कितनी कटौती की गई? यह केवल 100 रुपये प्रति टन है। अगर यह करना है तो यह कटौती पर्याप्त अधिक होनी चाहिये। यह मुनासिब या काफी नहीं है क्योंकि खुद इसका अनुभव है। आठ साल पहले धान और उर्वरकों की कीमत का अनुपात 1 : 2 था परन्तु अब दाम चार गुना बढ़ गये हैं और धान के मुकाबले उर्वरकों की कीमत भी चार गुना बढ़ गई है। इससिये यहां 700 रुपये थी रियायत कुछ भी नहीं है। यह बहुत मामूली शुरुआत है। इसे इससे कहीं अधिक होना चाहिये था। मैं यही कहना चाहता हूं।

जब आप खेतिहरों की सहायता करने की बात करते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सिंचाई के उपकरण दिये जायेंगे और उनकी लागत कुछ कम की जायेगी। ऐसे उपायों का निश्चित रूप से स्वागत किया जायेगा। मुझे भी लगता है कि यह कहना ठीक नहीं है कि ग्रामीण और शहरी प्रदेशों में कोई विरोध खड़ा कर दिया गया है। विरोध है, निश्चित रूप से है। मैंने पिछली बार भी यह आरोप लगाया था और मैं अब भी यह आरोप लगा रहा हूं कि शहर के 20 प्रतिशत लोग 80% किसानों का खून चूस रहे हैं।

अभिप्राय यह है कि शहरों में रहने वाले 20 प्रतिशत लोग देश का शासन चला रहे हैं. उनका नौकरशाही पर नियंत्रण है तथा रेडियो और समाचार पत्रों पर भी उनका नियंत्रण है। यदि जनता के 80 प्रतिशत लोगों के भार को हल्का करने के लिये कोई कार्यवाही करता है तो वह स्वागत योग्य है, गांवों में रहने वाली गरीब जनता की उपेक्षा करते हुए शहरी लोग सब सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं तथा इस असमानता को समय रहते दूर किया जाना आवश्यक है तथा मुझे आशा है कि इस असमानता को अवश्य दूर किया जायेगा। यह इस संबंध में छोटी सी कार्यवाही है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिये। किंतु इस असमानता तथा असन्तुलन को दूर करने की दिशा में गलती यह हुई है कि उसके लिये किये गये उपाय न्यायोचित नहीं है। जब आप नहाने के साबुन तथा टूथ-ब्रुश जैसी बस्तुओं पर कर लगाते हैं, जो कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं तो उसका भार केवल शहरी लोगों तक ही सीमित नहीं रहता। इसका बढ़ती हुई उत्पादन लागत पर सामान्य प्रभाव होता है। और इससे जीवन निर्वाह

सूचकांक बढ़ता जाता है। औद्योगिक उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है । तथा आखिर में यह गांवों में रहने वाले लोगों पर भार बन जायेगा।

श्री चरणसिंह ने इसका केवल एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने की बात मन में सोची होगी और इस विषय में ऐसा इसलिये है कि स्वयं जनता पार्टी में इस समय आन्तरिक विवाद चल रहा है और इसलिये उन्होंने सोचा होगा कि इसे राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाये। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका प्रभाव सारे देश की जनता पर पड़ेगा। इससे उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग, सरकारी कर्मचारी तथा सभी प्रकार के लोग प्रभावित होंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। करों में इस अभिवृद्धि से जीवन निर्वाह सूचकांक 10 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशंका है और यह यहीं समाप्त होने वाला नहीं है। कल वित्त मन्त्री महोदय ने कुछ रियायतों की घोषणा की थी किन्तु मेरा विचार है कि उसका कोई उपयुक्त प्रभाव नहीं होगा। उनसे तो कीमतें ही बढ़ेंगी अथवा कीमतें और ऊँची हो जायेंगी। आखिर में उसका लाभ व्यापारी वर्ग को ही मिलेगा, इससे निश्चय ही गांवों में रहने वासे लोगों को अत्याधिक कठिनाई होगी। रियायत उससे विपरीत दिशा में दी गई है, जैसा कि वास्तव में सोचा गया था।

इस स्थिति से निपटने के लिये उपाय के रूप में मेरा अभिमत यह है कि आर्थिक मंत्रालय के नाम से एक पृथक मंत्रालय होना चाहिये। परिवहन, कोयला, उद्योग तथा इस्पात जैसे अन्य सभी मंत्रालय, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के पर्यवेक्षी नियंत्रण के अधीन रखे जाने चाहियें अन्यथा कोई समाधान सम्भव नहीं हो सकेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने ही रास्ते पर चलता जायेगा जिससे यह देश बर्बाद हो जायेगा।

दूसरा सवाल सरकार की न्यून उपयोग क्षमता से संबंधित है। यदि प्रत्येक मंत्रालय अपने ही ढंग से स्पष्टीकरण देता रहेगा तो आखिर में नियन्त्रण किसका रहेगा? वह यही कहेगा कि यह उसकी गलती नहीं किसी दूसरे की गलती है। इस्पात मंत्री कहेगा कि उसे कोयला पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता, उद्योग मंत्री कहेगा कि उद्योगों को चलाने के लिये उसे बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई। यदि वे इकाईयाँ जो संस्थापित की जाती हैं, उनका उचित रूप में उपयोग ही नहीं हो पाता तो फिर उसका समाधान ही क्या हो सकता है? उनके संचालन पर वित्त मंत्रालय अथवा आर्थिक मामलों के मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं होता इसलिये उसका कोई समाधान नहीं खोजा जा सकता।

जहाँ तक खाद्यान्नों की कीमतों का प्रश्न है आपने एक निश्चित कीमत की घोषणा की किंतु किसानों को उनकी फसल की वह कीमत नहीं मिलती जो कि वे चाहते हैं। आर्थिक दिशा में यही कार्य है जो कि आपको करने चाहियें—औद्योगिक इकाईयों की क्षमता का उचित उपयोग तथा किसानों को उत्पादन की लागत पर आधारित एक निश्चित कीमत प्रदान किया जाना।

श्री सुरेन्द्र झा सुमन (दरभंगा) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। 1979-80 के बजट पर चल रही विचार चर्चा का आज अंतिम अध्याय है। इस बार केवल 9 मंत्रालयों की माँगों पर और शेष 12 मंत्रालयों की मांगों पर बिना बहस गिलोटीन प्रक्रिया अपनाकर चर्चा का अवसर नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि बजट

अधिवेशन में प्रत्येक मंत्रालय पर सदस्यों को विचार-विमर्श का अवसर देना चाहिये और गिलोटीन परम्परा की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिये ।

वित्त मंत्री ने बजट में जनमत का आदर करते हुए जो पिछले दिन कुछ राहत की घोषणा की है, उससे साबुन, दवा इन्जेक्शन एवं बिजली चालित करघों के कपड़ों का कर-भार कम होगा । साथ ही यह भी वांछनीय होता कि आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों—दियासलाई, किरोसिन तेल जैसी चीजों पर छूट मिलती । अलमूनियम के बर्तनों की, जिन्हें विशेषतः गरीब लोग ही व्यवहार करते हैं, सस्ते दर में मिलने की बात होती । शिक्षा के आधारभूत सर्वोपयोगी कागज की मंहगाई रोकने की दिशा में कदम उठाया जाता । उदाहरणार्थ तीन टन बांस से एक टन कागज बनता है, किन्तु यदि तीन टन बांस तीन-चार सौ में मिलता है तो एक टन कागज तीन-चार हजार में । उत्पादन लागत में यह अन्तर दूर होना चाहिये ।

बजट अनुदान पर बहुत कुछ चर्चा चल चुकी है, पर इसमें संदेह नहीं कि इस बार का बजट एक नई दिशा को प्रशस्त करता है । नगर की ओर जो दृष्टि लगी रहती थी, उसे अब गांव की ओर लगाया गया है । बड़े-बड़े उद्योगों को नगरों में जगमगाने के बजाय कुटीर:उद्यगों और खेत-खलिहानों की सुधि ली गई है । किन्तु यह भी सत्य है कि इससे अन्त्योदय नहीं, मध्योदय ही हुआ है, छोटे किसान-मजदूर को नहीं, बड़े किसानों को ही विशेष सुविधा मिली है । मैं महाभारत का विदुर-वाक्य उद्धृत करूंगा :

"दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरेधनम्
व्याधितस्यौषधे पथ्यं नीरुजस्य किमौषधैः ?

मैं अपने क्षेत्र दरभंगा के विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा, जो उत्तर विहार मिथिला का मुख्य केन्द्र है । यहां बाढ़-सूखे की द्वंद्व लपेट में किसान साल-साल बर्बाद हो रहे हैं । सीमावती गंगाकाशी-गंडकी तथा मध्यवर्ती कमला-बागमती-जीवछ-बलान-कड़ेह आदि दर्जनों नदियां साल-साल बाढ़ लाती रहती हैं । फसलों, घरों, सड़कों, पुलों, माल-मवेशियों को बर्बाद करती रहती हैं । तटबन्ध बने भी हैं, तो ऐसे कि वे टूटते रहते हैं । इसी 78 ई० की बाढ़ में केवल बागमती तटबंध 15 स्थानों पर टूटे थे । इनकी मरम्मत में हर साल रुपयों की लूट चलती रहती है । यही नहीं, नदी से दूरदराज भाग में सूखा भी रहता है । उदाहरणार्थ हायघाट प्रखंड का आधा भाग पानी में डूबा और आधा सूखे का शिकार । बहुलांश में यही हाल दरभंगा-केओटी-बहादुरपुर-दहेड़ी-बेनीपुर-मनीगाछी-जाले-विस्पी-सिंगियो-रासड़ा का भी है । एक प्रकार से हाजीपुर से पूर्णिया तक का समस्त भूभाग बाढ़-सूखे की चपेट में रहता है । सरकारी जांच के अनुसार ही उत्तर बिहार के 8 दर्जन प्रखंडों के लगभग ढाई हजार पंचायतों में करीब 45 प्रतिशत उपज हर साल बाढ़-सूखे से बर्बाद होती है । विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि 74 से 78 तक 5 सालों में उत्तर बिहार में बाढ़-सूखे से 75 लाख टन से अधिक खड़ी फसल बर्बाद हुई । घर, सड़क, पुल आदि की टूट-फूट जोड़ दी जाये तो 50 सौ करोड़ से अधिक की क्षति एक दशक में हुई । यदि एक साल की बर्बादी की राशि ही निर्माण योजना में लगा दी जाये, तो स्थायी समाधान हो जाये ।

इसके लिये बार-बार कहा गया है कि कोसी नदी पर वराह क्षेत्र में, कमला नदी पर शीशा पानी में और अधवारा-बागमती के नूनथर में नेपाल के सहयोग से यदि बराज तैयार हों

तो बाढ़ की रोक, सूखे में पटौनी और हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन से यहां के कृषि, उद्योग-धंधों, ईंधन प्रकाश आदि की सारी समस्याएं हल हो जायें और यह इलाका भारत का अन्न भंडार बन जाये।

इसी तरह दरभंगा में एक बड़ा मैडिकल कालेज और हास्पिटल है जो अत्यन्त घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है। नेपाल तराई के लोग भी यहीं आते हैं। यातायात की असुविधा रहते हुए भी यहां रोगियों की भरमार रहती है। यहां 524 शैय्या वाले 26 लाख की लागत से नये वार्ड बनाने के लिए 1962 में योजना बनी, किन्तु 17 वर्षों के बाद 372 शैय्या वाला प्रभाव भी अब तक ठप्प पड़ा है, उसमें विलम्ब के कारण पांच गुनी राशि एक करोड़ 25 लाख रुपये की लागत आ रही है। यहां के लिए एक प्रस्ताव था कि यहां के सांसद मंत्री ललित नारायण मिश्र के नाम पर मैडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा में स्थापित हो, पर वह पटना में खोला गया।

यहां नेत्र रोग का बाहुल्य है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंधता निवारण स्कीम के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की बात थी।

मैडिकल कालेज के नेत्र विभाग को अपग्रेड करने की भी चर्चा चली, पर यह कह कर बात टाली जा रही है कि वह हवाई सेवा के मार्ग पर नहीं है और रेल सड़क की सुविधा भी नहीं है। कहना नहीं होगा कि जहां मरीजों की तादाद अधिक हो, जो अन्य औपचारिक सुविधाओं से सम्पन्न हो, वहां यातायात की असुविधा भी सरकार द्वारा ही दूर की जा सकती है। यदि थाली न हो, तो क्या भूखे को खिलाने की बात नहीं होनी चाहिए।

दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की है, जिसका विकास करने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दरभंगा में सैनिक हवाई अड्डा है। उसे नागरिक हवाई अड्डे के रूप में व्यवहार किया जाये। दरभंगा में रेलवे के आमान परिवर्तन के काम में शीघ्र हाथ लगाया जाये।

दरभंगा में रेडियो स्टेशन भी है। मिथिला को संस्कृत विद्या और मैथिली भाषा के लिए कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड कहा जाता है। आकाशवाणी द्वारा इन भाषाओं में अधिकाधिक कार्यक्रम प्रसारित किये जायें।

हलधर प्रतीक को लेकर जनता पार्टी राजनैतिक मंच पर अवतीर्ण हुई थी और अब हलधर किसानों के हित में उत्तीर्ण हो रही है, यह सर्वथा संतोष की बात है। पिछली सरकार ने कृषि की उपेक्षा करके बड़े-बड़े उद्योग-धंधों की ओर ही अधिक ध्यान दिया था। उद्योग में 23 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी और विशाल कृषि-क्षेत्र के लिए सिर्फ 19 प्रतिशत। किन्तु जनता सरकार ने सर्वाधिक ध्यान कृषि पर दिया है। उसने कृषि पर 30 से 40 प्रतिशत राशि खर्च करने की नीति अपनाई है। फलतः जहां तीस सालों में कृषि में 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, वहां दो वर्षों के जनता शासन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां खाद्यान्न के लिए पहले भारत सरकार के नुमायंदों को विदेशों में झोलियां लेकर जाना पड़ता था और अन्न खरीद में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे, वहां अब भारत दूसरे देशों को अन्न भेज रहा है, रूस को भी इस बार चावल देने लगा है एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने लगा है। इस समय सरकारी

भंडार में 2 करोड़ टन अनाज जमा है। फूड फार वर्क (काम के लिए अनाज) योजना में जहां पिछले साल 30 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, इस वर्ष वह बढ़ा कर सौ करोड़ रु० कर दी गई है। इस तरह जनता सरकार के बढ़ते कदम सराहने लायक हैं।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राशि बढ़ाने के साथ उसके अधिकाधिक उपयोग के बारे में सावधानी रखनी होगी। स्पष्ट है कि उत्पादन-आय जिस अनुपात में बढ़ी है, उससे कहीं अधिक सरकारी व्यय बढ़ गया है। उदाहरणार्थ स्वतन्त्रता के समय लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी थे, जबकि अब उनकी संख्या 60 लाख से ऊपर हो गई है। 50 रुपये पाने वाला 500/- रु० पाता है। हजार-हजार पाने वाले भी लाख संख्या में हैं। जहां एक एस. डी. ओ. था, वहां दर्जनों विभागीय एस. डी. ओ. हैं। जब सरकारी कर्मचारियों की संख्या दिन दूनी बढ़ रही है, तो डी. ए., टी. ए. और मैडिकल ग्रांट आदि की राशि रात चौगुनी बढ़ रही है।

कहते हैं कि बजट का 75 से 80 संकड़ा केवल व्यवस्था में निकल जाता है और विकास के मूल कामों में—बिजली, पानी, सड़क, बाँध, स्कूल, अस्पताल आदि में—20, 25 प्रतिशत में भी कोताही रहती है। इसमें भी 12, 13 प्रतिशत नगर विकास में और 7, 8 प्रतिशत तक ही गांवों की सीमा में—किसान मजदूरों पर—खर्च होता है। इस प्रकार की फिजूल खर्ची और बदइन्तजामी 80 प्रतिशत देहात वाले और 60 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के देश में रुकनी चाहिए। यहां हमें पिछले वर्षों की तुलना में सन्तोष नहीं करना है। हमें तो विकसित देशों की तुलना में देश को आगे ले जाने का सपना पूरा करना होगा। हमें देखना होगा कि जब जापान का डेढ़ एकड़ रखने वाला किसान 18 टन अनाज और 24 टन आलू-टोमाटो उपजाता है, कोरिया का एक 2 एकड़ वाला किसान रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन से घर को सजा लेता है, तो भारत का पांच एकड़ रखने वाला किसान साल भर परिवार को क्यों नहीं खिला पाता है। कारण स्पष्ट है : भारत में 37 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि में 10 करोड़ एकड़ मात्र सिंचित है और 10 करोड़ एकड़ तो बिल्कुल बंजर ही है। इसी तरह जहां भारत में फर्टलाइजर प्रति हेक्टेयर मुश्किल से 18 के. जी. प्राप्य है, वहां जापान में 319 और साउथ कोरिया में 358 के. जी.। बीज के अन्न यहाँ खाद्यान्न से 4-5 गुने महंगे हैं जबकि वहां ब्रिटेन में ड्योढ़े से अधिक नहीं हैं। पटौना का प्रबन्ध चौथाई क्षेत्र में है, शेष तीन भागों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। वह भी विशेषज्ञों के अनुसार देश भर में 40 करोड़ हेक्टर पानी बरसता है, उसमें सिर्फ 6 करोड़ हेक्टर पानी का उपयोग होता है, शेष बह जाता है। इसके लिए रिजर्वायर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां 48 करोड़ किसानों के लिए बैल 7 करोड़ से कम हैं। गोधन भारतीय कृषि के लिए सर्वस्व है। इस दृष्टि से उसका विकास होना चाहिए। साथ ही गोवध बन्द होना चाहिए। पर इस देश में मजहबी भावना फैला कर दुस्तर्क के द्वारा गोवध-बन्दी का भी विरोध किया जा रहा है और इस तरह आज भूदान यज्ञ के होता सर्वोदयी महान् आध्यात्मिक नेता विनोबा जी के प्राण संकट में पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर अविलम्ब ध्यान दे और उन महर्षि के जीवन की रक्षा का उपाय करे।

अस्तु, संक्षेप में कृषि विकास के लिए आवश्यक होंगे—खेती की चकबन्दी, जमीन के लिए

पास बुक की व्यवस्था, फसल बीमा, पशु बीमा, प्रखंडों में कृषि बाजार, परिवहन के लिए गांव-गांव में सड़क परिवहन, सस्ते बीज, प्रचुर खाद और सबसे बढ़ कर हर खेत में पानी पहुंचाना।

कृषि विभाग का दायरा बहुत बड़ा है। इस दृष्टि से इसकी राशि में और वृद्धि आकांक्षित होगी। संतुलित आहार के हिसाब से यहां खाद्य के लिए 16 करोड़ टन अनाज चाहिए, उत्पादन अभी 13 करोड़ टन मात्र है। यहां दलहन, तिलहन की विशेष कमी है। उसकी खेती बढ़े। गन्ने की फसल खड़ी-खड़ी सूख जाती है। उसकी व्यवस्था हो। गेहूं का उत्पादन तो 70 प्रतिशत स्वतंत्र भारत में बढ़ा है पर चावल का अनुपात 50 प्रतिशत ही बढ़ पाया है जबकि यहां 70 प्रतिशत लोग चावल भोजी हैं। यहां विदेशी बीज वाले ताइचून आदि धान की उपज तो बढ़ रही है पर देशी मालभोग, तुलसी फूल, कनकजीर जैसे उत्तम कोटि के धान लुप्त होते जा रहे हैं। उनकी रक्षा भी होनी चाहिए।

खाद्य समस्या बहुत कुछ हल हो रही है पर वितरण प्रणाली में गड़बड़ी जारी है। कृषि विश्वविद्यालय खुलते जा रहे हैं। पर किताबी ज्ञान पर ही जोर डाला जा रहा है। अब भी कृषि अधिकारी जौ, गेहूं और केड़ाव मटर के पौधों में अन्तर समझना आवश्यक नहीं समझते। उन्हें गांव-गंवई केंचर-चोंचर में क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त कराया जाय।

देश में वन विकास का काम अधूरा है। पेड़-पौधों की कमी है। उन्हें जंगलों, परती-परातों के साथ सड़कों-रेल लाइनों के किनारे और बंजर भूमि में भी लगाने की योजना बननी चाहिए। अनेक देशों में 30 प्रतिशत आय वन संपदा से होती है। यहां सिर्फ डेढ़ परसेंट मात्र होती है। ईंधन समस्या वाले अपने देश में इस ओर ध्यान अपेक्षित है। कभी-कभी अन्न का भाव बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। किन्तु जहां 10 प्रतिशत बेचने वाले और 90 प्रतिशत खरीदने वाले हैं वहां दाम बढ़ाने के बजाय किसानों को खाद, बीज, सामान आदि में राहत देना, मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, ये ही वांछित होंगे।

अस्तु, संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे की पढ़ाई और हर रोगी को दवाई, इन चार खम्भों को मजबूत किया जाय तो राष्ट्र के चहुंमुखी विकास का भवन स्वयं प्रशस्त हो जायगा। साथ ही कानून व्यवस्था, सड़क परिवहन का प्रबन्ध, बिजली की आंख मिचौनी दूर करने की दिशा में यदि विशेष ध्यान दिया जाय तो विकास का मार्ग सहज में खुल जायगा।

अन्त में मैं सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

श्री डी. जी. गवई (बुलडाना) : सभापति महोदय, आपने इस वित्त विधेयक पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं। बहुत से सदस्यों ने हरएक विषय में अपनी-अपनी राय प्रकट की है। लेकिन मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस देश की 60 करोड़ जनता की ओर और उसकी चर्चा की ओर खींचना चाहता हूं। जब यह बजट वित्त मन्त्री जी ने सदन में पेश किया और उसकी चर्चा रेडियो, अखबारों और यहां सदन में हुई चर्चा के द्वारा जनता के कानों तक पहुची तब उनके दिल धड़कने लग गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वे घबड़ा गए, उन्होंने समझा यह जो बजट आया

है इससे अर्थ-व्यवस्था स्थिर नहीं रहेगी। उनमें घबराहट पैदा हो गई है। देश के सारे किसान और मजदूर चिन्तित हैं। किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं, कहा गया है कि किसानों को बहुत बड़ी सुविधा दी गई हैं लेकिन किसानों के लिए क्या किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को खाद पर थोड़ी सी राहत दी गई है। इस प्रकार से किसान के मुंह में एक चाकलेट डाल कर उसकी जेब से सारा कुछ निकाल लिया गया है। खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने में किसान का क्या लाभ होगा ? बेचारा किसान रात-दिन मेहनत करता है, अपना खून-पसीना बहाता है, जंगल में, धूप में नंगे पैर चलता है। उसको खाद पर थोड़ी राहत देने से काम नहीं चलेगा। खेत में जो वह पैदा करता है उसके लिए भी उसको गारंटी मिलनी चाहिए। किसान खेत में अनाज पैदा करता है। किसान एक एकड़ में कितनी खाद लगाता है, कितना बीज डालता है, बीज कितना मंहगा होता हैं, कपास का बीज कितना मंहगा होता है और साथ ही नकली बीज मिलता है — इन बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। किसान बड़ी आशा के साथ खेत में अनाज बोता है लेकिन वह जो इंसेक्टिसाइड खरीदता है उसमें भी बेइमानी चलती है। इंसेक्टिसाइड्स बनाने वाली कम्पनियों का शायद सरकार से मेल-जोल रहता है इसीलिए कीड़े मारने वाली दवाइयों की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह नहीं होती है। किसान स्प्रे करता है और पीछे कीड़े भी घूमते रहते हैं, वह मरते ही नहीं क्योंकि दवाई सच्ची नहीं होती है।

मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करूंगा लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि देश की स्वतन्त्रता और अखण्डता को मजबूत रखने के लिए, देश को जिन्दा रखने के लिए, जिन्दा दिल बनाने के लिए जो हमारे लाखों किसानों के हाथ खेत की मिट्टी में काम करते हैं, अपनी खून की बूंद को पसीना बना कर खेत की मिट्टी को गीला करते हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहले किसानों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो क्या हम पत्थर, सीमेन्ट और लोहे के टुकड़े खायेंगे ? किसान ही इस देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं। इसीलिए हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने "जय किसान, जय जवान" का नारा लगाया था। हमें जवानों की भी जरूरत है क्योंकि वे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस देश के लिए वे अपना खून बहाते हैं, अपना जीवन न्योछावर करते हैं। उनकी भी हमें बहुत जरूरत है लेकिन उनको रोटी खिलाने वाले किसानों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

कुछ लोग बोलते हैं—मैं मजाक नहीं करता—कि यह बुड्ढा बजट है और इसने घुटने टेक दिए हैं तथा अब यह ज्यादा नहीं चल सकता है। इसमें सच्चाई क्या है, यह तो देखना चाहिए। आज सारे देश की जनता में अन्धकार फैला हुआ है। मैं बोलता हूं कि आज हर आदमी चिन्तित है। आपने एक पैसा बढ़ाया है लेकिन आदमी की जेब से दस पैसे छीने जा रहे हैं। आपने किसी चीज पर एक टका, दो टका या तीन टका बढ़ाया; लेकिन खरीदार से दस पैसे लिये जा रहे हैं। आज सभी चीजों में मंहगाई है और मंहगाई होने के कारण मिलावट भी हो रही है। खाने का जो कुकिंग आयल है उसमें मिलावट हो रही है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

कहा जा रहा है कि हमारा बजट रूरल एरियाज में जा रहा है, गरीबों के घर में, झोंपड़ियों में जा रहा है। लेकिन क्या इससे किसी का समाधान हो सकेगा। हमारे नेशनेलाइज्ड

बैंक जो लोन देते हैं, लेण्डलेस लेबर्रस को लोन देते हैं, लेकिन उन मजदूरों को गारन्टी नहीं मिलती। गरीब को कौन गारन्टी देता है ? गरीव को खुद की गारन्टी पर लोन दिया जाना चाहिए जिससे कि वह धन्धे में लग सके। गरीब को कोई गारन्टी देने वाला नहीं मिलता है। इसके लिए सारे देश में रिजर्व बैंक के नियमों में, रेगुलेशंस में सुधार किया जाना चाहिए। किसान को जो पैसा दिया जाता है वह बहुत ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता है। किसान को हम फर्टिलाइजर, इन्सेक्टिसाइड देते हैं लेकिन उससे पैसे पर ब्याज बहुत ऊंचा लेते हैं। यह ब्याज दर कम होनी चाहिए और किसान को समय पर पैसा मिलना चाहिए। किसान जो खेती में उपज करता है, अनाज पैदा करता है, उसके भाव की गारन्टी भी उसको मिलनी चाहिए।

सभापति जी, आज देश में शूगर केन की बहुत बुरी हालत है। मैं एक काश्तकार हूं। मेरी खेती का आधा गन्ना सूख गया। उसको उठाने वाला कोई नहीं था। बाद में उठा कर ले गए तो उसकी बहुत कम कीमत मिली क्योंकि उसका बजन बहुत कम हो गया था। हमारा बजट इस तरह का बना है जिससे कि नियंत्रण होता है और हमारी शासन व्यवस्था नियंत्रण कुछ और करती है। शासन का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। अगर देश को ऊंचा उठाना है तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

देश में आजकल अनाज बहुत पैदा हो रहा है। मैं यह नहीं बोलता हूं कि जनता सरकार के आने के बाद अनाज बहुत पैदा होने लगा है और इसके प्रयत्नों से बहुत पैदा होने लगा है। लेकिन यह सही है कि पिछले दो-तीन साल के अन्दर देश में कोई भूख से नहीं मरा है। लेकिन यह बात भी सही है कि आजकल जितना अनाज हमारे देश में पैदा हो रहा है उसको रखने की हमारे पास जगह नहीं है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान खेत में अनाज कैसे पैदा करता है। एक एकड़ में तीन क्विंटल फर्टिलाइजर लगता है, इन्सेक्टिसाइड लगता है। 12 महीने लेबर लगती है। जब जाकर दस क्विन्टल अनाज मिलता है। अब 15 क्विन्टल होने लगा है क्योंकि अब उस पर ज्यादा मेहनत की जाती है। उस पर खर्चा आता है 15 सौ रुपये का और किसान के हाथ में लौट कर आता है 14 सौ रुपया ; किसान को उसका पैसा मिलना तो दूर रहा, उल्टे उसकी जेब से सौ रुपया चला जाता है। इससे किसान हाय-हाय करता है। बहुत से किसान तो अब खेती छोड़ कर कहीं चपरासी की नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा बच्चा ग्रेजुएट है। वह दो-तीन साल से खेती करता है। वह बोलता है कि इतनी मेहनत करने पर भी मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं कहीं चपरासी की नौकरी मिलने पर वह कर लूंगा। और आराम से अपना जीवन बसर करूंगा। आपने बजट को ग्रामों की तरफ भेजा हैं, हवा की तरह से उड़ा कर कह दिया है कि यह गरीब के घर में जाए, काश्तकार के घर में जाए लेकिन वहां तक यह नहीं पहुंचा है और मुझे सन्देह है कि यह वहां तक जा भी सकेगा। लोग यहां कहते हैं कि बहुत बढ़िया बजट है लेकिन आप देखें कि पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है और काश्तकार की आशा भी खत्म होने लगी है। जनता पार्टी के प्रति वह बड़ी आशा लगाए बैठा था। वह समझता था कि यह पार्टी जब देश की बागडोर सम्भालेगी तो आनन्द ही आनन्द हो जाएगा, सारी दुनिया इसका गुणगान करेगी, सुजलां, सुफला आएगा लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। हम आजाद तो हो गए हैं यह बात तो ठीक है। हमने

हुक्मशाही का ताकत से मुकाबला किया है, तानाशाही का ताकत से मुकाबला किया है और प्रजा-तन्त्र की फिर से देश में स्थापना की है। संविधान को पुनः प्रतिष्ठित किया है। डा० अम्बेडकर और देश के दूसरे नेताओं ने जिस संविधान को बनाया था और जिसको छिन्न-भिन्न करने की प्रक्रिया देश में चालू हुई थी उसका हमने खात्मा किया है, उन ताकतों का हमने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है और उनको पराजित भी किया है। जनता पार्टी बनी और वह पावर में आई। इसकी तरफ लोगों की आशाएं लगी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि जनता पार्टी में मैं नहीं हूं या मैं इसका विरोधी हूं। जनता पार्टी ने मुझे चुन कर यहां भिजवाया है, जनता पार्टी के वोट लेकर और चुन कर मैं यहां आया हूं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं इस बजट के बारे में कि यह मृत्यु की घंटी, मृत्यु का शंख बजाने वाला बजट है। इस बजट से सारे देश के लोग नाराज हैं।

डीजल की किसान को जरूरत पड़ती है, मोटर वालों को भी पड़ती है, ट्रक वालों को भी पड़ती है। लेकिन किसान के खेत में जो आयल पम्प होता है या ट्रैक्टर होता है उस ट्रैक्टर की कीमत भी बहुत ज्यादा हो गई है और किसान अब ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता है। उसकी कीमत अस्सी हजार हो गई है। कहां से किसान अस्सी हजार ला सकता है। बैंक से लोन लेता है तो चौथाई ब्याज उसको पहले दे देना पड़ता है। अब वह ट्रैक्टर लेता है तो खेती की उपज उतनी नहीं होती है कि वह ट्रैक्टर का कर्जा अदा कर सके। इस वास्ते ट्रैक्टर के पीछे वह नहीं जा सकता है। उसके पास जो आयल पम्प है उसमें डालने के लिए उसे डीजल जरूर चाहिए, मिट्टी का तेल जरूर चाहिए और इनके भाव कम होने चाहियें।

ट्रकों से ढुलाई का जो खर्चा है वह बहुत बढ़ गया है। बजट आने के बाद यह बहुत बढ़ गया है। लोडिंग अनलोडिंग पर आपने ज्यादा टैक्सेशन कर दिया है। उसकी वजह से भाड़े की दरें बहुत बढ़ गई हैं। पहले जहां साठ रुपये लिए जाते थे अब डेढ़ सौ लिए जाने लग गए हैं, यानि डबल से भी भाड़े की दरें ज्यादा हो गई हैं। मजदूर को तो चिन्ता नहीं है। वह शाम को अपनी मजदूरी ले लेता है और आराम से खाता है और सो जाता है। लेकिन किसान की नींद उड़ गई है। उसको नींद नहीं आती है। उसको पता नहीं लगता है कि कैसे वह अपनी जमीन को सम्भाले, उसको वह कैसे रखे। यह चिन्ता उसको दिन-रात लगी रहती है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बोट क्लब पर 26 मार्च से लोगों ने धरना दे रखा है और वे मांग कर रहे हैं कि डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो देश के विधाता थे, जिन्होंने देश का संविधान बनाया और संविधान के भी विधाता थे उनका जन्म दिन जो 14 अप्रैल को पड़ता है उस दिन सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, सैंटर को वह दिन छुट्टी का दिन डिक्लेयर करना चाहिए। उनको धरना दिए हुए एक महीना हो गया है। इसके बारे में मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस भी दिया है, लिखित रूप में दिया है और चाहा है कि इसकी इजाजत दी जानी चाहिए और हम सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लेंडलैस लेबरर्ज भी हैं लेकिन वे अम्बेडकर को चाहते हैं और उनकी मांग मानी जानी चाहिये। वैसे तो सारा देश बाबा साहब अम्बेडकर को चाहता है। तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनको आप कोई आश्वासन दें ताकि उनका धरना समाप्त हो।

इसी तरह से जो स्लम एरियाज में जमीन पड़ी हुई है, जहां लोग रहते हैं, वह जमीन उनको दी जाय और ओनरशिप राइट उनको दिये जायें। और इस बजट में बूढ़ापन न होते हुए इसमें जवानी आये ताकि सारे देश में सुख, शान्ति की लहर फैल जाय, ऐसी मेरी अभिलाषा है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, सबसे पहले उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री की ओर से सभा के प्रति मैं इस बात पर खेद प्रकट करना चाहता हूं कि वे अस्वस्थता के कारण वित्त विधेयक पर चल रही बहस का उत्तर नहीं दे सके। तथापि उन्होंने बहस की ओर अपना पूरा-पूरा ध्यान रखा है, तथा मैंने उनसे विचार-विमर्श किया है ताकि बहस के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण मद्दों के उचित उत्तर तैयार किये जा सकें।

मुझे उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहिये जिन्होंने कि बहस में हिस्सा लिया तथा वित्त विधेयक के प्रस्तावों की उपयोगी रूप से आलोचना प्रस्तुत की। विभिन्न कर प्रस्तावों की विस्तृत टिप्पणियों की चर्चा मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं बजट की सामान्य आलोचना के उन तीन-चार महत्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा। संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं :

(1) गैर-विकास सम्बन्धी परिव्यय काफी अधिक है और उसमें निरन्तर वृद्धि अभी जारी है, उसे कम करने की तात्कालिक आवश्यकता है।

(2) विकास कार्यों के लिये अपेक्षित संसाधनों के प्रति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान प्राप्त नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जाये ताकि वे विकास कार्यों में वित्तीय सहायता के लिये अधिक संसाधन जुटा सकें।

(3) कराधान का भार काफी अधिक है तथा वह बढ़ता ही जा रहा है।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा।

मैं इन मुद्दों का उत्तर इसलिये देना चाहता हूं कि मेरी राय में माननीय सदस्यों ने अपनी आलोचना प्रस्तुत करते समय खर्च एवं संसाधन जुटाने से सम्बन्धित इन समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा, जिनका कि समग्र रूप से हमें सामना करना पड़ता है। उदाहरणतः मैं इस बात पर प्रत्येक माननीय सदस्य से सहमत हूं कि गैर विकास सम्बन्धी सरकार के खर्चे में कटौती की जानी चाहिये किन्तु यदि कोई उस गैर-विकास सम्बन्धी खर्चे की संरचना पर विचार करे जिस पर आपत्ति की गई है तो विदित होगा कि गैर-विकास सम्बन्धी खर्च का अधिकांश तीन मदों, यथा रक्षा, ब्याज तथा राज सहायता के सम्बन्ध में होता है, तथा इन मदों के लिये किये जाने वाले परिव्यय को सख्ती से कम किया जा सकता है। यह इतने निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। हमारा भौगोलिक तथा राजनैतिक पर्यावरण ऐसा है कि यह सुझाव देना, कि रक्षा सम्बन्धी खर्च को कम किया जाये, अदूरदर्शितापूर्ण होगा। इसी प्रकार बढ़ती जाने वाली ब्याज की देयता निःसन्देह अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुये ऋण के भार को दर्शाती है किन्तु जब तक हम विकास कार्यों के लिये बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेते रहेंगे, उसका बढ़ते जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि हम धन इस प्रकार ऋण के रूप में न लें तब हमें विकास कार्यों के लिये

संसाधन जुटाने के लिये और भी अधिक कराधन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसे मुझे विश्वास है, कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिये मैं सभा से अनुरोध करूँगा कि वह इसके सम्बन्ध में होने वाले खर्च में वृद्धि पर प्रतिकूल दृष्टिकोण से विचार न करे क्योंकि ब्याज के लिये किया गया भुगतान समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानान्तरण मात्र है। तथा इसके कोई गम्भीर आर्थिक परिणाम नहीं होते, उस सीमा तक कि बैंक अपने ऋण प्रदान करने के कार्यों का निर्वाह निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार करे। इन निधियों का खर्च सदा अच्छे ही रूप में होता है।

जहां तक गैर विकास सम्बन्धी परिव्यय को कम करने की हमारी कार्यवाही का इस रूप में सम्बन्ध है कि सभी प्रकार की राज-सहायता को कम किया जाये। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं कि अनेक मान्य सदस्य इसे स्वीकार करेंगे। खाद्यानों से सम्बन्धित राज-सहायता में कटौती कर खाद्यानों की कीमतों पर तथा कीमतों की सामान्य स्थिरता पर व्यापक प्रभाव होगा। इसी प्रकार सीमाओं में रहते हुए निर्यात सहायता भी हमारे निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये आवश्यक है जबकि हर मामले में यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह केवल अपरिहार्य क्षेत्रों में ही दी जाती है तथा बहुत कम लोग इस बात से इन्कार करेंगे कि भुगतान सन्तुलन की हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कोई ऐसी कार्यवाही करें जिससे हमारे निर्यात प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कोयले जैसे उपक्रमों में होने वाली हानि की भी अन्य बातों के साथ-साथ इन वस्तुओं की कीमतों को अपेक्षित स्तर पर रखने के उद्देश्य से सरकार को ही पूरा करना पड़ता है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक ओर तो सदस्यों ने गैर-विकास सम्बन्धी खर्चे की आलोचना की है, साथ ही दूसरी ओर उन्हें इस्पात तथा सीमेंट जैसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर सरकार से शिकायत है।

इसलिये मैंने अपनी बात इसी आशय से आरम्भ की थी कि हमें सारी स्थिति पर समग्रता से विचार करना चाहिये। यह नहीं कि हम उसका अनेक भागों में अवलोकन करें। माननीय सदस्यों को इस स्पष्टीकरण से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि हम गैर-विकास सम्बन्धी परिव्यय को कम करने के खिलाफ हैं। जैसा कि सभा को विदित है उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री ने निरन्तर बढ़ते जाने वाले उस सरकारी खर्चे को एक गम्भीर समस्या के रूप में लिया है, जिसकी समग्रता से जांच की जानी आवश्यक है और इसीलिये सारे मामले की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया हैं। परिव्यय में कटौती मात्र ही अपेक्षित नहीं है बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस खर्चे की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाया जाये जो कि हमने करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार जैसे हम कृषि के क्षेत्र में एक के स्थान पर दो फसलें उगाते हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि दो रुपये में होने वाला कार्य एक ही रुपये से पूरा किया जाये। सभा को इसीलिये हमारी उस अत्याधिक उत्सुकता के प्रति कोई सन्देह नहीं होना चाहिये, जिससे कि हम गैर-विकास सम्बन्धी खर्च को कम करना चाहते हैं तथा विकासात्मक खर्चे की लागत की प्रभावोत्पादकता में अभिवृद्धि करना चाहते हैं।

मैं श्री कंवर लाल गुप्त, श्री टी० ए० पै तथा माननीय सदस्यों से इस पर सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों की कार्य-प्रणाली में तत्काल सुधार किया जाना आवश्यक है। मैं इस तर्क का आश्रय नहीं लेना चाहता—यद्यपि मैं ले सकता हूं कि ये समस्यायें पिछली सरकार

से विरासत में प्राप्त हुई हैं। सरकारी उपक्रम में 12,800 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जाता है तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि देश के समुचित विकास में रुचि रखता है, यह चाहता है कि वे उपक्रम सुचारु रूप से कार्य करें। मुझे विश्वास है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो तथा सम्बद्ध मन्त्रालय इन उपक्रमों के सामने आने वाली अधिकांशतः बड़ी और कठिन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं किन्तु उनकी कार्यपद्धति में सुधार किया जाना चाहिये, यह एक सच्चाई है।

इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात और है। जबकि इन उपक्रमों की कार्यपद्धति में सुधार करने के कार्य के प्रति यह सरकार वचनबद्ध है। इस बात को भी महसूस किया जाना चाहिये कि यह कार्य हाथों-हाथ नहीं किया जा सकता। क्योंकि वे अवरोध जिन्हें दूर किया जाना है, तथा वे कारक हैं जिनमें कि परिवर्तन किया जाना है अनेक हैं तथा विविध प्रकार के हैं। इसलिये कोई भी वित्त मंत्री उस बात पर निर्भर रहने का जोखम नहीं उठा सकता जो कि सम्भावी हो तथा अनिश्चित भी, और न किसी ऐसी चीज को छोड़ सकता है जो कि सामने है तथा जिस पर उसका नियंत्रण है। वित्त मंत्री के लिये नौ नकद न तेरह उधार वाली उस पुरानी कहावत में काफी बल है।

कर-प्रस्तावों की अत्यधिक आलोचना इस आधार पर की गई कि वे समाज के सभी वर्गों पर कमर तोड़ बोझ डाल देते हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्य यह आलोचना इसलिए करते हैं कि वे बजट के दोनों पक्षों पर विचार नहीं करते। क्योंकि कोई अत्यधिक गम्भीर आलोचना नहीं की गई है। मैं यह मान लेता हूं कि माननीय सदस्य कुल मिलाकर विकासात्मक परिव्यय, जिसका कि प्रस्ताव रखा गया है, के पक्ष में हैं। सिंचाई पर हमें अधिक खर्च करना ही करना है क्योंकि कृषि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में ऊर्जा की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि उसके अधिक उत्पादन की क्षमता उत्पन्न करने तथा मौजूदा क्षमता को प्रभावोत्पादक रूप से प्रयोग करने की कितनी आवश्यकता है ? वे माननीय सदस्य जिन्होंने सीमेंट तथा इस्पात के स्थानीय अभाव के कारण उनके आयात करने के हमारे निर्णय की आलोचना की हैं, सीमेंट और इस्पात के देश के भीतर ही उत्पादन में वृद्धि करने के लिये विनियोजन के कार्यक्रम का निश्चित रूप से समर्थन करेंगे।

यदि ये सब उपयोगी खर्चे किये जाने हैं तो उनके अपेक्षित संसाधन देश के भीतर से ही जुटाने होंगे। माननीय सदस्यों ने घाटे की उस वित्त प्रणाली की ओर भी ऊँगली उठाई है जिसका कि वर्तमान गजट में आयोजन किया गया है। यदि इसे कम किया जाना है तो यह करों के माध्यम से ही हो सकता है। यही सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुए किया है कि उसका भार अधिकांशतः समाज के उन्हीं वर्गों पर पड़े जो कि अपेक्षाकृत बेहतर हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कर प्रस्तावों से समाज के कमजोर वर्गों का कोई हित नहीं होता। यह एक आधारभूत तथ्य है कि कर नीति में परिवर्तन से उन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचता जो कि कर दाता नहीं है। यही कारण है कि वे उपाय, जिनसे कि समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुँचे, कर प्रस्तावों में निहित है। वे वास्तव में व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों में ही खोजे जा सकते हैं। सिंचाई, कृषि-विकास, पूरक धन्धे, ग्राम एवं लघु उद्योग, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर खर्च समाज के अधिक गरीब लोगों की स्थिति के सुधार के लिये ही किया गया है। इसी

प्रकार वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीति के नवीनीकरण तथा क्षेत्रीय ग्राम-बैंकों के विकास का भी उद्देश्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही कारण है कि मैंने आरम्भ में यही निवेदन किया था कि माननीय सदस्यों को बजट पर एक समग्र दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये, यह नहीं कि वित्त विधेयक के इस या उस पहलू को बहस का विषय बनाया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य माननीय सदस्यों ने बजट के बाद कीमतों में वृद्धि के लिए शिकायत की है। यह सत्य है कि फरवरी 1979 के अन्तिम सप्ताह तथा 7 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के बीच थोक मूल्य के सूचकांक में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनेक माननीय सदस्यों ने घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह वृद्धि कर प्रस्तावों के कारण हुई है। किन्तु इस भ्रम का निराकरण सभा के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर तथा प्रश्नों के मेरे उत्तरों द्वारा करने का प्रयास किया गया है। इसमें जबकि कोई सन्देह नहीं है कि कुछ सीमा तक यह वृद्धि बजट प्रस्तावों के कारण हुई हैं किन्तु अधिकांशत: यह परिस्थितिगत कारणों, यथा अलौह धातुओं, पेट्रोल तथा खाद्य तेलों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि तथा बजट के बाद सरकार द्वारा इस्पात तथा रबड़ जैसी कुछ नियमित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की घोषणा के अधीन हुई है।

जबकि मैं इस बात पर ध्यान देना चाहता हूं कि कीमतों में वृद्धि के उस भार के लिये बजट प्रस्ताव उत्तरदायी नहीं है, जो कि पिछले सप्ताहों के दौरान हुई हैं। मैं सभा की इस उत्सुकता में उनके साथ हूं कि इतनी थोड़ी-सी समयावधि में इतनी अधिक वृद्धि गम्भीर चिन्ता का विषय है। सरकार उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं तथा स्थिति का निरन्तर जायजा ले रही है। फिर भी यह मानने अथवा महसूस करने का कोई कारण नहीं है कि कीमतों की स्थिरता की स्थिति एक बड़े खतरे में पड़ गई है। इस मुद्दे पर मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि कुछ धैर्य धारण करें क्योंकि इस विषय पर अत्यधिक उत्सुकता के कारण मुद्रास्फीति की आशंका तथा जमाखोरी की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती जिसे एक बार शुरू होने के बाद नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। इसी के साथ माननीय सदस्यों को सरकार की इस मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने की इच्छाओं के प्रति कोई सन्देह नहीं रखना चाहिये।

मेरे आदरणीय मित्र श्री कंवरलाल गुप्त ने बजट का तर्कातीत विश्लेषण किया है तथा कई सृजनात्मक उपाय सुझाए हैं। मैं उनकी इस दिलचस्पी की प्रशंसा करता हूं कि छोटे वर्गों के लोगों पर करों के भार को जितना भी सम्भव हो, कम से कम रखा जाये; किन्तु साथ ही उन्हें यह बताना चाहूंगा कि उप प्रधान मन्त्री शहरी मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने के सुझावों के प्रति काफी सचेष्ट रहे हैं। मैं यह स्मरण दिलाना चाहूंगा कि बजट पर चल रही सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने 30 करोड़ रुपये की राशि की सीमा एवं उत्पादन शुल्क में कटौती की घोषणा की थी तथा उनका प्रयोजन मध्यम वर्ग तथा अधिकांशत: शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब उपभोक्ताओं की सहायता करना था। उन्होंने पुन: 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की रियायतों की घोषणा की है तथा इनसे भी अधिकांशत: मध्यमवर्गीय उपभोक्ता ही लाभान्वित होंगे। राहत के उपायों से असहमति का अधिकांशत: कारण यही है कि बजट की वर्तमान स्थिति तथा एक निश्चित स्तर तक विकासात्मक खर्चों की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए राजस्व की ओर अधिक कुर्बानी नहीं की जा सकती। यह उल्लेख करना भी असंगत न होगा कि बजट को

प्रस्तुत करने के बाद भी सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे कि हमारे मध्यमवर्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात सरकारी कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करना, जिसे कि पिछली सरकार ने काट लिया था—तथा मंहगाई-भत्ते के एक भाग को वेतन में जोड़ना तथा पेंशन में वृद्धि आदि। यह सभी निर्णय जिससे कि आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। निश्चित रूप से यही सिद्ध करते हैं कि यह सरकार तथा उप-प्रधान मन्त्री मध्यम वर्ग की समस्याओं को बखूबी समझती हैं, तथा उन्हें उपलब्ध संसाधनों की सीमा में पर्याप्त राहत प्रदान करने की आवश्यकता है, इसको स्वीकार करती है।

श्री कंवर लाल गुप्त तथा अन्य सदस्यों ने पैट्रोल से बनी वस्तुओं पर शुल्क में वृद्धि की ओर संकेत किया है। वे परिस्थितियां जिनके अधीन सरकार को पैट्रोल पदार्थों पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा, सभा में अनेक बार स्पष्ट की गई है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहूंगा कि सीमा शुल्क के माध्यम से अथवा पैट्रोल पदार्थों की कीमतों के संशोधन के रूप में उनकी कीमतों में यह वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे और पैट्रोल पदार्थों की अत्यधिक वृद्धि के दौर में राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इन शुल्कों के कारण होने वाली कठिनाइयों से हम पूरी तरह अगवत हैं, किन्तु मैं सदस्यों से केवल यही ध्यान रखने का अनुरोध करूंगा कि यह कठिनाई उन कारकों के कारण उत्पन्न होती है, जो कि हमारे नियन्त्रण से परे हैं। मुझे इस बात की आशंका है कि लगता है वह समय आ गया है जबकि देश इसके प्रति उत्सुक हो कि ऊर्जा के क्षेत्र में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती।

श्री कंवर लाल गुप्त तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने उन कठिनाइयों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया है जो कि केन्द्रीय सीमा शुल्क सूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के छोटे उत्पादकों के सामने आयेंगी। जैसा कि सभा में परसों स्पष्ट किया गया था कि उस एक ही वस्तु के उत्पादन करने वाले बड़े उत्पादकों की तुलना में छोटे उत्पादकों द्वारा उपभोग की जाने वाली रियायतों को हमने आर्थिक दृष्टि से किसी भांति कम नहीं किया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने इस बारे में एक खास मुद्दा उठाया था और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इन मामलों की अधिक विस्तार में परीक्षा करनी होगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : आपने कहा था कि आप बाद में प्रश्न का उत्तर देंगे। मैं उचित अवसर पर आपका पत्र पढ़कर सुनाऊंगी।

श्री सतीश अग्रवाल : यह ऐसी बात है जिसे श्रीमती पार्वती कृष्णन सुनना पसन्द करेंगी। मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मद 68 के अधीन छूट की पात्रता निर्धारित करते हुए, मद 68 के अन्तर्गत न आने वाली मदों पर निर्यात मात्रा और उत्पादन मूल्य छोड़कर छूट की सीमा को कुछ हद तक बढ़ा दिया गया है। वे वस्तुएं जो निर्यात के लिए निर्दिष्ट हैं और मद 68 के अन्तर्गत नहीं आतीं परन्तु जिन्हें पहले इस मद के साथ संयोजित किया जाता था, अब उन्हें अलग किया जा रहा है और इसलिए मैं सोचता हूं कि क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसी कितनी मदें हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : आपको और मुझे न्यायालय में लगातार कई दिनों तक मामलों पर बहस करने की आदत है । तो इस बहस का कोई अन्त नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने, मशीनी क्षेत्र की दियासलाई पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के परिणामस्वरूप, विमको के कर्मचारियों के बेरोजगार होने की ओर ध्यान दिलाया है । इस मुद्दे की ओर माननीया महिला सदस्या श्रीमती पार्वती कृष्णन ने भी ध्यान दिलाया है । मशीनी क्षेत्र में उत्पादन शुल्क बढ़ाने के पीछे जो मूल कारण है उसे इस सभा में एक से अधिक अवसरों पर स्पष्ट किया जा चुका है । इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता कि गैर मशीनी एककों की तुलना में मशीनी क्षेत्र अधिक शुल्क बर्दाश्त कर सकते हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : हम उन श्रमिकों के लिए पेनल संरक्षण की मांग कर रहे हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : वित्तीय शुल्क इस प्रकार लगाए जाएं कि वे उन एककों के पक्ष में हों जो उत्पादन में प्रधान तरीके अपना रहे हैं । बजट प्रस्ताव इस विचारधारा के अनुरूप हैं । हमारे ख्याल से मशीनी क्षेत्रों के लिए बावजूद इसके कि उनके उत्पादों पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है, उत्पादन और रोजगार को पहले की तरह बनाए रखना सम्भव होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 8,000 कर्मचारियों की तुरन्त छंटनी होने वाली है । हम मशीनी क्षेत्र के उद्देश्य का पक्ष समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन 8,000 कर्मचारियों का क्या होगा । हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं । सिर्फ यह कह देने से कि वे शुल्क बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई बात नहीं बनती ।

श्री वयालार रवि : मेरी बात जरा भिन्न है । सिक्कों की समस्या के कारण, सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा । निर्धारित मूल्य और वास्तविक मूल्य में तीन पैसे का अन्तर व्यापारी को मिल जाता है । उपभोक्ता की सहायता करने की दृष्टि से आप समस्या को किस रूप में देखते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : आपने कल जितने भी मुद्दे उठाए थे वे सब मेरे पास दर्ज हैं । मगर मैं हरेक मुद्दे का जवाब नहीं दे सकता । आपने यह बात उठाई थी कि हमने 17 पैसे का मूल्य निर्धारित किया है और वे 20 पैसे ले रहे हैं क्योंकि एक पैसे और दो पैसे के सिक्के आसानी से उपलब्ध नहीं हैं । हमने यह नोट कर लिया है और हमने सम्भवतः इस महीने की 30 तारीख को या 1 मई को उन सभी एककों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है । हम इस मामले को सुलझा लेंगे । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कर्मचारियों को निकाल बाहर नहीं किया जायेगा । उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने के लिए जो भी सम्भव होगा हम करेंगे । विमको में इस तरह ताला नहीं पड़ने दिया जायेगा । विमको को बन्द करने की धमकियों के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं । हम हर वास्तविक समस्या पर विचार करने के लिए तैयार हैं और सरकार पूरी तरह हर कर्मचारी के साथ है । बहुराष्ट्रीय या ऐसी बड़ी कम्पनियों की धमकी से सरकार उत्पादन शुल्क के ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी । यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वाजिब है और यह कर्मचारियों और पूरे देश के हित में है तो सरकार बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पुनरीक्षा करेगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कठिनाई केवल यह है कि आप अक्सर अपना वादा भूल जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां राष्ट्र की विरोधी हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रश्न है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले दो वर्षों के दौरान, उनमें से 90% अर्थात लगभग 885 कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन कार्यवाही सीमाओं के अन्तर्गत ले आया गया है। अब केवल 10% कम्पनियां रह गई हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि सिगरेट उद्योग में कुछ बड़े उद्योग-पतियों का आधिपत्य है। सरकार को इस उद्योग की स्थिति की पूरी जानकारी है। जैसा कि उप प्रधान मन्त्री ने परसों अपने भाषण में स्पष्टत: संकेत किया था, हम सिगरेटों पर लगे नए उत्पादन शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण करते रहेंगे ताकि इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटे तथा नए उद्यमियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए।

मेरे प्रतिष्ठित मित्र, श्री टी० ए० पाई ने टिप्पणी की है कि आटोमोबाइल पुर्जों पर उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन करने से काफी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट तक, उत्पादन शुल्क कुछेक विशिष्ट पुर्जों और उपकरणों पर ही लागू था। इस बात पर विचार करते हुए कि कई किस्म की अनिर्दिष्ट वस्तुओं पर 5 प्रतिशत शुल्क अदा किया जा रहा है और इस वर्ष के बजट में उन पर 8 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव है, इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि मोटर के उन हिस्सों और उपकरणों पर भी 8 प्रतिशत की दर से शुल्क क्यों लगाया जाये, जिन्हें अब से पहले शुल्क से छूट मिली हुई थी। फिर भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि मोटर वाहनों के निर्माण में, मूल उपकरण के रूप में काम आने वाले हिस्से और सहायक उपकरणों पर शुल्क न लगे।

इस तरह जबकि करों में पुनरावृत्ति के प्रभाव को बचा लिया गया है उसके साथ ही कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी रियायतें दी गई हैं ताकि कर ढांचे में आसानी से परिवर्तन लाया जा सके।

श्री पाई ने हुक्के में इस्तेमाल होने वाले तम्बाकू पर लगे उत्पादन शुल्क का हवाला दिया और उसे उनके शब्दों में यन्त्रणादायक कर से छूट दिलाने की माँग की। मैं बताना चाहूंगा कि केवल ट्रेडमार्क वाले हुक्के के तम्बाकू पर ही कर लगाया है। गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रांड रहित तम्बाकू पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वस्तुत: इस तम्बाकू को राज्य शुल्क से भी छूट मिल गई है जो कि इस वर्ष के बजट में पूरी तरह हटा लिया गया है।

श्री पाई को इस बात पर आश्चर्य है कि पिछले वित्त वर्ष में उत्पादन शुल्क राजस्व कम हुआ है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष के आरम्भ में, उत्पादन शुल्क वसूली प्रत्याशा से कुछ कम थी जो कि वर्ष के अन्त तक कुछ अधिक हुई और उम्मीद है कि जब इस वर्ष के अन्तिम आंकड़े मिलेंगे तो वह बजट अनुमानों के बराबर हो जायेगी। अनेक कारणों से, उत्पादन शुल्क राजस्व में वृद्धि की औद्योगिक विकास में वृद्धि से तुलना करना सही नहीं होगा।

उदाहरण के लिए, कोयला और बिजली आदि जैसी मदें जो औद्योगिक बिकास की सूची

में विशेष महत्वपूर्ण हैं, कुल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व में उनके योगदान का प्रतिशत बहुत कम है। दूसरी ओर, पेट्रोलियम उत्पाद जैसी मदें, औद्योगिक उत्पादन की सूची में कम महत्वपूर्ण हैं परन्तु केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व में उनका 25 प्रतिशत योगदान है। आगे, चीनी और अल्युमिनियम जैसी कुछ प्रमुख उत्पादन शुल्क का लाभ कराने वाली वस्तुओं पर हमें 1978-79 में उत्पादन शुल्क कम करना पड़ा।

हालांकि हम आशा करते हैं कि उत्पादन शुल्क की वसूली, बजट के अनुमान से कम नहीं होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने उत्पादन शुल्क के आबंटन की समस्या का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी इस विषय में उनकी तरह चिंतित हूं और कर अपवंचन रोकने के लिए किए गए कुछ उपायों का उल्लेख करना चाहूंगा।

उत्पादन शुल्क की अदायगी के लिए भ्रन्डियों और निवारक नियन्त्रण की व्यवस्था फिर से प्रारम्भ की गई है।

एस० आर० पी० समिति की सिफारिशों के आधार पर 1.2.78 से 100 से भी अधिक प्रशुल्क वस्तुओं के लिए उत्पादन पर आधारित नियन्त्रण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अपवंचन के अवसरों को कम करने की दृष्टि से, उत्पादन पर आधारित नियन्त्रण के अधीन विविध स्तरों पर उत्पादन पर निरीक्षण और कारखानों पर उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा अधिक प्रत्यक्ष नियन्त्रण का ध्यान रखा जाता है।

निवारक नियन्त्रण को अधिक प्रबल कर दिया गया है और समाहर्तालय मुख्यालय और प्रभागीय मुख्यालय को यथोचित रूप से सुसंगठित करके, इस द्विपक्षीय निवारक व्यवस्था द्वारा निवारक संगठन को मजबूत बनाया गया है। हाल ही में, अखिल भारतीय आधार पर, योजना बनाने और काम में समन्वय करने के लिए एक अपवंचना विरोधी निदेशालय बनाया गया है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

विभाग के लेखा परीक्षा स्कंध को भी मजबूत बनाया गया है। हमने लागत लेखा अधिकारी और दूसरे विशेषज्ञ भर्ती करने का भी निश्चय किया है ताकि उत्पादन शुल्क योग्य एककों पर अधिक कारगर रूप से नियन्त्रण रखा जा सके।

इस बजट में अपवंचन की समस्या से ग्रस्त, अनियमित तम्बाकू पर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है और निर्मित उत्पादों पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। इस प्रकार शुल्क अपवंचन की आशंका वाली बहुत वस्तुओं पर से शुल्क हटा लिया गया है।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : खाने वाले तम्बाकू के बारे में क्या किया गया है, जिसे कृषक, मजदूर इस्तेमाल करते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैं भी इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए मैंने उस पर छूट नहीं दी है। मैंने खाने वाले तम्बाकू पर इसलिए छूट नहीं दी क्योंकि मुझ पर यह आरोप लगाया जा सकता था कि मैंने ऐसी मद पर छूट दी जिसे मैं खुद खाता हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में उठाए गए कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

माननीय सदस्य, श्री टी० ए० पाई ने, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आय कर पर अधिभार का उल्लेख करते हुए, अपने स्वभाव के विपरीत एक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अधिभार वसूल करने के प्रस्ताव को राज्यों के साथ धोखेबाजी बताया। श्री पाई की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है और उन्हें आंकड़े बहुत याद रहते हैं। मगर इस मामले में उनकी स्मरण शक्ति ने उन्हें धोखा दे दिया। क्या मैं माननीय सदस्य को यह याद दिला सकता हूं कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब आय कर पर 10 प्रतिशत का एक केन्द्रीय अधिकर था? निश्चित रूप से श्री पाई का यह मन्तव्य नहीं होगा कि उनकी पार्टी के नेता, श्री चह्वाण और उनके खास मित्र, श्री सुब्रह्मण्यम, जो दोनों ही वित्त विभाग संभाल चुके हैं, क्या उन्होंने कभी राज्यों के साथ धोखा करने की बात सोची भी होगी.....

मैं यह भी ध्यान दिला सकता हूं कि विगत में आय-कर पर अधिकर लगाया गया था तो राज्यों से क्षमा प्रार्थना के रूप में एक शब्द भी नहीं कहा गया था, जब कि इस बार उप प्रधान मन्त्री ने अपने बजट भाषण में अपने कर्तव्य क्षेत्र से बाहर जाकर यह स्पष्ट किया कि वह केन्द्र के उद्देश्यों के लिए अधिकर लगाने के लिए क्यों बाध्य हुए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि राजस्व अधिभार केवल केन्द्र के लिए देय होगा तथापि उन्होंने अपने अन्य प्रस्तावों में इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि राज्यों को केन्द्र द्वारा अतिरिक्त साधनों का जायज हिस्सा मिले। वर्तमान बजट में केन्द्र ने जो प्रयत्न किये हैं, उससे राज्यों को 200 करोड़ रु० तक का लाभ होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह तर्क दिया है कि आयकर की छूट सीमा, जो इस समय 10 हजार रुपए है, बढ़ा दी जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए यह सीमा पहले ही अधिक है। आयकर सीमा को बढ़ाने से साधनों में गम्भीर नुकसान होगा और ऐसे नुकसान से राज्यों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसाकि माननीय सदस्य जानते ही हैं आय-कर का 85 प्रतिशत राजस्व राज्यों में बांट दिया जाता है।

श्री कंवर लाल गुप्त और कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि आयकर मुनासिब होना चाहिए और आयकर की अपेक्षाकृत कम दर होने से उसका बेहतर पालन और इससे काले धन पर भी अंकुश लगेगा।

मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि इन तर्कों में कुछ बल है। मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस वर्ष हम आय कर की सीमांत दरों को 69% से 72% तक बढ़ा देने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि ऐसे वर्ष में जब बजट को ध्यान में रखते हुए, हमने संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है तब समाज के अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्ग को ममता के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त ने 12,000 से अधिक कृषि आय पर आय कर लगाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। इस विस्तार में जाये बिना कि यह प्रस्ताव वांछनीय और सम्भव है या नहीं,

मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि संविधान के अधीन कृषि आय पर लगने वाला आयकर राज्यों की सीमा में आता है। हम गैर कृषि आय पर कर की दरें निश्चित करने के लिए कृषि आय पर विचार करते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप राज्यों को सुझाव देंगे कि वे ग्रामीण धनिकों पर कर लगायें ?

श्री वयालार रवि : आप कृपया राज समिति की रिपोर्ट लागू करें।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं उसका जिक्र करूंगा।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि डा० के. एन. राज की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसने कृषि आयकर की संमान्यता पर विचार किया था, वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कृषि आय पर कर लगाने से अनेक समस्याएं पैदा हो जायेगी और यह उद्देश्य कृषि सम्पदा पर कर लगाने से बेहतर ढंग से प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितना समय लेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात समाप्त कर लूंगा, 3 बजे से पहले ही। इस सुझाव पर अधिकतर राज्यों ने अमल नहीं किया है।

श्री विनोद भाई साठे ने जीवन बीमा, भविष्यनिधि में अंशदान आदि के रूप में होने वाली बचत पर कर छूट कम करने के प्रस्ताव की आलोचना की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके भाषण को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। प्रधान मन्त्री को एक वक्तव्य देना है : अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

आचार्य विनोबा भावे के अनशन के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : उस दिन गृह मन्त्री ने आचार्य विनोबा भावे के अनशन के बारे में एक वक्तव्य दिया था। ताजे समाचारों से पता चलता है कि आचार्य विनोबा भावे की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है। हम पहले ही बता चुके हैं कि एक सन्तोषजनक हल खोजने के लिए इस दिशा में क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सुझाव दिया गया है कि हम पशुओं के प्रति रक्षण, रक्षा और सुधार के बारे में राज्य सूची में दी गई प्रविष्टि को समवर्ती सूची में हस्तांतरित करने के कानूनी प्रस्ताव पर विचार करें। प्रमुख सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं ने हमसे कहा है कि कांग्रेस (आई) तथा संसद में कांग्रेस दल, संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। अतः हम चालू सत्र में ही संविधान में संशोधन करने के लिए एक उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करेंगे और बाद में इस हेतु आवश्यक विधान पेश करेंगे। हम आशा करते हैं कि सभी दल, दोनों सदनों में, संवैधानिक संशोधन और विधान की कार्यवाही पूरी करने में पूरा सहयोग देंगे। ऐसे संवैधानिक संशोधन के लिए न केवल दोनों सदनों में दो तिहाई मतों की आवश्यकता है बल्कि कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित है। मुझे आशा है कि सभी दलों के सहयोग से, यह सम्पूर्ण प्रक्रिया मार्च, 1980 तक पूरी हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : हमें प्रसन्नता है कि आचार्य विनोबा भावे ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। मगर इस प्रकार के तरीके अपनाने के हम खिलाफ हैं। अगर हमारी उपेक्षा करके आचार्य विनोबा भावे को कोई आश्वासन दिया गया है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। मगर हम इसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया।

श्री मोरार जी देसाई : महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। मुझे मालूम है कि ये विरोध करेंगे। मुझे उसकी विशेष चिन्ता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनतवाला (पोन्नानी) : यह शर्म की बात है कि सरकार धमकी के आगे झुक गई है ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उचित अवसर पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री जी. एम. बनतवाला : सरकार का निर्णय निन्दनीय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री अपना भाषण जारी करें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : श्री विनोद भाई शेठ ने जीवन बीमा, भविष्यनिधि में अंशदान आदि के रूप में होने वाली बचत पर कर छूट कम करने के प्रस्ताव की आलोचना की है। सरकार अच्छी तनह समझती है कि बचत को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जीवन बीमा, भविष्यनिधि आदि में किए जाने वाले अंशदान की वार्षिक 5000/- रुपए की सीमा पर कर छूट पहले की तरह जारी रहेगी। कर छूट में कटौती अधिक आय वालों पर ही लागू की जायेगी क्योंकि वे ही एक वर्ष में 5000/- रुपए से अधिक बचत कर सकते हैं। चूंकि हमें यह महसूस हुआ कि अधिक आय वर्ग के करदाताओं को स्वीकृत रूप की बचत पर औरों से कुछ अधिक लाभ मिल रहा था इसलिए हमने छूट में कुछ कटौती की। प्रत्यक्ष कर की किसी भी योजना में हमें इक्विटी और काम तथा बचत के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की व्यवस्था के बीच संतुलन रखना पड़ता है। बजट प्रस्ताव में यह संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया गया हैं।

श्री विनोद भाई शेठ ने सुझाव दिया है कि पंजीकृत फर्मों के मामले में अग्रिम कर की अदायगी के लिए अवसीमा को घटा कर 20,000/- रुपए नहीं किया जाना चाहिए था बल्कि उसे 30,000/- रुपए तक आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए था। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्तमान कानून के अधीन अकेले व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवारों को उस हालत में अग्रिम कर की अदायगी करनी पड़ती है जहां चालू आय छूट सीमा अर्थात् 10,000/- रुपए से अधिक होती है। पंजीकृत फर्मों के मामले में छूट सीमा वही है जो अकेले व्यक्ति के लिए है। अत: पंजीकृत फर्मों के मामले में अग्रिम कर की अदायगी की सीमा कम करना हर तरह से उचित है। मैं यहां भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अग्रिम कर की अदायगी की सीमा घटाने से कर

देयता बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इससे केवल सरकार को अपनी बकाया राशि कुछ पहले वसूल करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष के रूप में मैं सभा को यह बता देना चाहूंगा कि कर प्रस्तावों से होने वाली असली कठिनाइयों को समझते हुए हमने जहां भी वांछनीय और सम्भव था वहां रियायतें दी हैं। पहले और परसों की उद्घोषित रियायतें इस बात का प्रमाण है कि हम ईमानदारी से अनावश्यक कठिनाइयां बचाते हुए संसाधनों को बढ़ाना चाहते हैं। इन्हें उस सीमा तक नहीं दिया गया जितना कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में अधिक रियायतों का परिणाम यह होता है कि हमारे विकास कार्यक्रमों के लिए कम संसाधन रह जाते। इस सभा में समय-समय पर इस बात पर जोर दिया गया है कि विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना और कृषि और सम्बद्ध धन्धों, ग्राम और लघु उद्योग के विकास के द्वारा अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है कि संसाधनों को अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्ग से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को अन्तरित करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि ऐसा बदलाव समाज के अपेक्षाकृय सम्पन्न वर्ग के वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखते हुए नहीं लाया जा सकता। जो प्राथमिकता हमने अपने लिए निर्धारित की हैं, यह बजट उन्हें कार्यान्वयन करने की दिशा में यह बजट पहला कदम है। गरीबी दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ऐसे अनेक बजट लाने होंगे और बचत के लिए, समाज के सम्पन्न वर्गों से संसाधनों का क्रमिक अन्तरण करना होगा इसी तरह हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इसे ध्यान में रखते हुए इस वित्त विधेयक का समर्थन करे जो इस प्रक्रिया में ही एक कदम है।

(इति)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस विचाराधीन प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रो. पी. जी. मावलंकर : इन्होंने बहुत सी बातों का उत्तर नहीं दिया है। इन्होंने केवल तैयार किया हुआ भाषण पढ़ दिया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णनन : यह उत्तर देने के लिए तैयार थे।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं वादा करता हूं कि भाई कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें नहीं उठाया गया है और जो अविलम्बनीय प्रकृति के हैं और जिनकी अध्यक्ष अनुमति देंगे, मैं उनका सहर्ष उत्तर दूंगा।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : खर्चे पर कोई सीलिंग लगायेंगे कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा ?

प्रो. पी. जी. मावलंकर : जो मुद्दे मैंने उठाये थे उनमें से एक खास तौर पर सरकार की उस उद्घोषणा के बारे में था जिसमें सरकार के व्यय की परीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव था। मैंने कहा था कि इसे शीघ्रतापूर्वक और किया जाना चाहिए। इन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि यह समिति निश्चित रूप से क्या करेगी। हम उसके बारे में अधिक जानना चाहेंगे। सिर्फ यह कहना कि उच्च वर्ग के लोगों और उच्च अधिकारियों की जीवन पद्धति

में परिवर्तन किया जाएगा, कुछ मतलब नहीं रखता। मैं आपके उस बन्द करने या बदलने के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर आप उसे रोकगा भी चाहेंगे तो भी उच्च वर्ग के लोग विलास का जीवन बिताते रहेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : व्यय के प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोग गठित करने के विशेष प्रश्न के बारे में, उप प्रधान मन्त्री ने पहले ही घोषणा कर दी है। आयोग के गठन आदि पर विचार किया जा रहा है।

प्रो. पी. जी. मावलंकर : अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। महोदय, वित्त मन्त्री ने सरकार के व्यय सम्बन्धी एक आयोग की घोषणा 28 फरवरी को कर दी थी।

प्रो. पी. जी. मावलंकर : (जारी) आज 26 अप्रैल है और दो महीनों के बाद आज फिर सरकार यही कह रही है कि इसकी संरचना के बारे में विचार किया जा रहा है। इसकी शर्तों के बारे में विचार किया जा रहा है। यह क्या तरीका है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है यह तो टिप्पणी है।

प्रो. पी. जी. मावलंकर : इस मामले को कुछ ना कुछ महत्व तो प्रदान किया ही जाना चाहिए। जब इस प्रकार से वह सम्पूर्ण राष्ट्र के ऊपर व्यापक रूप से कर लगाना चाहते हैं तो हम यह भी जानना चाहेंगे कि उनकी तत्कालीनता क्या है। क्या आप उनसे यह कहेंगे कि वह हमें यह बतायें कि इस मामले की तत्कालीनता क्या है ? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दिलवाने के लिए आप अपने पद का उचित प्रयोग करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपका सुझाव है और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह इस पर विचार करेंगे।

प्रो. पी. जी. मावलंकर : यह केवल एक सुझाव नहीं है, मैं चाहता हूं कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जाये।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री मावलंकर, आप विश्वास रखिए इस मामले को शीघ्र निपटाया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : शीघ्र किया जाएगा का तात्पर्य क्या होता है ?

प्रो. पी. जी. मावलंकर : मैं समझता हूं कि वह शब्दकोष के अनुसार इसका अर्थ समझते हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : प्रश्न यह है कि कल मैंने विशिष्ठ रूप से यह जानना चाहा था कि तथाकथित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आपने सामूहिक क्षेत्र के लिए जो छूट दी थी उसके क्या परिणाम निकले। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी पिछले वर्ष किया गया था उसको दृष्टिगत रखते हुए आपने इस वर्ष के बारे में भी अनुमान लगाया होगा। इसके लिए कौनसी वित्तीय एजेंसी स्थापित की जा रही है। क्योंकि हमारा पहले का अनुभव यही बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो थोड़ा बहुत काला धन होता है वह सामूहिक क्षेत्र के माध्यम से ही सफेद धन में परिवर्तित किया जाता है। .....

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप कह चुके हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इसलिए तो मैं जानना चाहती हूं क्योंकि बजट पत्रों में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई इस छूट के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले हैं तथा इससे राजस्व को कुल कितनी हानि हुई है ।

श्री सतीश अग्रवाल : ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्थापित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने हेतु अधिनियम में प्रावधान किया गया है । उनकी कसौटी प्रस्तुत कर दी गई है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्भवत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उन्हें मंजूर किया जाता है ।.....

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : सम्भवत: ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय कर बोर्ड का प्रभारी नहीं हूं । एक बार मुझे उसका कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था । ऐसा वित्त मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है । नि:सन्देह इस बात का अनुमान लगाया ही जाना चाहिए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दी गई इस छूट का अन्तत: देश भर में क्या लाभ हुआ है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यदि आप किसी कार्यक्रम की मंजूरी देते हैं तो फिर यह सुनिश्चित करना भी आप ही का कार्य है कि उनको क्रियान्वित वित्तीय निकायों द्वारा सही ढंग से की जाये ।

श्री सतीश अग्रवाल : सदस्य महोदय को इस संबंध में व्यापक ब्यौरे सहित पत्र भेजा जा सकता है ।

श्री के० लकप्पा : कल मैंने कराधान ढांचे में परिवर्तन करने संबंधी विशेषज्ञ समिति का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए यह बात कही थी कि...ताकि इस देश के साधारण व्यक्ति को करों के बोझ से बचाया जा सके । अनेक विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशें हैं; वांचू समिति का प्रतिवेदन इसी से संबंधित है और साथ ही एक प्रतिवेदन इसके बारे में भी काले धन को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है । मन्त्री महोदय द्वारा इनका उल्लेख बिलकुल नहीं किया गया है । उन्होंने अपने वक्तव्य का अन्त केवल सचिव के प्रतिवेदन के अनुसार कर दिया है । और यह संसद केवल एक आडम्बर मात्र बन कर रह गई है ।

इसलिए श्रीमान जी, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया जाये । मुझे समझ नहीं आती कि वह मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? सरकार का इसके बारे में क्या इरादा है ?

श्री सतीश अग्रवाल : श्री लकप्पा ने अपने वक्तव्य के दौरान चोकसी समिति तथा भा समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया । आज उन्होंने वांचू समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । मुझे समझ नहीं आती कि उनके मन में कौन सी विशेषस समिति की बात है । उदाहरणार्थ उन्होंने भा समिति के प्रतिवेदनों का उल्लेख किया; और उन्होंने चोकसी समिति के प्रतिवेदनों का भी उल्लेख किया । इन दोनों प्रतिवेदनों की जांच की जा चुकी है । और कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है ।

जहां तक अब सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनमें से अनेक की जांच की जा रही है और जैसा कि सदन को पहले आश्वासन दिया गया था, इसके सम्बन्ध में एक व्यापक उत्पादशुल्क

विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। हम प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने स्वयं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि वह मेरे विभाग की जांच करें तथा उसके बारे में अपना प्रतिवेदन दें ताकि उनके द्वारा की गई सिफारिशों को व्यापक उत्पादन शुल्क विधेयक में जोड़ा जा सके जिसे कि शरदकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाना है।

श्री बी० के० नायर : श्रीमान जी, मैंने यह सुझाव दिया था कि इस समय हमारे देश में जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति है उसे दृष्टिगत रखते हुए सभी मंत्रालयों द्वारा चलाये जा रहे आर्थिक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक आर्थिक कार्य मंत्री का पद बनाने का सुझाव दिया था ;

अध्यक्ष महोदय : यह करना तो प्रधान मन्त्री का काम है।

श्री सतीश अग्रवाल : मंत्रीमण्डल की एक उपसमिति होती है जिसकी अध्यक्षता उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और यह समिति विभिन्न मन्त्राययों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करती है। अत: आर्थिक मंत्रालयों के लिए किसी अलग मंत्री की नियुक्ति करने से कोई लाभ नहीं हो सकता।

श्री वयालार रवि : अध्यक्ष महोदय, कल अपने भाषण के दौरान मैंने मंत्री महोदय का ध्यान स्वर्ण नीति की ओर दिलाया था और मैंने यह बात कही थी कि सरकार की स्वर्ण नीति पूरी तरह से असफल रही है। परन्तु मन्त्री महोदय ने इसके विपरीत तर्क दिए थे। सोने की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है उससे निश्चय ही निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लोगों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। मेरे राज्य में यह समस्या सामने आ गई है। मैं विशिष्ट रूप से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सोने के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं। दूसरे श्रीमती पार्वती कृष्णन् से उन लोगों की पेंशन का मामला भी उठाया था जोकि 1973 से पहले सेवा निवृत्त हो गये थे। मंत्री महोदय द्वारा पेंशन में वृद्धि की जो घोषणा की है क्या उसके फलस्वरूप उन लोगों को भी लाभ मिलेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक पेंशन में की गई वृद्धि को भूतलक्षी प्रभावों से लागू करने के प्रश्न का संबंध है उसके बारे में श्रीमती मृणाल गोरे द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उपप्रधान मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें इनको वहीं और उसी समय पूछ लेना चाहिए था। इसका उत्तर मैं यहां नहीं दे सकता।

श्रीमती कृष्णन् ने अपनी बात बताई है। यह इतना आसान मामला नहीं है जिसके बारे में मैं घोषणा कर सकूं कि यह उन लोगों को भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा सकता है। मुझे पेंशन भोगियों से पूरी सहानुभूति है। इस पर मैं कोई वचन नहीं दे सकता हूं। उन्होंने मुझे एक बैठक में बुलाया है और मैं उस बैठक में गया हूं। मुझे लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और मैंने उसे पढ़ा है। मैं विभाग में तथा वित्त सचिव को इस बात की जांच पड़ताल के लिए कहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है किन्तु इस समय मैं किसी तरह का वचन नहीं दे सकता हूं। इस बारे में श्री रवि ने भी उल्लेख किया है।

मैं इस बारे में कोई वचन नहीं दे सकता। कुछ समय पूर्व जब मैं दौरे पर जा रहा था तो प्रेस के लोगों के जोर देने पर मैंने कुछ कहा था। उस समय मुझे कुछ कहने का अवसर मिला था। इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादकीय में कहा गया है कि मैं सोने के बारे में बहुत चिंतित हूं। समाज के गरीब वर्गों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसकी इस कारण आलोचना की गई थी। किन्तु इस बारे में आपका ठोस सुझाव क्या है ? निस्संदेह इसका विरोध किया गया था। मेरा भरसक प्रयास सोने के मूल्य में कमी करना या आंतरिक मूल्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बीच के अन्तर को बनाये रखना था। वह एक प्रकार का परीक्षण था और सरकार ने उस परीक्षण की सफलता का कभी भी दावा नहीं किया। हमने केवल यह कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या यह सफलता है अथवा नहीं। आप इसका राजनीतिक लाभ उठाते रहे हैं। इसलिए हमने इसकी नीलामी रोक दी है। हम जानना चाहते हैं कि आपके ठोस सुझाव क्या है; हम विपक्ष के विचार जानना चाहते हैं :....(व्यवधान)

श्री के० एस० वीर भद्रप्पा (बेल्लारी) : श्रीमान मन्त्री जी ने विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में जबाव नहीं दिया है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। डी० पी० आर० तथा अन्य चीजें तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह इसे कार्यान्वित कर रहे हैं और क्या वह इसके लिए प्रावधान इसी वर्ष करेंगे अथवा अगले वर्ष ?

श्री सतीश अग्रवाल : किसी ने भी यह बात वाद-विवाद में नहीं उठाई।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमान मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि बजट के तत्काल पश्चात थोक मूल्य सूचकांक में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी काफी बढ़ गया है। हम बड़ी आशा तथा संयम से वित्त मंत्रालय द्वारा मूल्य स्तर को कम करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामान्यीकरण के सिवाय हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। चूंकि मूल्य वृद्धि का भार अधिकांशत: समाज के संवेदनशील वर्ग को ही उठाना पड़ता है, अत: हम जानना चाहते हैं कि मूल्य नियंत्रण के लिए उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव किए हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी को इस बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मुझसे अधिक जानकारी है। इस पर नियंत्रण रखना वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय का काम है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जहां कहीं सप्लाई में कमी हो या उसकी काला बाज़ारी हो रही हो वहां राज्य सरकारें प्रभावशाली कदम उठा सकती है। मैंने यह कहा है कि मूल्य वृद्धि केवल बजट से ही नहीं हुई है। (व्यवधान)

चीनी और खांडसारी के मूल्य बढ़ रहे हैं। दूध तथा दूध उत्पादों के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। यही स्थिति चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों की भी है। इन सब वस्तुओं पर किसी प्रकार का नया शुल्क नहीं लगाया गया है। इसके विपरीत खांडसारी पर से तो उत्पाद शुल्क हटा भी दिया है। अत: मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि बजट में लगाये गए शुल्कों से मूल्य वृद्धि हुई है।

(व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्रीमान मैंने सुझाव दिया है कि न्यूनतम कर देय सीमा दस हजार होनी चाहिए। उन्होंने इस बारे में उत्तर नहीं दिया है। दूसरे छोटे पैमाने के उद्योग पर 10 लाख रुपये का निवेश है और अब आप उस स्थिति में मुल्क में 8 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते हैं। यदि उत्पादन 15 लाख रुपये या उससे अधिक का हो। पहले यह सीमा 30 लाख रुपये थी। क्या आप यह समझते हैं कि 10 लाख रुपये का निवेश करने से केवल 15 लाख रुपये मूल्य का ही उत्पादन करेगी ? ऐसे में वह उद्योग कैसे चलेगा ? इसके अतिरिक्त कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग शहरी लोग करते हैं किन्तु आपने उन वस्तुओं में केवल सीमांत राहत दी है। क्या आप इस तरह मध्यम वर्ग तथा शहरी लोगों का दमन नहीं कर रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : 10,000 रुपये की सीमा के बारे में मैंने अपने उत्तर में बता दिया है। उस समय माननीय सदस्य यहां नहीं थे। जहां तक छोटे क्षेत्र का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र 10 लाख की सीमा के लिए तर्क दे रहे हैं और इसे कुल उत्पादन से जोड़ रहे हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है यह केवल मद् संख्या 68 के बारे में है कि 15 लाख की छूट दी गई है। किन्तु कई ऐसी मदें हैं जिनके बारे में केवल 5 लाख रुपये की ही छूट दी गई है। अत: यह 15 लाख रुपये की सीमा केवल छोटे पैमाने के एककों तक ही सीमित नहीं है। जहां तक हमारे विभाग का सम्बन्ध है, हमने मद् संख्या 68 को छोड़कर शेष सभी मदों के लिए छूट की सीमा 5 लाख कर दी है। छोटे पैमाने के क्षेत्र के एककों के लिए हम पूंजी निवेश को नहीं लेते बल्कि विशिष्ट वस्तुओं के कुल उत्पादन को लेते हैं। किन्तु फिर भी मैंने सभा को कह दिया कि हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। हमें कहीं न कहीं कोई रेखा खीचनी ही है। यदि यह 30 लाख रुपये भी निर्धारित की जाती है तो कोई न कोई यह कह देगा कि यह 30 लाख ही क्यों रखी गई है, 50 लाख क्यों नहीं की गई है। अत: इन सब बातों की विस्तृत रूप से जांच पड़ताल की जानी हैं। हम शुल्कों को कम नहीं कर सकते।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है। मेरी यही कठिनाई है।

श्री हरि विष्णु कामत : केवल आधे मिनट का समय दीजिए। मुझे पता है कि समय कम रह गया है, अत: उन सभी प्रश्नों का उल्लेख नहीं करूंगा जिनका कि उत्तर नहीं दिया गया है। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : इस पर विचार किया गया था और ऐसा करना उचित नहीं समझा गया। अत: इसमें परिवर्तन न करने का निर्णय किया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : इस पर विचार किसने किया था।

श्री सतीश अग्रवाल : वित्त मंत्रालय ने ही इसमें परिवर्तन न करने का निर्णय लिया।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : जनता पार्टी ने कहा है कि हम बराबरी लाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए क्या आप तनख्वाहों की कोई सीलिंग मुकर्रर करेंगे और उसके बाद खर्चे पर कोई सीलिंग मुकर्रर करेंगे। अगर हम कम से कम तनख्वाह के लिए कोई हद्

मुकर्रर नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह के लिए तो कोई हद् मुकर्रर कर सकते हैं और फिर हम अगर आमदनी पर कोई रोक नहीं लगा सकते तो खर्चे पर रोक तो लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं करेगा और जितना पैसा बचेगा वह जितना हमारे बजट का घाटा है उसके लिए काम में आएगा। उसके लिए हमें बाहर से पैसे लेने की जरूरत नहीं रहेगी, देश में ही वह पैसा मिल जायगा।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि खर्चे पर कोई सीमा बांधी जाय और खर्चे के संबंध में किसी प्रकार का कराधान किया जाय उस सम्बन्ध में प्रस्ताव आया है उस पर विचार किया जा रहा है कि यह संभव है या नहीं।...(व्यवधान)...

आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और अगर आप ही बीच में बोलेंगे तो कैसे आप को उत्तर मिलेगा ?

जहां तक वेतन पर सीमा का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि कम्पनीज ऐक्ट के तहत जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्ज हैं उनके सम्बन्ध में तो कुछ निर्णय लिया गया है, बाकी के सम्बन्ध में निर्णय लेने के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कैबिनेट सब कमेटी के सामने विचाराधीन हैं। उनके सम्बन्ध में न कहना आवश्यक है और न मेरे लिए कहना उचित होगा।

श्री कल्याण जैन (इन्दौर) : कंवर लाल गुप्त जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए जो माननीय मन्त्री जी ने कहा, उन्होंने जो चार प्रतिशत से आठ प्रतिशत कर दिया और तीस लाख पर जो छूट थी उस को 15 लाख कर दिया, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, यद्यपि इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन इसको आप गंभीरता से देखिए कि इसे पन्द्रह लाख करने से और एग्जम्पशन में जो छूट मिलती थी उस को कम करने से वह सारी यूनिट्स जो स्माल स्केल की थीं वह बन्द हो गई इसलिए कि वह घाटे की हो गई। जितना प्रोडक्शन वह पहले करते थे अगर वह उतना प्रोडक्शन अभी करे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा और वह टैक्स देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको वह कितने दिन में सेटिल करेंगे, जो छूट उन्होंने कम कर दी है उसको कब तक बढ़ा देंगे और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वर्ण नियंत्रण कानून जो अब बिलकुल बेकार हो गया है उस को खत्म कब करेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि 10 लाख की सीमा के आधार पर लघु इकाई मानना और उसके आधार पर करों में किसी प्रकार की छूट देना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। आइटम 68 को छोड़कर बाकी चीजों मे छूट की सीमा केवल 5 लाख है जो कि 10 लाख से कम है, इसलिए वहां कम करने का सवाल नहीं उठता। इस मामले में अगर कहीं कोई यूनिट्स बन्द हो गई हैं तो उनकी जानकारी दी जाए, हम जांच करायेंगे कि किस आधार पर बन्द हुई हैं और क्यों बन्द हुई हैं। आखिर डिफ्रेंशियल आज भी दिया है 15 और 30 लाख के बीच में जहां 4 परसेंट ड्यूटी है और 30 लाख के ऊपर 8 परसेंट की ड्यूटी है। कायदे से तो ग्रेडेड लेवी सबके ऊपर हो सकती है। आखिर उनको इस प्रकार की छूट मिली हुई है, जैसे 15 लाख है तो उसको 60 हजार देना पड़ेगा। अगर 8 परसेंट होता तो उसको 1 लाख 20

हजार देना पड़ता । मानेटरी टर्म्स में उसके बेनीफिट में कोई अन्तर नहीं पड़ा है । फिर भी लघु उद्योगों की इकाइयों को कठिनाइयां होंगी, उसकी वजह से वे बन्द होंगी तो उसके सम्बन्ध में हम स्टडी करायेंगे और उसको एग्जामिन करके जो भी उचित निर्णय होगा वह लिया जायेगा ।

श्री कल्याण जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वर्ण नियन्त्रण कानून के सम्बन्ध में एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था ।

श्री सतीश अग्रवाल : स्वर्ण नियन्त्रण कानून को समाप्त करने की अभी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं; आपने उन्हें सुना नहीं है ।

श्री रामनरेश कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में भी हैं और कई बार आश्वासन भी दिया गया है कि बिक्री कर समाप्त करने के उपाय किए जायेंगे । मैंने प्रश्न भी उठाया था लेकिन मंत्री जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया ।

दूसरी बात यह है कि सब्जी और मोटे अनाजों के बाटों पर भी हर साल सील लगती है—यह नियम बना हुआ है यह देखने के लिए कि बाट हर साल कितना घिसते हैं । क्या सरकारी सब्जी और अनाज के बाटों को, हर साल सील लगवाने का जो नियम है, उससे छूट नहीं दी सकती है ? बाटों का जितना दाम होता है उससे एक रुपया कम सील लगवाने का खर्चा बैठता है । इसका सीधा सा मतलब यह है कि अफसर बाटों के दुकानदारों से मिले हुए हैं । आखिर साल भर में बाट कितना घिसेंगे और दाम में कितना फर्क पड़ेगा ?

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ होती चली आ रही है, उसकी आमदनी बराबर घटती चली जा रही है । तो इस सम्बन्ध में न्याय करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमन, मेरी कठिनाई यह है कि क्लाज बाई क्लाज और थर्ड रीडिंग के लिए समय निर्धारित है । जो प्रश्न उठाए गए उनका उत्तर मैं नहीं दे पाया उसके लिए क्षमा चाहता हूं यद्यपि मैंने मोटे तौर पर उत्तर दिए हैं । अब जहां तक बाट घिस जाते हैं, उनको खत्म क्यों नहीं करते तो वित्त मन्त्रालय यह थोड़े ही करेगा । हम उसमें क्या कर सकते हैं ? ठीक है, उसके लिए एक नियम बना हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री छवि राम अर्गल : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के घोषणपत्र में कहा गया था कि हम बेरोजगारों को काम देंगे, यदि काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नया प्रश्न है । यह पहले नहीं पूछा गया ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : क्या चुंगी कर समाप्त किया जायेगा अथवा नहीं क्या मन्त्री जी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर में मुकदमों की बजाय समझौतों को प्रोत्साहन देंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : चुंगी कर को हटाना राज्य का विषय है। हमने राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दे दी है। और चुंगी कर को समाप्त करने का काम राज्य सरकारों का ही है। कुछ राज्यों ने ऐसा कर भी दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अब मैं और कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : हम मुकदमेबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम समझौता आदि के पक्ष में हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। हम खंड 2 को लेंगे।

खंड 2

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 5, पंक्ति 21.

"बीस प्रतिशत" के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये।

मेरा अनुरोध यह था कि अधिभार को उतना ही रहने दिया जाये जितना कि यह है। मैं मन्त्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह अधिभार का आयकर के साथ विलय कर दें। अब यह अतिरिक्त आयकर है। राज्यों को इस मामले में शिकायत है क्योंकि केन्द्र द्वारा अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए, वे अधिभार तथा नियमित कर का सहारा ले सकते हैं। मेरे विचार से हम इस पर रोक लगा दें। ऐसा जितना जल्दी किया जायेगा उतना ही अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय आपने जो कुछ पहले कहा है, क्या उससे कुछ और बात कहनी है ?

श्री सतीश अग्रवाल : खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री शेठ, क्या आप अपने संशोधन पर बल देना चाहते हैं ?

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री शेठ को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 3 पर आते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त के 158 से 162 तक पांच संशोधन हैं।

खण्ड 3

158. पृष्ठ 6,—

पंक्ति 35 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**—

"(i) खण्ड (i) में "या किसी अन्य प्रकार की शक्ति" शब्दों **का** लोप कर दिया जायेगा"।

159. पृष्ठ 6, पंक्ति 36,—

"खण्ड (ii) में" **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए**—

"कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योग," शब्दों **का** लोप किया जाएगा **और**'।

160. पृष्ठ 7, पंक्ति 3,—

"ऐसा कोई अन्य क्षेत्र" **के स्थान पर** "ऐसे कोई क्षेत्र" **प्रतिस्थापित किया जाए**।

161. पृष्ठ 7, पंक्ति 6,—

"और अन्य सुसंगत परिस्थितियों" **का लोप किया जाए**।

162. पृष्ठ 7,—

पंक्ति 8 से 18 **का लोप किया जाए**।

इसमें एक बात यह है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह विदेशी टेक्नीशियनों के बारे में है, जिनकी आय पर छूट दी गई है। आय कर अधिनियम में विदेशी टेक्नीशियनों का अर्थ इस प्रकार है :

"ऐसा व्यक्ति जिसे खनन या विद्युत प्रजनन या विद्युत अथवा कृषि, पशु पालन, डेरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली मारने या जलपोत निर्माण के कार्य में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो।"

इस छूट के लिए विदेशी टेक्नीशियनों को इस आधार पर भारत में काम पर लगाया जाये कि वास्तविक रूप से उनके ज्ञान तथा अनुभव का प्रयोग किया जाये।

इसमें कृषि भी सम्मिलित है। माना कि आप किसी विदेशी टेक्नीशियन को बुलाते हैं, जिसे कृषि के बारे में कुछ ज्ञान है। उसकी आय कर मुक्त होगी। इसी तरह पशुपालन, डेरी फार्मिंग आदि के लिए भी करना है, क्या इन सब चीजों के लिए हमें विदेशी टेक्नीशियनों की आवश्यकता है ? मैं समझता हूं कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, इतना ही नहीं, उन्हें किसी न किसी रूप में बहुत शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, यह पहले ही अत्याधिक आपत्तिजनक था। हमें

कृषि, पशुपालन आदि में स्वयं विशेषज्ञता हासिल करनी है। मैं इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं और भविष्यनिधि के लिए भी मैंने यह बात सरकार पर छोड़ दी है। इन पांच छः वर्गों में भारत सरकार को केवल उन टेक्नीशियनों को आयकर की छूट देनी चाहिए, जिनके लिए हमारे देश में विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है। अतः आप बिल्कुल सही हैं और यह पता लगाना आपका कर्तव्य है कि क्या देश में विशेषज्ञता है अथवा नहीं। मुझे याद है कि लोक लेखा समिति ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है कि इसका दुरुपयोग किया गया है। यहां तक कि विभिन्न मन्त्रालयों ने विदेशी टेक्नीशियनों की परिभाषा करने वाले वर्तमान स्पष्टीकरण का पूरी तरह दुरुपयोग किया है। ऐसे-ऐसे क्षेत्रों के लिए विदेशी टेक्नीशियन बुलाए गए जिनके लिए स्वयं भारत में बड़ी मात्रा में विशेषज्ञता उपलब्ध है। अतः सरकार को निर्णय करना चाहिए कि विशेषज्ञ कौन है और किसके वेतन को कर मुक्त रखा जाये। जहां कहीं भारतीय विशेषज्ञता उपलब्ध है, वहां आप विदेशी टेक्नीशियन न बुलाएं और उन्हें आयकर की छूट न दें। मेरा यही विचार है। इस बारे में मैंने संशोधन संख्या 158 में कहा है।

पंक्ति 35 के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित लिया जाये :

"(i) खण्ड (i) में "या किसी अन्य प्रकार की शक्ति" शब्दों का लोप कर दिया जायेगा।" यह अत्यधिक शक्ति होगी और मैं नहीं चाहता कि सरकार को इतनी अधिक शक्ति मिले। कोई भी अधिकारी नोट लिखकर विदेशी टेक्नीशियनों को बुला सकता है और उसकी आय को आयकर से मुक्त कर सकता है। यह अच्छी बात नहीं है।

मेरे अगले संशोधन में कहा गया है : "खण्ड (ii) के पश्चात" निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये :

"कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योग" शब्दों का लोप किया जायेगा।"

मेरे संशोधन संख्या 160 में कहा गया है: "ऐसा अन्य क्षेत्र" के स्थान पर "ऐसे क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

मेरे संशोधन संख्या 161 में कहा गया है : "और अन्य सुसंगत परिस्थितियों" का लोप किया जाये।

क्योंकि इससे भी स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त होती हैं और अन्य सुसंगत परिस्थितियों के अन्तर्गत आप किसी को भी बुला सकते हैं और इस प्रकार नौकरशाही इसका दुरुपयोग करेगी।

मेरे संशोधन संख्या 162 में कहा गया है : "पंक्ति 8 से 18" 'का लोप किया जाये। मैं इन पंक्तियों को पढ़ता हूं।

"खण्ड (15), उप खंड (ii) में 1 अप्रैल, 1980 से निम्नलिखित परन्तुक लागू होगा" अर्थात :

"यदि किसी निर्धारिती के मामले में निम्न सारिणी की मद (3) में उल्लिखित स्वरूप के सरकारी खाते में साविधियों पर ब्याज डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के अधिनियम 3 के अनुसार 2 हजार 2 सौ पचास रुपये से बढ़ जाता है तो ऐसी साविधिक बचतों पर

ब्याज की राशि इस उपखंड के अन्तर्गत निर्धारिती की आय में सम्मिलित नहीं की जायेगी और वह 2 हजार 2 सौ पचास रुपये ही होगी।"

मैं इन पंक्तियों का लोप करना चाहता हूं क्योंकि वह पृथक खंड है और यह पृथक ही विचार है। मैं जानना चाहता हूं कि इस खंड के पीछे क्या उद्देश्य है। मुझे तो कोई प्रयोजन नजर नहीं आता। आखिर आप प्रत्येक वर्ष आयकर अधिनियम में परिवर्तन करते आ रहे हैं। इस अधिनियम में प्रतिवर्ष नई बातें जोड़ दी जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि इसमें बार-बार परिवर्तन किए जायें, क्योंकि इसका आयकर कार्यालय को भी पता नहीं चलता। यहां तक कि आयकर वकील भी इसे नहीं समझ पाते। उन्हें आयकर तथा अधिभार की दर आदि के लिए पुस्तकें देखनी पड़ती हैं जिसके परिणामस्वरूप इस काम में पूर्ण अव्यवस्था है। यह बहुत छोटी सी चीज है। आपको इससे कितना मिल जायेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि इसका प्रभाव क्या होगा और आपको इससे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ? कुछ लाख रुपये हो सकता हैं, अधिक नहीं। आप अधिनियम में बार-बार परिवर्तन मत कीजिये।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने सिफारिश प्राप्त करने के लिए सभी संशोधन राष्ट्रपति को भेज दिए थे और मुझे जो भी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, वे मैंने सचिवालय को भेज दीं।

जहां तक श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पेश किए गए संशोधनों का सम्बन्ध है, संशोधनों के पीछे जो भावना है, वह सराहनीय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। किन्तु दुर्भाग्य से अभी वह स्थिति नहीं आई है जबकि हम उन क्षेत्रों में विदेशी टेक्नीशियनों के बिना कार्य कर सकें। मुझे यही कहा गया है।

अतः, हमें इसे कुछ और समय तक चालू रखने की आवश्यकता है। परन्तु हम मामले का परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि किसी को इसका दुरुपयोग न करने दिया जाये। जहां तक डाकघर बचत बैंक लेखा और उसकी सीमा को बढ़ाने का सम्बन्ध है; इस उपबन्ध में उन संघों और संस्थानों को लाभ पहुंचाना अभिप्रेत है, जिन्हें सार्वजनिक लेखाओं को रखने का अधिकार है। विधेयक में यह उपबन्ध जोड़ दिये जाने के बाद, डाकघर बचत बैंक नियम की इस शर्त को कि 50,000/- रुपये से अधिक के अधिशेषों पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। कुछ मामलों में हटा दिया जायेगा। अतः इसके पीछे यही भावना काम कर रही है। संशोधन की भावना की सराहना करते हुये भी मुझे खेद है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे उन्हें वापिस ले लें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपने संशोधनों सं० 158 से 162 तक को वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

"खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

"खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

"खण्ड 5

"अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 5 पर आते हैं।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"पृष्ठ 8, पंक्ति 16 और 17—

"इसके उद्देश्य के रूप में" के स्थान पर

"इसका एक उद्देश्य" **प्रतिस्थापित किया जाए**।

"पृष्ठ 8, पंक्ति 21 और 22—

"इसके उद्देश्य के रूप में" के स्थान पर "इसका एक उद्देश्य" **प्रतिस्थापित किया जाये**।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"पृष्ठ 8, पंक्ति 17,—

"का कार्यक्रम" के पश्चात " बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, महामारियों की रोकथाम करना, लोक कल्याण के क्रिया-कलाप" **सन्निविष्ट किया जाये**।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : यह बड़ा स्वागत योग्य संशोधन है क्योंकि समाज के सामान्य विकास के लिए ग्रामीण विकास भी एक मद है। कोई शिक्षा के उद्देश्यार्थ कुछ दान देना चाहेगा जैसे ग्रामीण विकास का नाम नहीं दिया जा सकता। यह चाहे शिक्षा हो अथवा और कोई प्रसंशनीय उद्देश्य भी हो सकता है। अत: ग्रामीण विकास के नाम से एक विषय अवश्य होना चाहिये और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार होना चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : यहां हर उस संघ या संस्थान को विमुक्त रखा गया है जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को अपना रहा है। मैंने ये शब्द जोड़े हैं :

"बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, महामारियों की रोकथाम करना, लोक कल्याण के कार्य-कलाप !" इस वर्ष दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आई। जनता पार्टी ने एक बाढ़ राहत समिति की स्थापना की थी जिसका मैं एक सदस्य था, श्री हेगड़े थे उसके सचिव। हमने वित्त मन्त्री श्री पटेल से सम्पर्क किया। हम उस पर छूट चाहते थे। उनका कहना था कि वह विवश हैं और छूट नहीं दे सकते। उन्होंने किसी प्रकार की छूट नहीं दी। हर साल बाढ़ें आती हैं। अत: यह परमावश्यक है। इसमें कोई राजनीतिक चाल नहीं है। आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य में बाढ़ आती है जिससे जन और धन की भारी हानि होती है। यह बाढ़ ग्रामीण विकास का अंग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो विनाश का अंग है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप कृपा करके इसमें ये शब्द जोड़ दें बाढ़ पीड़ित···'

अध्यक्ष महोदय : अन्य दो तारें तो बहुत लम्बी चौड़ी हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मन्त्री महोदय को इसका बाढ़ अंग स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री सतीश अग्रवाल : विधेयक का खण्ड 5 धारा 35 ग ग क में संशोधन के उद्देश्य से रखा गया है, जो दान को उस कर योग्य आय में से कटौती का प्रावधान करता है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने के लिये अनुमोदित संघों और संस्थाओं द्वारा दिया जाता है । हम ये सभी बातें सम्मिलित करना चाहते हैं । मुझे बताया गया है कि यदि वे अनुमोदित संघ और संस्थाएं भी इस कार्यक्रम को चलायें तो वे भी इसकी सीमा क्षेत्र में आ जायेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या मन्त्री महोदय सदन में यह आश्वासन देंगे कि उनको विमुक्त रखा जायेगा ? क्या वे इस प्रकार का कोई आश्वासन देने को तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे आश्वासन दे भी देते हैं तो भी न्यायालय ही इस पर निर्णय दे सकेंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : इस सम्बन्ध में मैं पीठ की अनुमति से एक उदाहरण देना चाहूंगा । हमने सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छूट दी है जिससे यदि गरीबों में बांटने के लिए कोई व्यक्ति या संघ विदेशों से उपहार में वस्तुएं प्राप्त करता है तो उसे सीमा शुल्क से विमुक्त कर दिया जायेगा । मैं हाल ही में मद्रास गया था तो वहां मुझे कपड़ों के एक घोटाले का पता चला । लोगों ने कपड़े की 31,000 गांठों तक का आयात किया और इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके कि उन्होंने वे गरीबों में बांटे हैं, सीमा शुल्क से छूट प्राप्त कर ली, जिसकी लागत 1.25 करोड़ रुपये आती है । मैंने मामले की पूर्ण जांच के आदेश दिये हैं । अतः हम छूट देने के मामले में इतनी ढील नहीं दे सकते । हमें यह देखना होगा कि केवल उचित मामलों में ही छूट दी जाये और विभाग से उचित राहत मिल सके । ऐसा हर मामले में नहीं किया जा सकता । अतः मैं माननीय सदस्यों से अपने-अपने संशोधन वापिस लेने का निवेदन करता हूं ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : महोदय, मैं अपने संशोधन सं० 3 और 4 वापिस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापिस लेने की सदन की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां !

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 163 को वापिस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को सदन अपने संशोधन वापिस लेने की अनुमति देता है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 18,

अन्त में जोड़ा जाये—

"उप-धारा (2) के उपबन्धों अनुसार"

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्तुत करता हूं !

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 11 से 27 का लोप किया जाये।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 28 से 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें :**

"(ग) खण्ड (8) में,—

(i) "भारत के औद्योगिक या कृषि विकास के लिए" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "तीन करोड़ रुपये से अधिक हो, दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात: "भारत के औद्योगिक या कृषि विकास के लिये दीर्घकालिक वित्त की उपलब्धि कराने में लगे हुए किसी वित्तीय निगम द्वारा या भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी पब्लिक कम्पनी द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवासिक प्रयोजनों के लिये गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त की उपलब्धि करने का कारबार करना है, सृष्ट किसी विशेष रिजर्व की बाबत कोई रकम जो उस रिजर्व खाते की अग्रनीत कुल आय के (अध्याय 6 के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।"

(ii) प्रथम और द्वितीय परन्तुक में "निगम" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, निगम या कम्पनी" शब्द रखे जायेंगे;

(3) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात "स्पष्टीकरण- इस खण्ड में, "पब्लिक कम्पनी" का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1856 की धारा 1956 का 3 में है।"

श्री बिनोद भाई बी० शेठ : मैं नहीं जानता कि ग्रामीण बैंकों को क्या अधिलाभ दिया जाता है क्योंकि वे डूबे ऋण के नाम पर डेढ़ प्रतिशत तक बट्टे खाते में डाल सकते हैं। मैंने इन शब्दों को जोड़ने का सुझाव दिया है, "उप-धारा (2) के उपबन्धों के आधार पर" जिसका अर्थ है कि सरकार को इस बात से सन्तुष्ट हो जाना चाहिये कि यह वास्तव में ही डूबा हुआ ऋण है।

अन्यथा गांवों में बैंक मैनेजर (प्रबन्धक) और किसानों के बीच टकराव हो सकता है। जिसकी कि बहुत ही अधिक सम्भावना है। मान लो कि हम 100 करोड़ रुपये का ऋण देते हैं तो, तब वे डेढ़ करोड़ रुपये माफ कर सकते हैं। यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है। तो इसे भिन्न प्रकार से रखना होग। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन-विशेष को सरकार स्वीकृत कर लेगी।

श्री सतीश अग्रवाल : सहकारी बैंकों को छोड़कर, अनुसूचित बैंकों को खन्ड 6 के अधीन यह अधिकार होगा कि वे ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों से सम्बद्ध डूबे हुए तथा सन्देहास्पद ऋणों के उपबन्ध के सम्बन्ध में, कर योग्य लाभों की संगणना में कटौती के अधिकारी होंगे जो कि ऐसे बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों के डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : इसका परीक्षण किया जाना चाहिये।

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसा ही होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे लगता है कि मन्त्री महोदय को समस्या की पूरी जानकारी नहीं है। जो कुछ मेरे माननीय मित्र ने कहा है 100% सही है। वह बताएं कि वह क्या करना चाहते हैं। महोदय आप तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे है। आपको इस पर फैसला देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में, मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त : यथारूप खण्ड में कहा गया है :

"इसकी ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण के सम्बन्ध में, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा डूबे हुए और सन्देहास्पद ऋणों के लिये किसी प्रकार के उपबन्ध तैयार करने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से संगठित कुल जोड़ औसत ऋणों पर इसकी राशि डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़नी चाहिये।"

यहाँ पर "डूबे हुये और सन्देहास्पद ऋणों" शब्दों का प्रयोग किया गया है। "डूबा हुआ ऋण" की परिभाषा आयकर अधिनियम में की गई है और इसकी कोई सीमा नहीं है। अत: यहां पर केवल यह कहना ही पर्याप्त होगा, "डेढ़ प्रतिशत।" डूबा हुआ ऋण 100 प्रतिशत तक भी हो सकता है। डूबे हुए ऋण का अर्थ है वह ऋण जिसे वापिस प्राप्त न किया जा सके। यहां आपने सन्देहास्पद ऋणों को भी सम्मिलित कर लिया है। यदि आप इस प्रकार की गतिविधियों, कार्य-कलापों में पड़ेंगे तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। होगा यह कि सभी ग्रामीण शाखाओं में प्रबन्धकों और किसानों के बीच टकराव होगा और वे यह चाहेंगे अथवा करेंगे कि प्रतिवर्ष डेढ़ प्रतिशत उनकी आय में से निकालकर घटा दिया जाये। इस प्रकार आपको राजस्व में हानि होगी, न केवल राजस्व में अपितु मूलधन में भी। इसलिये मैं चेतावनी दे रहा हूं। यह तो एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। डूबे हुए ऋण का यह प्रावधान तो आयकर अधिनियम में पहले से ही दिया हुआ है। अत: आप सन्देहास्पद ऋणों को क्यों जोड़ते हैं ? जिस क्षण यह डूबा हुआ करार दिया जाता है आप इसे बट्टे खाते में डाल सकते हैं और आयकर विभाग से इसको घटाने का दावा कर सकते हैं। यहां आपने 'सन्देहास्पद' शब्द जोड़ दिया है और डेढ़ प्रतिशत की सीमा

बांध दी गई है। मेरे विचार से यह एक अत्यन्त ही खतरनाक प्रस्तावित योजना है। यदि आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार करें।

श्री सतीश अग्रवाल : यह कथित डूबे हुए ऋण या सन्देहास्पद ऋण का डेढ़ प्रतिशत नहीं है। यह तो कुल दिये गये ऋणों का डेढ़ प्रतिशत है, इस सीमा तक यह अधिकतम हो सकता है। विदेशों में तो इसकी सीमा 3 से लेकर 5 प्रतिशत तक है। दूसरे यह तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दिये गये ऋणों से ही सम्बद्ध है। क्योंकि बैंक ऋण देने को तैयार नहीं थे तो हमें यह उपबन्ध — विशेष तैयार करना पड़ा कि यदि कोई डूबा हुआ और सन्देहास्पद ऋण है तो आयकर विधि के अन्तर्गत इसकी अधिकतम डेढ़ प्रतिशत तक की छूट की स्वीकृति दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : डूबे हुए और सन्देहास्पद ऋण तो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत भी आते हैं। यदि सन्देहास्पद ऋणों की बाद में उगाही हो जाती है तो उन पर फिर कर लग जाता है। यह कोई नई व्याख्या नहीं है।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : आपको न्यायालय में अभियोग चलाना होगा और उसकी सभी प्रक्रियों से गुजरना होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप तो हमारी सहायता करने के बजाय, उल्टे कठिनाईयां उत्पन्न कर रहे हैं। एक डूबे हुए ऋण के लिये तो आपको न्यायालय में जाना ही पड़ेगा। परन्तु सन्देहास्पद ऋण के मामले में ऐसी बात नहीं है। उसके बाद यदि कोई सन्देहास्पद ऋण चुकता हो जाता है तो उस पर फिर से कर लगने लगता है। "सन्देहास्पद" शब्द परमावश्यक है। अन्यथा, फिर प्रत्येक मामले में उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : निर्धारिती को डूबे हुये ऋण को स्वीकार करना होगा परन्तु सन्देहास्पद ऋण के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर बल दे रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देता है ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

(संशोधन संख्या 164 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया)।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन शेठ, क्या आप अपने संशोधन पर बल दे रहे हैं ?

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं अपना संशोधन वापिस खेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोमय : क्या सदन उन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देता है ?

माननीय सदस्य : हां।

(संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति से बापिस लिया गया)।

श्री सतीश अग्रवाल : वित्त विधेयक का खण्ड 6, अनुमोदित वित्त निगमों के मामले में,

विशेष कोष में हस्तांतरित किये जाने वाले लाभों में कटौती की ऊंची दर का प्रावधान के लिये, आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (8) में संशोधन चाहता है। अब तक औद्योगिक या कृषि विकास के लिये, दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने में संलग्न वित्त-निगमों को, राज्य वित्त निगमों के मामले में तो उस कर योग्य आय की संगणना पर विशेष कोष को हस्तांतरित की जाने वाली राशि में 40% की कटौती करने का और अन्य वित्त निगमों के मामले में 25 प्रतिशत कटौती करने का अधिकार था। इस विधेयक में इस अधिकतम सीमा को 40 प्रतिशत के एक समान स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। भवन-निर्माण के कार्य-कलापों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए इसे उन अनुमोदित सरकारी कम्पनियों पर भी लागू किया जा रहा है जो भारत में पंजीकृत हैं और ऐसा इस मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है जिससे भारत में मकान बनाने अथवा खरीदने के लिए दीर्घकालीन शर्तों पर रुपया उधार दिया जा सके।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जिस सिद्धान्त के बल पर राज्य वित्त निगमों जैसे सरकारी संस्थानों द्वारा कमाए गए लाभ में से कटौती की जाती है, वह यह है कि लाभ जनहित के लिए ही लिया जाता है। राज्य वित्त निगम तो राज्य में उद्योगों का भरण-पोषण करते हैं। अत: उन्हें कुछ छूट दी जाती है, जिससे यदि कोष में 40 प्रतिशत लाभ भी हस्तांतरित कर दिया जाये तो तब उन्हें कर से विमुक्त कर दिया जाएगा। परन्तु संशोधन में यह कहा गया है कि यदि कोई निजी निगम या कुछ व्यक्तियों द्वारा भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चालू की गई कोई निजी कम्पनी भी रिजर्व निधि में 40 प्रतिशत लाभ जमा कराती है तो उसे भी कर में छूट दी जाएगी। संस्थानों के बीच जो अन्तर है उसे समझा नहीं गया है। एक तरफ तो वे सरकारी संस्थान हैं जो जनता का पोषण करते हैं और दूसरी ओर हैं निजी लाभ वाले संस्थान, जिनमें कम्पनी के अंशधारी सम्मिलित होते हैं। अत: दोनों पर एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता और रिजर्व निधि को 40 प्रतिशत हस्तांतरित करने के फलस्वरूप कर में मिलने वाली छूट उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। यह एक ऐसी छूट है जो कम्पनियों के निजी अंशधारियों को मिलेगी। अत: मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : इसके पीछे यह इच्छा काम कर रही है कि सरकारी कम्पनियों को छूट दी जाए। यह कोई हर किसी के लिए नहीं है। जैसा कि इसमें कहा गया है, संशोधन में प्रस्तावित कर छूट के लिये पात्र सिद्ध होने वाली कम्पनियां भवन विकास वित्त निगम लिमिटेड ही होगी। मेरे विचार से माननीय सदस्य की आशंका बेबुनियाद है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 9, पंक्ति 28 से 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें :**

"(ग) खण्ड (8) में :

(1) "भारत के औद्योगिक या कृषि विकास के लिए" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "तीन करोड़ रुपए से अधिक हो, दस प्रतिशत से अधिक नहीं है;" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात :

"भारत के औद्योगिक या कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त की उपलब्धि कराने में लगे हुए किसी वित्तीय निगम द्वारा भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी पब्लिक कम्पनी द्वारा जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवासिक प्रयोजनों के लिये गृहों के संनिर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त की उपलब्धि कराने का कारबार करना है, सृष्ट किसी रिजर्व की बाबत कोई रकम जो उस रिजर्व खाते की अग्रनीत कुल आय के (अध्याय 6 (क) के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।";

(2) प्रथम और द्वितीय परन्तुक में, "निगमें" शब्द के स्थान पर "यथास्थिति, निगम या कम्पनी" शब्द रखे जायेंगे;

(3) निम्नलिखित **स्पष्टीकरण** अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"**स्पष्टीकरण**.—इस खण्ड में, "पब्लिक कम्पनी" का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1856 की धारा 3 में है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का **अंग बने।**"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं प्रस्तुत करती हूं :

"पृष्ठ 9, पंक्ति 38,—

"नहीं बढ़ता" **के स्थान पर**

"शासपत्रित लेखाकार द्वारा प्रमाणित कि बढ़ नहीं रहा है।" **प्रतिस्थापित करें।**

श्री आर० वेंकटारमन : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"पृष्ठ 9 पंक्ति 38,—

"नहीं बढ़ता" **के स्थान पर**

"सम्बद्ध समाचार पत्र द्वारा प्रमाणित कि बढ़ नहीं रहा है।" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्रीमती पार्वती कृष्णन : (कोयम्बटूर) मैं एक बार फिर लघु क्षेत्र के समर्थन में खड़ी हुई हूं। प्रश्न यह है कि जहां तक समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर लगाए गए कर का सम्बन्ध है, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब इन पर चर्चा की गई थी तो उस समय भी इतना काफी विरोध किया गया था। छोटे समाचार-पत्रों तथा छोटी पत्रिकाओं पर लगाये गए करों का तो विशेष रूप से काफी विरोध किया गया था। उस समय 15,000 से कम के परिचालन

वाले समाचार पत्रों को छूट दी गई थी। यह प्रकार का फार्म भरना होता था तथा वह फार्म निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता था कि अमुक समाचार पत्र-पत्रिका का परिचालन 15,000 प्रतियों से कम है तथा ऐसे पत्र-पत्रिका को विज्ञापन देने पर विज्ञापन देने वाले को काफी रियायत दी जाती थी। अब निर्धारित प्राधिकरण को समाप्त किया जा रहा है। संशोधन में केवल यही कहा गया है कि 'जहां यह अधिक न हो' तथा अब उस फार्म को भरवाने की आवश्यकता नहीं है। अब होगा यह कि विज्ञापन देने वाला तो यह जानने का प्रयत्न नहीं करेगा कि पत्र-पत्रिका का प्रचलन कितना है। यह पता लगाने का कष्ट भला वह क्यों करेगा ? अतः इसका प्रभाव छोटे समाचार-पत्रों पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें ऐसा प्रमाण चाहिए होगा जिससे कि आयकर अधिकारियों को सन्तुष्ट किया जा सके। इससे संभावित विधारिती को भी परेशानीं होगी। अतः छोटे समाचार-पत्रों पर इनका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा संशोधन जो कि काफी साधारण-सा है, स्वीकार कर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जैसे कि पहले होते हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : परन्तु दुर्भाग्यवश मन्त्री महोदय काफी जटिल व्यक्ति हैं। मैं क्या कर सकती हूं ? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समाचार-पत्रों का जब अखबारी-कागज के कोटे के लिए आवेदन करना पड़ता है तो उस समय उन्हें चाहिये लेखपाल का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है जो कि उनके पत्र के परिचालन के बारे में होता है। इसीलिए मैं यह सब कुछ कह रही हूं कि ऐसा प्रमाण-पत्र हर समय उनके पास रहना चाहिये ताकि वह उसे विज्ञापन देने वाले को तुरन्त दिखा सके तथा वह रिकार्ड पर रहे। इससे विज्ञापन देने वाले की काफी परेशानी घट जाएगी। इससे यह भी सुनिश्चित हो जाएगा, छोटे समाचार-पत्र जिन्हें कि अब कम विज्ञापन मिल रहे हैं। तथा जो विज्ञापनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इससे काफी सहायता मिल जाएगी।

श्री आर. वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : श्रीमती पार्वती कृष्णन् द्वारा जो अनुरोध किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत ही सशक्त ढंग से अपना मामला प्रस्तुत किया है।

मुझे इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष की चर्चा का स्मरण हो रहा है क्योंकि जब विज्ञापन की सीमा के बारे में भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने जब प्रतिबन्ध लगाया था तो उस समय भी उसका काफी विरोध किया गया था तथा उस समय वह 40,000 की सीमा निर्धारण करने के लिए राजी हो गए थे। पहले उन्होंने यह माना था कि छोटे समाचार-पत्रों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा तथा फिर बाद में छोटे समाचार-पत्रों का लक्षण निर्धारित करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे समाचार-पत्र जिनकी परिचालन संख्या 15,000 प्रतियों की हो तथा जिसके लिए निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। अब इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना तथा उसे प्रस्तुत करना काफी आसान है इसलिए अब विशापन देने वालों, विसापन देने वाली कम्पनियों या आय-कर प्राधिकारियों को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

इन शब्दों को हटा कर, अब इस बात का पता लगाने का दायित्व केवल विज्ञापन देने वाले का ही रह गया है कि समाचार-पत्र छोटा है या बड़ा। इस बात का पता लगाने का कष्ट कौन

करेगा कि कोई समाचार-पत्र छोटा है या बड़ा। समाचार-पत्र द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र ही इसके लिए काफी समझा जाना चाहिए; क्योंकि आय-कर अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गलत उद्घोषणा करे, तो उसे कई प्रकार से दंडित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह प्रमाणित हो जाये।

श्री आर. वेंकटारमन : आखिर लेखा-परीक्षण द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के बारे में भी तो वैसे ही त्रुटियां हो सकती हैं। अतः मेरा निवेदन यह है कि उन्हें लेखा-परीक्षक का प्रमाण-पत्र देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। समाचार-पत्र द्वारा दिया गया यह प्रमाण-पत्र ही पर्याप्त माना जाना चाहिए कि समाचार-पत्र का परिचालन 15,000 है, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, या कोई जालसाजी या कुछ और गड़बड़ हो तो आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत उसकी ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं और यदि वह सहमत हो तो इन संशोधनों में से कोई सा भी संशोधन स्वीकार कर ले, हमें उसी में खुशी होगी। ऐसी बात नहीं है कि वह मेरा ही संशोधन माने या श्रीमती पार्वती कृष्णन् का ही संशोधन स्वीकार करें। परन्तु बहुत विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यदि वह छोटे समाचार-पत्रों की सहायता वास्तव में करना चाहते हैं, जैसाकि उन्होंने पिछली बार कहा था, तो उन्हें यह नया खण्ड वापिस ले लेना चाहिए क्योंकि इससे समाचार पत्रों को दिया गया सम्पूर्ण संरक्षण समाप्त हो जायेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : यह ठीक है कि वर्तमान विधेयक में निर्धारित प्राधिकरण द्वारा किसी समाचार-पत्र के परिचालन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। समाचार तथा पुस्तकें पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जिन समाचार-पत्रों की परिचालन 2000 प्रतियों से अधिक हो, उन्हें रजिस्ट्रार को एक विवरणी भेजनी पड़ती है तथा उसे चार्टिड लेखा-पाल द्वारा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है कि उसके समाचार का परिचालन 2000 प्रतियों से अधिक नहीं है। निर्धारित प्राधिकरण से इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना काफी कठिन था। फिर भी 2000 प्रतियों से अधिक के परिचालन वाली समाचार-पत्रों की एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है जो कि चार्टिड लेखापाल द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। अब इतना ही पर्याप्त होगा। 15,000 के परिचालन वालों की समस्या का तो इससे समाधान हो जाएगा। इसे चार्टिड लेखापाल को तो प्रमाणित करना ही पड़ेगा। निर्धारित प्राधिकरण द्वारा उसकी ओर अधिक वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य बात तो कर-दाता की कठिनाई को कम करना है। आप रजिस्ट्रार के यहां विवरणी भरिये तथा अपनी विवरणी की एक प्रमाणीकृत प्रति प्राप्त कर लीजिये।

जहां तक इस संशय का सम्बन्ध है कि चार्टिड लेखापाल का प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि यदि चार्टिड लेखापाल का प्रमाण-पत्र दिया जाता है तो फिर आप समाचार-पत्र द्वारा विज्ञापन देने वाले दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र चार्टिड लेखापाल से दिलवाने के लिए कह सकते हैं। चार्टिड लेखापाल द्वारा जारी किए गए इस प्रमाण-पत्र को आयकर अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री आर. वेंकटारमन : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब विधेयक पारित कर दिया जाता है तो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आय-कर अधिकारियों को निदेश दिए जाते हैं। क्या मन्त्री महोदय यह पुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में यहां जो वक्तव्य दिया है, उसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले निदेशों में भी शामिल किया जाये ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यदि चार्टिड लेखापाल का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आय-कर अधिकारियों द्वारा उसे उपयुक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हुई, तो निदेश भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान जी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के नाते, आप तो कम से कम जानते ही हैं न्यायालयों द्वारा, मंत्रियों द्वारा की गई व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाता। अतः इसे भी कानून में ही जोड़ दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात प्रायः ठीक होती है परन्तु यहां मैं यह कह देना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जो निदेश जारी किए जाते हैं उनमें कानून की ही शक्ति होती है। निदेश दो प्रकार के होते हैं।

क्या आप अपने संशोधन को मतदान के लिए रखवाना चाहते हैं ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं अभी तो मतदान के लिए आग्रह नहीं करती परन्तु यदि इस सम्बन्ध में निदेश जारी न किए गए तो मैं फिर संशोधन प्रस्तुत करूंगी। अब मैं उन्हें वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जाम नगर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

7. पृष्ठ 10 :—

पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"परन्तु यह और कि यदि ऐसा पूंजी अभिलाभ, जो प्रतिकर या यथास्थिति अतिरिक्त प्रतिफल से उद्भूत हुआ हो, यदि छह मास की अवधि के भीतर पांच वर्ष के लिए या तो ग्राम्य बैंकों या ग्राम्य विकास बन्धपत्रों या भारत सरकार द्वारा शनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्था में विनिहित किया जाता है तो वह पूंजी अभिलाभ कर से छूट का पात्र होगा।"

8. पृष्ठ 10 :—

पंक्ति 13 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"परन्तु यह कि यदि ऐसा पूंजी अभिलाभ, जो पूंजी आस्ति के किसी अन्तरण से उद्भूत हुआ हो, यदि छह मास के भीतर पांच वर्ष के लिए ग्राम्य बैंकों या ग्राम विकास बन्धपत्रों या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्था में विनिहित किया जाता है तो वह पूंजी अभिलाभ कर से छूट का पात्र होगा ।"

श्री टी. ए. पई (उदीपी) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

77. पृष्ठ 10, पंक्ति 13,—

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाये**—

"जहां कि पूंजी आस्तियों का कुल मूल्य दो लाख रुपये हो ।"

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्तुत करता हूं :

200. पृष्ठ 10, पंक्ति 2 से 13 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**

"(1) उपधारा (1) में,—

(क) "ऐसे अवतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग" शब्दों के स्थान पर, "सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग" शब्द रखे जायेंगे ।;

(ख) खण्ड (क) में, "प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "शुद्ध प्रतिफल" शब्द रखे जायेंगे;

(ग) खण्ड (ख) में,—

(1) "प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "शुद्ध प्रतिफल शब्द रखे जायेंगे;

(2) "ऐसे प्रतिफल के पूर्ण मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "शुद्ध प्रतिफल" शब्द रखे जायेंगे;

(घ) स्पष्टीकरण 1 में,—

(1) 'इस उपधारा और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट आस्ति" से निम्नलिखित आस्तियों में से कोई आस्ति अभिप्रेत है, अर्थात् :— 'शब्दों', कोष्ठकों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
'इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट आस्ति" से अभिप्रेत है :—

(क) ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का 1 मार्च, 1979 के पूर्व अन्तरण किया जाता है, वहां निम्नलिखित आस्तियों में से कोई आस्ति, अर्थात्—

(2) खण्ड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) "ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का 28 फरवरी, 1979 के पश्चात् अन्तरण किया जाता है, वहां ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पत्र जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे।"

(ङ) स्पष्टीकरण 3 में, "निर्धारिती ने प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग का स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (5क) में निर्दिष्ट साधारण शेयरों में विनिधान किया है" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर, "निर्धारिती ने सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (क) के उपखण्ड (5क) में निर्दिष्ट साधारण शेयरों में विनिधान किया है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(च) स्पष्टीकरण 4 में, "खण्ड (6) शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, खण्ड (क) के उपखण्ड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(छ) स्पष्टीकरण 4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण 5—पूंजी आस्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में "शुद्ध प्रतिफल" से अभिप्रेत है पूंजी आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, जो ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में पूर्णतया और अनन्यत: उपगत किए गए किसी व्यय को घटा कर आए।"

(2) उपधारा (1-क) में,—

(क) "मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग" शब्दों के स्थान पर "मूल आस्ति की बाबत सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) "खण्ड (6) में निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खण्ड (क) के उपखण्ड (6) में निर्दिष्ट" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड (क) में, "उक्त खण्ड (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उक्त उपखण्ड (6)" शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(3) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में,—

(क) "मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग" शब्दों के स्थान पर "मूल आस्ति की बाबत सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "खण्ड (6)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खण्ड (क) के उपखण्ड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(4) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में,—

(क) खण्ड (3) में, "खण्ड (6)" शब्द कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "खण्ड (क) के उपखण्ड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3-क) "विनिर्दिष्ट आस्ति" से अभिप्रेत है—

(क) 1 मार्च, 1979 के पूर्व प्राप्त किसी अतिरिक्त प्रतिकर या अतिरिक्त प्रतिफल के सम्बन्ध में, उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आस्तियों में से कोई आस्ति;

(ख) 28 फरवरी, 1979 के पश्चात् प्राप्त किसी अतिरिक्त प्रतिकर या अतिरिक्त प्रतिफल के सम्बन्ध में, उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (ख) में, निर्दिष्ट राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पत्र ।"

(5) उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में, "खण्ड (6)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खण्ड (क) के उपखण्ड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(6) उपधारा (5) में, "खण्ड (6)" शब्द, कोष्ठकों, और अंकों के स्थान पर, "खण्ड (क) के उपखण्ड (6)" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(7) उपखण्ड (6) में, "खण्ड (5-क)" शब्द, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर "खण्ड (क) के उपखण्ड (5-क) शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

श्री आर० वेंकटारमन (दक्षिण मद्रास) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

207. कि श्री चरण सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो कि संशोधनों की सूची संख्या 22 में क्रम संख्या 200 के रूप में छपा है,—

मद संख्या (7) **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाये**—

'(8) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(7) इस उपधारा की कोई बात किसी पूंजी आस्ति के किसी अन्तरण से अद्भूत किसी पूंजी लाभ पर या के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, यदि प्रतिफल का जिसके लिए अन्तरण किया जाता है, पूरा संकलित मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है ।"

श्री विनोद भाई बी० शेठ : आंशिक रूप में तो मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु में पूंजी अभिलाभ पर कर में छूट के मामले को वृहत आधार प्रदान करना चाहता हूं, और इसलिये मैंने अपना यह संशोधन कि "परन्तु यह और कि यदि ऐसा पूंजी अभिलाभ, प्रतिकर से या यथास्थिति उद्भूत हुआ हो, अतिरिक्त प्रतिफल पांच वर्ष के लिये निवेशित किया जाता है..." आदि । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण बैंकों अथवा ग्रामीण विकास बांडों या किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थानों में से किसी के लिये भी इसे पांच वर्ष बनाया जाए । मैं चाहता हूं कि इसे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सरकारी न्यास में निवेश करने की छूट भी दी जाये । ये सभी सरकारी उपक्रम हैं । इसे केवल ग्रामीण—बांडों तक ही सीमित न रखा जाये, अपितु इसे भारत के यूनिट ट्रस्ट और देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तक लागू कर दिया जाये ।

दूसरे मैं मन्त्री महोदय से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या बांड विनिमय साध्य, विक्रेय और गिरवी रखे जा सकते हैं तथा निवेश के कितने समय पश्चात उनका विक्रय किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है और गिरवी रखा जा सकता है ?

श्री टी० ए० पई : महोदया, पूंजी अभिलाभ कर को समाप्त करते समय श्री एच० एम० पटेल महोदय ने यह तर्क दिया था कि 'क्योंकि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि यह उपाय विकास के लिये अधिक विस्तृत साधन जुटायेगा, इस कर को मैं अब समाप्त कर रहा हूं, बशर्ते कि इसे सरकार के विचारानुसार उत्पादक आस्तियों में निवेशित किया जाये।' उन्होंने कुछ अग्रता प्राप्त उद्योगों के लिये इसका यूनिट ट्रस्ट में निवेश करने का भी प्रावधान किया, क्योंकि पूंजी और बैंकों में जमा-राशि दुर्लभ हो रही थी। अब उसी सरकार के एक अन्य वित्त मन्त्री दो वर्ष के बाद इसको फिर से लागू करने के लिये एक दूसरा ही तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है, "क्योंकि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि केवल कुछेक हाथों में ही पूंजी मूल्य वृद्धि का लाभ सहन नहीं किया जाना चाहिये, अत: मैं इसे समाप्त कर रहा हूं।" हमारे देश में मोहम्मद बिन-तुगलक नाम का एक बादशाह था, और हम सब उसके वंशज लगते हैं। एक ही सरकार के दो मन्त्री कितनी शीघ्रता से···(व्यवधान)।

यह तो हम सब पर ही लागू होता है। हमें कुछ निश्चित समय तक एक सी ही नीति अपनानी चाहिये।...(व्यवधान)

श्री हरि विष्णु कामत : जो कभी मन्त्री थे, और अब मन्त्री बने हुए हैं वे सभी उसके वंशज हैं। क्या मैं यह कहूं कि जो मन्त्री पद खो चुके हैं वे अधिक समझदार थे और जो मन्त्री बन गये है वे भी अपनी समझ खो बैठे हैं ?

उस समय इसका भारी विरोध हुआ था परन्तु व्यवहार में 250 करोड़ रुपये की राशि संचालित की गई थी तथा यूनिट ट्रस्ट को पूंजी निवेश के लिये भारी धन राशि प्राप्त हुई थी। अब यदि आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे अभी समाप्त कर देना चाहिये। परन्तु हर कोई जानता है कि वित्त मन्त्री महोदय के सिर ग्रामीण विकास का जादू चढ़कर बोल रहा है। यदि आप 'ग्रामीण विकास' शब्दों को इसमें रखते हैं तो सभी बातें समाप्त हो जाती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : वह एक किसान के बेटे हैं; ऐसा उन्होंने कहा है।

श्री टी० ए० पई : मेरे प्रतिपितामह भी किसान थे।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु उनके प्रतिपितामह नहीं, बल्कि उनके पिता जी किसान थे।

श्री टी० ए० पई : यदि आप कल के सट्टा-बाजार की रिपोर्ट देखें तो इस घोषणा के पश्चात स्टाकों में, (शेयरों में) सरगर्मी आ गई है। इसके लिये आपके पास क्या तर्क है ? इसके बारे में तर्क यह है कि अबके बाद कोई नया सौदा नहीं होगा, अत: लोगों द्वारा या शेयर नहीं बेचे जायेंगे और वे उन्हें रोके रखेंगे। अत: शेयर बाजार गर्म है। क्या हम इस देश में उद्योगों में भी धन निवेश करना चाहते हैं अथवा आप इसे अपने वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं ? यदि उद्योगों में और अधिक धन लगाया जाता है तो, मैं नहीं जानता कि आप ग्रामीण बांडों वाली बात का

पालन क्यों नहीं करते । क्या आप यह सोचते हैं कि लोग इतने बेवकूफ हैं जो वे 7½% के निवेश की ओर आकृष्ट हो जायेंगे ? मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि क्या वह कम से कम अपने को इस स्थिति में रखकर नहीं सोच सकते, "मान लो उनके पास पूंजी आस्तियां हैं और देखो कि उनके मत से ये पर्याप्त आकर्षक होतीं तो सम्पत्ति को बेचने या मन में संजोये उद्देश्य की प्राप्ति के लिये क्या वे ऐसा करते ? अत: मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इसे पहले जैसा ही सुदीर्घ आधार प्रदान करें या इसे बिलकुल समाप्त ही कर दें । गत वर्ष भी वित्त मन्त्री महोदय ने यहां आकर यह कहा था बैंक-जमा में निवेश की अनुमति नहीं होगी और उन्हें प्रेरित करने में हमें काफी समय लगा । मैं चाहता हूं कि इस मामले में स्थिर नीति होनी चाहिये और मैं चाहता हूं कि सरकार इस संशोधन पर पुनर्विचार करे तथा पुरानी वाली स्थिति ही कायम करें । यदि आप चाहते हों या चाहें तो आप पूंजी अभिलाभ पर एक निश्चित सीमा से आगे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । जिससे कि मूलरूप में दी गई छूट को प्राप्त करके कम से कम मध्यम-यर्ग के लोग तो लाभान्वित हों ।

श्री आर० वेंकटारमन : सिद्धान्तरूप में तो हम पूंजी अभिलाभ को कराधान से विमुक्त रखने का विरोध करते हैं । पूंजी अभिलाभ एक अनअर्जित आय है और समस्त विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है । वस्तुत: वित्त मन्त्री महोदय ने भी अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह कहा है कि यह अनर्जित आय है । कांग्रेस सरकार ने इस कर को लागू किया था और हम 1977 से लगातार श्री पटेल के प्रस्ताव का विरोध करते आ रहे हैं । हमने इसके विरुद्ध मतदान किया और यह विरोध प्रकट किया कि आप एक उस अच्छे सम्पन्न वर्ग को छूट प्रदान कर रहे हैं; जो न्याय संगत रूप में सामान्यतया इस प्रकार की छूट का अधिकारी नहीं है ।

पूंजी अभिलाभ का अधिकांश सामाजिक उपादानों से आता है यथा—एक निवास कोलोनी के रूप में सरकारी अभिकरण द्वारा किसी क्षेत्र का विकास अथवा शेयर बाजार में सरगर्मी के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग का विकास किया जाना । दूसरे शब्दों में, यह मूल्य में वह बढ़ोतरी है जिसके लिये किसी व्यक्ति ने कुछ भी योगदान नहीं दिया है —बौद्धिक या शारीरिक किसी भी रूप में इसलिए, विश्वभर में पूंजी अभिलाभ पर कर लगाया जाता है और यह वास्तव में ही बड़ी विचित्र बात है कि इस देश में हम अब यह कहें कि पूंजी अभीलाभ को कराधान से विमुक्त रखा जाये । अब मैं यह बताऊंगा कि इन उपबन्धों की आड़ में कोई कैसे आयकर और अभिलाभ कर दोनों से ही छुटकारा पा लेता है ।

यूनिट ट्रस्ट के एक यूनिट का पुन: क्रय मूल्य 30 जून, 1978 को 12.40 रुपये था । यदि किसी व्यक्ति के पास एक लाख यूनिट रहे होते तो वह उन्हे 12,40,000 रुपये को बेच सकता था ।

उसने प्रति यूनिट 10 रुपये मूल्य चुकाया था । अत: केवल माल अपने हाथों में रखे रखने के कारण ही उसे 2.4 लाख रुपये का लाभ मिल सकता था । यदि वह उन्हें बेचता तो उसे नौ प्रतिशत लाभांश मिला होता, जिसका मतलब था कि 90,000 रुपये पर उसे आयकर देना पड़ता । तो वह उन्हें बेच देता है और दूसरे ही दिन प्रथम जुलाई को वह 11.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उनको दोबारा खरीद लेता है, अर्थात, बाजार मूल्य पर । वह उसी रुपये से कहीं अधिक यूनिटें क्रय कर सकता है अर्थात अपने पास के 1,00,000 यूनिटों से वह 1,10,000 यूनिड क्रय कर

सकता है। वह 90,000 रुपये पर आयकर से विमुक्त हो सकता हैं जो कि अन्यथा उसे देना पड़ता। और स्वयमेय और अधिक यूनिटें क्रय करके वह पूंजी अभिलाभ से भी साफ बच सकता है। कोई भी कानून जो किसी व्यक्ति को विधिकरूप से कर से विभुक्त रखने में सहायता देता है, एक बुरा कानून है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रावधान नितान्त अस्वीकार्य है। नीति रूप में, सैद्धान्तिक रूप में, पूंजी अभिलाभ पर कर लगाना ही चाहिये। आप मक्खन, बीड़ी, मिट्टी के तेल और सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर तो कर लगा रहे हैं और आप उन लोगों को इसमें छूट देना चाहते हूं जो स्टाक और शैयरों का लेन देन करते हैं और जो स्टाक और शेयरों की मन्दी-तेजी के जोड़-तोड़ करते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे क्या हैं जो ?

श्री आर० वेंकटारमन : "तेजी लाने वाली" कार्यवाही वह है जिसमें आप स्टाकों के दाम पहले तो बढ़ाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। "मन्दी" कार्यवाही वह है जिसमें आप पहले तो शेयरों के दाम घटाते हैं। और फिर उन्हें क्रय करते हैं। ऐसी कार्यवाही की जाती हैं और आप चले हैं उनको छूट देने। अतः मैं इस खण्ड का और इस नये संशोधन का विरोध करता हूं। मैं उस उपबन्ध का स्वागत करता हूं जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने बजट प्रस्तावों में पुरःस्थापित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'अबके बाद' 1 मार्च, 1979 के बाद, कोई पूंजी अभिलाभ छूट नहीं दी जायेगी। यदि किसी कारणवश आप निम्न और मध्यम-वर्ग को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो, तब मैंने मन्त्री महोदय के संशोधन पर संशोधन के लिये अपना संशोधन सं० 207 दिया है।इस संशोधन में कहा गया है :

> "(7) इस उपधारा की कोई बात किसी पूंजी आस्ति के किसी अन्तरण से उदभूत किसी पूंजी लाभ पर या के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, यदि प्रतिफल का जिसके लिए अन्तरण किया जाता है, पूरा संकलिता मूल्य एक लाख रुपसे से अधिक है।"

अर्थात यह कहा जा सकता है कि यदि कोई ऐसा लेन-देन है जिसका मूल्य एक लाख रुपये है, तब तो उससे सम्बद्ध पूंजी अभिलाभ, यदि उसे ग्रामीण विकास बाण्डों से लगाया जाये तो, कर से विमुक्त रहेगा। परन्तु यदि मूल्य एक लाख रुपये से कहीं अधिक हो जाता है तो तब इस पर पूंजी अभिलाभ कर लगना ही चाहिये। मन्त्री महोदय द्वारा लाये गये संशोधन में मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

जैसा कि मैंने कहा है, महोदय मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं।

श्री सतीष अग्रवाल : मूल खण्ड (8) जैसा कि यह वित्त-विधेयक में दिया हुआ है, इन दिनों चर्चा का विषय रहा है और सदन की इच्छा और बहुसंख्य सांसदों की इच्छा के विपरीत सरकार इस संशोधन को प्रस्तुत कर रही है और अब यह निर्णय लिया गया है कि जो छूट दो वर्ष पूर्व घोषित की गई थी उसे ही अपरिवर्तित रूप में रखा जाये।

जैसा कि श्री पई ने ठीक ही कहा है उन्हें सात वर्ष के लिए, 7.5 प्रतिशत ब्याज पर सरकारी बांडों में धन क्यों लगाना चाहिए ? उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वही प्रणाली चालू रहनी चाहिए। इसका अर्थ है कि बैंकों या यूनिट ट्रस्ट अथवा डाकघर बचत प्रमाण-पत्रों में

धन लगाया जाये और उन्हें वही छूट मिलनी चाहिए। श्री पई यह बात भलीभांति जानते हैं कि यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और बैंकों के पास उपलब्ध धन की कई बार यह कहकर इस सदन में आलोचना की गई कि जिस अनुपात में सरकार उसे लगाना चाहती थी उसमें वह उस धन को ग्रामीण विकास में नहीं लगा सकी। अतः उप प्रधान मन्त्री महोदय ने यह बात स्वीकार कर ली कि ग्रामीण विकास बांड होने चाहियें जिससे कि इस धन को सम्पूर्ण रूप से ग्रामीण विकास में लगाया जा सके। यह बात तो आप मानेंगे कि जब एक बार बैंकों या यूनिट ट्रस्ट में धन लगा दिया जाता है तो वह उनके नियन्त्रण में चला जाता है। इस छूट को इस अपरिवर्तित रूप में जारी रखने के पीछे केवल एक यही भावना काम कर रही है। उप प्रधान मन्त्री महोदय ने ऐसा इस सदन के सदस्यों की इच्छाओं के विपरीत किया है और धन को ग्रामीण विकास बांडों में लगाया है, का उपयोग पूर्णतया ग्रामीण-विकास के लिए किया जायेगा। अन्यथा खण्ड 8 जैसे हैं, उसी के अनुसार आपकी इच्छा पूरी हो जायेगी। मुझे खेद है कि मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

मैं अपने मित्र श्री वेंकटारमन तथा उसकी सशक्त भावनाओं से भी पूरी तरह से अवगत हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्हें स्वीकार करने की भी इच्छा हो सकती है परन्तु यह सदन के अधिकांश सदस्यों की इच्छाओं के अनुरूप नहीं है और सदन को यह अच्छा नहीं लगेगा कि सरकार इसमें इस ढंग से परिवर्तन कर दे।

श्री टी० ए० पई : यह जो ग्रामीण विकास योजना है—क्या वह ग्रामीण विकास कार्यों के लिए निर्धारित की गई धनराशि के बदले है या वह उस धनराशि के अतिरिक्त है ?

श्री सतीश अग्रवाल : हमने अभी उन्हें जारी नहीं किया है।

श्री टी० ए० पई : आपने कहा कि इन संसाधनों का निवेश ग्रामीण क्षेत्रों पर किया जाएगा। इसलिए मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पहले प्रावधान की गई राशि के बदले जारी किये जा रहे हैं या यह बाइज उस राशि के अलावा होंगे ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इसके बारे में अभी सम्भवतः इन्होंने कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री विनोद भाई शेठ : पूंजी निवेश की सुविधा यूनिट ट्रस्ट जो कि भारत सरकार का ही संस्थान है, के माध्यम से क्यों उपलब्ध नहीं करवा दी जाती ? क्या उस पर वित्त मन्त्रालय का नियन्त्रण नहीं है ?

श्री सतीश अग्रवाल : किसी भी संस्थान के बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो 101 सुझाव दिये जा सकते हैं परन्तु हमें बहुत कुछ सोच-विचार करके निर्णय करना होता है। इन सभी संस्थानों पर हमारा नियंत्रण तो है परन्तु सदन में इस बात की काफी आलोचना की गई थी कि पूंजीनिवेश अपेक्षित मदों पर नहीं किया जाता है अपितु उनका धन बड़े-बड़े व्यापारिक ग्रहों को मिल जाता है। अब यह धनराशि केवल मात्र इसी के लिए एकत्रित की जा रही है और बांड जारी किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनका उपयोग केवल ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ही किया जाएगा। क्या यह धनराशि उसके बदले होगी या अतिरिक्त, इसके बारे में मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि यह उसके अतिरिक्त ही हो।

सभापति महोदय : श्री शेठ, क्या आप अपने संशोधनों के बारे मतदान करवाना चाहेंगे ?

श्री विनोद भाई शेठ : नहीं, मैं मतदान नहीं करवाना चाहता ।

श्री टी० ए० पई : मैं भी अपने संशोधन पर मतदान नहीं करवाना चाहता ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिए गए ।

श्री आर० वेंकटारमन : मेरे संशोधन पर मतदान करवाया जाए ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री आर० वेंकटारमन का संशोधन संख्या 207 मतदान के लिए रखता हूं । श्री वेंकटारमन का संशोधन है कि 1 लाख रुपए से ऊपर के लाभ पर कर लगाया जाना चाहिए । श्री वेंकटारमन आपका संशोधन यही है न ?

श्री आर० वेंकटारमन : ठीक है महोदया, मेरा संशोधन तो यही है, इस पर मत विभाजन करवाया जाए ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं 207 को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूं, जो सदस्य अभी अभी आए हैं उनके लाभ हेतु मैं संशोधन पढ़ देता हूं :

प्रश्न यह है :

207. कि श्री चरण सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में, जो कि संशोधनों की सूची संख्या 22 के क्रम संख्या 200 के रूप में छपा है, --

मद संख्या (7) के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"(8) उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात :—

"(7) इस उपधारा की कोई बात किसी पूंजी आस्ति के किसी अन्तरण से अद्भुत किसी पूंजी लाभ पर या के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि प्रतिफल का जिसके लिए अन्तरण किया जाता है, पूरा संकलित मूल्य एक लाख रुपए से अधिक है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में	विपक्ष में
अरुणाचलम, उर्फ अलादी अरुणा श्री एम०	अग्रवाल, श्री सतीश
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस	अर्गल, श्री छविराम
कृष्णन, श्रीमती पार्वती	अमात, श्री डी०
किदवई, श्रीमती मोहसिना	अलहाज, श्री एम० ए० हनान
कोसलराम श्री के० टी०	अहमद, श्री हलीमुद्दीन
गोपल, श्री के०	उरांव, श्री लालू
	कृष्ण कांत, श्री

पक्ष में	विपक्ष में
गोटखिंडे, श्री अरुणासाहिब	कुरील, श्री आर० एल०
जार्ज, श्री ए० सी०	कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद
जाफर शरीफ, श्री सी० के०	कुशवाहा, श्री रामनरेश
थोरट, श्री भाऊ साहिब	खिरमे, रिंचिंग खांडू
नायक, श्री एस० एच०	खां, कुंवर महमूद अली
नायडू, श्री पी० राजगोपाल	खालसा, श्री बसन्तसिंह
पई, श्री टी० ए०	गंगा सिंह, श्री
पुजारी, श्री जनार्दन	गट्टानी, श्री आर० डी०
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ	गुप्त, श्री कंवर लाल
बोंडे, श्री नानासाहिब	गुलशन, श्री धन्ना सिंह
भक्त, श्री मनोरंजन	गोदरा, चौ० हरी राम मक्कासर
मालन्ना, श्री के०	गोयल, श्री कृष्ण कुमार
मेदुरी, श्री नागेश्वरराव	गौडा, श्री एस० ननजेश
रथ, श्री रामचन्द्र	घोषाल, श्री सुधीर
राचैया, श्री बी०	चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ
राजन, श्री के० ए०	चन्दन सिंह, श्री
रामलिंगम, श्री एन० कुदनतई	चन्द्र, डा० प्रतापचन्द्र
राममूर्ति श्री के०	चावड़ा, श्री के० एस०
रेड्डी, श्री एन० रामगोपाल	चौधरी, श्री मोतीभाई आर०
रेड्डी, श्री जी० एस०	चौहान, श्री वेगाराम
वेंकटारमन, श्री आर०	चौहान, श्री भारत सिंह
शंकरानंद, श्री बी०	जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह
श्रंगारे, श्री टी० एस०	जैन, श्री कचरूलाल हेमराज
सईद, श्री पी० एम०	जैन, श्री कल्याण
सूर्यनारायण, श्री के०	जायसवाल, श्री अनन्तराम
स्टीफन, श्री सी० एम०	जोशी, डा० मुरली मनोहर
	ठाकरे, श्री कुशाभाऊ
	तन सिंह, श्री
	तिवारी, श्री बृजभूषण
	तेज प्रताप सिंह, श्री
	त्यगी, श्री ओम प्रकाश
	त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद
	त्रिपाठी, श्री रामप्रकाश
	दण्डवते, प्रो० मधु

पक्ष में	विपक्ष में
	दण्डयुतपाणि, श्री वी०
	दत्त, श्री अशोक कृष्ण
	दवे, श्री अनन्त
	दानवे, श्री पुंडलीक हरि
	दास गुप्ता, श्री के० एन०
	दिग्विजय नारायण सिंह, श्री
	देसाई, श्री मोरार जी
	धुर्वे, श्यामलाल
	नायक, श्री लक्ष्मी नारायण
	नेगी, श्री टी० एस०
	पंडित, डा० वसन्तकुमार
	पटनायक, श्री बीजू
	पटेल, श्री एच० एम०
	पटेल, श्री धर्मसिंह भाई
	परमार, श्री नटवरलाल वी०
	परस्ते, श्री दलपतसिंह
	पल्लेकर, श्री बापूसाहिब
	पाटिल, श्री एस० डी०
	फजलूर रहमान, श्री
	बटेश्वर हेमराम, श्री
	बलवीर सिंह, चौधरी
	भंवर, श्री भागीरथ
	भारत भूषण, श्री
	मल्होत्रा, श्री विजय कुमार
	महाला, श्री के० एल०
	महिषि, डा० सरोजिनी
	महीलाल, श्री
	माथुर, श्री जगदीश प्रसाद
	मानकर, श्री लक्ष्मण राव
	मिर्जा, श्री सैयद कासिम अली
	मिश्र, श्री श्यामनन्दन
	मोहिन्द्र सिंह, श्री
	यादव, श्री रामजी लाल
	यादव, श्री विनायक प्रसाद
	यादव, श्री हुक्म देव नारायण

पक्ष में	विपक्ष में
	यादवेन्द्रदत्त, श्री
	रणजीत सिंह, श्री
	राघवजी, श्री
	राघवेन्द्र सिंह, श्री
	राज केशर सिंह, श्री
	राठौर, डा० भगवानदास
	राम, अवधेश सिंह, श्री
	राम, श्री रामदेनी
	राम किंकर, श्री
	रामचन्द्रन, श्री पी०
	रामचरण, श्री
	रामजी सिंह, डा०
	रामधन, श्री
	रामजीवन सिंह, श्री
	राही, श्री राम लाल
	लालजी भाई, श्री
	वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
	वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद
	वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
	वर्मा, श्री रवीन्द्र
	शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
	शाक्य, श्री महादीपक सिंह
	शास्त्री, श्री रामधारी
	शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
	शेजवलकर, श्री एन० के०
	शेठ, श्री विनोद भाई बी०
	श्रीकृष्ण सिंह, श्री
	सईद मुर्तजा, श्री
	सत्यदेव सिंह, श्री
	सरकार, श्री शक्ति कुमार
	सारण, श्री दौलतराम
	साय, श्री लारंग
	साहू, श्री एन्थू
	सिंह, डा० वी० एन०
	सिकन्दर बख्त, श्री

पक्ष में	विपक्ष में
	सिन्हा, श्री एच० एल० पी०
	सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल
	सिन्हा, श्री सी० एम०
	सुखेन्द्र सिंह, श्री
	सुमन, श्री रामजी लाल
	सूरजभान, श्री
	सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र
	सैनी, श्री मनोहर लाल
	सोमानी, श्री रूप लाल
	स्वतन्त्र, श्री जगन्नाथ प्रसाद
	हरिकेश बहादुर, श्री
	हांडे, श्री वी० जी०
	हीराभाई, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।*

पक्ष में—32

विपक्ष में—124

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सरकार के प्रमुख संशोधन पर आते हैं। मैं संशोधन सं० 200 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न यह है :

200. पृष्ठ 10, पंक्ति 2 से 13 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**—

"(1) उपधारा (1) में,—

(क) "ऐसे अवतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग" शब्दों के स्थान पर, "संपूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) खण्ड (क) में, "प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "शुद्ध प्रतिफल" शब्द रखे जायेंगे;

(ग) खण्ड (ख) में,—

(1) "प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य" शब्दों के स्थान पर "शुद्ध प्रतिफल" शब्द रखे जायेंगे;

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतविभाजन में भाग लिया।

विपक्ष में : श्री रतन सिंह राजन्दा।

(2) "ऐसे प्रतिफल के पूर्ण मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "शुद्ध प्रतिफल" शब्द रखे जायेंगे;

(घ) स्पष्टीकरण 1 में—,

(1) "इस उपधारा और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट आस्ति" से निम्नलिखित आस्तियों में से कोई आस्ति अभिप्रेत है, अर्थात—" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

'इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट आस्ति" से अभिप्रेत है,

(क) ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का 1 मार्च, 1979 के पूर्व अन्तरण किया जाता है, वहां निम्नलिखित आस्तियों में से कोई आस्ति, अर्थात :—'

(2) खण्ड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(ख) ऐसे मामले में जहां मूल आस्ति का 28 फरवरी, 1979 के पश्चात अन्तरण किया जाता है, वहां ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पत्र जिन्हें केन्द्रीय सरकार राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे।"

(ङ) स्पष्टीकरण 3 में, "निर्धारिती ने प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग का स्पष्टीकरण 1 के खन्ड (5क) में निर्दिष्ट साधारण शेयरों में विनिधान किया है" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर, "निर्धारिती ने सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग का स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (क) के उपखण्ड (5क) में निर्दिष्ट साधारण शेयरों में विनिधान किया है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(च) स्पष्टीकरण 4 में, "खण्ड (6) शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, खण्ड (क) के उपखण्ड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(छ) स्पष्टीकरण 4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

'स्पष्टीकरण 5—पूंजी आस्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में "शुद्ध प्रतिफल" से अभिप्रेत है पूंजी आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, जो ऐसे अंतरण के सम्बन्ध में पूर्णतया और अनन्यतः उपगत किए गए किसी व्यय को घटा कर आए।';

(2) उपधारा (1क) में;

(क) "मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग" शब्दों के स्थान पर "मूल आस्ति की बाबत सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "खण्ड (6) में निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खण्ड (क) के उपखण्ड (6) में निर्दिष्ट" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(ग) खण्ड (क) में, "उक्त खण्ड (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उक्त उपखण्ड (6)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(3) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में,—

(क) "मूल आस्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य या उसके किसी भाग" शब्दों के स्थान पर "मूल आस्ति की बाबत सम्पूर्ण शुद्ध प्रतिफल या उसके किसी भाग" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) "खण्ड (6)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खण्ड (क) के उपखंड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(4) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (3) में, "खंड (6)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "खंड (क) के उपखंड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) खंड (3) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

'(3क) "विनिर्दिष्ट आस्ति" से अभिप्रेत है—

(क) 1 मार्च, 1979 के पूर्व प्राप्त किसी अतिरिक्त प्रतिकर या अतिरिक्त प्रतिफल के सम्बन्ध में, उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में निर्दिष्ट आस्तियों में से कोई आस्ति;

(ख) 28 फरवरी, 1979 के पश्चात् प्राप्त किसी अतिरिक्त प्रतिकर या अतिरिक्त प्रतिफल के सम्बन्ध में, उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में, निर्दिष्ट राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पत्र ।';

(5) उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में, "खंड (6)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (क) के उपखंड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(6) उपधारा (5) में, "खंड (6)" शब्द, कोष्ठकों, और अंकों के स्थान पर, "खंड (क) के उपखंड (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(7) उपखंड (6) में, "खंड (5-क)" शब्द, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर "खंड (क) उपखंड (5-क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 8 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

167. पृष्ठ 10, पंक्ति 21 से 32 का लोप किया जाए।

168. "पृष्ठ", 11—पंक्ति 4 से 6 का लोप किया जाए।

श्री शतीश अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

201. पृष्ठ 10, पंक्ति 25, "फायदे" **के स्थान पर** "तत्काल या अस्थगित फायदे" **रखें**।

202. पृष्ठ 11, पंक्ति 9 से 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें**—

(1) 'कुटुम्ब को सम्पत्ति के रूप में संपरिवर्तित की गई है (ऐसी सम्पत्ति को इसमें आगे सपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "कुटुम्ब की सम्पत्ति के रूप में सपरिवर्तित की गई है या उस व्यष्टि द्वारा कुटुम्ब को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पर्याप्त प्रतिफल के बिना अन्तरित की गई है (इस प्रकार सपरिवर्तित या अंतरित सम्पत्ति को इसमें इसके पश्चात अपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है)" शब्द और कोष्ठक रखे जायेंगे।'

महोदय, मेरे संशोधन स्पष्टीकरण वाली प्रकृति के हैं जिससे मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मैं अपने एमेंडमेंट्स 167 और 168 द्वारा चाहता हूं कि क्लाज 9 (ए) (2) और क्लाज 9 (बी) (1) हटा दिया जाए। इस बारे में इस बिल के नोट्स आन क्लाजिज में कहा गया है :

उपखण्ड (क) (I) धारा 64 की उपधारा (1) के नीचे दिये गए **स्पष्टीकरण** का संशोधन करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार किसी ऐसे समुत्थान से जिसमें **व्यष्टि** के पति या पत्नी का पर्याप्त हित है, ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी को वेतन, कमीशन, **फीस या** किसी अन्य रूप में, पारिश्रमिक के रूप में उद्भूत आय को उस व्यष्टि के पति या पत्नी **की कुल** आय में सम्मिलित किया जायगा। जिसकी कुल आय, ऐसे वेतन, कमीशन आदि को अपवर्जित करते हुए, अधिक है।

सरकार चाहती है कि अगर पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, तो उनमें से जिसकी इनकम ज्यादा है, उससे दूसरे की इनकम जोड़ दी जाये। इसमें सिर्फ सेलैरी ही नहीं है, बल्कि कमीशन के रूप में, या और किसी काम से, एक महिला को जो इनकम होती है, वह भी इसमें शामिल है। मैं समझता हूं कि दिस इज वैरी अनफेयर टु दि फेयर सैक्स। जो महिला काम करती हे, उसको कमीशन या किसी और काम से जो इनकम होगी, वह दूसरे की इनकम में जोड़ दी जायेगी, जिसकी इनकम ज्यादा हो, मैं समझता हूं कि यह नैचरूल जस्टिस के खिलाफ होगा और प्रिंसिपली ठीक नहीं होगा। हमारी सोसायटी जिस तरह आगे जा रही है, उसमें महिलाओं का एक रोल है। अब महिलायें काम करने लगी हैं। मन्त्री महोदय सोलहवीं सदी में रह रहे हैं, जब महिलायें काम नहीं करती थीं। अब तो महिला अपने पति से भी ज्यादा काम करती है। इसलिए सरकार को इस बारे में दोबारा गौर करना चाहिये। दिस विल एमाउंट टु डिसक्रिमिनेशन एगेंस्ट दि फेयर सैक्स।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने पहले की संशोधन संख्या 201 और 202 पेश कर दिये हैं। वित्त विधेयक के खंड 9 (क) (2) में यह उपबन्ध है कि जहां किसी व्यक्ति के पति या पत्नी किसी न्यास का सदस्य है और न्यास किसी भागीदारी कारोबार में उस व्यक्ति के साथ शामिल होता है तो न्यास की ऐसी भागीदारी से होने वाली आय का वह हिस्सा जो पति या पत्नी को मिलता है वह उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जायेगा।

यह संदेह व्यक्त किया गया है कि जब इस प्रकार की भागीदारी से होने वाली आय उस व्यक्ति के पति या पत्नी के अस्थगित काम के लिए उपयोग किये जाने के अभिप्राय हो तो यह उपबन्ध लागू नहीं होगा।

इस बात के सम्बन्ध में कि मुकदमेबाजी न हो, बिना विधेयक में प्रस्तावित संशोधन से यह व्यवस्था की गई है कि जहां किसी व्यक्ति के पति या पत्नी किसी न्यास का सदस्य हो और न्यास उस व्यक्ति के साथ भागीदारी करता है तो न्यास की भागीदारी से होने वाली ऐसी आय को उस सीमा तक जिसमें यह तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए हो, पति-पत्नी को व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जायेगा। यह संशोधन एक प्रकार का स्पष्टीकरण है।

अध्यक्ष महोदय : यह पुराने अधिनियम की धारा 16 का स्पष्टीकरण है।

श्री सतीश अग्रवाल : अत: और कुछ नहीं कहना है। मेरे दूसरे संशोधन का अभिप्राय इसके बारे में धारणा को स्पष्ट करने से है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त, क्या आप अपने संशोधन संख्या 167 और 168 वापस ले रहे है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : जी हां। मैं संशोधन संख्या 167 और 168 को सभा की अनुमति से वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें संशोधन वापस लेने की अनुमित देती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

(संशोधन सभा की अनुमति से वापस किये गये)

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 201 और 202 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

संशोधन संख्या 201— पृष्ठ 10, पंक्ति 25,

"फायदे" **के स्थान पर**

"तत्काल या आस्थगित फायदे" **रखें**।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

संशोधन संख्या 202. पृष्ट 11, पंक्ति 9 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित **रखें**;

(1) "कुटुम्ब को सम्पत्ति के रूप में संपरिवर्तित की गई है (ऐसी सम्पत्ति को इसमें आगे संपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया हूं)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "कुटुम्ब की सम्पत्ति के रूप में संपरिवर्तित की गई है या उस व्यक्ति द्वारा कुटुम्ब को, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, पर्याप्त प्रतिफल के बिना अन्तरित की गई है (इस प्रकार संपरिवर्तित या अन्तरित सम्पत्ति को इसमें इसके पश्चात् संपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है)" शब्द और कोष्ठक रखे जायेंगे,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मुख्य खण्ड पर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 9, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 संशोधित रूप में **विधेयक में जोड़ दिया गया**।

खण्ड 10

श्री विनोद भाई बी० शेठ : (जामनगर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

9. पृष्ठ 11, पंक्ति 27; —

"35" **के स्थान पर** "40" प्रतिस्थापित किया जाये।

10. पृष्ठ 11, पंक्ति 31; —

"20" **के स्थान पर** "25" **प्रतिस्थापित किया जाये**।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

58. पृष्ठ 11, पंक्ति 21; —

"35 प्रतिशत" **के स्थान पर** "50 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये**।

59. पृष्ठ 11, पंक्ति 30 और 31;

"6,750 रुपये **घन** उस रकम का 20 प्रतिशत" **के स्थान पर** "7,500 रु० **घन** उस रकम का 40 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

अध्यक्ष महोदय : संख्या 44 पेश नहीं किया जा सकता है ।

श्री आर० वेंकटारमन : हम संशोधन पेश कर सकते हैं । आप मुझे संशोधन पेश करने से रोक नहीं सकते । केवल बात यह है यदि यह नकारात्मक है तो इसे मतदान के लिए रखा नहीं जा सकता है । जब नकारात्मक निर्णय हो केवल तभी पेश नहीं किया जा सकता है । यहां कोई निर्णय नहीं है । अतः मैं संशोधन संख्या 44, 45, 58 और 59 पेश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 44 पेश नहीं किया जा सकता है ।

श्री आर० वेंकटारमन : मेरा तर्क यह है कि जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, केवल इस कारण आप हमें इन्हें पेश करने नहीं दे रहे हैं कि यह दूसरे व्यक्ति के संशोधन के अन्तर्गत आ जाता है । हम संशोधन पेश कर सकते हैं । यदि किसी अन्य संशोधन के बारे में निर्णय किया जाता है तो हम पेश नहीं कर सकते । यही बात मैं उठाना चाहता हूं । आप कृपया नियम देखिए । कोई आपको इस बारे में गलत राय दे रहा है । नियम 80 (2) में कहा गया है : "कोई संशोधन,

अध्यक्ष महोदय : यदि यह 80 (2) के बारे में है तो आप सही हैं ।

श्री आर० वेंकटारमन : यदि आप नियम 84 की व्यवस्था को साथ-साथ पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होगा । इस सभा में काफी समय से ऐसी प्रथा रही है । अतः मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं । नियम 84 कहता है :

"जिन संशोधनों की सूचना दी जा चुकी है । उनका विन्यास समय-समय पर नियमित संशोधन सूची में यथा साध्य उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें वे पुकारे जायें । किसी खंड के एक ही स्थान पर एक-सा ही प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विन्यास करते समय विधेयक के भार साधक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को पूर्ववर्तिता दी जा सकेगी ।"

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 9 और 44 एक जसे हैं । अतः इन्हें पेश नहीं किया जा सकता है ।

श्री आर० वेंकटारमन : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका निर्णय संशोधन संख्या 9 के सम्बन्ध में है ।

श्री आर० वेंकटारमन : जी, नहीं । यदि वह इसे पेश नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : आप सही कहते हैं । यदि आपका संशोधन संख्या 9 से भिन्न है तो निर्णय आवश्यक है । यदि आपका संशोधन पूर्व संशोधन से सम्बन्धित है तो यदि यह पहले ही पेश किया गया हैं तो इस पर निर्णय होगा ।

श्री आर० वेंकटारमन : क्या आप नियम दिखायेंगे । ऐसा कोई नियम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले जैसा ही संशोधन है । एक जैसे संशोधन पेश करना सही नहीं है किन्तु जिन सदस्यों ने एक जैसे संशोधन पेश किये हैं, वे पहले पेश किये गये संशोधनों के समर्थन में बोल सकते हैं ।

श्री आर० वेंकटारमन : इससे हमें बड़ी कठिनाई होगी / यह मैं बताऊँगा कि कैसे होती है । माना वह अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना संशोधन पेश कीजिए ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं अपना संशोधन कैसे पेश करूं जब आपने पेश करने से रोक दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि उन्होंने पेश कर दिया है । अब जब वह वापस लें तो हम देखेंगे ।

श्री आर० वेंकटारमन : वापस लेते समय···

अध्यक्ष महोदय : यदि वह वापस लेते हैं, तो फिर आपको पेश करने का अधिकार है क्योंकि वह संशोधन तो रहा नहीं ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें । मैंने यह पेश नहीं किया है ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : यदि मैं इसे वापस लूं तो उन्हें इसे पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माना कि वह वापस लेते हैं ।

श्री आर० वेंकटारमन : मेरा सुझाव यह है, और उचित प्रक्रिया है; कि आप सभी संशोधनों को पेश करने की अनुमति दें । उन्हें मतदान के लिए रखने के किए आप किसी भी संशोधन का चयन करें जिसे आप समझें कि उसमें सभी बातें आ जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के दो पूर्व निर्णय हैं जिनमें कहा गया है : "यदि एक संशोधन पेश किया जाता है तो दूसरे को पेश किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।" आप यह कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि माना पहला व्यक्ति संशोधन वापस लेता है तो आप अपना संशोथन पेश कर सकते हैं ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं कैसे पेश करूं ? यही स्थिति है जिसमें हम पेश कर रहे हैं । उन्होंने अपना संशोधन पेश किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री शेठ यह कह दें कि मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं तो कोई कठिनाई नहीं होगी । उन्होंने कहा है···नहीं, मैं इस पर आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि मेरा भी इसी प्रकार का संशोधन है ।

श्री आर० वेंकटारमन : दृष्टांत नियमों के विरुद्ध है । आप नियम 83 देखें ।

अध्यक्ष महोदय : नियम 83 से अधिक सहायता नहीं मिलेगी ।

श्री आर० वेंकटारमन : कृपया आप नियम 85 (2) देखें । अध्यक्ष की शक्ति उसमें दी गई है । "अध्यक्ष यदि ठीक समझें, तो किसी खन्ड के एक ही प्रकार के संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकते हैं ।" इसका अभिप्राय है कि एक ही प्रकार के संशोधन पेश किए जा सकते हैं । मैं एक ही प्रकार के संशोधन कैसे रख सकता हूँ जबकि आप कहते हैं कि मैं एक ही प्रकार के संशोधन पेश नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : नियम में स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि कोई निर्णय है तो उसके बाद आप बाधित हो जाते हैं । मान लीजिए पहले कोई निर्णय लिया जाता है और संशोधन मतदान के लिए रखा जाता है और वह अस्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद आप उसे पेश नहीं कर सकते । इसी प्रकार के अन्य संशोधनों के मामले में भी यह प्रश्न पैदा होता है । एक समान संशोधनों के मामलों में यदि पहला व्यक्ति अपना संशोधन पेश करता है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा संशोधन पेश किए जाने में कोई तुक नहीं है । यदि पहला व्यक्ति पेश करता है तो आप उसका समर्थन कर सकते हैं और जब आप एक बार समर्थन कर चुकते हैं तो वह आपका संशोधन बन जाता है । यदि वह इसे वापस लेना चाहता है तो आप उसे रोक सकते हैं और उस पर मतदान का आग्रह कर सकते हैं ।

श्री आर० वेंकटारमन : इस खन्ड का क्या अभिप्राय है । यदि अध्यक्ष ठीक समझते है तो उसे खंड के एक समान संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक समान नहीं । एक समान और एक ही प्रकार में भेद किया गया है । दृष्टांत का अनुसरण करने में क्या कठिनाई है ? यदि श्री शेठ अपने संशोधन पर मतदान का आग्रह नहीं करेंगे तो मैं आपके संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा ।

श्री आर० वेंकटारमन : जब मैं इसे पेश ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं उस पर मतदान के लिए कैसे आग्रह कर सकता हूं । इसमें एक कठिनाई है । उनके संशोधन को वापस लेने का विरोध करना और अपना संशोधन पेश करना एक-सी बात नहीं है । मैं अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं । अगर बाद में श्री शेठ कहें कि मैं अपने संशोधन पर मतदान नहीं चाहता तो इससे कठिनाई उत्पन्न होगी । उस ओर बैठा कोई भी सदस्य बड़ी चालाकी से सम्भावित संशोधन पेश कर विपक्ष को खामोश कर सकता है । वह कह सकता है कि मैंने ये संशोधन पेश किए हैं और दूसरे संशोधन बाधित हो जाते हैं । मतदान के समय वह कह सकता है कि मैं अपने संशोधन पर मतदान नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि आप इस सम्भावना पर विचार करें । मैं यह नहीं कह रहा कि आप अभी अपना निर्णय दें । आप इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा । अब इसी बीच अगर वह अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करते हैं तो मैं आपको संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा ।

श्री आर० वेंकटारमन : हम अभी इसकी परीक्षा करते हैं । श्री शेठ अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करते । अब क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बीच मैं संशोधन संख्या 44 को रोक रहा हूं ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैंने संशोधन संख्या 58 और 59 पेश किये हैं । अब मैं संख्या 45 पेश कर रहा हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 27 और 28,—

45. "6,750 रुपये **जमा** 20 प्रतिशत" के स्थान पर

"7000 रुपये **जमा** 30 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाए** ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 78 और 79 पेश नहीं किए जा सकते क्योंकि संशोधन संख्या 58 और 59 पेश किए जा चुके हैं । श्री कंवरलाल गुप्त ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11,—

169. पंक्ति 22 से 32 का **लोप** किया जाए ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मेरे संशोधन को मतदान के लिए नहीं रखा गया तो क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पेश करने की अनुमति दी है ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : इस खंड द्वारा कर दाता को लम्बी अवधि की बचतों पर मिलने वाली रियायत बहुत कम कर दी गई है । जीवन बीमा दीर्घ अवधि की बचत है । हम लोगों को यह वचन देते हैं कि यदि आप जीवन बीमा निगम में धन लगायेंगे तो उससे आपके परिवार की सुरक्षा होगी और आपके धन की भी रक्षा होगी । यह संशोधन उचित नहीं है । यह जनता को दिए गए वचन का उलंघन है । हर वित्त मन्त्री हर साल इस व्यवस्था को इस प्रकार बदलता जाएगा तो इससे दीर्घावधि बचत का कार्यक्रम बिगड़ जाएगा और लोगों के दिमाग में अनिश्चितता पैदा होगी । आज के वित्त मन्त्री ग्रामीण विकास की विचारधारा वाले मन्त्री हैं ।

(श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुईं)

आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी । आज का वित्त मन्त्री अगले वर्ष का वित्त मन्त्री नहीं रहेगा ।

कल यदि शहरों की तरजीह देने वाला वित्त मन्त्री आता है तो वह उन्हें अधिक लाभ देगा । तो प्रस्ताव दीर्घावधि बचतों के होने चाहिए । कर प्रस्ताव इससे भिन्न हैं ।

यूनिट ट्रस्ट या जीवन बीमा निगम में धन लगाने में भी यही होता है । मैं वित्त मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वे मेरा सुझाव मान लें, इसमें कोई परिवर्तन न करें । आपको राजस्व के रूप में जो 9.6 करोड़ रुपया मिलेगा सरकार को सार्वजनिक बचतों में कमी के कारण इससे कहीं अधिक का घाटा होगा ।

राजस्व और बचतों में तुलना करने पर पता चलता है कि कभी-कभी बचतें राजस्व से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं । इस दृष्टि से मैं वित्त मन्त्री से यथास्थिति रखने का अनुरोध करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री वेंकटारमन का भी तर्क यही हो सकता है ।

सभापति महोदय : क्या आपने अपना संशोधन संख्या 58 पेश कर दिया है ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैंने अपनी संशोधन संख्या 45, 58 और 59 सभी पेश कर दिए हैं । यह एक साधारण सिद्धांत हैं कि आर्थिक विकास बचतों के निवेश पर आधारित होना चाहिए न कि जमा राशि और निर्मित धन लगाकर विकास कार्य किया जाना चाहिए । यदि आप चाहते हैं कि बचत हो तो आपको घरेलू बचत के लिए प्रोत्साहन देना होगा । योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि घरेलू क्षेत्र ही बचत का सबसे उत्तम साधन है । उसने कहा है कि लोगों को बचत करने के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इस दिशा में हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए । कर लगाकर बचत हासिल करना लोगों पर बोझ डालना है और यह एक बोझिल तरीका हैं । स्वेच्छा से की गई बचत अर्थव्यवस्था में वास्तविक योगदान है । इसी आधार पर पिछले वित्त मन्त्री घरेलू बचतों के लिए काफी छूट देने को सहमत हुए थे और उन्होंने बचत सीमा सम्बन्धी छूट की राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी । यह व्यवस्था की गई कि पहले 5000 रुपये पर कोई कर नहीं लगेगा । अगले 5000 पर पचास प्रतिशत और शेष पर 40 प्रतिशत की छूट होगी ।

हमने पूंजीपतियों को काफी उदारता से रियायतें दी है । ये वे लोग हैं जो बिना प्रयास के शारीरिक, दिमागी या नैतिक प्रयास से धन कमाते हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या वह नैतिक नहीं है ?

श्री आर० वेंकटारमन : यह एक अनैतिक तरीका है ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : यह आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता ।

श्री आर० वेंकटारमन : श्री शेठ, मैं अर्थशास्त्री हूं । उन्होंने पिछले दस वर्षों से आयकर नहीं दिया है, यह वही बात है जैसे कि आप पूंजीगत लाभ कर देते हैं । आपने इस दौरान आयकर की चोरी की । आपको एक मुश्त धन राशि मिल जाती है और तब आप इसे पूंजीगत लाभ कह कर नहीं चुकाना चाहते ।

विश्व में कहीं भी पूंजीगत लाभों पर कर मुक्ति की व्यवस्था नहीं है । आपका समाजवादी दर्शन विलक्षण है । इसके अतिरिक्त आप कह रहे है कि व्यक्तियों, मध्यम वर्ग के लोगों की जिन्हें अपने भविष्य के लिए बचाना पड़ता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी वृद्धावस्था के लिए बचाना पड़ता है, की बचत पर कोई कर-मुक्ति नहीं है जबकि दूसरी ओर उन लोगों को कर-मुक्ति दी जाती है जो पूंजीगत लाभ कमाते हैं । यह बड़ी ही अनैतिक विचारधारा है । अत: मैं अपने संशोधन 58 और 59 को स्वीकार करने पर जोर देता हूं ताकि कम से कम यथास्थिति तो बनी रहे । अत: अब जो बचत को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, वह निष्प्रभावी हो जायेंगे और सरकार को नासिक छापाखाना तथा अन्य स्यूकोरिटी छापेखानों पर निर्भर रहना पड़ेगा । मैं नहीं जानता कि यह बात ठीक हो गई कि मुझे बताया गया है कि नोट छापने के लिए एक तीसरा प्रैस खोला जा रहा है । मैं इस सम्बन्ध में एक स्टील घटना का

विवरण देना चाहता हूं। जब हम योजना आयोग में थे तो दूसरा स्यूकोरिटी प्रैस खोले जाने का प्रस्ताव आया था तो योजना आयोग के तत्कालीन तीक्ष्ण बुद्धि उप सभापति महोदय डा० गाडगिल ने कहा था कि "पहले इसे स्वीकार करो वरना अन्य कोई योजना ही नहीं बन पायेगी।" अत: हमें अपनी योजनाओं के लिए सृजित धन पर, घाटे के वित्त-व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें बचत पर निर्भर रहना चाहिए और बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं सरकार से इन संशोधनों की स्वीकृति के लिए जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदया, मेरा जो संशोधन है वह यही है कि जो पहले स्थिति थी वही रहना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस सारे बजट का जो प्रभाव पड़ेगा, आज आप कितना बड़ा दावा करें कि सेविंग और कैपिटल फारमेशन पर जबरदस्त फ्लो होगा, और यह उसका एक हिस्सा है। नौकरशाही आपको नचा रही है छोटे-मोटे इधर-उधर अमेंडमेंट करके। इसमें कितना ज्यादा रेवेन्यू आयेगा ?

श्री विनोद भाई बी० शेठ : 9 करोड़ रु० आयेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : केवल इस आइटम में 9 करोड़ रु० नहीं आयेगा। लेकिन हर साल आप चेंज करते हैं और अधिकारी भी बताते हैं कि हम कुछ बनाकर लाए हैं। तो जो यह तरीका है, एक आदमी ने 10 साल पहले इंश्योर कराया, लाइफ का प्लानिंग किया, आप बार-बार उसको बदलते हैं कि इतना ऐग्जेम्प्ट होगा, दो साल बाद कुछ कहते हैं कि नहीं इतना नहीं होगा। इस तरह आप उसकी सारी प्लानिंग वे डिस्टर्ब करते हैं। और पैसा कहां जाता है ? सेविंग करके आदमी आपको पैसा देता है, कैपिटल फोरमेशन होता है, एल० आई० सी० के पास पैसा जाता है और वह कहां खर्च करते हैं ? हाउसिंग में, वाटर में, डवलपमेंट में। तो एल० आई० सी० का अधिकांश पैसा सरकारी काम में खर्च होता है। मैं तो चाहूंगा उसको और ज्यादा परपजफुल बनाएं, और एक साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए कि एल० आई० सी० के पास जो करोड़ों रु० पड़ा हुआ है वह किस तरह से लगे। तो उसके बाद जितना आपने कंसेशन वापस लिया है इससे और ज्यादा कंसेशन देना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करके अपनी लाइफ की, अपने बच्चों की सेक्योरिटी भी कर पायें और सरकार की सेविंग भी हो जाय।

सारे बजट का ट्रेंड मैं देख रहा हूं। आपने एस्टीमेट लगाए है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि साल के आखिर में आप देखेंगे कि जितना रेवेन्यू आपने ऐस्टीमेट किया है उससे बहुत कम आयेगा और जितना डेफिनिट आपने किया है उससे बहुत ज्यादा डेफिनिट आयेगा। प्राइस बढ़ेंगी, इसलिए भगवान के लिए यह सब चीजें ठीक करिये आप, नहीं तो हालत यह है कि आप भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और पत्थर ही बंधा हुआ है, तो हमारे भी बांध दीजिए, डूबेंगे जरूर यह हमें भी लगता है, लेकिन बचा सकते हैं तो बचा लीजिए।

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : महोदया, मैं यह नहीं जानता कि ऐसा जानबूझकर किया गया है अथवा नहीं। कई कराधान उपायों को मिला देने से मध्यम वर्ग की जनता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आयकर पर अधिभार, अनिवार्य जमा योजना तथा वह लोग जो बचत करना चाहते हैं और उन्हें यह कह कर दण्डित कर रहे हैं कि आप उन्हें उनकी बचत पर कोई रियायत नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त मूल्यों में वृद्धि हो रही है, चाहे मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करें अथवा

न करें। यह मूल्यवृद्धि न केवल उन वस्तुओं पर हो रही है जिन पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है बल्कि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस देश में पुरानी विचारधारा के अनुसार क्यों चला जा रहा है कि राज्य बचत को कराधान से जुटाने का प्रयास करता है। लोगों को बचत करने के लिए और व्यय कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य खपत को कम करना और बचत को बढ़ाना है। किसी प्रकार की भी बचत क्यों न हो, उससे राष्ट्र के धन में वृद्धि होती है। आपने इस देश की जनता को वचन दिया था कि यदि तुम बचत करोगे तो आपको उस पर रियायतें दी जायेंगी। अब जनता अपनी बचत योजनाएं बनाती है और जब आप जीवन बीमा जैसी योजना किसी दीर्घ-कालीन की बात करते हैं, क्योंकि आप अगले साल अपना विचार बदल लेते हैं, तो क्या उन पालिसियों को पैड-अप पोलसी में बदला जा सकेगा ? इससे यही पता चलता है कि आप जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जब हम इन कराधान उपायों के बारे में सोचते हैं तो लगता है आपको समस्याएं सुलझाने में नहीं बल्कि अधिक समस्याएं उत्पन्न करने में मजा आता है, हालांकि आपको इससे कुछ लाभ नहीं होता है। दूसरी ओर जब मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है तो उसके कारण कष्ट कौन उठाता है ? मध्यम वर्ग की जनता पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक मंहगाई भत्ते की किस्त लोगों को याद दिलाती है कि उनकी जीवन बीमा अथवा भविष्यनिधि की दीर्घ-कालीन बचत का मूल्यह्रास हो रहा है और जब वह सेवा-निवृत होंगे तो जो उन्हें मिलेगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। क्या सरकार कुप्रबन्ध के लिए भी मुआवजा देती है ? यदि नीतियों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है तो क्या बचत-कर्त्ता को उससे लाभ होगा ? यही एक ऐसा देश है जहां बचत-कर्त्ता को दन्डित किया जाता है। युद्धकाल में भी ब्रिटेन ने कई प्रचार-पटों पर यह लिखा था कि देश की रक्षा के लिए बचत करो। हम बचत के मामले में गम्भीर नहीं हैं। हम राष्ट्र-निर्माण के लिए भी बचत नहीं करना चाहते। मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और यथास्थिति बनाए रखें। वास्तव में हमें सभी वर्गों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कराधान से मुद्रास्फीति होगी, बचत उसे रोकने में एक शक्तिशाली साधन सिद्ध होगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं माननीय सदस्यों की इस सम्बन्ध में चिन्ता को समझता हूं और जो उन्होंने सुझाव दिया है उस पर इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष विचार करूंगा। वर्तमान कानून के उपबन्धों अर्थात धारा 80 (ग) के अन्तर्गत जीवन-बीमा, सामान्य भविष्यनिधि तथा अन्य अंशदानों पर कटौतियों की अनुमति है, पहले 5000 रुपये पर शत प्रतिशत, अगले 5000 रुपये पर 50 प्रतिशत और शेष पर 40 प्रतिशत। अब वर्तमान विधेयक के खण्ड 10 के अन्तर्गत हम पहले 5000 रुपये पर शत प्रतिशत तथा अगले 5000 रुपये पर 35 प्रतिशत तथा शेष पर 20 प्रतिशत छूट दे रहे हैं। इसमें संशोधन दिये गए हैं और वर्तमान उपबन्धों को बनाये रखने की जोरदार अपील की गई है। उनके तर्कों में कुछ सच्चाई हो सकती है किन्तु मैं यह सुझाव नहीं मान सकता।

अब पहले 5000 रुपए वार्षिक प्रीमियम के सम्बन्ध में पोलसी ढाई लाख रुपए तक की हो सकती है किन्तु सामान्य तौर पर अवधि 25 से 30 अथवा 35 वर्ष होती है। यदि आप इस अवधि

को 25 वर्ष ही मान लें तो ऐसी पालसी के लिए प्रिमियम 1000 अथवा 1500 रुपए बनता है। उसके पश्चात दूसरी तथा तीसरी बीमा पालसी भी हो सकती है। अतः 5000 रुपए के प्रिमियम पर एक लाख से अधिक रुपए की पालसी मिल सकती है। किन्तु एक लाख की पालसी के लिए अच्छे मध्यम वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य तौर पर एक मध्यम वर्ग परिवार एक लाख रुपए की बीमा पालसी नहीं ले सकता।

इसके अतिरिक्त 5000 रुपए प्रिमियम पर शत प्रतिशत छूट की अनुमति है। जहां तक मध्यम वर्ग के परिवार हैं उन्हें 5000 रुपए तक शत प्रतिशत छूट मिलेगी। जिन लोगों की पालसियां 3 अथवा 4 लाख रुपए की हैं वह इस भार को वहन कर सकते हैं। पहले यह 50 प्रतिशत था अब इसे कम करके 35 प्रतिशत कर दिया गया है। जिनकी पालसियां 8 अथवा 10 लाख रुपए की होगीं, वह इसे वहन कर सकते है।

श्री टी० ए० पई : आप इसे लागू क्यों कर रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : संख्या यह नहीं है। अतः "मध्यम वर्ग" की बात नहीं की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त श्री टी. ए. पई ने कहा कि दीर्घकालीन बचत के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। हमें अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये एक वर्ष के लिए वैध होंगी जिसकी समाप्ति पर ही हमें इसके प्रभाव का पता चलेगा। परन्तु मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मध्यम वर्ग के किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा। श्री विनोद भाई शेठ 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना चाहते हैं और श्री वेंकटारमन 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की बात करते हैं। मुझे खेद है कि मैं इस समय उनके संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकूंगा।

श्री टी. ए. पई (उदीपी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सरकार हमेशा ही यही कहती है कि "हम सहमत नहीं होंगे" या "हम ऐसा नहीं करेंगे" यह सर्वथा अनुचित या असन्तोषजनक बात है।

सभापति महोदय : आपको यह अच्छी तरह जानना चाहिए था।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने कुछ दलीलों की वैधता को स्वीकार कर लिया है। परन्तु मैं ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री टी. ए. पई : आप यह कह रहे थे कि 5000/- रु० की प्रीमियम के लिए एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आप हिसाब लगायें तो कोई व्यक्ति जो वर्षों तक प्रीमियम देता रहेगा, वह उसे प्राप्त होने वाली रकम से अधिक धन दे चुका होगा। और यदि आप मुद्रास्फीति पर विचार करें तो शायद मृत्यु होने तक वह जो कुछ देगा उससे उसे बहुत कम मिलेगा। अतः यह कहना कि बीमा के रूप में उसे 1 लाख रुपया मिलेगा, सही नहीं है। यदि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है तो उसे या उसके आश्रितों को 1 लाख रुपया मिलेगा। इसलिए एक निवेश के रूप में बीमा को आकर्षित बनाने के लिए.....

सभापति महोदय : स्पष्टीकरण के नाम पर आप अपनी दलील जारी रख रहे हैं।

श्री टी. ए. पई : मन्त्री महोदय सभा को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रीमियम के रूप में 5,000/- रुपए देता है तो उसे बीमा से 1 लाख रुपये मिलेंगे।

सभापति महोदय : यह चर्चा कभी समाप्त नहीं होगी। अब श्री शेठ, क्या आप अपने संशोधनों पर जोर दे रहे हैं ?

श्री विनोद भाई बी. शेठ (जामनगर) : मैं अपने संशोधनों को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री आर. वेंकटारमन : मुझे इस पर आपत्ति है। मैंने अध्यक्ष के साथ यह मामला पहले ही उठाया था।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 9 सभा के समक्ष रखता हूं।

(संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ)

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 10, क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

(संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।)

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास-दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 45 वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

(संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।)

सभापति महोदय : मैं श्री आर० वेंकटारमन के संशोधन संख्या 58 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ :

सभापति महोदय : अब, मैं श्री आर. वेंकटारमन के संशोधन संख्या 59 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री कंवरलाल गुप्त, क्या आप अपने संशोधन संख्या 169 पर मतदान के लिए आग्रह करते हैं ?

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं अपने संशोधन को वापिस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय ; आपकी अपनी पसन्द है। मैं आपको अपनी पसन्द की बात करने की अनुमति दे रहा हूं। यह सभा आपको इसकी अनुमति दे।

क्या उन्हें अपने संशोधन को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11

श्री विनोद भाई बी. शेठ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

11. पृष्ठ 12, पंक्ति 17 और 18,—

"उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम चलाना" **के स्थान पर** "एक उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम चलाना भी" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

12. पृष्ठ 12, पक्ति 21 से 23,—

"उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना" **के स्थान पर** "एक उद्देश्य ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना भी" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 170 को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री शेठ, क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री विनोद भाई बी. शेठ : मैं अपने संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या उन्हें अपने संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 बिधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12

श्री आर. वेंकटारमन (मद्रास-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

133. पृष्ठ 13, पंक्ति 7,—

"जो" के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**—

"धारा 32 (क) की उपधारा (2) में स्पष्टीकरण के खण्ड (2) में परिभाषित रूप में लघु औद्योगिक उपक्रम नहीं है और जो।"

सभापति महोदया, पिछली सरकार ने इस देश में उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएं दी थीं। उसने नए उद्योगों को निवेश भत्ता और कर से छूट दी थी। उसने यह तरीका इसलिए

सोचा था कि ये रियायतें देने से औद्योगिक विकास तेजी से होगा, इससे अर्थ-व्यवस्था का विकास होगा और अनेक संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री पटेल ने 1977 में सोचा था कि निवेश भत्ता गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों को न दिया जाए और इसलिए उन्होंने 11वीं अनुसूची शुरू की जिसमें उन्होंने ऐसे अनेक उद्योगों का उल्लेख किया जो निवेश भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे। परन्तु इसके साथ ही साथ पटेल ने, जिन्हें इस विषय की पर्याप्त जानकारी थी, इस बात को सुनिश्चित करने की सावधानी बरती कि लघु पैमाने के उद्योगों को निवेश भत्ता आयकर अधिनियम की धारा 32(क) के अन्तर्गत दिया जाए। श्री पटेल ने यह व्यवस्था की कि निवेश भत्ता व्यापार, या अनुसूची में उल्लिखित किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के प्रयोजन से लघु पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों के मामले में ही उपलब्ध होगा अर्थात् यदि·····

सभापति महोदय : मैं उन माननीय सदस्यों से, जिनकी चर्चा में रुचि नहीं है, अनुरोध करता हूं कि वे व्यक्तिगत चर्चा धीमे स्वर में करें।

श्री आर. वेंकटारमन : मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि उन्हें मत विभाजन के लिए नहीं बुलाया जाएगा और वे जा सकते हैं।

अब, भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री पटेल ने व्यवस्था की थी कि छोटे पैमाने के उद्योग·····

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को उस समय स्वयं धीमी आवाज में बोलना चाहिए जबकि कोई भाषण दे रहा हो।

श्री आर. वेंकटारमन : भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने यह व्यवस्था की थी कि यदि छोटे पैमाने के उद्योग अनुसूची 11 में उल्लिखित वस्तुओं, अर्थात् जो वस्तुएं आवश्यक नहीं समझी गयीं, के उत्पादन में लगे हैं, उन्हें भी निवेश भत्ता मिलेगा, क्योंकि वह छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण देना चाहते थे।

मैं नहीं जानता कि यह भूल से हुआ है अथवा किसी अन्य बुराई के कारण हुआ है, जब कर छूट में संशोधन होता है तब वह कहते हैं कि 11वीं अनुसूची में आने वाले उद्योगों को करों में छूट नहीं मिलेगी—परन्तु बड़े उद्योग ही नहीं अपितु अनुसूची में आने वाले छोटे उद्योग भी छूट से वंचित कर दिये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप छोटे उद्योगों को पूंजी नियोजन के लिए छूट देते हैं, तब उन्हें करों से छूट न दिये जाने का क्या कारण हैं? जनता सरकार का लघु उद्योगों का पक्षपाती होने का दावा करों में उन्हें छूट न दिये जाने के कारण सार्थक सिद्ध नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई भूल हुई है। सरकार को छोटे उद्योगों को करों में छूट देनी चाहिए। इसीलिए मैंने संशोधन संख्या 133 रखा है। मैंने सुझाव दिया है कि पृष्ठ 12, पंक्ति 37-38 में व्याख्या के खण्ड 2 तथा धारा 32 (क) की उपधारा 2 के अनुसार लघु उद्योगों को करों में छूट दी जाये। इस बारे में अधिक तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। इनलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री वेंकटारमन ने दो संशोधन रखे हैं। संशोधन संख्या 133 में उन्होंने लघु उद्योगों का पक्ष लिया है। सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए वचनबद्ध है। परन्तु हम चाहते हैं कि लघु उद्योग अग्रता वाले क्षेत्र पर अधिक बल दें ताकि उन्हें करों में छूट

दी जा सके। केवल उन्ही उद्योगों को जो अग्रता वाले क्षेत्रों पर बल नहीं दे रहे हैं। कर छूटों से वंचित किया गया है। मन्त्री महोदय ने उद्योगों का उल्लेख 11वीं सूची में किया है। इन उद्योगों में पूंजी लगाने के मामलों पर सरकार करों में छूट नहीं देना चाहती। 11वीं सूची में किन उद्योगों का उल्लेख किया गया है। बियर, शराब और अन्य।

श्री आर० वेंकटारमन : सभा को गुमराह न करें। मैं सूची को पढ़कर सुनाता हूं। इसमें रेडियो, टेप-रिकार्डर, बिजल के पंखे तथा बिजली का घरेलू समान आदि सम्मिलित हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : आप उत्तेजित क्यों होते हैं। यह सूची में पहली मद है, बियर, शराब तथा अन्य नशीली वस्तुएं है। अन्य मदें हैं तम्बाकू तथा तम्बाकू की बनी वस्तुएं। तीसरी है सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि। सरकार अनुभव करती है कि इनके बारे में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं जिन्होंने लघु उद्योगों को छूट का मामला उठाया है।

श्री आर० वेंकटारमन : यदि यही तर्क हैं तो आप लघु उद्योगों को पूंजी लगाने पर छूट क्यों देते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह अग्रता वाले उद्योगों के लिये होता है।

श्री आर० वेंकटारमन : इसमें कोई परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि वे अग्रता वाले क्षेत्र नहीं हैं। यह अग्रता के कारण नहीं बल्कि रोजगार के अवसरों के कारण दी जाती है। तब आप लघु उद्योगों को धारा 32 (क) के अन्तर्गत पूंजी लगाने पर छूछ क्यों देते हैं ? कृपया धारा को पढ़ें।

श्री सतीश अग्रवाल : इस समय हम खण्ड 12 को ले रहे हैं। यह स्थिति इस खण्ड के बारे में है। यदि लघु उद्योग अग्रता वाले क्षेत्रों में लगते हैं तो वे करों में छूट के हकदार हैं।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर आग्रह कर रहे हैं।

श्री वेंकटारमन : जी हां।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं।

171. पृष्ठ 13, पंक्ति 12—

"10,000 रु०" के स्थान पर "10 रु०" प्रतिस्थापत किया जाये।

172. पृष्ठ 13—

"पंक्ति 14 से 16 का लोप किया जाये।"

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

203. पंक्ति 10 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"ऐसे मुनाकों तथा लाभों में से उन मुनाफों तथा लाभों की राशि का एक तिहाई अथवा दस हजार रुपये, जो भी कम हो ।"

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ा कंसेशन मंत्री जी ने शहर वालों को दिया है, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि सारे बजट में शहर के मशरूम खाने के लिये दिया है, और कहा है कि शहर में जो मशरूम उगायेगा 10,000 रु० तक उसकी छूट होगी । मुझे मालूम नहीं यह किसके दिमाग की उपज है । यह सारा ब्लैक का पैसा व्हाइट में करने की एक साजिश है । जयपुर को तो मैं जानता हूं जहां मन्त्री जी रहते हैं, और दिल्ली को भी जानता हूं । वहां मशरूम 10,000 के पैदा होते हैं ? मैंने दिल्ली में नहीं देखा जहां इतने हजार के मशरूप पैदा होते हों । क्या शहर वालों के लिये यही चीज आपको रखनी थी ? इसलिये इस कंसेशन को आप वापस ले लीजिये । पहले ओरिजनल प्रोपोजल था कि 16,000 रु० या एक तिहाई जो ज्यादा हो । अब आपने कहा है कि एक तिहाई या 10,000 रु० में जो कम हो । तो इस कंसेशन को आप वापस लें । 10 रु० मैंने इसलिये किया है कि अगर सारा हटाते हैं तो नेरा संशोधन गलत हो जाता है, वह हो नहीं सकता था रूल्स के मुताबिक । इसलिये 10 रु० रखा है । हम घर में उगा लेंगे और कंसेशन आप से ले लेंगे । जिसका कोई कंशेसन नहीं चाहते उसको आप दे रहे हैं, और जहां कंसेशन देना चाहिये उसको आप सारा वापस ले रहे हैं । अगर इस पर व्हिप न हो तो एक भी मेम्बर आपके साथ नहीं है, और आप खुद भी नहीं हैं । इसलिये मेहरबानी करके इसको आप वापस ले लें ।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो धारा 13 के अन्तर्गत अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए बजट पर अपना आम असंतोष उन्होंने व्यक्त किया है । उस सम्बन्ध में मैं यहां कुछ भी विवेचन नहीं करना चाहता । उनकी नाराजगी को मैं समझता हूं और उसको ध्यान में रखते हुए हम आवश्यक राहत देने की चेष्टा करेंगे, लेकिन इस समय जो प्रश्न हमारे सामने है कि मशरूम के बारे में जो रियायत दी गई थी, वह यह थी कि एक-तियाई या 10 हजार रुपये जो भी ज्यादा हो, लेकिन इरादा यह था कि ज्यादा हो का मतलब बहुत अधिक, इसलिये उस समय इंटेशन यह नहीं था । इसलिये उसको क्लीयर करने के लिये अमैंडमैंट प्रस्तुत किया है और उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विच एवर इज हायर की बजाय विच एवर इज लोअर यानी उसकी लिमिट कर दी एक-तिहाई और 10 हजार विच एवर इज लोअर । आपने तो सरकास्टीकली नाराजगी में वह सारी चीजें कही हैं, इसलिये उसके जवाब की आवश्यकता नहीं है ।

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो हमने "एक-तिहाई या 10 हजार, जो भी ज्यादा हो" उसके स्थान पर "एक-तिहाई या 10 हजार, उनमें जो भी कम हो" रखा है और उसके हिसाब से उनको रियायत मिलेगी । यह मेरा प्रस्ताव है । आपकी नाराजगी तो आम हैं, हम आपको मना लेंगे, आप हमारे अपने आदमी हैं ।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं अथवा इसे वापस लेते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मना किया इन्होंने, लेकिन मशरूम यहां होता नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : मशरूम बहुत एक्सपोर्ट होता है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है।

सभापति महोदय : श्री गुप्त क्या आप अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं अथवा उसे वापस लेते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गये

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 13, पंक्ति 10 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"ऐसे मुनाफों तथा लाभों में से उन मुनाफों तथा लाभों की राशि का एक-तिहाई अथवा दस हजार रुपए, जो भी कम हो" (संख्या 203)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 13, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13, संशोधन रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 और 15

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 14 और 15 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड 16

श्री विनोद भाई बी. शेठ (जामनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

13. पृष्ठ 14, पंक्ति 32 :

"20,000 रुपये के स्थान पर '40,000 रु०' प्रतिस्थापित किया जाये।"

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

173. पृष्ठ 14, पंक्ति 32 :

"20,000 रुपये के स्थान पर '32,000' रु० प्रतिस्थापित किया जाये।"

श्री विनोद भाई बी. शेठ : मुझे पता नहीं है कि पंजीकृत फर्मों पर क्यों उन्होंने सीमा घटा दी हैं। रुपए का मूल्य अब बहुत घट गया है। अब तो छूट सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। पहले मैंने सोचा था कि कोई टाइप की भूल हैं। परन्तु जाँच के पश्चात् मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है।

सीमा 50,000 रुपए रखी जानी चाहिए। पंजीकृत फर्मों पर यदि 10,000 रुपए की आय पर आयकर लगाया जाता है तो यह उन पर लिपिकीय कार्य भार ही डालना है। यदि पंजीकृत फर्म की आय 12,000 रुपए है तो भी उन पर कर-योग्य भार है यदि साझीदारों की कोई और आय नहीं है। कृपया रुपए के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत फर्मों पर कर की छूट सीमा को बढ़ाये।

श्री कंवर लाल गुप्त : जो मिस्टर शेठ ने कहा है मैं भी उसका समर्थन करता हूं। मन्त्री महोदय को मालूम है कि अगर किसी को और आय न हो तो दस हजार रुपए तक एक व्यक्ति की आय पर छूट है। यही नियम इस समय इन्कम टैक्स एक्ट में है और पार्टनरशिप में 20 हजार के ऊपर टैक्स लगता है। तो अब मैं यह कह रहा हूं कि पहले यह 30 हजार था अब आपने उसको 20 कर दिया। अगर दो पार्टनर होंगे, दोनों की आय दस हजार की हो तो कोई इन्कम टैक्स नहीं लगेगा, उन पर टैक्स वैसे तो नहीं लगेगा, केवल फर्म पर यह लग रहा है। तो यह एक बड़ी विडम्बना होगी। इसलिए मैंने इसमें 30 हजार की जगह 32 हजार कर दिया क्योंकि मैं बिल्कुल उल्टा तो कानून के मुताबिक कर नहीं सकता था। मेरा इरादा यही था कि जो पहले था वही रहने दिया जाय। इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बार-बार यह दोहरा रहा हूं कि इन्कम टैक्स एक्ट में दस हजार या दो, चार, पांच हजार कम ज्यादा करके इसको इतना ज्यादा बल्कि मत बनाइए कि जो न टैक्स देने वाले की समझ में आए, न वकील उसको समझ सके और न कोई और समझ सके। कानून वही अच्छा होता है जो पब्लिक भी समझ सके और जिस पर अमल भी हो सके। हर साल आप बदलेंगे छोटी-छोटी बातों के लिए तो इसका क्या फायदा होगा ? आप अपने आफिशियल्स से पूछिए कि इससे कितना रेवेन्यू आएगा ? वे छोटी-छोटी बातें हर साल बदलते हैं और इतना मोटा इसको बना देते हैं, मन्त्री महोदय समझते हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। मैं समझता हूं कि सिम्पलिफिकेशन की कोशिश हर साल होती है लेकिन सिम्पलिफिकेशन के पीछे यह और काम्पलीकेटेड हो जाता है। इसलिए कृपा करके जो था वही रखिए।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदया, खण्ड 16 में व्यवस्था है कि जिन पंजीकृत फर्मों की आय 20,000 रुपये अथवा अधिक है उन्हें ही अग्रिम कर देना पड़ता है। पहले यह सीमा 30,000 रुपए थी। माननीय सदस्य उसे पुनः लागू करना चाहते हैं। पंजीकृत फर्मों के बारे में भी छूट की सीमा 10,000 रुपए है। प्रश्न केवल यही है कि क्या उन्हें कर अग्रिम देना चाहिए ? प्रत्येक व्यक्ति को कर अग्रिम देना होता हैं। इसमें अतिरिक्त राजस्व का प्रश्न नहीं है। निःसंदेह सरकार अग्रिम कर लेगी अतएव मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

श्री विनोद भाई बी. शेठ : मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं सभा से अपना संशोधन संख्या 173 वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है, 'कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 17 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 20

श्री विनोद भाई बी. शेठ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

14. पृष्ठ 16,—

पंक्ति 34 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"(1 ख) समझौता आयोग सम्पदा शुल्क सम्बन्धी निवादों **से** उद्भूत मामलों को निपटाने के लिए भी सशक्त होगा।"

यह एक साधारण सा संशोधन है। आयकर तथा धन कर के लिए एक निपटान आयोग है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि सम्पदा शुल्क के लिए निपटान आयोग क्यों नहीं है। सम्पदा शुल्क के बारे में भी काफी मुकदमेबाजी होती है। इस प्रकार के मामलों का निपटारा भी राजस्व तथा सम्पदा शुल्क देने वाले के दिलों को दृष्टिगत रखते हुए निपटान आयोग द्वारा ही किया जाना चाहिए। अभी कुछ समय पूर्व माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि वह मुकदमेबाजी की अपेक्षा समझौते में अधिक विश्वास रखते हैं। अतः मुकदमेबाजी को कम करने के लिए मैं यह चाहता हूं कि निपटान की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वे समझौते के अवसर अधिक हो सकें।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदया, जो माननीय सदस्य संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह न केवल मेरे अच्छे मित्र ही हैं, अपितु वह गुजरात राज्य के भूतपूर्व वित्त मन्त्री व एक अच्छे वकील भी हैं। उन्हें सारी स्थिति की अच्छी जानकारी है। हमारे पास आयकर अधिनियम है। इसी प्रकार हमारे पर सम्पदा शुल्क अधिनियम तथा उपहार कर अधिनियम है। जहां तक धन कर का प्रश्न है, उसके बारे में यदि कोई झगड़ा खड़ा होता है तो उसका निपटारा धन कर निपटान आयुक्त द्वारा ही किया जाएगा। यदि आप यह चाहते हैं कि सम्पदा शुल्क सम्बन्धी मामलों का निपटारा भी किसी निपटान आयुक्त द्वारा किया जाये तो फिर उसके लिए सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान करना पड़ेगा न कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत। फिर भी उनके सुझाव पर विचार किया जायेगा तथा हम उसका अध्ययन करेंगे। मुझे खेद है कि मैं इस समय उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह यहां ठीक नहीं बैठता।

सभापति महोदय : श्री शेठ क्या आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री विनोद भाई बी. शेठ : जी हां, मैं अपना संशोधन संख्या 14, सभा की अनुमति से वापिस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपना संशोधन संख्या 14 वापिस लेने की अनुमति है ?

कुछ सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अनुमति दी जाती है।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 20 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-21

श्री सतीश अग्रवाल : मैं खण्ड 21 से सम्बद्ध संशोधन संशोधन संख्या 204 प्रस्तुत करता हूं :

204. पृष्ठ 17, पंक्ति 38 के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित करें** :

"(ग) स्पष्टीकरण के खंड (ख) का लोप किया जाएगा।"

सभापित महोदय : क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : जी हां।

खंड 21 के बारे में मेरे संशोधन संख्या 204 का प्रभाव इस प्रकार होगा :

वित्त विधेयक खंड 21 के अनुसार आयुक्तों तथा अपीलीय आदि के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। उपखंड (क) के अनुसार विशिष्ठ आदेशों के विरुद्ध कम्पनियों द्वारा सभी प्रकार अपीलें अब के बाद आयुक्तों तथा अपीलीय के क्षेत्राधिकार में आ जायेगी।

स्वदेशी कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों के मामलों के संबंधित अपीलों के बारे में भेदभाव को समाप्त करने की दृष्टि से प्रस्तुत संशोधन प्रस्तुत किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि धारा 246 की व्याख्या संबंधी खंड (ख) का लोप कर दिया जाये जिनमें कि "स्वदेशी कम्पनियों" तथा "विदेशी कम्पनियों" की व्याख्या की हुई है। अतः प्रस्तुत संशोधन केवल मसौदे की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : अब मैं सरकार का संशोधन संख्या 204 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 18, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें—

'(ग) स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं खंड 23 के बारे में अपना संशोधन संख्या 205 प्रस्तुत करता हूं।

205. पृष्ठ 18, पंक्ति 34 से 37 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें :**

(क) उपधारा (1-क) में, "कुटुम्ब की सम्पत्ति के रूप में सपरिवर्तित की गई है (ऐसी सम्पत्ति को इसमें इसके पश्चात सपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "कुटम्ब की सम्पत्ति के रूप में सपरिवर्तित की गई है या उस व्यष्टि द्वारा कुटुम्ब को, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: पर्याप्त प्रतिफल के बिना अन्तरित की गई है (इस प्रकार सपरिवर्तित या अन्तरित सम्पत्ति को इसमें इसके पश्चात् सपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।'

वित्त विधेयक के खंड 23 में किसी व्यक्ति द्वारा, जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य हो अपनी सम्पत्ति में से अलग से उपहार देने पर उसके मूल्य को, उस व्यक्ति की शुद्ध धन में गिना जाने का प्रावधान है।

ऐसा पता चला है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अलग सम्पत्ति में से परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से उपहार देता है या फिर अपनी अलग की सम्पत्ति को परिवार के नाम उसके बाजारी मूल्य से कम मूल्य में हस्तान्तरित करता हैं, तो इस प्रकार के मामले इस खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। अत: प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से इसी त्रुटि को समाप्त किया गया है। यह संशोधन भी वैसा ही है जैसा कि वित्त विधेयक से सम्बद्ध खंड-9, जो कि आयकर से सम्बद्ध था।

सभापति महोदय : ठीक है। अब मैं सरकारी संशोधन 205, जो कि खंड 23 से संबंधित है सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 18, पंक्ति 31 से 33 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखें :**

'(क) उपधारा (1-क) में, "कुटुम्ब की सम्पत्ति के रूप में सपरिवर्तित की गई है (ऐसी सम्पत्ति को इसमें इसके पश्चात् सपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "कुटुम्ब की सम्पत्ति के रूप में सपरिवर्तित की गई है या उस व्यष्टि द्वारा कुटुम्ब को, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: पर्याप्त प्रतिफल के बिना अन्तरित की गई है (इस प्रकार सपरिवर्तित या अन्तरित सम्पत्ति को इसमें इसके पश्चात् सपरिवर्तित सम्पत्ति कहा गया है)' शब्द और कोष्ठक रखे जायेंगे।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 24 से 28 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 29

सभापति महोदय : दो सरकारी संशोधन संख्या 51 तथा 52 हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं सरकारी संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं ।

में प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 22, पंक्ति 6 "29" के पश्चात "(1)" प्रतिस्थापित किया जाये ।"

सभापति महोदय : अब आप अपना अगला संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत कीजिये ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं सरकारी संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

52. पृष्ठ 22—

पंक्ति 8 के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये—

'(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, की प्रथम अनुसूची का इस प्रकार प्रभाव होगा और उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसका इस प्रकार प्रभाव है मानो—

(क) निम्नलिखित मदें (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् "उक्त मद" कहा गया है) 1 मार्च, 1979 को और से उनके संख्यांकों द्वारा उपदर्शित स्थान में अन्त:स्थापित की गई हों, अर्थात :

मद संख्या	माल का वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
'47. ताले, सभी प्रकार के और उनकी चाबियां	मूल्य का बीस प्रतिशत	

स्पष्टीकरण : "ताला" से अभिप्रेत है ताला लगाने की ऐसी युक्ति जो चाबी से संचालित होती है या अक्षरों या अंकों के किसी संयोजन से नियंत्रित होती है ।

59. टूथ ब्रश	मूल्य का पच्चीस प्रतिशत;	

(ख) उक्त मदों का नियत दिन को लोप कर दिया गया है और खण्ड (क) द्वारा उक्त मदों के लोप के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी

अधिनियमिति के केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसन के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) में किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिनियम के साथ पठित वित्त विधेयक, 1979 की तीसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (5) या खंड (6) के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन नियत दिन के पहले की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्यवाही सभी प्रयोजनों के लिए उपधारा (2) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन की गई समझी जायेगी :

स्पष्टीकरण : उपधारा (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए "नियत दिन" से इस धारा के प्रवृत होने का दिन अभिप्रेत है :"

जहां तक खंड 29 से संबद्ध संशोधन संख्या 51 तथा 52 का संबंध हो इनके बारे में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। वह केवल मात्र अनुसंगित संशोधन है और मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि उन्हें स्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 51 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 22, पंक्ति 6 "29" के पश्चात '(1)' प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय। अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 52 सभा के मतदान के लिए रखता हूं : प्रश्न यह है :

52. कि पृष्ठ 22—

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये—

'(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, की प्रथम अनुसूची का इस प्रकार प्रभाव होगा और उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसका इस प्रकार प्रभाव है मानो—

(क) निम्नलिखित मदें (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् "उक्त मद" कहा गया है) 1 मार्च, 1979 को और से उनके संख्यांकों द्वारा उपदर्शित स्थान में अन्त: स्थापित की गई हों, अर्थात् :—

मद संख्या	माल का वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
47.	ताले, सभी प्रकार के और उनकी चाबियां	मूल्य का बीस प्रतिशत

स्पष्टीकरण—"ताला" से अभिप्रेत है ताला लगाने की ऐसी युक्ति जो चाबी से संचालित होती है या अक्षरों या अंकों के किसी संयोजन से नियंत्रित होती है।

59. टूथ ब्रश : मूल्य का पच्चीस प्रतिशत,

(ख) उक्त मदों का नियत दिन को लोप कर दिया गया है और खण्ड (ख) द्वारा उक्त मदों के लोप के संबंध में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अधिनियमिति के केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसन के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) में किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिनियम के साथ पठित वित्त विधेयक 1979 की तीसरी अनुसूची के भाग 2 के खण्ड (5) या खण्ड (6) के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन नियत दिन के पहले की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्यवाही सभी प्रयोजनों के लिए उपधारा (2) द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन की गई समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण : उपधारा (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए "नियत दिन" से इस धारा के प्रवृत्त होने का दिन अभिप्रेत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सरकारी संशोधन संख्या 51 और 52 दोनों ही स्वीकृत हो गये हैं अब मैं खंड संख्या 29, संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 34 को विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 25

सभापति महोदय : अब सरकारी संशोधन संख्या 53 आता है।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

53. 'कि पृष्ठ 25, पंक्ति 13,—

"अधिकारियों द्वारा" **के पश्चात** "या ऐसे वाहकों द्वारा" **अन्तःस्थापित किया जाये**।

यह संशोधन भी केवल अनुसंगिक संशोधन भी हैं। इससे पहले केवल अंन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1271 शब्द थे। अब "या किसी वाहन को" शब्दों को जोड़ा जा रहा है। यह भी केवल एक औपचारिक सा संशोधन है।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 25, पंक्ति 13

"अधिकारियों द्वारा के पश्चात या ऐसे वाहकों द्वारा अन्तःस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 36 से 39 के संबंध में कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है :

कि "खंड 36 से 39 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 36 से 39 के विधेयक में जोड़ दिये गये ।"

खण्ड 40

सभापति महोदय : अब खंड 40 आता है ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

54 'कि पृष्ठ 26, पंक्ति 20—

विमानपत्तन प्राधिकरण को के पश्चात 'या किसी वाहक को' अन्तःस्थापित किया जाये ।'

यह भी एक प्रकार से वैसा ही अनुसंगिक संशोधन है जैसा कि हम पहले पारित कर चुके हैं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि पृष्ठ संख्या 26, पंक्ति 20,

'विमानपत्तन प्राधिकरण को के पश्चात 'या किसी वाहक को' अन्तःस्थापित किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 40, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

'खंड 40, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।'

सभापति महोदय : खंड 41 तथा 42 के बारे में कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

'कि खंड 41 और 42 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 41 तथा 42 विधेयक में जोड दिये गये ।

खण्ड 43

सभापति महोदय : अब खंड 43 लिया जाता है ।

(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए)

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं प्रस्ताव करती हूं :

46. कि पृष्ठ 28,—

पंक्ति 3 और 4 का लोप किया जाये ।

मेरा संशोधन बहुत साधारण है । अन्तर्देशीय पत्र के मूल्य में वृद्धि की गई है । मैं उस वृद्धि का विरोध करती हूं । साधारण लोग आपस में पत्र व्यवहार करते समय प्रायः पोस्टकार्डों तथा अन्तर्देशीय पत्रों का उपयोग करते हैं । अतः इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस विधेयक के माध्यम से सीधे उन पर कर लगाया जा रहा है । दूसरे अब अन्तर्देशीय उपलब्ध भी नहीं हैं । आप आज तक भी अनउपलब्ध वस्तुओं पर भी कर लगा रहे हैं । हर कहीं यही शिकायत मिलती है कि चीजें नहीं मिल रही हैं । आज से चार मास पूर्व मैंने मन्त्री महोदय श्री ब्रजलाल वर्मा को लिखा था—पहले वे वहां अन्तिम पंक्ति में स्थान ग्रहण किये हुए थे । अब वे वहां नहीं हैं । कुछ भी हो, आज से चार मास पूर्व मैंने उन्हें लिखा था कि कोयम्बटूर के अधिकांश डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्र उपलब्ध नहीं हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ।

एक माननीय सदस्य : वे तो कलकत्ता में भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : कलकत्ता का तो मुझे पता नहीं क्योंकि तब मैं वहां नहीं थी । मैं अपनी बात और सही करती हूं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं । कलकत्ता के बारे में तो मैंने नहीं लिखा । मैंने तो कोयम्बटूर जिले के बारे में लिखा था और उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि मामले की जांच कराई जा रही है । उस समय जो शिकायतें मुझे मिलीं, वे दो डाकघरों से सम्बन्धित थीं । और अब मुझे सभी डाकघरों से शिकायतें मिल रही हैं । यह तो रहा उनकी जांच का परिणाम ।...(व्यवधान)

मैं उनसे जांच बन्द करने के लिये कहूंगी । परन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लें और अन्तर्देशीय पत्रों पर कर लगाकर निम्न आय-वर्ग को दंडित न करें ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा की गई अत्यन्त ही अर्थपूर्ण अपील में अपनी कमजोर आवाज भी जोड़ना चाहता हूं । हमने जो संशोधन में प्रस्तुत किया है वह वास्तव में ही निम्न और मध्य-वर्ग के लोगों की सहायता के उद्देश्यार्थ लाया गया है । यह तो मध्यवर्ग के लिये भी नहीं है । पत्र व्यवहार तो कम्पनियां ही करती हैं और या उन लोगों द्वारा किया जाता है जो लिफाफों की कीमत को वहन कर सकते हैं । जन साधारण तो केवल पोस्ट कार्डों या अन्तर्देशीय पत्रों द्वारा पत्र व्यवहार करते हैं । अतः यदि आप इसमें 5 पैसे की भी वृद्धि कर दें तो इससे कोई बड़ी राजस्व-राशि तो मिलने से रही । सच बात तो यह है कि इससे मिलने वाले राजस्व की राशि इतनी अधिक नहीं होगी । जितना कि आपने अन्य करों आदि में 1000 करोड़ रुपये, 2000 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है । यह तो पूर्णतया अनाव-

श्यक है हर कोई इससे आक्रोशित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी कर से लोगों में आक्रोश नहीं फैलना चाहिये। यदि पर्याप्त राजस्व प्राप्त किये बिना कोई कर लोगों में उत्तेजना फैलाता है तो वह कोई अच्छा कर नहीं है। कराधान के नियमों के अधीन यह तो बिलकुल ही अस्वीकार्य कर हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह कम से कम पोस्ट कार्डों से सम्बद्ध संशोधन को तो स्वीकार कर ही लें।

श्री सतीश अग्रवाल : हमने यह कार्यवाही बड़ी ही अनिच्छा से की है। डाकतार सेवाएं घाटे में चल रही हैं और उन्हे 9 करोड़ रुपये के घाटे का भार उठाना पड़ रहा हैं। अत: यहां वहां से साधनों को बढ़ाने के लिये, हमने यह जानने का प्रयत्न किया कि यही वह मद हैं जिसका वे प्रयोग करते हैं और वे इसमें वृद्धि का बोझ उठा सकते हैं। जहां तक पोस्ट कार्डों का सम्बन्ध है, हमने दरों में वृद्धि नहीं की है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर से इनका प्रयोग किया जाता है। अन्तर्देशीय पत्रों का प्रयोग तो वे करते नहीं। ईमानदारी की बात तो यह है कि सांसदों को छोड़कर उनका सर्वाधिक प्रयोग व्यवसायी समाज अपने व्यावसायिक लेन-देन में करता है। इनका इतना प्रयोग यहां नहीं होता।...(व्यवधान)

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : हम यह मान लेते हैं कि मन्त्री महोदय व्यवसायी समुदाय के साथ है जनता के साथ नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : दर में 20 पैसे से लेकर 25 पैसे तक की वृद्धि कर देने पर भी डाक सेवा इस कारण से घाटे में चल रही है। आज यह 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

(व्यवधान)

वह अलग बात है, परन्तु श्री सोमनाथ चटर्जी उसके बाद फिर ? चलो फिर सदन को यह निश्चित करने दो कि यह घाटा 2000 करोड़ रुपये पर निश्चित कर दिया जायेगा और फिर सभी वृद्धि को हटाया जा सकता है या घाटा 3000 करोड़ रुपये निश्चित किया जा सकता है। यह तो मेरा विनम्र निवेदन है। सौगत राय जी मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं।

श्री सौगत राय : आप घाटे का बजट क्यों लाये हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। इस घाटे को और आगे बढ़ने से रोकने के लिये हम कराधान के माध्यम से अतिरिक्त साधनों को जुटा सकते हैं। हमने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया। मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं। जब हमने बजट तैयार करना शुरू किया तो—सभापति महोदय मुझे कुछ शब्द बोलने दें—जो चित्र हमारे सामने उपस्थित हुआ वह क्या था ? कर राजस्व के लिये 10,300 करोड़ रुपये थे और राज्य के बटबारे के लिये 3200 करोड़ रुपये थे। शेष 7300 करोड़ रुपये बचे। अन्य गैर-कर राजस्व 2500 करोड़ रुपये का है। तो कुल राजस्व की प्राप्तियां 9800 करोड़ रुपये की हैं और पूंजीगत प्राप्तियां 5200 करोड़ रुपये की हैं। कुल जोड़ 11,000 करोड़ रुपये का हुआ यह हुआ कुल राजस्व और पूंजी। फिर आप इसमें से 1,000 करोड़ रुपये सरकारी खर्च के घटा दीजिये। अत: इस प्रकार 4000 करोड़ रुपये आपके बजट के लिये बचे रहेंगे। इसलिए स्वाभाविक हैं कि इतना भारी घाटा रहता जिसे हमें पूरा करना है। कुछ भी हो हम डाकतार

सेवाओं को घाटे में नहीं चलने दे सकते। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने हैं। वे कोई लाभ नहीं कमाते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

श्री सतीश अग्रवाल : जैसी कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने ठीक ही बात उठाई है आयकर का बकाया इतना है और आंकड़े तो उनको मौखिक रूप से भी याद हैं, ये लगभग 900 करोड़ रुपये है। परन्तु यह तो सरकार की बड़ाई की ही बात है कि गत वर्ष हमने बकाया आयकर में से 130 करोड़ रुपये उगाह लिये तथा हमने आयकर बकाया को काफी हद तक कम कर दिया है। हम सभी कारगर उपाय कर रहे हैं। वे कम से कम दशकों से स्थगित पड़े थे। यह तो सारी तसवीर है। बकाया राशि को समाप्त करने के लिये हमने प्रभावशाली कदम उठाये हैं इस बारे में आंकड़े मैं फिर बाद में पेश करूंगा। अतः माननीय महिला सदस्य के संशोधन को स्वीकार न करने का मुझे खेद है जिसे कि मैं अन्यथा स्वीकार करना चाहता था।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : वह इसे स्वीकार कर चुके हैं। चाहे उन्हें खेद हो परन्तु वे स्वीकार कर चुके हैं।...(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं, नहीं।

सभापति महोदय : उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मन्त्री महोदय 840 करोड़ रुपये के आंकड़े आपके मन्त्री महोदय ने दिये थे। आप यह आंकड़े कहां से प्रस्तुत कर कहे हैं ? (व्यवधान) मेरे पास अब तस्तावेज हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : आप हमारी बातों में व्यवधान डाल रहे हैं क्योंकि आप तो अभी-अभी आए हैं। यहां और भी सदस्य हैं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है और इस सदन में गणपूर्ति बनाये हुए हैं। आप तो अपना मध्यान्ह भोजन लेकर काफी, चाय आदि पीकर खाकर अभी-अभी आए हैं। और हम यहां चाय, काफी और मध्यान्ह भोजन के बिना सवेरे से बैठे हैं। आप तो अभी-अभी आए हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मुझे दुःख है कि लोग यूंही अन्दर चले आते हैं और विचार विमर्श में, चर्चा में बाधा डालते रहते हैं क्योंकि श्री बसु समेत कुछ लोग इसके बारे में अनभिज्ञ होंगे अतः मैं संशोधन को स्पष्ट करती हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि उन अन्तर्देशीय पत्रों में वृद्धि से उन्हें कितना मिलने की आशा है जिनको आम आदमी काम में लाता है। वे कह सकते हैं कि व्यवसायी ही तो इनका प्रयोग करते हैं, चूंकि उनके उन्हीं से सम्बन्ध हैं। परन्तु मैं आपको बता देती हूं कि मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं और वलपाराई के बागान क्षेत्र में जो लोग डाकघरों के आगे पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं। बंगला और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों के आगे जो लाइनें लगी रहती हैं वे व्यवसायी लोगों की नहीं हैं, वे तो जन-साधारण लोग हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बड़े व्यावसायिक घरानों से जो 11 करोड़ रुपये वसूल नहीं हुए हैं उस कमी को पूरा करने के लिये वे कितनी आय की इसमें से आशा रखते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : इस समय डाकघर सेवाएं लगभग 9 करोड़ रुपये का घाटा दिखा रही हैं। इस अन्तर्देशीय पत्र सेवा पर और इस वृद्धि पर होने वाली आय से लगभग 3,5 करोड़ रुपये मिलेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : इतना तो आप सदैव तार और दूरभषा सेवा में कमा लेते हैं। ए० आर० सी० ने इस मामले का अध्ययन किया था।

श्री सतीश अग्रवाल : उस सुझाव का परीक्षण किया जायेगा।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 46 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 43 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 44 और 45 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : हम खंड 46 को लेते हैं।

श्री आर० वेंकटारमन : मेरा संशोधन सं 103 है। मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 28,—

103. पंक्ति 20 से 22 का लोप कर दिया जाये।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

श्री आर० वेंकटारमन : यह अनिवार्य जमा से सम्बन्धित है। मैंने यह सुझाव दिया है कि अनिवार्य जमा इस वर्ष चालू वर्ष से समाप्त हो जानी चाहिये। इसका कारण यह है कि करदाता को तीन तरफा मार पड़ती है। प्रथम यह कि उसे आयकर पर अधिभार का भुगतान करना पड़ता है, फिर उसे बचत पर कम छूट मिलती है और उसी के साथ ही साथ उसे अनिवार्य जमा की किश्त भी जमा करानी पड़ती है।

इन तीनों को इकट्ठा जोड़ देने पर बोझ कितना बढ़ जाता है। भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि यह अनिवार्य जमा वर्ष 1979-80 के अन्त तक चलेगी और अधिभार में 5% की वृद्धि कर दी गई। उसने इसे 10 से 15 किया। और अब हमें 15 से 20 अधिभार देना पड़ रहा है और हमें अतिरिक्त अनिवार्य जमा भी निभानी पड़ रहीं है। आप इसे जमा कहें या न कहें, यह तो व्यक्ति की आय में से कटौती है। अत: यह एक भारी वोझ है। मैं जानता हूं कि बहुत से वेतन भोगी वर्ग इस बोझ को उठाने में असमर्थ हैं। उनके आय के अन्य स्रोत तो हैं नहीं अत: यह उन पर भारी बोझ है।

अत: मैंने यह प्रस्ताव किया है कि कम से कम इस वर्ष से तो अनिवार्य जमा समाप्त होनी चाहिये जिससे कि यदि उन्हें अधिभार देना है तो उन्हें जमा से बचाइये और यदि उन्हें जमा करना ही है तो उन पर अधिभार नहीं लगाना चाहिये, परन्तु उन पर दोनों नहीं लगने चाहिये।

श्री सतीश अग्रवाल : वित्त विधेयक के खंड 46 में इस अनिवार्य जमा को और दो वर्षों तक चालू रखने अर्थात वर्ष 1980-81 और 1981-82 तक चालू रखने की बात कही गई है। यह या तो विकास कार्य को पूरा करने के लिये अतिरिक्त साधनों को चालू करने निमित्त किया जा रहा है और इसी के साथ ही साथ मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करने के लिये सरकार को इस योजना को जारी रखने के लिये बाध्य होना पड़ा है। यह एक बड़ा ही सूझ-बूझ भरा निर्णय है और मेरे पास वेंकटारमन के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है। मुझे खेद है कि इन परिस्थितियों में मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 46 की संशोधन सं० 103 को सदन में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन को सभा में मतदान के लिए सदन में रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 46 को सदन के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 46 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 46 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रथम सूची

सभापति महोदय : मेरे पास बहुत से संशोधन हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं प्रस्ताव करती हूं :

47. पृष्ठ 36,—

पंक्ति 1 से 5 का लोप कर दिया जाए।'

62. पृष्ठ 41, पंक्ति 34,—

'बीस प्रतिशत **के स्थान पर** 'पन्द्रह प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

63. पृष्ठ 43, पंक्ति 24,—

'बीस प्रतिशत' **के स्थान पर** 'पन्द्रह प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

64. पृष्ठ 44, पंक्ति 26,—

'बीस प्रतिशत' **के स्थान पर** 'पन्द्रह प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

65. पृष्ठ 45, पंक्ति 24,—

'बीस प्रतिशत' **के स्थान पर** 'पन्द्रह प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

श्री टी० ए० पई : मैं अपने संशोधन सं० 80 से 85 तक को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री वयालार रवि का संशोधन सं० 96 भी 47 के जैसी ही है। अतः इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सौगत राय : मैं संशोधन सं० 122 से 126 को प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैं संशोधन सं० 174 से 182 को प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री बी० के० नायर अपने संशोधन सं० 184 को प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि यह संशोधन 47 जैसा ही है। श्री दीनेन भट्टाचार्य अपने संशोधन सं० 190 और 191 को प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि संशोधन सं० 190 और 122 जैसा है और 191, 126 के समान है।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं सरकारी संशोधन संख्या 206 को प्रस्तुत करता हूं।

श्री टी ए० पई : मैं प्रस्ताव करता हूं।

80. पृष्ठ 30, पंक्ति 18,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'दस प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

81. पृष्ठ 31, पंक्ति 24,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'दस प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

82. पृष्ठ 32, पंक्ति 15,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'दस प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

83. पृष्ठ 22, पंक्ति 29,—
'पन्द्रह प्रतिशत के स्थान पर 'दस प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

84. पृष्ठ 33, पंक्ति 22,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'दस प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

85. पृष्ठ 33, पंक्ति 33,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'दस प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री सौगत राय : मैं प्रस्ताव करता हूं।

122. पृष्ठ 30, पंक्ति 18,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'एक प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

123. पृष्ठ 31, पंक्ति 24,
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'एक प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

124. पृष्ठ 32, पंक्ति 5,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'एक प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

125. पृष्ठ 33, पंक्ति 22,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'एक प्रतिशत, प्रतिस्थापित किया जाये।

126. पृष्ठ 33, पंक्ति 33,—
'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर 'एक प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं।

174. पृष्ठ 29, पंक्ति 16,—
'8,000 रु०' के स्थान पर '10,000 रु०' प्रतिस्थापित किया जाये।

175. पृष्ठ 29, पंक्ति 18,—
'8,000 रु०' के स्थान पर '10,000 रु०' प्रतिस्थापित किया जाये।

176. पृष्ठ 30, पंक्ति 9,—

'55 प्रतिशत' के स्थान पर '50 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाये ।

177. पृष्ठ 20, पंक्ति 4,—

'60 प्रतिशत' के स्थान पर '50 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाए ।

178. पृष्ठ 30, पंक्ति 26,—

'8,000 रु०' के स्थान पर '10,000 रु०' प्रतिस्थापित किया जाए ।

179. पृष्ठ 30, पंक्ति 28,—

'8,000 रु०' के स्थान पर 10,000 रु०' प्रतिस्थापित किया जाए ।

180. पृष्ठ 30, पंक्ति 29,—

'8,000 रु०' के स्थान पर '10,000 रु०' प्रतिस्थापित किया जाये ।

181. पृष्ठ 31, पंक्ति 7,—

'55 प्रतिशत' के स्थान पर '50 प्रतिशत' प्रतिस्त्रापित किया जाए ।

182. पृष्ठ 31, पंक्ति 10,—

'60 प्रतिशत' के स्थान पर '50 प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाए ।

(श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

206. पृष्ठ 36, पंक्ति 29 से 44 के स्थान पर निम्नलिखित रखें ।

	आयकर	
(5) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर -	आय-कर की दर	अधिभार की दर
(क) केन्दीय या किसी राज्य सरकार की कर-मुक्त प्रतिभूति से भिन्न कोई प्रतिभूति;	10 प्रतिशत	कुछ नहीं
(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए कोई डिबेन्चर या धन के लिए अन्य प्रतिभूति;		
(ग) किसी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कोई डिबेन्चर जहां ऐसे डिबेन्चर प्रतिभूति सविदा (विनियमन), अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में सूची में दर्ज हैं ।'		

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मेरा संशोधन तो बिल्कुल साधारण है । इसका उद्देश्य तो वास्तव में सरकार से यह पूछना है कि जो सर्वाधिक अनैतिक कार्य वे कर रहे हैं उसे त्याग दें । अभी हाल

में कुछ घण्टे पहले जब प्रधान मन्त्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया तो हमें यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि आचार्य विनोवा भावे अपनी भूख-हड़ताल वापिस लेने के लिए राजी हो गए हैं। उसी समय हमने कहा था, "आप यहां सभी राज्यों की ओर से यह बात नहीं बोल सकते। राज्यों के पास जो शक्तियां पहले ही से हैं आप उन्हें वापिस नहीं ले सकते और राज्य-सूची से निकालकर किसी चीज को समवर्ती-सूची में इस प्रकार दबाव में आकर नहीं डाल सकते। यह तो वही बात हुई जिसमें मेरा कहना है कि आयकर पर अधिभार लगाकर आप राज्य-राजस्व को हड़पने का मार्ग तैयार कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों से यह मांग निरन्तर उठ रही है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार-विमर्श और आम वार्तालाप होना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण आधार यह तथ्य है कि स्वयं अपने आंतरिक विकास के लिए साधन जुटाने में आज राज्य अपने आपको अधिकाधिक जकड़ा हुआ पाते हैं। वे योजना-आयोग आदि केन्द्रीय सरकार की दया पर जीते हैं। एक छोटी सी सिंचाई परियोजना के लिए, छोटे से विद्यालय, या चिकित्सालय अथवा अन्य किसी चीज के लिए उन्हें यहां भागकर आना पड़ता है। एक संघीय ढांचा खड़ा करने में क्या तुक है यदि राज्यों के पास स्वयं अपना वह पर्याप्त स्थान नहीं है जिसमें अपने लोगों की रुचि के अनुसार वे अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना विकास कर सकें? जब आप अधिभार का नाम लेते हैं तो आप बस हर किसी की आंखों में धूल डालने का प्रयत्न करते हैं। आय सारे ही देश से आनी है और अधिभार आपकी जेब में जायेगा और राज्यों को आय में अपना कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह तो एक नितान्त अनैतिक और गैर-लोकतांत्रिक प्रस्ताव है।

अब आप कहते हैं कि आपने लोकतंत्र को फिर से ला दिया है। परन्तु मैं कहती हूं कि विद्रोह के कारण लोकतन्त्र रूपी जलयान डूब रहा है। अब आप चाहते हैं कि अनैतिक कराधान करके समूचे देश में विद्रोह फैल जाए।

मुझे आशा है कि मन्त्री कुछ सोच समझ कर इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और राज्यों को धोखा देने के विचार को त्याग देंगे।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास-दक्षिण) : सभापति महोदय, गरीब करदाता पर जो बोझ डाला जा रहा है मैं उसके बारे में ही बोलूंगा। आखिरकार चाहे आप इसे अनिवार्य जमा या आयकर पर अधिभार या आप चाहें जो नाम इसे दें, यह करदाता की जेब से आ रहा है। इसके अतिरिक्त उसे कभी-कभी अधिक कर भी देना पड़ता है। अत: मेरा कहना है कि करदाता पर भारी बोझ पड़ रहा है। कर देने की क्षमता की कोई सीमा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष या तो आप आयकर बढ़ाते हैं या अधिभार और यह प्रतिवर्ष चलता रहता है। अत: मेरा निवेदन है कि यह बिल्कुल अनावश्यक है। किसी भी स्थिति में आयकर पर 20 प्रतिशत अधिभार देने का मतलब यह है कि आयकर 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

आयकर राजस्व का एक विभाज्य साधन है और राजस्व का विभाज्य साधन राज्यों और केन्द्र पर लागू होता है। जब आप आयकर बढ़ाते हैं तो यह राज्यों के पास जाएगा। परन्तु यदि आप संघ के लिए अधिभार बढ़ायेंगे तो यह राज्यों के पास नहीं जाएगा। यह विशेष अधिभार 'संघ के लिए' परिभाषित किया जाता है। अत: आपने इस भाग से राज्यों को वंचित कर दिया है।

माननीय मन्त्री ने पिछले उदाहरणों का उल्लेख किया है। श्री पई सरकार में थे और मैं समझता हूं कि वह स्थिति स्पष्ट करेंगे। परन्तु राज्यों को राजस्व के उचित साधन से वंचित करना संविधान के साथ धोखा करना है ; अत: मैं इस अतिरिक्त अधिभार लगाने का विरोध करता हूं।

श्री टी० ए० पई (उदीपी) : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने कुप्रबन्ध के कारण ही एक असहाय शिकार बनी हुई है। इसका परिणाम यह होता है कि वित्त मन्त्री यह कहते हैं कि घाटा हो रहा है। न तो घाटे को कम करना, न खर्च को कम करना और न ही लोगों पर कर कम करने का कोई विचार ही प्रतीत होता है। अभी तक हमें केवल नकारात्मक उत्तर ही मिला है और एक भी रचनात्मक सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है।

गत वर्ष बिजली पर अधिभार लगाया गया। जबकि यह सर्वथा एक असामान्य बात थी, तब राज्यों ने इस बात का विरोध किया कि जब बिजली बोर्डों को स्वयं भारी घाटा हो रहा है तथा आप इससे राजस्व प्राप्त नहीं कर सकते। वे अपने मूल्य ह्रास के लिए भी व्यवस्था नहीं कर सकते। आप जबकि हम कोई सुझाव देते हैं तो इसे यह कहकर स्वीकार नहीं किया जाता कि आपने ऐसा किया और इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। जहां हमें अनेक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है वहां मुझे आशा है कि वे यही अपराध नहीं करेंगे। यदि हमने कोई अपराध किया है तो आप उससे बचें। मैंने तो यह सोचा था कि आप अनेक करों को वापस ले करके एक स्वस्थ परम्परा कायम करेंगे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी उन्हीं बातों का अनुसरण कर रहे है। इसी कारण लोगों को आपके और हमारे बीच कोई अन्तर नजर नहीं आता है। मैं यह कहता रहा हूं कि केवल नाम में अन्तर है और हम वही हैं।

अत: मैं यह कहूंगा कि जब आप उदाहरण देते हैं तो आप भलीभांति काम भी करिए। क्या बंगलादेश संकट के दौरान सरकार ने संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार नहीं लगाया था ? यह तो एक अस्थायी व्यवस्था थी। क्या हमने इसे वापिस नहीं ले लिया था ? आपने गत वर्ष यह 10 प्रतिशत लगाया था। इस वर्ष आप इसे 5 प्रतिशत और बढ़ा रहे हैं। शायद आप इसे स्थाई कर बनाने जा रहे हैं और हम इसका विरोध करते है। जब आपने यह 10 प्रतिशत का अधिभार लगाया तो हमने सोचा कि आप इसे बाद में वापस ले लेंगें। परन्तु हम देखते हैं कि आप इसे केवल स्थायी नहीं बना रहे हैं अपितु इसे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम इसका बिरोध कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह कहने के लिए तैयार हों कि "हमारा विश्वास तो सीधे तरीकों में है, हम आयकर बढ़ाना चाहते हैं।" परन्तु फिर भी आप आयकर की दरें कम रखकर लोकप्रिय बनना चाहते है और इसके साथ ही किसी अन्य नाम से अधिभार भी लगाते हैं। यह सही नहीं है। इसे अधिभार कहने के बजाय आप कर की दरों को क्यों नहीं बढ़ाते हैं ?

श्री सौगत राय : पहले बोलने वाले सदस्यों ने अधिभार के विरुद्ध काफीस्पष्ट कर दिया है। इस समूचे मामले में दो बातें आती हैं, एक तो प्रत्यक्ष करों के बारे में है। इस सरकार ने देश के प्रत्यक्ष कर ढांचे की जांच करने के लिए बड़ी धूमधाम के साथ एक समिति के गठन की घोषणा की थी जो प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी 'चोकसी समिति' के नाम से कही जाती है। 'चोकसी समिति' ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और मुझे इसे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। इस समिति ने

अधिभार लगाने के बारे में कहीं भी सुझाव नहीं दिया। वास्तव में इसने कर ढांचे को सरल बनाने का सुझाव दिया था। सरकार का प्रयास तो अधिक कर वसूल करने, वर्तमान कर से अधिक संसाधन जुटाने का होना चाहिए था बजाय इसके कि कर भार बढ़ाया जाता। पहले ही भारत विश्व में ऐसा देश है जहां कर बहुत अधिक लगाए जाते हैं। यदि आप अमीरों पर कर बढ़ाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु कर ढांचा इतना बड़ा है कि इसे बनाए रखने के लिए आपको एक बड़े नौकरशाही तंत्र की आवश्यकता होती है। अत: इस दृष्टि से यह अधिभार या अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाना चाहिए था।

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में है। आयकर विभाज्य पूल में आता है और इसे संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है। सातवें वित्त आयोग ने कतिपय अंतरण का सुझाव दिया था जिसका इससे पहले के आयोग की अपेक्षा राज्यों के प्रति अधिक अच्छा रवैया रहा। अब यह विशेष अधिभार सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन है क्योंकि इस वित्त आयोग के अनुसार राज्यों के पास कुछ अधिक धन जा रहा है। यह बड़ी ही अनुचित बात है। अत: मैं इस अधिभार का सिद्धान्तत: विरोध करता हूं। इसी कारण मैंने इस अधिभार को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था जबकि श्री पई ने 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था। मैं इसे पूर्णरूप से चाहता हूं परन्तु इस स्थिति में मेरा संशोधन वैध नहीं होगा।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह राजस्व वसूली के लिए ऐसे सख्त तरीके न ढूंढें। आप समझते हैं कि अधिभार एक सरल तरीका है जो सीधा संघ सरकार को मिलेगा। आपको तो यह करना चाहिए कि अधिक कर वसूल किये जाएं और अनुपयोगी सरकारी खर्च में कमी की जाये। सरकार ऐसा करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। इसके विपरीत आपने यह अतिरिक्त कर लगा दिया है जिससे राज्य अपने वैध राजस्व से वंचित न हों। श्रीमती पार्वती कृष्णन के शब्दों में यह तो राज्यों को धोखा देना और उससे वंचित करना है। जो उचित नहीं है। अत: इसे वापस लिया जाना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : सभापति महोदय, इस सवाल में दो चीजें हैं। एक तो वह जिसका जिक्र श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने किया। दूसरा रेट आफ टैक्स के बारे में है। मेरे जो प्रोपोजल्स हैं 174 से लेकर 181 तक उनमें मैंने कहा है कि रेट आफ टैक्स कम होना चाहिए जिससे रेवेन्यू बढ़े और मैंने यह कहा है कि मिनिमम जिसको टैक्स लगेगा, वह दस हजार तक की उसके लिए छूट होनी चाहिए। दस हजार के ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्योंकि जितनी मंहगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आज दस हजार रुपये की कीमत कम है।

अब आप देखिए कि 40 लाख असेसीज हैं। 40 लाख में करीब डेढ़ लाख के दस हजार इन्कम वाले हैं। उनमें कलेक्शन चार्ज उतना ही आता है जितना कि रेवेन्यू आता है इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की इन्कम 10 हजार है तो वह अभी भी माफ है, अगर उससे ज्यादा होती है तभी उस पर टैक्स लगता है। मैं कहूंगा कि आप 10 हजार की मिनिमम लिमिट करें और जैसाकि चोकसी कमेटी ने कहा है, मैक्सिमम टैक्स लिमिट 60 परसेंट होनी चाहिए। इससे ज्यादा मैक्सिमम रेट नहीं होना चाहिए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता

हूं कि 1974 में जब रेट 20 परसेंट कम करके मैक्सिमम रेट आफ टैक्स 77 परसेंट लाया गया था तो उस समय प्रपोज्ड रेवेन्यू से 197 करोड़ अधिक रुपया टैक्स कलेक्शन हुआ था। हालांकि मैक्सिमम टैक्स रेट 20 परसेंट कम किया गया था। उसी प्रकार से 1976 में उसको 77 परसेंट से घटा कर 66 परसेंट कर दिया गया, यानि 11 परसेंट कम किया गया फिर भी प्रपोज्ड रेवेन्यू से 237 करोड़ रुपया ज्यादा कलेक्ट हुआ। इसका मतलब यह है कि जितना टैक्स रेट आप कम करते जाते हैं, आपकी रेवेन्यू बढ़ती जाती है। यही स्थिति जापान में है, यू. एस. ए. में है और अन्य दूसरे देशों में है। बाकी देश तो आहिस्ता-आहिस्ता अपना टैक्स रेट कम कर रहे है लेकिन आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं जिससे कि देश में एक पैरेलल एकोनामी डेवलप हो रही हैं और टैक्स का इवेजन हो रहा है। पैरेलल एकोनामी इस देश की अर्थ-व्यवस्था को खत्म कर देगी। वह लोगों को बेईमान बनायेगी और प्रोडक्शन को भी हिट करेगी। कुछ भी हो, आपके पास रेवेन्यू आने वाली नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि आप टैक्स कम कीजिए। आप 60 परसेंट से ज्यादा टैक्स मत लगायें ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले। दुनिया में जो सोकाल्ड सोशलिस्ट कन्ट्रीज हैं वे भी अब इंसेंटिव देने लगे हैं। इससे रेवेन्यू भी ज्यादा आयेगी और आनेस्टी भी बढ़ेगी, सेविंग्ज भी ज्यादा होगी। सेविंग्स ज्यादा होने से कैपिटल फार्मेशन बढ़ेगा और फिर उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसलिए आप 60 परसेंट मैक्सिमम रेट आफ टैक्स करें और मिनिमम 10 हजार तक छूट दें। इस समय जो ब्लैकमनी की पैरेलल एकोनामी चल रही है उसको अगर खत्म करना है तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप रेट आफ टैक्स को कम करें।

मेरा दूसरा प्वाइन्ट यह है कि अभी जो कहा गया कि सरचार्ज नहीं होना चाहिए, मैं उसके हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं जो फाइनेंस कमीशन बैठा था उसकी जो रिपोर्ट थी उसको सरकार ने मान लिया और उससे स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिला है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं सरकार का समर्थन करता हूं। सरकार ने फाइनेन्स कमीशन बिठाया, उसने सभी स्टेट्स से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट दी जिसको सरकार ने मान लिया। इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि स्टेट्स के द्वारा सेन्टर को केवल गाली देने से कुछ नहीं होगा। स्टेट्स को अपने प्लान्स के लिए तीन हजार करोड़ की नई रेवेन्यू पैदा करनी थी जबकि 1978-79 में सभी स्टेट्स ने मिल करके केवल 71 करोड़ की एक्स्ट्रा रेवेन्यू क्रिएट की। जैसे रूरल रिच का सवाल है, अभी उसके लिए मन्त्री जी ने कहा कि उन पर टैक्स लगाने का काम स्टेट्स का है लेकिन इस देश में एक भी ऐसी स्टेट नहीं है—केरल और बंगाल की कम्युनिस्ट सरकारों को मिलाकर—जिसने रूरल रिच पर कोई टैक्स लगाया हो। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता है। जो अपने आपको प्रोग्रेसिव कहते हैं वे भी तैयार नहीं हैं। उनका एक ही तरीका है कि तमाम पैसा सेन्टर से जाए। तो इससे काम नही चलेगा। जब तक स्टेट्स अपनी रेवेन्यू नहीं बढ़ाती हैं, केवल एतराज करती हैं उससे काम नहीं चलेगा। अभी 10-12 स्टेट्स के 1979-80 के बजट पेश हुए, करीब-करीब हर स्टेट का बजट डेफिसिट में है। मतलब यह कि ओवरड्राफ्टिंग होगी। इसलिए इसमें सेन्टर को दोष देना ठीक नहीं है। इस मामले में मैं केन्द्रीय सरकार का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो मैक्सिमम रेट है वह कैसे कम किया जाए ताकि आपकी रेवेन्यू बढ़े।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने प्रथम अनुसूची में अपना संशोधन संख्या 206 पहले ही पेश कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वित्त विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग दो में स्रोत पर आयकर काटने की दरें निर्धारित की गई हैं। भाग 2 में अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनियों द्वारा जारी किए गए "अधिकारों" सम्बन्धी ऋण पत्रों पर प्रतिभूतियों पर 10 प्रतिशत के रियायती ब्याज पर, जबकि अन्य प्रतिभूतियों पर 24 प्रतिशत का ब्याज है, स्रोत पर आयकर काटने का उपबन्ध है। 10 प्रतिशत के रियायती ब्याज पर स्रोत पर आयकर काटने के लाभ को मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेन्जों, स्थानीय प्राधिकारियों, सांविधिक निगमों की सूची में दी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा जारी किए गए सभी ऋण पत्रों पर तथा गैर-नियमित रेजीडेंट करदाताओं को देय सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने कुछ बहुत वैध बातें उठाई हैं···

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महोदय, आपने मुझे नहीं पुकारा। मैंने भी एक संशोधन पेश किया है।

सभापति महोदय : आपका नाम इसलिए नहीं पुकारा गया क्योंकि आपका संशोधन दूसरे सदस्य के संशोधन के अन्तर्गत आ जाता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मुझे इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं।

सभापति महोदय : अच्छा ठीक है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सिद्धान्त रूप में मैं इस अधिकार के लगाये जाने के विरुद्ध हूं। अधिकार के नाम पर वे राजस्व एकत्रित कर रहे हैं और इसमें वे राज्यों को हिस्सा नहीं दे रहे हैं। वे इसे केवल इसलिए अधिभार कहते हैं वे जो राजस्व एकत्रित करते हैं राज्य उसके किसी हिस्से का दावा न करें। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उनका हिस्सा न देने के लिए एक तकनीकी प्रक्रिया अपनाई है।

मेरे माननीय मित्र, श्री कंवरलाल गुप्त कह रहे थे कि क्यों राज्य अपने संसाधनों को नहीं बढ़ा रहे हैं। राज्यों के लिए संसाधन कहां हैं ? वे राज्यों से सभी संसाधनों को ले रहे हैं। पेट्रोल और अन्य वस्तुओं पर करों को बढ़ाने के नाम पर वे कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं। आप इन वस्तुओं की सूची देखिए और आपको आश्चर्य होगा कि राज्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य केवल बिक्री कर ही इकट्ठा कर सकते हैं। अब आप मद्य निषेध भी लागू कर रहे हैं और इससे राज्यों की जो आय होती है वह भी केन्द्र को देनी है।

देश में उपलब्ध संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करने की जो चाल है उसके मैं पूरी तरह से मैं विरोध में हूं और साथ ही वे राज्यों को राजस्व बढ़ाने के लिए कह रहे हैं जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं धनी वर्ग पर प्रत्यक्ष कर लगाने के पक्ष में हूं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। किन्तु वे ऐसा नहीं करते। वे आयकर इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि उन्हें इसका एक भाग राज्यों को देना है। यही कारण है कि वे इसे आयकर में वृद्धि नहीं मान रहे हैं। आप इसे अधिभार बना रहे हैं ताकि राज्य इससे पाने का कोई दावा न करें। मैं अन्य मित्रों द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत हूं किन्तु श्री कंवरलाल गुप्त से सहमत नहीं हूं इन्होंने कहा है···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिल्ली में प्रति व्यक्ति खर्च क्या है ? दिल्ली की गलियों में कितने फुव्वारे हैं ? देश के एक भाग में ऐसा ही हो रहा है अन्य स्थानों पर हमारे पास सड़कों की मरम्मत करने के लिए रुपया नहीं है। गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए धन राशि नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप देश के तमाम धन को केन्द्र को मजबूत बनाने के नाम पर जमा कर रहे हैं। यदि आप रक्षा संचार पर खर्च करें तो हमें कोई और आपत्ति नहीं है···

सभापति महोदय : श्री भट्टाचार्य, आप केवल अपने संशोधन पर ही बोल सकते हैं। मैं समझता हूं आपने अपनी बात कह दी है···

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मुझे सामान्य चर्चा में बोलने का मौका नहीं मिला। मैं कहूंगा कि इसमें केन्द्र-राज्य संबन्ध आते हैं। इस संबन्ध में सिद्धान्त रूप से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं मैंने केवल एक प्रतिशत का सुझाव दिया है; क्योंकि अन्यथा मेरा संशोधन गृहीत नहीं होता। राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति नहीं दी होती। मैंने केवल एक प्रतिशत अधिभार का सुझाव दिया है और इससे अधिक का नहीं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं सबसे पहले श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा पेश किये गए संशोधन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं यदि श्री दीनेन भट्टाचार्य गलत न समझें तो यह ऐसे बड़े प्रश्न का न समय है न अवसर है। इनको इस तरह से निपटाया नहीं जा सकता। बड़े प्रश्नों पर हम बाद में वाद-विवाद कर सकते है·····

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय थक गये हैं हम उन्हें कुछ आराम दें और कल चर्चा शुरू करें।

श्री सतीश अग्रवाल : हम इसे पूरा करें। मैं चाहता हूं कि आप सहयोग दें। मुझे विश्वास है मेरे सभी मित्र इस कार्यवाही को अगले आधे घंटे में पूरा करने में सहयोग करेंगे।

जहां तक श्री भट्टाचार्य के संशोधन का सम्बन्ध है—यह मूल्यांकन वर्ष 1978 के लिये अधिभार की दर में 15 प्रतिशत को कम कर एक प्रतिशत करने के बारे में है। मूल्यांकन वर्ष 1979-80 है अर्थात् लेखा वर्ष 1978-79 है। जो कुछ कर या अधिभार पहले ही दिया गया है और श्री सोमनाथ चटर्जी इस बात को मानेंगे कि यदि यह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो वह सब वापस करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे आयकर का भाग बनाइये।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं केवल यह कह रहा हूं कि यदि संशोधन स्वीकार किया गया तो इसके क्या परिणाम होंगे। अत: यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री वेंकटारमन द्वारा पेश किये गए अन्य संशोधनों की भी यही स्थिति है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं किन्तु यदि उनके संशोधनों को स्वीकार किया गया तो कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान दिये गए लगभग 70 करोड़ रुपये के अग्रिम कर को वापिस करना होगा।

श्री आर. वेंकटारमन : यह मेरा संशोधन नहीं था।

श्री सतीश अग्रवाल : संशोधन संख्या 47, 61 और 96···

श्री आर. वेंकटारमन : नहीं आप भ्रम में पड़ गये हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : 47 मैंने पेश किया था।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे खेद है, श्रीमती पार्वती कृष्णन्, यदि यह स्वीकार किया गया तो इसका यह परिणाम होगा। माननीय सदस्य की भावना जिस प्रकार व्यक्त की गई है उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस संशोधन को इस अवस्था में तथा इस रूप में स्वीकार करने से इसके खतरनाक परिणाम होंगे जैसा कि मैंने संकेत किया है। अतः मुझे खेद है कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री टी. ए. पाई ने जो बात कही है कि यह अधिभार 1971 में बंगला देश के युद्ध के दौरान लगाया गया था, वस्तुतः गलत है। यह बहुत पहले से चला आ रहा था। यह 1970 तक दस प्रतिशत था और सम्भवतः 1971 में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया। जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है वित्त विधेयक पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान मैंने उनके बारे में कहा है। वास्तव में इस वर्ष हम कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम अधिक साधन जुटाना चाहते हैं आप जानते हैं कि हमने सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरा का पूरा स्वीकार किया है और अब आयकर से प्राप्त कुल आय का 85 प्रतिशत राज्यों को जाएगा।

उत्पादन शुल्क का भी अधिक वितरण होगा। कुछ और भी बातें अभी हैं जो कि बात-चीत आदि से निपटाई जा सकती हैं। हमारे सभी राज्यों से अच्छे सम्बन्ध हैं और उन्हें जो भी सहायता की आवश्यकता होती है हम तत्काल उन्हें देते हैं किन्तु हमारी वित्तीय कठिनाइयां हैं जो सभी माननीय सदस्य जानते है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने आज कुछ बातें कहीं हैं। पहले भी वह आयकर में कमी करने के लिए बार-बार कह रहे थे। उन्होंने चौकसी समिति को उद्धृत किया है और कहा है कि जब भी आयकर कम किया जाता है राजस्व में वृद्धि होती है। मैंने वित्त सचिव और अन्य अधिकारियों को इस बयान की जांच करने के लिये कहा है और हम इसकी जांच करेंगे।

अब इस उपबन्ध विशेष में 10,000 रुपये से जितना भी अधिक होता था हम उस अधिक राशि पर 70 प्रतिशत अधिभार लगाया करते थे। अब हम इस पर कुछ राहत दे रहे हैं। अब अधिभार 70 प्रतिशत नहीं होगा। यह अब 10,000 रुपये से अधिक राशि पर 30 प्रतिशत होगा। यह राहत की जा रही है।

समय की कमी के कारण तथा इस तथ्य के कारण कि माननीय सदस्य सारे दिन यहाँ बैठे रहे हैं विशेषकर श्री कामत बैठे रहे हैं जो बोल नहीं रहें किन्तु सदस्यों के लिये लड़ रहे हैं, मैं उन सबके प्रति आभारी हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री वेंकटारमन ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता किन्तु मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री आर वेंकटारमन : मैं संशोधनों पर जोर नहीं दे रहा हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं 174 से 182 संख्या के अपने संशोधन वापस ले रहा हूं ।

संशोधन संख्या 47, 62-65 **तथा** 174 **से** 182 **सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।**

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सभी अन्य संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं ।

80-85 और 122-126 **संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।**

अध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

206. पृष्ठ 36 और 37, पंक्ति 29 से 44 **के स्थान पर** निम्नलिखित रखें—

'(5) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—

	आय-कर
आय-कर की दर	अधिभार की दर
10 प्रतिशत	कुछ नहीं;

(क) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की कर-मुक्त प्रतिभूति से भिन्न कोई प्रतिभूति;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए कोई डिबेंचर या धन के लिए अन्य प्रतिभूत ;

(ग) किसी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कोई डिबेन्चर जहां ऐसे डिबेन्चर प्रतिभूति संविदा (विनियमन), अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में सूची में दर्ज है ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची-संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

द्वितीय अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरी अनुसूची लेंगे । इसके लिये कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न यह है :

'द्वितीय अनुसूची विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

तृतीय अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : अब हम तीसरी अनुसूची को लेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या हम इसे कल नहीं ले सकते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम थक गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है।

श्री हरि विष्णु कामत : हमें मन्त्री महोदय पर भी कुछ दया दिखानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इससे सहमत हुए थे। सदन भी इससे सहमत हुआ था और उसने इसे 26 तारीख तक पूरा करने का निर्णय लिया था।

श्री हरि विष्णु कामत : सदन मालिक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत, मेरे विचार में आपके पास काफी बल है।

श्री हरि विष्णु कामत : हम बैठ सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम कल इसे एक घन्टे में पूरा कर सकते हैं। हम अब बड़े थक गये हैं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : मन्त्री महोदय भी थक गये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि स्वीकृत होने के बाद इस विधेयक को मुझे प्रमाणित करना है। कल मुझे एक विवाह पर जाना है और मैं उपस्थित नहीं हो सकूंगा।

श्री बेंकटारमन : इसे आधे घन्टे में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें अनेक संशोधन हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हम आठ बजे तक बैठ कर इसे पूरा कर सकते हैं। इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई है। वास्तव में मैं आपसे कल उपस्थित होने के लिये कहने का विचार कर रहा था···

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हम आठ बजे तक बैठ कर यह कार्य कर सकते हैं। किन्तु हमें 10 मिन्ट काफी के लिए छुट्टी दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके काफी पीने जा सकते हैं···अब हम तीसरी अनुसूची पर विचार करेंगे। इसमें संशोधन के प्रस्ताव हैं।

श्री विनोद भाई शेठ : मैं प्रस्ताव करता हूं।

15. पृष्ठ 55 :—

पंक्ति 35 से 37 **का लोप कर दिया जाए।**

16. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 1 से 3 का लोप कर दिया जाए ।

17. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 19 से 21 का लोप कर दिया जाए ।

18. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 22 से 33 का लोप कर दिया जाए ।

19. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 34 और 36 का लोप कर दिया जाए ।

20. पृष्ठ 64, पंक्ति 5 :—
'आठ प्रतिशत' के स्थान पर 'छह प्रतिशत' प्रतिस्थापित किया जाए ।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

28. पृष्ठ 55 :—
पंक्ति 34 से 37 का लोप कर दिया जाए ।

29. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 1 से 3 का लोप कर दिया जाए ।

30. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 4 से 6 का लोप कर दिया जाए ।

31. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 19 से 21 का लोप कर दिया जाए ।

32. पृष्ठ 56 :—
पंक्ति 34 से 36 का लोप कर दिया जाए ।

33. पृष्ठ 57 :—
पंक्ति 26 से 28 का लोप कर दिया जाए ।

34. पृष्ठ 57 :—
पंक्ति 29 से 31 का लोप कर दिया जाए ।

35. पृष्ठ 57 :—
पंक्ति 37 से 39 का लोप कर दिया जाये ।

36. पृष्ठ 60 :—
पंक्ति 17 से 22 का लोप कर दिया जाए ।

37. पृष्ठ 60 :—
पंक्ति 37 से 39 का लोप कर दिया जाए ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

48. पृष्ठ 56, पंक्ति 12 :—

'पांच सौ रुपये' **के स्थान पर** 'चार सौ रुपये' **प्रतिस्थापित किए जायें ।**

49. पृष्ठ 60, पंक्ति 38 :—

'एक रुपया तीस पैसे' **के स्थान पर** 'अस्सी पैसे' **प्रति स्थापित किया जाये ।**

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

50. पृष्ठ 64 :—

पंक्ति 14 के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए—**

"परन्तु इस मद के अन्तर्गत आने वाले माल का निर्माण करने वाले लघु उद्योगों को शुल्क से छूट दी जायेगी । यदि किसी वित्तीय वर्ष में निकासी तीस लाख रुपये से कम की हो जिसमें निर्यात माल और मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने बाले उत्पाद शुल्क्य माल का मूल्य अपवर्जित है ।"

66. पृष्ठ 55, पंक्ति 22 :—

"मूल्य का पच्चीस प्रतिशत" **के स्थान पर** मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया** जाए ।

67. पृष्ठ 56 :—

पंक्ति 34 से 36 का **लोप किया जाए ।**

68. पृष्ठ 60 :—

(i) पंक्ति 28 '(i)', का **लोप किया जाए ।**

(ii) पंक्ति 29, "मूल्य का बीस प्रतिशत" का **लोप किया जाए ।**

69. पृष्ठ 55, पंक्ति 28 : —

'तीन रुपए प्रति हजार' **के स्थान पर** 'दो रुपए प्रति हजार' **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

70. पृष्ठ 55, पंक्ति 35 :—

'दो हजार सात सौ पचास रुपये' **के स्थान पर** 'दो हजार पांच सौ रुपए' **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

71. पृष्ठ 55, पंक्ति 2 :—

'पांच सौ रुपए' **के स्थान पर** 'चार सौ रुपए' **प्रतिःस्थापित किया जाए ।**

72. पृष्ठ 60 :—

पंक्ति 27 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(X) (vii) मद संख्या 35 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायेगी,

अर्थात :—

'35 साइकिलें, तथा मोटर साइकिलों से भिन्न साइकिलों के **पुर्ज** 5 प्रतिलत'

73. पृष्ठ 50, पंक्ति 38 :—

'एक रुपया तीस पैसे' **के स्थान पर** 'अठहत्तर पैसे' **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

74. पृष्ठ 63, पंक्ति 58 :—

'आठ प्रतिशत' **के स्थान पर** 'चार प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

75. पृष्ठ 64 :—

पंक्ति 14 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए :—**

"परन्तु इस मद के अन्तर्गत आने वाले माल का निर्माण करने **वाले लघु** उद्योगों को **शुल्क से छूट** दी जायेगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में निकासी तीस लाख रुपए से कम की हो जिसमें निर्यात माल और टैरिफ मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद शुल्क्य माल का मूल्य अपवर्जित **है ।**"

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

55. पृष्ठ 63 :—

पंक्ति 30 से 39 का **लोप कर दिया जाए ।**

56. पृष्ठ 64, पंक्ति 36 :—

(8) **के स्थान पर** (5) **प्रतिस्थापि किया जाए ।**

श्री के० टी० कौशल राय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

98. पृष्ठ 60, पंक्ति 38 :—

'एक रुपया तीस पैसे" **के स्थान पर** 'पचहत्तर पैसे' **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

108. पृष्ठ 55 :—

पंक्ति 11 से 13 का **लोप कर दिया जाए ।**

109. पृष्ठ 55 :—

पंक्ति 21 से 23 का **लोप कर दिया जाये ।**

110. पृष्ठ 56 :—

पंक्ति 19 से 21 का **लोप कर दिया जाये ।**

111. पृष्ठ 56 :—

पंक्ति 34 से 36 का **लोप कर दिया जाये ।**

112. पृष्ठ 57 :—

पंक्ति 29 से 31 का **लोप कर दिया जाये ।**

113. पृष्ठ 57 : —

पंक्ति 37 से 39 का **लोप कर दिया जाये ।**

114. पृष्ठ 60 :—

पंक्ति 37 से 39 का **लोप कर दिया जाये ।**

श्री हरि विष्णु कामत :—

115. पृष्ठ 64, पंक्ति 5 :—
"आठ प्रतिशत" **के स्थान पर** "पांच प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

116. पृष्ठ 64, पंक्ति 5 :—
'आठ प्रतिशत' **के स्थान पर** 'सात प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

117. पृष्ठ 64 पंक्ति 5 से 7 :—
"अन्य सभी माल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं किन्तु निम्नलिखित को अपवर्जित करते हुए **'के स्थान पर'** कारखाने में विनिर्मित अन्य सभी माल जो **अन्यत्र** विनिर्दिष्ट नहीं हैं किन्तु निम्नलिखित को अपवर्जित करते हुए"—**प्रतिस्थापित किया जाये ।**

118. पृष्ठ 64 :—
पंक्ति 14 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये :**

'स्पष्टीकरण : इस मद में 'कारखाना' अभिव्यक्ति का वही अर्थ है, जो इसे कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 (ङ) में समनुदिष्ट किया गया है ।'

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

136. पृष्ठ 55 :—
पंक्ति 8 से 10 का **लोप कर दिया जाये ।**

137. पृष्ठ 55 :—
पंक्ति 11 से 13 का **लोप कर दिया जाये ।**

138. पृष्ठ 55, पंक्ति 35 :—
"साठ प्रतिशत" **के स्थान पर** "चालीस प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

143, पृष्ठ 56, पंक्ति 35 :—
"मूल्य का बीस प्रतिशत" **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

"दश प्रतिशत, यदि नट मशीन निर्मित न हो, साढ़े बारह प्रतिशत, यदि कुटीर उद्योग में बने हों, और पंद्रह प्रतिशत यदि दस लाख रुपए की पूंजी निवेश वाले लघु उद्योग में निर्मित हो और बीस प्रतिशत, यदि मध्यम या बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित हो ।"

144. पृष्ठ 57 :—
पंक्ति 15 से 17 का **लोप कर दिया जाए ।**

145. पृष्ठ 57 :—
पंक्ति 18 से 22 का **लोप कर दिया जाए ।**

146. पृष्ठ 18, पंक्ति 13 :—

'पच्चीस प्रतिशत' **के स्थान पर** 'पंद्रह प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

147. पृष्ठ 59 :—

पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** :

'(कक) उपमद (2) में, "जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर सैट भी हैं)" शब्दों के स्थान पर '(जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर सैट नहीं हैं)' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे,'

148. पृष्ठ 60 :—

पंक्ति 4 से 6 का **लोप कर दिया जाए** ।

149. पृष्ठ 60, पंक्ति 19 :—

(i) 'बीस' **के स्थान पर** 'पन्द्रह' **प्रतिस्थापित किया जाए** ।

(ii) 'पच्चीस' **के स्थान पर** 'बीस' **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

150. पृष्ठ 60, पंक्ति 20 :—

'तीस' **के स्थान पर** 'पच्चीस' **प्रतिःस्थापित किया जाये** ।

151. पृष्ठ 60, पंक्ति 21 :—

'पच्चीस' **के स्थान पर** 'बीस' **प्रतिस्थापित किया जाए** ।

152. पृष्ठ 60, पंक्ति 38 :—

"एक रुपया तीस पैसे' **के स्थान पर** 'पच्हत्तर पैसे हस्थ निर्मित माचिसों के लिए और एक रुपया मशीन निर्मित माचिसों के लिए' '**प्रतिस्थापित किया जाये** ।

153. पृष्ठ 61 :—

पंक्ति 33 और 34 का **लोप कर दिया जाए** ।

154. पृष्ठ 63 :—

पंक्ति 36 से 39 का **लोप कर दिया जाए** ।

155. पृस्ठ 64 :—

पंक्ति 14 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** :

"परन्तु अन्य सभी माल के मामले में जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नही हैं ।"

(i) यदि हस्त निर्मित हो, तो शुल्क की दर होगी—	मूल्य का एक प्रतिशत
(ii) यदि कुटीर उद्योग में निर्मित हो तो शुल्क की दर होगी—	मूल्य का दो प्रतिशत
(iii) यदि दस लाख रुपये की पूंजी निवेश वाले लघु उद्योगों द्वारा निर्मित हो, तो शुल्क की दर होगी—	मूल्य का पांच प्रतिशत ।"

श्री दीनेन, भट्टाचार्य (सीलमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

208. पृष्ठ 63, पंक्ति 5,—

"बीस प्रतिशत" **के स्थान पर** "पांच प्रतिशत"।

प्रतिस्थापित किया जाय।

209. पृष्ठ 63, पंक्ति 32,—

"बीस प्रतिशत" **के स्थान पर** "पांच प्रतिशत";

प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री विनोद भाई बी० शेठ (जामनगर) : महोदय, मद संख्या 68 के सम्बन्ध में शुल्क दर 1 प्रतिशत से बढ़ा कर 2 प्रतिशत कर दी गई है। फिर इसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत और अब आठ प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी बहुत अधिक है। मद 68 सरकार के लिए राजस्व का एक लचीला स्रोत बन गई है। शुल्क में इस वृद्धि के बारे में काफी शोर मचाया गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कराधान की—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान की—व्यवस्था तदर्थ आधार पर चल रही है। इसके प्रति एकीकृत दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि राज्यों की राजस्व सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग की पूर्ति एक आवश्यकता है, पर इतनी अधिक वृद्धि वांछनीय नहीं है। मैं मन्त्री जी से पूर्व स्थिति बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, सरकार की नीति छोटे लोगों और छोटे उद्योगों की मदद करने की है, पर इस प्रकार के शुल्क का प्रभाव कुटीर उद्योग तक पर पड़ा है। मैं जामनगर के पीतल उद्योग का उदाहरण देता हूं। यह कुटीर उद्योग है जो देश में पीतल के पुर्जों की मांग के 25 प्रतिशत भाग की पूर्ति कर रहा है। शुल्क की इस वृद्धि का इस पर भी प्रभाव पड़ा है। अत: मैं सरकार से पूर्व स्थिति बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैंने मोटर स्प्रिट, मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस, दन्त मंजन, सूती धागा, पावरलूम कपड़ा, दो और तीन पहियों वाली गाड़ियों, माचिसों आदि पर शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लेने के लिए दस संशोधन पेश किए हैं।

महोदय, जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्री ने खुले दिल से कर लगाए हैं। आइये, हम अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किए गए प्रयासों और उसकी सीमा का विश्लेषण करें। आयकर पर अधिभार बढ़ाकर 46 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। धन कर की दर बढ़ाकर 6·60 करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का अनुमान है।

दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष करों से केवल 52·60 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

इसकी तुलना में नए प्रस्तावों के फलस्वरूप 665 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें बाद में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि विभिन्न मदों पर कर लगाया हैं। इसका बड़ा स्रोत अप्रत्यक्ष कर हैं। इससे हमारे प्रतिगामी वित्तीय प्रस्तावों का पता चलता है। यह भी स्पष्ट है कि आम लोगों को इसका कितना भार

वहन करना होगा। प्रत्यक्ष कर से 52.60 करोड़ रुपये की आय की तुलना में अप्रत्यक्ष करों से 665 करोड़ रुपए की आय का अंदाजा है। अतः सरकार इस सभा में प्रगतिशील प्रस्तावों को लेकर आने का दावा नहीं कर सकती।

मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि वित्तीय प्रस्ताव बिल्कुल प्रतिगामी प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष करों की दरों में भी मनमाने ढंग से वृद्धि की गई है। कुछ वृद्धियों का तो स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा सकता है। जब हम अप्रत्यक्ष करों के व्यापक क्षोभ पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि सरकार ने किसी की जेब को नहीं बख्शा है, यहां तक कि हम में जो सबसे गरीब है उसको भी नहीं छोड़ा। यह है हमारे वित्तीय प्रस्तावों का स्वरूप।

मेरे संशोधन संख्या 26 से 36 का मोटर स्प्रिट और मोटर गाड़ियों पर शुल्क में की गई वृद्धि से सम्बन्ध है।

मोटर स्प्रिट के मामले में प्रति किलोमीटर दर 2200 रु० से बढ़ाकर 2,750 रु० करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार स्कूटर, मोटर साइकल और अन्य मदों के मामलों में भी करों में वृद्धि की गई है। सड़क परिवहन पर केन्द्र सरकार ने कई कर लगा रखे हैं। राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कर लगाए जाते हैं। केन्द्र मोटर गाड़ियों, पुर्जों, टायरों और ट्यूबों, बैट्रियों, मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, तेल आदि पर कर लगाती है।

अब मैं आपके समक्ष कुछ आश्चर्यजनक तथ्य पेश करता हूं।

व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद के अनुमान के आधार पर एक ट्रक की पूरी कीमत में 62 प्रतिशत करों का अंश होता है। केवल डीजल पर लगा कर ही संचालन व्यय का 43 प्रतिशत बैठता है। इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। देश के कुल परिवहन संचालकों में 99.4 प्रतिशत छोटे संचालक हैं। अतः सड़क परिवहन पर लगे करों की समीक्षा की आवश्यकता है ताकि यह विकासोन्मुख बन सके और सड़क परिवहन व्यवस्था के विकास में आने वाली बाधाएं दूर की जा सकें।

पेट्रोल का मामला ही लीजिए। पेट्रोल के प्रत्येक लिटर पर हम उसकी कीमत का 68 प्रतिशत कर के रूप में अदा करते हैं जो उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार के पास जाता है। और नए बजट करों की घोषणा करने से पहले यह लगभग 64.28 प्रतिशत था। मैं सदन का अधिक समय तो नहीं लूंगा, परन्तु मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं वित्त विधेयक पर बिल्कुल भी नहीं बोला हूं। मैंने तो इस सारे के सारे प्रस्ताव के केवल एक इसी पहलू पर ही ध्यान केन्द्रित रखा है और इसलिए मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप चंद मिनट तक मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इसका आनन्द लेता हूं, वहन करना तो बोझ है।

श्री जी० एम० बनातवाला : सूती धागे पर उत्पाद-शुल्क 5,5 पैसे प्रति इकाई से बढ़ाकर 6 पैसे प्रति इकाई कर दिया गया है और शक्तिचालित खड्डियों के कपड़े के मामले में उत्पाद शुल्क 8% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। विशेषतया आम आदमी के व्यापक हित में, सारी की सारी तस्वीर हमारे समक्ष उपस्थित रहनी चाहिए। अतः मैं वस्त्र-क्षेत्र में शुल्क में की गई

भारी बृद्धि की ओर सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जबकि उद्योग 1951 में 51,000 लाख मीटर कपड़े और 6250 लाख किलो धागे के उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क और विक्रय-कर के रूप में 28 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा था तो 81,600 लाख मीटर कपड़े आदि 10,000 किलोग्राम धागे के लिए 1976 में 180 करोड़ रुपये तो उत्पाद-शुल्क के रूप में और 152 करोड़ रुपये कच्चे-माल पर कर के रूप में दिए गए। और इस प्रकार करों का कुल भार 332 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गया जो कि 1951 से लेकर 1976 तक 1086 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और तब से लेकर अब तक और अधिक वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकता के मामले में तो कुछ सहानुभूतिजनक रवैया अपनाया जाना चाहिये था। मैं 'भा समिति' के प्रतिवेदन का हवाला देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा जिसमें कहा गया है :

"अप्रत्यक्ष कर केवल राजस्व प्राप्ति के लिए ही नहीं लगाए जाने चाहियें, चूंकि इससे फिर अग्रताओं को पीछे धकेला जा सकता है और उद्देश्यों में बाधा पड़ सकती है।"

ये अप्रत्यक्ष कर 'बाजार में लाभकारी हस्तक्षेप' के लिए हैं। कपड़े पर कराधान इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप जनता के लिए बनाए गए कपड़े के मानक में विकासात्मक सुधार होना चाहिए।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने वित्त-विधेयक में ये संशोधन प्रस्तुत किये हैं। शहरी लोगों को अलग-थलग डाल करके, वित्त-मन्त्री महोदय ने उनके साथ बहुत ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया हैं। परन्तु क्या शहरी क्षेत्रों में गरीबी नहीं हैं ? सच्चाई तो यह है, कि जो विभेद किया गया है वह तो बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। और जहां तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है इनके बीच एक विरोधाभास खड़ा कर दिया गया है। अतः, देर से ही सही, मैं सरकार से अपील करता हूं कि उनमें बुद्धि का उदय हो, अन्यथा मुझे विश्वास है कि सरकार को देर-सवेर लोगों का कोपभाजन बनना पड़ेगा।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बहुत से संशोधन हैं, परन्तु मैं उनमें से कुछ को ही प्रस्तुत करूंगा और उनमें से कुछ अन्य को श्रीमती पार्वती कृष्णन लायेंगी। मैं मिट्टी के तेल, दियासलाई आदि जैसे घरेलू उत्पादनों को पूर्णरूपेण श्रीमती पार्वती कृष्णन के लिए छोड़ दूंगा।

जहां तक कुछ मदों पर उत्पाद-शुल्क के बढ़ाये जाने का सम्बन्ध है; मैं यह टिप्पणी करता हूं कि इस सरकार ने तुरन्त तैयार होने वाली काफी पर तो उत्पाद-शुल्क बढ़ा दिया है परन्तु तैयार होने वाली चाय चाय पर नहीं बढ़ाया है। इंसटेन्ट काफी पर कर लगाना तो उन्होंने आवश्यक समझा परन्तु इन्सटेन्ट चाय को कर के लिए नहीं चुना। यह तो लोगों के उस वर्ग पर, जो काफी पीता है और जो भारत के एक भाग का रहने वाला है, पर दण्डस्वरूप एक अहितकर कार्य किया गया है।

(व्यवधान)

यह वास्तव में ही भेद-भाव वाली बात है। जबकि उन्होंने चाय पर कोई कर नहीं लगाया है। क्या उन्हें कॉफी पर कोई कर लगाना चाहिए ? क्या यह उस क्षेत्र के प्रति विशेष

अहितकारी भावना का परिचायक है अथवा कॉफी पीने वालों के विरुद्ध उनकी और कोई शिकायत है ? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि काफी पीने वाले बुद्धिजीवी लोग होते हैं और निश्चित रूप से उन्हें दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसका जोर से विरोध करता हूं। (व्यवधान) हास-परिहास के अतिरिक्त, इस प्रकार का भेद-भाव बरतना गलत है क्योंकि इससे गलतफहमी खड़ी हो सकती है —और स्वार्थी दलों द्वारा इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। यह तो एक बहुत छोटा सा मामला है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस मद-विशेष को छोड़ दें।

दूसरा मामला बीड़ी से सम्बद्ध है। यह एक ऐसी मद है जिस पर भारी कर लगाया गया है। हम अनुभव करते हैं कि बीड़ी उद्योग अधिक कर सहन नहीं कर सकता। हमने यह सुझाव दिया हैं कि बीड़ी पर से कर हटाकर, जो कि 3 रुपये लगाया गया था उसे 2 रुपये कर दिवा जाये और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को 1 रुपये से घटाकर 50 पैसे कर दिया जाये, जिससे कि अधिकतम लागू दर 250 रुपये से अधिक न बढ़ जाये।

तीसरी बात पेट्रोल की है। जो श्री बनातवाला दक्षतापूर्ण रख चुके हैं उसमें मैं और कुछ नहीं जोड़ना चाहता। मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि क्या समिति ने देश की उपभोग पद्धति पर अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव का अध्ययन किया और यह पाया कि लोगों के निम्नतम-वर्ग जो कि शून्य से लेकर 15 रुपये प्रतिमास पेट्रोल के उपभोग पर खर्च करते हैं, को 3% 6 से 0.61% की परिवहन लागत झेलनी पड़ती है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे आंकड़ों की जांच करें। क्या समिति ने इसकी जांच की थी, और उनका कहना है कि परिवहन लागत बहुत ऊंची है और यह वस्तुओं और निम्न वर्ग के लोगो पर बोझ डालती है। कराधान द्वारा बोझ को और बढ़ाने, पेट्रोल और डीजल तेल पर उत्पाद-शुल्क की उगाही करके वस्तुओं की हरिवहन लागत को और बढ़ाकर निम्नतम वर्ग के लोगों पर बोझ और लाद दिया गया हैं। हमने यह सुझाव दिया है कि इसे 2700 रुपये के बजाय 2500 रु० कर दिया जाये।

मिट्टी के तेल और दियासलाईयों के बारे में श्रीमती पार्वती कृष्णन बोलेंगी। और फिर दो-पहिये और ति-पहिये स्कूटरों पर भी उत्पाद-शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इन्हें यातायात के लिए उपयोग में लाया जाता है। और पेट्रोल के ऊंचे दामों के कारण टैक्सियों के किराये भी आसमान छूने लगे हैं। वे भीहवाई यात्रा जितने मंहगे हो गये हैं और लोगों को टेक्सियों में यात्रा करना असम्भव हो गया है तथा यदि आप स्कूटर-यात्रा के दामों में भी वृद्धि कर दें तो मध्य-वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भारी मुसीबत में पड़ जायेंगे।

इसके बाद संशोधन सं० 72 को लीजिये। मैंने यह सुझाव दिया है कि साईकिल को उत्पाद-शुल्क योग्य मद सं० 35 के अधीन कर दिया जाय। उत्तर में, वित्त मन्त्री महोदय का कथन है कि एक प्रशासनिक आदेश के अधीन साईकिल 5% शुल्क वहन कर लेगी। मेरा यह सुझाव है कि जैसा आजकल होता है साईकिल और साईकिल पुर्जों को मद सं० 35 के अन्तर्गत रखा जाये। उसमें से 'साईकिल' शब्द ही लुप्त है। परन्तु 'साईकिल-पुर्जे' उसमें सम्मिलित हैं। इसके वजाय वे इसे 'साईकिल और साईकिल पुर्जे' कर सकते हैं और इसे 5% करके इसे उत्पाद-शुल्क योग्य सूची में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके पश्चात मद सं० 68 की बात यह है कि

उत्पादन, वितरण और उपभोग सभी क्षेत्रों में अनेक वर्गों पर कराधान के प्रभाव और प्रभाव-क्षेत्र के सभी परिणामों पर विचार किये बिना बोर्ड के ऊपर आर-पार 5 से 8 प्रतिशत की वृद्धि के मैं पूर्णरूप से विरुद्ध हूं।

मन्त्री महोदय कह रहे थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें साधन खोजने हैं और इसीलिए हमने कर में वृद्धि की है। परिणामों की जांच-पड़ताल किए बिना कर में 5 से 8 प्रतिशत की वृद्धि करने का मन्त्री महोदय को कोई खेद नहीं है। परन्तु इसके साथ-साथ ही गैर-योजना व्यय को अपने हाथ से मिटाकर या बोर्ड पर से 10 प्रतिशत घटाकर कम करना मन्त्री महोदय उचित नहीं समझते। उसके लिए उन्हें आयोग बिठाना पड़ेगा। करों में वृद्धि करने के लिये तो आपको आयोग की आवश्यकता नहीं है। केवल बात इतनी ही नहीं है, आप तो झा समिति के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। यदि मन्त्री कहीं यह कहते कि ठीक है, यदि घाटा बहुत ही अधिक है तो मैं आदेश देता हूं कि समस्त गैर-योजना खर्च पर बोर्ड के आर-पार 10 प्रतिशत की कटौती की जाये तो इससे लगभग 900 करोड़ रुपये की राहत मिलती। करों के बोझ को लादने और घाटे के बजट को लाने की कोई आवश्यकता ही न रहती। इसके बारे में मैं तृतीय वाचन के समय बोलूंगा। मैं कहता हूं कि इस मामले में यह सर्वथा एक गलत नीति है।

मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि लघु-उद्योगों के प्रति जनता सरकार का रवैया मौखिक सहानुभूति तक सीमित रहा है। मद 68 के अन्तर्गत लघु-उद्योगों पर अब वे विमुक्ति सीमा को 30 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये तक ले आए हैं और शेष के लिए 15 लाख रुपये से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। जिस पर उनका कहना है कि वे 4 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगायेंगे। वर्तमान नियम से, 30 लाख रुपये तक के उत्पादन वाले लघु उद्योग को कर-विमुक्त रखा गया है। यहां पर मन्त्री महोदय का यह कहना है कि 30 लाख रुपये में निर्यात की जाने वाली और उत्पाद-शुल्क लगने वाली वस्तुएं सम्मिलित हैं और इसलिये इसे 30 लाख रु० रखा गया है। लघु-उद्योग निर्यातक उद्योग नहीं है। सभी नहीं, बल्कि बहुत थोड़े से, बहुत छोटे-छोटे कुछ उद्योग निर्यात करते हैं और न ही उस सीमा तक सभी लघु उद्योग उत्पाद-शुल्क योग्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इसका परिणाम यह है कि जो लोग निर्यात करते हैं और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनको तो लाभ मिलेगा और जो वास्तव में ही लघु-उद्योगपति हैं उनको हानि रहेगी।

अब देखना यह है कि यदि सरकार द्वारा सुझाई गई योजना इतनी ही लाभप्रद होती तो ऐसी बात क्योंकर है कि आज लघु-उद्योगों के संघ यह कहते हुए उन्हें अभ्यावेदन प्रस्तुत करते कि इस नयी छूट का उपयोग करने के बजाय वे पुराने ही ढर्रे पर चलना अधिक पसन्द करते हैं। आज भी युवा-उद्यमियों के संघ ने आपको और प्रत्येक सांसद को एक ज्ञापन दिया है। उन्हें आपसे कोई सहायता नहीं चाहिये। उनका कहेना हैं "हमें हमारे मित्रों से बचाओ।" यदि सरकार उत्पाद-शुल्क लगने योग्य और निर्यात किये जाने योग्य वस्तुओं को 30 लाख रुपये की छूट से अलग रख कर कोई सहायता नहीं कर सकती तो उन्हें वह कम से कम यथास्थिति में तो रहने दे और उन्हें कोई राहत देने की आवश्यकता नहीं है। छूट देने के नाम पर वे लघु-क्षेत्र के लघु-

उद्योगों पर बोझ लाद रहे हैं। जो लोग निर्यात करने की स्थिति में हैं उन्हें तो नई योजना के अन्तर्गत लाभ पहुंचेगा। इस मद के अन्तर्गत उन्हें तो लाभ पहुंचेगा जो उत्पाद-शुल्क लगने योग्य वस्तुओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं परन्तु जो वास्तव में ही लघु-उद्योगपति हैं उन्हें घाटा रहेगा और उसने उस आशय का एक ज्ञापन दिया है कि उसको हानि किस प्रकार उठानी पड़ेगी। ऐसा कोई प्रथम बार नहीं हुआ है। अभी कुछ मिनट पहले मैंने बताया था कि उन्होंने किस प्रकार लघु-उद्योगों को करावकाश के लाभ से वंचित कर दिया है और यह दूसरी मद है जहां उन्होंने लघु-उद्योगों को लाभ से वंचित रखा है। लघु-उद्योगों को तो वे मौखिक सहानुभूति दिखाते रहे हैं।

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें आपकी रियायतों की आवश्यकता नहीं है। जनता सरकार बस हमें और लघु-उद्योगों को अकेला छोड़ दे। मैं उनमें से हूं जिन्होंने बड़ी सीमा तक लघु-उद्योगों का विकास किया और मैं उनकी समस्याओं से अवगत हूं। उन्हें आपकी रियायत की तुलना में विद्यमान स्थिति में रहना कहीं श्रेयस्कर लगेगा। मैं तो अपनी बात कर चुका हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मेरा प्रथम संशोधन मिट्टी के तेल पर उत्पाद-शुल्क घटाने से सम्बद्ध है। मैं इस बात पर कोई बहुत अधिक जोर देना नहीं चाहती क्योंकि जिस समय मैंने यह बात उठाई थी कि शहर के लोगों को छोड़ कर, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है यह उनके लिये एक आवश्यक वस्तु है तो मन्त्री महोदय उस समय यहां उपस्थित थे। इस बात को बार-बार दोहराने में कोई औचित्य नहीं है कि यह तो ग्रामीण-मूलक बजट है और फिर मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तु पर ऊपर से कर लगाते रहना। विद्युत अधिक पैदा करो और बच्चे कम, यही वह नारा था जो चीन और अन्य देशों ने अपनी जनता को दिया। आपका परिवार-नियोजन कार्यक्रम तो कठिनाई में पड़ गया है। आप मिट्टी के तेल पर कर लगा रहे हैं जिससे यह कार्यक्रम और भी खटाई में पड़ जाये। जनता पार्टी के राज्य में अन्धकार के बदले प्रकाश फैलाइये। कृपा करके तेल पर से यह कर भार हटाइये और मेरा संशोधन इससे सम्बद्ध है कि पुरानी ही स्थिति को फिर से लागू करिये। मन्त्री महोदय को बस धन की तलाश है और वे फिर इसकी खोज में यही करते रहेंगे। मैं कहती हूं कि इतना मत चिल्लाइये हम सब आपके साथ हैं। सामान्य चर्चा में कल हमने बताया था कि आप कहां से धन प्राप्त कर सकते हैं परन्तु आप तो उस ओर मुड़ कर भी देखने के इच्छुक नहीं, आप तो सदैव बस लघु-उद्योग क्षेत्र की ओर ही उन्मुख रहते हैं। श्री वेंकटारमन लघु-उद्योगों का हवाला दे रहे थे। जब मैंने मन्त्री महोदय से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक सही समस्या है, तथा उनका कहना था कि कार्यक्रम के बारे में मैं लघु उद्योगपतियों से भेंट करूंगा। मैंने उनसे यह कहा था कि मद 68 के अधीन जब श्रम पारिश्रमिक एकत्रित किया जाता है, जब बड़े उद्योग कच्चा-माल आदि देते हैं तथा लघु-उद्योग क्षेत्र उन उद्योगों से केवल श्रमिकों का भुगतान लेता है, तो कभी-कभी तो मद 68 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क श्रमिकों के पारिश्रमिक से भी अधिक हो जाता था। उन दिनों में आपका क्या उत्तर होता ? मैंने कहा था कि सहायक उद्योगों और बड़े एककों से आए कल-पुर्जे पर उत्पाद-शुल्क लगाया जा सकता है तो अभी कुछ समय पहले 27 जनवरी, 1979 को आपका उत्तर था···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : दो मास पूर्व।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : स्वामी जी, अभी आप युवक हैं यह बात आपकी समझ में बैठने वाली नहीं है ··· (व्यवधान)

27 जनवरी, 1979 को मन्त्री महोदय का यह उत्तर था कि निर्माण क्रियान्विती के विशाल क्षेत्र को समेटने वाले माध्यमिक उत्पादन पर लगाये जाने वाले कर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को लगाने के नियम ··उस समय आप हर अवस्था में, हर स्तर पर उत्पाद शुल्क लगाने को न्यायसंगत ठहरा रहे थे। फिर आप कहते हैं कि कुछ भी हो, टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाले जो लघु उद्योग क्षेत्र के एकक वर्ष में 30 लाख रुपये की मिलने वाली वर्तमान छूट को प्राप्त करते हैं उन्हें वास्तव में छोटे पैमाने के उत्पादकों के हितों की सामान्य रूप से देखभाल करनी चाहिये। वह तो थी 27 जनवरी की बात। क्या मैं यह पूछ सकती हू कि 28 फरवरी, 1979 तक आपको क्या तथ्य हाथ लगे, जो कि मात्र 32 दिन का समय हैं, जिससे आपको पता लगा कि 30 लाख रुपये की सीमा तो बहुत अधिक है ?

एक और मास की अवधि में आप क्या उत्तर लिखने जा रहे हैं ?

यहां आप बड़े ही विश्वास के साथ फरमाते हैं कि यही वह मार्ग है जिससे हम नियमित क्षेत्र को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं आदि आदि। और लघु-उद्योग क्षेत्र के बारे में आपके क्या विचार हैं ? पीछे श्रम मन्त्री महोदय बैठे हैं, मैं चाहती हूं कि वे भी यह बात समझ लें कि लघु-उद्योग क्षेत्र छोटे-छोटे एककों में विभाजित होने जा रहा है और श्रम मन्त्री महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में जो न्यूनतम संरक्षण श्रमिकों को अब मिल रहा था जबकि श्रम मन्त्री महोदय राज्य के श्रम मन्त्रियों से अपनी बात मनवा सकते हैं तो, वह भी समाप्त हो जायेगा। होजरी उद्योग में यही तो हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोयम्बटूर में, जहां पहले किसी लघु-उद्योग में 50 श्रमिक थे, वहां अब बड़े-एककों के टूटकर छोटे एककों में बट जाने के कारण 20 या 10 अथवा 5 व्यक्ति रह गये हैं। इसके अतिरिक्त बम्बई और कलकत्ता में ऐसे भी लोग हैं जो वहीं बैठे-बठे अपने व्यापार-चिह्न, नाम देते रहते हैं, उनको तो आप छूते तक नहीं तथा उन पर कोई कर नहीं लगाया जाता। आप उनके पास से साधनों की खोज क्यों नहीं करते ? क्या आपने उन पर कर लगाने की बात सोची है ? ये तो अत्यन्त ही लघु एकक हैं। व्यापारिक नाम हैं, 'विक्टर' आदि। मैं आपको उन सबके नाम दे सकती हूं। उन पर कोई कर नहीं लगाया जाता/क्योंकि वे कोई उत्पादक तो हैं नहीं। वे उद्योग नहीं हैं...

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप तो विसापित कर रही हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : नहीं, मैं विज्ञापन नहीं कर रही हूं। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि मैं आपको नाम दूंगी। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं आपके समक्ष नामों की घोषणा करूंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : पोस्ट कार्ड या अन्तर्देशीय पत्रों पर ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : अन्तर्देशीय पत्रों की कीमत तो 25 पैसे तक पहुंच गई है। अब तो मैं प्रयोग करना आरम्भ करूंगी···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पोस्ट कार्ड लिख रही हों...

श्रीमती पार्वती कृष्णन : इस सरकार को यह जेब काटने का धन्धा बन्द कर देना चाहिये।

यह तो जेब काटने वाला बजट है। वे लघु-उद्योगों की जेबें साफ कर रहे हैं। वे आयकर पर अधिभार लगाकर राज्य सरकारों के साधनों को हड़प रहे हैं। वे गृह-स्वामिनियों की जेबें—तराश रहे है। यह बात महोदय आपकी पत्नी ने आपको बता दी है क्योंकि आप मुझे वह बता चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी पत्नी के साथ हुये वार्तालाप की सदैव गोपनीय रखता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : आप उसे गोपनीय रख सकते हैं। उनके साथ आपकी कोई लड़ाई तो नहीं है।

वह तो आपसे इसलिये शिकायत कर रही थीं क्योंकि आप तो सहानुभूतिपूर्वक बातें सुनने वाले व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य से सरकार में वैसी सहानुभूति का अभाव है। स्थिति की यही तो त्रासदी है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमती दण्डवते को तो मैदान में उतरना पड़ा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : श्रीमती दण्डवते तो बेलन उठाये हुए हैं। आपकी पत्नी तो ऐसा नहीं करतीं। मुझे नहीं मालूम कि वे ऐसा करती भी या नहीं। श्रीमती दण्डवते तो गलियों मे बेलन उठाये हुए थीं, परन्तु घर में नहीं। इसीलिए तो यहां पर वह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बैठे हैं।

अध्यय महोदय : यह भी एक कारण है कि घर में न होकर यहां बैठे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमती जार्ज फर्नान्डीस के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उनका विचार परिवर्तन कर दिया गया है।

अब करों की बात पर वापिस आती हूं। कोयम्बटूर के मुख्य फाऊंडरी केन्द्रों में से 250 तो 200 विद्युत-मोटरों और पम्प निर्माण एककों और 90 टैक्सटाइल एककों की आपूर्ति करती हैं। उन्होंने इस वर्ष 44 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क दिया है जबकि उत्पादन 30 लाख रुपये से ऊपर है, फिर भी उन्हें उससे संतोष नहीं है।

जहां तक आपके टैक्सटाइल-एककों का सम्बन्ध है आप यह कहकर उन्हें रास्ता दे रहे हैं कि ठीक है हम आपको आयकर में छूट देते है। यदि आप यह कहते हैं कि आप ग्रामीण विकास कर रहे हैं तो यह तो एक बहुत ही विशेष प्रकार का दर्शन है। अतः, हमने बताया कि न्यायसंगत कर ढांचा खड़ा कीजिए और मन्त्री महोदय मुझे यह मत बताइये कि लघु-उद्योग आसानी से इन करों के भार को वहन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है ऐसा एक भी पत्र नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि लघु-उद्योगों ने कितना आपको कर दिया, औद्योगिक उत्पादन कितना हुआ और कितने रोजगार के अवसर जुटाए जा सके। मैं आपको बताती हूं कि अकेले तमिलनाडु में तो कि लघु-उद्योगों के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है क्योंकि हमें बहुत पहले से ही उस क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलने लगा था। हमारे यहां लगभग 4000 एकक हैं, जिनमें 80,000 कामगारों को रोजगार मिला हुआ है और आप चाहते है कि वे 80,000 मजदूर भी उसी प्रकार कष्ट उठाएं जिस प्रकार कि त्रिमको के मजदूर उठा रहे हैं। मैं आपसे यह नहीं मांग कर रही कि आप बड़े एककों को राहत दें, वैसी कोई बात हम आपसे नहीं कह रहे। परन्तु हमारा कहना है कि आप कम से कम जब लघु उद्योगों की बात करें तो इस बात को अवश्य समझ लें। मेरे

विचार से आप ऐसा नहीं करते। आपको यह बात समझनी चाहिये और इसीलिए यह 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये और फिर वापिस 15 लाख रुपये का व्यापार चक्कर समाप्त होना चाहिये। इसीलिए तो मैं श्री वेंकटारमन द्वारा प्रस्तुत किए गये इस संशोधन का समर्थन करती हूं कि 15 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर फिर 30 लाख रुपये कर दिया जाए और आयकर में यह परन्तुक जोड़ दिया जाए जिससे वित्त-मन्त्रालय में बैठे आपके चाटुकार अपनी इच्छानुसार जब चाहें कोई ऐसा ज्ञापन जब-तब न निकालते रहें जिसके अनुसार उस समय उन पर किसी का भी दवाब क्यों न हो।

श्री के० टी० कोसलराम (त्रिचेन्दूर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो इसे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री के० टी० कोसलराम : "1.30 रुपये **के स्थान पर** 75 पैसे **प्रतिस्थापित किया जाये।**"

मेरे माननीय मित्र, मन्त्री महोदय ने आज सवेरे सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से यह कहा था कि यदि यह श्रमिकों के हित में है तो सरकार यहां तक कि उत्पाद-शुल्क को भी घटा देगी। सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से कतई नहीं हिचकेगी यदि इसमें श्रमिकों का हित निहित है।

इस दियासलाई उद्योग के तीन पहलू हैं।

मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह शत प्रतिशत सही है। श्रमिकों का हित पहली बात है। दूसरा पहलू यह है कि आप हमेशा कहते रहे हैं "हम छोटे पैमाने के उद्योगों के रक्षक हैं।" किन्तु जितने भी सदस्यों ने बोला है, उनमें से किसी ने भी आपकी नीति की सराहना नहीं की। मांग की गई है कि मशीनयुक्त क्षेत्र में उत्पाद-शुल्क में केवल 1.50 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। किन्तु आपने इसमें 2,70 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। विमको मशीनों से दियासलाई का निर्माण करता है और उन्होंने दियासलाई का मूल्य बढ़ा दिया है। वे एक दियासलाई 20 पैसे की बेच रहे हैं। आपने छोटे पैमाने के क्षेत्र पर लगने वाले शुल्कों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की है किन्तु वे अभी भी एक दियासलाई का डिब्बा 20 पैसे में बेच रहे हैं। इससे राजकोष में घाटा हो रहा है। आप काले धन की वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने जो अपील की है, वह मैंने आपको कल दिखाई है। वे स्वयं 1.50 रुपये चाहते थे। किन्तु आप इसे 2.70 रुपए कर रहे हैं। यह दूसरा पहलू है। हमारी महिला सदस्या ने कल कुछ बातें कही हैं। किन्तु श्रमिकों के संघ ने मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य कई स्थानों से आपके पास ज्ञापन भेजे हैं। मशीनयुक्त क्षेत्र में दियासलाई उद्योग पर 40,000 लोग निर्भर हैं। कुछ लोग दियासलाई उद्योग के लिए लकड़ी के काम में भी लगे हुए हैं। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 60,000 लोगों की जीविका समाप्त हो जायेगी जो कि इस उद्योग पर आश्रित हैं। मुझे खुशी है कि आज सुबह आपने घोषणा की है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जायेगी। मेरी आपसे अपील है कि आप अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क बढ़ाकर 1.50 रुपये कर दीजिये। यदि आप उत्पाद शुल्क इस ढंग से लगायेंगे तो इससे साधारण उपभोक्ताओं को हानि नहीं होगी। मशीनयुक्त वाला क्षेत्र एक दियासलाई का डिब्बा 15 पैसे में बेचेगा। हाथ से माचिस बनाने वाले भी इसे 15 ही पैसे में

बेचेंगे। मेरी मंत्री महोदय से अपील है कि वह इस संशोधनों को स्वीकार कर लें। हमारे उप-प्रधान मन्त्री ने कल घोषणा की कि लोगों ने अप्रत्याशित क्षेत्रों से मशीनयुक्त क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के बारे में अभ्यावेदन भेजे हैं। पता नहीं अप्रत्याशित क्षेत्र से उनका क्या मतलब है किन्तु उप-प्रधान मन्त्री ने न्यूनाधिक रूप से इसे स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि मेरे मित्र, श्री अग्रवाल भी हमारे संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : श्रीमान, मैंने अपना संशोधन इसलिए पेश किया क्योंकि वित्त मन्त्री द्वारा पेश किया गया वित्त विधेयक जन विरोधी है और उत्पाद शुल्कों के लगाने से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर भार पड़ेगा। जनता सरकार ने कहा है कि यह बजट ग्रामीण है। किन्तु वास्तविकता यह है कि उन्होंने मिट्टी के तेल पर बहुत अधिक उत्पाद शुल्क लगाया है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। खेतिहर मजदूर, सीमान्त किसान आदि सभी इसका उपयोग करते हैं। किन्तु इस पर उत्पाद शुल्क लगा दिया है, बिस्कुटों पर भी अधिक उत्पाद-शुल्क लगाया गया है। क्या सरकार का यह कहना है कि केवल समृद्ध लोग ही बिस्कुटों का प्रयोग करते हैं, विस्कुट अधिकांशतः मरीज तथा बच्चे खाते हैं। अतः इस उत्पाद शुल्क से मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है और इसीलिए शायद बच्चों के हित में विस्कुटों पर बहुत कर लगाए गए हैं।

सरकार ने टूथ पेस्ट पर उत्पाद शुल्क लगाने में कोई संकोच नहीं किया है, क्योंकि वे समझते हैं कि इसका प्रयोग केवल समृद्ध लोगों द्वारा ही किया जाता है। ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है ? निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी टूथ पेस्ट का प्रयोग करते हैं। इस पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क से ये लोग प्रभावित होंगे।

साबुन पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि गरीब लोग साबुन का प्रयोग नहीं करते। शायद माननीय मंत्री जी कहेंगे कि गरीब लोग साबुन का प्रयोग नहीं करते और इसी कारण इस पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

दियासलाई पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है, जिसका उपयोग अधिकांशतः ग्रामीण लोग करते हैं। दियासलाई पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का क्या प्रयोजन है। इससे तो छोटे पैमाने के क्षेत्र में विशेष रूप से दियासलाई के कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। और विमको में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष रूप से समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

मैं अपने संशोधन पेश करना चाहता हूं और मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के बारे में ही संशोधन रखे हैं। मैंने कोई संशोधन पेश नहीं किया है।

इससे पहले कि मैं संशोधनों पर बोलूं, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं और आशा भी करता हूं कि आप मेरे निवेदन पर अवश्य विचार करोगे। मुझे याद है कि 1951 में अस्थायी संसद में भी इसी तरह की घटना हुई थी जबकि रात्रि में बैठक हुई और तत्कालीन गृह मंत्री, श्री राजगोपालाचारी ने प्रथम संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था। वह बैठक को लम्बा चलाना चाहते थे और मैंने उठकर कहा कि हम उनके साथ पूरा सहयोग करने के लिए

तैयार हैं और यदि आवश्यक हो तो सारी रात बैठक चल सकती है, बशर्ते कि आप हमारे लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था कर दें। वह एकदम अपने स्थान से उठे और हमें रात्रि भोजन देने के लिए तैयार हो गए और फिर रात्रि भोजन के पश्चात भी बैठक हुई। 8 बजे तक बैठक हुई और उसके पश्चात हमने यहाँ लाज में रात्रि भोजन किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे भी एक संशोधन समझता हूं।

श्री हरि विष्णु (कामत) : मैं इस पर काफी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आप नहीं, रात्रि भोजन की व्यवस्था सरकार करे।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं तत्काल तैयार हो गया।

जो कुछ राजा जी कर सकते थे, क्या जनता सरकार अब नहीं कर सकती ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

श्री हरि विष्णु (कामत) : मैं आप पर बोझ नहीं डालता हूं। जब श्री मावलंकर पीठासीन थे तो मैंने उन पर भी कोई भार नहीं डाला। अतः, मैं आप पर भी कोई भार नहीं डालता। परन्तु राजा जी की तरह "हां" कहना शिष्टाचार की मांग है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : आप क्या चाहते हैं ?

श्री हरि विष्णु (कामत) : मैं आपको विचार दे सकता हूं परन्तु उसे समझने के लिए मस्तिष्क देना मेरे बस की बात नहीं।

अध्यक्ष महोदय : रात्रि भोज को छोड़कर अब हमें संशोधन की बात करनी चाहिए। मेरे विचार से वे उस पर विचार करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने कोई अन्य संशोधन प्रस्तुत नहीं किये हैं, यह लगभग अन्तिम सूची है अथवा उपान्तिम सूची। परन्तु यह कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि यह जो मद सं० 68 है निकृष्टतम कोटि के कर से सम्बद्ध है। और मैं यह कहूंगा कि यह एक अन्यायपूर्ण कर है तथा बजट के दर्शन के बिल्कुल उलट है। माननीय उप प्रधान मन्त्री महोदय जब कल या परसों नई राहतों की घोषणा कर रहे थे तो वे बजट के औचित्य पर बोले थे। मेरे विचार से इस मद सं० 68 का तो कोई औचित्य नहीं। यह तो पूर्णतया सारी की सारी अनुचित है। और क्यों है ? क्योंकि गत तीन वर्षों में इस उत्पाद शुल्क विशेष में 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह भी दुर्भाग्य से, मुझे दुःख है कि मुझे ऐसी बात कहनी पड़ रही है, जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। 1977 में इसे 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया। मेरे पास 1944 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधिनियम की तालिका है। जनता पार्टी के सत्ता में आने से पूर्व यह केवल 1 प्रतिशत था। फिर इसे 1977 के 29वें अधिनियम के द्वारा 2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। और फिर गत वर्ष अचानक 1978 के 19वें अधिनियम द्वारा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर इसे 5 प्रतिशत कर दिया गया जो कि एक बड़ी वृद्धि थी। अब इसे 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जा रहा है। आप तो बस लोगों को लूटना चाहते हैं, यह एक प्रकार की डकैती है—मेरे पास इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है—केवल धन बटोरने के लिए, केवलमात्र साधनों

में वृद्धि करने के लिए चाहे हों फिर अच्छे या बुरे किसी भी ढंग से जिसमें बुरे की मात्रा अधिक है और अच्छे की कम । मेरी समझ में तो यह बात बिल्कुल भी नहीं आती । यह बहुत निकृष्ट कोटि की ज्यादती है ।

1977 के वित्त विधेयक के व्याख्यार्थ ज्ञापन में वे इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पृष्ठ 57 पर एक छोटा-सा स्पष्टीकरण दिया गया है, कहा गया है—'फैक्ट्री' की परिभाषा को इसमें से दूर करने के लिए टैरिफ विवरण में संशोत्रन किया है—

"**विद्यमान विवरण :** वे सभी वस्तुएं जिनको अन्यत्र स्पष्ट नहीं किया गया है, किसी फैक्टरी में निर्मित परन्तु छोड़ते हुए आदि ।"

इसके पश्चात एक स्पष्टीकरण है :

"**स्पष्टीकरण :** इस मद में 'फैक्ट्री' शब्द का वही अर्थ है जो इसे 1948 के फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 (ड) में दिया गया है ।"

और प्रस्तावित उपबन्ध निम्न प्रकार है :

"**प्रस्तावित विवरण** : वे सभी वस्तुएं, जिनको अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है, परन्तु छोड़ते हुए, आदि ।"

यहां पर एक पादटिप्पणी भी दी गई है। वह पादटिप्पणी क्या है ? इसमें यह कहा गया है :

"फैक्ट्री की परिभाषा को विलुप्त करने के लिए टैरिफ विवरण का संशोधन किया गया है । फिर भी, छूट प्रदान करने वाली एक अधिसूचना के आधार पर 'फैक्टरियों' से बाहर निर्मित होने वाले सामान को पूर्णरूप से इससे विमुक्त किया जा रहा है ।" परन्तु इसमें एक उलझन भरी त्रुटि है । और वह त्रुटि क्या है ? इसके लिए कृपया फैक्ट्री अधिनियम पर दृष्टिपात करें । मेरे पास 1948 का फैक्ट्री अधिनियम है, जिसकी धारा 2 (ड) में फैक्ट्री का अर्थ निम्न प्रकार से दिया गया है :

'फैक्ट्री' का अर्थ है, कोई भी वह स्थान, जिसमें प्रांगण भी सम्मिलित है, जहां दस या दस से अधिक कामगार काम कर रहे हों अथवा गत बारह मास के किसी दिवस को काम कर रहे थे और जिसके किसी भी भाग में निर्माण प्रक्रिया चल रही है, जो कि शक्ति की सहायता से या सामान्यरूप से इसी प्रकार चलती रहती है ।

"अन्यथा (ii) जहां 20 या उससे अधिक कामगार काम कर रहे हों या गत बारह महिनों के किसी भी दिन उसके किसी भी भाग में कार्य कर रहे थे और कि निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता लिये बगैर चल रही हो या सामान्य रूप से इसी प्रकार चलाई जाती हो ।"

नई व्यवस्थानुसार यदि इस प्रकार की फैक्ट्री में 10 या 20 कामगारों की सहायता से, बिना शक्ति (ऊर्जा) के वस्तुओं का निर्माण होता है तो तब तो उन्हें 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा और वे इससे विमुक्त नहीं रखे गये हैं । केवल उसी सामान को छूट दी गई है जो कि फैक्टरियों के अलावा अन्य स्थानों पर निर्मित होता है । यदि आप किसी लघु-क्षेत्र

फैक्ट्री में, किसी कुटीर उद्योग में, यहां तक स्वयं अपने घर में, अपनी स्वयं की कुटीर में माल तैयार करते हैं तो उसे भी विमुक्त नहीं रखा गया है, क्योंकि फैक्ट्री की परिभाषा ही ऐसी है। अतः, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें यह वृद्धि, उत्पाद-शुल्क में यह वृद्धि पूर्णरूप से अन्यायपूर्ण है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण इन छोटे घरेलू उद्योगों में हो रहा है और उन्हें छूट मिलेगी चूंकि वे फैक्टरियां हैं ? पैंसिलों, चूड़ियों, बर्फ, लालटेनों, मोमबत्तियों, तांगे के हिस्सों, कृषि औजारों आदि का ही उदाहरण लीजिये। यदि यह जनता-पार्टी के दर्शन के विरुद्ध गैर-जनता बजट, जनता चुनाव घोषणा पत्र के विरुद्ध नहीं है तो और क्या है ? मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है तथा मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है तथा मुझे गहरा धक्का पहुंचा है और मैं इस व्यवस्था से नाराज हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं भी आपके गुस्से में सहभागी हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छी संगति में हूं।

अतः मेरा मन्त्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि वे इस पर फिर से विचार करें। मुझे प्रसन्नता होती यदि इसे 5 प्रतिशत से घटाकर 3 या 2 प्रतिशत तक कर दिया जाता। परन्तु आप तो इसे 5 से 8 प्रतिशत कर रहे हैं। इस 3 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से आपको कितना रुपया इकट्ठा करने की आशा है ?

श्री सतीश अग्रवाल : 100 करोड़ रुपये।

श्री हरि विष्णु कामत : कर उगाहने में तो आप बहुत ही माहिर हैं। आप तो पहले अपना कर्त्तव्य पूरा करें और गरीब लोगों को भुला दें। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि जनता पार्टी का इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है।

अतः मेरा दिली निवेदन है कि इसे घटाकर कम किया जाये और कम से कम पूर्व निश्चित दर को ही बनाये रखा जाये। मुझे इसके घटाने पर खुशी होती।

मेरे माननीय मित्र श्री विनोद भाई शेठ ने इसे 5 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने इसे बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के एक संशोधन का नोटिस दिया है, परन्तु मैं इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैं तो 5 प्रतिशत पर ही दृढ़ हूं। आप 5 प्रतिशत पर ही टिके रहिये और अन्य तरीकों से धन खींचने का प्रयत्न और जनता दर्शन, जनता चुनाव घोषणा-पत्र, उस जनता पार्टी के जो कि 1977 में चुनाव लड़ने गई थी, को पूर्णतया नष्ट न कीजिये। इसकी वह शान्तिपूर्ण क्रान्ति जिसको यह ला रही है विनष्ट नहीं होनी चाहिये। हमने इसे 2 से 5 प्रतिशत किया और अब इसे 8 प्रतिशत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत हैं और दाएं, बाएं तथा केन्द्र के अधिकांश सदस्य मुझ से सहमत हैं।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि 8 प्रतिशत को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए और तालिका में फैक्ट्री की मूल व्यवस्था को, फिर से बनाए रखा जाये, जिससे कि कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को 8 प्रतिशत कर का भुगतान करने से विमुक्त रखा जा सके। और उन्हें जैसा कि अब किया जाने वाला है 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क न देकर केवल 5 प्रतिजत का ही भुगतान करना

पड़े । अन्यथा लघु तथा कुटीर उद्योगों को 8 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें कर से विमुक्त नहीं रखा जायेगा ।

मैं अपने तीन संशोधनों सं० 115, 117 और 118 को प्रस्तुत करता हूं और उन्हें मन्त्री महोदय, सरकार, सरकारी बैंचों और सारे ही सदन की हार्दिक स्वीकृति के लिए रखता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह जो थर्ड शैड्यूल है यह सब से ज्यादा मिस्चीवस है जिसके कारण लोगों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है, वे लोग चाहे गांवों के हों चाहे शहरों के हों । इतना नेट बिछा दिया है कि शायद ही कोई आदमी इससे बचा हो । अभी तक 30 साल के बजट में ऐसा नेट नहीं बिछा था जैसा कि इसमें बिछा है । आपने कुछ मार्जिनल रिलीफ दी है—सोप में और दूसरी चीजों में । लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है । प्राइसेज गैलप कर रही हैं । आप कहते हैं साढ़े चार परसेंट प्राइसेज बढ़ी हैं लेकिन अगर कन्ज्यूमर रिटल प्राइसेज देखें, उसको स्टडी करें, तो मैं कह सकता हूं, दिल्ली में हमने सर्वे किया है, पांच परसेंट से 25 परसेंट तक चीजों के दाम बढ़े हैं । आप भी ठीक कहते हैं; बजट के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ी हैं, कुछ सरकारी विभागों के कारण ही उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है । इन सबने मिलकर ही चढ़ती हुई कीमतों पर प्रभाव डाला है । पोजीशन यह हो गई कि पांच परसेंट से 25-30 परसेंट तक दाम बढ़ गए । अब यह हालत है कि जिस परिवार की आमदनी 800 रुपये है उस पर सौ रुपये का बोझ बढ़ गया, जिसकी पन्द्रह सौ रुपये है उस पर डेढ़ सौ रुपये का बोझ बढ़ गया । इस तरीके से हरएक आदमी पर जो बोझ पड़ा है उसको बर्दाश्त करना उसके लिए संभव नहीं है । मैं समझता हूं पहले तीस वर्ष में कभी ऐसा बजट नहीं आया जैसा कि इस बार आया है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अभी तो आप कोई कंसेशन देंगे नहीं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन आप को करना है । उसके लिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं । लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि कम से कम आइन्दा आप इसकी जांच करें कि प्रोडक्शन पर इसका कितना असर पड़ रहा है, कन्ज्यूमर्स पर कितना असर पड़ रहा है और लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं । आप महीना, पन्द्रह दिन इसकी साइंटिफिक स्टडी जरूर करिए और यह एश्योरेंस दीजिए कि इस जाल की वजह से जो सभी चीजों के दाम चढ़ गए हैं उनको आप आहिस्ता-आहिस्ता कम करेंगे । अगर आपने इसमें देर लगा दी और बाद में कम भी किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा । आप देखें कि वनस्पति घी के दाम आपने नहीं बढ़ाए लेकिन फिर भी एक टिन पर 20 रुपये दाम चढ़ गए । यह बजट की वजह से नहीं है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट एस० टी० सी० की प्राफिटियरिंग इन सब चीजों की वजह से हो गया ।

जो ट्रक्स बन रहे हैं, एक ट्रक पर पन्द्रह हजार का ब्लैक है । उसके टायर भी नहीं मिल रहे हैं । उन पर भी ब्लैक है । चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है । टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश, वाशिंग सोप, नहाने का साबुन, टायलेट सोप, हर एक चीज के दाम बढ़ गए । जो झा कमेटी की रिपोर्ट है उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया । मैंने कल ही इस बारे में एक सवाल पूछा था उसमें मैंने पूछा था कि स्माल स्केल सेक्टर और आर्गेनाइज्ड सेक्टर में टायलेट सोप, टूथ वाशिंग सोप, ब्रुश, टूथपेस्ट आदि जो हैं वे कितने बनते हैं । इनके बारे में मेरा जो संशोधन है वह यह है कि आप जो

ये चीजें काटेज इन्डस्ट्रीज में बनाते हैं, उनको रिलीफ दीजिए और उसको 2 परसेन्ट कर दीजिए, जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उससे थोड़ा बढ़ाइए और जो मीडियम और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए जितना अब है, उतना ही रखिये। यह जनता पार्टी की पालीसी है कि हम चाहते हैं कि लेबर आरियेन्टेड इंडस्ट्रीज हों। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि टूथ पेस्ट स्माल स्केल सेक्टर में कितना बनाते हैं, तो मुझे यह जवाब मिला था कि 1978-79 में स्माल स्केल सेक्टर में 687 टन टूथ पेस्ट बनाया गया और आर्गेनाइज्ड सेक्टर में 1978-79 में 10,932 टन टूथ पेस्ट बनता है। इसी तरह से टेलकम पाऊडर्स की बात है। स्माल स्केल सैक्टर में 1972 में 78.68 लाख टन बना और आर्गेनाइज्ड सेक्टर में 2,637 टन बनता हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो स्माल स्केल सेक्टर में बनता है, उनको एन्क्रेज करने के लिए आप उनको सुबिधा दोजिए।

आइटम नं० 68 के बारे में कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 30 लाख रुपये जो पहले था, उसको कम करके 15 लाख रुपये आपने कर दिया है और इसका असर केवल 300 इन्डस्ट्रीज पर पड़ा। कोई बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है अगर इसको आप 30 लाख रुपये भी कर देते हैं। यहां पर सी० पी० आई०, सी० पी० एम० और कांग्रेस के लोगों ने भी कहा है और चारों तरफ से यह मांग है कि स्माल स्केल सैक्टर के लिए आप आइटम नं० 68 को ठीक करिये। खास तौर से मेरा उसमें एमेंडमेंट यह है।

मेरा संशोधन यह है :

'पृष्ठ 64, पंक्ति 14 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"परन्तु यह कि अन्य सभी वस्तुओं के मामले में, जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं किया गया है,—

(i) यदि हस्तनिर्मित हो तो उत्पाद-शुल्क की दर होगी—	एक प्रतिशत यथामूल्य,
(ii) यदि कुटीर-उद्योग निर्मित हो तो उत्पाद-शुल्क की दर होगी—	दो प्रतिशत यथामूल्य,
(iii) यदि दस लाख रुपये के पूंजी निवेश से लघु-उद्योगोंमें निर्मित हो तो उत्पाद शुल्क की दर होगी—	पांच प्रतिशत यथामूल्य।"

अन्त में, क्या मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन कर सकता हूं कि वे सदन को यह विश्वास दिलाएं कि भविष्य में भी वे मामले का ध्यान रखेंगे और इसकी जांच-पड़ताल करेंगे और यदि इसमें कमी करने का कोई मामला बनता दृष्टिगोचर होगा तो वे इसमें कमी कर देंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मन्त्री महोदय का इरादा तो यह है कि वित्त-विधेयक द्वारा लोगों पर थोपे गये किसी भी अतिरिक्त बोझ का हम विरोध न करें। माननीय सदस्यों ने यहां कई बातें कही हैं। मैं भी उनके कथन में अपनी बातें जोड़ता हूं। श्री कंवरलाल गुप्त तो सत्ता-धारी दल के ही सदस्य हैं, फिर भी मैं पूर्णतया उनके कथन से सहमत हूं, जबकि मैं जानता हूं कि वे अपने संशोधनों को वापिस ले लेंगे। यह विचित्र बात है कि जनता सरकार ने सत्ता में आने के बाद, उत्पाद शुल्क को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया। वे तो लोगों को दिये गये अपने ही वायदों का उल्लंघन कर रहे हैं।

मैं इन नये उत्पाद-शुल्कों के लगाये जाने का कड़ा विरोध करता हूं। आप साबुन पर, टूथ ब्रुश पर, टूथ पेस्ट, बिस्कुट पर उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं, परन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिये कि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाल-वर्ष है, और अब गरीब आदमी तो अपने बच्चों के लिये बिस्कुट खरीदने से रहा। आपने केवल इन्ही मदों पर शुल्क नहीं लगाया है, अपितु और बहुत सी मदें आपने इसमें और जोड़ दी हैं। फालतू पुर्जों पर भी जो एक ट्रक या कार को चलाते रहने के लिये आवश्यक होते हैं आपने और उत्पाद शुल्क लगा दिया है। केवल इतना ही नहीं आप तो तालों और तालियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अब आप अपने घर को ताला भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताले और चाबियों पर तो **यथामूल्य** 20% इसमें लागू किया गया है।

अत: जनता सरकार इसे परिहासजनक बना रही है। परन्तु आपको तो यह सब परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप जनता के पास जाकर अब उनका सामना कीजिए। कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। यह तो महामारी के समान रूप धारण कर गई है। यदि किसी एक मद की मूल्य-वृद्धि की जाती है तो अन्य उन मदों की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हो जाती है जिन पर कि कर भी नहीं लगाया गया। यही सब कुछ प्रत्येक क्षेत्र में घट रहा है और मैं देख रहा हूं कि उन मन्त्रियों को इसकी कोई चिन्ता ही नहीं है जो यहां निजी मामलों पर बैठकर गप्पें हांक रहे हैं। उन्हें तो इस बात की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, कतई कोई चिन्ता ही नहीं है कि वे कितनी गम्भीर गलती अब कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : श्रीमती पार्वती भी वहीं हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमती पार्वती और श्री रविन्द्र वर्मा भी तो हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : और श्री दीनेन भट्टाचार्य भी हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानता हूं कि विरोध प्रकट करके और अपना संशोधन प्रस्तुत करने के बाद आप श्री रवीन्द्र वर्मा का साथ दे रही हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं तो उनके पास उन्हें 'विमको' मजदूरों के लिये कुछ करने के लिये कहने गई थी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह याद दिला दिया कि उन मजदूरों का क्या बनेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उन्हें मजदूरों के बारे में याद दिलाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप यहां भी अपना मजदूर संघ वाला मुकाबला चला रहे हैं ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता.....

इस्पात और खान मन्त्री (श्री बीजू पटनायक) : वह बहुत भूखे होंगे, तभी तो भूल रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस्पात मन्त्री यहां बैठे हैं और वे लोक-उद्यम ब्यूरो को यह कहकर दोष दे रहे हैं कि उन्हीं के कारण वे वेतन-निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें यह बात भूलनी

नहीं चाहिये, यदि वे वेतन के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते तो इस्पात संयन्त्रों के मजदूर उनका मुकाबला करने के लिये कमर कस रहे हैं। यही बात कोयले और अन्य चीजों के बारे में भी सत्य है। अतः मेरा इस्पात, मन्त्री महोदय से जो कि अन्यथा मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, निवेदन है कि वे अपना कर्त्तव्य निभाएं। उन्हें दूसरों के मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिये। यदि वे ऐसी ही नीति अपनाना चाहते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिये मेरे पास भी हथियार है। अतः मैं जोरदार शब्दों में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह देखें कि जो मुद्दे यहां उठाए गये हैं मन्त्री महोदय उन पर अपना ध्यान जुटाएं। अपने मस्तिष्क के कपाट बन्द नहीं, खुले रखिये। कुछ ऐसे उपाय कीजिए जिससे कम से कम लोग यह तो सोचने लगें कि जो कुछ संसद सदस्य यहां कहते हैं सरकार उनकी बातों पर विचार करती है।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त ही धन्यवादी हूं जो वे मुझे जब-तब उन प्रस्तावों अथवा सुझावों की याद दिलाते रहते हैं जो उनके अनुसार अत्यन्त ही सरल प्रकृति के हैं।

उनके बुद्धिमत्तापूर्ण भाषणों को सुनकर मुझे भारी लाभ पहुंचा है। मैं सदन को केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि यहां पर सामान्य कर की आम आलोचना का जहां तक सम्बन्ध है इसका उत्तर तो अनेक अवसरों पर दिया जा चुका है।

उप प्रधान मन्त्री महोदय ने वित्त विधेयक पर हुई सामान्य बहस का उत्तर देते समय — यह बात आपको अच्छी तरह पता है कि लगभग 46 करोड़ रुपये की राहतों की पहले ही घोषणा कर दी है। फिर भी, जहां तक पेट्रोल, पेट्रोलियम-पदार्थों, मिट्टी के तेल तथा बहुत सी अन्य मदों का सम्बन्ध हैं, उनकी कुछ आलोचना हुई है।

श्री दीनेश भट्टाचार्य : और साबुनों और टूथ पेस्टों की भी आलोचना हुई है।

श्री सतीश अग्रवाल : चाकलेटों, बिस्कुटों, टूथ ब्रुशों, कपड़े धोने के साबुन और प्रक्षालकों (डीटरजेम्टस) पर एहतों की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। श्री बनातवाला जी की सूचना के लिये उन बहुत से करों में, विशेषकर शक्ति निर्मित कपड़ों, जिन पर उत्पाद-शुल्क 8% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है और जिनके बारे में उन्होंने कड़ा विरोध प्रकट किया है, मै 24 अप्रैल से कम से कम 1% की छूट की घोषणा करता हूं। वह पहले ही की जा चुकी है। और यहां पर भी पहले से ही घोषित की जा चुकी है। अतः सामान्य करों के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं हैं। साधनों के उपयोग के मार्ग में आए कुछ दबावों और अड़चनों के कारण, और अपने बजट और अपनी चालू अर्थव्यवस्था की दिशा की कुछ जानकारी होने के कारण, हमें इस कराधान का सहारा लेना पड़ा। सदन के सभी वर्गों ने व्यवहार रूप में एक प्रतिवाद यह किया है कि हमने मद सं० 68 के अधीन वर्तमान विमुक्त सीमा 30 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये कर दी है। संक्षेप में इस बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं—श्री कामत की गलती ठीक करने के लिये नहीं—उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं क्योंकि वे मुझसे बड़े हैं, ठीक है पिता जी नहीं, अपितु दादा... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको हो क्या गया है। वे तो अभी तक कुंआरे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : इस वय के कुंआरे, दादाओं जैसे ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें घरेलू मामलों की बात नहीं करनी चाहिये ।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक इस कथन की बात है यह सच है कि मद सं० 68 के अधीन प्रारम्भिक अवस्था में उत्पादशुल्क 1% था और इसे बढ़ाकर 2% कर दिया गया और उसके बाद 5% और 8% किया गया । इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

यह तो वस्तुओं का कराधान है । वस्तु कराधान और आयकर में अन्तर होता है । वस्तु कराधान के अधीन यदि माल की कीमत 100/- रुपये है तो इसे पहले ही उत्पादशुल्क लगाकर 105/- रुपये में बेचा जाता है । और अब यदि किसी का उत्पादन 30 लाख रुपये से अधिक का होता है तो हमने इसे 108/- रुपये कर दिया है । अत: यह इस प्रकार कोई 800% नहीं हो जाती क्योंकि... (व्यवधान)

श्री हरि विष्णु कामत : जनता सरकार की वजह से यह 101 रुपये से 102 रुपये हुई और फिर 105 और 108 रुपये हुई ।

श्री सतीश अग्रवाल : 101 रुपये 108 रुपये पर आ जाने से कोई 100% वृद्धि नहीं हो जाती । केवल कीमत में ही वृद्धि होती है । क्योंकि तैयार माल की कीमत से उत्पादशुल्क जोड़ा जाता है तो यह 105 रुपये से बढ़कर 108 रुपये हो गई । इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

महोदय, अब चूंकि सदन के सभी वर्गों से एक स्तर में यह मांग आई है, विशेषकर इन दो मदों के बारे में, तो हमने उनका परीक्षण किया है । यह सीमा 30 लाख से घटाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है । परन्तु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत से अभ्यावेदन मेरे पास आए कि जिनका निर्यात किया जाता है उन्हें छूट देने के उद्देश्य से मद सं० 68 में जोड़ दिया गया है । पहले हमने इसे इसमें सम्मिलित नहीं किया था । यह तो हुई नम्बर एक बात । नम्बर दो बात यह है कि जिनका निर्यात किया जाता है उन्हें अन्य मदों के साथ अलग भी कर दिया गया है । इससे बहुत दूर तक राहत प्राप्त होती है... (व्यवधान)

अत: मेरा निवेदन है कि चूंकि सदन के सभी वर्गों ने एकमत से यह मांग की है···और मैं सदन को इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि मैं उनकी उत्कट भावनाएं अधिक से अधिक सशक्त शब्दों में उप प्रधान मन्त्री महोदय के पास भिजवा दूंगा । यह देखने के लिए कि इससे वास्तव में ही गरीब आदमी और लघु-उद्योग किस प्रकार दुष्प्रभावित हुए हैं हम एक अध्ययन करायेंगे । मैं इलैक्ट्रानिकस का एक उदाहरण दे सकता हूं—जहां आप 10 लाख का निवेश करके एक करोड़ रुपये तक कमा सकते हैं । अत: उन्हें उत्पादशुल्क के लिए लघु नहीं कहा जा सकता । सदन की यह इच्छा है कि असली लघु-उद्योगों को लाभ मिलना चाहिये और अनावश्यक रूप से उन पर कर भी नहीं लगना चाहिये । मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम इसका अध्ययन करायेंगे कि 30 लाख से घटाकर सीमा को 15 लाख रुपये कर देने का गरीब आदमी पर, छोटे आदमी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है और यदि वास्तव में ही कोई दुष्प्रभाव पड़ा है तो मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उचित समय पर उचित कदम उठाए जायेंगे और आवश्यक राहत प्रदान की जायेगी ।

महोदय, जहां तक 'विमको' के प्रश्न का, मामले का सम्बन्ध है, मैं पहले ही उस सन्दर्भ में बोल चुका हूं। सरकार का इरादा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का है, उन पर अधिक बल देने, उनको प्रलोभन देने, और उनको अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार उत्सुक है। हम सम्भवत: 30 तारीख को दियासलाई उद्योग के सम्बन्ध में एक बैठक बुला रहे हैं। उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये मैं विशेषरूप से मद्रास और मदुराई होकर आया हूं और अपने अधिकारियों को शिवकाशी भेजा है। मुझे उनकी रिपोर्ट मिल चुकी है। 30 तारीख को हम उन पर विचार-विमर्श करेंगे और समस्या का हल निकालेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : मिट्टी के तेल के बारे में क्या विचार है ?

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे खेद है कि मैं उस सुझाव को स्वीकृत नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करता हूं कि वे अपने प्रस्तुत किये गये संशोधनों को वापिस ले लें।

श्री विनोद भाई वी० शेठ : मैं अपने संशोधन वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं अपने सभी संशोधनों पर बल देता हूं, परन्तु मेरी प्रार्थना है कि मेरे संशोधन सं० 29 को अलग से रखा जाये।

श्री आर० वेंकटारमन : महोदय, मैं अपने संशोधन सं० 50 पर बल देता हूं।

श्री के० टी० कोसलराम (त्रिरुचेंडूर) : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखकर मैं अपने संशोधन पर बल नहीं दूंगा। मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, चूंकि मन्त्री महोदय का अविवेकी रवैया ढिठाई की सीमा तक पहुंच रहा है, अत: मेरे समक्ष अपने संशोधन सं० 115,117 और 118 पर बल देने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं रह गया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अपने संशोधन को वापिस लेने के लिये मैं सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

अध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन को छोड़कर, अब मैं और सभी संशोधनों को सदन के मतदान के लिए एक साथ रखता हूं, जिसमें, बनातवाला का संशोधन संख्या 29 है, श्रीमती पार्वती कृष्णन का संशोधन सं० 50 है और श्री हरि विष्णु कामत के संशोधन संख्या 115, 117 और 118 है।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम में से कुछ को यह स्पष्ट नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 29 को अलग से रखूंगा। मैंने यह बात कही है।

श्री आर० वेंकटारमन : वह मिट्टी के तेल के बारे में है। संशोधन संख्या 50 लघु उद्योगों के बारे में है। आप उसे सदन में मतदान के लिये अलग से रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, संशोधन संख्या 29 और श्री कामत का संशोधन और सरकार का संशोधन 50—इसके अतिरिक्त—मैंने यह बात कही थी। मैं अब श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 सदन के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

29. पृष्ठ 55,—

पंक्ति 23 से 25 का **लोप कर दिया जाये**।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

विभाजन संख्या 23

20.04 बजे

पक्ष में

कृष्णन्, श्रीमती पार्वती
कोसलराम, श्री के० टी०
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
चटर्जी, श्री सोमनाथ
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
बनातवाला, श्री जी० एम०
भट्टाचार्य, श्री दीनेन
मंडल, श्री मुकुन्द
मावलंकर, प्रो० पी० जी०
रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी०
राचैया, श्री बी०
वेंकटारमन, श्री आर०
सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल
हान्डे, श्री वी० जी०

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
अर्गल, श्री छविराम
अमात, श्री डी०
अलहाज, श्री एम० ए० हनान
आहूजा, श्री सुभाष
खां, श्री महमूद हसन
गंगासिंह, श्री
गट्टानी, श्री आर० डी०
गुप्त, श्री कंवर लाल
गोदरा, चौ० हरी राम मक्कासर
चतुर्वेदी, श्री शम्भूनाथ
चांदराम, श्री
चावड़ा, श्री के० एस
चौधरी, श्री मोतीभाई आर०
जैन, श्री कल्याण
जायसवाल, श्री अनन्तराम
जोशी, डा० मुरली मनोहर
ठाकेरे, श्री कुशाभाऊ
ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
तेज प्रताप सिंह, श्री
त्यागी, श्री ओम प्रकाश
दंडवते, प्रो० मधु
दानवे, श्री पुण्डलीक हरि
देशमुख, श्री राम प्रसाद
धुर्वे, श्री श्यामलाल

पक्ष में	विपक्ष में
	नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
	पटनायक, श्री बीजू
	पटेल, श्री धर्मसिंह भाई
	पांडे, श्री अम्बिकाप्रसाद
	पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण
	प्रधान, श्री पवित्र मोहन
	फजलूर रहमान, श्री
	बागुन, श्री सुम्बरूई
	बृजराज सिंह, श्री
	भंवर, श्री भागीरथ
	मंडल, डा० विजय
	महीलाल, श्री
	मानकर, श्री लक्ष्मण राव
	राज केशर सिंह, श्री
	रामजी सिंह, डा०
	वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
	वर्मा, श्री बृजलाल
	वर्मा, श्री रवीन्द्र
	शर्मा, श्री जगन्नाथ
	शर्मा, श्री यज्ञदत्त
	शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
	शेठ, श्री विनोद भाई, बी०
	सत्यदेव सिंह, श्री
	सरकार, श्री शक्ति कुमार
	सारण, श्री दौलतराम
	साय, श्री लारंग
	सुखेन्द्र सिंह, श्री
	सोमानी, श्री रूप लाल
	स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
	हरिकेश बहादुर, श्री
	हीराभाई, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 14
विपक्ष में : 56

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 50 सभा में मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री हरि विष्णु कामत के संशोधन संख्या 115, 117 तथा 118 सदन में मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

115. पृष्ठ 64, पंक्ति 5,—

'आठ प्रतिशत' **के स्थान पर** 'पांच प्रतिशत' **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

117. पृष्ठ 64, पंक्ति 5 से 7,—

'अन्य सभी माल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है किन्तु निम्नलिखित को अपवर्जित करते हुए—**के स्थान पर**' कारखाने में विनिर्मित अन्य सभी माल **जो अन्यत्र** विनिर्दिष्ट नहीं है किन्तु निम्नलिखित को अपवर्जित करते हुए'—**प्रतिस्थापित किया जाये** ।

118. पृष्ठ 64,—

पंक्ति 14 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये** —

'**स्पष्टीकरण**—इस मद में 'कारखाना' अभिव्यक्ति का वही अर्थ है, जो इसे कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2(ङ) में समनुदिष्ट किया गया है ।'

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

विभाजन संख्या 24] 20.07 बजे

पक्ष में	विपक्ष में
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती	अग्रवाल, श्री सतीश
कामत, श्री हरिविष्णु	अर्गल, श्री छविराम
कोसलराम, श्री के० टी०	अमात श्री डी०
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष	अलहाज, श्री एम० ए० हनान
चटर्जी, श्री सोमनाथ	आहूजा, श्री सुभाष
थामस, श्री स्कारिया	खां, कुवर महमूद अली
नायडू, श्री पी० राजगोपाल	गंगा सिंह, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०	गट्टानी, श्री आर० डी०
भट्टाचार्य, श्री दीनेन	घोषाल, श्री सुधीर
मंडल, श्री मुकुन्द	चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप
मावलंकर श्री पी० जी०	चांदराम, श्री
रांगनेकर, श्रीमती अहिल्या पी०	चावड़ा, श्री के० एस०
राचैया, श्री बी०	चौधरी, श्री मोतीभाई आर०
वेंकटारमन, श्री आर०	जैन, श्री कल्याण
हान्डे श्री वी० जी०	जायसवाल, श्री अनन्तराम

पक्ष में	विपक्ष में
	जोशी, डा० मुरली मनोहर
	ठाकरे, श्री कुशाभाऊ
	ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
	तेज प्रताप सिंह, श्री
	त्यागी, श्री ओम प्रकाश
	दंडवते, प्रो० मधु
	दानवे, श्री पुण्डलीक हरि
	देशमुख, श्री राम प्रसाद
	धुर्वे, श्री श्यामलाल
	नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
	पटनायक, श्री बीजू
	पटेल, श्री धर्मसिंह भाई
	पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद
	प्रधान, श्री पवित्र मोहन
	फजलूर रहमान, श्री
	बागुंन, श्री सुम्बरूई
	बृजराज सिंह, श्री
	भंवर, श्री भागीरथ
	मंडल, डा० विजय
	महीलाल, श्री
	मानकर, श्री लक्ष्मण राव
	राजकेशर, सिंह, श्री
	रामजी सिंह, डा०
	वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
	वर्मा, श्री बृजलाल
	वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
	वर्मा, श्री रवीन्द्र
	शर्मा, श्री जगन्नाथ
	शर्मा, श्री यज्ञदत्त
	शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
	सेठ, श्री विनोदभाई पी०
	सत्यदेव सिंह, श्री
	सरकार, श्री शक्ति कुमार
	सारण, श्री दौलतराम

पक्ष में	विपक्ष में
	साय, श्री लारंग
	सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल
	सुखेन्द्र सिंह, श्री
	सोमानी, श्री रूप लाल
	स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
	हरिकेश बहादुर, श्री
	हीराभाई, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 15

विपक्ष में 56

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

55. (सरकारी) पृष्ठ 63,—

पंक्ति 30 से 39 का **लोप कर दिया जाये ।**

56. (सरकारी) पृष्ठ 64, पंक्ति 3,—

(viii) के स्थान पर (v) **प्रतिस्थापित कर दिया जाये ।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम चतुर्थ अनुसूची पर आते हैं । श्री वेंकटारमन ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

76. पृष्ठ 65, पंक्ति 8,—

"एक रुपया प्रति हजार" के स्थान पर "केवल पचास पैसे प्रति हजार" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेन भट्टाचार्य क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री दिनेन भट्टाचार्य : जी हां, महोदय, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

210. पृष्ठ 65, पंक्ति 12, —

"10 प्रतिशत" **के स्थान पर** "1 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

211. पृष्ठ 65, पंक्ति 17,—
"2 रुपये प्रति किलो ग्राम" **के स्थान पर** "50 पैसे प्रति किलो ग्राम" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

212. पृष्ठ 65, पंक्ति 16,—
"5 प्रतिशत" **के स्थान पर** "1 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वेंकटारमन अपने संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। मेरी संशोधन संख्या बीड़ी पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसे कम से कम एक रुपये से घटा कर 50 पैसे कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिनेन भट्टाचार्य ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : बीड़ी पर कर में कमी का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यह ग्रामोन्मुख है और उन्होंने ग्रामीण जनता के लिए बहुत कुछ किया है । किन्तु सूची से यह देखा जा सकता है कि चबाने वाले तम्बाकू पर, जिनका कृषि मजदूर प्रयोग करते हैं यथा मूल्य पर 10 प्रतिशत कर लगाया जा रहा है । उसके पश्चात नसवार और हुक्का तम्बाकू की बात आती है । हुक्के का प्रयोग कौन करता है । ग्रामीण जनता इसका प्रयोग करती है । इस्पात मन्त्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में कभी नहीं जाते । वरन् लोग उनको गर्दन से पकड़ लेंगे और पूछेंगे कि सरकार क्यों उन पर अतिरिक्त भार डाल रही है । मेरा संशोधन बड़ा ही सीधा सादा है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करे और इन मदों को बिल्कुल न छेड़े ।

श्री सतीश अग्रवाल : समयाभाव के कारण मैं और कुछ नहीं कहना चाहता । मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटारमन, क्या आप अपने संशोधन (संख्या 76) के लिये जोर दे रहे हैं । मन्त्री महोदय ने इसे स्वीकार नहीं किया है ।

श्री आर० वेंकटारमन : मैं अपना संशोधन संख्या 76 को वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति मांगता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 210, 211 और 212 को प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

210. पृष्ठ 65, पंक्ति 12,—
"10 प्रतिशत" **के स्थान पर** "1 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

211. पृष्ठ 65, पंक्ति 14,—
"2 रुपये प्रति किलो ग्राम" **के स्थान पर** "50 पैसे प्रति किलो ग्राम" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

212. पृष्ठ 65, पंक्ति 16,—

"5 प्रतिशत" **के स्थान पर** "1 प्रतिशत" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चतुर्थ अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

चतुर्थ अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

श्री सतीश अग्रवाल : इस विधेयक को पारित करने के लिये औपचारिक प्रस्ताव करने से पहले मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना अत्यंत बहुमूल्य सहयोग दिया है और रचनात्मक समालोचना की है । अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 219 (6) को नियम 93 (2) के साथ पढ़िये । नियम 219 वित्त विधेयक के सम्बन्ध में है । उप-नियम में व्यवस्था है "अन्य बातों में इन नियमों के अध्याय 10 में विधेयक से सम्बन्धित नियम लागू होंगे ।" अब अध्याय 10 को देखिये । इसमें नियम 93 में व्यवस्था है कि वह नियम इस विधेयक पर भी लागू होंगे । इसमें कहा गया है : जिस विधेयक में संशोधन हो जाता है उसके लिये प्रस्ताव कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये, उसी दिन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिस दिन उस विधेयक पर विचार हुआ हो, जब तक अध्यक्ष महोदय इस बात की अनुमति न दें कि प्रस्ताव रखा जाये ।" यदि आपने इसकी अनुमति दे दी है, तो कृपया आप यह कह दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसी अनुमति देने के लिये बाध्य होना पड़ा है ।

(व्यवधान)

श्री हरि विष्णु कामत : वह बाधा तो पार हुई । किन्तु अब मैं नियम 219 की बात कहता हूं । आप इस नियम को देखें । उप-नियम 2 के अनुसार सभी वित्तीय कार्यवाही को 5 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है किन्तु इसके लिए सदन 7 बजे तक के लिए राजी हो गया है और अब इसे 8 बजे तक कर दिया गया है । सदन अपनी प्रक्रिया का स्वयं स्वामी है, किन्तु आपने यह समय स्वयं निर्धारित कर लिया है । अब मैं आपका इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन चाहता हूं । उप-नियम 2 के अनुसार इस कार्यवाही को शाम 5 बजे तक समाप्त होना होता है किन्तु अब 8 बजे हैं । उप-नियम 2 को संशोधन के बावजूद भी लागू होना चाहिये । अब निगम 2 के अन्तर्गत क्या व्यवस्था है ? कृपया अब आप वापिस जाइये ।

अध्यक्ष महोदय : पीछे जाइये और फिर आगे आइये ।

श्री हरि विष्णु कामत : उपनियम 2 में व्यवस्था है, "अध्यक्ष महोदय प्रस्तावित दिन को 5 बजे शाम को (अब सवा आठ बजे हैं) प्रत्येक आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।" चाहे उस समय 7 बजे हों अथवा 9 बजे हैं। अब यह उपबन्ध लागू होता है बशर्ते यदि मन्त्री को इस प्रस्ताव पर चर्चा में उत्तर देने का अधिकार हो। अब प्रस्ताव यह है कि विधेयक पारित किया जाये। इस प्रस्ताव पर अगर उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो उन्हें उत्तर देने का अधिकार है। क्या उन्हें यह अधिकार हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें यह अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह अधिकार है भी और नहीं भी।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें चर्चा का उत्तर देने का अधिकार है किन्तु उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता। उन्हें विचाराधीन प्रस्ताव अर्थात् 4 बजे बहस समाप्त होने से एक घण्टा पहले उत्तर देने का अधिकार प्राप्त है। उपनियम 2 पांच बजे का उल्लेख करता है अर्थात् अन्तिम पाठन से एक घण्टा पहले—उस दिन 4 बजे। उन्होंने उस समय अपना उत्तर देना प्रारम्भ नहीं किया—अर्थात् उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आइये। हम निजी तौर पर इस पर बात कर लें। (व्यवधान) मैं यह पूछूंगा कि उन्हें कितने समय की आवश्यकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय पूछ सकते हैं ताकि अन्य सदस्यों को भी बोलने का उचित अवसर मिल सके। अध्यक्ष महोदय उनसे समय के बारे में पूछेगे जो एक घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए। यह समूचा घण्टा नहीं ले सकते। आप कृपया मन्त्री महोदय से पूछें।

अध्यक्ष महोदय : वह समय नहीं चाहते हैं। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह पांच मिनट से अधिक समय न लें।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे आशा थी कि मन्त्री महोदय पूंजी पर सीमा लगायेंगे, इसके लिए हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। अनियन्त्रित पूंजी यदि किसी एक हाथ में जाती है तो वह शोषण का साधन बनती है। इस देश में बहुत बड़ी पूंजी एकाधिकार गृहों के हाथों में है और वह शोषण का साधान बनी हुई है। इससे वह न केवल चुनावों पर प्रभाव डाल रहे हैं बल्कि सरकार को भी प्रभावित कर रहे हैं। अन्ततः वह देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें आशा थी कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे किन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया है···सरकार को पूंजी के सम्बन्ध में सीमा निर्धारण करनी चाहिए···

दूसरी बात यह है कि विदेशी धन भी हमारे चुनावों को प्रभावित करता है जैसा कि अमेरिका के भूतपूर्व राजदूत ने कहा है कि इन्द्रा कांग्रेस ने अमेरिका से धन लिया था। यह बड़ी खतरनाक बात है। यदि यह प्रवृति को पनपने दिया गया तो इससे हमारे राष्ट्रीय हितों को हानि होगी और यह बड़ी खतरनाक बात होगी अतः मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच हो और अपराधियों को दण्ड दिया जाये।

लगभग 12,000 रुपये सरकार क्षेत्र में निवेश किये गये हैं और इस क्षेत्र में हमेशा घाटा ही होता है। इससे हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान हो रहा है। सरकार हमेशा कोई न कोई

कर प्रस्ताव ले आती हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता लाई जाए ताकि वहां घाटा न हो और घाटे के स्थान पर लाभ हो। सरकार को ऐसा विधान लाना चाहिए जिसके अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारियों को घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाया करे।

घाटे की वित्त व्यवस्था से भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यदि घाटे का बजट हो और प्राकृतिक विपदाओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कुछ कमी आ जाये तो उससे मुद्रास्फीति होगी और अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह घाटे का बड़ा बजट न बनाए। जो अन्तत: हमें हानि पहुंचाएगा। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह प्रशासनिक व्यय में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा करे। यह बहुत जरूरी है और मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय यह बात स्वीकार करेंगे।

श्री स्कारिया थामस (कोट्टायम) : इस बात को सभी अनुभव कर रहे हैं कि मूल्य वृद्धि हो रही है। बजट के बाद वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि इससे मूल्य वृद्धि 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। किन्तु थोक मूल्यों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मन्त्रालय का मूल्य वृद्धि पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

माननीय वित्त मन्त्री स्वयं को किसान का बेटा कहते हैं और गरीबों का रक्षक। किन्तु गरीब आदमी पर ही करों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर शहरों और गांवों में लाखों गरीब, निम्न और मध्यम वर्ग के लोग खाना पकाने के लिए तथा अपने घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी का तेल जलाते हैं किन्तु इस पर कर बढ़ा दिया गया है। बीड़ी के बारे में भी यही हुआ है। अमीर आदमी बीड़ी नहीं पीता। लाखों गरीब बीड़ी ही पीते हैं।

अमीर व्यक्ति सामान्यत: बीड़ी नहीं पीते हैं। परन्तु इन्होंने कर लगाने के लिए गरीब आदमी की बीड़ी को चुना। इन करों को हटाने की निरन्तर मांग हो रही है। परन्तु वित्त मन्त्री ने उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। परन्तु उन्होंने पूंजी लाभ कर में रियायत दी है। इससे पता चलता है कि उनकी सहानुभूति किसके साथ है। मुझे यह सब कहते हुए अत्यन्त दुख होता है, अत: मैं यह पुरजोर मांग करता हूं कि मिट्टी के तेल और बीड़ी से कर हटा लिया जाए।

यह कहने के पश्चात् मैं आपके ध्यान में केरल की एक या दो समस्याएं लाना चाहता हूं। महोदय, केरल की अर्थव्यवस्था में रबड़ का काफी महत्व है। लाखों छोटे और मध्य रबड़ उत्पादक अपनी रोजी के लिए रबड़ पर निर्भर हैं। जब कभी प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि होती है, टायर निर्यात रबड़ के आयात की मांग करने लगते हैं। वे टायर की कीमतें भी बढ़ा देते हैं। परन्तु जब कभी प्राकृतिक रबड़ की कीमतें गिरती हैं तब टायर निर्माता कभी भी टायरों की कीमतें कम नहीं करते हैं, अत: मैं अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक कीमत निर्धारित की जाए और रबड़ का आयात कभी न किया जाए क्योंकि इससे केरल के छोटे रबड़ उत्पादक नष्ट हो जायेंगे और इस प्रकार केरल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

एक दूसरा सवाल लोंग के सम्बन्ध में है। मुझे पता चला है कि लोंग आयात किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन चीजों को ऊंची कीमतों पर आयात करने की अपेक्षा उत्पा-

दकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऊंची कीमतों का लाभ विदेशियों को मिलता है। उससे हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं होता।

यदि सरकार उत्पादकों को प्रोत्साहन देती है तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और हमें अपनी विदेशी मुद्रा को इनके आयात के लिए व्यय नहीं करना पड़ेगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि जब कभी रबड़ और लोंग की कमी होती है तो सरकार उनके आयात करने की नीति छोड़ देनी चाहिए। इसकी बजाय उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारी घरेलू मांग की पूर्णरूप से पूर्ति की जा सके और हम इस स्थिति में पहुंच जाएं कि हम इनका निर्यात कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री आर० वेंकटारमन : यह बजट नष्ट करने वाला है और हमें भय है कि यह मुद्रास्फीति में वृद्धि करेगा जिसकी लपेट में सारा देश आ जाएगा और समाज के सभी वर्गों को दुखी करेगा।

इन बजट प्रस्तावों को बड़ी लापरवाही से तैयार किया गया है और इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में इनके लिए गलत तर्क दिए गए। इसका कारण सम्भवतः यह है कि गलत आधारों पर तैयार किये गये थे। वे कहते हैं कि वे विमको को विस्तार करने से रोक रहे हैं। उन्होंने विमको पर करों में वृद्धि की है।

विमको करों का भुगतान नहीं कर रहा है। आप और हम कर दे रहे हैं। वास्तव में विमको की दियासलाई की कीमतें 28% बढ़ गई हैं। और यह वृद्धि लोगों को वहन करनी पड़ती है। सरकार को नहीं। (व्यवधान)

जिस वस्तु पर कर लगाया गया हैं उसकी कीमतों में अत्यन्त वृद्धि हुई है। मैंने आरम्भ में जो यह कहा था कि कीमतों में 10% वृद्धि होगी वह भी वर्ष के अन्त तक कम रहेगा। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि सरकार ने लघु उद्योगों को रियायत नहीं दी है। लघु उद्योगों में की सहायता करने के जितने भी कार्य सरकार ने किये हैं उनसे अधिक तबाही, अधिक नुकसान और अधिक कठिनाइयां हुई हैं। यह कहकर कि वे उनकी सहायता कर रहे हैं और निर्यात पर कर न लगाकर सहायता कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में इनसे उनको सहायता मिली है जो कि लघु उद्योगों से निर्मित वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहे हैं। होजरी उद्योग निर्यात नहीं करता है इसलिऐ हानि उठा रहा है। लोग होजरी उद्योग के विषय में शिकायत करते हैं और आंसू बहाते हैं।

विभिन्न उद्योगों के अनुषंगी और सहायक कल पुर्जे बनाने वाले लघु उद्योगों को हानि होगी यदि वे निर्यात नहीं करते हैं तो। मैं ऐसे कई उद्योगों के नाम गिना सकता हूं जिनको सरकार के द्वारा किए गए परिवर्तन से हानि होगी।

यह ऐसा बजट है जो कि इस सरकार की प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचायेगा। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि राजनीतिक दृष्टि से मुझे इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे सरकार अलोकप्रिय हो जायेगी। परन्तु लोगों के दृष्टिकोण से इससे हानि अधिक होगी। चूंकि हम राजनीतिज्ञ हैं इसलिए हमें इस आलोचना को सहना पड़ेगा क्योंकि हमने देश में यह सब होने दिया है।

एक दूसरा मामला भी है, जिसका मैं इस अवसर पर उल्लेख करना चाहता हूं। इस विधेयक में कई खण्ड शामिल कर दिए गए हैं, जिनमें कोई वित्तीय विवक्षाएं नहीं हैं। लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों ने बार-बार यह कहा है कि बजट और वित्त विधेयक के समय ऐसे मामले, जिनमें वित्तीय व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है और जो कि कराधान प्रणाली में परिवर्तन करते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं, पेश नहीं किये जाने चाहिए। इन्हें अलग से पेश किया जाना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करते है तो विधेयक के प्रावधानों की सावधानी से जांच करने का समय नहीं मिलता है। और गलतियां हो जाने की भी पूरी सम्भावना है। एक ऐसा ही उदाहरण है, पिछले वर्ष उन्होंने वित्त विधेयक का एक संशोधन पेश किया जिसमें कहा गया था कि लोग अपनी विवरणियां भरने से पूर्व अपने अग्रिम कर प्राक्कलन अवश्य ही प्रस्तुत करें।

अब उन्हें पता चला है कि वह एक गलती थी और इन्होंने अब एक और संशोधन पेश किया है जिसमें कहा गया है कि 'तारीख तक या उससे पहले' प्रस्तुत करें। यदि हमें समय मिला होता तो हममें से कुछ ने, जो कि विधानों को देखने के आदी हैं, अवश्य ही ऐसा करने का सुझाव दिया होता। सोमनाथ चटर्जी जैसे व्यक्ति ने, जो कि विधानों को ध्यान से देखते हैं, अवश्य ही हमारी सहायता की होती। यदि गलती अब यहां दोहराई गई है। करों की चोरी को रोकने से सम्बन्धित खण्ड 9, सम्पत्ति कर से सम्बन्धित खण्ड 23, वैधानिक निकायों को आयकर में छूट देने से सम्बन्धित खण्ड 3, आयकर अपीलों के निपटान से सम्बन्धित खण्ड 20 ये सब ऐसे खंड हैं जिनकी सावधानी से जाँच की जानी चाहिए। स्पष्ट रूप से कहा जाय तो ये परसों शाम को प्रस्तुत की गई थी और हमें इन्हें देखने का समय नहीं मिला। हम इस प्रकार के विधानों का पुरजोर विरोध करते हैं। यदि वे कर प्रणाली में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं उन्हें ऐसा अलग से करना चाहिए। वित्त विधेयक में वित्तीय विवक्षाओं से सम्बन्धित उपबन्ध, जैसा कि करों में वृद्धि या कमी करना, ही शामिल किए जाने चाहिए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला वित्त विधेयक कई गलतियों के संशोधनों के साथ पेश होगा जो कि जल्दी के कारण की गई होंगी जैसे कि उस विधेयक में हुई हैं। मुझे आशा है कि वे इससे शिक्षा लेंगे और इस प्रकार के विधान भविष्य में पेश नहीं करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे तीसरे वचन पर बोलने के लिये विवश होना पड़ा है क्योंकि सरकार ने ऐसे सुझावों को जो केवल विरोधी पक्ष की ओर से ही नहीं आये बल्कि जिनकी सम्पूर्ण देश मांग कर रहा है मानने से इंकार कर दिया है। हमने कई संगठनों को, मध्य वर्ग के लोगों को, घरेलू स्त्रियों को संगठित होकर वित्त तथा उपप्रधान मंत्री के पास शिष्टमंडल ले जाते देखा है। यहां तक कि मन्त्रियों के परिवारों के सदस्यों को भी आम आदमी के समर्थन में गलतियों में आना पड़ा है। मेरा उद्देश्य है कि क्या माननीय मन्त्री को परेशान करना नहीं है। मैं इस सरकार पर यह प्रभाव डालना चाहता हूं कि वे जन भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति पूर्णतया उदासीन हैं। उन्होंने चौकस रहने की प्रवृत्ति छोड़ दी है। इन्होंने लोगों की आवश्यकताओं, लोगों की भावनाओं, उनकी कठिनाइयों, उनके दुःखों को समझने की भावना छोड़ दी है। वे हर समय अपने अन्दरूनी झगड़ों में व्यस्त रहते हैं। वे अपने लिखे को नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने हर चीज को सहज लिया है। उनके लोगों के साथ सम्बन्ध नहीं रहे हैं। वे पशुओं के साथ व्यस्त

हैं। मनुष्य के साथ नहीं। देश को इस स्थिति पर पहुंचा दिया गया है। जहां तक लोगों की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का सम्बन्ध है वे दुराग्राही सिद्ध हुए हैं।

55 करोड़ रुपये के कर लगाने का उनका एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन प्रदान करना और शहरी क्षेत्रों की विशिष्ट खपत पर प्रतिबन्ध लगाना है। कर लगाने के लिये किन वस्तुओं को चुना गया है। ये वस्तुएं हैं बहुत ही साधारण हैं और देश के अति साधारण के दैनिक प्रयोग की हैं।

इस सरकार की एक और आश्चर्यजनक प्रवृत्ति यह है कि और मैं नहीं जानता हूं कि शासन दल के माननीय सदस्यों में से कई उसके भागीदार हैं या नहीं शहरी, अर्ध-शहरी, नगरवासी, इत्यादि-इत्यादि सभी लोग धनी हैं। उन्हें सभी प्रकार के अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए सक्षम समझा जाता है, जैसे कि उनकी आय व्ययों की गति से बढ़ रही हो। कोई मजदूरी नीति नहीं है, कोई आय नीति नहीं है और न ही कोई व्यय नीति है। श्रम नीति भी कोई नहीं है परिणामस्वरूप क्या हो रहा है ? ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के नाम पर कुछ ग्रामीण धनी लोगों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दे दी गई हैं। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को नया रूप देने के नाम पर जाल को इतने विस्तृत क्षेत्र में फेंका गया है कि इसमें सभी प्रकार के लोग फंस जाएं भले ही उनमें से कुछ की वित्तीय स्थिति यह सब सहन की न हो। अब मिट्टी के तेल जैसी आम वस्तुओं पर कर लगाया गया है जैसे कि इसका प्रयोग शहरी लोग ही करते हों और ग्रामीणों को कोई आवश्यकता ही न हो। आजकल बजट का सबसे बड़ा शिकार परिवहन होता है। परिवहन का दैनिक प्रयोग कौन करता है गांवों में रहने वाले केवल धनी व्यक्ति ही नहीं बल्कि यहां रहने वाले आम लोग भी करते हैं। बस के किरायों में पहले ही काफी वृद्धि हुई है। यहां हम देखते हैं कि कुछ दिनों में टैक्सी और बस के किरायों में वृद्धि करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बसों के मालिक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे और पश्चिम बंगाल को इसकी जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करना पड़ा। यह बजट किसके लाभ के लिए बनाया गया है। मुझे जानकर दुःख हुआ है कि बहुत ही योग्य राज्य मन्त्री मुझे यह जानकर बहुत ही खेद हुआ है कि इतने योग्य राज्य मन्त्री श्री सतीश अग्रवाल इतना खराब काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें बहुत कुछ घाटा मिला है हमें जैसे भी हो धन प्राप्त करना है। अपनी आंखें बन्द करो, कुछ वस्तुओं के बारे में सोचो अपनी आंखें खोलो और जो वस्तुएं सामने आ जाएं उन पर कर लगा दो, ऐसा लगता है बजट प्रस्ताव बनाते समय यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। बजट का उद्देश्य यह नहीं होता कि आप यह पता लगाएं कि किस स्रोत से कितना धन प्राप्त हो सकता है। बजट प्रस्ताव बनाते समय देश की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ता है, यह भी देखना पड़ता है कि इसे कौनसी दिशा दी जानी है, वे असन्तुलन कौन से हैं जिन्हें दूर करना है, अर्थ-व्यवस्था को नया रूप देना है। बजट इस प्रकार बनाया जाता है। यह आम कानून की भांति नहीं है। हम बजट प्रस्तावों और वित्त विधेयक को इतना महत्व देते हैं।

हम इस विधेयक पर अच्छी तरह चर्चा करना चाहते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें शीघ्रता की जाए।

माचिसों, मिट्टी के तेल और दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुओं पर बहुत से कर लगाए गए

हैं, और 656 करोड़ रुपयों के करों में कुछ रियायत दी गई है, उन्होंने 46 करोड़ रुपये की रियायत दी है मानो इस देश के लोगों पर बहुत ही कृपा कर दी हो।

श्री बीजू पटनायक : आप चाहते क्या हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं चाहता हूं कि इन सभी करों को वापिस ले लिया जाए। नियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में क्या है ? वे करों से प्राप्त कुल धन को बढ़ाना चाहते थे। वे ऐसा कर सकते थे। परन्तु नहीं, करों में वृद्धि करने की बजाए आपने अधिभार में वृद्धि कर दी है, जिसका उद्देश्य यह है कि राज्यों को उसका लाभ न मिल सके परन्तु करदाता को इसके लिए अदायगी अवश्य करनी पड़े।

आपने उन करों को कितना बढ़ाया है और देश के आम लोगों पर कितने प्रतिशत भार पड़ा है। इस सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। हमें बताया गया है कि यह वर्ष का सबसे बड़ा मजाक है कि इस बजट के कारण एक प्रतिशत वृद्धि होगी। बजट प्रस्ताव आने के बाद ही थोक मूल्य सूचकांक में 4.8% की वृद्धि हुई है। जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रश्न है, कोई नहीं जानता कि आम आदमी पर इन प्रस्तावों का क्या प्रभाव पड़ा है। परन्तु निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग कष्ट उठा रहे हैं। परन्तु उनके विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता है। उनका प्रतिशत कितना है। उनके मामले में कितनी वृद्धि हुई है। अब हमें न केवल बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में बताया जाता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बारे में, अरबों के तेल के संकट के बारे में बताया जाता है जिनके कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने इस मामले में क्या किया है ?

यहां पर मैं सरकार को मैत्रीपूर्ण चेतावनी देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आरम्भिक स्थिति में सरकार ने कुछ अच्छे कार्य किए हैं। परन्तु बाद में उन्होंने अपने कर्त्तव्यों को कतई भुला दिया। इसके साथ-साथ ही उन्होंने अपने कार्यों, देश के प्रति अपने दायित्वों, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया। उन्हें प्राथमिकता का बोध ही नहीं रहा। अब मन्त्री स्वयं को दल के मंचों पर बचाने में संलग्न हैं। मेरा उससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है परन्तु तथ्य तो यह है कि इसका प्रशासन पर प्रभाव पड़ रहा है और प्रशासन ठप्प हो गया है। अफसरशाही का प्रभुत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि राज्यों के योजना प्रस्ताव भी कई-कई महीनों तक रुके रहते हैं क्योंकि मंत्रियों को अपने दल के साथियों से लड़ना पड़ता है। यह स्थिति है, और देश में यह हालात हैं।

एक आदरणीय सदस्य : लोकतन्त्र।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह आपके ढंग का लोकतन्त्र होगा जिसमें लोगों की समस्याओं पर विचार नहीं होता है।

चूंकि वे लोकतन्त्रीय अधिकारों, मूल अधिकारों को वापिस दिलाने और आपात स्थिति के कलंक को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसलिए हमने उनका अभी तक समर्थन किया है। परन्तु जहां तक इस देश के लोगों के दैनिक जीवन का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि वर्षों से उनका विकास रुका पड़ा हुआ है। स्वतन्त्रता के 30 वर्षों के दौरान बहुत से लोगों ने गरीबी की रेखा से

नीचे जीवन यापन किया है और अधिक से अधिक संसाधन कुछेक हाथों में ही केन्द्रित हो गए हैं। लोगों के बीच विषमता बढ़ गई है। क्या इससे कोई इन्कार कर सकता है ? ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर इस बजट का क्या प्रभाव हुआ है ? ग्रामीण लोगों में भारी विषमता होगी, क्योंकि केवल मुट्ठीभर ग्रामीण लोगों, ग्रामीण धनी लोगों को लाभ पहुंचेगा। स्पष्ट रूप से कुलकों को ही लाभ पहुंचेगा। अत: हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं कि यह कह कर अस्पष्ट वायदे करना अच्छा नहीं है "हम विचार करेंगे, हम प्रधान मन्त्री को बतायेंगे, हम वित्त सचिव से कहेंगे कि वह यह देखें कि क्या किया जा सकता है। आप बड़े अच्छे सुझाव दे रहे हैं परन्तु मुझे खेद है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।" श्री अग्रवाल सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करके नम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि मुझे खेद है, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है।

अत: मेरा निवेदन है कि समय बहुत जल्दी जा रहा है। कृपया कातिल न बनें। यदि आप समझते हैं कि अपने कातिलपन और अकर्मण्यता के कारण यदि आप आश्चर्य ला सकते हैं तो हम अधिक कड़ाई से संघर्ष करते रहेंगे और आप सबक सीख जायेंगे परन्तु सबक सीखने से पहले लोगों को कठिनाई इतनी अधिक हो जाएगी कि आप जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उससे उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। अत: आप लोगों पर जो कर लगाये गए हैं उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए था और उसे वापस लिया जाना चाहिए था। कम से कम उन्हें काफी हद तक कम से कम तो अवश्य किया जाना चाहिए था।

जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसकी गतिविधि इस प्रकार की रही है कि इसके प्रभाव राज्यों में भी देखे गए हैं। यद्यपि सातवें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल आदि के अपने भाग को बढ़ा करके राज्यों को काफी आर्थिक सहायता प्रदान की है तथापि यह पर्याप्त नहीं है। पश्चिम बगाल सरकार के आयोजना प्रस्तावों में कमी कर दी गयी है, क्योंकि उसका कहना है "आपको सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक धन मिलेगा।"

आज इस देश में क्या हो रहा है ? इस देश के किसी हिस्से की प्रगति से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है। मैं तो देश के हर हिस्से को खुशहाल देखना चाहता हूं। वे जहां भी हैं हमारे भाई हैं परन्तु 1969 से 1976 तक के इन 7 वर्षों में इस देश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण अग्रिम इस प्रकार था : त्रिपुरा 19, उड़ीसा 24, आसाम 40, पश्चिम बंगाल 146 इसके मुकाबले में महाराष्ट्र को 308 और पंजाब को 346 मिला। उन्हें जो कुछ मिला है उससे मुझे ईर्ष्या नहीं है। उन्हें इससे लाभ उठाने दीजिए। परन्तु क्या यह उपलब्ध संसाधनों का समान वितरण है ?

जीवन बीमा निगम के प्रति व्यक्ति निवेश को ही ले लीजिए और देखिये कि इस देश के पूर्वी क्षेत्र के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। आसाम 16, उड़ीसा 23, त्रिपुरा 5, बिहार 14, पश्चिम बंगाल 17, गुजरात 52।

क्या ये बातें उनके ध्यान में नहीं लाई गई हैं ? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की गड़बड़ अभी भी है। इस देश में आनमान वितरण प्रणाली अपनायी जा रही हैं ? गम्भीर और असली समस्याओं का तदर्थ उत्तर दिए जाने से लोगों को

राहत नहीं मिलेगी। मैं आपको बता सकता हूं कि लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे। हम इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि जनता ने हमें यहां भेजा है। श्री पटनायक को परेशानी यह है कि वह यह समझते हैं कि नीलमणि राउतराय स्थायी रूप से बने रहें। कोई भी हमेशा नहीं रह सकता। हम आपसे सहयोग करना चाहते हैं। हम वर्तमान में ही प्रगति नहीं कर रहे हैं; अपितु हम भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। आप इसे रोक नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि अनेक लोग जो वहां बैठे हुए हैं स्थिति को समझकर हमारे साथ आयेंगे। मैंने यही बात पिछली सभा में कही थी कि अपने अस्थायी बहुमत से श्रीमती गांधी ने अनेक वैधानिक उपबन्धों को इस सभा के माध्यम से समाप्त किया था। यही सत्य साबित हुआ है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आपका बहुमत भी अस्थायी है। उस पर निर्भर न रहिए। आप यह न समझें कि लोग आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। अतः लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दें और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें और उन्हें मदद देने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा को और आपको विशेष रूप से उस बारे में बताना चाहता हूं कि बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद समूचे देश में किस तरह इसका विरोध हुआ है। आज सुबह भी महिलाओं का एक शिष्टमंडल आपसे मिला और एक ज्ञापन दिया और इसे वित्त मन्त्री को देने के लिए निवेदन किया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह दे दिया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : उन्हें यह जानकर खुशी होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने अपने विचार वित्त मन्त्री को बता दिए हैं ?

श्री पार्वती कृष्णन : "मुझे यह यहां इसलिये कहना पड़ा है क्योंकि वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि अनेक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं—दूध, दालों, वनस्पति, तेल तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। परन्तु ये कीमतें बजट और करों के कारण नहीं बढ़ी हैं। परन्तु अन्य कारणों से बढ़ी हैं। यह सही नहीं है। ये कीमते बजट पेश होने के बाद ही बढ़ी हैं।

हमने यह बताया है कि इन प्रत्यक्ष करों से कीमतें बढ़ी हैं। यही सभा के दोनों पक्षों ने भी कहा है। गृहणियों ने भी यह कहा है कि बजट पेश किये जाने के बाद से अनेक वस्तुओं—साबुन, टूथपेस्ट, डिस्टर्जेंट, कॉफी, सिगरेट, चाय, दियासलाई, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस आदि की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि इन पर प्रत्यक्ष कर लगता है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अन्तोले फ्रैंक ने कहा है कि 'अधिक गलत समझने की अपेक्षा कम समझना बेहतर है।' मंत्री महोदय कम से कम वह बात समझने की कोशिश करें जो कि हम उनसे कहते रहे है कि किस तरह से इस बजट से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। शहरी और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच विवाद शुरू करने के लिए बजट पेश किया गया है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। आज आप गन्दी बस्तियों में जाकर देखें। क्या वे ग्रामीण लोगों से बेहतर हैं ? ग्रामीण लोग स्वयं

रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं, क्योंकि आप 20 मार्च को यहां आने वाले भूमिहीन मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने और आय का साधन जुटाने के लिए भूमि सुधार लागू नहीं करते हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से अपील करती हूं कि उन्होंने जो आश्वासन दिये हैं उन पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे।

उदाहरण के लिए आप मद संख्या 68 को लीजिये। आप कहते हैं कि यह ग्रामीण प्रधान बजट है। सूती होजरी मद 68 के अन्तर्गत आती है। आप इस पर उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं। सूती होजरी का प्रयोग कौन करता है ? पत्तन और गोदी कर्मकार इसका प्रयोग करते हैं। भवन निर्माण करने वाले मजदूर, ग्रामीण लोग, भूमिहीन लोग इसका प्रयोग करते हैं। सूती होजरी निर्माता इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसे मद 68 से हटाया जाना चाहिए। हटाया गया है—सिले सिलाये कपड़ों, टेरीलिन कमीजों जिसकी कीमत 70 से 80 रुपये या इससे अधिक होती है।

क्या ग्रामीण लोग टेरिलिन कमीजें पहनते है ? क्या भवन निर्माण करने वाले मजदूर इसे पहनते हैं ? (**व्यवधान**) निसन्देह नहीं। अतः उन्होंने जो लगभग 30 लाख सीमा की बात कही है जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, इसके अतिरिक्त मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि सूती होजरी को मद 68 से हटा दिया जाना चाहिए। और हम उन्हें याद दिलायेंगे, यद्यपि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। 27 जनवरी और 28 फरवरी के बीच उन्होंने अपना विचार क्यों बददल दिया है। वह इसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उनका ही विचार नहीं बदला है परन्तु पीछे बैठने वाले लोग कुछ बातें करते हैं और वह सभा में बताते हैं। हम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप भले ही इसके लिए कोशिश करें। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी सहित वहां बैठने वाले लोग इसे ग्रहण कर सकें परन्तु हम नहीं करेंगे। अतः सावधान रहिए। इस मामले पर विचार करिए। अपने आश्वासन को पूरा करिए। उप-प्रधान मन्त्री को समझाइये कि लघु उद्योग के लिए 30 लाख की सीमा निश्चित करना आवश्यक है और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे।

परन्तु मेरा अन्तिम निवेदन यह है। मझे वास्तव में अफसोस है कि आप श्री बनातवाला के मिट्टी के तेल से सम्बन्धित संशोधन को स्वीकार नहीं कर सके। मुझे आशा है कि आपके साथी पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने पेट्रोलियम उत्पादों में पुनः मूल्य वृद्धि की जो धमकी दी है, वह नहीं की जाएगी। अन्यथा मुझे खेद है कि हमारी जनता धैर्य धारण नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : वह मुझसे यह कहलाना चाहते थे कि क्या मैं बोलूंगा या नहीं और मैंने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने इस वचन को मुझसे छीन लिया। 9 बजने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं केवल 2 मिनट लूंगा।

वित्त विधेयक पास होने से पहले अन्तिम घंटे में जो रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं मैं उसके लिए बड़ा कृतज्ञ हूं। मुझे जो सहयोग मिला है, उसकी मैं सराहना करता हूं। शुरू में मैं बड़ा ही शंकालु था कि मैं इस विधेयक को कैसे प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि जीवन में मुझे पहली बार वित्त विधेयक इस सम्मानित सभा में पेश करना पड़ा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको बड़ी कठिनाई का सामना करना था। परन्तु आपका काम बहुत अच्छा रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे सहयोग मिला है, उसके लिए मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। यहां जो बातें कही गई हैं, हम उनकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान के अनुच्छेद 100(4) के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। यह गणपूर्ति के बिना पास नहीं हो सकता। हमें सदस्य संख्या गिनने दीजिए। इस सभा में गणपूर्ति नहीं है।...

अध्यक्ष महोदय : 60 से अधिक सदस्य हैं...

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ऐसा नहीं समझता। हमें गिनती करने दीजिए। 54 से गणपूर्ति होती है।

अध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति है। 60 से अधिक सदस्य हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा शुक्रवार 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित होती है।

———

म० प० 8.85

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1979, 7 वैशाख, 1901 (शक) के 11 बज तक के लिए स्थगित हुई।

———

सनलाइट प्रिंटर्स, फव्वारा दिल्ली-110006

P.L.S. 48. XXVI. 45/79 (N)
210

© 1979 लोक-सभा सचिवालय में प्रतिलिप्याधिकार को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित, और
प्रबन्धक, सनलाइट प्रिंटर्स, फव्वारा दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित ।